पंचदश माला, खंड 23, अंक 9

गुरुवार, 22 मार्च, 2012
2 चैत्र, 1934 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 85
Dated 10 Sept-2014

(खण्ड 23 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

नवीन चन्द्र खुल्बे
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

राजीव शर्मा
सम्पादक

सुशान्त कुमार पाण्डेय
सहायक सम्पादक

मनोज कुमार पाण्डेय
सहायक सम्पादक

© 2012 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 23, दसवां सत्र, 2012/1934 (शक)]

अंक 9, गुरुवार, 22 मार्च, 2012/2 चैत्र, 1933 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 121	1-9
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 122 से 140	9-222
अतारांकित प्रश्न संख्या 1381 से 1610	222-802
सभा पटल पर रखे गए पत्र	802-807
ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति	
23वें से 26वां प्रतिवेदन	807-808
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	808
(एक) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित 'कम हो चुके भू-जल स्तर का संवर्धन, सतत विकास, संरक्षण, प्रबंधन, भू-जल का उपयोग और जल प्रदूषण की रोकथाम' के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री पवन कुमार बंसल	808-809
(दो) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 213वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री अश्विनी कुमार	809
नियम 377 के अधीन मामले	810
(एक) ओडिशा के संबलपुर जिले के चिपिलीमा स्थित कृषि महाविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र को केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री अमरनाथ प्रधान	810
(दो) देश में निजी शैक्षिक संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता	
श्री पी.टी. थॉमस	810-811

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय **कॉलम**

(तीन) केरल के अनिवासी भारतीयों की सुविधा हेतु केरल के कालीकट में विदेश मंत्रालय का एक अनुप्रमाणन केंद्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री एम.के. राघवन 811

(चार) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कार्य की संस्वीकृति और चयन हेतु मापदंडों में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता

श्री पोन्नम प्रभाकर 811-812

(पांच) राजस्थान के बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गांवों में नर्मदा नहर परियोजना से पेय जल तथा सिंचाई के प्रयोजनार्थ जल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री हरीश चौधारी 812

(छह) राजस्थान के राजसमंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मावली जंक्शन को बड़ी रेल लाइन से जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री गोपाल सिंह शेखावत 812-813

(सात) देश में विश्व स्तर के विश्वविद्यालयों की स्थापना करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

डॉ. किरीट प्रेमजीबाई सोलंकी 813

(आठ) असम में बाढ़ और अपरदन की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री रमेन डेका 813-814

(नौ) 'सर्द हवा' और 'पाला' को प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां 814

(दस) देश में आवासीय जवाहर नवोदय विद्यालयों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रति व्यक्ति भोजन की दर बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री निखिल कुमार चौधरी 815

(ग्यारह) उपभोक्ताओं को तम्बाकू-उत्पादों के हानिकारक अवयवों और इसके प्रभावों के बारे में पूर्ण जानकारी दिए जाने की आवश्यकता

श्री गजानन ध. बाबर 815-816

(बारह) तमिलनाडु में चेन्नई समुद्र तट से वेलाचेरी तक स्टेशनों का समुचित रखरखाव किए जाने की आवश्यकता

श्री सी. राजेन्द्रन 816

(तेरह) बांग्लादेश के साथ तीस्ता जल-बंटवारा करार करते समय पश्चिम बंगाल के लोगों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार 816-817

(चौदह) स्थानीय संसद सदस्य के परामर्श से एकीकृत कार्य योजना के अंतर्गत विकास योजनाएं तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री अजय कुमार 817

विषय | **कॉलम**

(पन्द्रह) राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत योजनाओं को अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा 818-819

रेल बजट (2012-2013)-सामान्य चर्चा 819

लेखानुदानों की मांगे-(रेल), 2012-2013

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 2011-12

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 2009-10

श्री हरीश चौधरी 819-821

श्री के. सुगुमार 821-822

श्री एस. पक्कीरप्पा 822-825

श्री हंसराज गं. अहीर 825-827

श्रीमती जे. शांता 827-830

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल 830-835

राजकुमारी रत्ना सिंह 836

श्री मुकुल राय 836-842

विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2012 845-848

पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव 846-847

विचार करने के लिए प्रस्ताव 847

खंड 2, 3 और 1 847

पारित करने के लिए प्रस्ताव 847

विनियोग (रेल) विधेयक, 2012 848-849

पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव 848

विचार करने के लिए प्रस्ताव 848

खंड 2, 3 और 1 849

पारित करने के लिए प्रस्ताव 849

विनियोग (रेल) संख्या 02 विधेयक, 2012 849-851

पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव 850

विचार करने के लिए प्रस्ताव 850

खंड 2, 3 और 1 850

पारित करने के लिए प्रस्ताव 851

विषय	कॉलम
रेल अभिसमय समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अनुमोदन के बारे में संकल्प	851
सदस्यों द्वारा निवेदन	852-868
ओडिशा के कंधमाल में सीपीआई माओवादियों द्वारा इटली के दो नागरिकों के अपहरण से उत्पन्न स्थिति के बारे में.	852
सामान्य बजट (2012-2013) - सामान्य चर्चा	868-890
लेखानुदानों की मांगें (सामान्य) - 2012-2013	
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2011-12	
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) - 2009-10	
श्री जसंवत सिंह	889-907
श्री संजय निरुपम	907-924
श्री बृजभूषण शरण सिंह	924-929
डॉ. रत्ना डे	929-931
श्री पी. करुणाकरण	932-938
श्री आनंदराव अडसुल	938-943
श्री प्रणब मुखर्जी	943-944
डॉ. एम. तम्बिदुरई	944-950
श्री हरिन पाठक	950-956
डॉ. के. एस. राव	958-973
श्री राधा मोहन सिंह	973-974
श्री निशिकांत दुबे	974-982
श्री अजय कुमार	982-992
श्री अरुण यादव	992-993
श्री निनोंग ईरींग	993-996
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	1005-1006
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	1006-1016
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	1017-1018
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	1018-1020

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

गुरूवार, 22 मार्च, 2012/2 चैत्र, 1934 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुई*]

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 121, श्री इन्दर सिंह नामधारी।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव (मधेपुरा): महोदया, टू-जी का घोटाला तो दो लाख करोड़ रुपए का था। ...*(व्यवधान)* यह मामला बारह लाख करोड़ रुपए का है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अभी रहने दीजिए। प्रश्न काल चलने दीजिए। इसे शून्य काल में ले लेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री इन्दर सिंह नामधारी (चतरा): अध्यक्ष महोदया, प्रश्न संख्या 121 ...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.01 बजे

इस समय श्री कौशलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.0¼ बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 121, श्री इन्दर सिंह नामधारी।

पेयजल की गुणवत्ता

+
***121. श्री इन्दर सिंह नामधारी:**
श्री नारनभाई कछाड़िया:

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार झारखंड सहित राज्यों को पेयजल के परीक्षण और स्वच्छता सहित जल गुणवत्ता मानीटरिंग और निगरानी के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार उपलब्ध कराई गई और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न स्तरों पर कितनी जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई/का उन्नयन किया गया है;

(घ) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम सहित योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई धनराशि की उपयोगिता की निगरानी हेतु कोई तंत्र मौजूद है; और

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। भारत सरकार केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर झारखंड सहित सभी राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत, राज्य पेयजल सुविधा मुहैया कराने और जल गुणवत्ता समस्याओं से निपटने के लिए स्वच्छ और साफ पेयजल की सुविधाएं मुहैया कराकर उन्हें रिलीज की गई निधियों की 62 % तक की राशि का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत, 5% आवंटन जागरूकता सृजन (आईईसी), राज्य अधिकारियों एवं पंचायत के सदस्यों का क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, प्रबंधन सूचना प्रणाली, अनुसंधान एवं विकास तथा जल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच क्रियाकलाप करने के लिए उपलब्ध हैं। चालू वित्त वर्ष 2011-12 से, जल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच (डब्ल्यूक्यूएमएस) क्रियाकलापों के लिए निर्धारित की गई अतिरिक्त 3% राशि के साथ-साथ एनआरडीडब्ल्यूपी-सहायता निधि को 5% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। जल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच क्रियाकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ साधारण फील्ड टेस्ट किटों का इस्तेमाल करके पंचायत स्तर पर पेयजल स्रोतों का परीक्षण करना, नई जिला एवं उप-जिला जल गुणवत्ता परीक्षण

प्रयोगशालाओं की स्थापना करना तथा मौजूदा प्रयोगशालाओं का उन्नयन करना शामिल है।

(ख) वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान डब्ल्यूक्यूएमएस क्रियाकलापों के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी)/एनआरडीडब्ल्यूपी और एनआडीडब्ल्यूपी (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) के अंतर्गत राज्य-वार आवंटित एवं रिलीज की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान विभिन्न स्तरों पर राज्य-वार बनाए गए/उन्नयन किए गए जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की राज्यवार संख्या संलग्न अनुबंध-II में दी गई है।

(घ) और (ङ) राज्यों को एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत रिलीज की गई निधियों के उपयोग की निगरानी के लिए, ऑनलाइन समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) बनाई गई है जिस पर राज्यों को मासिक प्रगति संबंधी आंकड़ा प्रविष्ट करना होता है। यह डाटाबेस पारदर्शी है और यह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। वर्ष 2010-11 से सभी राज्यों को आगामी वर्ष के लिए 19 प्रपत्रों वाली उनकी वार्षिक कार्य योजनाएं (एएपी) प्रस्तुत करने के लिए कहा गया हैं जिस पर पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है। राज्य सरकारों द्वारा ऑनलाइन आईएमआईएस पर प्रविष्ट किए गए वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति संबंधी आंकड़ों की मदद से एएपी में हुई प्रगति की निगरानी की जाती है। इसके अलावा, एनआरडीब्ल्यूपी के विभिन्न घटकों अर्थात् कवरेज और गुणवत्ता, स्थायित्व, संचालन एवं रखरखाव, सहायक क्रियाकलाप, डब्ल्यूएमएस निधियों के वास्तविक एवं वित्तीय निष्पादन की नियमित अंतरालों पर वीडियो कांफ्रेंसिंग, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यशालाओं/बैठकों के जरिए निगरानी की जाती है। इसके अलावा, वरिष्ठ अधिकारी/क्षेत्र अधिकारी/तकनीकी अधिकारी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए राज्यों का दौरा करते हैं।

अनुबंध I

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी और एनआरडीडब्ल्यूपी डब्ल्यूक्यूएमएस) के अंतर्गत राज्य-वार और वर्षवार किए गए आवंटन और रिलीज का ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2008-09			2009-10			2010-11				2011-12(14.3.2012 तक)			
		एआरडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत कुल		डब्ल्यूक्यूएमएस के अंतर्गत रिलीज	एनआरडीब्ल्यूपी के अंतर्गत कुल		जिसमें से एनआरडीडब्ल्यूपी सहायता	एनआरडीब्ल्यूपी के अंतर्गत कुल		जिसमें से एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत कुल		एनआरडीब्ल्यूपी के अंतर्गत कुल		जिसमें से एनआरडीब्ल्यूपी-डब्ल्यूक्यूएमएस	
		आवंटन	रिलीज		आवंटन	रिलीज	रिलीज	आंवटन	रिलीज	आंवटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	394.53	395.05	1.62	437.09	537.37	3.00	491.02	558.74	24.55	12.31	479.51	377.91	21.57	8.96
2.	अरुणाचल प्रदेश	146.12	162.46	0.00	180.00	178.20	1.80	123.35	199.99	6.17	3.08	116.48	182.21	5.81	2.24
3.	असम	246.44	187.57	0.83	301.60	323.50	3.00	449.64	487.48	22.48	10.32	421.90	418.54	19.49	7.52
4.	बिहार	425.38	452.38	0.00	372.21	186.11	3.00	341.46	170.73	17.07	8.54	379.59	205.42	16.05	6.24
5.	छत्तीसगढ़	130.42	125.26	0.00	116.01	128.22	1.10	130.27	122.01	6.51	3.26	145.67	126.75	5.90	2.29
6.	गोवा	3.98	0.00	0.00	5.64	3.32	1.00	5.34	0.00	0.27	0.00	5.22	2.88	0.25	0.10
7.	गुजरात	314.44	369.44	1.06	482.75	482.75	5.25	542.67	609.10	27.13	13.57	484.66	423.04	15.94	8.51
8.	हरियाणा	117.29	117.29	0.00	207.89	206.89	1.00	233.69	276.90	11.68	5.84	211.52	168.34	5.25	3.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.	हिमाचल प्रदेश	141.51	141.51	0.00	138.52	182.85	1.39	133.71	194.37	6.69	3.34	132.30	94.75	6.03	2.44
10.	जम्मू और कश्मीर	397.86	396.49	0.00	447.74	402.51	3.00	644.22	468.91	22.46	0.00	438.13	320.19	20.36	8.19
11.	झारखंड	160.67	80.33	0.00	149.29	111.34	1.49	165.93	129.95	8.30	0.00	163.33	111.95	7.79	3.03
12.	कर्नाटक	4.77.19	477.85	0.00	573.67	627.86	3.00	644.92	703.80	32.25	16.12	715.12	667.78	20.54	10.03
13.	केरल	103.33	106.97	0.00	152.77	151.89	1.53	144.28	159.83	7.21	3.61	145.36	113.39	6.78	2.63
14.	मध्य प्रदेश	370.47	380.47	2.43	367.66	379.66	3.00	399.04	388.33	19.95	9.98	374.32	292.78	17.50	6.80
15.	महाराष्ट्र	572.57	648.24	0.00	652.43	647.81	3.00	733.27	718.42	36.66	18.33	737.56	535.81	30.99	12.05
16.	मणिपुर	50.16	45.23	0.00	61.60	38.57	1.00	54.61	52.77	2.73	1.37	51.58	39.17	2.58	1.00
17.	मेघालय	57.79	63.38	0.00	70.40	79.40	1.00	63.48	84.88	3.17	1.57	59.59	64.39	2.97	1.15
18.	मिजोरम	41.44	54.19	0.00	50.40	55.26	1.00	46.00	61.58	2.30	1.88	38.49	36.35	1.69	0.65
19.	नागालैंड	42.53	42.53	0.00	52.00	47.06	1.00	79.51	77.52	3.98	1.99	79.97	79.81	2.44	0.94
20.	ओडिशा	298.98	298.68	0.00	187.13	226.66	1.87	204.88	294.76	10.24	5.12	207.99	171.05	9.62	3.74
21.	पंजाब	86.56	86.56	0.00	81.97	88.81	1.00	82.21	106.59	4.11	3.49	89.16	123.44	3.72	1.45
22.	राजस्थान	970.13	971.83	0.00	1036.46	1012.16	3.00	1165.44	1099.48	58.27	29.14	1087.41	1153.76	32.34	20.20
23.	सिक्किम	17.45	32.45	0.00	21.60	20.60	1.00	26.24	23.20	1.31	0.66	27.59	63.11	0.73	0.28
24.	तमिलनाडु	241.82	287.82	1.71	320.43	317.95	2.48	316.91	393.53	15.85	13.47	337.17	319.11	11.94	4.64
25.	त्रिपुरा	51.25	41.01	0.00	62.40	77.40	1.00	57.17	74.66	2.86	1.35	54.41	83.86	2.54	0.98
26.	उत्तर प्रदेश	539.74	615.78	0.00	959.12	956.36	3.00	899.12	848.68	44.96	22.48	860.63	783.60	31.14	12.11
27.	उत्तराखंड	107.58	85.87	0.00	126.16	124.90	1.26	139.39	136.41	6.97	0.00	137.23	75.57	6.54	2.54
28.	पश्चिम बंगाल	389.39	389.39	0.00	372.29	394.30	2.99	418.03	499.19	20.90	10.45	348.11	242.03	14.51	5.64
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34.	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	6896.72	7056.02	7.65	7986.43	7989.72	5.72	8550.00	8941.81	427.49	201.27	8330.00	7276.99	323.01	140.23

अनुबंध II

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान स्थापित की गई पेयजल जांच प्रयोगशालाओं का राज्य-वार और वर्ष-ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष के दौरान स्थापित की गई पेयजल जांच प्रयोगशालाओं की संख्या			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	27	0
2.	बिहार	1	1	0	0
3.	छत्तीसगढ़	1	0	1	0
4.	गोवा	0	0	0	0
5.	गुजरात	0	4	0	11
6.	हरियाणा	1	2	10	7
7.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	2
8.	जम्मू और कश्मीर	1	0	4	18
9.	झारखंड	0	1	4	0
10.	कर्नाटक	43	16	10	1
11.	केरल	0	15	1	0
12.	मध्य प्रदेश	1	9	55	37
13.	महाराष्ट्र	9	2	0	1
14.	ओडिशा	1	0	3	17
15.	पंजाब	2	0	22	0
16.	राजस्थान	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
17.	तमिलनाडु	30	8	44	0
18.	उत्तर प्रदेश	0	0	3	3
19.	उत्तराखंड	0	1	1	12
20.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0
21.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	32	0
22.	असम	0	0	10	5
23.	मणिपुर	0	0	10	1
24.	मेघालय	0	0	0	0
25.	मिजोरम	0	0	10	7
26.	नागालैंड	0	4	9	0
27.	सिक्किम	0	1	1	1
28.	त्रिपुरा	0	0	0	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0
	कुल	91	64	257	123

*दिनांक 16.3.12 की स्थिति के अनुसार आईएमआईएस पर दी गई रिपोर्ट के अनुसार

प्रश्नों के लिखित उत्तर

लम्बित आपराधिक मामले

***122. डॉ. संजय जायसवाल:**
श्री महाबल मिश्रा:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों में बड़ी संख्या में लम्बित आपराधिक मामलों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो पांच वर्षों से अधिक समय से विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लम्बित विभिन्न मामलों का न्यायालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार 'फास्ट ट्रैक कोर्ट्स' सहित इन मामलों को तेजी से निपटाने हेतु उचित कार्रवाई करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में आपराधिक न्याय प्रणाली के परिदान और प्रशासन में सुधार हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) जी हां। मामलों के संस्थन, निपटान और लंबित मामलों के डाटा को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा रखा जाता है। न्यायालय समाचार (जिल्द 6, अंक सं. 1) में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकाशित जानकारी के अनुसार 31.12.2010 को उच्चतम न्यायालय सहित देश के विभिन्न न्यायालयों में कुल 2,08,45,353 दांडिक मामले लंबित थे। जिसमें से 10,370 दांडिक मामले उच्चतम न्यायालय में लंबित थे।

तारीख 31.12.2010 को 5 वर्ष और उससे अधिक अवधि के लिए लंबित सिविल और दांडिक दोनों मामलों के ब्यौरे उच्च न्यायालय-वार संलग्न विवरण 1 में दिए गए हैं। जैसे उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपलब्ध कराई गई नवीनतम जानकारी के अनुसार 702 दांडिक मामले पांच वर्ष से अधिक वर्षों के लिए लंबित हैं।

(ग) से (ङ) त्वरित निपटान न्यायालय लंबे समय से लंबित सेशन मामलों के तीव्र निपटान के लिए 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर गठित किए गए थे। 31.03.2011 तक देश में 1192 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे थे। 11 वर्ष की अवधि में लगभग 33 लाख मामले त्वरित निपटान न्यायालयों द्वारा निपटाए गए थे। तेरहवें वित्त आयोग ने लंबित मामलों को कम करने और न्याय परिदान के सुधार के लिए 2010-15 के बीच पांच वर्षों के लिए राज्यों को अनुदान के रूप में दिए जाने के लिए 5000 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की है। इन अनुदानों में से 2500 करोड़ रुपए प्रातःकालीन/सायंकालीन/पाली/विशेष न्यायालयों के लिए 750 करोड़ रुपए वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) केंद्रों के लिए, 300 करोड़ रुपए लोक अदालतों और विधिक सहायता के लिए, 400 करोड़ रुपए न्यायिक अधिकारियों और लोक अभियोजकों के प्रशिक्षण के लिए और 300 करोड़ रुपए न्यायालय प्रबंधकों की नियुक्ति के लिए आबंटित किए गए हैं। तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए आबंटन में से 1353.62 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

लंबित मामलों को कम करने के लिए और न्याय परिदान के सुधार हेतु सरकार द्वारा अनेक अन्य कदम भी उठाए गए हैं, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

(1) न्याय परिदान और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन को प्रणाली में विलंब और बकायों को कम करके और ढांचागत परिवर्तनों के माध्यम से जबाबदेही में वृद्धि करके और मानकों और क्षमताओं के पालन का निर्धारण करके पहुंच बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों के लिए गठित किया गया था। मिशन, न्यायिक प्रशासन में बकायों और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिनिर्धारण के लिए समन्वयित पहुंच का अनुसरण करेगा।

(2) सीमांत समूह और विचारणधीन व्यक्तियों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए 1 जुलाई, 2011 से 31 दिसम्बर 2011 के बीच विशेष अभियान चलाया गया था।

(3) न्यायालय में अवसंरचना के सुधार के लिए, न्यायपालिका के लिए, अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम वर्ष 1993-94 से क्रियान्विन की जा रही है जिसके अधीन न्यायालय भवनों और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों के संनिर्माण के लिए केंद्रीय सहायता राज्य सरकारों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए जारी की गई है।

(4) केंद्रीय सरकार नागरिकों को उनकी दहलीज पर न्याय के परिदान के लिए ग्राम न्यायालयों के गठन के लिए राज्यों को सहायता प्रदान कर रही है। ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अधीन ग्राम न्यायालय सिविल और दांडिक दोनों अधिकारिताओं का प्रयोग करेंगे और उक्त अधिनियम में उपबंधित रीति और सीमा तक संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

(5) जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण (ई-न्यायालय परियोजना) को न्यायिक उत्पादकता के बढ़ाने और न्याय प्रणाली को और वहनीय और खर्च प्रभावी के उद्देश्य से केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम के अधीन लिया गया है।

विवरण

उच्च न्यायालय में तारीख 31.12.2010 को वर्षवार लंबित मामलों की संख्या को उपदर्शित करने वाला विवरण

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	मामलों का प्रकार	वर्ष		कुल
			5-10	10-15 और अधिक	
1	2	3	4	5	6
1.	इलाहाबाद	सिविल	165439	224131	658892
		दांडिक	65246	61205	309018
2.	आंध्र प्रदेश	सिविल	42590	7426	157596
		दांडिक	3304	13	25949
3.	बम्बई	सिविल	68000	66428	305697
		दांडिक	11788	4976	45600
4.	कलकत्ता	सिविल	35995	77661	211972
		दांडिक	6371	16192	39209
5.	दिल्ली	सिविल	8770	2834	48555
		दांडिक	2877	947	11499
6.	गुजरात	सिविल	16649	15714	71905
		दांडिक	5813	3657	25210
7.	गुवाहाटी	सिविल	7030	198	44766
		दांडिक	1501	2	9167
8.	हिमाचल प्रदेश	सिविल	30136	30136	120544
		दांडिक	3060	3060	12240
9.	जम्मू और कश्मीर	सिविल	11215	211	60515
		दांडिक	133	20	3005
10.	कर्नाटक	सिविल	6557	136	94795
		दांडिक	1065	12	12461
11.	केरल	सिविल	10954	2392	92741
		दांडिक	5656	2	30245

1	2	3	4	5	6
12.	मद्रास	सिविल	57982	9484	245349
		दांडिक	2983	101	11741
13.	मध्य प्रदेश	सिविल	19795	3960	109891
		दांडिक	15397	6485	54073
14.	ओडिशा	सिविल	96601	21111	251656
		दांडिक	4760	2570	26635
15.	पटना	सिविल	5247	10842	55550
		दांडिक	5303	4589	31583
16.	पंजाब और हरियाणा	सिविल	46120	56901	186412
		दांडिक	10416	858	46507
17.	राजस्थान	सिविल	62333	22321	181307
		दांडिक	16084	10108	53012
18.	सिक्किम	सिविल	0	0	13
		दांडिक	0	0	11
19.	उत्तराखंड	सिविल	1938	714	11384
		दांडिक	1517	447	6473
20.	छत्तीसगढ़	सिविल	11551	4294	28220
		दांडिक	5036	4015	14100
21.	झारखंड	सिविल	5545	2039	31358
		दांडिक	8468	3114	30300
		योग	887225	681006	3735204

देश में रैक प्वाइंट्स

***123. श्री देवराज सिंह पटेल:**
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि देश में विभिन्न स्थानों पर रैक प्वाइंट्स उपलब्ध न कराने के कारण वस्तुओं/उर्वरकों आदि की आपूर्ति प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में महत्वपूर्ण स्थानों, विशेषकर गुजरात और मध्य

प्रदेश में रैक प्वाइंट्स उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार किन-किन स्थानों की पहचान की गई है?

रेल मंत्री (श्री मुकुल राय): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रैक प्वाइंट्स के प्रावधान सहित फ्रेट टर्मिनलों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है। भारतीय रेलों पर मौजूदा टर्मिनलों के सुधार और नए टर्मिनलों के निर्माण सहित 148 फ्रेट टर्मिनलों की स्वीकृति दी गई है और ये कार्य प्रगति पर हैं। इसमें से 16 कार्य मध्य प्रदेश के लिए और 6 कार्य गुजरात के लिए हैं। रेलवे ने प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल स्कीम नामक एक नई नीति भी शुरू की है जिसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से फ्रेट टर्मिनलों का विकास किया जा रहा है।

(घ) पहचाने गए राज्य वार स्थलों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

पहचाने गए स्थलों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	स्थलों की संख्या	स्थल का नाम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2	कंटकापल्ली, विशाखापट्नम
2.	असम	2	डिगारू पाठशाला
3.	बिहार	12	सहरसा, बेतिया, बापूधाममोतीहारी, चकिया, लहरीसराय, रस्सौला, नारायणपुर आनंत, सासाराम, अनुग्रहनारायण रोड, दानापुर, मिर्जाचाकी, साबुर
4.	छत्तीसगढ़	13	जगदलपुर, उसलापुर, बेलपहाड़, दधपड़ा, जयरामनगर, रायपुर, खर्सिया, बिश्रामपुर, दुर्ग, मंधार, अकलतारा, बेल्हा, टिल्डा
5.	दिल्ली	1	होलंबीकलां
6.	गुजरात	6	चिराई, नवलाखी, भीमसर, गांधीधाम, मलिया, मियाना, विंडमिल
7.	हरियाणा	5	फरीदाबाद, रेवाड़ी, चंडीगढ़, बरवाला, नारनौल
8.	झारखंड	4	मधुपुर, करमपाडा, नामकोम, टाटा
9.	कर्नाटक	6	डोडा बल्लारपुर, मुनीराबाद, नवालुर, सनवोरडेम, सासुल, रायबाग
10.	केरल	3	वेस्ट हिल, नीलांबर रोड, कझककुट्टम
11.	मध्य प्रदेश	16	रेरू, डागरा, मुरैना, रूपौंद, डुंडी, पावरखेड़ा, सतना, हर्दा, शिवपुरी, गुना, सुखीसिवनया, सागौर, देवास, लक्ष्मीबाईनगर, मंगलियागांव, मेघानगर
12.	महाराष्ट्र	17	न्यू मुलुंड, निफाड, कुर्ला, सांगली, रामटेकडी, सोलापुर, जलगांव, नंदगांव, तुर्भे, बुटिबोरी, ससवाड, कमलबोली, दौलताबाद, रामटेक, बोईसर, चलथल, बेले
13.	ओडिशा	22	बारगढ़, कटक, जयपुर, क्योंझार रोड, जैपुर, नरगुंडी, कपलियास रोड, सुखिंदा, नरनपुर, नयागढ़, पोरजनपुर, कोरापुट, मांचेश्वर, टुमका, कशिंगा,

1	2	3	4
			भद्रक, हिमगिर, कुमारमुंडा, बारबिल, झारसुगुडा, नवामुंडा, वालासोर, कालुंगा
14.	पंजाब	8	कपूरथला, फाजिल्का, तरनतारन, पट्टी, बीस, जंडियाला, भक्तनवाला, मंडीगोविंदगढ़
15.	राजस्थान	2	कनकपुरा, कोटा
16.	तमिलनाडु	5	टोंडियारपेट, इरोड, सेमल, मार्केट, कवारियापट्टई, कोरकूपेट,
17.	उत्तर प्रदेश	14	गाजियाबाद, बाराबंकी, अकबरपुर, रोजा, मुज्जफरनगर, बस्ती, गौंडा, नखा जंगल, रूद्रपुर सिटी, डेरियासदर, काशीपुर, फरूखाबाद, हल्दी रोड, कटरा
18.	पश्चिम बंगाल	10	अरनघाट, आसनसोल, दानकुनी, दुर्गापुर, पाकुर, तिलविता, कोटलापुकूर, न्यू जलपाईगुढ़ी, बड़ाचक
	जोड़	148	

बिहार में साबुर, छत्तीसगढ़ में मंधार, मध्य प्रदेश में रेरू, महाराष्ट्र में रामटेकडी और पश्चिम बंगाल में शंकरेल नए कार्य हैं और शेष कार्य मौजूदा माल शेडों में सुधार करने के लिए हैं।

[अनुवाद]

एथनाल मिश्रित पेट्रोल

*124. **श्रीमती रमा देवी:**
श्री एस. अलागिरी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के समुचित विकल्प के रूप में एथनाल मिश्रित पेट्रोल और मिश्रित जैव-डीजल जैसे जैव ईंधनों का उपयोग शुरु करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) सब संबंध में अन्य देशों की तुलना में हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए प्रयासों के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इसमें लगी एजेंसियों के कार्यकरण में सुधार किए जाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) परिवहन और अचल इकाइयों तथा अन्य अनुप्रयोगों हेतु भी प्रयुक्त पेट्रोल और डीजल को वृद्धिपरक ढंग से प्रतिस्थापित करने के लिए जैव-ईंधनों का तेजी से विकास करने और उनकी पैदावार, उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा दिसंबर, 2009 में जैव ईंधनों के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति अधिसूचित की गई है। इस नीति में पेट्रोल में एथेनाल और डीजल में जैव-डीजल के मिश्रण की परिकल्पना की गई है।

(ख) ब्राजील जैसे कुछ देशों में गन्ना आदि से एथेनाल का प्रचुर उत्पादन होता है और ये मोटर इंजनों में एथेनाल तथा एथेनाल मिश्रित गैसोलीन का उपयोग करने में अग्रणी हैं। तथापि, हाल ही में 'खाद्य सुरक्षा बनाम ईंधन सुरक्षा' के मुद्दे पर विश्व भर में बहस छिड़ गई है क्योंकि कृषि फसलों से एथेनाल जैसे जैव ईंधनों के उत्पादन के लिए खाद्य फसलों के स्थान पर नकदी फसलों को अपनाना अपेक्षित होता है जिससे देश की खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो रही है।

जैव ईंधनों के संबंध में राष्टीय नीति से पहले भी एथेनाल मिश्रित पेट्रोल (ईबीसी) कार्यक्रम को उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में दिनांक 1.11.2006 से कार्यान्वित किया गया था। वर्तमान में कुछ राज्य सरकारों

द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों/अपेक्षित लाइसेंस जारी नहीं करने के कारण एथेनाल की अपर्याप्त उपलब्धता के चलते यह कार्यक्रम 13 राज्यों में चल रहा है।

जहां तक जैव डीजल का संबंध है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिनांक 1.1.2006 से प्रभावी जैव डीजल खरीद नीति की घोषणा की है जिसमें परिकल्पना की गई है कि तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) में मिश्रण के लिए बायो डीजल की खरीद पूरे देश में पहचान किए गए खरीद केन्द्रों से करेंगी।

(ग) और (घ) दिनांक 16.8.2010 को सरकार ने निर्णय लिया कि तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) एथेनाल के घरेलू विनिर्माताओं द्वारा उपलब्ध करवाई गई एथेनाल की पूरी मात्रा को सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य पर खरीदेंगी। इस निर्णय के अनुसार ओएमसीज घरेलू आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उपलब्ध करवाई गई एथेनाल की पूरी मात्रा की सरकार द्वारा यथा निर्धारित 27 रुपए/लीटर के तदर्थ कारखाने तक के मूल्य पर अधिप्राप्ति करके 5% ईबीपी कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही हैं। तथापि, कुछ राज्य सरकारों द्वारा एथेनाल की अंतर्राज्यीय आवा-जाही पर लगाए गए प्रतिबंधों और/अथवा भंडारण और मिश्रण लाइसेंस/अन्य मंजूरियां जारी करने से इन्कार किए जाने और कराधान संबंधी मुद्दों के कारण इस कार्यक्रम में अड़चनें आई हैं।

ओएमसीज द्वारा ईबीपी कार्यक्रम के तहत अपने लक्ष्य प्राप्त करने में उनकी मदद करने के लिए राज्य सरकारों से ईबीपी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाने और मंजूरियां शीघ्र प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

स्वच्छता संबंधी सुविधाएं

***125. डॉ. रत्ना डे:** क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जिला-परियोजनाएं तैयार करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में बेसलाइन सर्वेक्षण के लिए सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में स्वच्छता संबंधी मौजूदा परियोजनाओं की समीक्षा हेतु कोई अध्ययन कराया है/कराने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शामिल की गई बस्तियों/गांवों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में स्वच्छता संबंधी स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के अंतर्गत प्रारंभिक क्रियाकलाप करने का प्रावधान है जिसमें बेसलाइन सर्वेक्षण (बीएलएस) करवाना शामिल है। प्रारंभिक क्रियाकलाप की लागत का वहन पूरी तरह भारत सरकार की सहायता से किया जाता है और यह कुल परियोजना परिव्यय का हिस्सा बन जाती है। पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अनुमोदित केंद्रीय अंश की तुलना में राज्यों को टीएससी के अंतर्गत राज्य-वार प्रदान की गई कुल सहायता संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) टीएससी एक परियोजना आधारित कार्यक्रम है जिसमें जिले को एक इकाई के रूप में लिया जाता है। प्रत्येक राज्य में कवर किए गए जिलों की संख्या को दर्शाते हुए मंजूर किए गए राज्य-वार वास्तविक और वित्तीय परिव्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) कार्यक्रम के लिए कुल बजटीय आबंटन को वर्ष 2011-12 के दौरान 1500.00 करोड़ रु. से बढ़ाकर वर्ष 2012-13 के दौरान 3500.00 करोड़ रु. कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज की गति में तेजी लाने के लिए प्रमुख घटकों अर्थात् सूचना, शिक्षा एवं संचार तथा मानव संसाधन विकास (एचआरडी) को सुदृढ़ बनाया गया है ताकि स्वच्छता की मांग सृजित की जा सके और इन्हें पूरा किया जा सके। इसके अलावा, राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें की जाती हैं तथा जिला अधिकारियों को अच्छे कार्यों के बारे में और अधिक जानकारी देने और टीएससी के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी को बढ़ाने में उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार रिलीज किया गया केंद्रीय अंश

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (फरवरी, 2012 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1391.81	11078.44	14218.46	9657.28
2.	अरुणाचल प्रदेश	1530.16	404.97	119.26	102.44
3.	असम	8310.66	6729.84	9437.36	6125.59
4.	बिहार	7150.57	9046.72	11259.76	17219.09
5.	छत्तीसगढ़	1144.14	5018.42	5479.58	2702.42
6.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
7.	गोवा	0	0	0	0
8.	गुजरात	978.81	3036.91	4692.36	2154.29
9.	हरियाणा	1069.09	718.15	2361.49	335.27
10.	हिमाचल प्रदेश	778.76	1017.74	2939.78	469.57
11.	जम्मू और कश्मीर	1115.82	332.9	2792.51	967.95
12.	झारखंड	3188.2	3941.66	5466.98	3632.46
13.	कर्नाटक	3176.18	5571	4458.66	4354.64
14.	केरल	388.99	975.45	2286.34	158.89
15.	मध्य प्रदेश	9767.83	9987.48	14402.6	150.76
16.	महाराष्ट्र	3526.29	9894.05	12911.7	5799.94
17.	मणिपुर	99.83	1177.54	80.3	698.5
18.	मेघालय	578.3	1378.78	3105.23	557.86
19.	मिजोरम	694.27	412.98	653.4	31.38
20.	नागालैंड	99.78	1059.27	1229.45	174.06
21.	ओडिशा	7204.33	5031.55	6836.73	11171.7

1	2	3	4	5	6
22.	पुडुचेरी	0	0	0	0
23.	पंजाब	223.18	116.02	1116.39	283.18
24.	राजस्थान	2516.85	4352.64	5670.74	3443.79
25.	सिक्किम	254.86	0	112.86	0
26.	तमिलनाडु	473.31	6166.18	7794.35	7662.06
27.	त्रिपुरा	158.76	836.66	925.14	133.92
28.	उत्तर प्रदेश	38284.24	11579.77	22594	16920.72
29.	उत्तराखंड	861.89	773.98	1707.61	402.38
30.	पश्चिम बंगाल	3047.06	3246.26	8327.5	14124.34
	कुल	98013.97	103885.36	152980.54	124359.72

विवरण-II

स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	परियोजना लागत (लाख रु. में)	अनुमोदित अंश (लाख रु. में)			मंजूर किए गए घटक (इकाई)						
				केंद्रीय	राज्य	लाभार्थी	आईएचएचएल बीपीएल	आईएचएचएल एपीएल	आईएचएचएल कुल	एससीडब्ल्यू	विद्यालय शौचालय	आंगनवाड़ी शौचालय	आरएसएम/ पीसी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	22	178187.67	114766.51	43841.36	19579.8	6636229	3629688	10265917	575	115908	14990	220
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	6700.94	4662.35	1562.98	475.61	115560	18301	133861	318	3944	1866	39
3.	असम	26	92814.8	65248.07	20582.96	6983.77	2220017	1161020	3381037	211	34772	16819	115
4.	बिहार	38	242946.57	161632.24	60051.31	21263.02	6195779	4975535	11171314	2362	76581	6595	364
5.	छत्तीसगढ़	16	67877.81	45596.64	16475.61	5805.56	1568600	1823853	3392453	618	52338	10211	106
6	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	91	80.69	0	10.31	2480	0	2480	12	0	0	1
7.	गोवा	2	1059.43	634.96	292.25	132.22	17935	27388	45323	150	731	547	3
8.	गुजरात	25	65921.67	41025.7	15942.19	8953.78	2046857	3331630	5378487	1671	28617	23460	168
9.	हरियाणा	20	23087.84	13922.67	5687	3478.17	636940	1458494	1 2095434	1335	9160	7599	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	हिमाचल प्रदेश	12	17696.55	11721.88	4500.44	1474.23	218154	632583	850737	1229	17863	10408	59
11.	जम्मू और कश्मीर	21	40598.74	28374.07	9628.36	2596.31	703071	767732	1470803	1080	27277	1070	103
12.	झारखंड	24	90728.43	60485.48	22185.77	8057.18	2327306	1402189	3729495	1203	42687	11472	249
13.	कर्नाटक	29	108474.68	70077.23	26898.26	11499.19	2889224	2981691	5870915	1305	39267	26353	296
14.	केरल	14	22189.92	11873.91	5544.08	4771.93	961831	111911	1073742	1090	3600	4957	98
15.	मध्य प्रदेश	50	170288.99	113086.85	41987.69	15214.45	3614346	4852847	8467193	1602	137730	27595	385
16.	महाराष्ट्र	33	148969.04	97771.77	36414.52	14782.75	3623439	6104904	9728343	8210	87452	60076	355
17.	मणिपुर	9	11274.03	7908.73	2579.5	785.8	194887	68367	263254	386	3919	1201	35
18.	मेघालय	7	14008.99	9562.87	3411.07	1035.05	216333	85500	301833	290	10331	1851	36
19.	मिजोरम	8	5040.99	3448.71	1161.45	430.83	89903	18975	108878	560	3219	1543	20
20.	नागालैंड	11	7957.58	5607.04	1759.75	590.79	180092	31254	211346	275	2972	1302	29
21.	ओडिशा	30	156204.83	104509.1	37841.95	13853.78	4485050	2571598	7056648	818	70663	25160	289
22.	पुडुचेरी	1	572.56	481.72	0	90.84	18000	0	18000	0	26	16	3
23.	पंजाब	20	24134.47	15139.89	6532.4	2462.18	623198	5443701	167568	411	7464	3274	81
24.	राजस्थान	32	95210.03	64174.8	23651.23	7384	1960903	5023430	6984333	1544	68134	21198	317
25.	सिक्किम	4	2053.82	1338.56	440.74	274.52	51302	35712	87014	789	1604	340	12
26.	तमिलनाडु	29	114367.01	69366.01	28683.56	16317.44	4422133	4244955	8667088	1438	53678	27970	249
27.	त्रिपुरा	4	9838.52	6120.24	2400.5	1317.78	454757	169017	623774	226	6833	6024	35
28.	उत्तर प्रदेश	71	294726	192171.8	71925.16	30629.04	8303794	12372693	20676487	2366	269860	107302	428
29.	उत्तराखंड	13	15091.07	9993.12	3641.26	1456.69	441631	444670	886301	470	3925	1601	81
30.	पश्चिम बंगाल	19	174147.94	111799.51	43820.36	18528.07	6619158	4997498	11616656	1140	134081	84168	441
	कुल	607	2202262	1442583	539443.7	220235.1	61838909	63887805	125726714	33684	1314636	506968	4634

ईरान में तेल की खोज

***126. डॉ. पदमसिंह बाजीराव पाटील:**
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में कार्यरत उन भारतीय तेल कंपनियों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें ईरान में तेल क्षेत्रों का आवंटन किया गया हैं तथा उनके द्वारा किए जा रहे अन्वेषण कार्यों का स्वरूप क्या है;

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य यूरोपीय देशों द्वारा लगाए गए मौजूदा प्रतिबंधों के कारण ईरान में ओएनजीसी विदेश की तेल

अन्वेषण संबंधी योजनाओं पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) उत्पादन अथवा अन्वेषण ब्लाक, जिनमें मास्टर विकास योजना शामिल है, सहित ईरान में ओएनजीसी विदेश की योजनाओं का सुरक्षित विकास कार्य सुनिश्चित करने हेतु उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ईरान में भारतीय कंपनियों द्वारा निवेश की गई धनराशि सहित उत्पादन का ब्यौरा क्या है तथा वहां से कब तक उत्पादन शुरु होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) ओएनजीसी विदेश लि. (ओवीएल) ने परिसंघ भागीदारों इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आईओसीएल) और आयल इंडिया लि. (ओआईएल) के साथ दिसंबर, 2002 के दौरान, हस्ताक्षरित संविदा के तहत ईरान में फार्सी अपतट ब्लाक में अन्वेषण कार्य किया था।

जहां तक निजी कंपनियों का संबंध है, मंत्रालय इस संबंध में सूचनाएं संकलित नहीं करता।

(ख) संयुक्त राज्य (यूएस) और यूरोपीय संघ (यूएन) द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों से तेल अन्वेषण के लिए वांछित तकनीकी और वित्तीय सहित विभिन्न सेवाएं अत्यधिक कठिन हो गई है।

(ग) से (ङ) ओवीएल परिसंघ इससे पहले फार्सी बलाक में अन्वेषण कार्य कर चुका था। इसके बाद, कोई और संविदा नहीं की गई है।

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

***127. श्री ओम प्रकाश यादव:**
श्री मंगनी लाल मंडल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आयातित पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा सहित देश में विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पाद-वार वर्तमान मांग कितनी है तथा उन देशों के नाम क्या हैं, जिनसे इनका आयात किया गया;

(ख) संगत अवधि के दौरान विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार पेट्रोलियम उत्पादों का घरेलू उत्पादन कितना रहा;

(घ) स्वदेश में उत्पादित और आयातित पेट्रोलियम उत्पादों, यदि कोई हों, के मूल्य में अंतर, यदि कोई है, तो कितना है तथा ऐसे मूल्य अंतर के क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा देश में कच्चे तेल के नए भंडारों का पता लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) देश में वर्ष 2008-09 से आयात किए गए पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा और उनके आयात पर किए गए व्यय सहित विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पाद-वार मांग संलग्न विवरण-I और II में दी गई हैं। पेट्रोलियम उत्पादों के देश-वार आयात संबंधी सूचना इसके वाणिज्यिक सूचना होने के कारण मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ग) देश में वर्ष 2008-09 से पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन संलग्न विवरण III में दिया गया है। देश में इन उत्पादों का उत्पादन 21 रिफाइनरियों में किया जाता है। रिफाइनरियों की वर्तमान क्षमता सहित उनकी राज्य-वार अवस्थिति संलग्न विवरण-IV में दी गई हैं।

(घ) कच्चे तेल का शोधन एक प्रसंस्करण उद्योग है जिसमें कुल लागत में लगभग 90% कच्चे तेल की लागत होती है। कच्चे तेल का प्रसंस्करण अनेक प्रसंस्करण इकाइयों जैसे क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट (सीडीयू), वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट (वीडीयू), फ्लूइड कैटालाइटिक क्रैकिंग यूनिट (एफसीसीयू), हाइड्रो क्रैकर यूनिट, ल्यूब यूनिट आदि के माध्यम से किया जाता है, उनमें से प्रत्येक इकाई मध्यवर्ती उत्पाद स्ट्रीम्स का उत्पादन करती है जिसके लिए व्यापक तौर पर पुन: प्रसंस्करण और मिश्रण अपेक्षित होता है। विभिन्न मध्यवर्ती स्ट्रीम्स मिश्रणों से पेट्रोलियम उत्पाद संसाधित दिए जाते हैं। तैयार पेट्रोलियम उत्पादों का निर्माण करने के लिए विभिन्न इकाइयों से मध्यवर्ती उत्पाद स्ट्रीम्स के मिश्रण के परिणामस्वरुप कुल संयुक्त लागत को उचित शुद्धता के साथ अलग-अलग शोधित उत्पादों में बांटने में कठिनाई होती है। अत: अलग-अलग उत्पाद-वार लागत की पृथक रुप से पहचान नहीं की जा सकती है।

रिफाइनरियों से खरीद करते समय तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल के लिए व्यापार समता मूल्य और घरेलू एलपीजी और पीडीएस मिट्टी तेल के लिए आयात समता मूल्य का भुगतान करती हैं।

(ङ) देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कच्चे तेल के नए भंडारों की पहचान करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) नई अन्वेषण लाइसेंसिग नीति (एनईएलपी)/कोड बेड मिथेन (सीबीएम) नीति के विभिन्न दौरों के तहत प्रस्ताव के लिए अन्वेषण के अधिक क्षेत्रों को चिह्वित करना।

(ii) विद्यामन क्षेत्रों से निकासी में वृद्धि करने के लिए वर्धित तेल निकासी (ईओआर)/उन्नत तेल निकासी (आईओआर) तकनीकों का अनुप्रयोग।

(iii) इक्विटी तेल लाने के लिए विदेशों में अन्वेषण रकबों और उत्पादक सम्पतियों का अर्जन।

(iv) वैकल्पिक/ऊर्जा के गैर परम्परागत स्त्रोतों जैसे जैव-डीजल, एथेनोल मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल करके तेल का प्रतिस्थापन।

विवरण-I

वर्ष 2008-09 से पेट्रोलियम उत्पादों की मांग

(आंकड़े हजार मीट्रिक टन में)

उत्पाद	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अप्रैल-जनवरी) (अनंतिम)
एलपीजी	12191	13135	14332	12677
एमएस	11258	12818	14192	12350
नाफ्था/एनजीएल	13911	10134	10676	9504
एटीएफ	4423	4627	5079	4601
एसकेओ	9303	9304	8928	6891
एचएसडी	51710	56242	60071	53261
एलडीओ	552	457	455	351
ल्यूब्स	2000	2539	2429	1983
एफओ/एलएसएचएस	12588	11629	10789	7718
बिटुमेन	4747	4934	4538	3506
अन्य	10916	11987	9552	9134
योग	133599	137806	141041	121976

विवरण-II

2008-09 से 2011-12 तक पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

	2008-09		2009-10		2010-11(अनंतिम)		2011-12(अनंतिम) (अप्रैल-जनवरी)	
	मात्रा टीएमटी में	करोड़ रुपए में	मात्रा टीएमटी में	करोड़ रुपए में	मात्रा टीएमटी में	करोड़ रुपए में	मात्रा टीएमटी में	करोड़ रुपए में
	1	2	3	4	5	6	7	8
एलपीजी	2,423	8,072	2,718	8,329	4,484	15,888	3,844	17,054
नाफ्था	5,023	17,409	1,734	4,942	2,063	6,853	1,567	5,766

	1	2	3	4	5	6	7	8
पेट्रोल	397	1,553	385	1,264	1702	6,427	618	3,091
केरोसीन	1,448	6,583	985	2,909	1,381	4,939	564	2,702
डीजल	2,742	9,774	2,531	6,390	1,996	6,969	979	4,573
ल्यूबस	986	4,552	1,419	3,518	1291	4,093	1,115	545
ईंधन तेल	2,760	7,729	896	1,935	1013	2,455	738	2,213
बिटुमेन	105	207	69	138	98	210	79	181
पेट कोक	1769.5	2059,6	2698.8	1274.1	2178	5073	1,876	823
अन्य	932	3,217	1,229	3,101	1,174	3,092	909	2,300
योग	18,586	61,156	14,665	33,800	17,380	55,997	12,288	39,248

स्त्रोत तेल कंपनियां और डीजीसीआईएस। *अनंतिम आंकड़े

नोट: वर्ष 2011-12 के आंकड़ों में कुछ रिफाइनरियों के अनुमानित आंकड़े शामिल हैं।

2011-12 निजी बाजार आपूर्तिकर्ता (पीएमएस) और डीजीसीआईएस के आंकड़े अनुमानित हैं।

(पी) - अनंतिम

विवरण-III

पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन का उत्पाद-वार ब्यौरा

(मिलियन मीट्रिक टन)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अतंमिम) (अप्रैल-जनवरी)
1	2	3	4	5
एलपीजी	9.34	10.34	9.62	7.93
नापथा	16.80	18.78	19.31	15.98
पेट्रोल	16.37	22.55	25.80	22.58
एटीएफ	8.36	9.30	9.82	8.65
केरोसीन	8.46	8.83	7.90	6.58
डीजल	64.14	73.25	77.68	68.79
लाईट डीजल तेल	0.61	0.47	0.60	0.42
ल्यूबस	0.87	0.95	0.94	0.83

1	2	3	4	5
ईंधन तेल	14.71	15.26	18.67	15.02
एलएसएचएस	3,05	2.63	1.98	1.44
बिटुमेन	4.62	4.87	4.45	3.63
पेट कोक	4.24	3.92	2.77	3.82
अन्य	5.93	12.80	16.25	13.93
योग	157.48	185.00	195.79	169.59

एटीएफ = एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एलएसएचएस = लो फ्लोर हैवी स्टाक

(पी)-अनंतिम

विवरण-IV

रिफाइनरी-वार क्षमता

(एमएमटीपीए में क्षमता)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	रिफाइनरी की अवस्थिति	वर्तमान क्षमता
1	2	3	4
	(क) सार्वजनिक क्षेत्र		
1.	इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आईओसीएल)	गुवाहाटी	1.00
2.	आईओसीएल	बरौनी	6.00
3.	आईओसीएल	कोयाली	13.70
4.	आईओसीएल	हल्दिया	7.50
5.	आईओसीएल	मथुरा	8.00
6.	आईओसीएल	डिग्बोई	0.65
7.	आईओसीएल	पानीपत	15.00
8.	आईओसीएल	बोंगाईगांव	2.35
9.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	मुंबई	6,50
10.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	विशाखापट्टनम	8.30
11.	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	मुंबई	12.00
12.	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	कोच्चि	9.50

1	2	3	4
13.	चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	मणली	10.50
14.	चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	नागापट्टिनम	1.00
15.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.	नुमालीगढ़	3.00
16.	मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि.	मंगलोर	11.82
17.	तातीपाका रिफाइनरी (ओएनजीसी)	आंध्र प्रदेश	0.066
		योग (क)	116.886
	(ख) संयुक्त उद्यम		
18.	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. और ओमान आयल कंपनी, एक संयुक्त उद्यम	बीना	6.00
		योग (ख)	6.00
	(ग) निजी क्षेत्र		
19.	रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (घरेलू)	मोदीखावदी, जामनगर	33.00
20.	रिलायंस पेट्रोलियम लि., (एसईजेड)	जामनगर	27.00
21.	एस्सार आयल लि.	वाडीनार	10.50
		योग (ग)	70.50
	समग्र योग (क+ख+ग)		193.386

सस्ती गैस की आपूर्ति

***128. श्री आनंदराव अडसुल:**
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा पोटाशिक और फास्फेटिक उर्वरकों का उत्पादन कर रहे एककों को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आंध्र अपतटीय क्षेत्र से सस्ती गैस की आपूर्ति बंद किए जाने का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उर्वरकों के उत्पादन में कोई परिणामी कमी देश की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के प्रति और अधिक संवेदनशील बना देगी;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या ऐसी कार्रवाई से और अधिक आयात करना पड़ेगा अथवा इसके परिणामस्वरुप किसानों के लिए खुदरा कीमत में वृद्धि हो जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) उर्वरक विभाग ने पोटाशयुक्त और फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों को केजी-डी 6 गैस सहित स्वदेशी गैस की आपूर्ति जारी रखने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अनुरोध किया है। उर्वरक विभाग ने बताया है कि यदि इन इकाइयों द्वारा महंगी गैस का प्रयोग किया जाता है तो इसके परिणामस्वरुप महंगे अमोनिया का उत्पादन होगा जिसकी लागत कई बार आयातित मूल्य से भी अधिक हो सकती है जिससे ये इकाइयां अमोनिया का आयात करने के लिए मजबूर हो जाएंगी और अंततः वे आयात पर निर्भर हो जाएंगी।

इसलिए उर्वरक विभाग ने यह प्रस्ताव किया है कि यूरिया के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए प्राकृतिक गैस के उपयोग से होने वाले सभी लाभों की उर्वरक विभाग द्वारा या तो आयातित अमोनिया अथवा किसी अन्य बैंचमार्क पर गणना की जाए जिसकी इन इकाइयों से वसूली की जाएगी। उर्वरक विभाग द्वारा इस संबंध में विशेष दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे।

(ग) से (ङ) मंत्रियों के अधिकार-प्राप्त समूह (ईजीओएम) ने यह निदेश दिया है कि पीएण्डके संयंत्रों (दीपक, जीएसएफसी और आरसीएफ) को केजी-डी6 गैस की आपूर्ति रोकने के प्रस्ताव और भावी आपूर्ति को केवल यूरिया उर्वरक संयंत्रों तक सीमित रखने के प्रस्ताव को 24.05.2012 तक अस्थगित कर दिया जाए, तब तक उर्वरक विभाग ऊपर उल्लिखित दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दे देगा और उसके पश्चात् इस मामले को ईजीओएम के समक्ष रखा जाएगा।

[हिन्दी]

तेल शोधनशालाएं

***129. श्री राधा मोहन सिंह:**
श्री भरत राम मेघवाल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कंपनी-वार और क्षमता-वार सरकार और निजी क्षेत्र दोनों में तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है तथा वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) देश में निजी क्षेत्र की शोधनशालाओं की शोधन क्षमता की निगरानी के लिए क्या तंत्र मौजूद है;

(ग) क्या सरकार का देश में आगामी वर्षों में और अधिक शोधनशालाएं स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) बाड़मेर रिफाइनरी सहित शोधनशालाएं स्थापित करने हेतु राज्यों को कितनी सहायता प्रदान की जाएगी; और

(ङ) ओडिशा में पारादीप रिफाइनरी स्थापित किए जाने की स्थिति क्या है तथा इस परियोजना को पूरा करने में विलंब, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं तथा इसे पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(एमएमटीपीए में क्षमता)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	रिफायनरी स्थल	वर्तमान क्षमता
1	2	3	4
	(क) सार्वजनिक क्षेत्र		
1.	इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आईओसीएल)	गुवाहाटी	1.00
2.	आईओसीएल	बरौनी	6.00
3.	आईओसीएल	कोयाली	13.70
4.	आईओसीएल	हल्दिया	7.50
5.	आईओसीएल	मथुरा	8.00
6.	आईओसीएल	डिग्बोई	0.65
7.	आईओसीएल	पानीपत	15.00
8.	आईओसीएल	बोंगाईगांव	2.35
9.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	मुंबई	6.50

1	2	3	4
10.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	विशाखपट्टनम	8.30
11.	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	मुंबई	12.00
12.	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	कोच्चि	9.50
13.	चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	मणली	10.50
14.	चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	नागापट्टिनम	1.00
15.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.	नमालीगढ़	3.00
16.	मंगलोर रिफाईनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि.	मंगलोर	11.82
17.	तातीपाका रिफाइनरि (ओएनजीसी)	आंध्र प्रदेश	0.066
		योग (क)	**116.886**
	(ख) संयुक्त उद्यम		
18.	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. और ओमान आयल कंपनी, एक संयुक्त उद्यम	बीना	6.00
	योग (ख)		**6.00**
	(ग) निजी क्षेत्र		
19.	रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (घरेलू)	मोदीखावदी, जामनगर	33.00
20.	रिलायंस पेट्रोलियम लि. (एसईजेड)	जामनगर	27.00
21.	एस्सार आयल लि.	वाडीनार	10.50
	योग (ग)		**70.50**
	समग्र योग (क + ख + ग)		**193.386**

(ख) जून, 1998 से रिफाइनरी क्षेत्र को लाईसेंस मुक्त किए जाने के परिणामस्वरूप, सरकार निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों पर निगरानी नहीं रखते।

(ग) जून 1998 से रिफाइनरी क्षेत्र को लाइसेंस मुक्त किए जाने के परिणामस्वरूप एक रिफाइनरी को भारत में कहीं भी किसी निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा उनकी प्रौद्योगिक- वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए स्थापित किया जा सकता है। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. और मित्तल एनर्जी इनवेस्टमेंट्स प्रा. लि. का एक संयुक्त उद्यम भठिंडा, पंजाब में 9 एमएमटीपीए क्षमता की रिफाइनरी स्थापित कर रहा है और इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. भी पारादीप, ओडिशा में 15 एमएमटीपीआर क्षमता की एक रिफाइनरी की स्थापना कर रही है।

(घ) केन्दीय सरकार रिफाइनरियां स्थापित करने के लिए राज्यों को सीधे सहायता नहीं देती।

(ङ) आईओसीएल के अनुसार, 29.2.2012 को लगभग 13,743 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं और पारादीप रिफाइरी परियोजना के लिए लगभग 28,943 करोड़ रु. की कुल वित्तीय प्रतिबद्धता की गई है। आईओसीएल द्वारा कुल मिलाकर 76.6% प्रगति प्राप्त की गई हैं।

परियोजना की प्रत्याशित शुरूआत निम्नलिखित कारणों से सितंबर, 2013 तक विलंबित हो गई।

(1) परामर्शदाताओं द्वारा इंजीनियरी और प्रापण कार्यकलापों में विलंब। फरवरी, 2009 में निवेश अनुमोदन के परिणामत: टाटा पावर के साथ संयुक्त उद्यम (जेवी) (पीडीआरपी को समर्पित विद्युत की आपूर्ति के लिए) भूमि अर्जन, पर्यावरण स्वीकृति और कोयला संयोजन से संबद्ध अनिश्चिताओं के कारण, कार्यान्वित नहीं हुआ। बाद में यह निर्णय लिया गया कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (बीएचईएल) के जरिए लम्प सम टर्न की कान्ट्रेक्ट (एलएसटीके) आधार पर निजी विद्युत संयंत्र बनवाया जाए, यह संविदा परियोजना प्रारंभ होने के एक वर्ष बाद प्रदान की गई थी।

(2) स्थल पर कुशल जनशक्ति की कमी से उत्पन्न हुए कानून व्यवस्था संबंधी मुद्दे।

(3) जुलाई, 2011 से ओडिशा उच्च न्यायालय ने महानदी पर हादिया पाथा क्षेत्र में निर्माण पर अंतिरिम स्थगन लागू कर दिया था जिससे कच्चा जल प्रापण सुविधा संबंधी निर्माण कार्यकलाप प्रभावित हुए। हाल ही में न्यायालय ने सशर्त आदेश दे दिया है।

(4) कटक से पारादीप स्थान पर महानदी नदी से कच्चे जल की लाइनें बिछाने के लिए मार्गाधिकार हेतु समय पर स्वीकृति नहीं मिलना।

(5) दक्षिण घाट बनाने के लिए पारादीप बन्दरगाह न्याय (पीपीटी) द्वारा कार्य से हटाने के कारण दक्षिण घाट पर कार्य आरंभ करने में बिलंब।

(6) सांधकूड़ा बस्ती में अतिक्रमण से पारादीप बन्दरगाह से रिफाइनरी तक पाइपलाइनें बिछाने और रिफाइनरी प्रचालन के दौरान पेट कोक के परिवहन प्रभावित हुए।

[अनुवाद]

समेकित परती भूमि विकास कार्यक्रम

*130. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी:**
श्री इज्यराज सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां इस समय समेकित परती भूमि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनाधीन है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान कार्यान्वित की गई परियोजनाओं तथा खेती के अंतर्गत लाई गई परती भूमि, इसके लिए स्वीकृत/जारी की गई धनराशि और इन पर हुए खर्च का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में, विशेषकर तटीय क्षेत्रों में परती भूमि को और अधिक खेती योग्य बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या परती भूमि के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अत्यधिक अवसर मिल रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) देश के सभी 28 राज्यों में 1995-96 से 2006-07 तक समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के तहत परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। आईडब्ल्यूडीपी को 26.2. 2009 से दो अन्य क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों अर्थात् मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) तथा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) को एक एकल संशोधित कार्यक्रम अर्थात समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम में एकीकृत एवं समेकित कर दिया गया है। 2007-08 से आईडब्ल्यूडीपी के तहत कोई नयी परियोजना स्वीकृत नहीं की गयी है। तथापि, समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान जारी की गयी एवं प्रयोग की गयी निधियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। राज्यवार कुल बंजरभूमि तथा गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के तहत विकसित की गयी अवक्रमित भूमि के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

भूमि संसाधन विभाग द्वारा 2005-06 तथा 2008-09 के बीच बंजरभूमि में परिवर्तन के विश्लेषण हेतु आकाशीय आंकड़ों की तुलना के माध्यम से बंजरभूमि के गति-विज्ञान को समझने के लिए एक परियोजना राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केन्द्र, हैदराबाद को दी गयी है। इस अध्ययन से विभाग इन दो अवधियों के दौरान कितनी बंजरभूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया गया है, इसका आकलन करने में सक्षम होगा। तथापि, कितने एकड़ बंजरभूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया गया है, इस अध्ययन से इसका आकलन कर पाना व्यवहार्य नहीं हैं।

(ग) भूमि संसाधन विभाग ने तीन क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों अर्थात् डीपीएपी, डीडीपी तथा आईडब्ल्यूडीपी को 26.2.2009 से समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) नामक एक एकल संशोधित कार्यक्रम के रूप में समेकित कर दिया गया है। समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के मुख्य उद्देश्य अवक्रमित प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, वनस्पतिक आवरण एवं जल का उपयोग, संरक्षण तथा विकास करना; भूमि कटाव को रोकना; रन आफ ; वर्षा जल का संचयन तथा भू-जल स्तर में वृद्धि करना; फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना; बहु-फसल तथा विविध कृषि आधारित कार्यकलाप आरंभ करना; सतत् आजीविका संवर्द्धन तथा परिवार आय में वृद्धि करना है। आईडब्ल्यूएमपी के तहत, प्राथमिकता हेतु कतिपय मानदण्डों के आधार पर परियोजनाओं का चयन किया जाता है। वे हैं:

गरीबी सूचकांक, अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति के लोगों की आबादी का प्रतिशत, वास्तविक मजदूरी, छोटे एवं सीमांतक किसानों का प्रतिशत, भू-जल स्थिति, नमी सूचकांक, वर्षा चिंचित कृषि क्षेत्र, पेय जल, अवक्रमित भूमि, भूमि की उत्पादन क्षमता, दूसरी वाटरशेड से निकटता जिसका पहले ही से विकास/उपचार कर दिया हो तथा समूह-पहुंच हो। तटीय क्षेत्र सहित कोई ऐसा क्षेत्र जो प्राथमिकता के उपर्युक्त मापदण्ड को पूरा करता हो, आईडब्ल्यूएमपी के तहत उपचार किये जाने के पात्र हो।

(घ) और (ङ) जी, हां। "भारत में वाटरशेड कार्यक्रमों के विस्तृत निर्धारण" पर अर्ध-शुष्क उष्ण कटिबंधीय हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (इक्रीसेट), हैदराबाद द्वारा किए गए एक अध्ययन में अन्य बातों के साथ यह भी उजागर किया है कि वाटरशेड क्षेत्रों में विभिन्न कार्यकलापों तथा संकार्यों में औसतन अतिरिक्त वार्षिक रोजगार सृजन प्रतिवर्ष प्रति हैक्टेयर लगभग 154 व्यक्ति दिवस था।

विवरण-I

समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान जारी की गयी तथा प्रयोग की गयी निधियों के राज्यवार ब्यौरे

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी की गयी निधियां			प्रयुक्त निधियां		
		2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	44.43	34.35	12.20	32.64	36.04	33.44
2.	बिहार	7.32	5.71	0	6.73	6.74	4.26
3.	छत्तीसगढ़	30.44	13.82	8.42	25.71	19.45	12.25
4.	गोवा	0	0	0	एनआर	एनआर	एनआर
5.	गुजरात	31.86	23.69	15.74	27.05	35.68	26.73
6.	हरियाणा	4.28	3.84	5.58	4.98	3.46	2.75
7.	हिमाचल प्रदेश	23.48	13.52	16.95	24.71	22.93	18.79
8.	जम्मू और कश्मीर	4.55	11.21	2.28	एनआर	11.60	एनआर
9.	झारखंड	8.41	3.07	1.30	2.36	4.40	0.46
10.	कर्नाटक	46.02	35.34	17.42	31.91	36.66	30.18
11.	केरल	11.46	3.20	6.98	6.20	3.76	5.60

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	महाराष्ट्र	28.76	37.56	38.27	24.95	45.52	34.95
13.	मध्य प्रदेश	60.44	28.90	12.40	65.47	39.12	22.19
14.	ओडिशा	33.54	27.45	25.29	20.74	31.28	28.64
15.	पंजाब	3.60	2.90	2.09	2.93	2.09	1.65
16.	राजस्थान	45.26	22.53	7.92	52.36	34.02	15.67
17.	तमिलनाडु	34.60	11.22	13.61	32.70	16.55	13.93
18.	उत्तर प्रदेश	70.58	46.38	8.45	78.74	50.36	17.42
19.	उत्तराखंड	24.64	7.60	15.64	18.33	19.06	16.03
20.	पश्चिम बंगाल	7.14	5.46	3.52	5.03	6.65	8.28
पूर्वोत्तर राज्य							
1.	अरुणाचल प्रदेश	32.27	26.68	26.80	12.90	14.26	13.85
2.	असम	38.93	21.52	13.36	0.72	0.65	0.55
3.	मणिपुर	11.18	10.97	15.43	11.13	14.69	7.75
4.	मेघालय	9.42	15.95	25.80.	11.65	17.31	24.06
5.	मिजोरम	26.50	36.70	28.01	29.65	38.98	19.02
6.	नागालैंड	27.53	7.50	0.44	25.20	9.98	0.99
7.	सिक्किम	2.60	8.45	1.84	2.33	1.44	4.84
8.	त्रिपुरा	1.58	0.39	-	1.03	-	0.28
	योग	670.82	465.91	325.74	569.28	537.37	372.31

नोट: यह कार्यक्रम संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचालित नहीं हैं।

एनआर-बताया नहीं गया है।

विवरण-II

राज्यवार कुल बंजरभूमि तथा विगत वर्षों में प्रति वर्ष समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के तहत विकसित की गयी अवक्रमित भूमि के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य का नाम	विकसित की गयी बंजरभूमि और अवक्रमित भूमि (लाख है. में)		
		2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	6.43	4.71	7.24
2.	बिहार	0.90	0.94	0.88

1	2	3	4	5
3.	छत्तीसगढ़	0.40	0.34	0.18
4.	गोवा	एनआर	एनआर	एनआर
5.	गुजरात	0.54	0.71	0.53
6.	हरियाणा	0.06	0.04	0.02
7.	हिमाचल प्रदेश	0.43	0.39	0.37
8.	जम्मू और कश्मीर	एनआर	एनआर	एनआर
9.	झारखंड	0.12	0.14	0.13
10.	कर्नाटक	0.60	0.51	0.48
11.	केरल	0.09	0.05	0.08
12.	महाराष्ट्र	0.17	0.75	0.60
13.	मध्य प्रदेश	1.09	0.65	0.36
14.	ओडिशा	0.35	0.52	0.48
15.	पंजाब	0.06	0.04	0.03
16.	राजस्थान	0.84	0.55	0.26
17.	तमिलनाडु	0.15	0.04	0.07
18.	उत्तर प्रदेश	1.25	0.85	0.27
19.	उत्तराखंड	0.32	0.33	0.25
20.	पश्चिम बंगाल	0.07	0.07	0.12
पूर्वोत्तर राज्य				
21.	अरुणाचल प्रदेश	0.22	0.24	0.23
22.	असम	एनआर	एनआर	एनआर
23.	मणिपुर	0.19	0.24	0.13
24.	मेघालय	0.18	0.35	0.49
25.	मिजोरम	0.01	0.004	0.002
26.	नागालैंड	0.40	0.15	0.01

1	2	3	4	5
27.	सिक्किम	0.03	0.02	0.07
28.	त्रिपुरा	0.01	0	0.004
	योग	14.91	12.634	13.286

नोट: यह कार्यक्रम संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचालित नहीं है।

एनआर-बताया नहीं गया है।

उर्वरक क्षेत्र में निवेश

***131. श्री दुष्यंत सिंह:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उर्वरक उद्योग धनराशि की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनेक उर्वरक संयंत्र पुराने हो गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में नए निवेश आकर्षित करने संबंधी उपाय शुरु किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा भारतीय उर्वरक उद्योग को अर्थक्षम बनाने हेतु अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) उर्वरक विभाग उर्वरक कंपनी के वित्तीय प्रबंधन से संबंधित नहीं हैं। उर्वरक उद्योग को राजसहायता का भुगतान प्रचलित पद्धति के अनुसार दिया जाता है।

(ग) से (ङ) सरकार ग्रीनफील्ड/विस्तार/पुनरुद्धार के लिए सार्वजनिक/निजी क्षेत्र द्वारा यूरिया क्षेत्र में नया निवेश आकर्षित करने तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) और फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की बंद इकाइयों के पुनरुद्धार करने के लिए मौजूदा नई निवेश नीति 2008 में संशोधन करने पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

जलाशयों का जीर्णोद्धार

***132. श्री कामेश्वर बैठा:**
श्रीमती मीना सिंह:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जलाशयों के जीर्णोद्धार और रख-रखाव के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रख-रखाव के अभाव के कारण सूख रहे जलाशयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) जलाशयों की राज्य-वार विशेष-वार विशेषकर झारखंड में संख्या और ब्यौरा क्या है और उन्हें किन प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है;

(घ) क्या झारखंड में नहर जलाशय योजना हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो परियोजना की स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) जल संसाधन मंत्रालय की 11वीं योजनावधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने हेतु जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण तथा पुनरूद्धार (आरआरआर) हेतु राज्य क्षेत्र की दो स्कीमें हैं (1) एक 1500 करोड़ रुपए के परिव्यय सहित बाह्य सहायता से तथा (2) दूसरी 1250 करोड़ रुपए के परिव्यय सहित घरेलू सहयोग से। स्कीम में जल निकायों के पुनरूद्धार, टैंक कमानों

में आवाह क्षेत्रों में सुधार जल निकायों की भंडारण क्षमता में वृद्धि, भूमि, जल पुनर्भरण, कृषि, उद्यान-कृषि उत्पादन में सुधार, पर्यटन विकास, सांस्कृतिक कार्य-कलाप तथा पेय जल की उपलब्धता में वृद्धि को शामिल करते हुए चुनिंदा टैंक प्रणालियों के व्यापक सुधार की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकारों के लिए जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप उनके द्वारा निर्धारित जल निकायों के आरआरआर हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना अपेक्षित है। घरेलू सहायता के अन्तर्गत विशेष श्रेणी राज्यों अर्थात सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर तथा ओडिशा के अविभाजित कोरापुट, बोलंगीर और कालाहांडी (केबीके) जिलों तथा अन्य राज्यों के सूखा प्रवण/नक्सल प्रभावित/जनजातीय क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाएं, परियोजना लागत के 90 प्रतिशत राशि के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने की पात्र है। अन्य परियोजनाएं केन्द्रीय सहायता के रूप में परियोजना लागत के 25 प्रतिशत हेतु पात्र हैं। बाह्य सहायता वाली स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक से परियोजना लागत के 25 प्रतिशत को ऋण के रूप में लिया जाता है। तथा इसे अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (100 प्रतिशत अनुदान) के रूप में राज्यों को दे दिया जाता है। जबकि राज्यों का 75 प्रतिशत अंशदान सम्बद्ध राज्यों द्वारा विश्व बैंक से उधार लिया जाता है।

लघु सिंचाई गणना (2005) के दौरान राज्य सरकारों की सहायता से 5.56 लाख जल निकाय अभिज्ञात किए गए हैं। जो जल निकाय उपयोग में नहीं है उनकी कुल संख्या 85,807 है। 5.56 लाख जल निकायों में से 2.39 लाख जल निकाय सार्वजनिक स्वामित्व वाले है। इनमें 16,552 जल निकाय झारखंड में हैं। सार्वजनिक स्वामित्व वाले निकायों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) झारखंड की कनहर जलाशय परियोजना को ऐसी परियोजनाओं की स्वीकृति देने के लिए गठित जल संसाधन मंत्रालय की सलाहगार समिति ने स्वीकार नहीं किया है क्योंकि इस परियोजना के कारण छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के कुछ क्षेत्रों में जल–जमाव संबंधी मुद्दों का समाधान नहीं हो सका और क्योंकि कनहर जलाशय परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के विषय में केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों का अनुपालन नहीं किया गया है। झारखंड सरकार भी जलाशय परियोजना की बराज परियोजना का साध्यता अध्ययन करवा रही है।

विवरण

सार्वजनिक स्वामित्व वाले जल निकाय

क्र.सं.	राज्य का नाम	सार्वजनिक स्वामित्व वाले जल निकायों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	67236
2.	अरुणाचल प्रदेश	186
3.	असम	170
4.	बिहार	12345
5.	छत्तीसगढ़	32486
6.	गोवा	137
7.	गुजरात	2742
8.	हरियाणा	12
9.	हिमाचल प्रदेश	361
10.	जम्मू और कश्मीर	312
11.	झारखंड	16552
12.	कर्नाटक	22582
13.	केरल	2977
14.	मध्य प्रदेश	7947
15.	महाराष्ट्र	16429
16.	मणिपुर	2
17.	मेघालय	87
18.	मिजोरम	0
19.	नागालैंड	0
20.	ओडिशा	18250
21.	पंजाब	7
22.	राजस्थान	1844

1	2	3
23.	सिक्किम	423
24.	तमिलनाडु	25107
25.	त्रिपुरा	122
26.	उत्तर प्रदेश	70
27.	उत्तराखंड	5188
28.	पश्चिम बंगाल	5350
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4
30.	चंडीगढ़	0
31.	दादरा और नगर हवेली	12
32.	दिल्ली	0
33.	पुदुचेरी	198
	कुल	239138

रेल भूमि पट्टे पर दिया जाना

***133. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
श्री लक्ष्मण टुडु:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रेलवे के अंतर्गत जोन-वार कुल कितनी खाली/अप्रयुक्त भूमि है;

(ख) क्या रेलवे का इस भूमि को पट्टे पर देने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आवेदकों के लिए इस पट्टे के संबंध में क्या मानदंड अपनाए गए हैं/पात्रता की शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान पट्टे पर दी गई ऐसी भूमि का जोन-वार ब्यौरा क्या है तथा इससे कितना राजस्व अर्जित किया गया है; और

(ङ) देश में ऐसी खाली पड़ी/अप्रयुक्त भूमि के वाणिज्यिक उपयोग हेतु रेलवे द्वारा उठाए जा रहे अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री मुकुल राय): (क) से (ङ) भारतीय रेलवे के पास लगभग 10.65 लाख एकड़ भूमि है। इस भूमि का लगभग 90 फीसदी भाग रेलवे भूमि लगभग 1.13 लाख एकड़ है। खाली भूमि का जोनवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

रेलवे	खाली भूमि (एकड़ में)
मध्य	6188
पूर्व	3792
पूर्व मध्य	8620
पूर्व तट	4707
उत्तर	9489
उत्तर मध्य	1079
पूर्वोत्तर	14352
पूर्वोत्तर सीमा	11718
उत्तर पश्चिम	5953
दक्षिण	5673
दक्षिण मध्य	5557
दक्षिण पूर्व	4467
दक्षिण पूर्व मध्य	9659
दक्षिण पश्चिम	2255
पश्चिम	17970
पश्चिम मध्य	1458
जोड़	112937

अधिकांश खाली रेल भूमि रेलपथ के साथ जुड़ी हुई है और रेलपथ के सर्विसिंग और अनुक्षरण और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। खाली रेल भूमि का उपयोग रेलवे की भावी विकास जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के निष्पादन के लिए किया जाता है और इन परियोजनाओं में दोहरीकरण, यातायात सुविधाएं, रेल कोच और कंपोनेंट कारखाने इत्यादि शामिल हैं। ऐसी खाली भूमि जिसकी रेलवे को अपनी तात्कालिक परिचालनिक आवश्यकताओं के लिए जरूरत नहीं है, उसका उपयोग जहां कहीं व्यावहारिक होता है, रेल भूमि विकास प्राधिकरण के जरिए

अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए किया जाता है, इस प्राधिकरण स्थापना रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा ऐसी खाली रेलवे भूमि/एयर स्पेस का ऐसे उपयोग को नियंत्रित करने वाले मौजूदा नियम/निर्देशों और समय-समय पर इनमें किए गए संशोधनों के अध्यधीन वाणिज्यिक विकास करने के उद्देश्य से की गई थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान भूमि को पट्टे/लाइसेंस पर देने से हुई आमदनी का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

भूमि से आमदनी (आंकड़े करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	रेलवे	2009-10 वास्तविक प्राप्ति	2010-11 वास्तविक प्राप्ति	2011-12 (जनवरी 2012 तक) वास्तविक प्राप्ति
1.	मध्य	25.43	41.97	32.20
2.	पूर्व	19.42	19.00	23.87
3.	पूर्व मध्य	16.54	26.97	21.09
4.	पूर्व तट	29.06	30.14	13.59
5.	उत्तर	133.86	196.51	134.85
6.	उत्तर मध्य	39.26	21.79	19.95
7.	पूर्वोत्तर	16.28	32.45	21.4
8.	पूर्वोत्तर सीमा	27.17	11.15	13.43
9.	उत्तर पश्चिम	55.57	35.53	61.55
10.	दक्षिण	77.7	84.30	361.64
11.	दक्षिण मध्य	33.46	49.86	36.87
12.	दक्षिण पूर्व	33.43	42.36	71.73
13.	दक्षिण पूर्व मध्य	15.56	16.64	19.35
14.	दक्षिण पश्चिम	47.62	5092	29.61
15.	पश्चिम	46.42	51.39	52.86
16.	पश्चिम मध्य	30.36	21.40	18.74
17.	मैट्रो	0	0	0
	जोड़	649.14	732.38	932.72

पिछले तीन वर्षों की कुल आमदनी 2314.24 करोड़ रुपए।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निवेश

***134. डॉ. पी. वेणुगोपाल:**
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को विशेषरूप से खनन क्षेत्र में विदेशी कच्चा माल परिसंपत्तियां प्राप्त करने के अवसर खोजने तथा विनिर्माण क्षेत्र और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में भी और अधिक योगदान करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयास से देश में औद्योगिक विकास में किस प्रकार तेजी आने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) सरकार ने "केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा विदेशों में कच्ची सामग्री परिसंपत्ति के अधिग्रहण की नीति" अनुमोदित कर दी है। यह नीति कृषि, खनन, विनिर्माण तथा विद्युत क्षेत्र के उन उद्यमों के लिए लागू है जिनका तीन वर्षों में लाभ अर्जित करने का रिकार्ड हो।

(ग) पर्याप्त मात्रा में कच्ची सामग्री की उपलब्धता न केवल खास तौर पर विनिर्माणकारी क्षेत्र और समग्रत: अर्थव्यवस्था के विकास की पूर्वापेक्षा है बल्कि रणनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी यह महत्वपूर्ण हैं। अत:, सरकार ने राष्ट्र के दीर्घकालिक हित में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा कच्ची सामग्री परिसंपत्ति के अधिग्रहण की नीति प्रस्तुत की है ताकि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा विदेशों में कच्ची सामग्री परिसंपत्ति के अधिग्रहण की दिशा में सभी आवश्यक उपाय करने संबंधी सरकार की प्रतिबद्धता सूचित की जा सके और साथ ही उच्चतम स्तर पर एक ऐसी समन्वयनकारी प्रणाली का प्रावधान किया जा सके जिस पर संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यम/मंत्रालय निर्भर कर सकें और जिसके माध्यम से आवश्यकतानुसार द्रुत निर्णय किया जा सके।

[हिन्दी]

भूंकम प्रवण क्षेत्र

***135. श्री कमल किशोर 'कमांडो':** क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मौसम विभाग ने देश में भूकंप प्रवण क्षेत्रों की पहचान और उनका मानचित्रण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में आए भूकंपों और उनकी तीव्रता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने सहित भूकंपों से निपटने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री विलासराव देशमुख): (क) जी हां।

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो (आईएस-1893 (भाग-1): 2002, ने विगत में आए भूकंपों के इतिहास के आधार पर, देश को चार भूकंपी जोनों अर्थात जोन-II, III, IV तथा V में वर्गीकृत किया है। इनमें जोन 5, भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्र है, जबकि जोन II सबसे कम सक्रिय है। पृथ्वी की सतह पर भूकंपों के प्रभाव को मापने वाली संशोधित मर्कली (एमएम) तीव्रता को मोटे तौर पर विभिन्न जोनों के साथ इस जोड़ा गया है:

भूकंपी जोन	एमएम पैमाने पर तीव्रता
II. (कम तीव्रता वाला जोन)	VI. (अथवा कम)
III. (मध्यम तीव्रता वाला जोन)	VII.
IV. (प्रचंड तीव्रता वाला जोन)	VIII.
V. (अत्यधिक प्रचंड तीव्रता वाला जोन)	IX. (और अधिक)

मोटे तौर पर, जोन V में संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल के भाग, गुजरात में कच्छ का रण, उत्तरी बिहार के भाग तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह शामिल हैं। जोन IV में जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के शेष भाग, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल, के उत्तरी भाग, गुजरात के भाग तथा पश्चिमी तट के निकट महाराष्ट्र के छोटे हिस्से तथा राजस्थान शामिल हैं। जोन III में केरल, गोवा, लक्षद्वीप द्वीपसमूह, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल के शेष भाग, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक के भाग शामिल हैं। जोन II में देश के शेष भाग शामिल है।

(ग) विगत 3 वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान, देश में आए भूकंप के झटकों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी हां।

(ङ) भूकंपों से होने वाले जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए भूकंप प्रतिरोधी ढांचों के डिजाइन तथा निर्माण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) निर्माण सामग्री तथा प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद (बीएमटीपीसी), आवास तथा शहरी विकास (हुडको) तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुसरण करके संबंधित राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों द्वारा आपदा से पूर्व एवं बाद की तैयारी तथा प्रबंधन की रणनीतियों को समन्वित ढंग से उचित नियोजन तथा कार्यान्वयन के माध्यम से भूकंप के कारण होने वाली जान-माल की हानि को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त, भारत सरकार ने आपदा-पूर्व की तैयारी के उपायों के रूप में, देश के कुछ प्रमुख शहरों तथा जबलपुर, गुवाहाटी, बंगलौर, गुजरात, में भरूच, जम्मू एवं कश्मीर और जम्मू, मेघालय, में शिलांग, तमिलनाडु में चेन्नै तथा सिक्किम राज्य के भूकंपी माइक्रोजोनेशन अध्ययन भी पूरे कर लिए हैं। इसी प्रकार के अध्ययन शहरी केन्द्रों अर्थात विजयवाड़ा, सूरत, जालंधर, जोरहाट इत्यादी में किए जा रहे हैं। इन अध्ययनों में भू वैज्ञानिक, भू आकृति वैज्ञानिक तथा भू उपयोग मानचित्र तैयार करना तथा इसके बाद शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम से अधिकतम क्षति प्रवण क्षेत्रों का सीमांकन करने के लिए वेधन, भू-वैज्ञानिक लॉगिंग, मानक वेधन परीक्षण करना शामिल हैं, इनसे संबंधित नगर तथा देश नियोजन एजेंसियों को समग्र भूकंप प्रभाव न्यूनीकरण प्रवासों से परिप्रेक्ष्य नियोजन के निर्माण में मदद मिलती है।

सरकार ने भूकंपों के विभिन्न पहलुओं तथा उनके प्रभावों तथा हानि को कम करने के उपायों के बारे में स्कूली बच्चों तथा सामान्य जनता के बीच जागरूकता पैदा करने तथा उन्हें शिक्षित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित किए हैं।

विवरण

जनवरी 2009 से 15 मार्च 2012 की अवधि में क्षेत्र का भूकंप डेटा

(क) जनवरी 2009 से जनवरी 2011 तथा (ख) फरवरी 2011 से 15 मार्च 2012 की अवधि में 8.00 से 38.00 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 68.00 से 98.00 डिग्री पूर्वी देशांतर (संपूर्ण देश को कवर करते हुए) के मध्य आए भूकंपों की सूची

(क) जनवरी 2009 से जनवरी 2011

वर्ष	दिनांक माह	दिन	समय (यूटीसी) घं.	मि.	से.	अक्षांश डिग्री उ.	देशांतर डिग्री पू.	गहराई कि.मी.	परिमाण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2009	1	1	16	37	22.3	25.07	92.11	39.	3.2
2009	1	1	19	59	48.5	31.36	83.40	10.	3.2
2009	1	1	21	56	56.1	28.97	76.95	10.	2.0
2009	1	2	6	25	57.5	27.98	76.57	19.	2.1
2009	1	3	13	9	55.4	30.57	79.25	10.	3.8
2009	1	3	20	23	19.1	36.50	70.76	197.	5.9
2009	1	4	5	20	6.4	21.57	75.31	10.	4.2
2009	1	4	23	12	58.0	36.33	70.59	188.	5.8
2009	1	5	7	4	15.3	23..51	88.43	33.	4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2009	1	5	17	51	24.0	36..22	70.47	15.	4.1
2009	1	7	10	27	1.6	27.98	93.10	20.	4.7
2009	1	7	14	53	23.1	29.94	77.82	10.	2.6
2009	1	8	4	22	43.1	17.18	86.76	33.	3.2
2009	1	8	20	57	52.4	17.71	73.29	10.	2.6
2009	1	9	9	44	9.8	28.93	77.01	10.	2.1
2009	1	9	12	21	20.0	31.91	78.34	10.	3.0
2009	1	9	12	40	19..2	31.76	78.27	10.	4.2
2009	1	11	5	47	41.7	36.57	70.77	33.	3.5
2009	1	11	21	50	10.2	22.86	82.39	10.	2.2
2009	1	13	1	48	45.9	36.37	73.27	33.	4.6
2009	1	13	6	12	38.0	36.92	70.88	33.	3.6
2009	1	14	11	53	27.8	28.60	77.26	17.	2.3
2009	1	14	12	47	3.2	32.93	76.19	10.	2.8
2009	1	14	14	48	42.8	34.51	69.55	33.	3.5
2009	1	14	15	3	2.5	31.31	74.49	10.	2.8
2009	1	14	21	13	6.3	18.51	75..94	15.	2.4
2009	1	14	22	3	59.5	36.31	69.60	96.	4.2
2009	1	17	23	18	46..2	35.64	69.50	33.	4.7
2009	1	18	23	2	15.3	29.00	76.74	10.	2.1
2009	1	19	16	59	56.3	28.66	86.61	32.	4.1
2009	1	20	9	26	15..0	35.57	69.80	33.	5.4
2009	1	21	1	42	28..3	15.78	95.69	33.	4.7
2009	1	23	9	2	53.1	18.12	81.34	15.	2.6
2009	1	23	12	27	16.7	28.70	81.56	10.	4.2
2009	1	24	3	27	3..6	36.17	69.96	33.	4.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2009	1	24	5	27	19.5	25.17	91.51	10.	3.2
2009	1	25	19	13	.0	36.75	71.03	96.	4.6
2009	1	26	16	0	30.9	32.99	75.97	10.	3.2
2009	1	26	17	50	42.1	33.95	76.20	10.	2.3
2009	1	27	1	2	52.7	35.20	81.84	10.	3.7
2009	1	27	6	6	10.6	36.09	76.68	33.	4.0
2009	1	27	7	8	25.1	30.10	75.55	14.	2.0
2009	1	28	15	18	42.9	36.10	70.43	33.	4.0
2009	1	28	20	29	58.4	13.78	92.67	33.	5.2
2009	1	29	0	35	2.1	23.70	88.17	10.3	3.7
2009	1	29	10	24	9.0	11.74	95.03	20.	4.5
2009	1	29	13	29	23.5	35.90	70.70	33.	4.5
2009	1	30	3	19	27.5	36.35	70.81	33.	3.6
2009	1	30	20	29	45.9	35.96	70.53	33.	3.7
2009	1	30	23	53	12.8	28.89	80.33	10.	2.6
2009	1	31	3	7	15.3	32.59	76.40	15.	3.8
2009	1	31	4	27	36.2	12.23	95.18	20.	5.2
2009	1	31	10	54.	.5	25.59	90.66	10.	3.7
2009	1	31	19	13	24.5	28.99	77.11	10.	2.2
2009	2	1	16	7	56.5	31.58	69.82	10.	3.4
2009	2	1	18	31	59.4	28.92	77.54	13.	2.6
2009	2	1	20	41	54.0	36.42	70.49	15.	3.3
2009	2	4	2	2	31.4	34.35	73.27	33	.4.1
2009	2	5	17	6	17.6	33.07	76.58	10.	3.1
2009	2	6	7	32	31.8	24.79	95.22	33.	4.2
2009	2	6	17	11	30.3	36.25	70.04	96.	4.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2009	2	8	6	2	18.2	28.60	76.87	10.	2.1
2009	2	8	8	34	26.7	29.09	76.21	10.	2.2
2009	2	8	14	33	11.9	34.50	73.10	10.	4.4
2009	2	8	15	42	10.9	27.37	75.32	10.	2.9
2009	2	9	14	42	6.0	37.36	71.73	33.	4.3
2009	2	10	0	6	12.9	35.04	75.20	33.	3.0
2009	2	10	12	14	26.3	34.45	74.26	33.	3.7
2009	2	11	3	28	11.8	30.92	69.72	21.	4.0
2009	2	11	7	33	27.3	23.21	70.38	10.	3.4
2009	2	11	12	3	18.8	35.76	70.53	33.	3.5
2009	2	12	2	12	20.5	31.57	77.43	18.	3.2
2009	2	13	23	13	53.4	30.39	79.70	10.	3.1
2009	2	14	1	34	37.7	36.17	70.06	33.	3.9
2009	2	14	16	28	5.3	29.88	80.04	10.	3.4
2009	2	15	19	35	56.4	25.92	90.25	10.	4.3
2009	2	15	23	27	50.3	37.58	76.65	33.	3.5
2009	2	17	16	39	50.4	36.72	70.62	221.	4.7
2009	2	18	2	49	3.7	36.56	70.75	97.	4.4
2009	2	18	6	4	26.1	17.20	73.83	15.	2.6
2009	2	18	10	11	40.2	30.97	83.87	33.	4.3
2009	2	19	8	3	59.8	36.39	69.54	33.	4.6
2009	2	19	10	40	36.3	30.34	80.57	10.	3.1
2009	2	20	3	48	48ए6	34.15	73.46	10.	5.4
2009	2	22	13	23	50.9	36.13	74.18	33.	3.9
2009	2	24	15	23	30.1	28.42	86.43	10.	3.9
2009	2	24	17	46	10.8	26.29	94.87	33.	4.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2009	2	25	4	4	21.5	30.73	79.71	10.	3.5
2009	2	25	14	11	24.0	30.43	82.93	10.	3.3
2009	2	26	7	42	55.2	30.40	69.68	10.	3.2
2009	2	26	15	32	29.0	11.97	91.03	33.	4.4
2009	2	27	3	13	57.4	37.93	73.01	33.	3.5
2009	2	27	10	42	38.5	20.51	89.07	10.	4.9
2009	3	2	6	58	5.9	35.54	71.14	96.	3.3
2009	3	2	12	36	37.3	15.71	95.93	10.	4.6
2009	3	2	12	55	33.4	15.50	96.37	10.	4.3
2009	3	2	14	48	51.1	30.88	79.96	10.	2.9
2009	3	3	0	59	18.3	33.79	78.57	10.	3.0
2009	3	3	1	10	11.8	33.98	78.60	10.	3.2
2009	3	3	1	27	37.9	24.59	95.29	94.	4.8
2009	3	3	14	22	13.1	37.92	70.73	14.	4.9
2009	3	3	23	45	9.5	33.89	78.46	10.	3.3
2009	3	4	16	48	22.0	36.60	77.49	96.	3.7
2009	3	4	20	15	40.8	36.34	69.94	33.	3.4
2009	3	5	15	49	55.9	15.66	95.79	10.	5.3
2009	3	8	17	2	10.4	36.10	78.08	98.	4.6
2009	3	9	19	45	27.3	30.10	83.54	33.	3.1
2009	3	9	23	28	45.8	35.12	73.75	10.	2.9
2009	3	10	17	43	17.6	23.40	69.05	10.	3.1
2009	3	11	2	49	48.0	33.35	76.05	10.	2.9
2009	3	11	12	58	43.7	10.93	91.89	10.	5.1
2009	3	11	16	38	44.9	17.29	73.56	10.	2.5
2009	3	12	16	21	36.1	32.49	76.36	10.	3.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2009	3	13	0	34	18.5	36.85	76.63	10.	3.4
2009	3	13	11	19	56.8	36.01	69.40	10.	3.8
2009	3	13	20	42	12.1	36.60	71.10	197.	4.5
2009	3	14	2	22	49.6	28.91	76.96	9.	2.7
7009	3	14	13	76	71.1	29.97	68.31	33.	4.9
2009	3	15	9	14	17.3	32.38	76.63	10.	3.8
2009	3	16	6	1	21.8	27.95	87.83	33.	3.7
2009	3	16	18	40	53.0	36.34	77.99	20.	4.4
2009	3	17	1	3	13.4	9.83	91.45	33.	4.9
2009	3	17	6	25	3.9	33.99	80.28	10.	2.9
2009	3	18	0	29	23.0	31.47	84.17	33.	3.9
2009	3	18	11	23	47.3	30.86	78.11	10.	3.4
2009	3	18	1	44	37.3	37.03	75.67	10	3.1
2009	3	19	5	24	39.4	34..43	73.50	10.	4.0
2009	3	20	4	35	22.9	35.24	72.05	10.	4.1
2009	3	20	6	48	43.4	30.78	71.62	13.	3.4
2009	3	21	7	38	14.7	36.22	70.58	96.	4.2
2009	3	21	14	10	6.6	11.01	91.75	33.	4.1
2009	3	23	13	24	21.3	36.16	71.7	10.	3.7
2009	3	23	13	44	43.8	10.89	91.68	10.	4.3
2009	3	23	14	31	2.1	31.38	69.92	10.	4.4
2009	3	24	1	18	31.3	30.47	75.41	10.	2.4
2009	3	24	9	3	35.7	36.49	70.96	96.	4.6
2009	3	24	10	40	44.0	37.80	72.31	33.	4.0
2009	3	24	12	2	48.6	30.71	79.10	10.	2.5
2009	3	24	12	51	38.8	31.24	77.88	10.	2.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2009	3	26	1	14	51.6	37.78	72.59	10.	3.9
2009	3	26	2	36	55.4	36.19	71.28	10.	3.9
2009	3	26	4	44	13.0	22.49	85.77	10.	4.2
2009	3	26	10	5	32.3	28.15	76.78	10.	2.1
2009	3	27	1	27	5.0	37.17	71.34	33.	3.8
2009	3	29	12	30	51.9	32.96	76.18	10.	2.9
2009	3	29	18	11	45.3	32.97	91.74	33.	4.4
2009	3	30	9	54	15.0	36.27	70.68	57.	3.7
2009	3	30	16	38	31.4	36.27	70.93	33.	3.9
2009	3	31	1	45	9.9	23.06	70.60	46.	3.3
2009	3	31	1	56	42.6	33.79	75.48	10.	3.4
2009	3	31	2	33	53.3	36.94	72.14	33.	3.8
2009	3	31	13	2	52.4	35.63	69.19	33.	4.0
2009	4	1	2	34	31.8	34.02	82.67	10.	5.2
2009	4	2	10	15	14.6	34.34	82.69	10.	3.0
2009	4	2	23	32	53.2	36.39	69.61	33.	4.2
2009	4	3	0	15	2.6	34.16	82.88	33.	3.9
2009	4	3	11	56	34.8	33.62	82.63	33.	3.5
2009	4	3	17	45	13.4	35.03	72.56	51.	4.6
2009	4	4	1	23	30.1	32.66	76.46	10.	2.8
2009	4	4	3	6	22.5	31.08	74.56	15.	2.9
2009	4	4	12	53	9.3	33.88	82.66	10	3.1
2009	4	5	19	38	55.2	34.36	69.24	33.	4.1
2009	4	6	7	1	24.0	34.95	72.73	10.	4.4
2009	4	6	16	57	30.9	28.26	76.48	15.	2.4
2009	4	6	18	11	46.0	36.38	70.69	90.	4.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2009	4	8	6	56	27.6	27.62	76.83	20.	2.0
2009	4	9	0	44	27.5	30.41	80.66	10.	3.3
2009	4	9	1	46	57.1	27.01	70.62	35.	5.2
2009	4	9	9	43	20.7	30.25	80.22	10.	2.9
2009	4	9	14	15	18.1	36.11	69.84	33.	4.3
2009	4	9	15	23	25.4	28.51	76.84	10.	2.2
2009	4	9	16	34	29.4	36.51	71.06	178.	4.6
2009	4	10	1	43	42.3	30.92	79.93	10.	3.0
2009	4	10	8	33	36.3	29.24	79.06	10.	2.5
2009	4	10	21	1	12.6	34.59	72.41	10.	3.6
2009	4	10	23	28	25.7	36.68	71.14	33.	4.1
2009	4	11	23	19	.3	36.01	69.99	33.	4.0
2009	4	12	2	11	56.6	30.02	75.33	10.	2.6
2009	4	12	6	47	38.4	25.38	91.69	33.	3.3
2009	4	12	18	42	10.9	23.38	70.09	15.	3.5
2009	4	14	16	56	40.2	22.33	92.33	10.	3.8
2009	4	14	18	23	21.8	29.02	77.99	6.	2.2
2009	4	15	11	25	59.4	27.38	76.03	7.	2.8
2009	4	16	21	27	50.9	34.19	69.45	48.	5.3
2009	4	16	23	12	47.5	34.10	69.15	33.	5.2
2009	4	17	7	31	3.4	35.48	69.24	55.	4.5
2009	4	17	21	14	21.6	25.42	95.23	96.	4.7
2009	4	18	1	33	44.3	31.49	77.48	10.	3.4
2009	4	19	2	25	23.1	29.83	69.78	10.	3.7
2009	4	21	2	54	31.2	29.91	9.00	10.	3.6
2009	4	22	21	32	10.0	37.33	71.42	33.	4.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2009	4	23	13	26	54.9	27.49	77.12	10.	2.3
2009	4	23	17	12	4.2	31.67	77..17	10.	2.3
2009	4	23	18	42	11.4	35.99	68..65	33.	3.8
2009	4	25	10	2	23.0	36..15	70..99	33.	3.8
2009	4	25	13	24	14.6	28.51	76.97	10.	1.9
2009	4	25	14	29	28.4	26.14	91.45	30.	4.2
2009	4	27	0	6	38.7	34.37	68.17	10.	4.3
2009	4	27	4	2	14.6	36.00	75.44	10.	3.4
2009	4	27	10	48	16.4	35.39	70.07	33.	4.6
2009	4	28	21	15	22.9	36.72	70.67	33.	3.9
2009	4	29	4	42	9.5	36.69	70.22	63.	4.7
2009	4	29	20	10	50.5	36.17	70.12	209.	4.8
2009	4	29	23	31	23.5	22.83	94.34	96.	4.5
2009	4	30	11	58	23.8	33.33	74.60	33.	3.0
2009	4	30	19	15	57.8	36.52	70.35	33.	3.8
2009	5	1	11	25	56.3	37.96	73.70	33.	4.6
2009	5	4	19	43	16.7	28.70	76.46	10.	2.6
2009	5	5	14	27	3.6	36.36	73.33	10.	3.7
2009	5	5	17	26	27.5	35.96	70.49	33.	4.3
2009	5	5	21	55	21.7	27.85	76.65	22.	2.5
2009	5	5	22	59	1.1	31.48	76.93	10.	2.8
2009	5	5	23	48	57.3	31.47	77.02	14.	2.1
2009	5	7	1	9	42.0	35.95	74.56	10.	4.0
2009	5	7	18	17	12.8	37.88	72.23	111.	4.7
2009	5	8	15	8	22.0	36.68	71.02	15.	3.8
2009	5	9	1	36	47.4	37.82	73.82	10.	3.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2009	5	9	2	51	17.5	11.69	92.06	36.	4.7
2009	5	9	12	30	8.2	36.27	70.83	15.	4.0
2009	5	10	11	2	48.4	30.33	77.06	10.	3.4
2009	5	11	7	7	47.1	37.22	72.71	14.	4.5
2009	5	13	4	37	41.7	36.33	70.21	33.	4.3
2009	5	14	19	18	17.8	27.26	87.17	10.	3.8
2009	5	15	15	6	31.6	23.67	93.93	33.	4.5
2009	5	15	18	39	23.0	30.45	79.31	10.	3.1
2009	5	15	18	42	46.1	30.61	79.35	10.	3.6
2009	5	16	1	46	23.0	37.23	71.04	10.	4.0
2009	5	16	20	44	10.9	36.60	70.83	33.	4.3
2009	5	17	11	58	.7	36.42	71.27	220.	4.5
2009	5	17	13	22	1.2	28.63	77.20	17.	2.0
2009	5	18	3	34	2.1	36.97	71.36	37.	4.3
2009	5	18	23	3	53.3	27.53	87.97	10.	4.0
2009	5	19	19	29	47.3	33.23	75.57	10.	4.8
2009	5	20	19	43	51.7	30.38	79.60	10.	3.5
2009	5	21	12	33	54.8	36.29	77.56	97.	5.3
2009	5	22	19	31	56.2	36.50	70.37	33.	4.3
2009	5	22	20	48	38.0	37.08	71.18	33.	3.1
2009	5	23	2	44	32.7	33.91	74.35	10.	3.1
2009	5	24	22	59	42.3	34.19	73.33	10.	2.8
2009	5	25	4	46	4.3	36.96	70.92	33.	3.8
2009	5	27	13	30	58.8	32.89	75.44	10.	3.8
2009	5	28	14	59	38.8	35.35	71.42	10.	4.3
2009	5	28	15	34	2.8	30.25	77.55	10.	3.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2009	5	29	11	1	40.7	34.64	73.05	10.	3.9
2009	5	29	20	45	49.5	31.86	77.95	23.	2.9
2009	5	29	21	28	10.2	30.98	87.33	33.	4.2
2009	5	30	8	1	7.1	29.70	77.65	22.	2.6
2009	6	1	1	40	55.1	26.50	89.17	15.	3.7
2009	6	1	9	23	35.5	29.27	77.49	10.	2.5
2009	6	2	4	5	22.8	31.50	68.82	17.	3.9
2009	6	2	5	43	55.6	36.33	71.06	33.	4.4
2009	6	2	6	36	11.2	30.44	80.45	10.	4.2
2009	6	2	10	35	35.7	34.74	72.79	10.	3.5
2009	6	3	18	26	29.4	34.66	72.97	10.	3.8
2009	6	3	18	42	55.6	23.42	02.98	10.	4.2
2009	6	3	19	3	6.1	23.33	94.00	10.	4.5
2009	6	4	2	54	44.1	33.31	82.08	10.	5.1
2009	6	4	6	44	51.7	32.63	81.85	10.	4.6.
2009	6	4	10	6	20.0	37.01	71.63	33.	4.3
2009	6	4	13	50	56.7	32.96	76.07	10.	3.8
2009	6	4	23	29	21.9	37.11	70.66	74.	4.4
2009	6	5	6	58	50.9	32.79	82.03	10.	4.4
2009	6	6	2	16	49.9	36.46	69.05	33.	4.4
2009	6	6	9	8	23.0	34.94	73.01	10.	4.4
2009	6	6	9	44	37.5	31.13	86.31	10.	4.5
2009	6	6	13	8	28.0	37.17	71.80	33.	4.2
2009	6	6	22	9	48.0	29.73	73.19	41.	2.6
2009	6	7	0	5	27.5	36.59	69.76	33.	4.6.
2009	6	7	13	23	17.3	33.73	73.22	10.	3.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2009	6	7	15	51	15.6	36.33	71.08	33.	4.3
2009	6	8	15	54	24.2	35.66	69.96	33.	4.7
2009	6	9	0	17	17.6	36.10	69.99	33.	4.3
2009	6	9	5	38	22.5	10.85	91.60	33.	5.2
2009	6	10	13	40	30.3	36.30	69.94	33.	4.3
2009	6	11	3	17	20.2	13.15	93.20	41.	4.5
2009	6	11	21	37	36.3	30.44	83.46	10.	3.8
2009	6	12	12	6	55.6	32.36	69.34	33.	4.1
2009	6	12	21	0	24.3	32.91	86.52	10.	3.8
2009	6	14	6	37	47.3	36.37	69.15	66.	4.4
2009	6	14	14	33	3.1	34.85	72.92	10.	4.2
2009	6	15	12	5	25.1	9.03	93.62	19.	5.4
2009	6	15	18	26	22.3	29.54	76.06	31.	2.8
2009	6	16	17	12	7.1	27.98	75.19	10.	2.6
2009	6	16	19	47	56.9	31.37	76.94	10.	2.6
2009	6	17	6	7	44.1	36.78	70.98	33.	3.8
2009	6	17	12	7	31.9	29.59	77.77	10.	3.7
2009	6	17	16	0	53.4	29.38	77.60	10.	2.4
2009	6	18	9	43	54.2	32.09	75.66	10.	2.5
2009	6	18	17	52	5.4	28.89	76.65	10.	2.6
2009	6	19	3	3	55.6	32.01	75.82	10.	2.4
2009	6	20	12	47	52.0	34.01	68.42	10.	4.1
2009	6	21	10	57	32.2	36.31	70.87	33.	3.6
2009	6	21	11	57	37.0	35.95	70.54	33.	3.5
2009	6	21	13	45	58.9	36.49	70.39	200.	4.3
2009	6	21	21	7	14.6	31.98	69.45	10.	4.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2009	6	22	13	1	51.6	29.44	80.11	10.	2.5
2009	6	22	21	4	51.4	29.70	79.60	15.	2.1
2009	6	22	22	44	27.8	12.36	94.81	64.	4.5
2009	6	22	23	10	3.5	12.14	95.04	15.	5.1
2009	6	22	23	16	30.0	12.18	94.79	12.	5.0
2009	6	23	4	29	5.7	37.07	71.63ट	33.	3.6
2009	6	24	2	5	15.3	28.90	76.90	10.	2.4
2009	6	24	7	32	48.0	37.34	71.25	33.	4.8
2009	6	24	10	57	13.0	36.18	69.66	33.	3.7
2009	6	25	1	30	6.2	29.64	70.27	10.	4.7
2009	6	25	8	27	5.5	34.20	75.08	10.	3.1
2009	6	26	1	31	33.0	36.76	71.47	33.	3.8
2009	6	26	3	22	10.1	32.76	74.46	10.	2.7
2009	6	26	9	52	14.5	33.61	69.90	33.	4.8
2009	6	28	1	30	48.5	31.92	75.26	9.	2.9
2009	6	28	12	41	19.3	32.65	76.35	10.	2.9
2009	6	28	14	26	21.2	28.96	82.56	10.	3.4
2009	6	29'	9	23	26.6	37.95	81.30	33.	3.9
2009	6	30	4	51	38..6	36.44	70.86	33.	4.2
2009	6	30	9	12	51.7	10.44	92.	35	33.4.6
2009	6	30	11	46	33..3	29.45	80.34	15.	3.3
2009	6	30	13	36	20..4	35.57	69.14	33.	4.1
2009	7	1	17	25	7.1	32.73	74.28	10.	3.2
2009	7	2	9	30	50.5	34.28	69.56	10.	4.1
2009	7	2	23	50	44.9	37.45	71.39	120.	4.8
2009	7	3	0	21	21.3	34.79	73.06	33.	3.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2009	7	3	18	26	34.6	37.53	71.06	33.	3.7
2009	7	3	19	18	37.3	35.72	69.45	33.	4.2
2009	7	4	17	3	23.4	37..25	71.09	33.	4.8
2009	7	5	7	22	19.6	31.30	77.24	10.	2.3
2009	7	5	9	45	40.8	36.66	70.61	196.	5.0
2009	7	5	19	32	18.4	31.33	75.65	10.	2.1
2009	7	5	20	44	43.3	37.13	78.51	33.	3.8
2009	7	6	2	56	39.9	33.38	68.88	33.	3.3
2009	7	7	0	1	55.7	17.32	73.76	10.	2.9
2009	7	7	10	50	23.2	20.81	82.90	16.	3.0
2009	7	8	18	9	45.7	27.25	75.38	10.	2.8
2009	7	8	22	5	19.6	34.78	69.01	33.	4.0
2009	7	9	1	39	49.7	33.93	74.41	10.	3.0
2009	7	9	2	31	53.4	31.44	77.28	10.	2.7
2009	7	9	21	49	6.9	36.87	70.89	120.	4.6
2009	7	10	15	0	8.1	34.47	72.86	10.	3.1
2009	7	10	21	41	5.5	34.11	68.81	33.	4.1
2009	7	11	2	30	46.0	30.94	73.13	10.	3.4
2009	7	11	8	51	55.3	22.31	94.36	10.	4.3
2009	7	12	16	2	15.6	28.10	87.83	39.	3.7
2009	7	13	1	58	47.0	34.83	73.06	10.	4.3
2009	7	13	7	39	6.0	26.41	89.60	12.	41
2009	7	14	23	53	2.1	36.80	80.49	15.	3.2
2009	7	15	0	55	30.6	30.59	76.25	10.	2.7
2009	7	15	1	43	28.9	34.75	72.61	10.	3.7
2009	7	16	2	1	34.1	32.50	76.71	9.	2.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2009	7	17	5	42	36.0	33.88	68.45	10.	3.6
2009	7	17	11	7	48.5	32.49	76.21	33.	4.6
2009	7	18	0	0	26.5	36.51	70.54	33.	4.1
2009	7	18	3	30	58.3	27.77	75.80	31.	3.2
2009	7	18	4	48	3.9	32.73	75.65	29.	3.3
2009	7	19	5	27	46.1	30.84	77.17	20.	2.4
2009	7	22	21	35	48.6	19.82	93.39	33.	4.2
2009	7	23	5	12	.3	32.11	76.29	10.	2.1
2009	7	24	2	33	37.1	36.50	71.39	33.	3.5
2009	7	24	3	11	55.7	31.16	86.04	10.	5.7
2009	7	24	12	39	52.2	31.22	86.04	10.	4.0
2009	7	25	15	7	13.7	36.09	78.32	33.	3.6
2009	7	25	15	59	35.1	36.77	70.99	33.	4.1
2009	7	25	23	28	4.5	28.49	77.20	26.	2.3
2009	7	26	7	40	13.0	10.72	94.41	10.	4.9
2009	7	26	8	11	16.2	10.79	94.33	10.	4.7
2009	7	26	8	20	2.6	36.88	70.55	33.	3.5
2009	7	26	8	40	55.1	10.66	94.39	10.	4.6
2009	7	26	9	40	21.1	10.65	94.44	10.	4.8
2009	7	26	10	14	15.6	10.89	94.44	10.	5.0
2009	7	26	10	42	25.8	10.68	94.33	10.	4.6
2009	7	26	10	58	2.1	10.78	94.43	10.	4.6
2009	7	26	11	18	49.9	10.73	94.56	10.	4.5
2009	7	26	11	55	44.6	10.62	94.11	10.	4.9
2009	7	26	12	34	32.4	10.72	94.40	10.	4.7
2009	7	26	12	48	34.9	10.83	94.51	10.	4.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2009	7	26	13	29	15.8	10.67	94.39	10.	5.1
2009	7	26	13	48	55.3	10.73	94.19	10.	4.7
2009	7	26	14	27	.1	10.53	94.53	10.	4.6
2009	7	26	14	49	23.4	10.64	94.35	10.	4.6
2009	7	26	14	58	14.8	10.68	94.29	10.	4.8
2009	7	26	15	26	57.3	10.78	94.29	10.	5.0
2009	7	26	15	51	1.8	10.70	94.39	10.	4.9
2009	7	26	17	1	4.5	10.64	94.32	10.	4.5
2009	7	26	17	11	30.0	10.80	94.37	10.	4.6
2009	7	26	17	47	54.8	10.74	94.34	10.	4.9
2009	7	26	19	45	8.6	10.75	94.18	10.	4.8
2009	7	26	21	49	20.9	10.57	94.22	10.	4.9
2009	7	27	29	13	.6	10.68	94.33	10.	4.6
2009	7	27	3	31	50.2	10.57	94.34	10.	4.7
2009	7	27	5	39	38.3	10.73	94.20	10.	4.5
2009	7	27	6	23	36.8	35.56	72.54	10.	5.1
2009	7	27	10	55	30.8	35.60	68.76	33.	3.8
2009	7	27	12	8	12.5	10.58	94.35	10.	4.8
2009	7	27	19	15	21.7	10.64	94.36	10.	4.5
2009	7	77	71	15	2.1	10.70	94.30	10.	4.6
2009	7	28	5	14	57.8	10.63	94.19	10.	5.1
2009	7	28	13	8	59.3	12.41	92.40	10.	4.5
2009	7	28	19	14	7.3	10.73	94.19	10.	4.8
2009	7	30	3	43	40.0	31.67	77.54	15.	3.6
2009	7	30	15	42	44.8	32.25	76.67	12.	3.2
2009	7	31	3	43	29.9	37.12	71.41	101.	4.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2009	7	31	21	18	13.9	36.34	71.33	33.	3.9
2009	8	1	16	27	37.8	36.67	71.26	33.	4.0
2009	8	1	18	49	57.5	22.30	79.69	10.	3.5
2009	8	2	10	42	41.6	12.19	92.18	11.	4.2
2009	8	2	20	34	48.0	34.86	73.13	10.	3.3
2009	8	3	19	28	31.4	36.17	70.31	33.	4.5
2009	8	3	20	22	47.5	32.54	73.73	15.	3.4
2009	8	3	22	51	25.5	31.37	77.30	10.	2.6
2009	8	5	2	58	43.4	22.60	93.21	15.	4.8
2009	8	5	9	42	28.8	36.12	69.63	33.	3.9
2009	8	6	13	41	46.6	35.75	69.70	33.	3.7
2009	8	6	19	22	1.8	32.06	76.19	10.	2.9
2009	8	6	23	44	25.0	33.18	75.50	10.	3.3
2009	8	7	11	25	8.2	32.33	76.42	10.	3.7
2009	8	7	17	52	51.8	36.42	77.66	10.	3.8
2009	8	8	0	59	29.1	36.15	72.73	10.	3.2
2009	8	8	6	22	33.5	37.08	71.21	33.	3.7
2009	8	8	11	56	24.6	36.23	70.89	33.	4.0
2009	8	8	20	9	22.3	36.20	69.97	33.	3.9
2009	8	9	4	2	.5	36.11	81.89	10.	4.8
2009	8	9	11	58	31.3	31.36	77.57	33.	2.8
2009	8	10	19	55	37.5	14.10	92.83	10.	6.9
2009	8	10	21	19	38.6	14.36	92.90	10.	4.6
2009	8	10	22	56	18.1	13.87	92.40	10.	4.2
2009	8	11	0	20	11.3	14.02	92.94	34.	4.6
2009	8	11	1	42	52.4	14.01	93.09	38.	4.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2009	8	11	4	38	.2	14.24	93.00	32.	4.3
2009	8	11	6	10	2.2	14.14	93.20	38.	4.6
2009	8	11	7	14	37.0	14.13	92.97	38.	45
2009	8	11	7	54	38.2	14.37	92.83	22.	4.8
2009	8	11	8	51	29.4	14.15	93.16	38.	4.6
2009	8	11	15	19	5.9	14.00	92.89	15.	4.4
2009	8	11	21	43	47.2	24.24	94.63	114.	5.3
2009	8	12	0	4	10.9	14.41	93.06	33.	4.2
2009	8	12	3	2	54.4	13.87	93.01	75.	4.4
2009	8	12	4	9	5.9	14.01	92.95	38.	3.9
2009	8	12	4	33	25.1	8.94	93.71	51	4.9
2009	8	12	23	6	30.6	29.59	79.66	10.	2.9
2009	8	13	0	54	47.8	14.14	92.95	15.	4.8
2009	8	13	9	21	34.8	14.12	92.65	13.	5.7
2009	8	13	14	43	39.7	14.28	93.23	41.	4.8
2009	8	13	18	53	29.7	36.06	77.11	33.	3.5
2009	8	13	19	5	34.0	35.40	71.81	10.	3.5
2009	8	13	20	40	7.3	30.90	78.07	10.	2.8
2009	8	13	20	49	32.9	13.89	92.80	44.	4.7
2009	8	14	14	46	7.1	36.69	70.25	33.	4.5
2009	8	14	19	39	51.2	13.99	93.07	38.	5.2
2009	8	16	13	23	39.7	31.38	77.12	10.	2.6
2009	8	17	21	27	58.6	13.94	92.83	44.	4.0
2009	8	18	5	37	56.9	14.13	92.87	39.	4.9
2009	8	18	20	36	32.6	34.98	70.25	33.	4.6
2009	8	19	10	5	42.1	31.85	78.43	10.	2.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2009	8	19	10	45	13.1	26.58	92.57	10.	5.1
2009	8	19	12	31	10.8	37.07	94.33	10.	4.8
2009	8	21	11	12	46.6	21.22	79.16	15.	1.9
2009	8	21	12	46	5.1	14.26	93.08	22.	4.4
2009	8	21	14	26	2.0	14.19	93.14	29.	4.9
2009	8	22	1	16	7.1	35.95	70.56	33.	4.4
2009	8	22	17	27	25.6	36.46	70.07	33.	4.3
2009	8	25	17	21	12.7	32.83	76.19	10.	3.0
2009	8	26	2	57	49.6	14.17	93.10	18.	4.9
2009	8	27	16	54	23.2	29.94	80.14	69.	4.0
2009	8	27	17	50	55.6	14.39	93.35	33.	4.3
2009	8	27	22	39	4.4	14.41	93.07	13.	4.6
2009	8	28	1	52	6	37.99	96.20	10.	6.2
2009	8	28	2	17	24.0	29.75	83.18	15	3.5
2009	8	28	4	28	36.1	37.90	96.29	10.	4.8
2009	8	28	10	47	30.2	36.49	71.08	33.	4.0
2009	8	28	16	28	36.9	37.87	96.02	10.	5.3
2009	8	29	18	43	52.6	37.60	95.57	10.	5.2
2009	8	30	2	20	13.9	37.85	80.04	33.	4.1
2009	8	30	17	15	47.2	37.97	95.74	10.	5.2
2009	8	30	19	27	47.5	25.34	95.05	87.	5.3
2009	8	31	10	15	32.8	37.50	95.59	10.	5.8
2009	8	31	10	41	31.0	14.31	92.84	15.	4.8
2009	8	31	17	45	11.7	34.64	77.47	33.	3.4
2009	8	31	21	51	42.0	37.36	95.56	10.	5.2
2009	8	31	22	27	53.0	37.30	95.98	10.	5.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2009	9	1	0	16	9.0	37.26	95.62	10.	5.0
2009	9	1	10	41	3.7	36.32	71.32	33.	4.0
2009	9	1	12	45	30.8	28.17	77.41	10.	2.7
2009	9	2	17	21	55.1	11.01	93.51	117.	4.7
2009	9	3	0	49	43.0	14.09	93.03	80.	4.2
2009	9	3	19	51	9.4	24.30	94.37	107.	5.6
2009	9	4	8	12	52.7	37.71	96.25	10.	4.4
2009	9	4	16	16	50.5	36.20	69.90	33.	4.6
2009	9	5	6	40	8.0	23.19	70.2.5	10.	4.1
2009	9	5	7	28	34.6	34.32	82.04	33.	3.8
2009	9	6	1	14	42.2	13.94	92.80	33.	4.6
2009	9	6	22	32	25.9	37.54	71.99	96.	4.3
2009	9	7	6	51	59.7	33.25	75.5	10.	3.2
2009	9	7	9	1	51.7	36.21	70.21	70.	4.7
2009	9	7	14	59	57.0	32.93	75.65	10.	3.1
2009	9	7	15	19	52.7	32.90	75.76	10.	3.1
2009	9	8	19	32	48.8	14.24	93.41	26.	4.3
2009	9	9	0	7	15.6	10.30	93.87	162.	4.6
2009	9	9	13	40	58.0	36.24	69.61	33.	4.0
2009	9	9	14	4	57.5	32.86	75.75	10.	3.0
2009	9	10	0	20	11.0	37.52	96.06	10.	5.2
2009	9	10	3	26	58.7	31.28	76.85	10.	3.3
2009	9	11	5	56	51.0	29.99	76.99	10.	2.7
2009	9	11	19	34	25.2	35.52	70.04	33.	3.8
2009	9	11'	23	43	14.1	34.45	73.13	10.	3.1
2009	9	12	4	43	26.7	8.56	94.01	15.	4.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2009	9	12	15	4	37.4	34.88	72.58	10.	3.7
2009	9	12	17	42	1.2	37.24	71.56	33.	4.0
2009	9	13	14	7	4.6	35.67	70.01	33.	4.4
2009	9	13	15	21	55.9	36.95	70.77	37.	4.1
2009	9	14	7	22	20.0	28.30	76.45	10.	2.6
2009	9	14	13	28	38.6	33.05	75.70	25.	3.0
2009	9	15	18	36	1.9	24.72	94.99	10.	4.4
2009	9	15	23	27	52.7	36.08	70.04	33.	4.4
2009	9	18	0	19	41.1	13.23	92.46	99.	3.9
2009	9	18	0	43	22.0	37.82	95.67	10.	4.8
2009	9	18	6	53	46.9	37.94	95.76	10.	5.0
2009	9	18	7	2	18.5	37.21	95.04	10.	5.1
2009	9	18	14	17	43.0	30.66	79.40	20.	3.0
2009	9	19	4	17	53.0	36.76	70.72	184.	5.0
2009	9	19	18	20	35.5	28.76	79.80	10.	3.8
2009	9	19	19	35	27.0	29.77	81.41	10.	2.7
2009	9	19	23	18	8.4	29.31	75.86	10.	2.4
2009	9	21	6	6	47.2	13.64	92.04	10	.4.4
2009	9	21	8	53	5.5	27.30	91.34	10.	6.1
2009	9	21	9	16	53.9	27.43	91.39	10.	4.6
2009	9	21	9	43	52.9	30.86	79.02	36.	5.0
2009	9	21	19	38	44.1	20.35	94.50	64.	5.7
2009	9	21	20	49	58.6	30.83	78.94	10.	2.5
2009	9	22	5	44	30.3	36.60	71.28	38	.4.9
2009	9	23	2	45	11.0	32.93	75.77	10.	2.4
2009	9	23	23	1	48.8	36.26	70.55	33.	4.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2009	9	25	1	14	36.6	24.95	96.42	99.	4.4
2009	9	25	22	40	7.2	32.98	75.74	10.	3.0
2009	9	26	8	23	26.9	35.13	73.31	10.	3.7
2009	9	26	14	32	9.6	27.78	76.65	10.	2.4
2009	9	26	19	51	18.8	29.64	82.04	10.	3.2
2009	9	28	2	43	25.1	35.85	95.80	33.	4.5
2009	9	29	6	1	15.3	30.60	83.45	10.5	5.0
2009	9	29	9	26	48.1	35.84	70.19	33.	4.0
2009	9	29	15	40	34.3	36.88	70.83	33.	4.1
2009	9	29	19	18	44.0	29.48	82.10	10.	3.3
2009	9	30	9	35	54.3	31.53	77.15	10.	2.6
2009	10	2	2	27	44.5	29.64	77.26	10.	2.9
2009	10	2	9	12	7.4	36.86	70.59	33.	4.0
2009	10	2	18	28	58.0	14.07	93.94	33.	4.6
2009	10	3	5	20	54.8	30.00	79.85	16.	4.8
2009	10	3	10	3	19.1	36.79	71.18	33.	4.2
2009	10	3	14	27	57.6	14.04	92.46	10.	4.2
2009	10	3	19	44	47.2	31.03	77.06	10.	2.8
2009	10	4	10	29	58.8	33.66	75.25	38.	3.0
2009	10	6	7	56	29.9	34.13	70.90	10	.4.2
2009	10	7	2	1	5.7	31.51	77.29	10.	3.0
2009	10	7	6	21	55.2	23.32	70.15	10.	3.1
2009	10	7	8	28	51.2	37.15	71.64	15.	4.0
2009	10	7	13	34	32.3	30.42	79.39	10.	2.9
2009	10	8	8	28	33.7	28.73	76.65	10.	2.6
2009	10	8	17	23	59.1	28.89	77.00	10.	2.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2009	10	8	23	29	14.3	37.52	73.50	33.	3.8
2009	10	9	13	20	42.1	26.98	74.28	10.	3.1
2009	10	10	9	12	29.9	31.62	74.37	10.	3.5
2009	10	10	23	29	24.8	13.90	92.44	10.	3.5
2009	10	11	18	26	12.0	23.22	94.06	90.	4.8
2009	10	13	10	0	2.2	37.05	71.24	33	.3.8
2009	10	14	17	27	19.0	36.06	78.28	33.	3.8
2009	1	14	23	4	52.3	10.89	91.67	10.	3.8
2009	10	15	7	30	38.7	35.77	70.02	33.	4.5
2009	10	15	13	27	45.3	36.83	70.63	86.	5.1
2009	10	16	19	29	14.1	35.04	92.11	10.	5.0
2009	10	17	8	56	35.7	37.19	71.83	33.	3.8
2009	10	18	7	0	41.4	28.52	75.62	10.	2.6
2009	10	19	17	51	22.8	34.69	69.25	33.	4.5
2009	10	19	19	0	55.8	31.37	86.21	10.	3.8
2009	10	20	8	20	4.8	16..88	95.75	10.	4.2
2009	10	20	9	28	42.4	11.77	95.17	10.	4.8
2009	10	20	19	21	17.5	30.58	80.02	10.	3.1
2009	10	20	23	44	8.3	30.84	78.00	10.	3.4
2009	10	22	3	3	28.0	35.01	83..07	33.	3.4
2009	10	22	8	47	41.3	36.15	69.82	33.	4.1
2009	10	22	11	52	56.5	35.23	69..96	33.	4.6
2009	10	22	19	51	23.9	36.51	70.61	152.	6.1
2009	10	23	14	31	2.7	35.24	69.29	33.	4.3
2009	10	23	17	22	11.4	36.33	70.13	33.	3.8
2009	10	25	1	23	10.6	30.30	80.39	10.	2.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2009	10	25	11	40	49.1	34.84	80.60	10.	5.0
2009	10	25	18	37	44.0	36.06	70.73	33.	3.8
2009	10	25	23	47	19.5	36.09	70.52	33.	3.5
2009	10	27	6	43	17.1	22.93	69.90	10.	3.2
2009	10	27	15	8	58.8	35.85	69.79	33.	4.6
2009	10	27	18	10	16.4	13.98	92.74	15.	4.4
2009	10	27	20	16	17.5	30.37	76.55	10.	3.0
2009	10	28	13	40	11.1	23.63	69.87	10.	4.4
2009	10	28	17	38	4.3	35.78	69.64	33.	5.0
2009	10	28	19	4	20.3	30.45	76.23	10.	2.6
2009	10	29	14	5	52.8	27.01	76.28	10.	2.6
2009	10	29	17	0	38.0	27.14	91.30	10.	5.3
2009	10	29	17	44	33.6	36.18	70.72	203.	5.9
2009	10	29	19	57	.6	26.30	89.97	10.	4.8
2009	10	29	21	5	16.3	8.07	91.90	10.	5.0
2009	10	29	21	14	51.6	35.39	69.62	33.	4.4
2009	10	30	4	29	9.3	29.61	84.75	10.	4.1
2009	10	30	6	42	56.6	34.31	69.56	10.	5.1
2009	10	31	15	54	26.8	31.86	76.90	10.	2.5
2009	11	1	8	50	31.2	30.16	82.09	10.	3.6
2009	11	2	16	13	38.0	27.52	88.75	10.	3.4
2009	11	2	21	35	45.1	14.13	93.05	10.	5.5
2009	11	4	6	6	25.1	36.82	71.29	33.	3.7
2009	11	4	21	56	8.4	37.55	95.95	10.	5.5
2009	11	6	2	26	10.2	13.12	92.36	10.4	4.5
2009	11	6	19	50	9.9	14.03	93.22	10.	4.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2009	11	6	20	58	13.8	26.34	92.01	10.	3.4
2009	11	7	0	41	35.8	37.78	72.57	33.	4.3
2009	11	7	20	8	45.9	29.66	85.90	10.	5.6
2009	11	7	23	0	35.0	26.85	89.27	33.	4.2
2009	11	8	19	29	36.4	30.15	82.16	10.	3.4
2009	11	9	22	31	16.5	35.31	69.52	33.	4.1
2009	11	10	2	48	44.5	8.08	91.95	10.	6.1
2009	11	10	13	55	51.6	31.09	76.79	10.	3.0
2009	11	13	17	37	24.4	37.10	71.46	33.	4.6
2009	11	13	21	8	53.6	32.26	73.03	10.	3.3
2009	11	14	13	3	34.9	17.14	73.75	10.	4.8
2009	11	14	13	34	35.05	17.17	73.83	10.	4.1
2009	11	15	4	37	33.4	37.39	80.36	10.	4.6
2009	11	17	0	12	51.1	33.25	76.44	15.	3.2
2009	11	17	1	11	2.5	37.22	71.72	33.	4.4
2009	11	17	8	57	10.4	35.06	83.17	38.	3.6
2009	11	17	17	39	36.5	27.91	92.99	33.	4.6
2009	11	17	21	18	52.7	35.34	69.46	10.	4.5
2009	11	18	0	49	3.7	27.79	90.36	25.	4.5
2009	11	18	8	27	8.8	35.26	69.ए40	33.	4.0
2009	11	20	0	44	7.4	36.23	69.94	33.	3.8
2009	11	20	3	58	31.6	33.44	75.78	38.	3.6
2009	11	20	7	16	59.9	30.60	83.40	10.	5.2
2009	11	21	13	26	34.0	35.94	68.44	33.	3.8
2009	11	22	5	24	3.1	35.68	69.45	33.	4.1
2009	11	22	9	56	35.4	28.95	82.42	10.	3.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2009	11	22	15	11	10.1	35.74	72.88	10.	4.5
2009	11	23	12	38	19.0	31.23	74.47	10.	3.0
2009	11	25	14	14	37.0	36.75	76.87	33.	3.9
2009	11	25	17	5	53.9	33.65	78.23	10.	3.5
2009	11	26	0	14	58.9	35.77	81.28	33.	4.4
2009	11	26	5	59	22.0	35.86	70.25	37.	4.3
2009	11	26	6	13	3.4	13.64	92.72	33.	5.1
2009	11	29	16	57	37.7	36.34	70.65	33.	3.8
2009	11	29	22	19	11.2	37.08	71.28	33.	3.7
2009	11	30	1	6	8.0	36.77	71.54	33.	4.1
2009	11	30	12	38	48.5	27.46	91.50	10.	4.4
2009	12	1	11	40	45.6	13.65	92.72	28.	5.4
2009	12	1	13	32	7.7	37.20	71.47	33.	4.1
2009	12	1	17	41	33.0	35.65	70.13	33.	4.2
2009	12	1	23	58	23.0	36.51	69.11	33.	3.8
2009	12	2	1	55	18.9	30.73	77.55	10.	2.8
2009	12	3	15	56	41.1	34.47	76.31	10.	3.1
2009	12	4	1	21	10.2	28.72	77.59	10.	2.5
2009	12	5	8	41	22.6	17.26	73.77	10.	3.2
2009	12	5	11	47	17.6	12.29	90.50	10.	4.1
2009	12	5	11	56	11.0	12.49	90.64	10.	3.8
2009	12	5	13	10	46.2	12.42	90.63	10.	3.9
2009	12	5	17	0	35.4	29.00	76.95	10.	2.2
2009	12	6	4	33	18.7	35.63	77.89	69.	5.3
2009	12	6	10	19	59.6	37.00	80.33	33.	4.1
2009	12	6	11	16	27.7	32.89	88.51	33.	4.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2009	12	7	18	40	2.0	36.92	71.39	33.	4.4
2009	12	7	22	16	34.0	14.14	93.41	33.	4.1
2009	12	8	7	5	20.3	30.36	80.31	10.	4.1
2009	12	10	16	18	57.1	36.06	76.36	10.	4.3
2009	12	11	11	20	54.6	27.71	77.13	10.	2.3
2009	12	11	14	3	10.9	14.30	80.53	28.	3.6
2009	12	11	16	22	17.4	20.97	92.53	33.	41
2009	12	12	11	51	25.4	17.14	73.81	10.	5.0
2009	12	12	16	25	41.6	17.19	73.72	10.	4.4
2009	12	12	21	55	2.9	17.19	73.79	10.	4.1
2009	12	13	8	12	4.4	35.78	70.49	33.	4.5
2009	12	13	14	24	57.2	22.00	91.83	10.	4.6
2009	12	13	14	41	56.2	22.14	91.67	10.	5.3
2009	12	14	16	33	24.5	32.94	83.17	10.	3.5
2009	12	15	0	20	44.5	27.50	75.91	10.	3.0
2009	12	15	23	12	14.9	30.09	80.13	10.	3.2
2009	12	16	5	25	56.1	17.22	73.66	10.	3.1
2009	12	16	5	27	3.3	17.22	73.78	10.	3.6
2009	12	16	6	13	.6	29.55	81.70	10.	4.2
2009	12	16	9	55	58.5	28.82	76.21	10.	2.5
2009	12	18	23	32	56.5	34.12	73.87	10.	3.6
2009	12	19	3	28	48.0	37.25	71.73	87.	4.3
2009	12	20	17	29	12.6	17.22	73.81	10.	2.8
2009	12	21	5	15	12..3	37.31	96.36	10.	5.3
2009	12	21	11	12	17.5	17.19	73.77	10.	2.9
2009	12	21	15	20	32.6	31.38	77.91	10.	3.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2009	12	21	23	15	47.9	36.13	70.40	37.	4.0
2009	12	22	18	26	55.9	36.24	70.98	33.	4.1
2009	12	23	3	49	29.8	17.18	73.78	10.	3.8
2009	12	23	6	3	2.5	31.47	77.18	10.	3.0
2009	12	25	5	51	35.4	36.10	70.53	81.	4.6
2009	12	25	12	45	28.2	37.95	77.36	10.	4.3
2009	12	26	0	23	38.3	14.14	92.82	27.	5.0
2009	12	27	17	18	45.6	14.31	92.96	10.	3.9
2009	12	28	0	34	1.4	32.40	76.48	10.	3.3
2009	12	28	2	15	11.4	30.19	83.77	10.	4.3
2009	12	28	6	55	20.0	33.29	77.40	10.	3.0
2009	12	29	9	1	52.0	24.37	94.57	70.	53
2009	12	29	13	33	15.9	35.23	73.10	10.	4.1
2009	12	29	21	51	55.8	22.88	69.80	10.	3.2
2009	12	31	9	57	27.8	27.43	91.60	10.	5.5
2009	12	31	20	51	13.0	36.30	70.71	33.	4.1
2010	1	1	2	22	25.1	30.44	83.71	10.	4.8
2010	1	1	2	42	50.2	29.15	80.61	10.	2.5
2010	1	3	17	47	5	35.40	70.36	33.	4.3
2010	1	3	20	5	7.1	32.91	78.85	15.	2.9
2010	1	4	0	19	46.4	35.40	69.59	33.	4.5
2010	1	5	0	52	32.3	34.01	70.82	10.	3.7
2010	1	5	3	16	40.0	36.36	70.49	33.	3.7
2010	1	5	14	28	12.1	32.83	85.64	33.	4.8
2010	1	5	15	4	31.7	30.00	79.97	10.	3.4
2010	1	6	5	36	31.4	36.56	71.01	33.	4.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010	1	6	6	59	60.0	37.20	71.53	33.	4.1
2010	1	7	22	19	51.7	33.98	79.01	15.	3.2
2010	1	9	0	15	53.8	26.96	75.45	10.	2.3
2010	1	10	17	0	39.9	26.02	76.01	10.	2.7
2010	1	11	3	38	42.0	14.27	93.11	33.	4.0
2010	1	11	5	15	18.0	29.82	80.36	10.	4.1
2010	1	11	6	11	8.1	33.51	75.44	19.	3.7
2010	1	11	16	7	7.1	35.74	70.13	67.	4.5
2010	1	11	19	42	44.6	30.89	77.88	10.	2.8
2010	1	11	23	15	13.3	31.31	73.25	10.	3.6
2010	1	12	9	25	29.3	17.18	73.64	10.	4.1
2010	1	12	10	46	56.4	36.14	78.01	33.	3.4
2010	1	13	10	17	55.6	28.88	77.64	10.	2.9
2010	1	15	0	52	45.9	35.88	70.44	33.	4.1
2010	1	16	6	31	29.0	14.19	93.07	30.	4.8
2010	1	16	15	42	30.9	27.80	76.44	10.	2.2
2010	1	17	19	9	52.7	35.78	70.41	33.	3.7
2010	1	18	5	58	32.0	32.83	76.68	10.	2.7
2010	1	19	0	3	8.8	20.72	94.68	96.	4.6
2010	1	19	4	36	13.5	34.79	72.68	10.	3.8
2010	1	19	7	17	50.0	34.74	71.50	10.	3.7
2010	1	19	20	45	54.6	32.35	76.76	10.	3.6
2010	1	20	13	44	40.4	10.88	91.75	10.	4.0
2010	1	21	4	36	23.3	36.01	70.04	33.	4.3
2010	1	22	22	8	5.3	35.38	69.88	33.	4.0
2010	1	23	16	7	42.3	36.57	71.24	85.	5.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010	1	24	5	57	47.3	30.92	90.58	10.	3.7
2010	1	25	17	0	44.3	21.56	76.93	10.	3.2
2010	1	26	6	51	20.1	29.72	80.55	33.	3.5
2010	1	26	16	46	6.5	17.24	73.79	10.	3.4
2010	1	26	21	20	50.1	33.87	71.58	15.	3.9
2010	1	27	5	19	43.3	36.79	70.43	33.	4.2
2010	1	27	12	10	14.4	30.44	78.43	10.	3.2
2010	1	27	17	37	11.1	35.81	68.73	10.	4.0
2010	1	28	4	44	6.2	34.33	73.40	10.	3.5
2010	1	29	5	40	44.6	35.82	69.94	33.	4.2
2010	1	29	9	41	2.4	29.17	77.01	10.	3.3
2010	1	30	8	18	7.8	28.96	76.45	10.	2.3
2010	1	30	16	39	27.1	12.92	92.10	10.	4.0
2010	1	30	21	37	36.1	37.09	70.92	63.	5.0
2010	1	31	0	42	54.5	32.76	76.04	10.	2.8
2010	2	1	5	38	46.7	28.15	75.96	15.	2.7
2010	2	2	5	54	53.8	10.82	91.97	15.	4.6
2010	2	2	14	35	49.4	30.52	76.03	10.	3.3
2010	2	3	5	17	11.2	28.70	76.77	10.	2.9
2010	2	5	3	52	7.4	36.14	70.13	33.	4.6
2010	2	5	12	17	1.2	27.59	76.30	10.	2.4
2010	2	5	15	14	37.7	23.64	70.16	10.	3.0
2010	2	7	4	55	53.0	36.19	70.30	33.	4.4
2010	2	7	20	4	32.6	29..49	81.41	10.	3.8
2010	2	10	18	2	36.2	14.07	93.05	32.	4.6
2010	2	13	0	31	29.5	8..68	92.14	31.	4.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010	2	14	6	58	50.6	34.73	68..75	10.	4.1
2010	2	14	14	10	23.1	35..80	70.58	33.4.	4.2
2010	2	16	4	14	25.2	14.05	92.87	33.	4.5
2010	2	16	7	7	52.4	14.05	92.90	33.	4.6
2010	2	16	10	5	49.0	36.34	70..84	33.	4.1
2010	2	16	20	57	55.6	27.96	92.88	25.	4.2
2010	2	16	22	10	12.9	37.31	71.62	33.	4.5
2010	2	18	16	57	5.5	34.22	72.61	10.	3.9
2010	2	19	2	15	29.9	13.01	93.44	82.	4.8
2010	2	19	16	14	55.0	30.61	83.87	33.	4.0
2010	2	20	7	47	59.1	36.16	70.86	33.	4.2
2010	2	20	21	7	26.7	23.22	94.55	87.	4.8
2010	2	21	7	9	20.2	36.20	69.74	33.	4.5
2010	2	21	8	9	40.8	28.54	76.23	10.	2.1
2010	2	22	1	3	30.9	29.98	69.64	10.	4.5
2010	2	22	1	51	35.3	35.76	70.14	33.	4.6
2010	2	22	11	51	2.8	36.70	82.62	33.	4.1
2010	2	22	14	57	45.7	32.29	82.93	10.	3.4
2010	2	22	17	23	46.5	29.93	80.07	10.	4.6
2010	2	23	6	55	45.4	26.28	93.03	33.	4.7
2010	2	23	12	13	26.2	35.44	91.18	10.	4.7
2010	2	23	19	29	24.7	34.92	69.96	10.	3.9
2010	2	24	4	36	36.9	35.99	69.97	33.	4.5
2010	2	24	13	6	45.8	32.20	76.26	10.	3.2
2010	2	24	15	18	43.3	29.07	80.52	10.	3.1
2010	2	24	19	20	52.7	28.58	76.97	10.	2.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010	2	25	0	49	57.5	28.33	77.39	10.	2.6
2010	2	25	3	51	46.0	14.27	93.25	10.	4.9
2010	2	25	12	18	41.8	34.50	83.25	33.	4.2
2010	2	25	14	6	20.1	29.57	81.75	33.	4.2
2010	2	25	16	56	32.9	36.46	69.68	33.	3.8
2010	2	25	22	26	32.4	27.21	88.28	10.	3.2.
2010	2	26	1	34	45.7	35.24	78.08	33.	3.7
2010	2	26	4	42	37.4	28.41	86.73	33.	5.4
2010	2	26	8	55	39.7	36.71	71.14	33.	4.6
2010	2	27	23	21	8.7	36.05	69.82	82.	5.7
2010	2	28	22	3	26.0	28.39	86.64	10.	4.1
2010	3	1	21	15	15.8	14.19	92.88	30.	4.6
2010	3	2	1	26	56.2	30.58	79.41	10.	2.7
2010	3	3	11	48	18.8	28.83	76.97	16.	2.3
2010	3	5	5	15	52.2	29.16	76.92	10.	2.7
2010	3	5	19	18	59.3	35.35	96.06	33.	4.8
2010	3	6	2	53	56.3	36.03	70.81	33.	4.4
2010	3	6	19	11	19.1	19.94	9601	33.	45
2010	3	7	0	27	5.1	27.59	74.68	10	2.7
2010	3	8	2	7	46.8	30.85	80.16	10.	2.5
2010	3	8	14	27	17.5	29.69	80.16	10.	3.1
2010	3	9	22	21	16.3	30.51	8400	33.	3.4
2010	3	10	14	32	23.4	36.31	86.47	10	4.6
2010	3	10	17	5	57.9	32.85	76.27	10.	3.6
2010	3	10	23	14	28.1	35.97	70.22	33.	4.3
2010	3	11	7	24	23.6	34.12	68.82	33.	4.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010	3	11	7	53	23.6	32.60	76.65	10.	3.0
2010	3	12	7	4	16.7	37.14	71.14	33.	4.0
2010	3	12	17	59	47.5	36.72	71.02	33.	3.7
2010	3	12	18	23	46.9	36.03	69.85	33.	4.1
2010	3	12	23	19	53.0	23.02	94.46	96.	5.5
2010	3	13	16	45	55.7	34.43	75.07	33.	4.6
2010	3	13	21	45	8.0	32.43	75.95	10.	3.1
2010	3	14	0	1	10.4	36.13	70.20	33.	4.1
2010	3	14	2	43	41.9	8.80	92.27	33.	4.7
2010	3	14	6	53	27.0	31.62	76.07	27	4.5
2010	3	14	19	9	22.0	34.94	73.85	33.	5.2
2010	3	15	8	9	8.5	28.89	76.64	10.	2.3
2010	3	15	20	17	22.7	30.51	82.14	10.	4.9
2010	3	15	20	23	14.8	30.69	82.07	10.	4.7
2010	3	16	5	23	25.6	29.21	77.22	10.	2.8
2010	3	16	22	44	2.0	31.71	78.06	10.	3.1
2010	3	17	15	40	50.4	33.65	79.97	10.	3.1
2010	3	17	21	5	51.5	34.59	82.38	10.	3.4
2010	3	18	7	52	40.3	34.10	81.82	10.	5.0
2010	3	18	10	25	28.5	36.11	70.61	33.	4.4
2010	3	20	20	15	33.5	13.97	92.87	33.	4.3
2010	3	20	23	26	6.5	30.35	80.30	10.	3.2
2010	3	21	7	49	38.4	24.94	95.53	91	4.3
2010	3	22	3	54	22.0	28.72	76.57	10	2.2
2010	3	23	6	25	33.1	30.74	80.01	10	3.2
2010	3	23	9	59	53.9	33.98	75.38	10	3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010	3	23	10	53	27.9	30.47	83.79	33	4.0
2010	3	23	17	46	44.1	28.66	76.62	10	2.8
2010	3	24	2	6	9.4	32.58	92.64	10.	5.5
2010	3	24	2	44	47.4	32.68	92.95	10.	5.6
2010	3	24	22	51	8.0	36.06	71.73	33.	4.4
2010	3	25	2	33	32.1	32.72	75.92	10.	3.5
2010	3	26	1	6	34.2	37.53	72.33	33.	4.1
2010	3	27	23	16	36.4	36.26	70.34	33.	4.1
2010	3	27	16	35	57.1	37.71	72.85	33.	4.0
2010	3	27	17	20	2.0	13.64	92.75	14.	4.0
2010	3	28	19	19	20.8	12.97	92.36	10.	3.9
2010	3	29	1	26	46.3	36.26	69.77	33.	4.0
2010	3	29	3	13	35.6	30.87	76.51	15.	2.7
2010	3	29	12	34	28.0	36.22	70.45	33.	4.1
2010	3	29	18	30	46.4	29.62	69.88	10.	4.2
2010	3	30	8	14	42.0	36.21	71.09	33.	4.0
2010	3	30	16	54	48.9	13.64	92.67	33.	6.4
2010	3	30	18	40	54.2	35.48	69.32	33.	4.1
2010	3	30	20	33	37.3	13.11	92.36	33.	4.3
2010	3	30	23	42	22.4	34.25	73.38	10.	3.3
2010	3	31	7	21	10.6	13.05	92.21	10.	4.1
2010	4	1	7	19	59.8	13.61	92.92	35.	4.9
2010	4	1	14	7	28.3	29.96	69.19	33.	5.0
2010	4	2	19	41	38.0	32.65	76.53	10.	3.7
2010	4	3	15	56	24.9	35.61	69.36	33.	3.8
2010	4	3	16	5	23.6	34.64	72.40	10.	3.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010	4	4	18	18	24.8	31.44	77.14	10.	2.7
2010	4	4	19	4	13.0	31.35	76.95	10.	2.6
2010	4	6	0	43	26.8	36.07	70.31	33.	4.1
2010	4	6	10	13	18.6	36.31	70.42	33.	4.2
2010	4	6	12	56	41.4	23.32	70.39	10.	.3.4
2010	4	7	7	5	51.2	27.79	76.62	10.	3.4
2010	4	8	22	41	31.6	36.45	77.75	33.	4.3
2010	4	9	8	10	47.2	34.85	69.75	33.	4.2
2010	4	9	12	59	6.0	28.19	82.96	33.	3.4
2010	4	9	17	56	2.7	35.77	68.93	33.	4.7
2010	4	10	12	26	19.7	32.97	76.23	10.	3.9
2010	4	10	19	56	53.4	33.05	76.25	10.	2.9
2010	4	11	5	36	13.0	36.63	71.23	33.	4.4
2010	4	11	14	0	35.7	36.54	68.97	33.	4.0
2010	4	12	0	37	46.1	34.11	69.47	33.	4.7
2010	4	12	16	1	42.0	36.34	70.46	33.	4.0
2010	4	13	14	8	18.9	30.27	81.31	10.	3.6
2010	4	13	21	39	56.1	33.26	96.87	10.	5.2
2010	4	13	23	49	37.9	33.17	96.53	10.	6.5
2010	4	14	1	25	14.9	33.22	96.45	10.	5.8
2010	4	14	6	19	24.2	27.55	82.80	10.	3.4
2010	4	15	8	12	8.4	28.93	76.93	23.	2.7
2010	4	15	9	7	59.7	30.24	76.75	10.	2.8
2010	4	15	18	30	19.0	33.28	96.49	10.	4.8
2010	4	15	20	22	40.8	18.69	74.31	10.	3.3
2010	4	16	19	49	25.2	30.81	77.97	10.	2.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010	4	17	0	58	59.5	32.48	92.68	33.	5.1
2010	4	18	16	14	48.4	36.03	71.11	33.	4.0
2010	4	19	13	54	6.6	11.02	93.86	155.	4.7
2010	4	19	22	33	4.0	31.36	75.03	10.	2.6
2010	4	20	4	34	48.4	31.76	71.76	10.	3.8
2010	4	20	7	40	44.6	34.69	72.96	10.	4.4
2010	4	21	9	43	24.1	36.48	71.03	33.	4.0
2010	4	21	17	31	27.2	29.83	86.01	10.	3.2
2010	4	21	23	54	32.8	36.23	71.24	33.	4.5
2010	4	23	0	2	27.6	35.83	77.79	33.	4.5
2010	4	23	5	27	27.6	31.85	76.00	10.	2.8
2010	4	24	21	16	45.8	37.31	71.25	33.	4.2
2010	4	26	8	27	37.8	35.74	69.81	10.	4.5
2010	4	26	10	37	41.7	35.34	75.29	10.	4.3
2010	4	27	14	20	37.5	24.19	93.71	33.	4.1
2010	4	28	16	48	41.4	33.06	96.31	33.	4.8
2010	4	28	18	1	21.6	19.40	93.12	33.	5.4
2010	4	28	18	54	40.4	24.24	94.27	33.	4.5
2010	4	29	3	5	54.2	37.57	80.19	10.	4.0
2010	4	30	3	57	6.1	36.85	70.54	33.	4.4
2010	5	1	8	35	2.4	37.69	71.46	33.	4.5
2010	5	1	21	18	58.2	13.62	92.64	33.	5.0
2010	5	1	22	36	27.1	29.91	80.10	18.	4.6
2010	5	2	5	53	44.5	13.58	92.53	24.	4.5
2010	5	3	9	50	27.8	32.14	76.48	10.	3.5
2010	5	3	17	15	9.4	30.31	78.31	15.	4.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010	5	4	15	35	32.5	36.17	70.17	33.	4.4
2010	5	5	9	31	10.6	14.24	92.85	20.	4.3
2010	5	5	13	47	20.6	35.73	70.30	33.	4.1
2010	5	6	10	28	57.2	33.27	70.70	33.	5.0
2010	5	7	5	39	29.5	25.16	92.36	10.	3.3
2010	5	7	9	23	53.5	13.66	92.65	33.	4.7
2010	5	7	17	58	37.2	9.38	92.83	33.	4.7
2010	5	9	3	15	3.1	26.57	96.37	10.	4.2
2010	5	10	13	55	34.2	33.10	77.00	33.	3.2
2010	5	11	6	31	32.3	36.47	70.68	33.	4.8
2010	5	11	7	17	3.7	37.39	71.43	33.	4.6
2010	5	11	20	15	2.4	36.05	69.12	33.	4.6
2010	5	11	21	57	28.3	34.67	80.24	33.	3.2
2010	5	13	0	19	32.0	14.04	92.43	33.	4.2
2010	5	13	8	47	4.6	29.09	77.61	10.	3.0
2010	5	13	12	54	50.3	36.45	70.85	33.	4.8
2010	5	13	15	8	1..5	36.18	70.55	33.	4.0
2010	5	14	7	59	36..3	37.19	81.66	33.	4.2
2010	5	14	8	40	37.6	31.36	76.86	10.	3.3
2010	5	14	11	31	31.1	14.06	92.72	33.	4.2
2010	[illegible]	14	14	46	29.8	29.58	90.15	10.	5.0
2010	5	14	16	59	18.0	14.06	92.87	33.	4.4
2010	5	16	8	55	47.2	14.40	93.06	33.	5.3
2010	5	16	20	48	35.1	36.23	70.08	33.	4.5
2010	5	17	9	19	12.0	14.22	93.24	33.	4.2
2010	5	18	16	50	18.8	33.36	75.36	10.	3.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010	5	19	7	39	45.6	37.54	72.61	33.	4.3
2010	5	22	8	14	57.3	35.98	69.68	33.	4.7
2010	5	22	17	34	4.1	26.86	74.40	10.	2.5
2010	5	25	0	51	58.7	11.25	92.06	33.	4.5
2010	5	26	2	22	20.5	32.02	76.92	10.	2.9
2010	5	28	7	25	5.6	31.09	77.78	10.	4.5
2010	5	28	10	15	45.6	27.96	75.56	10.	2.4
2010	5	29	2	29	46.4	33.25	96.32	10.	5.5
2010	5	30	10	2	13.9	35.53	77.55	10.	3.7
2010	5	30	10	19	27.2	36.80	70.18	33.	4.3
2010	5	30	13	53	48.1	36.01	70.54	33.	4.7
2010	5	30	23	54	19.3	37.29	69.23	33.	4.3
2010	5	31	0	22	15.4	37.57	69.45	33.	4.5
2010	5	31	11	37	2.0	29.95	79.98	10.	3.6
2010	5	31	19	51	46.2	11.23	93.92	105.	6.1
2010	6	1	3	54	26.1	25.07	96.25	33.	4.5
2010	6	1	13	33	56.9	24.15	94.83	33.	4.3
2010	6	1	15	13	9.1	34.66	81.04	10.	4.3
2010	6	1	17	9	53.0	29.43	69.95	10	.4.6
2010	6	1	17	40	7.7	26.26	74.56	10.	2.7
2010	6	2	0	56	16.4	36.23	76.05	33.	4.1
2010	6	2	3	30	5.2	31.56	76.82	18.	3.1
2010	6	2	8	5	20.2	31.61	80.52	33.	4.0
2010	6	2	18	6	4.4	28.71	76.64	10.	2.6
2010	6	3	5	35	44.1	33.28	96.07	10.	5.2
2010	6	3	5	47	2.0	33.12	95.98	10.	4.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010	6	3	8	24	31.9	36.47	70.45	33.	4.1
2010	6	3	20	47	4.8	33.38	96.02	10.	4.8
2010	6	3	22	31	12.4	36.29	77.33	10.	4.4
2010	6	4	11	49	37.7	36.53	69.88	183.	5.1
2010	6	4	11	58	5.7	33.34	75.32	33.	3.5
2010	6	6	9	0	51.4	36.10	69.70	79.	4.3
2010	6	6	12	58	42.6	35.96	70.24	33.	4.1
2010	6	6	16	42	43.1	33.66	96.33	33.	4.6
2010	6	7	12	4	1.7	35.85	69.58	33.	4.2
2010	6	7	17	12	34.2	28.83	77.32	10.	3.2
2010	6	8	7	30	22.3	37.49	71.69	33.	4.3
2010	6	8	11	46	51.3	28.53	79.59	10.	2.7
2010	6	9	16	1	9.9	35.60	68.93	33.	4.3
2010	6	12	9	42	44.7	30.97	78.06	10.	2.9
2010	6	12	11	24	46.3	37.34	71.50	33.	3.9
2010	6	12	19	0	3.0	36.02	70.87	33.	4.1
2010	6	12	22	58	2.6	8.22	92.27	33.	4.8
2010	6	13	2	50	35.3	8.03	92.05	10.	4.8
2010	6	13	14	10	54.0	36.30	70.93	33.	4.5
2010	6	13	14	31	52.5	29.33	81.40	10.	4.3
2010	6	13	14	38	.3	29.94	81.56	10.	4.0
2010	6	14	16	55	44.7	29.28	80.28	10.	2.9
2010	6	15	8	8	39.8	33.13	95.68.	33.	4.5
2010	6	16	0	12	21.2	35.95	69.75	33.	4.5
2010	6	16	7	50	45.5	11.02	92.70	33.	4.7
2010	6	16	11	17	39.4	36.57	71.28	33.	4.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010	6	17	12	48	55.1	29.88	80.71	10.	3.2
2010	6	17	16	27	35.4	29.91	80.76	10.	2.9
2010	6	18	5	15	22.2	34.04	73.29	10.	3.7
2010	6	18	23	9	32.6	13.29	92.82	10.	6.1
2010	6	19	9	23	38.5	27.89	76.49	10.	3.0
2010	6	19	12	58	29.6	37.51	71.47	33.	4.7
2010	6	19	14	42	4.3	37.15	71.28	33.	4.4
2010	6	20	2	10	33.4	8.11	92.08	10.	4.3
2010	6	20	9	36	4.2	36.24	70.50	33.	4.2
2010	6	21	8	42	19.1	32.77	75.99	10.	3.4
2010	6	22	15	42	20.2	30.05	79.65	33.	2.8
2010	6	22	23	14	10.2	29.74	80..53	10.	4.8
2010	6	23	4	51	50.0	37.27	71.97	96.	4.3
2010	6	23	10	1	48.8	37.19	71.53	33.	4.5
2010	6	24	23	48	30.7	36.40	70.91	33.	4.7
2010	6	27	9	43	52.0	14.04	95.34	33.	4.7
2010	6	27	14	58	9.1	36.91	71.28	33.	4.5
2010	6	28	3	30	14.8	35.43	70.21	33.	4.4
2010	6	29	8	5	10.7	36.75	69.87	33.	4.6
2010	6	30	2	9	25.6	36.63	70.62	33.	4.3
2010	7	1	2	12	30.1	36.35	70.24	33.	4.7
2010	7	2	13	35	15.0	37.65	74.21	33.	4.4
2010	7	2	18	23	8.0	10.19	92.10	13.	5.4
2010	7	4	2	35	58.9	29.77	80.54	10.	4.5
2010	7	5	2	4	9.0	30.95	80.53	10.	4.7
2010	7	5	10	48	41.2	18.43	76.84	16.	2.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010	7	5	14	54	11.3	34.38	73.43	15.	3.9
2010	7	5	15	31	10.0	32.59	74.26	10.	3.6
2010	7	6	19	8	23.4	29.80	80.53	10.	4.7
2010	7	7	16	52	3.7	18.12	76.66	10.	2.9
2010	7	7	23	44	11.9	31.23	80.66	10.	3.4
2010	7	8	13	47	.8	14.44	93.04	33.	5.3
2010	7	8	19	6	32.0	32.35	75.59	10.	3.9
2010	7	9	2	8	40.8	11.29	93.48	90.	4.3
2010	7	9	16	52	44.1	27.92	76.43	10.2	2.4
2010	7	9	18	25	7.4	35.17	68.87	27.	4.0
2010	7	10	3	16	19.3	30.01	79.62	10	.4.4
2010	7	10	5	49	13.9	27.78	80.60	10.	2.6
2010	7	10	10	15	45.4	29.17	87.02	33.	4.7
2010	7	10	16	49	21.6	31.72	77.33	10.	4.0
2010	7	11	1	26	44.0	30.36	79.44	10	3.5
2010	7	11	13	40	16.7	32.81	76.25	10.	3.3
2010	7	11	19	22	40.7	36.34	70.72	33.	4.4
2010	7	14	12	30	8.8	36.20	70.31	33.	4.2
2010	7	15	15	35	5.3	36.39	70.08	96.	4.5
2010	7	16	23	31	34.5	35.74	70.15	33	.4.5
2010	7	17	1	53	38.8	32.98	73.97	10.	3.5
2010	7	18	1	54	42.5	29.79	70.00	10.	4.5
2010	7	18	11	49	16.5	30.07	79.79	10.	2.9
2010	7	19	0	29	49.5	36.42	70.94	33.	4.1.
2010	7	20	8	31	.9	28.76	77.02	10.	2.4
2010	7	20	16	52	35.6	36.64	70.89	33	.4.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010	7	21	0	38	45.5	35.83	70.58	33.	4.2
2010	7	21	2	57	16.8	27.58	91.29	10.	4.2
2010	7	21	4	59	41.4	36.37	70.87	33.	4.0
2010	7	21	6	23	18.1	36.60	70.74	33.	4.3
2010	7	21	22	19	42.4	31.50	77.50	10.	2.7
2010	7	22	6	20	27.5	10.92	91.83	33.	4.4
2010	7	22	12	43	15.7	33.78	69.92	33.	3.3
2010	7	23	8	48	31.4	28.52	75.35	10.	2.1
2010	7	24	19	8	57.8	36.46	70.81	33.	4.4
2010	7	25	6	25	14.0	10.91	91.81	33.	4.0
2010	7	25	13	6	18.8	30.19	78.53	10.	3.1
2010	7	25	20	37	29.4	36.13	70.15	33.	4.2
2010	7	26	6	19	13.6	33.68	73.54	15.	3.6
2010	7	26	15	24	49.1	36.42	69.79	33.	4.7
2010	7	26	19	13	27.5	26.43	91..32	33.	4.1
2010	7	26	22	58	10.7	36..04	70.49	33.	4.0
2010	7	27	10	14	23.6	30..17	95.00	33.	4.8
2010	7	27	19	38	15.5	32.05	70.63	33.	4.2
2010	7	28	3	55	40.9	36.53	70.00	33.	4.6
2010	7	29	6	38	4.4	36..28	70.83	33.	4.2
2010	7	29	12	10	6.8	30.24	94..75	33.	4.7
2010	7	30	1	4	32.0	30.31	94.83	10.	4.6
2010	7	30	18	3	36.8	30.49	94..83	33.	4.6
2010	7	30	23	57	27.0	36.12	78.16	33.	3.9
2010	7	31	23	34	50.6	36.23	69.64	96.	4.7
2010	8	2	12	12	46.9	35.78	70.15	33.	4.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010	8	2	18	36	20.8	32.82	69.28	33.	4.0
2010	8	3	1	48	12.3	11.02	93.27	79.	5.0
2010	8	5	6	8	49.3	36.55	70.32	33.	4.7
2010	8	5	18	14	17.8	26.47	97.08	33.	4.3
2010	8	5	18	17	46.0	26.33	97.20	33.	4.6
2010	8	5	22	14	32.9	35.20	70.52	96.	4.2
2010	8	6	12	0	43.4	31.32	80.71	10.	3.5
2010	8	6	16	10	40.3	32.77	77.94	38.	3.1
2010	8	6	20	25	28.2	22.95	93.70	72.	4.2
2010	8	7	7	39	33.6	17.14	73.46	10.	3.4
2010	8	8	18	13	43.8	31.35	74.47	10.	3.6
2010	8	9	2	54	51.5	30.30	94.60	33.	4.9
2010	8	9	7	14	47.5	30.03	94.54	33.	4.4
2010	8	9	22	21	46.2	13.70	92.72	31.	5.3
2010	8	10	14	4	17.9	30.32	94.31	33.	4.7
2010	8	11	23	55	19.7	23.50	70.31	10.	3.9
2010	8	13	17	11	7.9	31.37	77.74	10.	3.4
2010	8	14	8	51	5.5	30.83	76.75	10.	2.7
2010	8	14	14	15	49.4	35.50	69.21	33.	4.5
2010	8	15	2	21	42.1	35.63	70.08	96.	4.4
2010	8	15	6	8	53.7	26.42	74.34	10.	4.0
2010	8	16	19	36	45.5	19.34	73.79	10.	2.5
2010	8	17	1	39	28.7	11.47	94.89	10.	5.2
2010	8	17	8	42	7.0	37.13	71.71	33.	4.3
2010	8	17	18	31	9.0	35.02	81.53	33.	4.3
2010	8	19	10	38	12.8	31.38	78.61	10	3.1
2010	8	19	22	19	16.7	11.28	95.23	10.	5.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010	8	20	20	52	27.1	37.97	76.09	33.	3.7
2010	8	20	21	21	13.0	35.04	69.05	33.	4.2
2010	8	21	15	2	35.5	32.79	76.85	10.	3.5
2010	8	21	21	52	7.1	37.38	71.79	33.	4.2
2010	8	22	7	16	25.4	35.94	72.44	33.	4.0
2010	8	23	2	11	22.1	23.38	70.39	10.	3.7
2010	8	24	8	34	15.7	36.64	71.08	202.	5.1
2010	8	24	18	25	7.8	36.38	70.32	33	.4.4
2010	8	25	18	21	26.0	23.61	70.23	10.	3.2
2010	8	25	22	2	50.2	37.97	72.65	33.	4.3
2010	8	26	4	4	36.5	10.20	93.60	10.	4.0
2010	8	26	16	56	43.7	35.99	69.75	33.	4.4
2010	8	27	14	6	34.6	28.80	77.54	10.	2.7
2010	8	27	14	42	48.9	36.19	72.7	33.	4.1
2010	8	27	15	24	58.9	36.68	69.11	33.	4.8
2010	8	27	15	42	8.9	10.94	92.01	33.	4.3
2010	8	28	11	19	27.4	36.15	69.97	33.	5.1
2010	8	29	18	31	12.4	33.13	76.07	10.	3.8
2010	8	30	7	22	29.0	37.16	71.30	96.30	4.6
2010	8	30	9	39	29.0	25.37	94.76	96.	4.7
2010	8	30	15	45	12.5	29.02	77.22	10.	2.9
2010	8	30	15	47	24.0	[illegible]9.04	77.29	10.	2.9
2010	8	30	16	4	58.9	36.49	71.04	33.	4.6
2010	8	31	5	55	50.8	17.18	73.80	10.	3.7
2010	8	31	16	49	25.5	25.51	68.08	10.	4.7
2010	9	2	0	16	38.6	12.89	92.50	10.	5.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010	9	2	3	9	9.2	23.65	71.96	10.	4.1
2010	9	2	9	30	32.9	28.39	75.31	10.	2.8
2010	9	2	16	12	45..8	8.51	91.88	34.	4.4
2010	9	3	22	10	28..3	33.87	85.52	33.	4.1
2010	9	5	17	58	37..3	35.73	69.74	33.	4.4
2010	9	6	7	51	36.1	31.51	69.79	10.	3.7
2010	9	7	7	31	58.7	36..51	71.17	33.	4.1
2010	9	7	20	50	56.6	33.30	96.33	10.	5.0
2010	9	8	1	58	8.5	33.47	96.45	10.	4.3
2010	9	8	6	. 10	4	36.23	71.03	33.	3.8
2010	9	9	1	0	4.9	36.13	71.12	33.	3.7
2010	9	9	22	38	39.3	28..64	76.93	12.	2.3
2010	9	10	3	51	37.3	37.71	73.33	33.	4.2
2010	9	10	17	24	16.6	23..51	90.61	10.	4.7
2010	9	11	3	10	39.9	33.83	75.10	33.	4.6
2010	9	11	7	2	7.9	25.92	90.23	10.	4.6
2010	9	12	0	56	34.4	33.53	74.13	10.	3.7
2010	9	12	7	51	17.6	32.04	80.81	15.	3.0
2010	9	12	18	24	52.5	34.87	69.08	33.	4.0
2010	9	13	13	5	33.7	32.87	69.47	10.	4.1
2010	9	13	19	14	7.0	32.78	69.85	10.	4.5
2010	9	13	19	23	13.0	33.03	69.29	10.	4.4
2010	9	17	19	21	3.8	36.88	70.40	135.	6.0
2010	9	17	23	30	8.7	34.81	73.55	10.	3.8
2010	9	18	7	3	5.3	29.77	71.09	10.	3.6
2010	9	18	22	5	53.3	31.47	74.98	10.	3.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010	9	19	4	12	35.8	35.95	69.95	33.	4.1
2010	9	19	11	10	18.1	11.18	95.06	10.	4.9
2010	9	19	17	26	21.9	23.61	70.46	10.	3.0
2010	9	21	8	36	7.0	33.85	75.08	10.	3.6
2010	9	24	18	45	5.5	33.06	79.20	10.	3.0
2010	9	24	19	19	56.4	30.58	73.08	10.	2.9
2010	9	25	7	37	5.0	36.67	71.00	33.	4.6
2010	9	26	22	30	40.3	37.01	71.03	33.	4.6
2010	9	27	4	36	54.2	12.41	92.61	33	.4.6
2010	9	28	18	15	53.7	29.83	80.05	19.	3.2
2010	9	29	8	3	27.8	36.19	70.11	33.	4.8
2010	9	29	15	28	46.8	17.18	73.68	10.	3.8
2010	9	30	5	48	45.6	29.01	77.32	10.	2.3
2010	10	3	2	58	10.0	14.11	92.98	18.	4.7
2010	10	4	3	40	23.9	33.88	77.75	10.	3.1
2010	10	4	7	20	56.0	36.08	69.61	33.	4.4
2010	10	5	13	44	5.4	37.44	71.65	33.	3.9
2010	10	6	2	55	11.4	31.67	76.38	10.	3.3
2010	10	6	17	49	42.5	29.67	69.47	10.	5.1
2010	10	7	9	11	13.8	33.13	90.22	33.	4.6
2010	10	10	21	44	19.7	34.23	72.71	33.	5.1
2010	10	12	10	14	6.3	36.97	71.29	33.	4.5
2010	10	12	17	36	26.9	37.07	72.81	33.	3.5
2010	10	14	22	41	51.3	28.50	79.89	39.	2.8
2010	10	15	5	59	15.4	36.51	70.47	33.	4.1
2010	10	16	1	47	42.9	34.52	68.94	33.	3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010	10	17	5	32	31.3	10.81	91.15	10.	4.8
2010	10	17	10	15	12.1	13.04	92.38	33.	4.9
2010	10	17	20	11	21.6	28.55	85.68	33.	4.9
2010	10	18	4	26	54.3	28.48	85.69	33.	4.1
2010	10	19	5	42	28.4	32.10	84.30	10.	3.4
2010	10	21	8	4	48.0	36.46	69.87	33.	4.2
2010	10	10	22	74	56.6	28.69	76.59	10.	2.4
2010	10	24	21	7	58.6	26.16	69.97	10.	38
2010	10	28	3	59	39.9	36.4	70.85	161.	5.2
2010	10	28	15	55	11.1	36.20	70.30	33.	4.7
2010	10	29	1	25	38.5	35.00	ध3.62	33.	3.9
2010	10	29	7	11	.4	36.59	70.21	33.	3.8
2010	10	31	14	39	21.6	30.88	78.05	10.	2.4
2010	10	31	15	12	35.4	32.95	82.90	33.	3.1
2010	10	31	19	3	54.3	37.98	73.82	33.	4.1
2010	11	1	21	26	40.7	33.27	71.72	10.	3.5
2010	11	2	21	30	2.2	36.67	70.83	33.	5.1
2010	11	3	11	52	49.9	35..11	69.66	33.	4.2
2010	11	3	14	33	36.4	28..72	76.53	10.	2.4
2010	11	3	22	38	17.2	29..73	80.56	10.	2.9
2010	11	4	9	31	6.1	37.27	71.74	33.	3.7
2010	11	4	15	50	31.2	31.24	82.46	10.	3.0
2010	11	4	20	23	33.7	31.35	77.21	28.	2.7
2010	11	6	6	9	11.6	37.34	71.75	96.	4.5
2010	11	6	15	7	30.7	36.33	71.28	33.	3.9
2010	11	7	3	40	17.8	34.59	73.88	33.	4.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010	11	9	21	19	24.6	36.66	70.41	96.	4.8
2010	11	9	22	46	21.0	25.22	73.72	10.	4.7
2010	11	10	20	40	56.2	36.77	70.52	232.	4.6
2010	11	12	18	20	26.8	21.24	70.32	10.	2.8
2010	11	14	20	3	45.5	36.10	71.57	33.	4.5
2010	11	15	0	29	24.1	14.07	93.72	33.	4.9
2010	11	15	0	51	47.2	35.02	69.85	33.	5.2
2010	11	15	22	3	26.6	37.77	72..12	33.	4.3
2010	11	16	0	12	50.2	34.44	69..88	33.	4.3
2010	11	16	11	42	7.9	17.32	73.71	10.	3.4
2010	11	17	4	37	9.1	28.72	94.52	34.	4.5
2010	11	22	10	0	33.9	30.83	78.15	10.	2.6
2010	11	23	19	4	28.5	36.26	70.64	33.	4.5
2010	11	25	14	5	31.6	28.49	82.89	10.	4.0
2010	11	25	17	14	11.3	32.00	78.10	10.	2.9
2010	11	26	7	25	13.0	37.07	70.87	33.	4.3
2010	11	27	6	27	17.2	27.78	75.53	10.	2.8
2010	11	27	11	16	1.2	36.49	70.72	33.	3.8
2010	11	27	14	34	24.7	19.39	95.31	33.	4.5
2010	11	28	1	40	14.8	36.32	71.00	33.	3.9
2010	11	29	9	2	7.5	28.37	76.23	22.	2.0
2010	11	29	18	13	43.5	32.43	70.26	10.	4.3
2010	11	30	8	39	54.0	30.14	90.53	10.	5.4
2010	12	1	9	24	23.6	34.66	69.68	33	.3.3
2010	12	3	14	59	4.5	36.81	71.24	33.	3.8
2010	12	5	2	31	18.2	36.47	70.11	33.	3.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010	12	9	15	46	56.5	13.12	92.51	22.	4.9
2010	12	9	23	17	32.7	31.54	70.03	10.	5.1
2010	12	11	15	34	27.7	30.27	69.34	10.	5.1
2010	12	12	1	40	2.5	24.89	93.49	33	.4.8
2010	12	12	12	53	.2	32.31	69.53	10.	5.0
2010	12	13	9	15	1.8	29.00	76.59	10.	2.3
2010	12	13	16	11	21.6	27.56	76.10	10.	2.4
2010	12	14	14	42	9.6	34.97	81.98	10.	3.1
2010	12	14	23	56	44.7	27.34	77.07	10.	3.2
2010	12	16	20	36	36.2	28.28	75.93	10.	2.0
2010	12	17	12	14	50.7	30.17	80.86	10.	2.8
2010	12	18	5	57	57.0	31.46	77.15	10.	2.6
2010	12	19	7	22	52.5	36.54	70.5	148.	4.7
2010	12	20	10	50	27.7	36.40	70.66	124.	4.6
2010	12	24	7	54	49..0	36.33	70..33	33.	3.8
2010	12	24	15	36	28.5	29.67	80.63	10.	2.8
2010	12	25	22	14	17.2	23.12	70.34	10.	2.8
2010	12	26	4	41	52..5	31.46	75.74	10.	2.5
2010	12	26	4	58	22.0	36.42	71.02	33.	4.0
2010	12	26	5	36	52.5	28.93	76.27	10.	2.2
2010	12	26	5	47	16.5	24.90	85.79	15.	3.1
2010	12	27	8	7	53.0	33.37	68.05	33.	3.5
2010	12	29	14	3	57.7	26.13	92.18	10.	3.6
2010	12	29	18	30	56.7	30.97	86.82	10.	5.2
2010	12	29	18	39	11.1	30.85	86.78	10.	4.2
2010	12	29	19	1	33.2	30.71	86.41	10.	4.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2011	1	1	17	36	11.1	14.38	93.17	33.	4.8
2011	1	1	20	17	50.9	36.38	70.49	33.	4.5
2011	1	2	3	36	13.1	35.96	68.16	33.	5.0
2011	1	2	6	23	57.5	36.42	68.65	33.	4.5
2011	1	3	14	43	30.0	37.37	69.24	33.	4.5
2011	1	3	17	46	5.5	36.60	69.16	33.	4.6
2011	1	4	15	1	2.4	36.53	69.18	33.	4.1
2011	1	5	22	23	23.2	28.91	76.73	10.	2.0
2011	1	6	20	26	9.3	29.65	77.54	8.	2.3
2011	1	6	21	10	59.5	35.13	68.78	33.	4.4
2011	1	8	15	10	11.1	23.30	70.35	10.	3.1
2011	1	14	19	19	8.8	37.47	71.84	107.	4.4
2011	1	16	9	27	27.8	36.72	70.14	33.	4.2
2011	1	16	12	50	51.7	28.76	76.98	10.	2.3
2011	1	17	7	21	37.4	30.97	78.35	10.	2.7
2011	1	18	2	15	43.7	24.85	94.97	33.	4.7
2011	1	18	6	47	43.0	27.74	83.08	10.	3.3
2011	1	18	6	47	37.4	26.40	81.80	10.	3.3
2011	1	18	23	14	36.7	36.22	70.49	33.	4.6
2011	1	21	13	46	27.1	29.36	69.18	10.	4.0
2011	1	24	16	36	9.3	34.27	74.71	10.	2.9
2011	1	26	3	6	45.0	29.06	77.21	10.	3.2
2011	1	26	20	47	10.5	30.84	78.15	10.	3.5
2011	1	27	22	40	5.5	24.27	94.37	55.	4.6
2011	1	31	4	11	52.2	35.73	69.88	33.	4.3
2011	1	31	5	29	52.5	26.88	75.65	10.	2.4
2011	1	31	9	38	40.2	37.08	71.45	33.	4.3

(ख) फरवरी 2011 से 15 मार्च, 2012

	दिनांक		समय (यूटीसी)			अक्षांश	देशांतर	गहराई	परिणाम
दिन	माह	वर्ष	घंटा	मि.	से.	डिग्री उ.	डिग्री पू.	कि.मी.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	02	2011	08	52	44	23.7	91.8	10	3.8
01	02	2011	13	39	56	11.3	93.8	33	5.3
04	02	2011	13	53	39	24.8	94.6	72	6.4
05	02	2011	13	57	37	16.5	7	5	3.1
08	02	2011	07	23	14	22.5	79.6	12	3.5
09	02	2011	04	36	38	36.1	73.6	15	5.0
10	02	2011	19	27	23	09.2	92.4	45	4.4
12	02	2011	10	22	40	23.5	91.0	10	4.0
13	02	2011	00	12	05	14.2	92.9	10	4.6
13	02	2011	16	42	11	22.7	94.5	91	4.2
13	02	2011	17	51	21	27.4	86.8	15	4.5
16	02	2011	10	55	25	10.3	9.7	20	4.8
18	02	2011	14	44	14	28.6	77.3	05	2.3
22	02	2011	22	57	27	24.4	94.4	83	4.1
26	02	2011	15	40	08	27.5	75.6	10	3.0
09	03	2011	13	57	26	8.7	92.4	33	5.0
09	03	2011	02	33	48	00.8	97.5	37	5.2
19	03	2011	12	42	38	13.1	92.4	3	4.8
21	03	2011	09	48	59	36.5	70.9	166	5.7
23	03	2011	05	55	53	36.3	76.6	57	5.2
24	03	2011	13	55	14	20.01	99.9	33	6.7
04	04	2011	11	31	40	29.6	80.8	10	5.7
16	04	2011	03	42	24	18.1	76.6	10	2.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	04	2011	17	00	40	22.5	92.5	70	4.3
28	04	2011	09	53	07	33.3	96.6	10	3.8
29	04	2011	02	39	16	25.9	74.7	10	3.8
29	04	2011	08	56	49	25.9	94.7	10	4.3
04	05	2011	20	57	15	4.2	95.9	57	5.7
11	05	2011	17	07	17	30.2	80.4	10	5.0
13	05	2011	13	06	08	18.2	76.7	5	2.8
13	05	2011	14	41	01	32.4	76.4	9	3.4
17	05	2011	16	00	45	30.5	78.4	5	2.9
18	05	2011	01	07	19	23.5	70.4	15	3.5
24	05	2011	03	14	21	10.7	77.0	5	3.0
29	05	2011	00	05	37	25.2	92.4	20	3.4
09	06	2011	07	24	34	28.0	76.5	8	3.3
09	06	2011	09	51	00	23.7	89.7	10	4.1
13	06	2011	15	47	59	14.2	93.0	8	4.7
14	06	2011	00	59	27	25.7	91.4	10	2.9
20	06	2011	06	27	18	30.6	80.1	10	3.4
23	06	2011	12	39	39	30.6	79.3	12	4.6
23	06	2011	22	34	46	23.9	91.7	30	4.2
04	07	2011	09	44	02	30.0	80.4	5	3.7
01	07	2011	21	45	33	29.9	79.3	14	3.4
07	07	2011	16	49	37	25.5	39.0	10	3.6
12	07	2011	01	41	06	29.4	94.4	33	3.7
14	07	2011	15	17	41	29.6	80.4	5	3.1
16	07	2011	09	36	49	17.2	73.8	28	3.2
22	07	2011	00	58	57	09.9	92.7	10	4.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	07	2011	07	39	17	24.7	92.0	15	3.9
26	07	2011	08	45	56	09.6	76.6	15	3.5
27	07	2011	03	17	16	09.7	76.8	15	3.2
28	07	2011	17	53	40	36.3	69.6	140	5.1
28	07	2011	18	42	34	25.3	88.6	18	4.5
04	08	2011	19	00	38	33.3	76.0	21	4.4
09	08	2011	03	33	48	28.9	76.9	10	2.2
10	08	2011	00	53	20	22.8	86.5	5	3.4
12	08	2011	06	06	32	27.7	65.1	10	5.8
13	08	2011	02	59	14	11.1	79.1	33	3.5
14	08	2011	15	53	51	23.3	70.2	33	4.0
23	08	2011	01	23	00	23.5	70.4	15	2.9
26	08	2011	20	32	41	33.1	76.9	40	4.8
28	08	2011	08	01	47	36.5	70.8	200	5.4
28	08	2011	08	54	03	25.9	69.8	15	3.5
29	08	2011	15	41	07	30.9	78.5	7	2.8
04	09	2011	20	52	51	30.9	78.5	7	2.8
05	09	2011	17	55	12	30.9	78.5	7	2.8
07	09	2011	17	58	18	25.2	94.3	20	4.2
11	09	2011	14	33	46	03.0	97.8	52	6.5
18	09	2011	12	40	47	28.6	77.0	8	4.2
18	09	2011	13	11	59	23.3	70.2	5	3.4
18	09	2011	13	54	17	7.7	88.2	10	6.8
18	09	2011	21	51	52	27.06	88.4	9	4.2
19	09	2011	00	52	03	18.0	76.7	05	3.9
21	09	2011	02	24	36	30.9	78.3	10	3.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	09	2011	14	17	35	23.7	94.9	128	4.8
22	09	2011	16	44	43	27.6	88.4	30	3.9
23	09	2011	13	23	21	24.4	93.8	33	4.5
24	09	2011	14	32	18	30.9	78.3	10	3.0
24	09	2011	15	21	35	34.1	75.2	42	4.3
27	09	2011	11	02	59	36.7	76.7	84	4.9
28	09	2011	14	39	26	10.9	94.5	10	4.7
01	10	2011	04	22	15	13.0	95.8	10	5.0
11	10	2011	06	34	28	28.3	94.1	5	3.6
11	10	2011	13	40	24	13.9	93.8	10	4.9
12	10	2011	10	27	25	28.2	76.0	6	3.5
13	10	2011	19	32	54	24.0	91.5	10	3.7
17	10	2011	13	04	50	27.3	88.4	5	3.5
19	10	2011	18	53	45	16.5	79.0	7	3.6
20	10	2011	17	18	34	21.2	70.7	10	5.3
21	10	2011	14	40	32	24.8	94.0	36	4.5
26	10	2011	16	17	32	31.5	76.8	5	3.5
29	10	2011	00	43	41	27.4	88.4	5	3.5
30	10	2011	13	38	55	26.9	92.3	5	3.6
05	11	2011	02	32	05	21.4	85.8	10	3.7
06	11	2011	18	34	44	30.6	80.3	10	3.8
07	11	2011	11	59	30	36.6	71.1	205	6.0
08	11	2011	12	41	33	26.3	90.6	15	3.7
08	11	2011	13	37	29	24.7	94.2	60	3.7
11	11	2011	09	57	32	26.7	89.4	15	3.8
12	11	2011	07	01	51	21.1	70.5	10	4.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	11	2011	10	18	40	11.3	93.7	33	4.5
18	11	2011	00	15	35	09.8	77.1	5	3.1
20	11	2011	10	29	17	30.4	78.7	33	3.2
21	11	2011	03	15	33	25.1	95.3	80	5.8
24	11	2011	19	09	22	28.8	77.0	10	2.5
25	11	2011	21	44	59	9.7	76.9	10	3.2
02	12	2011	19	37	49	07.9	94.0	40	5.4
05	12	2011	05	59	09	12.6	93.2	33	4.5
06	12	2011	01	22	24	12.3	92.0	10	4.8
08	12	2011	01	48	34	28.5	77.0	05	2.6
09	12	2011	22	56	56	27.9	88.2	33	3.7
12	12	2011	07	16	13	27.3	92.6	33	3.4
13	12	2011	01	26	43	27.3	88.6	5	2.9
13	12	2011	15	09	12	25.2	91.5	20	3.5
14	12	2011	20	20	55	27.7	88.0	50	4.5
14	12	2011	23	55	25	30.5	79.3	5	3.2
15	12	2011	13	26	44	25.7	94.1	10	3.4
16	12	2011	15	12	42	07.9	94.2	33	4.6
16	12	2011	15	47	25	8.0	94.3	33	4.8
18	12	2011	19	05	35	24.1	94.3	70	3.5
18	12	2011	21	35	25	28.0	88.2	35	3.7
26	12	2011	08	35	43	36.4	70.8	150	5.0
27	12	2011	03	25	51	07.4	93.1	35	4.8
30	12	2011	15	14	01	26.5	92.8	10	3.6
01	01	2012	02	35	19	23.5	91.8	12	4.2
03	01	2012	17	32	28	07.8	92.2	26	4.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	01	2012	16	31	24	33.7	75.0	10	4.0
11	01	2012	22	23	19	25.3	94.7	10	4.0
16	01	2010	05	01	00	29.7	78.9	10	3.6
18	01	2010	14	12	52	27.3	88.5	5	3.4
20	01	2012	21	28	42	09.7	92.5	10	4.3
28	01	2012	23	24	52	28.8	76.7	10	3.5
29	01	2012	21	37	05	28.8	76.8	10	3.2
30	01	2012	22	58	02	07.9.	94.0	10	4.3
09	02	2012	19	17	29	30.9	78.2	10	5.0
10	02	2012	15	45	16	26.6	93.7	10	44
14	02	2012	13	48	43	27.3	88.2	05	3.6
15	02	2012	18	31	53	06.3	52.9	10	5.0
20	02	2012	13	59	24	35.8	79.7	10	4.9
20	02	2012	14	18	05	35.8	70.8	10	5.0
25	02	2012	08	45	56	26.3	88.7	33	3.8
25	02	2012	15	55	31	24.7	93.7	36	4.5
26	02	2012	23	08	42	29.6	80.8	10	4.3
01	03	2012	17	52	40	13.1	92.5	10	5.0
02	03	2012	12	41	35	07.5	94.0	5	4.8
05	03	2012	07	41	03	28.7	76.7	10	4.9
06	03	2012	02	52	42	08.9	93.9	10	5.0
06	03	2012	02	59	42	08.7	93.8	47	4.9
07	03	2012	13	18	19	32.1	78.1	20	3.8
10	03	2012	18	06	33	08.8	94.0	18	4.5
10	03	2012	20	58	04	09.2	94.3	10	46
12	03	2012	06	06	44	36.8	73.4	33	58
12	03	2012	22	07	20	28.9	77.3	5	3.5
15	03	2012	14	56	00	10.8	93.9	20	4.8

[अनुवाद]

विनियंत्रित उर्वरकों पर राजसहायता

***136. श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी:**
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान गौण उर्वरकों तथा सूक्ष्म-पोषक तत्वों सहित फॉस्फेटिक (पी) और पोटाशिक (के) जैसे विनियंत्रित उर्वरकों पर राजसहायता में कटौती कर उर्वरक राजसहायता बिल में कमी लाने का विचार है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या राजसहायता में कटौती करने से विनियंत्रित उर्वरकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) उर्वरक विभाग नियंत्रणमुक्त फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए 1.4.2010 से पोषक तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके अंतर्गत सरकार पोषक-तत्वों नामत: नाइट्रोजन 'एन', फास्फेट 'पी' पोटाश 'के' और सल्फर 'एस' पर वार्षिक आधार पर प्रति कि. ग्रा. राजसहायता की घोषणा करती है। इन दरों की घोषणा पीएण्डेके उर्वरकों के प्रत्याशित अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों, अमेरिकी डालर की तुलना में भारतीय राष्ट्रीय रुपए की प्रचलित विनिमय दर, पीएण्डके उर्वरकों के प्रचलित घरेलू मूल्यों, मालसूची स्तर आदि सहित सभी संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए अनुमोदित दरें इस प्रकार हैं:

पोषक-तत्व	एनबीएस दरें (प्रति कि.ग्रा. में) 2011-12	2012-13
एन	27.153	24.000
पी	32.338	21.804
के	26.756	26.756
एस	1.677	1.677

सूक्ष्म पोषक-तत्वों नामत: बोरोन और जिंक से पुष्ट/लेपित पीएण्डके उर्वरकों पर दी जा रही मौजूदा अतिरिक्त राजसहायता को वर्ष 2012-13 में जारी रखे जाने का प्रस्ताव किया गया है।

वर्ष 2012-13 के लिए अनुमोदित दरों के आधार पर गणना की गई पीएण्डके उर्वरकों की आकलित आवश्यकता पर पीएण्डके उर्वरकों की संभावित कुल राजसहायता लगभग 40664 करोड़ रुपए होगी। वर्ष 2011-12 की एनबीएस दरों पर उर्वरकों की इस मात्रा पर राजसहायता 52936 करोड़ रुपए होगी।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। यदि वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पीएण्डके उर्वरकों के मूल्य और विनिमय दर संभावित स्तरों पर रहते हैं तो वर्ष 2012-13 के लिए एनबीएस की घटी हुई दर का देश में उर्वरकों के मूल्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा, पीएण्डके उर्वरकों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों और विनिमय दर में कोई अनुकूल गतिविधि होती है तो इसके परिणामस्वरुप पीएण्डके उर्वरकों की एमआरपी में कमी हो सकती है।

महिला यात्रियों के प्रति अपराध

***137. श्री एंटो एंटोनी:**
श्री आर. थामराईसेलवन:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को केरल और देश के अन्य भागों में स्थानीय रेलगाडियों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा संबंधी कतिपय मामलों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्र-वार जानकारी में आये ऐसे मामलों की संख्या कितनी थी और उन पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) यात्री गाडियों में डकैती और अपराध विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने हेतु रेलवे द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे का रेलगाडियों में सुरक्षा बढ़ाने हेतु राज्य सरकारों, विशेषरूप से केरल राज्य सरकार से सहायता मांगने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री मुकुल राय): (क) और (ख) जी हां। भारतीय रेलों और केरल राज्य में चलती गाडियों में महिलाओं और बच्चों के

प्रति बलात्कार, हत्या, लूटपाट, छेड़छाड़ और अन्य अपराधों के मामलों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। संबंधित राज्य की राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा मामले दर्ज किए जाते हैं और फिर इनकी जांच की जाती है और उनके द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाता है।

(ग) से (ङ) रेलों में पुलिस व्यवस्था राज्य का विषय है। अत: अपराधों की रोकथाम करना, मामले दर्ज करना और रेलवे परिसरों के साथ-साथ चलती गाडियों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों की सांविधिक जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी का निर्वहन वे संबंधित राज्य की राजकीय रेलवे पुलिस के माध्यम से करते हैं। इस प्रकार, जब भी रेलवे में कोई अपराध का मामला सूचित किया जाता है तो राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा इसे दर्ज करके इसकी जांच की जाती है।

रेलवे, यात्रियों के साथ-साथ रेलवे प्रणाली की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ नियमित समन्वय बनाए रखती है। यात्री गाडियों और रेलों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए महाप्रबंधक/रेलवे सुरक्षा बलों के मुख्य सुरक्षा आयुक्तों, मंडल रेल प्रबंधकों/वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्तों द्वारा राजकीय रेलवे पुलिस के साथ नियमित समन्वय बैठके आयोजित की जा रही हैं। दक्षिण रेलवे ने केरल सरकार से महिला यात्रियों के प्रति अपराधों पर ध्यान देने और गाडियों में चौकसी बढ़ाने का अनुरोध किया है क्योंकि राजकीय रेलवे पुलिस यात्रा कर रहे यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली एजेंसी है।

विवरण

महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध

(क) केरल राज्य में

राज्य	वर्ष	महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों के संबंध में सूचित किए गए मामलों की संख्या			
		बलात्कार	हत्या	लूटपाट	दुर्व्यवहार/छेड़छाड़ और अन्य अपराध
केरल	2009	0	0	0	17
	2010	0	0	0	16
	2011	0	1	0	38

(ख) जोनल रेलों में

राज्य	वर्ष	महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों के संबंध में सूचित किए गए मामलों की संख्या			
		बलात्कार	हत्या	लूटपाट	दुर्व्यवहार/छेड़छाड़ और अन्य अपराध
1	2	3	4	5	6
मध्य	2009	2	3	7	10
	2010	0	2	7	17
	2011	3	4	15	11

1	2	3	4	5	6
पूर्व	2009	0	0	7	3
	2010	0	1	10	11
	2011	0	0	1	11
पूर्व मध्य	2009	1	1	1	5
	2010	1	1	.1	20
	2011	1	2	0	7
पूर्व तट	2009	0	0	0	9
	2010	0	0	0	12
	2011	1	0	2	14
उत्तर	2009	3	6	0	253
	2010	2	8	13	179
	2011	1	5	16	162
उत्तर मध्य	2009	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0
	2011	0	0	0	1
पूर्वोत्तर	2009	1	1	1	3
	2010	1	0	5	3
	2011	2	0	6	3
पूर्वोत्तर सीमा	2009	0	0	0	2
	2010	0	0	0	2
	2011	0	0	0	4
उत्तर पश्चिम	2009	0	1	0	54
	2010	1	2	1	55
	2011	2	1	0	55

1	2	3	4	5	6
दक्षिण	2009	0	1	23	25
	2010	1	0	50	22
	2011	2	2	16	56
दक्षिण मध्य	2009	0	3	1	1
	2010	1	0	9	5
	2011	0	3	1	7
दक्षिण पूर्व	2009	0	0	6	1
	2010	0	1	2	1
	2011	1	0	7	3
दक्षिण पूर्व	2009	0	0	1	0
मध्य	2010	0	0	2	0
	2011	0	0	1	0
दक्षिण पश्चिम	2009	0	1	14	0
	2010	0	2	11	0
	2011	0	1	11	0
पश्चिम	2009	0	3	2	9
	2010	0	2	7	9
	2011	0	3	4	12
पश्चिम मध्य	2009	1	1	16	27
	2010	3	0	2	16
	2011	2	2	32	16
कुल	2009	8	21	79	402
	2010	10	19	120	352
	2011	15	23	112	362

यात्री सुविधाएं/सुख सुविधाएं

*138. **श्री ए. सम्पत:**
श्री पन्ना लाल पुनिया:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे स्टेशनों पर और रेलगाडियों में विभिन्न यात्री सुविधाएं प्रदान करने संबंधी वर्तमान मानदंड क्या हैं;

(ख) रेलवे स्टेशनों पर और रेलगाडियों में यात्री सुविधाओं/सुख-सुविधाओं जैसे पेयजल, स्टेशनों तक सम्पर्क सड़कों की स्थिति सुधारने तथा स्वच्छ शौचालयों की निगरानी की क्या व्यवस्था है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ जोन-वार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई और कितनी उपयोग में लाई गई;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान स्टेशनों पर और रेलगाडियों में सेवाओं में कमी संबंधी रेलवे को प्राप्त शिकायतों की जोन-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) ऐसी शिकायतों पर रेलवे द्वारा जोन-वार क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई?

रेल मंत्री (श्री मुकुल राय): रेलवे स्टेशनों की यात्री यातायात से होने वाली आमदनी के आधार पर सात श्रणियों ('ए-1' और 'ए' से 'एफ') में वर्गीकृत किया गया है। स्टेशनों पर सुविधाएं स्टेशन की प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार मुहैया कराई जाती है।

यात्री सवारी डिब्बों में भारतीय रेलों पर सवारी डिब्बों की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। सुख-सुविधाएं मौटे तौर पर निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार मुहैया कराई जाती हैं;

- मेनलाइन के सभी सवारीडिब्बों में गद्देदार सीटें/शायिकाएं, फ्लूरिशसेंट लाइटें, पंखे, शौचालय और वॉशबेसिन सुविधाएं इत्यादि।
- सभी आरक्षित सवारीडिब्बों में आइनें, स्नैक टेबल, मैंगजीन बैग, वाटर बॉटल होल्डर, कोट हुक, मोबाइल/लैपाटॉप चार्जिंग सॉकेट इत्यादि।
- सभी वातानुकूलति सवारीडिब्बों में गलियारों/खिड़कियों के लिए पर्दे, बर्थ रीडिंग लाइट और इस्टबिन इत्यादि।

(ख) अपर महाप्रबंधक (क्षेत्रीय स्तर पर) और अपर मंडल रेल प्रबंधक (मंडल स्तर पर) द्वारा स्टेशनों और गाडियों में पेयजल और स्वच्छ शौचालयों और स्टेशनों को जोड़ने वाले पहुंच मार्गो सहित अन्य सुख-सुविधाओं की व्यवस्था और अनुरक्षण की निगरानी की जाती हैं। सुख-सुविधाओं की जांच करने और यात्री सुख-सुविधाओं की खामियों/कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने के लिए विभिन्न स्तरों पर सेवा सुधार समूह बनाए जाते हैं। निर्धारित अनुरक्षण के दौरान सवारीडिब्बों में यात्री सुख-सुविधाओं की निगरानी की जा रही है। इसके अलावा, अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर निरंतर जांच भी की जा रही है।

(ग) उन्नयन/आधुनिकीकरण से जुड़े कार्यो और रेलवे स्टेशनों पर मुहैया कराई गई विभिन्न यात्री सुख-सुविधाओं में सुधार के कार्य मुख्य रूप से योजना-शीर्ष 'यात्री सुख-सुविधाएं' के अंतर्गत किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान, योजना शीर्ष 'यात्री सुख-सुविधाएं' के अंतर्गत आवंटित निधियों और किए गए खर्च का जोनवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) विभिन्न स्टेशनों और गाडियों में अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया कराने के संबंध में आम जनता और जन प्रतिनिधियों से विभिन्न स्तरों पर बड़ी संख्या में सुझाव/शिकायतें प्राप्त की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, कुछेक यात्री सेवाओं/सुविधाओं के खराब रखरखाव जैसे पानी उपलब्ध न होना, स्टेशनों पर साफ-सफाई, सवारीडिब्बों का अनुरक्षण/सफाई, बिजली के उपस्करों का काम न करना, शयनयान श्रेणी से संबंधित शिकायतें और बेडरोल्स की अनुपलब्धता/खराब गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों का जोनवार ब्यौरा सलंग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) जोनल रेलों द्वारा प्राप्त शिकायतों के संबंध में निम्नलिखित सुधारात्मक कार्रवाई की गई है-

(i) अधिकारियों और सेवा सुधार समूहों के निरीक्षणों के दौरान जहां कहीं भी सेवाओं में कमी ध्यान में आती है उनमें सुधार करने के लिए सभी क्षेत्रीय रेलों द्वारा मौजूदा यात्री सुख-सुविधाओं की वार्षिक समीक्षा की जाती है।

(ii) लापरवाह पाए गए कर्मचारियों की काउंसलिंग की जाती है, उन्हें चेतावनी दी जाती है और/या उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।

(iii) स्टेशनों और सवारीडिब्बों की साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिए नियमित अभियान चलाए जाते हैं।

(iv) हालांकि रेलवे का प्रयास यथा संभव ज्यादा से ज्यादा सुझावों पर अमल करने का रहता हैं, फिर भी संभलाई किए जा रहे यातायात की मात्रा, स्टेशन के सापेक्ष महत्व और संसाधनों की उपलब्धता पर विचार करते हुए कार्य शुरु किए जाते हैं।

(v) जोनल रेलवे को अपने वार्षिक निर्माण कार्यक्रमों को तैयार करते समय ऐसे सभी सुझावों परर विचार करने के निर्देश दिए गए हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, योजना शीर्ष 'यात्री सुख-सुविधाएं' के अंतर्गत आवंटित निधियों और किए गए व्यय का जोनवार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

रेलवे	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
	*आवंटन	**व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य	53.34	70.00	73.05	82.78	72.42	65.01	47.55	47.12
पूर्व	58.88	70.24	150.15	122.71	184.22	157.71	103.69	108.71
पूर्व मध्य	31.55	23.29	24.04	31.26	57.61	38.72	39.02	30.92
पूर्व तट	23.54	29.24	32.89	31.14	23.09	25.70	18.48	16.29
उत्तर	79.09	94.01	87.25	80.36	128.45	121.52	69.94	63.27
उत्तर मध्य	27.97	26.60	39.02	37.70	44.52	32.68	46.02	41.08
पूर्वोत्तर	15.15	21.07	24.25	25.57	21.42	23.77	17.63	13.79
पूर्वोत्तर सीमा	33.36	34.45	37.11	35.84	55.68	59.13	47.11	52.62
उत्तर पश्चिम	26.58	21.88	20.62	20.23	23.53	18.41	13.96	13.89
दक्षिण	79.67	90.81	71.08	80.73	80.78	61.90	58.98	49.78
दक्षिण मध्य	147.95	171.14	160.76	155.53	106.18	110.47	81.46	90.77
दक्षिण पूर्व	19.23	21.51	37.20	33.54	67.12	66.19	40.00	34.32
दक्षिण पूर्व मध्य	15.04	12.15	18.09	15.75	19.54	22.60	44.13	39.15
दक्षिण पश्चिम	30.90	43.11	36.02	36.37	20.04	12.56	32.98	27.72
पश्चिम	62.66	75.63	80.20	90.10	53.97	60.69	61.98	54.81
पश्चिम मध्य	22.59	20.27	25.42	23.83	27.05	26.82	26.98	22.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मेट्रो	3.96	02.12	5.75	02.77	11.68	06.93	12.50	8.76
जोड़	731.46	827.52	922.91	906.21	997.30	910.81	762.41	715.23

*आवंटन

**व्यय

***जनवरी, 2012 तक व्यय (लगभग)।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान, कुछेक यात्री सेवाओं/सुविधाओं के खराब रखरखाव जैसे पानी उपलब्ध न होना, स्टेशनों पर साफ-सफाई, सवारीडिब्बों का अनुरक्षण/सफाई, बिजली के उपस्करों का काम न करना, शयनयान श्रेणी से संबंधित शिकायतें और बेडरोल्स की अनुपलब्धता/खराब गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों का जोनवार ब्यौरा

रेलवे	2008-09	2009-10	2010-11
मध्य	738	780	592
पूर्व	173	240	494
पूर्व मध्य	172	325	328
पूर्व तट	481	700	611
उत्तर	2277	516	216
उत्तर मध्य	111	139	142
पूर्वोत्तर	128	115	101
पूर्वोत्तर सीमा	98	173	293
उत्तर पश्चिम	135	187	92
दक्षिण	352	348	310
दक्षिण मध्य	135	171	243
दक्षिण पूर्व	187	254	184
दक्षिण पूर्व मध्य	123	342	216
दक्षिण पश्चिम	61	81	94
पश्चिम	775	765	513
पश्चिम मध्य	92	156	92
जोड़	6038	5292	4521

[हिन्दी]

लघु सिंचाई योजनाएं

***139. श्री दारा सिंह चौहान: क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने में लघु सिंचाई योजनाएं कारगर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(घ) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी लघु सिंचाई योजनाएं स्वीकृत की गई; और

(ङ) इन्हें कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी हां, लघु सिंचाई स्कीमें देश के उन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार में भी प्रभावी होंगी जहां वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं व्यवहार्य नहीं है, विशेष तौर पर विशेष श्रेणी राज्यों अर्थात पूर्वोत्तर क्षेत्र, पर्वतीय राज्यों नामत: हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं काश्मीर, उत्तराखंड और ओडिशा के अविभाजित कोरापुट, बोलंगीर और कालाहांडी अर्थात केबीके जिलों और जनजातीय एवं सूखा प्रवण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाले गैर-विशेष श्रेणी राज्यों की परियोजनाएं।

(ख) 11वीं योजना के पहले तीन वर्षो के दौरान लघु सिंचाई क्षमता का सृजन 2.707 मिलियन हेक्टेयर का है जोकि औसतन प्रति वर्ष 0.902 मिलियन हेक्टेयर का है जबकि 9वीं योजना के दौरान इसका वार्षिक औसत 0.64 मिलियन हेक्टेयर था।

(ग) पिछने तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान लघु सिंचाई स्कीमों के लिए अनुमोदित परिव्यय का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(घ) और (ङ) लघु सिंचाई स्कीमों की आयोजना, अन्वेषण एवं कार्यान्वयन, राज्य सरकारों द्वारा स्वयं उनकी प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है और इस संबंध में आंकड़े भी केवल उनके द्वारा रखे जाते हैं तथापि, चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान 22.03.2012 तक एआईबीपी के अंतर्गत कुल 7144 सतही लघु सिंचाई स्कीमें शुरू की गई हैं। राज्य सरकारों ने यह सूचित किया है कि इनमें से 3176 लघु सिंचाई स्कीमें पूरी ली गई हैं और शेष 3968 लघु सिंचाई स्कीमें एआईबीपी के अंतर्गत शामिल किए जाने के वर्ष बाद 2 वर्षों में पूरा किए जाने का का लक्ष्य है। चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान 16.3.2012 तक एआईबीपी के अंतर्गत शुरू की गई सतही लघु सिंचाई स्कीमों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान लघु सिंचाई स्कीमों के लिए अनुमोदित परिव्यय का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य द्वारा अनुमोदित परिव्यय (रुपए करोड़ में)				
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1646.26	1553.75	2027.43	2563.58	7791.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	39.02	37.00	72.75	74.07	222.84
3.	असम	30.77	32.29	139.20	192.46	394.72
4.	बिहार	150.00	177.78	222.71	255.46	805.95
5.	छत्तीसगढ़	108.31	470.23	69.94	758.36	1406.84
6.	गोवा	55.13	55.63	59.96	69.06	239.78

1	2	3	4	5	6	7
7.	गुजरात	796.87	926.73	986.45	1140.52	3850.57
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	140.63	137.13	141.48	161.89	581.13
10.	जम्मू और कश्मीर	113.68	196.07	152.32	209.82	671.89
11.	झारखंड	100.00	80.00	50.00	648.70	878.7
12.	कर्नाटक	789.31	7.74	828.15	956.76	2581.96
13.	केरल	70.55	68.02	78.24	75.33	292.14
14.	मध्य प्रदेश	609.06	573.20	691.67	694.03	2567.96
15.	महाराष्ट्र	498.27	1011.61	809.72	1310.85	3630.45
16.	मणिपुर	55.64	62.22	62.82	63.42	244.1
17.	मेघालय	37.00	49.00	86.00	101.55	273.55
18.	मिजोरम	27.50	58.05	62.50	78.40	226.45
19.	नागालैंड	64.17	100.78	143.34	141.63	449.92
20.	ओडिशा	188.94	241.71	355.15	592.40	1378.2
21.	पंजाब	86.36	206.60	90.96	140.33	524.25
22.	राजस्थान	250.33	218.60	248.47	257.01	974.41
23.	सिक्किम	9.54	45.97	99.91	46.63	202.05
24.	तमिलनाडु	57.21	58.89	39.66	173.83	329.59
25.	त्रिपुरा	37.01	49.34	81.06	99.31	266.7183
26.	उत्तर प्रदेश	348.50	402.54	516.97	619.03	1887.04
27.	उत्तराखंड	316.51	368.59	208.95	234.95	1129
28.	पश्चिम बंगाल	109.73	235.98	147.48	390.48	883.67
	कुल राज्य	6736.30	7425.45	8473.29	12049.86	34684.8983
	संघ राज्य क्षेत्र					
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.15	2.51	2.19	2.39	9.24

1	2	3	4	5	6	7
30.	चंड़ीगढ़	1.40	0.50	0.49	0.20	2.59
31.	दादर और नगर हवेली	1.10	1.10	8.60	10.11	20.91
32.	दमन और दीव	0.20	0.20	0.20	0.20	0.8
33.	दिल्ली	53.00	0.20	0.20	0.05	53.45
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
35.	पुडुचेरी	15.53	37.45	40.91	45.15	139.04
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	73.38	41.096	52.59	58.10	226.03
	कुल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	6809.68	7467.41	8525.88	12107.96	34910.93
	केन्द्रीय क्षेत्र	97.10	72.00	116.50	134.46	134.46
	कुल जोड़	6906.78	7539.41	8642.38	12242.42	35045.39

विवरण II

पंचवर्षीय योजना के दौरान (16.3.2012 की स्थिति के अनुसार) एआईबीपी के अंतर्गत शुरू की गई लघु सिंचाई स्कीमों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		कुल	
		शुरू की गई	पूर्ण	शुरू की गई	पूर्ण	शुरू की गई	पूर्ण	शुरू की गई	पूर्ण	शुरू की गई	पूर्ण	शुरू की गई	पूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अरुणाचल प्रदेश	231	231	145	145			79				455	376
2.	असम	102	102	320	144	505	38					927	284
3.	मणिपुर	242	242			165	19					407	261
4.	मेघालय	27	27	53	42	23		49				152	69
5.	मिजोरम	62	62	73	73			58	10			193	145
6.	नागालैंड	70	70	166	166			177	129	96		509	365
7.	सिक्किम	63	63					225				288	63
8.	त्रिपुरा	86	80			37	7					123	87
9.	हिमाचल प्रदेश	107	107					191				298	107
10.	जम्मू और कश्मीर	243	242	131	35	12				217		603	277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	ओडिशा (केबीके)	20	12	37	11							57	23
12.	उत्तराखंड	974	685	38	36	20	14	492		40		1564	735
13.	आंध्र प्रदेश	0		29	6					17		46	6
14.	छत्तीसगढ़	70	70	58	16	22				85		235	86
15.	मध्य प्रदेश	140	64	66	27			19		67		292	91
16.	महाराष्ट्र	38	0	6	0			46		0		90	0
17.	बिहार	4	4	56	56			32				92	60
18.	पश्चिम बंगाल	23	23					34	14			57	37
19.	राजस्थान					7	1					7	1
20.	कर्नाटक					92	68	201	35			293	103
21.	झारखंड							285		171		456	0
	कुल लघु सिंचाई परियोजनाएं	2502	2084	1178	757	883	147	1888	188	693	0	7144	3176

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक महिलाओं का कल्याण

*140. **श्री अशोक तंवर:**
श्री जगदीश ठाकोर:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मुस्लिमों सहित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं के कल्याणार्थ केन्द्र सरकार द्वारा कौशल विकास सहित कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत योजना-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी खर्च की गई तथा क्या उपलब्धियां हासिल की गईं;

(ग) क्या अपेक्षित लक्ष्य पूरे करने में कोई सफलता प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में अल्पसंख्यक महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्यायमंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्यमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से मुस्लिमों सहित अल्पसंख्यक महिलाओं के कल्याण से संबंधित कार्यान्वित की जा रही योजनाएं निम्नलिखित हैं:-

(i) **मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना:** इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां उन अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाती हैं, जिनके पिछली अंतिम परीक्षा में 50% से कम अंक न हों और जिनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय रु. 1.00 लाख से अधिक न हो। **30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित है।**

(ii) **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना:** इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां उन अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाती हैं, जिनकी पिछली अंतिम परीक्षा में 50% से कम अंक न हों अथवा समकक्ष ग्रेड हो और जिनके माता-पिता/अभिभावक की

सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय रु. 2.00 लाख से अधिक न हो। **30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं।**

(iii) **अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्तिः** अध्येतावृत्ति का उद्देश्य एम.फिल और पीएच.डी जैसे उच्च पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे अल्पसंख्यक छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में समन्वित पंचवर्षीय अध्येतावृत्ति प्रदान करना है। यह अध्येतावृत्ति योजना विश्वविद्यालयों/संस्थानों को कवर करती है। **30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं।**

(iv) **मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्तिः** मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर निर्धन एवं मेधावी अल्पसंख्यक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। **30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं।**

(v) **निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजनाः** इस योजना के अंतर्गत उन अल्पसंख्यक समुदाय से संबद्ध अभ्यर्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र के कोचिंग संस्थानों को इन अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं, सूचना प्रौद्योगिकी, सुधारात्मक कोचिंग और अन्य रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों में निःशुल्क कोचिंग/प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। **30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित है।**

(vi) **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी):** यह लघु वित्त प्रबंधन योजना, जो अल्पसंख्यक समुदाय के स्वसहायता समूहों से संबद्ध महिलाओं के संबंध में विशेष रूप से केन्द्रित है, का कार्यान्वयन करता है। इस लघु वित्त प्रबंधन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का 90% भाग महिलाओं के लिए है। कौशल विकास के अंतर्गत एनएमडीएफसी विशेष रूप से महिलाओं के लिए स्कीम ऑफ महिला समृद्धि योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य निर्धन अल्पसंख्यक महिलाओं को प्रशिक्षण सह ऋण प्रदान करना है। एनएमडीएफसी की महिला समृद्धि योजना सहित कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों के आवंटन के बदले में प्रशिक्षित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के संदर्भ में लक्ष्य आवंटित किये जाते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम महिलाओं सहित अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध व्यक्तियों को स्वरोजगार तथा आय सृजक कार्यों के लिए रियायती ऋण भी प्रदान करता है। एनएमडीएफसी की आवधिक ऋण योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के अलग-अलग व्यक्तियों को अधिकतम रु. 5.00 लाख का ऋण प्रदान किया जाता है। **इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का 35% संख्या महिलाओं की है।**

एनएमडीएफसी के पास व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना है, जिसमें अल्पसंख्यक बालिकाओं/महिलाओं सहित अल्पसंख्यक व्यक्तियों को प्रशिक्षण लागत का 85% अनुदान 6 माह की अधिकतम अवधि के पाठ्यक्रम के लिए अधिकत रु. 1000/- प्रतिमाह प्रति अभ्यर्थी तथा रु. 500/- प्रतिमाह प्रति अभ्यर्थी स्टाइपेंड दिया जाता है।

(ख) से (घ) वर्तमान वित्त वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में आवंटित, व्यय की गई निधियां तथा उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:-

(i) छात्राओं द्वारा प्राप्त की गई छात्रवृत्तियों की प्रतिशतता के साथ मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की प्रतिशतता के साथ मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना और मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के अंतर्गत जारी धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I से VI में दिया गया है।

(ii) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना, निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना और एनएमडीएफसी की महिला समृद्धि योजना सहित कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-VII में दिया गया है।

(iii) पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएमडीएफसी की आवधिक ऋण और लघु वित्त प्रबंधन की ऋण योजनाओं के अंतर्गत आवंटित, खर्च (संवितरित) निधियों और उपलब्धियों (उपयोग) का ब्यौरा संलग्न विवरण-VIII पर है।

(iv) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वित्त वर्ष के लिए महिला लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी राज्य-वार उपलब्धियां दर्शाने वाली तालिका संलग्न विवरण-IX में दिया गया है।

(ङ) मंत्रालय इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के विभिन्न उपाय कर रहा है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की प्रभावी निगरानी के लिए मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ प्रगति की नियमित सीमक्षा करता है। केन्द्र स्तर पर ओवर साइट कमेटी कार्यान्वयन

की आवधिक समीक्षा करती हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य और जिला स्तरीय समितियां भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती हैं।

(ii) बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति के लिए आनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंधन प्रणाली (ओएसएमएस) 2011-12 में शुरु की गयी थी।

(iii) मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की निगरानी के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय स्तर के मॉनीटरों के दल ने विभिन्न जिलों का वास्तविक दौरा किया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरे

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (29.02.2012 तक)	
		आवंटन	अवमुक्त राशि	आवंटन	अवमुक्त राशि	आवंटन	अवमुक्त राशि	आवंटन	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश		5.37		13.90	16.29	42.85	25.62	19.30
2.	अरुणाचल प्रदेश		0.00		0.00	0.72	0	1.39	0.00
3.	असम		0.00		16.83	18.43	8.37	35.55	21.25
4.	बिहार		10.71		9.22	27.39	34.12	43.08	21.54
5.	छत्तीसगढ़		0.24		1.07	1.86	1	2.93	2.93
6.	गोवा		0.02		0.04	0.92	0	1.45	0.00
7.	गुजरात		0.00		0.00	9.82	0	15.44	0.00
8.	हरियाणा		0.51		1.58	4.83	2	7.60	2.03
9.	हिमाचल प्रदेश		0.18		0.09	0.57	0	0.89	0.41
10.	जम्मू और कश्मीर		1.02		7.44	14.15	13	22.25	11.10
11.	झारखंड		2.71		2.10	9.75	4	15.34	7.51
12.	कर्नाटक		1.89		13.93	15.63	33.16	24.58	38.71
13.	केरल		3.50		12.24	27.59	42.69	43.40	43.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	मध्य प्रदेश		2.44		2.18	8.68	7	13.65	17.93
15.	महाराष्ट्र		4.51		15.78	34.49	41	54.26	54.72
16.	मणिपुर		0.46		3.10	1.85	0	3.57	1.19
17.	मेघालय		0.71		1.26	3.43	2	6.61	0.00
18.	मिजोरम		0.44		1.58	1.72	2	3.31	2.49
19.	नागालैंड		0.00		0.00	3.64	1	7.01	0.00
20.	ओडिशा		0.28		1.34	3.36	1	5.29	2.00
21.	पंजाब		3.79		15.10	30.27	26	47.61	24.49
22.	राजस्थान		1.83		4.72	11.29	11	17.76	10.14
23.	सिक्किम	राज्य-वार वित्तीय आवंटन नहीं था	0.00	राज्य-वार वित्तीय आवंटन नहीं था	0.09	0.40	0	0.77	0.61
24.	तमिलनाडु		2.33		7.82	14.41	28.17	22.66	25.70
25.	त्रिपुरा		0.07		0.08	0.91	0	1.75	0.00
26.	उत्तर प्रदेश		12.98		48.63	63.32	65.27	99.60	148.11
27.	उत्तराखंड		0.00		0.07	2.50	0	3.93	0.43
28.	पश्चिम बंगाल		5.36		19.72	41.76	76.53	65.68	82.98
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		0.04		0.01	0.22	0	0.52	0.03
30.	चंडीगढ़		0.04		0.17	0.38	0	0.92	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली		0.01		0.02	0.05	0	0.12	0.07
32.	दमन और दीव		0.01		0.02	0.04	0	0.11	0.00
33.	दिल्ली		0.71		2.77	4.64	3.03	4.75	1.35
34.	लक्षद्वीप		0.00		0.00	0.13	0	0.31	0.00
35.	पुडुचेरी		0.05		0.01	0.25	0	0.26	0.00
	योग	79.90	62.11	200.00	202.94	375.7	446.25	600.00	540.44

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरे

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (29.02.2012 तक)	
		आवंटन	अवमुक्त राशि	आवंटन	अवमुक्त राशि	आवंटन	अवमुक्त राशि	आवंटन	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	राज्य-वार वित्तीय आवंटन नहीं था।	6.23	राज्य-वार वित्तीय आवंटन नहीं था।	19.96	10.00	35.24	19.12	17.28
2.	अरूणाचल प्रदेश		0.00		0.00	0.44	0.00	1.04	0.00
3.	असम		4.87		8.32	11.32	5.60	26.71	0.00
4.	बिहार		10.86		3.80	16.83	15.96	32.15	23.81
5.	छत्तीसगढ़		0.24		0.60	1.14	1.03	2.18	1.57
6.	गोवा		0.13		0.00	0.57	0.21	1.08	0.00
7.	गुजरात		1.97		2.88	6.03	4.47	1153	6.99
8.	हरियाणा		0.93		0.68	2.97	1.48	5.67	1.48
9.	हिमाचल प्रदेश		0.08		0.17	0.34	0.21	0.66	0.20
10.	जम्मू और कश्मीर		0.98		3.67	8.69	5.24	16.61	2.13
11.	झारखंड		2.86		3.67	5.99	6.15	11.45	8.85
12.	कर्नाटक		0.46		8.82	9.60	12.35	18.35	24.85
13.	केरल		2.43		11.21	16.96	9.98	32.39	21.69
14.	मध्य प्रदेश		1.85		1.10	5.33	3.31	10.19	6.17
15.	महाराष्ट्र		4.03		8.17	21.17	20.09	40.58	23.44
16.	मणिपुर		0.75		2.85	1.14		2.67	0.00
17.	मेघालय		0.03		0.04	2.11	0.19	4.96	0.00
18.	मिजोरम		0.87		2.54	1.05	2.81	2.48	1.24
19.	नागालैंड		0.01		0.02	2.24	0.05	5.26	0.04
20.	ओडिशा		0.35		0.46	2.07	1.03	3.95	0.00
21.	पंजाब		1.26		10.73	18.55	14.83	35.61	38.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	राजस्थान		2.14		4.00	6.93	4.66	13.25	12.05
23.	सिक्किम		0.00		0.10	0.25	0.31	0.57	0.40
24.	तमिलनाडु		2.42		11.04	8.85	10.67	16.91	14.43
25.	त्रिपुरा		0.05		0.07	0.56	0.17	1.31	0.12
26.	उत्तर प्रदेश		16.46		24.78	38.91	46.42	74.34	74.81
27.	उत्तराखंड		0.10		0.06	1.53	0.08	2.93	0.19
28.	पश्चिम बंगाल		7.72		18.43	25.66	25.77	49.02	46.87
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		0.03		0.01	0.13	0.01	0.52	0.00
30.	चंडीगढ़		0.05		0.05	0.24	0.09	0.95	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली		0.01		0.01	0.03	0.02	0.10	0.00
32.	दमन और दीव		0.02		0.02	0.04	0.02	0.10	0.00
33.	दिल्ली		0.39		0.43	2.85	0.38	4.75	0.00
34.	लक्षद्वीप		0.00		0.00	0.09		0.29	0.00
35.	पुडुचेरी		0.04		0.03	0.16	0.13	0.25	0.10
	योग	69.93	70.62	150.00	148.72	230.77	228.96	450	326.93

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य/संघ राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (29.02.2012 तक)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	27353	25923	65032	86248	86709	225462	147406	121319
2.	अरूणाचल प्रदेश	1199	0	2877	0	3836	0	6521	0
3.	असम	30951	0	73582	87376	98109	38259	166785	86159
4.	बिहार	46	43582	109357	35668	145809	320107	247875	157973

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	छत्तीसगढ़	3124	1600	7432	4765	9909	6976	16845	12610
6.	गोवा	1546	151	3677	594	4905	-	8340	0
7.	गुजरात	16501	0	39194	0	52260	0	88842	0
8.	हरियाणा	8108	3727	19282	14867	25709	24823	43705	0
9.	हिमाचल प्रदेश	947	540	2257	1095	3009	1166	5115	3958
10.	जम्मू और कश्मीर	23757	4842	56482	53421	75309	116571	128026	0
11.	झारखंड	16375	12003	38932	18510	51909	26107	88245	35837
12.	कर्नाटक	26249	21018	62407	86829	83209	314508	141457	299020
13.	केरल	46347	46347	110175	161590	146900	563560	249731	572880
14.	मध्य प्रदेश	14576	13719	34657	18278	46209	61052	78555	135932
15.	महाराष्ट्र	58052	58052	137732	201490	183638	545201	312187	701343
16.	मणिपुर	3092	1960	7390	10780	9855	-	16753	9438
17.	मेघालय	5743	5479	13690	10518	18255	12846	31032	0
18.	मिजोरम	92871	2661	6852	9428	9136	14053	15533	13485
19.	नागालैंड	6089	0	14515	0	19355	4400	32901	0
20.	ओडिशा	5647	3542	13432	17049	17909	17909	30445	24553
21.	पंजाब	50953	49996	120852	123907	161127	279082	273917	264329
22.	राजस्थान	18962	18775	45082	60318	60109	121988	102186	148816
23.	सिक्किम	663	0	1602	604	2136	2434	3633	3269
24.	तमिलनाडु	24198	24135	57532	84150	76709	312415	130407	235582
25.	त्रिपुरा	1514	821	3627	1069	4836	1617	8221	0
26.	उत्तर प्रदेश	106356	97785	252832	371189	337109	465812	573086	971245
27.	उत्तराखंड	4196	0	9982	449	13309	1132	22625	3103
28.	पश्चिम बंगाल	70136	68235	166732	240548	222309	913002	377926	955205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	347	220	865	96	1155	-	1961	237
30.	चंडीगढ़	631	398	1520	1518	2027	-	3446	0
31.	दादर और नगर हवेली	62	21	190	40	255	72	432	183
32.	दमन और दीव	63	30	173	110	233	113	395	0
33.	दिल्ली	7793	6918	18532	26313	24709	30904	42006	12728
34.	लक्षद्वीप	189	0	510	0	682	0	1158	0
35.	पुडुचेरी	410	177	1015	259	1355	-	2302	0
	योग	631000	512657	1500000	1729076	1999999.909	4421571	3400000	4769204

विवरण-IV

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य/संघ राज्य-वार तथा वर्ष-वार लक्ष्य एवं उपलब्धि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (29.02.2012 तक)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	10837	9248	13006	26692	17342	42972	22761	20550
2.	अरूणाचल प्रदेश	475	0	580	0	773	0	1011	0
3.	असम	12263	8479	14716	9908	19622	4730	25753	0
4.	बिहार	18225	18192	21871	13245	29162	24709	38276	40214
5.	छत्तीसगढ़	1237	563	1486	822	1982	1396	2601	1863
6.	गोवा	612	269	746	0	993	523	1299	0
7.	गुजरात	6537	5763	7841	7766	10453	12290	13723	14106
8.	हरियाणा	3213	1934	3856	1897	5142	2564	6748	0
9.	हिमाचल प्रदेश	376	158	451	349	602	355	789	0
10.	जम्मू और कश्मीर	9413	1867	11296	5992	15062	10766	19767	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	झारखंड	6488	4473	7786	7221	10382	9825	13ळश्र26	12708
12.	कर्नाटक	10400	7232	12481	27598	16642	43344	21842	65887
13.	केरल	18363	13018	22033.86	52861	29379	60782	38562	75220
14.	मध्य प्रदेश	5774	4319	6931	3107	9242	7795	12130	11138
15.	महाराष्ट्र	23000	11551	27515	15333	36675	44579	48157	37276
16.	मणिपुर	1225	1055	1486	3422	1982	1400	2595	0
17.	मेघालय	2274	56	2746	65	3662	256	4799	0
18.	मिजोरम	1138	1226	1375	3184	1833	3416	2401	0
19.	नागालैंड	2413	27	2911	23	3882	68	5088	48
20.	ओडिशा	2237	837	2686	1288	3582	1049	4700	0
21.	पंजाब	20187	2647	24100	17737	32142	27245	42243	49539
22.	राजस्थान	7513	4341	9016	8144	12022	10873	15778	18698
23.	सिक्किम	263	0	325	245	433	625	.564	549
24.	तमिलनाडु	9587	8004	11506	26342	15342	34107	20136	30441
25.	त्रिपुरा	600	203	730	165	973	329	1273	376
26.	उत्तर प्रदेश	42137	31995	50566	53928	67422	90386	88491	138138
27.	उत्तराखंड	1663	264	1996	145	2662	171	3494	444
28.	पश्चिम बंगाल	27787	31289	33346	75660	44462	87752	58356	118441
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	137	49	181	24	242	9	311	0
30.	चंडीगढ़	250	120	307	159	410	77	536	0
31.	दादरा और नगर हवेली	26	17	46	25	62	30	74	0
32.	दमन और दीव	25	4	49.57143	20	64	22	77	0
33.	दिल्ली	3087	951	3706	922	4942	866	6486	0
34.	लक्षद्वीप	75	0	114.5714	0	153	0	190	0
35.	पुडुचेरी	163	122	211	98	282	333	363	230
	योग	250000	170273	300000	364387	400000	525644	525000	635866

विवरण-V

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के तहत राज्य/संघ राज्य-वार तथा वर्ष-वार लक्ष्य एवं उपलब्धि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (29.02.2012 तक)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	योजना कार्यान्वित नहीं।	योजना कार्यान्वित नहीं।	31	32	31	69	31	103
2.	अरूणाचल प्रदेश			4	0	4	3	4	7
3.	असम			33	34	33	67	33	102
4.	बिहार			50	56	50	108	50	163
5.	छत्तीसगढ़			6	7	6	11	6	17
6.	गोवा			4	1	4	5	4	9
7.	गुजरात			21	9	21	27	21	39
8.	हरियाणा			12	0	12	13	12	21
9.	हिमाचल प्रदेश			4	4	4	9	4	13
10.	जम्मू और कश्मीर			27	32	27	62	27	101
11.	झारखंड			21	17	21	36	21	57
12.	कर्नाटक			31	27	31	55	31	88
13.	केरल			50	63	50	116	50	173
14.	मध्य प्रदेश			15	16	15	31	15	45
15.	महाराष्ट्र			67	72	67	138	67	205
16.	मणिपुर			4	6	4	10	4	15
17.	मेघालय			6	6	6	12	6	18
18.	मिजोरम			4	5	4	9	4	13
19.	नागालैंड			6	5	6	11	6	17
20.	ओडिशा			6	3	6	9	6	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	पंजाब			59	75	59	134	59	196
22.	राजस्थान			21	21	21	42	21	62
23.	सिक्किम			4	0	4	4	4	4
24.	तमिलनाडु			28	35	28	68	28	102
25.	त्रिपुरा			4	0	4	4	4	4
26.	उत्तर प्रदेश			120	130	120	251	120	381
27.	उत्तराखंड			4	4	4	8	4	13
28.	पश्चिम बंगाल			81	78	81	158	81	220
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह			4	1	4	2	4	2
30.	चंडीगढ़			4	4	4	8	4	13
31.	दादरा और नगर हवेली			4	0	4	0	4	0
32.	दमन और दीव			4	0	4	0	4	0
33.	दिल्ली			9	8	9	17	9	26
34.	लक्षद्वीप			4	2	4	6	4	7
35.	पुडुचेरी			4	4	4	8	4	12
	योग	0	0	756	757	756	1511	756	2266

विवरण-VI

वर्ष	मैट्रिक-पूर्व		मैट्रिकोत्तर		मेरिट-सह-साधन	
	स्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	बालिकाओं का %	स्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	बालिकाओं का %	स्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	बालिकाओं का %
2008-09	512657	50.89	170273	55.12	26195	33.06
2009-10	1729076	48.47	364387	55.10	35982	32.47
2010-11	4421571	48.21	525644	51.00	41056	34.29
2011-12 (तक 29.02.2012	4769204	51.03	635866	53.82	41621	36.82

विवरण-VII

मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति

वर्ष	लक्ष्य	स्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या				
		नई	नवीकरण	योग	छात्राओं को प्रदत्त छात्रवृत्तियां (%)	राशि (करोड़ रु. में)
2007-08 (शुरू)	20,000	17258	0	17258	5009 (29.02%)	40.90
2008-09	55,000	17099	9096	26195	8660 (33.06%)	64.73
2009-10	42,000	19285	16697	35982	11684 (32.47%)	97.51
2010-11	55,000	19518	21538	41056	14077 (34.29%)	108.75
2011-12*	55,000	19505	22929	42434	15625 (36.82%)	115.52

*दिनांक 19.3.2012 तक के आकड़े।

नि:शुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना

जारी करने का वर्ष	चयनित संस्थानों की संख्या	शामिल किए गए राज्यों/संघ राज्यों की सं.	लक्ष्य		उपलब्धि	
			वास्तवकि (लाभार्थियों की सं.)	वित्तीय (करोड़ रु.	वास्तवकि (लाभार्थियों की	वित्तीय (करोड़ रु. में)
2008-09	71	20	4000	10.00	5522	7.30
2009-10	49	19	5000	12.00	5532	11.21
2010-11	22	21	5760	15.00	4845	14.37
2011-12	47	19	6000	16.00	7830	15.98

*दिनांक 19.3.2012 तक के आकड़े।

एनएमडीएफसी की महिला समृद्धि योजना सहित कौशल विकास कार्यक्रम

वर्ष	वार्षिक लक्ष्य	दिनांक 15.3.2012 तक की उपलब्धियां	
		कुल	महिला लाभार्थी
2008-09	2000	2328	760
2009-10	2500	3218	1170
2010-11	2750	3369	414
2011-12	3850	5410	90

*दिनांक 19.3.2012 तक के आकड़े।

विवरण VIII

एनएमडीएफसी द्वारा पिछले वर्षों तथा वर्तमान वित्त के दौरान आवंटित, संवितरित और प्रयुक्त धनराशि दर्शाने वाला विवरण

दिनांक 15.03.2012 तक की स्थिति
(राशि लाख रु. में)

		2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
क्र. सं.	राज्य	आवंटित	संवितरित	प्रयुक्त	आवंटित	संवितरित	प्रयुक्त	आवंटित	संवितरित	प्रयुक्त	आवंटित	संवितरित	प्रयुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	600.00	47.25	47.25	160.00	45.00	45.00	1416.00	0.00	0.00	1360.00	0.00	0.00
2.	असम	325.00	0.00	0.00	420.00	12.42	12.42	1100.00	200.00	200.00	1103.00	0.00	0.00
3.	बिहार	1150.00	904.50	904.50	770.00	4.50	4.50	1684.00	793.00	793.50	1619.00	0.00	0.00
4.	चंडीगढ़	30.00	2.00	2.00	25.00	6.00	6.00	26.00	4.00	4.00	47.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	175.00	0.00	0.00	150.00	100.00	99.98	203.00	100.00	56.55	155.00	35.00	0.00
6.	दिल्ली	526.00	17.00	17.00	180.00	45.25	45.25	46.00	17.00	17.00	42.50	0.00	0.00
7.	गुजरात	755.00	300.00	300.00	680.00	314.93	314.93	630.00	0.00	0.00	540.00	34.00	29.73
8.	हिमाचल प्रदेश	226.00	75.00	75.00	230.00	230.00	230.00	139.00	115.00	115.00	120.00	120.00	100.15
9.	हरियाणा	1590.00	359.00	359.00	1775.00	1,0176.00	1,107.99	320.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	620.00	420.00	420.00	665.00	560.00	560.00	1608.00	1,083.00	1,082.79	1526.00	900.00	372.17
11.	झारखंड	230.00	110.00	89.00	230.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
12.	केरल	7340.00	4,229.50	4,229.50	7180.00	5,183.50	5,183.23	3098.00	6,079.91	6,0179.91	8441.00	6,150.00	4,780.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	कर्नाटक	1700.00	450.00	450.00	1080.00	350.00	288.95	1599.00	0.00	0.00	739.00	0.00	0.00
14.	महाराष्ट्र	2220.00	500.00	500.00	2280.00	500.00	500.00	2522.00	1,040.00	1,040.00	2851.00	419.00	419.00
15.	मणिपुर	75.00	1.80	1.80	60.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	183.00	0.00	0.00
16.	मध्य प्रदेश	300.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	512.00	0.00	0.00
17.	मिजोरम	550.00	300.00	300.00	670.00	309.81	309.81	202.00	129.00	129.00	785.00	0.00	0.00
18.	नागालैंड	2020.00	500.00	500.00	2300.00	1,170.00	1,130.00	572.00	451.00	451.00	1000.00	450.00	450.00
19.	ओडिशा	516.00	27.00	27.00	294.00	38.25	38.25	165.00	0.00	0.00	158.00	79.00	0.00
20.	पुदुचेरी	275.00	100.00	100.00	186.00	200.00	181.60	33.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	990.00	400.00	400.00	885.00	469.64	469.64	1500.00	961.13	961.13	1793.00	500.00	224.13
22.	राजस्थान	475.00	100.00	100.00	320.00	301.25	302.25	355.00	700.00	631.55	1255.00	650.00	0.00
23.	तमिलनाडु	3450.00	965.25	96545	3320.00	2,134.55	2,134.55	1250.00	3,220.00	3,008.69	2087.00	0.00	0.00
24.	मणिपुर	126.00	50.00	50.00	96.00	96.00	96.00	113.00	100.00	100.00	309.50	200.00	100.90
25.	उत्तर प्रदेश	2250.00	0.00	0.00	1630.00	0.00	0.00	3662.00	5.40	5.40	2993.00	0.00	0.00
26.	उत्तराखंड	425.00	0.00	0.00	160.00	20.00	20.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
27.	पश्चिम बंगाल	5330.00	3,214.49	3,214.49	6480.00	6,606.75	6,606.75	5435.00	1,128.00	8,128.00	10150.00	8,150.00	3,975.84
	योग	34275.00	13,072.79	13,051.79	32355.00	19,774.85	19,687.10	28323.00	23,326.94	23,003.52	40470.00	17,687.00	10,452.63

विवरण-IX

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान महिला लाभार्थियों को प्रदान किए गए प्रशिक्षण की राज्य-वार उपलब्धियां

		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
क्र.सं.	राज्य	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	चंडीगढ़				27540	6			
2.	दिल्ली	72530	44						
3.	गुजरात				75559	34			
4.	हरियाणा				84580	63			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	जम्मू और कश्मीर	2364800	298	912092	535	850500	105	499500	90
6.	झारखंड	218662	49						
7.	कर्नाटक	142800	28						
8.	नागालैंड	135872	18						
9.	पुडुचेरी	196650	23						
10.	पंजाब	113400	14	129690	27				
11.	तमिलनाडु			35700	7				
12.	पश्चिम बंगाल	307829	286	1217111	601	281060	206		
	योग	3552543	760	2294593	1170	1319239	414	499500	90

एसीटीएन नीति के अंतर्गत निधियों का संग्रहण

1381. श्रीमती दर्शना जरदोश: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उर्वरक इकाइयों द्वारा गैर-मान्यताप्राप्त आदान राज्य कराधान (एसीटीएन) के कारण अतिरिक्त लागत/नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और गुजरात से कितनी धनराशि एकत्र की गई तथा इन राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी उर्वरक इकाइयों को इकाई-वार पुन: वितरित धनराशि कितनी है;

(ख) क्या सरकार राज्य सरकारों जिन्होंने यह कर अभी तक नहीं लगाया है, से बात करने की बजाय एसीटीएन नीति कार्यान्वित करने से पहले बकाया राशि के मुद्दे को सुलझाने के लिए अन्य विकल्पों पर विचार करेगी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय से बात की है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में उक्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) आज की तारीख के अनुसार उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्य में एसीटीएन नीति के अंतर्गत 190.44 करोड़ रुपए एकत्र किए गए हैं। गुजरात राज्य की पीएसयू/सहकारी उर्वरक इकाइयों को निधियों का पुनर्वितरण किया जाना प्रक्रियाधीन है।

(ख) से (घ) बैकलॉग राशि के निपटान का मामला उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्य की सरकारों के परामर्श से विचाराधीन है। राज्य सरकारों का मत अभी प्राप्त होना है। राज्य सरकारों के मत के आधार पर उर्वरक विभाग, वित्त मंत्रालय से परामर्श करेगा।

द्विस्तरीय औषधि मूल्य निर्धारण

1382. श्री आर. ध्रुवनारायण: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भेषज फर्मों ने सरकार से देश में द्विस्तरीय औषधि मूल्य निर्धारण प्रणाली अपनाने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक राज्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) किसी भी औषध कंपनी से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

किसान सहभागिता अनुसंधान कार्यक्रम

1383. **श्री भूपेन्द्र सिंह:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसान सहभागिता अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके उद्देश्य क्या हैं तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए राज्यों के नाम क्या हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितनी धनराशी आवंटित जारी तथा उपयोग में लाई गई; और

(ङ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त सफलता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (ग) जल संसाधन मंत्रालय ने किसान सहभागिता अनुसंधान कार्यक्रम (फारमर्स पारटिसिपेटरी एक्शन रिसर्च प्रोग्राम (एफपीएआरपी)) अनुमोदित किया है । 60 संस्थानों की सहायता से इसका पहला चरण 24.4685 करोड़ रुपए की लागत से जून, 2011 में कार्यान्वित किया गया जिसका उद्देश्य जल, किस्म, कृषिगत पद्धतियों आदि के बीच सामंजस्य स्थापित करके जल की प्रत्येक बूंद से पैदावार और आय में वृद्धि दर्शाना था। यह कार्यक्रम देश के 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामत: अंडमान एवं निकोबार, आन्ध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में चलाया गया था।

कार्यक्रम का दूसरा चरण 31 संस्थानों द्वारा वर्ष 2010-11 में 2921 फसल प्रदर्शनों के लिए 21 राज्यों नामत: असम, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाण, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में प्रारंभ किया गया था।

(घ) निधि का आवंटन संस्थान-वार किया गया था। पहले चरण के अंतर्गत संस्थानों को 21.586 करोड़ रुपए जारी किए गए थे जिसमें से 19.165 करोड़ रुपए का उपयोग (विवरण I) किया जा चुका है। दूसरे चरण के अंतर्गत, कुल 14.31 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है जिसमें से 2.889 करोड़ रुपए का उपयोग (विवरण II) किया जा चुका है। पिछले तीन वर्षों में दोनों चरणों के लिए 20.887 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

(ङ) पहले चरण में प्रदर्शित प्रौद्योगिकी के प्रभाव से काफी मात्रा में जल की बचत और पैदावार में वृद्धि विवरण III दे दी गई है।

विवरण I

किसान सहभागिता कार्रवाई अनुसंधान कार्यक्रम-पहला चरण (एफपीएआरपी)-वर्षवार जारी निधि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	अनुमोदित राशि	2007-08 के दौरान जारी राशि	2008-09 के दौरान जारी राशि	2009-10 के दौरान जारी राशि	2010-11 के दौरान जारी राशि	2011-12 के दौरान जारी राशि	कुल	उपयोग की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, आईसीएआर, पोर्टब्लेयर	24	8.4	8.4		7.2		24	24
2.	आचार्य एन. जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय हैदराबाद	25	8.75	8.75				17.5	17.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	केन्द्रीय शुल्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद	25	8.75	8.75	7.5			25	25
4.	अंतराष्ट्रीय अर्द्ध शुष्क कटिबंध फसल अनुसंधान संस्थान पाटन चेरू	200	140	0	56.71364			196.7136	196.7136
5.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट	50	35	0	15			50	38.75778
6.	पूर्वोत्तर क्षेत्र जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, तेजपुर असम	50	35	0				35	5.6981
7.	एनईएच क्षेत्र आईसीएआर अनुसंधान केन्द्र, उमियम, शिलांग	25	17.5	7.5				25	25
8.	पूर्वी क्षेत्र आईसीएआर, अनुसंधान केन्द्र आईसीएनआर, पटना	50	35	0				35	25.9768
9.	इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	15	5.25	5.25	4.5			15	9.43229
10.	भारतीय कृषि अनुसंधान संसाधन संस्थान पूसा	50	35	0			4.50336	39.5	39.50336
11.	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी	38	26.6	0	11.4			38	25.83761
12.	आनन्द कृषि विश्वविद्यालय, आनन्द	40	14	14				28	19.2
13.	सरदार कृषिनगर दांतेवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, बनासकांठा	50	17.5	17.5				35	35
14.	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल	50	35	0	15			50	49.91247
15.	चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	50	35	0				35	10.9467
16.	बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	50	35	0		14.91274		49.91274	40.50036
17.	सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	50	17.5	17.5	15			50	39.06
18.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू	50	35	0				35	11.71614
19.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर	80	56	0	22.40702			78.40702	71.24989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची	25	8.75	8.75				17.5	15.63567
21.	प्रशिक्षण, रोजगार एवं संसाधन उपयोग वाटरशेड संघ, नई दिल्ली	35	12.25	12.25	10.48202			34.98202	34.98202
22.	सरपन कृषि, बागवानी अनुसंधान केन्द्र, धारवाड़	25	17.5	7.5				25	25
23.	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलोर	25	8.75	8.75		6.1		23.6	23.31012
24.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, नवलगंद	25	8.75	8.75				17.5	18.81284
25.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	50	35	0				35	31.68262
26.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, जीकेवीके, बंगलोर	50	17.5	17.5	15			50	49.2
27.	केन्द्रीय पौधरोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड़	20	7	7	5.93142			19.93142	17.31534
28.	जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन केन्द्र, कालीकट	20	7	7	5.60552			19.60552	18.85138
29.	केरल कृषि विश्वविद्यालय, तृश्शूर	25	17.5	0	7.5			25	24.83783
30.	पर्यावरण हितैषी स्थायी विकास प्रोन्नयन सोसायटी, सुरभि, लाला लाजपत राय सोसायटी, भोपाल	50	35	0	15			50	49.99575
31.	जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, भोपाल	50	17.5	17.5				35	27.62944
32.	केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल	35	12.25	12.25		9.63		24.13	30.29733
33.	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय परभणी	18	6.3	6.3				12.6	10.76511
34.	भारतीय उपयोग संघ, पुणे	50	35	0	15			50	50
35.	जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, औरंगाबाद	25	17.5	0	7.5			25	25
36.	कृषि विश्वविद्यालय, राहुरी	50	17.5	17.5	15			25	43.33698
37.	डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला	41.5	14.53	14.53	12.45			41.5	41.549987
38.	पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रौद्योगिकी केन्द्र आईसीएआर भुवनेश्वर	50	35	0				35	32.03887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	50	17.5	17.5	15			50	47.16046
40.	केन्द्रीय फसलोत्तर अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान आईसीएआर, लुधियाना	20	7	7				14	7.81802
41.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, भटिंडा	30	10.5	10.5				21	16.97297
42.	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान आईसीएआर, जोधपुर	50	17.5	17.5				35	32.75427
43.	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	25	17.5	0				17.5	14.77454
44.	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	50	17.5	17.5				35	16.68
45.	पारिस्थतिकी भूमि उपयोग जल प्रबंधन एवं ग्रामीण विकास केन्द्र, औरोवेल्ली	30	21	9				30	30
46.	गन्ना उत्पादन संस्थान कोयम्बटूर	25	8.75	8.75		3.34		20.84	20.83517
47.	कृषि महाविद्यालय, एवं अनुसंधान संस्थान (तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय) मदुरई	35	24.5	0	10.5			35	34.10629
48.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, तंजोर	10	7	0	3			10	10
49.	कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	25	8.75	8.75	7.5			25	24.9986
50.	जल प्रौद्योगिकी केन्द्र तमिलनाडु विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	35	12.25	12.25	10.5			35	34.57916
51.	धान फउंडेशन, मदुरई	36	25.2	0	0.86831			26.06831	26.06831
52.	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी	25	8.75	8.75				17.5	20.55629
53.	कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर	50	17.5	17.5		15		50	50
54.	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	50	17.5	17.5				35	30.89939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55.	बीएआईएफ, इलाहाबाद	25	8.75	7.15564				24.65564	24.65564
56.	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून	50	35	0	10			45	40.75522
57.	विवेकानन्द पर्वतीय अनुसंधान संस्थान आईसीएआर, अल्मोड़ा	37.5	13.125	13.125	11.25			37.5	37.5
58.	जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	47.65	33.355	0	13.60394			46.95894	37.5248
59.	विधान चन्द्र विश्वविद्यालय नादिया, पश्चिम बंगाल	49.2	34.44	0	14.76			49.2	44.1402
60.	उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय, कूच बिहार, पश्चिम बंगाल	50	17.5	17.5				35	32.9855
	कुल	2446.85	1311.695	425.1	351.1275	66.17791	4.5034	2158.604	1916.462

विवरण II

किसान सहभागिता कार्रवाई अनुसंधान कार्यक्रम (एफपीएआरपी)—दूसरा चरण

क्र.सं.	संस्थान/संगठन का नाम व पता	अनुमोदित प्रदर्शनों की संख्या	मंजूर राशि (लाख रुपए)	जारी राशि (लाख रुपए)			उपयोग की गई राशि (लाख रुपए)
				2010-11	2011-12	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोस्ट बॉक्स न. 181, पोर्टब्लेयर, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह पिन-744101	100	50	50	0	50	1.1214
2.	आईसीएआर पूर्व क्षेत्र अनुसंधान केन्द्र, आईसीएआर परिसर पोस्ट ऑफिस बीवी कॉलेज पटना (बिहार)	80	40	40	0	40	0.07407
3.	इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, (छत्तीसगढ़)	100	50	50	0	50	25.34
4.	जल प्रौद्योगिकी केन्द्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कमरा संख्या 105 पूसा नई दिल्ली-110012	100	50	50	0	50	4.47363

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	मृदा एवं जल प्रबंधन ईकाई, नवसारी कृषि विश्वविद्यालय समीप ईरू चार रास्ता बिजलीपुर रोड, नवसारी (गुजरात) पिन-396450	60	30	0		30	21.77711
6.	बी.ए. कृषि महाविद्यालय, आनन्द, कृषि विश्वविद्यालय, आनन्द, (गुजरात) पिन 388110	100	40.8	40.8	0	40.8	10.52813
7.	सरदार क्रोशीनगर दांतेवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, सरदार क्रोशीनगर	50	25	25	0	25	1.13714
8.	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान आईसीआर, जरीफा फॉर्म, कछवा रोड करनाल, (हरियाणा) पिन-132001	60	30	30	0	30	17
9.	मृदा विज्ञान एवं जल प्रबंधन विभाग, डॉ. वाई. एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नवनी, सोलन (हिमाचल प्रदेश) पिन-173230	100	50	50	0	50	1.5
10.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कश्मीर, शालीमार परिसर, श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) पिन-191121	100	39.9	39.9	0	39.9	0.06615
11.	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान एन.एच. 4 बाईपास पोस्ट बॉक्स नम्बर 401, टॉल प्लाजा के सामने हेसरगट्टा लेक पोस्ट, बंगलोर, कर्नाटक पिन-560039	50	25	25	0	25	16.24854
12.	केन्द्रीय पौधरोपण अनुसंधान संस्थान, आईसीएआर, कासरगोड़ (केरल)	100	46	46	0	46	5.80586
13.	क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र केरल कृषि विश्वविद्यालय, मेलीपटम्बी-पोस्ट, जिला पालक्कड़ केरल	60	30	30	0	30	2.09619
14.	मध्य प्रदेश भूमि एवं जल प्रबंधन संस्थान, वाल्मी हिल्स कलियासोत बांध कोलार रोड पोस्ट बॉक्स नम्बर 538 रविशंकर नगर, भोपाल (मध्य प्रदेश)	80	40	40	0	40	

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	मृदा एवं जल संरक्षण अभियांत्रिकी विभाग, मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभणी (महाराष्ट्र), पिन-431402	100	50	50	0	50	11.72863
16.	कोकण कृषि विद्यापीठ, डपोली-415712 (महाराष्ट्र)	100	50	50	0	50	2.49933
17.	गन्ना उत्पादन संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कोयम्बटूर (तमिलनाडु) पिन-641007	50	25	25	0	25	14.22352
18.	कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, मदुरई (तमिलनाडु)	100	50	50	0	50	48.82
19.	मृदा एवं जल प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कट्टथोट्टम थजौर (तमिलनाडु) पिन-613501	80	40	40	0	40	11.68801
20.	कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)	50	25	25	0	25	17.5
21.	राष्ट्रीय कृषि-वानिकी अनुसंधान केन्द्र ग्वालियर रोड, झांसी	100	50	50	0	50	1.81101
22.	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, पिन 171001	100	50	50	0	50	11.34708
23.	जल प्रबंधन निदेशालय रेल विहार के सामने चन्द्रशेखर पोस्ट-एस.ई. रेलवे परियोजना परिसर, भुवनेश्वर (ओडिशा) पिन-751023	100	48.3	48.3	0	49.3	11.16581
24.	अन्तर्राष्ट्रीय अर्द्ध-शुष्क कटिबन्ध फसल अनुसंधान संस्थान, पाटनचेरू हैदराबाद, (आंध्र प्रदेश) पिन-502324	400	199	199	0	199	
25.	विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आईसीएआर, अल्मोड़ा (उत्तराखंड)	100	50	50	0	50	0.83717
26.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट (असम) पिन 785013	100	50	50	0	50	17.36515

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	सिंचाई एवं जल प्रबंधन विभाग महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय राहुरी, महाराष्ट्र	100	50	9	41	50	
28.	आनुवंशकीय एवं पादप प्रजनन विभाग, कृषि महाविद्यालय, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, जीकेवीके, बंगलोर, (कर्नाटक)पिन 560065	100	50	0.73	49.27	50	11.06576
29.	जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन केन्द्र, पोस्ट-कुन्नमंगलम, कोझीकोट, (केरल), पिन-673571	50	25	0.8	24.2	25	13.91264
30.	मृदा विज्ञान विभाग, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना (पंजाब) पिन-141004	101	47	0.8	46.2	47	7.8
31.	एनईएच क्षेत्र आईसीएआर परिसर, उमरई रोड, उमियम (मेघालय) पिन-793103	50	25	1	24	25	
	कुल	2921	1431	1246.33	184.67	1431	288.9323

विवरण III

एफपीएआरपी के अन्तर्गत कार्यान्वित प्रदर्शनों का प्रभाव-प्रथम चरण

जल बचत पैदावार और आय में वृद्धि की दृष्टि से फसल-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	फसलें	पानी की बचत (प्रतिशत में)	पैदावार में वृद्धि (प्रतिशत में)	आय में वृद्धि (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	धान	54.1	13.5	19.3
		कपास	17.3	33.3	08.3
		चिकपी	7	19.5	2.24-4.92
		मूंगफली	15-18	16-19	1.4-7.73
		मक्का	47-58	45-58	4.8-6
		अरहर	60	51	6-11
2.	असम	धान	30	25	25.63

1	2	3	4	5	6
3.	छत्तीसगढ़	चिकपी	10-21	8-43	50
		चावल	8.1-65	8-43	50
4.	गुजरात	गेहूं	33	18	12.59
		सब्जियां	40	10-23	15.80
		मूंगफली	26	18	20
		चना	22	15	16
5.	हरियाणा	गेहूं	66.67	8.15	4.91
6.	हिमाचल प्रदेश	सब्जियां	25-35	20-55	1.25-1.5:1 (बी.सी. अनुपात)
		फल	30-75	30-60	तदैव
7.	जम्मू और कश्मीर	गेहूं	5	16.38	7.55
		धान	31	10	12
		सब्जियां	30-50	32-40	3.5:1 (बी.सी. अनुपात)
		फल	32-52	30-45	तदैव
8.	कर्नाटक	सब्जियां	23.3	22.4	11
		सोरघम	-	2.46	12.5
		काला चना/चिकपी	-	22	21
		धान	-	32	20
9.	केरल	धान	40	13.74	11.19
		नारियल	50	24	10
10.	मध्य प्रदेश	चना	33	30	18
		चिकपी	13-33	28-52	10000 रुपए/हेक्टेयर
		सोयाबीन	25	33	5000 रुपए/हेक्टेयर
11.	मेघालय	सब्जियां	-	30	-
12.	महाराष्ट्र	गेहूं	20	42.85	30

1	2	3	4	5	6
13.	ओडिशा	धान	31	188	6
14.	पंजाब	गेहूं	-	4.3	6.2
		धान	21.4	12	4.8
		कपास	26	10.5	10.3
		सब्जियां	25	5-15	16.3
15.	राजस्थान	गेहूं	15.54	7.3	7.41
		सरसों	59	58	2.3:1 (बी.सी.अनुपात)
		चिकपी	4.8	48	7.8:1 (बी.सी.अनुपात)
		मक्का	10	10	-
		बाजरा	10	7	-
		सोरघम	8-18	8-14	-
		मुंगफली	16	16	-
16.	तमिलनाडु	धान	55	23	44
		गन्ना	38.6	34	10
		नारियल	43.66	-	40-50
		हल्दी	35	57	40-50
		केला	28	42	40-50
		मक्का	28	6	40-50
		सब्जियां	32	8-9	40-50
17.	उत्तर प्रदेश	धान	35	30	32
18.	उत्तराखंड	गेहूं	31	43	22.23
		मंडुआ	-	8-30	-
		सब्जियां	-	27-41	-
19.	पश्चिम बंगाल	धान	25	62	40
		कोलोकेसिया	40	36.66	4-5.1: 1 (बी.सी.अनुपात)
		मक्का	40	35.5	तदैव
		सूरजमुखी	25	125	तदैव
		तिल	41.7	50	तदैव

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक समुदायों में लिंग संबंधी असमानता समाप्त करना

1384. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हमारे समाज में विशेष रूप से अल्पसंख्यकों समुदायों में लिंग असमानता को दूर करने के लिए कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी असमानता की वर्तमान स्थिति क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यकों के मध्य लैंगिक असमानता दूर करने की दृष्टि से 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित उपाय किए गए:

(i) मंत्रालय की सभी छात्रवृत्ति योजनाओं यथा - मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर, मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति तथा अल्पसंख्यक छात्रों को मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के तहत 30% अध्येतावृत्तियां/छात्रवृत्तियां अल्पसंख्यक समुदाय के बालिकाओं के लिए आरक्षित होती है।

(ii) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति नामक विशेष योजना कार्यान्वित की गयी है, जिसके तहत 10वीं पास एवं 11वीं कक्षा में प्रवेश ली हुई उन छात्राओं को प्रतिवर्ष रु. 12000/- की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रु.1 लाख से कम हो।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए महिला संमृद्धि योजना का कार्यान्वयन किया जाता है। एनएमडीएफसी की लघु वित्त योजना के तहत 90% लाभार्थी महिलाएं हैं, जिनमें महिला संमृद्धि योजना से लाभान्वित महिलाएं भी शामिल हैं। एनएमडीएफसी की सावधि ऋण योजना के तहत 30% लाभार्थी महिलाएं हैं।

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य सहित राज्य-वार स्वीकृत छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I से V में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश राज्य सहित एनएमडीएफसी की योजनाओं के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों के राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-VI तथा VII में दिये गये हैं। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008-09 से वर्ष 2010-11 की अवधि के दौरान एनएमडीएफसी योजनाओं के तहत आंध्र प्रदेश राज्य के किसी लाभार्थी को सहायता नहीं दी जा सकी, क्योंकि राज्य की चैनेलाइजिंग एजेंसी - आंध्र प्रदेश स्टेट माइनोरिटी फाइनेंसियल कॉरपोरेशन द्वारा आंध्र प्रदेश में एनएमडीएफसी की योजनाओं का कार्यान्वयन रोक दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में असमानता की स्थिति के संदर्भ में कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

विवरण-I

मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11			2011-12 (As on 29.03.2012)		
		पुरुष	महिला	छात्राओं का %	पुरुष	महिला	छात्राओं का %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	124517	100945	44.77	49192	72127	59.45
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	19289	18970	49.58	39910	46249	53.68
4.	बिहार	185367	134740	42.09	72263	85710	54.26
5.	छत्तीसगढ़	3104	3872	55.50	5909	6701	53.14
6.	गोवा	0	0	0		0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	16974	7849	31.62	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	610	556	47.68	2022	1936	48.91
10.	जम्मू और कश्मीर	59101	57470	49.30	0	0	0
11.	झारखंड	12029	14078	53.92	16742	19095	53.28
12.	कर्नाटक	145048	169460	53.88	139957	159063	53.19
13.	केरल	240153	323407	57.39	251066	321814	56.17
14.	मध्य प्रदेश	22723	38329	62.78	66696	69236	50.93
15.	महाराष्ट्र	367957	177244	32.51	281259	420084	59.90
16.	मणिपुर	0	0	0	4822	4616	48.91
17.	मेघालय	5375	7471	58.16	0	0	0
18.	मिजोरम	6689	7364	52.40	6480	7005	51.95
19.	नागालैंड	2196	2204	50.09	0	0	0
20.	ओडिशा	8910	9029	50.42	11861	12692	51.69
21.	पंजाब	166898	112184	40.20	156006	108323	40.98
22.	राजस्थान	73264	48724	39.94	76285	72531	48.74
23.	सिक्किम	1220	1214	49.88	1586	1683	51.48
24.	तमिलनाडु	118674	193741	62.01	118555	117027	49.68
25.	त्रिपुरा	789	828	51.21	–	–	0
26.	उत्तर प्रदेश	267224	198588	42.63	571026	400219	41.21
27.	उत्तराखंड	673	459	40.55	1781	1322	42.60
28.	पश्चिम बंगाल	429285	483717	52.98	455938	499267	52.27

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	107	130	54.85
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	32	40	55.56	89	94	51.37
32.	दमन और दीव	53	60	53.10	.	.	0
33.	दिल्ली	11742	19162	62.00	6036	6692	52.58
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
	योग	2289896	2131705	48.21	2335588	2433616	51.03

विवरण-II

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

		2010-11			2011-12 (29.03.2012 तक)		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुरुष	महिला	छात्राओं का %	पुरुष	महिला	छात्राओं का %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	21604	21368	49.73	6629	13921	67.74
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0.00	0	0	0.00
3.	असम	2857	1873	39.60	0	0	0.00
4.	बिहार	12850	11859	47.99	20074	20140	50.08
5.	छत्तीसगढ़	502	894	64.04	511	961	51.58
6.	गोवा	146	377	72.08	0	0	0.00
7.	गुजरात	6247	6043	49.17	7909	6197	43.93
8.	हरियाणा	1630	934	36.43	0	0	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	186	169	47.61	0	0	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	5969	4797	44.56	0	0	0.00
11.	झारखंड	5308	4517	45.97	5467	5191	40.85

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	कर्नाटक	15909	27435	63.30	8139	20861	31.66
13.	केरल	22939	37843	62.26	24537	40879	54.35
14.	मध्य प्रदेश	4472	3323	42.63	3849	5514	49.51
15.	महाराष्ट्र	21920	22659	50.83	16916	20360	54.62
16.	मणिपुर	719	681	48.64	0	0	0.00
17.	मेघालय	118	138	53.91	–	0	0.00
18.	मिजोरम	1672	1744	51.05	0	0	0.00
19.	नागालैंड	32	36	52.94	22	26	54.17
20.	ओडिशा	553	496	47.28	0	0	0.00
21.	पंजाब	9173	18072	33.67	10790	29950	60.46
22.	राजस्थान	5932	4941	45.44	10539	8159	43.64
23.	सिक्किम	236	389	62.24	243	306	55.74
24.	तमिलनाडु	12126	21981	64.45	9231	18641	61.24
25.	त्रिपुरा	245	84	25.53	0	0	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	46519	43867	48.53	54851	58193	42.13
27.	उत्तराखंड	83	88	48.54	212	186	41.89
28.	पश्चिम बंगाल	59520	28232	67.83	66655	39510	33.36
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	7	77.78	0	0	0.00
30.	चंडीगढ़	30	47	61.04	0	0	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	12	18	60.00	0	0	0.00
32.	दमन और दीव	12	10	45.45	0	0	0.00
33.	दिल्ली	332	534	61.66	0	0	0.00
34.	लक्षद्वीप	0	0	0.00	0	0	0.00
35.	पुडुचेरी	143	190	57.06	69	83	36.09
	योग	259998	265646	51.00	246643	289078	45.46

विवरण-III

मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11			2011-12 (29.03.2012 तक)		
		पुरुष	महिला	छात्राओं का %	पुरुष	महिला	छात्राओं का %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	710	604	45.97	643	483	42.90
2.	अरूणाचल प्रदेश						
3.	असम	1393	515	26.99	1069	312	22.59
4.	बिहार	2662	471	15.03	3031	650	17.66
5.	छत्तीसगढ़	63	85	57.43	59	81	57.86
6.	गोवा	26	53	67.09	40	44	52.38
7.	गुजरात	600	328	35.34	513	428	45.48
8.	हरियाणा	252	58	18.71	246	116	32.04
9.	हिमाचल प्रदेश	21	16	43.24	20	16	44.44
10.	जम्मू और कश्मीर	1145	298	20.65	1054	540	33.88
11.	झारखंड	753	163	17.79	708	184	20.63
12.	कर्नाटक	723	1263	63.60	920	1297	58.50
13.	केरल	1696	2747	61.83	1767	2790	61.22
14.	मध्य प्रदेश	367	447	54.91	353	490	58.13
15.	महाराष्ट्र	1306	1157	46.98	1897	1578	45.41
16.	मणिपुर	110	74	40.22	104	71	40.57
17.	मेघालय	114	110	49.11	143	162	53.11
18.	मिजोरम	104	84	44.68	78	67	46.21
19.	नागालैंड	226	119	34.49	217	182	45.61
20.	ओडिशा	126	65	34.03	127	74	36.82
21.	पंजाब	1218	1323	52.07	1075	1699	61.25

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	राजस्थान	772	229	22.88	.809	378	31.84
23.	सिक्किम	61	84	57.93	37	38	50.67
24.	तमिलनाडु	822	1296	61.19	1191	1199	50.17
25.	त्रिपुरा	51	22	30.14	39	20	33.90
26.	उत्तर प्रदेश	5554	1408	20.22	4818	1561	24.47
27.	उत्तराखंड	96	31	24.41	165	45	21.43
28.	पश्चिम बंगाल	5739	860	13.03	4815	724	13.07
	संघ राज्य क्षेत्र						
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7	4	36.36	4	3	42.86
30.	चंडीगढ़	10	7	41.18	13	5	27.78
31.	दादरा और नगर हवेली						
32.	दमन और दीव	1	-	0.00	2		-
33.	दिल्ली	238	147	38.18	270	138	33.82
34.	लक्षद्वीप						
35.	पुदुचेरी	13	9	40.91	6	13	68.42
	योग	26979	14077	34.29	26233	15388	36.97

विवरण-IV

मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को प्रदत्त अध्येतावृत्ति के राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11*	2011-12** (29.02.2012 तक)	योग
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	32	69	103	204
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	3	7	10
3.	असम	34	67	102	203
4.	बिहार	56	108	163	327

1	2	3	4	5	6
5.	छत्तीसगढ़	7	11	17	35
6.	गोवा	1	5	9	15
7.	गुजरात	9	27	39	75
8.	हरियाणा	0	13	21	34
9.	हिमाचल प्रदेश	4	9	13	26
10.	जम्मू और कश्मीर	32	62	101	195
11.	झारखंड	17	36	57	110
12.	कर्नाटक	27	55	88	170
13.	केरल	63	116	173	352
14.	मध्य प्रदेश	16	31	45	92
15.	महाराष्ट्र	72	138	205	415
16.	मणिपुर	6	10	15	31
17.	मेघालय	6	12	18	36
18.	मिजोरम	5	9	13	27
19.	नागालैंड	5	11	17	33
20.	ओडिशा	3	9	14	26
21.	पंजाब	75	134	196	405
22.	राजस्थान	21	42	62	125
23.	सिक्किम	0	4	8	12
24.	तमिलनाडु	35	68	102	205
25.	त्रिपुरा	0	4	4	8
26.	उत्तर प्रदेश	130	251	381	762
27.	उत्तराखंड	4	8	13	25
28.	पश्चिम बंगाल	78	158	220	456
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	2	2	5
30.	चंडीगढ़	4	8	13	25

1	2	3	4	5	6
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0
33.	दिल्ली	8	17	26	51
34.	लक्षद्वीप	2	6	7	15
35.	पुदुचेरी	4	8	12	24
	योग	757	1511	2266	4534

*नए एवं नवीकरण दोनों सहित।

विवरण-V

मेधावी छात्राओं को मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत स्वीकृत छात्रवृत्तियों के राज्य-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09 छात्रवृत्तियों की संख्या	2009-10 छात्रवृत्तियों की संख्या	2010-11 छात्रवृत्तियों की संख्या	योग छात्रवृत्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	1	2	3
2.	आंध्र प्रदेश	828	1072	924	2824
3.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0
4.	असम	419	346	429	1194
5.	बिहार	680	1159	1425	3264
6.	छत्तीसगढ़	0	2	0	2
7.	चंडीगढ़	2	0	13	15
8.	दिल्ली	72	171	0	243
9.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
10.	दमन और दीव	3	6	228	237
11.	गोवा	0	3	5	8
12.	गुजरात	623	709	610	1942

1	2	3	4	5	6
13.	हरियाणा	7	7	28	42
14.	हिमाचल प्रदेश	0	1	1	2
15.	जम्मू और कश्मीर	21	25	7	53
16.	झारखंड	670	691	556	1917
17.	कर्नाटक	355	913	546	1814
18.	केरल	2884	2402	2338	7624
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	371	217	400	988
21.	महाराष्ट्र	1390	1570	1394	4354
22.	मणिपुर	19	14	11	44
23.	मेघालय	3	1	4	8
24.	मिजोरम	0	0	0	0
25.	नागालैंड	0	0	0	0
26.	ओडिशा	49	41	43	133
27.	पुदुचेरी	1	6	10	17
28.	पंजाब	8	83	1685	1776
29.	राजस्थान	408	470	561	1439
30.	सिक्किम	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	990	1188	1176	3354
32.	त्रिपुरा	1	0	3	4
33.	उत्तर प्रदेश	839	2518	3676	7033
34.	उत्तराखंड	35	38	32	105
35.	पश्चिम बंगाल	1386	1416	1219	4021
	योग	12064	15070	17326	44460

विवरण-VI

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम

लघु वित्त योजना के तहत वर्ष 2009-10 दौरान महिलाओं एवं पुरुषों को संवितरित धनराशि

(राशि लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के नाम	पुरुष		महिला		योग	
			राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	एपीएसएमएफसी					0	0
2.	असम	एएमडीएफसी					0	0
3.	बिहार	बीएसएमएफसी					0	0
4.	चंडीगढ़	सीएचएससीएफडीसीएल				0	0	
5.	छत्तीसगढ़	सीएसएसीएफडीसी				0	0	
6.	दिल्ली	डीएससीएफडीसी				0	0	
7.	गुजरात	जीएमएफडीसी	0	0	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	एचपीएमएफडीसी					0	0
9.	हरियाणा	एचबीसीकेएन					0	0
		एमडीए	0.00	0	348.39	1557	348.39	1557
10.	जम्मू और कश्मीर	जेकेएससीएसटीएफडीसी					0	0
		जेकेडब्ल्यूडीसी	0	0	100.95	454	100.95	454
		जेकेईडीआई					0	0
11.	झारखंड	जेएसएसटीसीडीसी					0	0
12.	केरल	केएसबीसीडीसी	29.250	256	270.74	3347	299.99	3603
		केबीसीडीसी	207.05	3053	352.93	21235	559.98	24288
		केएससीएफएफडीसी	0	0	86.4	508	86.4	508
13.	कर्नाटक	केएमडीसी	0	0	69.85	806	69.85	806
14.	महाराष्ट्र	एमएएमएफडीसी					0	0
15.	मणिपुर	एमओबीसी					0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	मध्य प्रदेश	एमपीबीसीडीएफसी				0	0	
		एमपीएचएसवीएन					0	0
17.	मिजोरम	एमसीएबी	5.31	97	4.49	55	9.8	152
		जेडआईडीसीओ					0	0
18.	नागालैंड	एनएचएचडीसी					0	0
		एनएचडीसी					0	0
		एनएसएसडब्ल्यूबी	0.00	0	50.00	507	50.00	507
		एचएफएल					0	0
19.	ओडिशा	ओआरएससीएसटीएफडीसी					0	0
20.	पुडुचेरी	पीडीबीसीएमडीसी	0	0	41.6	425	41.6	425
21.	पंजाब	बीएसीकेएफआईएनसीओ					0	0
22.	राजस्थान	आरएमएफडीसीसी					0	0
23.	तमिलनाडु	टीएएमसीओ	60.36	393	940.12	7418	1000.48	7811
24.	त्रिपुरा	टीएमसीडीसी					0	0
25.	उत्तर प्रदेश	यूपीएमएफडीसी					0	0
26.	उत्तराखण्ड	यूपीसीडीएफसी					0	0
27.	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएमडीएफसी	3	31	2089.37	23721	2092.37	23752
		योग	304.97	3830	4354.84	60033	4659.81	63863

विवरण-VII

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम

लघु वित्त योजना के तहत वर्ष 2010-11 दौरान महिलाओं एवं पुरुषों को संवितरित धनराशि

(राशि लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के नाम	पुरुष		महिला		योग	
			राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	एपीएसएमएफसी						
2.	असम	एएमडीएफसी	77.83	474	122.17	717	200	1191

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	बिहार	बीएसएमएफसी					0	0
4.	चंडीगढ़	सीएचएससीएफडीसीएल					0	0
5.	छत्तीसगढ़	सीएसएसीएफडीसी					0	0
6.	दिल्ली	डीएससीएफडीसी					0	0
7.	गुजरात	जीएमएफडीसी					0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	एचपीएमएफडीसी					0	0
9.	हरियाणा	एचबीसीकेएन					0	0
		एमडीए					0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	जेकेएससीएसटीएफडीसी					0	0
		जेकेडब्ल्यूडीसी	0	0	50.49	226	50.49	226
		जेकेईडीआई					0	0
11.	झारखंड	जेएसएसटीसीडीसी					0	0
12.	केरल	केएसबीसीडीसी	0.000	0	150.4	1205	150.4	1205
		केबीसीडीसी	440	5500	2160	23250	2600	28750
		केएससीएफएफडीसी	0	0	120.28	411	120.28	411
13.	कर्नाटक	केएमडीसी					0	0
14.	महाराष्ट्र	एमएएमएफडीसी					0	0
15.	मणिपुर	एमओबीसी					0	0
16.	मध्य प्रदेश	एमपीबीसीडीएफसी					0	0
		एमपीएचएसवीएन					0	0
17.	मिजोरम	एमसीएबी					0	0
		जेडआईडीसीओ					0	0
18.	नागालैंड	एनएचएचडीसी					0	0
		एनएचडीसी					0	0
		एनएसएसडब्ल्यूबी	0.00	0	100.00	1128	100.00	1128
		एचएफएल					0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	ओडिशा	ओआरएससीएसटीएफडीसी					0	0
20.	पुदुचेरी	पीडीबीसीएमडीसी					0	0
21.	पंजाब	बीएसीकेएफआईएनसीओ					0	
22.	राजस्थान	आरएमएफडीसीसी					0	0
23.	तमिलनाडु	टीएएमसीओ					0	
24.	त्रिपुरा	टीएमसीडीसी					0	0
25.	उत्तर प्रदेश	यूपीएमएफडीसी					0	0
26.	उत्तराखण्ड	यूपीसीडीएफसी					0	0
27.	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएमडीएफसी	0	0	4848.20	45734	4848.20	45734
		योग	517.83	5974	7551.54	72671	8069.37	78645

विवरण-VIII

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम

सावधि ऋण योजना के तहत वर्ष 2009-10 के दौरान महिलाओं एवं पुरुषों को संवितरित धनराशि

(राशि लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के नाम	पुरुष		महिला		योग	
			राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	एपीएसएमएफसी					0	0
2.	असम	एएमडीएफसी					0	0
3.	बिहार	बीएसएमएफसी					0	0
4.	चंडीगढ़	सीएचएससीएफडीसीएल						
5.	छत्तीसगढ़	सीएसएसीएफडीसी					0	0
6.	दिल्ली	डीएससीएफडीसी	19.90	24	7.05	6	26.95	83.90
7.	गुजरात	जीएमएफडीसी	148.95	499	23.35	366	172.3	1209.6
8.	हिमाचल प्रदेश	एचपीएमएफडीसी	231.51	177	24.94	28	256.45	717.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	हरियाणा	एचबीसीकेएन	506.00	1053	86.75	225	592.75	2463.50
		एमडीए	91.88	207	7.72	18	99.6	424.20
10.	जम्मू और कश्मीर	जेकेएससीएसटीएफडीसी					0	0
		जेकेडब्ल्यूडीसी			460	589	460	1509
		जेकेईडीआई					0	0
11.	झारखंड	जेएसएसटीसीडीसी					0	0.00
12.	केरल	केएसबीसीडीसी	916.955	1123	567.26	633	1484.22	4724.430
		केबीसीडीसी	194.87	263	55.18	105	250.05	868.1
		केएससीएफएफडीसी			1440.00	1803	1440	4683
13.	कर्नाटक	केएमडीसी	159.27	550	59.81	220	219.08	1208.16
14.	महाराष्ट्र	एमएएमएफडीसी						
15.	मणिपुर	एमओबीसी					0	0
16.	मध्य प्रदेश	एमपीबीसीडीएफसी					0	0
		एमपीएचएसवीएन					0	0
17.	मिजोरम	एमसीएबी	150.16	250	149.84	338	300	1188
		जेडआईडीसीओ					0	0.00
18.	नागालैंड	एनएचएचडीसी	344.50	259	255.50	177	600	1636.00
		एनएचडीसी	166.05	196	243.95	287	410	1303.00
		एनएसएसडब्ल्यूबी					0	0
		एचएफएल					0	0
19.	ओडिशा	ओआरएससीएसटीएफडीसी						
20.	पुदुचेरी	पीडीबीसीएमडीसी	369.21	503	74.46	35	443.67	1425.34
21.	पंजाब	बीएसीकेएफआईएनसीओ	253.09	700	52.45	132	305.54	1443.08
22.	राजस्थान	आरएमएफडीसीसी						
23.	तमिलनाडु	टीएएमसीओ	82.43	102	13.62	20	96.05	314.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	त्रिपुरा	टीएमसीडीसी					0	0
25.	उत्तर प्रदेश	यूपीएमएफडीसी	14.40	29	6.29	12	20.69	82.38
26.	उत्तराखण्ड	यूपीसीडीएफसी	3729.26	9030	559.24	1984	4288.5	19591
27.	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएमडीएफसी योग	7378.435	14965	4087.41	6978	11465.845	44874.69

विवरण-IX

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम

सावधि ऋण योजना के तहत वर्ष 2009-10 दौरान महिलाओं एवं पुरुषों को संवितरित धनराशि

(राशि लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के नाम	पुरुष		महिला		योग	
			राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	एपीएसएमएफसी	0	0	0	0	0	0
2.	असम	एएमडीएफसी	0	0	0	0	0	0
3.	बिहार	बीएसएमएफसी	578.01	1219	136.98	192	714.99	3411
4.	चंडीगढ़	सीएचएससीएफडीसीएल	0	0	0	0		
5.	छत्तीसगढ़	सीएसएसीएफडीसी	53.61	67	23.40	51	77.01	118
6.	दिल्ली	डीएससीएफडीसी	0.85	1	0	0	0.85	1
7.	गुजरात	जीएमएफडीसी	0	0	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	एचपीएमएफडीसी	97.59	89	15.30	16	112.89	105
9.	हरियाणा	एचबीसीकेएन	0.00	0	0	0	0	0
		एमडीए	0.00	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	जेकेएससीएसटीएफडीसी	0	0	0	0	0	0
		जेकेडब्ल्यूडीसी	0	0	533	794	533	794
		जेकेईडीआई	500	292	0	0	500	292

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	झारखंड	जेएसएसटीसीडीसी	0.00	0	0.00	0	0	0
12.	केरल	केएसबीसीडीसी	1485.52	1717	779.45	852	2264.97	2569
		केबीसीडीसी	313.09	438	100.82	159	413.91	597
		केएससीएफएफडीसी	0	0	527	724	527	724
13.	कर्नाटक	केएमडीसी	0	0	0	0	0	0
14.	महाराष्ट्र	एमएएमएफडीसी	0	0	0	0	0	0
15.	मणिपुर	एमओबीसी	0	0	0	0	0	0
16.	मध्य प्रदेश	एमपीबीसीडीएफसी	0	0	0	0	0	0
		एमपीएचएसवीएन	0	0	0	0	0	0
17.	मिजोरम	एमसीएबी	68.10	150	60.90,	118	129	268
		जेडआईडीसीओ	0.00	0	0.00	0	0	0
18.	नागालैंड	एनएचएचडीसी	223.40	278	127.60	123	351	401
		एनएचडीसी	0.00	0	0.00	0	0	0
		एनएसएसडब्ल्यूबी	0	0	0	0	0	0
		एचएफएल	0	0	0	0	0	0
19.	ओडिशा	ओआरएससीएसटीएफडीसी	0	0	0	0	0	0
20.	पुडुचेरी	पीडीबीसीएमडीसी	903.27	1089	55.34	67	958.61	1156
21.	पंजाब	बीएसीकेएफआईएनसीओ	492.68	1450	116.09	428	608.77	1878
22.	राजस्थान	आरएमएफडीसीसी	216.06	324	69.21	214	285.27	538
23.	तमिलनाडु	टीएएमसीओ	77.29	96	22.92	30	100.21	126
24.	त्रिपुरा	टीएमसीडीसी	0	0	0	0	0	0
25.	उत्तर प्रदेश	यूपीएमएफडीसी	0.00	0	0	0	0	0
26.	उत्तराखण्ड	यूपीसीडीएफसी	2658.04	6279	664.44	1668	3322.48	7947
27.	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएमडीएफसी योग	7667.51	13489	3232.45	5436	10899.96	18925

अनुच्छेद 124 में संशोधन

1385. **श्री सोमेन मित्रा:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति उपरांत लाभकारी विधिक कार्य में संलग्नता को समाप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 124 में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना

1386. **श्री अंजनकुमार एम. यादव:**
श्री संजय सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना के अंतर्गत नि:शक्तता के प्रतिशत को 80 से घटा कर 40 प्रतिशत करने तथा इसमें निम्न आय समूह के नि:शक्त लोगों को भी शामिल करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (घ) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना के अंतर्गत 18-59 वर्ष के आयु वर्ग में गंभीर या विविध प्रकार की विकलांगताओं से प्रभावित तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मनदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के व्यक्ति केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं। फिलहाल विकलांगता प्रतिशत में कमी लाने या योजना में निम्न आय वर्ग के विकलांग व्यक्तियों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रैपिड ग्रांट फोर यंग इन्वेस्टीगेटर स्कीम

1387. **श्री पशुपति नाथ सिंह:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रैपिड ग्रांट फोर यंग इन्वेस्टीगेटर स्कीम (आरजीवाईआई) 2012 के अंतर्गत जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवोन्मेषक विचारों को आगे लाने तथा वैज्ञानिकों मुख्य शोधकर्ता के रूप में प्रथम अनुदान प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के छात्रों के लिए कोई योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार झारखंड सहित अन्य राज्यों में भी इस योजना के अंतर्गत जल्द ही कोई योजना शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (घ) जी नहीं। जैवप्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), भारत सरकार द्वारा युवा अन्वेषकों के लिए रैपिड ग्रांट फोर यंग इन्वेस्टीगेटर स्कीम (आरजीवाईआई) 2012 के अंतर्गत युवा वैज्ञानिकों के लिए मुख्य अनुसंधानकर्ता के रूप में प्राथमिक अनुदान उपलब्ध कराने और जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार विचारों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के छात्रों के लिए कोई योजना नहीं चलाई गई है। तथापि, डीबीटी जैवप्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों (चिकित्सा, कृषि, पशु, जैवप्रौद्योगिकी, पर्यावरण और उद्योग इत्यादि) में सर्जनात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने और स्थाई संकाय पदों पर काम कर रहे और पीएचडी डिग्री धारक युवा अन्वेषकों के प्रारंभिक कैरीयर विकास को आगे बढ़ाने के लिए 40 वर्ष से कम आयु वाले अन्वेषकों के लिए 2005-06 से रैपिड ग्रांट स्कीम चला रहा है। इन परियोजनाओं में पोस्ट डॉक्टोरल फैलो, को-पीआई के रूप में सेवारंभ कर सकते हैं और छात्र, एसआरएफ/जेआरएफ के रूप में कार्य कर सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत परियोजनाएं पूरे भारत में मेरिट आधार पर कार्यान्वित की जाती है और छत्तीसगढ़ और झारखंड सहित राज्य विशिष्ट कोई विशिष्ट स्कीम शुरू नहीं की गई है।

[अनुवाद]

उर्वरकों की आवश्यकता

1388. श्री रामसिंह राठवा: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार अधिष्ठापित क्षमता तथा उपयोग को दर्शाते हुए उर्वरक संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के लिए उर्वरक की कितनी मात्रा की आवश्यकता है; और

(ग) देश में उर्वरकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मेंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) देश में उर्वरक संयंत्र की स्थापित क्षमता और प्रतिशत क्षमता दर्शाने वाला राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पिछले कुछ वर्षो से देश में प्रमुख उर्वरकों नामत: यूरिया, डीएपी, एमओपी और मिश्रित उर्वरकों की मांग बढ़ रही है और इसे नीचे तालिका में दिया गया है:

(लाख मी. टन)

क्र.सं.	उत्पाद	वर्ष	
		2010-11	2011-12
1.	यूरिया	290.78	304.96
2.	डीएपी	120.91	126.17
3.	एमओपी	47.79	48.16
4.	मिश्रित	92.00	107.15

(ग) सरकार द्वारा देश में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) सभी प्रमुख राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के संचलन की ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली (www.urvarak.co.in) द्वारा देश भर में निगरानी की जा रही है जिसे उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) भी कहा जाता है:

(ii) यूरिया की आवश्यकता और स्वदेशी उपलब्धता के बीच अंतर को आयात के जरिए पूरा किया जाता है;

(iii) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे आपूर्तियों को सुप्रवाही बनाने के लिए उर्वरकों के उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय करने के लिए राज्य संस्थागत अभिकरणों को निर्देश दें;

(iv) राज्य सरकारों को उत्पादकों/आयातकों के साथ समन्वय करने के लिए अधिक सह-क्रियाशील भूमिका निभानी पड़ती है ताकि वे राज्यों की आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों की आपूर्तियों हेतु अनुबंध कर सकें;

(v) उर्वरक विभाग तथा कृषि एवं सहकारिता विभाग प्रति सप्ताह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न राज्यों के राज्य कृषि विभाग के साथ उर्वरक उपलब्धता की संयुक्त रूप से समीक्षा कर रहे हैं। सुधारात्मक कार्रवाई, यदि अपेक्षित हो, तत्काल की जाती है ताकि किसानों को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े;

(vi) उर्वरक कंपनियों को उर्वरक बैगों पर स्पष्ट रुप से अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) मुद्रित करना होता है। मुद्रित निवल खुदरा मूल्य से अधिक पर बिक्री करना आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय है। फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों के प्रत्येक बैग पर प्रति बैग राजसहायता की राशि भी मुद्रित की जाती है;

(vii) उर्वरक विभाग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, गेल तथा प्राकृतिक गैस/द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एनजी/एलएनजी) के अन्य भावी आपूर्तिकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है ताकि उर्वरक उद्योग की गैस आवश्यकता को पूरा किया जा सके; और

(viii) सरकार आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए देश में यूरिया के उत्पादन को हमेशा से प्रोत्साहन देती रही है। सरकार यूरिया उत्पादन संयंत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई नीति पर विचार कर रही है। देश फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त पीएण्डके उर्वरकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर पूर्णतया निर्भर है। सरकार ने पीएण्डके क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए डीएपी के स्वदेशी उत्पादकों को आयात सम-मूल्य की अनुमति देकर पहल की है। सरकार ने पीएण्डके उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादकों को उचित मूल्य पर इस महत्वपूर्ण

आदान को खरीदने में सक्षम बनाने के लिए फॉस्फोरिक एसिड पर सीमा शुल्क को 5% से घटाकर 2% कर दिया है। सरकार पीएण्डके क्षेत्र को उर्वरक आदानों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विदेशों में संयुक्त उद्यम लगाने की संभावना की तलाश करने हेतु निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को भी प्रोत्साहित कर रही है।

विवरण

वर्ष 2010-11 से 2011-12 (फरवरी, 2012 तक) मिश्रित उर्वरकों की संयंत्र-वार, राज्य-वार संस्थापित क्षमता, वास्तविक उत्पादन और प्रतिशत क्षमता उपयोग

('000' मी. टन)

राज्य का नाम	कंपनी का नाम	वार्षिक संस्थापित क्षमता	उत्पादन		% क्षमता उपयोग	
			2010-11	अप्रैल 2011 से फरवरी 2012	2010-11	अप्रैल 2011 से फरवरी 2012
आंध्र प्रदेश	सीआईएल-विजाग	600.0	858.8	917.2	143.1	152.9
	सीआईएल-काकीनाडा	0.0	958.8	711.6	0.0	0.0
केरल	फैक्ट-उद्योगमंडल	148.5	147.6	149.9	99.4	100.9
	फैक्ट-कोचीन-II	485.0	496.2	397.2	102.3	81.9
कर्नाटक	एमसीएफ-मंगलौर	0.0	45.7	42.4	0.0	0.0
तमिलनाडु	एमएफएल-चेन्नई	840.0	0.0	34.3	0.0	4.1
	स्पिक-तूतीकोरिन	0.0	175.4	206.6	0.0	0.0
महाराष्ट्र	आरसीएफ	661.0	603.9	587.7	91.4	88.9
	डीएफपीसीएल:तलोजा	230.0	123.5	153.5	53.7	66.7
गुजरात	इफको-कांडला	1215.4	2456.3	1605.2	202.1	132.1
	जीएसएफसी-वदोदरा	0.0	280.3	276.4	0.0	0.0
	जीएनएफसी-भरुच	142.5	166.2	177.1	116.6	124.3
	जीएसएफसी-सिक्का-I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	जीएसएफसी-सिक्का-II	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	हिण्डाल्को दाहेज	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	पीपीएल-	0.0	537.5	406.3	0.0	0.0
	इफको-पारादीप	420.0	745.3	794.4	177.5	189.1
पश्चिम बंगाल	टीसीएल-हल्दिया	0.0	361.2	311.9	0.0	0.0
	सकल योग	5222.4	8727.0	7356.4	167.1	140.9

वर्ष 2010-11 से 2011-12 (फरवरी, 2012 तक) डीएपी की संयंत्र-वार, राज्य-वार संस्थापित क्षमता, वास्तविक उत्पादन और प्रतिशत क्षमता उपयोग

('000' मी. टन)

राज्य का नाम	संयंत्रों का नाम	वार्षिक संस्थापित क्षमता	उत्पादन		% क्षमता उपयोग	
			2010-11	अप्रैल 2011 से फरवरी 2012	2010-11	अप्रैल 2011 से फरवरी 2012
आंध्र प्रदेश	सीआईएल-काकीनाडा	670.0	402.5	303.7	60.1	45.3
	सीआईएल-विजाग	0.0	31.8	0.0	0.0	0.0
कर्नाटक	एमसीएफ-मंगलौर	180.0	177.8	126.6	98.8	70.3
तमिलनाडु	स्पिक-तूतीकोरिन	475.0	30.4	169.7	6.4	35.7
गोवा	जैडआईएल-गोवा	330.0	151.6	169.2	45.9	51.3
गुजरात	इफको-कांडला	1200.0	60.1	479.8	5.0	40.0
	जीएसएफसी-वदोदरा	165.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	जीएसएफसी-सिक्का-I	588.00	706.1	225.5	120.1	38.4
	जीएसएफसी-सिक्का-II	396.0	0.0	261.0	0.0	65.9
	हिण्डाल्को इण्ड. लि. दाहेज	400.0	214.2	191.1	53.6	47.9
ओडिशा	पीपीएल-पारादीप	720.0	655.6	569.0	91.1	79.0
	इफको-पारादीप	1500.0	916.5	906.6	61.1	60.4
पश्चिम बंगाल	टीसीएल-हल्दिया	675.0	193.00	250.6	28.2	37.1
सकल योग		7299.0	3536.9	3652.8	48.5	50.0

विवरण

वर्ष 2010-11 से 2011-12 (फरवरी, 2012 तक) यूरिया की संयंत्र-वार, राज्य-वार संस्थापित क्षमता, वास्तविक उत्पादन और प्रतिशत क्षमता उपयोग

('000' मी. टन)

राज्य का नाम	संयंत्रों का नाम	वार्षिक संस्थापित क्षमता	उत्पादन		% क्षमता उपयोग	
			2010-11	अप्रैल 2011 से फरवरी 2012	2010-11	अप्रैल 2011 से फरवरी 2012
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	एनएफसीएल-काकीनाडा	597.3	831.6	723.8	139.2	121.2
	एनएफसीएल-काकीनाडा	597.3	824.0	706.8	138.0	118.3

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक	एमसीएफ मंगलौर	380.0	379.4	379.4	99.8	99.8
तमिलनाडु	एमएफएल-चेन्नै	486.8	477.9	481.7	98.2	99.0
	स्पिक-तूतीकोरिन	620.0	300.9	608.6	48.5	98.2
गोवा	जैडआईएल-गोवा	399.3	396.8	323.7	99.4	81.1
मध्य प्रदेश	एनएफएल-विजयपुर	864.6	916.6	869.9	106.0	100.6
	एनएफएल-विजयपुर विस	864.6	961.5	925.9	111.2	107.1
महाराष्ट्र	आरसीएफ-ट्राम्बे-V	0.0	341.1	295.2	0.0	0.0
	आरसीएफ-थाल I	1706.8	1783.4	1594.3	104.5	93.4
	आरसीएफ-कुल	2036.8	2124.5	1889.5	104.3	92.8
गुजरात	इफको-कलोल	544.5	600.1	553.3	110.2	101.6
	कृभको-हजीरा	1729.2	1840.3	1345.6	106.4	77.8
	जीएसएफसी-वडोदरा	370.6	245.5	260.5	66.2	70.3
	जीएनएफसी-भरुच	636.0	643.2	637.9	101.1	100.3
राजस्थान	एसएफसी-कोटा	379.0	403.4	352.0	106.4	92.9
	सीएफसीएल-गडेपान-I	864.6	1032.2	1010.3	119.4	116.9
	सीएफसीएल-गडेपान-II	864.6	1068.0	945.4	123.5	109.3
असम	बीवीएफसीएल-नामरुप-II	240.0	86.1	91.5	35.9	38.1
	बीवीएफसीएल-नामरुप-II	315.0	198.9	151.2	63.1	48.0
हरियाणा	एनएफएल-पानीपत	511.5	470.0	465.6	91.9	91.0
पंजाब	एनएफएल-नांगल-I	478.5	478.5	452.9	100.0	94.6
	एनएफएल-बठिण्डा	511.5	553.0	431.1	108.1	84.3
उत्तर प्रदेश	इफको-फूलपुर	551.1	745.1	636.7	135.2	115.5
	इफको-फूलपुर विस्तार	864.6	1026.2	1029.8	118.7	119.1
	इफको-आंवला	864.6	988.5	972.5	114.3	112.5
	इफको-आंवला विस्तार	864.6	1042.6	939.8	120.6	108.7
	डीआईएल-कानपुर	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	आईजीएफसीसी-जगदीशपुर	864.6	1098.5	1062.0	127.1	122.8

1	2	3	4	5	6	7
	टीसीएल-बबराला	864.6	1116.7	1074.3	129.2	124.3
	केएसएफएल-शाहजहांपुर	864.6	1030.5	934.7	119.2	108.1
	सकल योग	20030.4	21880.5	20256.4	109.2	101.1

लोक अदालतें

1389. डॉ. रतन सिंह अजनाला: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न/संघ राज्यक्षेत्रों में आयोजित लोक अदालतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन लोक अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) लोक अदालतों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान पंजाब सहित राज्य-वार देश में आयोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित लोक अदालतों की संख्या कितनी है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) जानकारी सलंग्न विवरण में दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुक विधिक सेवा समितियों के माध्यम से देशभर के न्यायालायें में लोक अदालतों का आयोजन करता रहा है। लोक अदालतों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य, संक्षिप्त अवधि के भीतर विवाद के समाधान के लिए एक अवसर प्रदान करना है। लोक अदालतों का आयोजन एक प्रक्रिया है जो नियमित रूप से संचालित की जा रही है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के वर्ष 2011-2012 के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना के अधीन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अधिक से अधिक लोक अदालतों को आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत/निदेश जारी किए हैं जिसे सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को उन्हें यह निदेश देते हुए परिचालित किया है कि वे लोक अदालतों के नेटवर्क को भी व्यापक बनाए। व्यय विभाग (वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय) भारत सरकार ने मामलों के त्वरित निपटान के लिए अधिक से अधिक लोक अदालतों के आयोजन के विषय में मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए हैं जिससे लोक अदालतों की प्रणाली न्यायालयों के भार को कम करेगी।

(घ) तेरहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2015 तक प्रत्येक वर्ष 15 लाख मामलों के निपटान का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्यवार लक्ष्य नियत नहीं किया गया है।

विवरण

पिछले तीन कैलेंडर वर्ष अर्थात् 2009, 2010 और 2011 के दौरान राज्यवार गठित की गई लोक अदालतों की संख्या और इन लोक अदालतों द्वारा निपटान किए गए मामलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	आयोजित की गई लोक अदालतों की संख्या			निपटान किए गए मामलों की संख्या		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	26,933	14,344	15996	125615	97109	95926
2.	अरूणाचल प्रदेश	143	103	उपलब्ध नहीं	992	811	उपलब्ध नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	231	354	73	25767	42578	3864
4.	बिहार	1,595	2,677	2545	78055	94664	61221
5.	छत्तीसगढ़	1,498	1,593	1731	7277	10118	6663
6.	गोवा	46	59	67	236	321	181
7.	गुजरात	10,747	9,929	10189	545495	43350	365012
8.	हरियाणा	906	1,136	1437	67909	50762	50587
9.	हिमाचल प्रदेश	342	412	576	2531	3062	9507
10.	जम्मू और कश्मीर	287	283	516	16254	15369	13474
11.	झारखंड	2,584	4,385	4744	9405	9076	39631
12.	कर्नाटक	8,088	15,321	30642	119560	143210	213015
13.	केरल	2,597	3,203	3727	26015	24415	25026
14.	मध्य प्रदेश	5,561	1,806	1337	230056	821672	1407820
15.	महाराष्ट्र	3,315	3,470	3454	101510	119958	457425
16.	मणिपुर	0	0	4	0	0	84
17.	मेघालय	10	5	19	189	26	450
18.	मिजोरम	89	46	32	113	54	49
19.	नागालैंड	20	76	उपलब्ध नहीं	150	88	उपलब्ध नहीं
20.	ओडिशा	799	1,090	727	132030	212148	237042
21.	पंजाब	449	480	721	28053	40663	68283
22.	राजस्थान	8,829	8,371	18001	75774	75179	2564427
23.	सिक्किम	131	166	141	383	409	677
24.	तमिलनाडु	5,464	5,469	5188	50811	39033	79714
25.	त्रिपुरा	40	84	88	4304	5199	7813
26.	उत्तर प्रदेश	3,496	3,015	2833	484416	471218	452316
27.	उत्तरांचल	175	197	203	13110	81575	44673

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	पश्चिम बंगाल	3,464	2,175	1323	39955	34329	28479
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7	0	उपलब्ध नहीं	13	0	उपलब्ध नहीं
30.	चंडीगढ़	1,646	1,706	961	21815	48972	32459
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	2	0	0	173
32.	दमन और दीव	0	0	1	0	0	0
33.	दिल्ली	1,035	1,031	1113	22131	145244	154314
34.	लक्षद्वीप	0	23	115	0	0	97
35.	पुदुचेरी	104	106	107	1426	5700	10092

अन्वेषण कार्य

1390. **श्री पोन्नम प्रभाकर:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कई अपतटीय तेल तथा गैस क्षेत्रों जोकि भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं पर अन्वेषण कार्य बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) विभिन्न अपतट तेल और गैस क्षेत्रों का अन्वेषण कार्य रक्षा मंत्रालय (एमओडी), रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ), अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) आदि जैसी विभिन्न सरकारी एजेंसियों से अनुमोदन लंबित होने के कारण अलग-अलग स्तरों पर रुका हुआ है/प्रतिबंधित है।

उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत इस समय पूर्वी अपतट में छह ब्लाकों, पश्चिमी अपतट में 9 ब्लाकों और अंडमान अपतट में एक ब्लाक में अन्वेषण करने संबंधी कार्य, संबंधित सरकारी एजेंसियों से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण प्रभावित हुए हैं।

मंत्रालय, आवश्यक सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए समय-समय पर सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय करता है।

[हिन्दी]

यमुना के जल का हिस्सा

1391. **श्री अर्जुन राम मेघवाल:**
श्री बद्रीराम जाखड़:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान को ओखला से यमुना के जल का अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा हरियाणा और उत्तर प्रदेश को क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) जुलाई से सितंबर, 2010 तक यमुना नदी के ओखला बैराज में जल की उपलब्धता कितनी रही; और

(घ) जुलाई से सितंबर 2010 तक राजस्थान के लिए जल का कितना हिस्सा उपलब्ध है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां, राजस्थान को ओखला बैराज से ऊपरी यमुना नदी बोर्ड द्वारा किए गए आवंटन के अनुसार यमुना के जल में से इसका पूरा हिस्सा नहीं मिला रहा है।

(ख) ऊपरी यमुना नदी बोर्ड द्वारा इसका कारण हरियाणा में मार्ग में हुए नुकसान और किसानों द्वारा अनधिकृत रूप से जल लिफ्ट किया जाना बताया गया है। बोर्ड ने समय-समय पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के संबंधित अधिकारियों को वाहक नहर प्रणाली की ओर के आवश्यक मरम्मत कार्य करने, जल की अनधिकृत लिफ्टिंग रोकने और यमुना के जल में राजस्थान के हिस्से की पूर्ण मात्रा देने का सुझाव दिया जाता है।

(ग) ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के जुलाई से सितंबर, 2010 तक की अवधि के रिकॉर्ड के अनुसार ओखला बैराज पर 11110 मिलियन घन मीटर (एमसीएम) जल उपलब्ध था।

(घ) ऊपरी यमुना नदी बोर्ड ने सूचित किया है कि जुलाई से सितंबर, 2010 तक राजस्थान के जल का हिसा ताजेवाला पर 720.30 एमसीएम अर्थात् 431.77 एमसीएम @1917 कयूसेक और ओखला से 288.53 एमसीएम @1281 क्यूसेक था।

टीएससी के अंतर्गत निधियों का अन्यत्र प्रयोग

1392. श्री महेश्वर हजारी:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:
श्रीमती ऊषा वर्मा:

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी एस सी) के अंतर्गत आबंटित एवं प्रयोग में लाई गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या टीएससी के अंतर्गत जारी धनराशि का अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया गया है,

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में राज्य-वार सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई है;

(घ) क्या टीएससी के अंतर्गत धनराशि जारी करने में विलंब का कोई समाचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) टीएससी एक मांग जनित परियोजना आधारित कार्यक्रम है जिसमें जिले को ईकाई के रूप में लिया जाता है। इसलिए, कार्यक्रम राज्य-वार वार्षिक आवंटन नहीं किया गया है। पिछले तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान टीएससी के अंतर्गत राज्यों को रिलिज की गई निधियों तथा राज्यों द्वारा निधियों के उपयोग की दी गई जानकारी का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) मंत्रालय के पास उपलब्ध निधियों के विपथन के संबंध कोई जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विगत तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा राज्य वार रिलीज की गई कुल निधि तथा निधियों का उपयोग

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (फरवरी, 2012 तक)	
		रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1391.81	4227.67	11078.44	3915.05	14218.46	7177.90	9657.28	6192.14
2.	अरूणाचल प्रदेश	1530.16	274.66	404.97	660.63	119.26	612.10	102.44	447.92
3.	असम	8310.66	4102.74	6729.84	9436.95	9437.36	6712.08	6125.59	10411.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	बिहार	7150.57	7114.92	9046.72	9014.63	11259.76	12421.48	17219.09	13912.82
5.	छत्तीसगढ़	1144.14	3005.37	5018.42	6437.99	5479.58	2530.57	2702.42	2906.48
6.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	978.81	4342.54	3036.91	5154.34	4692.36	3332.98	2154.29	2013.92
9.	हरियाणा	1069.09	1152.75	718.15	1220.09	2361.49	1410.41	335.27	1034.33
10.	हिमाचल प्रदेश	778.76	466.90	1017.74	1312.38	2939.78	2130.20	469.57	1144.07
11.	जम्मू और कश्मीर	1115.82	989.93	332.90	1383.15	2792.51	1101.93	967.95	1563.98
12.	झारखंड	3188.20	3001.85	3941.66	3871.71	5466.98	3653.66	3632.46	1764.86
13.	कर्नाटक	3176.18	1843.62	5571.00	4816.90	4458.66	6240.93	4354.64	3514.86
14.	केरल	388.99	719.59	975.45	1346.20	2286.34	808.52	158.89	507.12
15.	मध्य प्रदेश	9767.83	7376.23	9987.48	12732.13	14402.60	12826.57	15076.00	13486.91
16.	महाराष्ट्र	3526.29	5062.78	9894.05	11741.67	12911.70	7263.49	5799.94	3867.54
17.	मणिपुर	99.83	494.20	1177.54	409.58	80.30	861.00	698.50	663.06
18.	मेघालय	578.30	346.44	1378.78	985.46	3105.23	1437.34	557.86	3133.55
19.	मिजोरम	694.27	336.57	412.98	419.27	653.40	272.81	31.38	631.26
20.	नागालैंड	99.78	167.38	1059.27	971.60	1229.45	264.95	174.06	1371.36
21.	ओडिशा	7204.33	3964.11	5031.55	5258.97	6836.73	4928.22	11171.70	3286.87
22.	पुदुचेरी	0.00	23.74	0.00	5.19	0.00	2.91	0.00	0.00
23.	पंजाब	223.18	66.76	116.02	326.41	1116.39	420.64	283.18	108.36
24.	राजस्थान	2516.85	2232.06	4352.64	3217.59	5670.74	3757.52	3443.79	2814.16
25.	सिक्किम	254.86	0.00	0.00	258.95	112.86	0.00	0.00	0.00
26.	तमिलनाडु	473.31	2427.37	6166.18	5406.86	7794.35	5213.14	7662.06	4261.71
27.	त्रिपुरा	158.76	684.61	836.66	535.74	925.14	574.08	133.92	745.37
28.	उत्तर प्रदेश	38284.24	25668.75	11579.77	33657.27	22594.00	22738.91	16920.72	6522.40
29.	उत्तराखंड	861.89	478.15	773.98	1102.22	1707.61	1159.57	402.38	1113.22
30.	पश्चिम बंगाल	3047.06	2880.20	3246.26	7809.32	8327.50	7654.57	14124.34	9307.41

बंद उर्वरक संयंत्रों के पुनरूद्धार हेतु राजसहायता

1393. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक क्षेत्र की बंद उर्वरक इकाइयों के पुनरूद्धार हेतु राजसहायता को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बंद उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार हेतु धनराशि जुटाने के लिए कोई कार्य-योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्र (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) तथा फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की बंद इकाइयों के पुनरूद्धार के लिए, पुनरूद्धार योजनाओं का प्रारूप (डीआरएस) फिलहाल बीआईएफआर के विचाराधीन है। योजना में पीएसयू को नामांकन आधार पर तथा अन्य निजी कंपनीयों को बोली प्रक्रिया के माध्यम से इकाइयों को प्रदान करके, प्रत्येक मौजूदा स्थल पर 1.15 एमटीपीए यूरिया संयंत्र लगाने की परिकल्पना की गई है। निधियों की व्यवस्था नामांकित पीएसयू और सफल बोलीदाताओं द्वारा की जाएगी।

रेलगाड़ियों को तेज गति पर चलाने के लिए परीक्षण

1394. **श्री राकेश सिंह:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने देश में विशेष रूप से पश्चिम मध्य रेलवे में कुछ वर्तमान मार्गों पर रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने के लिए परीक्षण किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार मार्ग-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस संबंध में उठाए जा रहे अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोटा-रतलाम के रास्ते मौजूदा नई दिल्ली-मुंबई मार्ग पर यात्री गाड़ियों की गति में वृद्धि करने के लिए जापान सरकार की सहायता से पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन करने का कार्य पूरा कर लिया गया है। जापान सरकार इस कार्य से संबंधित व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए सहमत हो गयी है।

[अनुवाद]

विश्राम गृहों का निजीकरण

1395. **श्रीमती मेनका गांधी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने रेलवे स्टेशनों में विश्राम गृहों के संचालन के निजीकरण हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं, विश्राम गृहों के परिचालन के निजीकरण की कोई योजना नहीं है, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से नवीकरण/पुन:स्थापन, परिचालन और हस्तांतरण (आरओटी) योजना के अंतर्गत डॉरमेट्रियों सहित विश्राम गृहों को अपग्रेड करने के लिए क्षेत्रीय रेलों को अनुदेश जारी किए गए थे। इस योजना के अंतर्गत ठेका आबंटी मौजूदा विश्राम गृहों और डॉरमेट्रियों का नवीकरण करेंगे, अथवा निर्माण करेंगे, जैसा भी मामला हो, और समझौते के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए परिचालित करेंगे।

(ख) अब तक इस योजना के अंतर्गत यथा मध्य रेलवे के थाणे रेलवे स्टेशन और दक्षिण पश्चिम रेलवे के मैसूर रेलवे स्टेशन पर दो समझौतों को अंतिम रूप दिया गया है।

[हिन्दी]

देवरिया में अप्रयुक्त रेल भूमि

1396. **श्री गोरख प्रसाद जयसवाल:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के अंतर्गत बरहज क्षेत्र में कई एकड़ भूमि अप्रयुक्त पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उक्त भूमि के प्रयोग के संबंध में किसी संसद सदस्य से कोई अभ्यावदेन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) बरहज क्षेत्र में लगभग 30.34 हैक्टेयर रेलवे भूमि का उपयोग नहीं हो रहा है। इस खाली रेलवे भूमि की अवसंरचना और क्षमता संवर्धन संबंधी कार्यो के लिए आवश्यकता है।

(ग) ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

न्यायालय में रिश्तेदारों को पेश होने की अनुमति

1397. श्री हमदुल्लाह सईदः क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1977 में अपनाए गए उच्चतम न्यायालय के 'चार्टर ऑफ वैल्यूज' न्यायाधीशों को अपने समक्ष पेश अपने निकट रिश्तेदारों के पेश होने की अनुमति नहीं देते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कुछ न्यायाधीशों में सत्यनिष्ठा की कमी के बारे में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) अलग-अलग प्रकार के न्यायिक कदाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) भारत के उच्चतम न्यायालय ने 7.5.1997 को अपनी पूर्ण न्यायालय बैठक में स्वतंत्र, सशक्त और सम्मानित न्यायपालिका के लिए आवश्यक मार्गदर्शन करने हेतु न्यायाधीशों द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए "न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन" अंगीकृत किया था जो कि न्याय के निष्पक्ष प्रशासन के लिए अपरिहार्य हैं। मूल्यों के उक्त चार्टर में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध भी है कि किसी न्यायाधीश को अपने निकटतम कुटुम्ब के किसी भी सदस्य जैसे पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, दमाद या पुत्रवधू या किसी अन्य निकट संबंधी, यदि वह विधिज्ञ परिषद् का सदस्य है, को उसके समक्ष प्रस्तुत होने या उसके द्वारा निपटाए जाने वाले मामले में किसी भी रीति में सहबद्ध होने के लिए अनुज्ञात नहीं करना चाहिए।

(ग) उच्चतर न्यायपालिका के 'आंतरिक तंत्र' के अनुसार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के आचारण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं। इसी प्रकार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति उनके न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकार ऐसी शिकायतों का अभिलेख नहीं रखती है और उन पर की गई कार्रवाई को मानीटर करने के लिए इसके पास कोई तंत्र नहीं है।

(घ) उच्चतर न्यायपालिका में वृहत जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए "न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक 2010" नामक एक विधेयक 01.12.2010 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। यह विधेयक न्यायिक मानकों को अधिकथित करने के अतिरिक्त न्यायाधीशों द्वारा उनकी आस्तियों और दायित्वों की घोषणा को समर्थकारी बनाने के लिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध व्यक्तिगत शिकायतों की जांच करने के लिए कानूनी तंत्र का उपबंध करता है।

मीडिया को सुरक्षा प्रदान करना

1398. श्री के.पी. धनपालनः
श्रीमती कमला देवी पटलेः

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मीडिया कर्मियों को सुरक्षा देने के लिए कोई नया कानून अधिनियमित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कानून अधिनियमित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कानून की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इसे कब तक अधिनियमित किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार की मीडिया के विरुद्ध आपराधिक मामलों को सिविल मामलों में बदलने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (घ) विनिर्दिष्ट रूप से मीडिया को संरक्षण देने के लिए कोई नई विधि लाने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न ही नहीं उठता।

ट्रॉली सुविधाएं

1399. **श्री एस. पक्कीरप्पा:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में आधुनिक ट्रॉलियों के साथ रेल यात्री सेवक सुविधा का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पूरे देश में जिन स्टेशनों पर ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती है उनकी राज्य-वार सूची का ब्यौरा क्या है;

(ग) वृद्धों, नि:शक्तों, वरिष्ठ नागरिकों और महिला यात्रियों की सहायता हेतु यह सुविधा कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है;

(घ) रेलवे और निजी संस्थानों के सहयोग से चलाई जा रही ट्रॉलियों की संख्या क्या है; और

(ङ) ऐसी सुविधाएं बढ़ाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) खुली निविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए 10 स्टेशनों पर पायलट परियोजना के रूप में रेल यात्री सेवक के साथ माडर्न ट्रालियों की सुविधा की व्यवस्था करने के लिए सभी क्षेत्रीय रेलों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। स्टेशन वार तथा राज्य वार ब्यौरा नीचे दिए गया है:-

क्र.सं.	स्टेशन	राज्य
1	2	3
1.	हावड़ा	पश्चिम बंगाल
2.	सियालदह	पश्चिम बंगाल
3.	नई दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
4.	छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई	महाराष्ट्र
5.	मुंबई सैंट्रल	महाराष्ट्र
6.	चेन्नै सैंट्रल	तमिलनाडु
7.	चेन्नै एगमोर	तमिलनाडु
8.	अहमदाबाद	गुजरात
9.	बैंगलूरु सिटी जं.	कर्नाटक
10.	तिरुवनंतपुरम	केरल

(ग) से (घ) हावड़ा स्टेशन पर 175 रेल यात्री सेवकों के साथ 50 आधुनिक सामान ट्रालियां 10.02.2011 से शुरु की गई थीं और सियालदह स्टेशन पर 62 रेल यात्री सेवकों के साथ 20 आधुनिक सामान ट्रालियां 29.08.2011 से शुरु की गई थीं जिनकी व्यवस्था सेवा प्रदाता-स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा की गई है।

मुंबई सैंट्रल, अहमदाबाद और कुछ अन्य स्टेशनों पर मामूली प्रभार पर एयरपोर्ट प्रकार की सामान ट्रालियों की व्यवस्था की गई है।

बेंगलूरु क्षेत्र में (बेंगलूरु सिटी रेलवे स्टेशन, बेंगलूरु कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन, यशंवतपुर रेलवे स्टेशन और कृष्णाराजापुरम रेलवे स्टेशन) निजी कंपनियों द्वारा प्रायोजित कुल 130 आधुनिक ट्रालियां यात्रियों का सामान ले जाने के लिए लाइसेंसधारी कुलियों को मुफ्त में दी गई हैं। चरणबद्ध तरीके से अन्य चिह्नित स्टेशनों पर इस प्रणाली के विस्तार की योजना है।

[हिन्दी]

मलिमथ समिति

1400. **डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्याय व्यवस्था में सुधार हेतु गठित मलिमथ समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों और समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) आपराधिक मामलों में त्वरित न्याय और दोषसिद्धि दर में सुधार सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) गृह मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मलिमथ समिति ने अप्रैल 2003 को सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) से (घ) समिति ने दांडिक न्याय प्रणाली का सुधार करने के लिए 158 सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें अन्य बातों के साथ-साथ निर्दोष व्यक्तियों का संरक्षण देने संबंधी और दोषी व्यक्तियों के लिए शीघ्रता से दंड सुनिश्चित करने के लिए है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को उन सिफारिशों की बाबत, जिनका प्रशासनिक रूप से क्रियान्वित किया जाना था। अपनी सलाहें जारी कर दी हैं। वे सिफारिशें जो विभिन्न विधियों संशोधन करने के लिए अपेक्षित हैं, गृह मंत्रालय ने उन्हें दांडिक विधि और दांडिक प्रक्रिया के रूप में टीका टिप्पणियों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को भेजा है क्योंकि दांडिक विधि और दांडिक प्रक्रिया भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में आते हैं। 22 राज्य सरकारों और 6 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने पहले ही अपनी टीका टिप्पणियां दे दी हैं।

शेष विषय पर गृह मंत्रालय ने यह अनुरोध किया है कि विधि आयोग इनकी समीक्षा कर सकता है और दांडिक विधि के सभी पहलुओं का सम्मिलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे ताकि दांडिक विषयों से संबंधित विभिन्न कानूनों में आवश्यक संशोधन किए जा सकें।

[अनुवाद]

बच्चों को पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति

1401. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति से मुस्लिम बच्चे लाभान्वित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना में और अधिक मुस्लिम बच्चों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान 25 लाख मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति के वास्तविक लक्ष्य की तुलना में दिनांक 29.02.2012 तक पात्र अल्पसंख्यक छात्रों को 1,14,32,508 मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां प्रदान की गयीं। अल्पसंख्यक छात्रों में 89,35,525 मुस्लिम बच्चे हैं।

(ख) इस योजना की शुरुआत से आंध्र प्रदेश सहित छात्रवृत्ति प्रदान करने का राज्य-वार विवरण मंत्रालय की वेबसाइट www. minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है।

(ग) आवेदन-पत्र आमंत्रित करने के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा समाचार-पत्रों में छात्रवृत्ति योजनाएं विज्ञापित की जाती हैं। अल्पंख्यक कार्य मंत्रालय ने भी इस योजना के अंतर्गत लक्षित समूह तक पहुंच बनाने हेतु रेडियों जिंगल्स, दूरदर्शन आदि से प्रचार अभियान जैसे विभिन्न कार्यकलाप शुरु किये हैं। लक्षित वर्गो के साथ-साथ मुस्लिम बच्चों में जागरुकता लाने की दृष्टि से कार्यक्रम से संबंधित ब्रोसर और प्रश्नोत्तर पुस्तिकाओं का भी वितरण किया गया है।

तेल परिसंपत्तियों की स्थिति

1402. श्री प्रताप सिंह बाजवा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय ने भारत में तेल परिसंपत्तियों की स्थिति के संबंध में कोई आंकड़े संग्रहीत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में तेल और गैस अन्वेषण और विशेष आर्थिक जोन हेतु बोली का नया दौर आरंभ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो बोली का नया दौर आरंभ करने की समय-सीमा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) बोली के विभिन्न दौरों के तहत अन्वेषण ब्लाक प्रदान करने के दौरान, संभावित बोलीदाताओं द्वारा क्षेत्रीय भौगोलिक और भूभौतिकी तथा ब्लाक-विशिष्ट डाटा को देखने के लिए डीजीएच द्वारा डाटा कक्ष खोले गये हैं। इसके अतिरिक्त, एनईएलपी बोली दौरों के दौरान सूचना सारांश और डाटा पैकेजों के रूप में डीजीएच द्वारा बोलीदाताओं को विशिष्ट ब्लाक/बेसिन से संबंधित सूचना और डाटा भी बेचे जाते हैं।

(ग) और (घ) एनईएलपी के तहत तेल और गैस अन्वेषण के लिए नया बोली दौर शुरु करने के लिए डीजीएच से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

[हिन्दी]

अंतर्राज्यीय जल विवाद

1403. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के पास लंबित अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्राकृतिक संसाधनों के पारदर्शी आवंटन संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने जल का समवर्ती सूची में शामिल करने की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो इससे अन्तर्राज्यीय जल विवादों का समाधान किस प्रकार होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेट एच. पाला): (क) इस समय अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 5 अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद विचाराधीन है। उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	नदी/नदियां	संबंधित राज्य	केन्द्र सरकार को भेजे जाने की तारीख	अधिकरण को भेजे जाने की तारीख	वर्तमान स्थिति
1.	रावी एवं व्यास	पंजाब, हरियाणा और राजस्थान	-	अप्रैल, 1986	धारा 5 (2) के अंतर्गत रिपोर्ट अप्रैल, 1987 में दी गई थी। इस मामले में एक राष्ट्रपतीय संदर्भ उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखा गया है और मामला न्यायाधीन है। इसके अतिरिक्त धारा 5(3) के तहत आगे की रिपोर्ट लंबित है।
2.	कावेरी	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी	जुलाई, 1986	जून,1990	धारा 5(2) के अंतर्गत रिपोर्ट 5.2 2007 को दी गई थी। पक्षकार राज्यों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर की गई विशेष अनुपति याचिका (एसएलपी) विचाराधीन है और मामला न्यायाधीन है। धारा 5(3) के अंतर्गत आगे की रिपोर्ट लंबित है।
3.	कृष्णा	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र	सितंबर 2002-जनवरी, 2010	अप्रैल, 1986	धारा 5(2) के अंतर्गत रिपोर्ट 30.12.2010 को दी गई है। धारा 5(3) के अंतर्गत आगे की रिपोर्ट दी जानी है।
4.	महादायी (मंडोवी)	गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र	जुलाई, 2002	नवंबर, 2010	धारा 5(2) के अंतर्गत रिपोर्ट दी जानी है।
5.	वंसधारा	आंध्र प्रदेश और ओडिशा	फरवरी, 2006	मार्च, 2010	धारा 5(2) के अंतर्गत रिपोर्ट दी जानी है।

(ख) श्री अशोक चावला की अध्यक्षता में प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन संबंधी समिति (सीएएनआर) ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि "समिति जल के संबंध में एक व्यापक राष्ट्रीय विधान की अविलंब आवश्यकता महसूस करती है। यह या तो जल को समवर्ती सूची में लाकर और उसके बाद उचित कानून बना कर अथवा अधिकतर राज्यों से यह सहमति लेकर किया जा सकता है कि एसा 'ढांचागत कानून' आवश्यक है और एक एक संघीय अधिनियम के रूप में वांछनीय है।"

(ग) प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन संबंधी समिति की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय कानून में तटीय अधिकारों पर स्थिति स्पष्ट किऐ जाने की आवश्यकता है, जिससे अंतर्राज्यीय विवादों को सौहार्दपूर्वक निपटाया जा सके।

[अनुवाद]

पार्किंग स्थल/स्टैंडों की नीलामी

1404. श्री सी. शिवासामी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे द्वारा देश में रेलवे स्टेशनों पर पार्किंग स्थलों की नीलामी हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) देश में नीलाम न किए गए या अप्रयुक्त पड़े पार्किंग स्थलों/स्टैंडों का तमिलनाडु सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा प्रस्तावित हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध पार्किंग स्थान खुली निविदा के माध्यम से किया जाता है। बहरहाल, यदि निविदा को अंतिम रूप देने में कुछ समय लगता है तो इसे अधिकतम तीन महीने की अवधि के लिए कोटेशन के आधार पर भी आबंटित किया जा सकता हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रेलवे के स्टेशनों पर पार्किंग स्थान की नीलामी की कोई प्रणाली नहीं है। चूंकि पार्किंग ठेकेदारों को खुली निविदा के माध्यम से उपलब्ध स्थान आबंटित करने के लिए भारतीय रेलवे का प्रयास रहता है, कभी कभार निविदा में प्रत्युत्तर की कमी के कारण कुछ स्टेशनों पर स्थान आबंटित नहीं हो पाता है। बहरहाल, इन सभी ऐसे मामलों में पार्किंग स्थान का परिचालन या तो विभागीय तौर पर या पुन: निविदा जारी करने के माध्यम से पार्किंग स्थान आबंटित करने अथवा कोटेशन आधार पर करने के प्रयास किए जाते हैं। गैर आबंटित पार्किंग स्थान का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

विवादित क्षेत्रों में जल परियोजना

1405. श्री नलिन कुमार कटील: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार के कड़े विरोध के बावजूद तमिलनाडु विवादित क्षेत्र में कोई पेयजल परियोजना चला रहा है;

(ख) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्र सरकार ने इस मुद्दे का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, तमिलनाडु सरकार जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ऑपरेशन द्वारा वित्त पोषण से 1334 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 'होगेनक्कल जलापूर्ति एवं फ्लोरिसिस उपशमन परियोजना' कार्यान्वित कर रही है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले क्षेत्र में तमिलनाडु के कृष्णागिरि और धर्मापुरी जिलों में 18 पंचायत यूनियनों, 3 नगरपालिकाओं और 17 नगर पंचायतों के 6755 ग्रामीण निवास-स्थल शामिल हैं। परियोजना, वर्ष 2006 के आधार पर 2021 (माध्यमिक चरण) और वर्ष 2036 (अंतिम चरण) की अनुमानित आबादी के विषय में तैयार की गई थी।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

औद्योगिक रेल गलियारे

1406. श्री जयराम पांगी:
श्री रुद्रमाधव राय:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार, मेरामंडली, अंगुल, तलचर, छेंदीपाडा, जखपुरा, पारादीप और दिल्ली-भुवनेश्वर हेतु समर्पित औद्योगिक रेल गलियारे और ओडिशा में एक वैगन फैक्ट्री की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी नहीं, भारतीय रेलवे का मेरामंडाली, अंगुल, तालचेर, छेंदपीड़ा, जखापुरा, पारादीप और दिल्ली-भुवनेश्वर के लिए समर्पित औद्योगिक रेल गलियारे का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से रेलवे बजट 2012-13 में सीतापाली, औडिशा में एक मालडिब्बा निर्माण फैक्टरी स्थापित करना शामिल किया गया है।

(ग) नई रेल परियोजनाओं के प्रस्ताव को रेल लिंक का औचित्य निर्धारित करने वाली यातायात संभाव्यता, तकनीकी व्यवहार्यता और परियोजना को निष्पादित करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। उपर्युक्त को देखते हुए मौजूदा रेलवे नेटवर्क वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है।

[हिन्दी]

एम.पी. में गैस एजेंसी

1407. श्री नारायण सिंह अमलाबे: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश (एम.पी.) के रायगढ़ जिले में कार्यरत गैस एजेंसियों का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उक्त जिले में बयाबरा सहित कई स्थानों पर गैस एजेंसियां खोलने की आवश्यकता है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में जिले में कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा बयाबरा सहित जिले के विभिन्न स्थानों में गैस एजेंसियों के आवंटन के संबंध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) मध्य प्रदेश राज्य में रायगढ़ नाम का कोई जिला और बयाबरा नाम का कोई स्थल नहीं है। तथापि, वहां राजगढ़ नाम का एक जिला है और बिओरा नामक एक स्थान है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) नामत: इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) मध्य प्रदेश राज्य में बिओरा में 2 नियमित डिस्ट्रीब्यूटरशिप सहित जिला राजगढ़ में 7 नियमित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और 3 राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण (आरजीजीएलवी) डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का प्रचालन कर रही हैं। कंपनी-वार ब्यौरे निम्नवत् हैं:

कंपनी का नाम	नियमित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप	आरजीजीएलवीज
आईओसी	2	3
बीपीसीएल	2	शून्य
एचपीसीएल	3	शून्य

(ख) से (ङ) व्यवहार्यता अध्ययन में स्थल की जनसंख्या आर्थिक स्थिति, क्रय क्षमता, निकटवर्ती मौजूदा एलपीजी बाजार का प्रति व्यक्ति उपभोग आदि कारकों को ध्यान में रखा जाता है। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए ओएमसीज द्वारा समय-समय पर व्यवहार्यता अध्ययन किए जाते हैं और सभी व्यवहार्य स्थलों को नियमित डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित स्थापित करने की योजना अथवा राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना (आरजीजीएलवीवाई) के तहत योजना में शामिल किया जाता है।

ओएमसीजी ने मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में 4 नियमित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और 3 आरजीजीएलवी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने का प्रस्ताव किया है तथापि, बिओरा में अतिरिक्त एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने को काई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

यूरिया उत्पादन की घरेलू लागत

1408. श्री के. सुगुमार: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरिया उत्पादन की घरेलू लागत आयातित यूरिया की लागत के आधार पर निर्धारित की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं हेतु उत्पादन की न्यूनतम और अधिकतम लागत में अंतर है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मेंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के लिए उत्पादन की लागत मुख्यत: उनके प्रारंभिक पूंजी निवेश में विभिन्नता के कारण अलग-अलग होगी।

(घ) विवरण उपलब्ध नहीं है क्योंकि पिछले 14 वर्षों के दौरान ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में कोई नया स्वदेशी निवेश नहीं हुआ है।

कॉयर उद्योग को प्रोत्साहन

1409. **बदरुद्दीन अजमल:** क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में कॉयर उद्योग की स्थापना और उसके प्रोत्साहन हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या असम सहित देश के बेरोजगार युवाओं को कॉयर उद्योग में नए अवसर प्रदान करने के लिए कॉयर उत्पादों के उन्नयन और गुणवत्ता सुधार हेतु कौशल को बढ़ावा देने के लिए कोई रणनीति तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) से (घ) केयर बोर्ड असम सहित देश के नारियल का उत्पादन कर रहे राज्यों/क्षेत्रों में केयर उद्योग के समग्र विकास के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

योजना (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) के तहत (i) उत्पादन प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण; (ii) मशीनरी और उपकरणों के विकास; (iii) उत्पाद विकास एवं विविधीकरण; (iv) पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास; और (v) प्रौद्योगिकी अंतरण, उद्भवन, परीक्षण एवं सेवा सुविधाओं के लिए योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं।

योजना (सामान्य) के तहत (i) महिला कॅयर योजना सहित कौशल उन्नयन एवं गुणवत्ता सुधार; (ii) उत्पादन आधारभूत संरचना का विकास; (iii) घरेलू बाजार का संवर्धन; (iv) निर्यात बाजार का संवर्धन; (v) व्यापार एवं उद्योग संबंधी कार्यात्मक सहयोग सेवाएं; और (vi) कल्याणकारी उपायों के लिए योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं।

महिला कॅयर योजना के तहत मोटरयुक्त रैट्टों और मोटरयुक्त परंपरागत रैट्टों के लिए अधिकतम क्रमश; 7,500/- रु. और 3,200/- रु. के अध्यधीन 75 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, कॅयर बोर्ड कॅयर उद्योग के पुनुरुद्धार हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति) कार्यान्वित कर रहा है।

रिमोट के तहत कताई इकाइयों तथा अतिलघु घरेलू इकाइयों के लिए अधिकतम क्रमश: 80,000/- रु. और 2,00,000/- रु. के अध्यधीन 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है।

स्फूर्ति में केयर क्लस्टरों के सम्पूर्ण विकास के लिए क्षमता निर्माण, सामान्य सुविधा केन्द्रों के विकास, विपणन संवर्धन प्रयासों और उत्पाद विकास एवं डिजाइन इण्टरवेंशन की परिकल्पना की जाती है।

मृत्युदंड

1410. **श्री निलेश नारायण राणे:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने बहुओं को जलाने वाले अभियुक्त/अपराधियों को मृत्यु दंड देने हेतु संगत कानूनों में संशोधन करने का परामर्श दिया है;

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) सरकार, उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई ऐसी किसी सलाह से अवगत नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

मोबाइल टिकटिंग

1411. **श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने मोबाइल फोन के जरिए रेल टिकटों की बुकिंग हेतु कोई योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पहल को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां, मैडम।

(ख) आईआरसीटीसी ने अपनी वेबसाईट www-irctc.co.in/mobile के माध्यम से मोबाइल फोन के द्वारा रेलवे के ई-टिकटों की बुकिंग के लिए योजना शुरू की है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- उपयोगकर्त्ता अपने मौजूदा आईआरसीटीसी यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
- मोबाइल फोन के माध्यम से टिकटों की बुकिंग किए जाने के पश्चात् उपयोगकर्ता को टिकट ब्यौरे के साथ एक आरक्षण संदेश प्राप्त होगा।
- आईआरसीटीसी का सेवा प्रभार ई-टिकटों के समान होगा अर्थात् द्वितीय/स्लीपर श्रेणी के लिए 10/- रुपए प्रति टिकट और अन्य सभी श्रेणियों के लिए 20/- रुपए प्रति टिकट।

(ग) इस प्रयास को लोकप्रिय बनाए जाने के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रचार किया गया है।

न्यायालयों में दो पालियां

1412. राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को न्यायालयों में लंबे समय से लंबित पड़े मामलों के त्वरित निपटान हेतु न्यायालयों को दो पालियों में चलाने के संबंध में विभिन्न पक्षों से सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपरोक्त सुझाव देने वाले संस्थानों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं तथा इसमें कितनी क्या प्रगति हुई है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि, वित्त आयोग ने 2010-2015 की अपनी अधिनिर्णीत कालावधि के दौरान न्याय परिदान में सुधार करने के उद्देश्य से 5000 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की है। यह अनुदान विभिन्न पहलों के लिए आबंटित किया जाता है। इनमें से एक पहल प्रात:कालीन/सायंकालीन/पाली/विशेष मजिस्ट्रेट न्यायालय आदि आयोजित करते हुए विद्यमान अवसंरचना का उपयोग करके न्यायालय कार्य घंटों में वृद्धि के लिए है।

राज्यों को 2500 करोड़ रुपए का अनुदान प्रात: कालीन/सायंकालीन/पाली न्यायालय के लिए आबंटित किया गया है। ये न्यायालय छोटे-मोटे मामलों का विचारण करेंगे जिससे मामलों के बैकलॉग को समाप्त किया जा सके और न्यायिक समय पर दवाब कम किया जा सके। ये न्यायालय अतिरिक्त प्रतिकर के संदाय पर या तो सेवानिवृत्त अधिकारियों या नियमित न्यायिक अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। राज्य सरकारों को उच्च न्यायालयों से परामर्श करके मामलों के ऐसे प्रवर्ग को विनिश्चित करना होता है, जो प्रात:कालीन/सायंकालीन/पाली न्यायालयों आदि को सौंपे जा सके।

इस प्रयोजन के लिए, 29.02.2012 तक राज्य सरकारों को 681. 66 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अभी तक, 4537 प्रात:कालीन/सायंकालीन/अवकाशकालीन न्यायालय स्थापित किए गए हैं। प्रात:कालीन/सायंकालीन/अवकाशकालीन न्यायालयों के अंतर्गत परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अधीन अस्वीकृत हुए चैकों के मामलों सहित मामलों के बैकलॉग को समाप्त करने के उद्देश्य से गठित अन्य प्रकार के न्यायालय, विशेष/अस्थायी न्यायालय भी हैं। इन न्यायालयों के लिए निश्चित की गई निधियां किसी भी अवसंरचनात्मक व्यय के लिए अदा नहीं की जा सकती हैं और ये निधियां किसी भी अवसंरचनात्मक व्यय के लिए अदा नहीं की जा सकती हैं और ये निधियां तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों में यथापरिकल्पित न्यायालयों के लिए संविदा पर अस्थायी अतिरिक्त कर्मचारीवृंद के सृजन तक निर्बंधित हैं।

[अनुवाद]

विदेशों में उर्वरक खनिज संपदाओं के अधिग्रहण हेतु पीपीपी

1413. श्री पी.आर. नटराजन: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खान मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाले पैनल ने बारहवीं पंच वर्षीय योजना अवधि के दौरान विदेशों में उर्वरक खनिज संपदाओं के अग्रिहण हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त प्रयोजन हेतु सार्वजनिक और निजी क्षेत्र द्वारा अनुमानित कितनी निधियां निवेश किए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) खनिज क्षेत्र के लिए खान मंत्रालय द्वारा योजना आयोग को प्रस्तुत 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए खनिज अन्वेषण और विकास (कोयला और लिग्नाइट के अलावा) पर कार्य समूह की रिपोर्ट तथा उप-समूह-II की "खनिज क्षेत्र के लिए मांग और आपूर्ति पर आधारित कार्य नीति" संबंधी रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि सार्वजनिक, निजी कंपनियों का परिसंघ बनाकर विशेषकर उजबेकिस्तान, जार्डन आदि जैसे देशों में संपत्तियां अर्जित करने के प्रयास किए जाने चाहिए, तथा 12वीं स्कीम में 1000 करोड़ रुपए की निधि आवश्यकता सहित एक नई केन्द्रीय योजना का सृजन करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) और (घ) योजना के लिए निधि आबंटन योजना आयोग द्वारा विचार किए जाने पर निर्भर करेगी और इस प्रकार इसके शुरु होने की समय-सीमा को फिलहाल नहीं बताया जा सकता है।

मुश्किल-आसान परियोजना

1414. **श्री ई.जी. सुगावनम:** क्या **रेल मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने मुश्किल-आसान मोबाइल टिकटिंग सर्विसेज आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान में जिन कस्बों/शहरों में यह सुविधा उपलब्ध है उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या विशेष रूप से चेन्नई और तमिलनाडु के अन्य भागों और उप-नगरों सहित पूरे देश में इन सेवाओं का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त सेवाओं का कब तक विस्तार किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) पायलट परियोजना के रूप में कोलकाता और नई दिल्ली में दो मोबाइल टिकटिंग वैन चलाई गई हैं जो जनवरी, 2010 से कार्य कर रही हैं। 25 और मोबाइल टिकटिंग वैनों की स्वीकृति मिल चुकी है जिनमें से दो मोबाइल टिकटिंग वैन क्रमश: सितंबर और नवंबर, 2011 से कार्य कर रही हैं।

(ग) जी नहीं। इसकी योजना केवल यातायात की मांग के अनुसार क्षेत्रीय रेलवे द्वारा चयन किए गए चुनिंदा स्थानों पर यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) टिकटों को जारी करने के लिए बनाई गयी है।

(घ) मंजूर किए गए 25 मोबाइल टिकट वैनों में से 9 क्षेत्रीय रेलों पर प्रत्येक के लिए दो-दो और शेष 7 क्षेत्रीय रेलों के लिए प्रत्येक के लिए शुरु करने की योजना है। इसमें चेन्नै में एक शामिल है।

(ङ) चेन्नै में यह सेवा वित्त वर्ष 2012-13 के अंत तक शुरु होने की उम्मीद है।

[हिन्दी]

भूजल का पुनर्भरण

1415. **श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनेक राज्यों में केंद्रीय क्षेत्र की 'भूजल प्रबंधन और विनियमन' योजना के अंतर्गत भूजल पुनर्भरण की विभिन्न परियोजनाएं कार्यान्वित की हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू निर्धारण वर्ष के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आगामी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत सभी राज्यों को शामिल करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) समान जल भू विज्ञानीय पर्यावरण के तहत राज्य सरकारों द्वारा अनुसरण करने हेतु XIवीं योजना के दौरान भूमि जल प्रबंधन एवं विनियमन की केंद्रीय

क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है।

(ख) वर्ष 2011-12 के दौरान जारी 31.34 करोड़ रुपये को शामिल करते हुए XIवीं योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में राज्य अभिकरणों द्वारा कार्यान्वयन हेतु आज की स्थिति के अनुसार, कुल 64.81 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। राज्य वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

XIवीं योजना के दौरान कार्यान्वित की जा रही प्रदर्शनात्मक पुनर्भरण परियोजनाओं हेतु जारी निधि का राज्य वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	चालू वर्ष के दौरान जारी निधि (रुपए करोड़ में)	XIवीं योजना के दौरान जारी निधि (रुपए करोड़ में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2.95	4.39
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.73	3.55
3.	बिहार	0.67	0.67
4.	चंडीगढ़	–	5.43
5.	दिल्ली	0.30	0.30
6.	गुजरात	–	2.21
7.	हिमाचल प्रदेश	1.26	1.26
8.	जम्मू और कश्मीर	0.55	0.55
9.	झारखंड	1.22	1.34
10.	कर्नाटक	1.98	3.42
11.	केरल	0.55	0.78
12.	मध्य प्रदेश	0.91	3.93
13.	महाराष्ट्र	0.04	0.15
14.	नागालैंड	0.79	0.79
15.	ओडिशा	3.25	3.25
16.	पंजाब	0.57	1.10
17.	राजस्थान	0.42	0.42
18.	तमिलनाडु	1.13	5.14
19.	उत्तर प्रदेश	12.69	25.02
20.	पश्चिम बंगाल	0.33	1.11
	कुल	31.34	64.81

[अनुवाद]

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

1416. श्री रवनीत सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आज की तिथि के अनुसार संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) पंजाब और सभी राज्यों में सुचारु रूप से चल रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान एसजीआरवाई हेतु आवंटित और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार, वर्ष-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान एसजीआरवाई के अंतर्गत सृजित किए जाने वाले लक्षित रोजगार श्रम दिवसों और सृजित किए गए वास्तविक श्रम दिवसों की राज्य-वार, वर्ष-वार और श्रेणीवार संख्या कितनी है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान एसजीआरवाई के अंतर्गत पूर्ण कार्यों का राज्य-वार, वर्ष-वारा और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) महात्मा गांधी नरेगा को 2 फरवरी, 2006 से चारण-I में 200 निर्धारित जिलों (काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम के 150 जिलों सहित) में लागू किया गया था। इस तारीख से एनएफएफडब्ल्यूपी को महात्मा गांधी नरेगा में मिला दिया गया। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार

योजना (एसजीआरवाई) नामक एक अन्य कार्यक्रम जो देश के सभी जिलों में लागू था, को भी 1.4.2006 से 200 निर्धारित जिलों में महात्मा गांधी नरेगा में मिला दिया गया था। 1.4.2007 से 130 अतिरिक्त जिलों को महात्मा गांधी नरेगा चरण-II के अन्तर्गत कवर किया गया था और 1.4.2008 से सभी शेष ग्रामीण क्षेत्रों को अधिनियम के तहत कवर कर लिया गया है। इस प्रकार, एसजीआरवाई को 1.4.2008 से समाप्त कर दिया गया।

(ख) से (घ) उपर्युक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

एनएमडीएफसी का गठन

1417. श्रीमती जे. शांता: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम (एमडीएफसी) का अभी तक गठन नहीं किया गया है और इसके राज्य-वार क्या कारण हैं;

(ख) इस कारण केन्द्रीय सहायता की अनुमानत: कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या इससे इन राज्यों में अल्पसंख्यक कल्याण कार्यों का धक्का लगा है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इन राज्यों में एनएमडीएफसी के गठन की गति तेज करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, गोवा, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय और सिक्किम राज्यों में राज्य अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगमों की स्थापना नहीं की गई है। राज्य अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगमों का गठन राज्य सरकारों के प्राधिकार क्षेत्र में है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) का गठन वर्ष 1994 में राष्ट्रीय शीर्ष संगठन के रूप में हुआ था। यह अपनी योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा नामित 38 राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से करता है। इन 38 राज्य चैनेलाइजिंग एजेसियों में से 14 एससीए राज्य अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम हैं। उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगमों का गठन नहीं किया गया है, उनमें अल्पसंख्यकों के कल्याण-कार्य में कोई रुकावट नहीं है अथवा उनमें केन्द्रीय सहायता की कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि वर्तमान राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां एनएमडीएफसी की योजनाओं को कार्यान्वित कर देती हैं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

केबीके जिलों में सिंचाई परियोजनाएं

1418. श्री रुद्रमाधव राय: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओडिशा सरकार ने कोरापुट, बोलनगीर और कालाहांडी (केबीके) जिलों में त्वरित सिंचाई लाभ योजना (एआईबीपी) के अंतर्गत बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) ओडिशा विशेषकर कोरापुट, बोलांगीर और कालाहांडी जिलों में सिंचाई परियोजनाओं में सुधार के लिए सरकार द्वारा विचाराधीन उपायों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) ओडिशा के कोरापुट, बोलंगीर और कालाहांडी (केबीके) जिलों में 8 वृहद/मध्यम (एमएमआई) परियोजनाओं को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) स्कीम में शामिल किया गया है, जिनमें से 2 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं तथा 6 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और 78 सतही लघु सिंचाई परियोजनाओं को भी एआईबीपी के अंतर्गत शामिल किया गया है। एमएमआई परियोजनाओं और एआईबीपी के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है तथा एम आई परियोजनाओं से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा कराने के लिए भारत सरकार वर्ष 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता जारी करती रही है। विकास में पिछड़े हुए क्षेत्रों जिनमें वर्तमान में ओडिशा के केबीके जिले शामिल हैं, के लिए विशेष ध्यान देते हुए वित्त पोषण के स्तर को बढ़ाने के लिए कार्यों की 90% लागत हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है।

विवरण-I

ओडिशा के केबीके जिलों में वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति

क्र.सं.	परियोजना का नाम	एआईबीपी में शामिल करने का वर्ष	स्थिति पूर्ण/ निर्माणाधीन	एआईबीपी* के अंतर्गत जारी की गई केंद्रीय सहायता
1.	ऊपरी इंद्रावती	1996-97	निर्माणाधीन	518.123
2.	ऊपरी कोलाब	1997-98	पूर्ण	83.104
3.	तितलागढ़ चरण-II	1998-99	निर्माणाधीन	49.707
4.	निम्न इंद्रा	1999-2000	निर्माणाधीन	948.399
5.	निम्न सुकतेल	1999-2000	निर्माणाधीन	232.388
6.	पोटेरु	2001-02	पूर्ण	25.430
7.	तेलेंगिरी	2003-04	निर्माणाधीन	145.332
8.	आरईटी सिंचाई	2003-04	निर्माणाधीन	94.318

*एआईबीपी त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम।

विवरण-II

ओडिशा के केबीके जिलों में लघु सिंचाई (एमआई) स्कीमों की वर्तमान स्थिति

क्र. सं.	एमआई स्कीमों की संख्या	एआईबीपी में शामिल करने का वर्ष	स्थिति		एआईबीपी के अंतर्गत जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रु. में)
			पूरी की गई स्कमों की संख्या	निर्माणाधीन एमआई स्कीमों की संख्या	
1.	15	1999-2000	14	1	51.310
3.	6	2000-2001	6	0	11.425
4.	20	2007-08	12	8	43.0268
5.	37	2008-09	11	26	47.8220
कुल	78		43	35	153.5838

जल संसाधनों की सततता

1419. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संसाधनों की सततता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जनसंख्या और अधिवासों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए तथा कृषि एवं उद्योग जैसे क्षेत्रों में जल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए घरेलू जल आपूर्ति की उपलब्धता में तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार उक्त आवश्यकताओं को किस तरह पूरा करने का है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) जल संसाधनों के स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार, इनके संवर्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन हेतु अनेक कदम उठा रही है। राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए, भारत सरकार विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के तहत जल संसाधनों के सतत विकास और कुशल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ग) और (घ) जी, हां। केन्द्र सरकार ने जल के उपयोग की कार्य कुशलता में वृद्धि करके जल की बढ़ती मांग को पूरा करने का प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

जलाशय परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव

1420. श्री महेश जोशी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान राज्यों से जलाशय परियोजनाओं के लिए विभिन्न प्रस्ताव हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना के लिए राज्य-वार कितनी निधि आबंटित की गई है और इस पर कितनी राशि व्यय की गई है; और

(घ) इस परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की उम्मीद है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेट एच. पाला): (क) जी, हां, जलाशय परियोजनाओं के 12 (11 नए और 1 संशोधित) और बीस (16 नए और 4 संशोधित) प्रस्ताव, केंद्रीय जल आयोग में मूल्यांकन के लिए क्रमश: वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान प्राप्त हुए हैं।

(ख) उपर्युक्त 32 प्रस्तावों में से नई परियोजनाओं के 7 प्रस्तावों को योजना आयोग ने निवेश स्वीकृति दे दी है और संशोधित अनुमान के 2 प्रस्ताव जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं। उपर्युक्त 9 परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान जारी केंद्रीय सहायता, हुआ व्यय और उपर्युक्त 9 परियोजनाओं के पूरा होने का प्रत्याशित समय विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान योजना आयोग द्वारा अनुमोदित/जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत जलाशय परियोजनाओं (नई एवं संशोधित) की स्थिति

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य का नाम	वृहद/माध्यम	परियोजना की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	रायसा जलाशय स्कीम (नई)	झारखंड	मध्यम	योजना आयोग द्वारा फरवरी, 2011 में अनुमोदित
2.	तजना जलाशय स्कीम (नई)	झारखंड	मध्यम	योजना आयोग द्वारा फरवरी, 2011 में अनुमोदित
3.	ऊपरी ककेटो सिंचाई परियोजना (नई)	मध्य प्रदेश	मध्यम	योजना आयोग द्वार अप्रैल, 2011 में अनुमोदित

1	2	3	4	5
4.	इंदिरा सागर (पोलावरम) परियोजना (संशोधित)	आंध्र प्रदेश	वृहद	जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2011 में स्वीकृत
5.	कुशालपुरा सिंचाई परियोजना (नई)	मध्य प्रदेश	मध्यम	योजना आयोग द्वारा अगस्त, 2011 में अनुमोदित
6.	बघारूू सिंचाई परियोजना (नई)	मध्य प्रदेश	मध्यम	योजना आयोग द्वारा अगस्त, 2011 में अनुमोदित
7.	रेहती सिंचाई परियोजना (नई)	मध्य प्रदेश	मध्यम	योजना आयोग द्वारा अगस्त, 2011 में अनुमोदित
8.	बोडवाद परिसर सिंचन योजना (नई)	महाराष्ट्र	वृहद	योजना आयोग द्वारा मई, 2011 में अनुमोदित
9.	ऊपरी कुंडलिया परियोजना (संशोधित)	महाराष्ट्र	वृहद	जल संसाधन मंत्रालय द्वारा सितंबर, 2011 में स्वीकृत

विवरण-II

वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान आयोग द्वारा अनुमोदित/जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत एवं एआईबीपी के अंतर्गत सहायता प्राप्त जलाशय परियोजनाओं (नई एवं संशोधित) का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य का नाम	वृहद/मध्यम	एआईबीपी के अंतर्गत 2010-11 के दौरान जारी केंद्रीय सहायता (सीए) (करोड़ रु.)	एआईबीपी के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के दौरान हुआ व्यय (करोड़ रु.)	एआईबीपी के अंतर्गत 2011-12 के दौरान जारी केंद्रीय सहायता (सीए) (करोड़ रु.)	एआईबीपी के अतर्गत वर्ष 2011-12 के दौरान हुआ व्यय (करोड़ रु.)	पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	रायसा जलाशय स्कीम (नई)	झारखंड	मध्यम	एआईबीपी के अंतर्गत शामिल नहीं	शून्य	एआईबीपी के अंतर्गत शामिल नहीं	लागू नहीं	2012-13
2.	तजना जलाशय स्कीम (नई)	झारखंड	मध्यम	एआईबीपी के अंतर्गत शामिल नहीं	शून्य	एआईबीपी के अंतर्गत शामिल नहीं	लागू नहीं	2013-14
3.	ऊपरी ककेटो सिंचाई परियोजना (नई)	मध्य प्रदेश	मध्यम	एआईबीपी के अंतर्गत शामिल नहीं	शून्य	प्रस्ताव प्राप्त	लागू नहीं	2012-13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	इंदिरा सागर (पोलावरम) परियोजना (संशोधित)	आंध्र प्रदेश	वृहद	जारी नहीं	536.64	प्रस्ताव प्राप्त	लागू नहीं	2015-16
5.	कुशालपुरा सिंचाई परियोजना (नई)	मध्य प्रदेश	मध्यम	एआईबीपी के अंतर्गत शामिल नहीं	शून्य	प्रस्ताव प्राप्त	लागू नहीं	2012-13
6.	बघारू सिंचाई परियोजना (नई)	मध्य प्रदेश	मध्यम	एआईबीपी के अंतर्गत शामिल नहीं	शून्य	प्रस्ताव प्राप्त	लागू नहीं	2012-13
7.	रेहती सिंचाई परियोजना (नई)	मध्य प्रदेश	मध्यम	एआईबीपी के अंतर्गत शामिल नहीं	शून्य	प्रस्ताव प्राप्त	लागू नहीं	2012-13
8.	बोडबाढ परिसर सिंचन योजना (नई)	महाराष्ट्र	वृहद	एआईबीपी के अंतर्गत शामिल नहीं	शून्य	एआईबीपी के अंतर्गत शामिल नहीं	लागू नहीं	2015-16
9.	ऊपरी कंडलिका परियोजना (संशोधित)	महाराष्ट्र	वृहद	जारी नहीं	4.228	प्रस्ताव प्राप्त	लागू नहीं	2012-13

लागू नहीं: राज्य सरकारें, वित्त वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् व्यय संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करती हैं।

पीएमजीएसवाई की सामाजिक लेखापरीक्षा

1421. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं के संबंध में कोई समीक्षा/लेखा-परीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या एवं ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) राज्यों से प्राप्त मासिक, तिमाही, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक प्रगति रिपोर्टों, समय-समय पर बुलाई गई क्षेत्रीय समीक्षा समिति की बैठकों तथा निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों के जरिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा की जाती है।

(ग) कार्यक्रम के प्रारंभ होने से लेकर अब तक, महाराष्ट्र राज्य के लिए 23,216 कि.मी. लंबाई के 5309 सड़क कार्यों के लिए 5387 करोड़ रु. की लागत के प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। इनमें से जनवरी, 2012 तक 20,853 कि.मी. लंबाई के 4845 सड़क कार्य पूरे हो चुके हैं।

ओएनजीसी में सीएसआर

1422. श्री हरीश चौधरी:
श्री सोमेन मित्रा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने कारपोरेट-सामाजिक दायित्व के अंतर्गत अपने लाभ की 2 प्रतिशत राशि बाड़मेर और जैसलमेर जिलों पर खर्च की है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कितनी राशि खर्च की गई और शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) की नैगम नागरिकता नीति है जो लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। तदनुसार ओएनजीसी ने अखिल भारतीय स्तर पर नैगम सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) कार्यकलाप करने के लिए अपने पिछले वर्ष के करोपतरांत लाभ का 2% लाभ आवंटित करने का निर्णय लिया है। केवल बाड़मेर जिले के क्षेत्र ही ओएनजीसी के प्रचालन क्षेत्र में नहीं आते हैं। तथापि, ओएनजीसी द्वारा राजस्थान राज्य में, विशेष रूप से ओएनजीसी के जैसलमेर और जोधपुर प्रचालन क्षेत्रों में और अधिक सीएसआर परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

पिछले दो वर्षों में सीएसआर कार्यकलापों के लिए व्यय की गई धनराशि निम्नानुसार है:

वर्ष	धनराशि करोड़ रुपए में
2009-10	268.87
2010-11	219.03

पिछले 2 वर्ष में जैसलमेर सहित राजस्थान राज्य में व्यय की गई धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2009-10 और 2010-11 में राजस्थान में नैगम सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) व्यय

क्र.सं.	एजेंसी का विवरण	मुख्य क्षेत्र	धनराशि
	2009-10		
1.	मारवाड़ थैलीसीमिया सोसायटी, उम्मेद अस्पताल, जोधपुर	स्वास्थ्य रक्षा	1.45 लाख
2.	सेना प्राधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा आशा स्कूल (नि:शक्त बच्चों के लिए विशेष स्कूल)	शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी	1.25 लाख
3.	रामकृष्ण मिशन (विवेकानंद स्मृति मंदित, खेतड़ी) झुंझुनू	उद्यमिता	0.85 लाख
4.	तनोत माता और घंटियाली माता टेंपल ट्रस्ट, ग्राम-तनोत जैसलमेर	बुनियादी सुविधा विकास	1.50 लाख
5.	प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, टडाना, जैसलमेर	खेलकूद	0.15 लाख
6.	प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, ग्राम-टोथा, जैसलमेर	शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी	0.25 लाख
7.	मूल सुविधा विकास संस्थान, ग्राम-दायसर की ढाणी, जैसलमेर	बुनियादी सुविधा विकास	11.0 लाख
	योग		16.45 लाख
	2010-11		
1.	वरिष्ठजन स्वास्थ्य सेवा अभियान एमएमयू, जैसलमेर	स्वास्थ्य रक्षा	12.83 लाख

मुस्लिमों की आर्थिक स्थिति

1423. श्रीमती कमला देवी पटले: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित देश में मुस्लिम जनसंख्या की आर्थिक स्थिति के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (ग) सरकार ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए वर्ष 2005 में न्यायमूर्ति राजिन्दर सच्चर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति (जिसे सच्चर समिति के रूप में जाना जाता है) का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 17 नवम्बर, 2006 को प्रस्तुत कर दिया, जिसे दिनांक 30 नवम्बर, 2006 को 1983 से वर्ष 2004-05 तक की अवधि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निर्धनता से संबंधित आकड़े संकलित किये गये हैं, जो विवरण-I और II के रूप में संलग्न हैं। सरकार ने भी अल्पसंख्यक बहुल जिलों में सामाजिक-आर्थिक विकास की कमियों का आकलन करने के लिए भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) के माध्यम से आधारित सर्वेक्षण कराया है। आईसीएसएसआर की रिपोर्ट में केवल 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों के आंकड़े हैं।

विवरण I

भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति

परिशिष्ट सारणी 8.5 : वर्ष 1983 से 2004-05 तक का शहरी निर्धनों का तुलनात्मक विवरण

राज्य	योग			हिन्दू									मुस्लिम			अन्य सभी		
शहरी				सभी हिन्दू			अजा/अजजा			अन्य हिन्दू								
	2004-05	1993-94	1987-88	2004-05	1993-94	1987-88	2004-05	1993-94	1987-88	2004-05	1993-94	1987-88	2004-05	1993-94	1987-88	2004-05	1993-94	1987-88
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
अखिल भारत	29	33	38	27	31	36	46	51	55	22	26	32	44	47	53	16	23	27
पश्चिम बंगाल	24	23	33	21	20	29	41	37	48	14	15	25	44	41	57	21	27	16
केरल	23	24	45	24	25	44	41	32	61	21	24	42	31	27	56	12	21	39
उत्तर प्रदेश	32	35	40	27	31	33	46	57	49	22	25	30	43	46	58	5	7	31
बिहार	42	34	53	38	31	52	70	52	62	33	26	49	57	46	57	4	29	36
असम	7	8	17	5	6	17	7	14	22	5	5	16	13	22	21	4	0	13
जम्मू और कश्मीर	10	5	13	9	5	14	16	7	35	7	5	10	11	23	13	5	0	8
झारखंड	22	-	-	20	-	-	51	-	-	12	-	-	44	-	-	28	-	-
कर्नाटक	33	40	49	30	36	46	54	64	65	24	30	42	49	58	64	16	23	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
उत्तराखंड	17	–	–	16	–	–	31	–	–	12	–	–	27	–	–	0	–	–
दिल्ली	21	16	16	21	15	16	46	47	44	10	5	8	29	30	21	2	6	5
महाराष्ट्र	33	35	35	28	32	33	43	57	61	24	28	28	55	50	48	30	32	34
आंध्र प्रदेश	34	38	45	32	37	42	48	47	55	27	35	40	49	49	57	22	26	40
गुजरात	18	28	40	16	25	37	21	42	57	15	22	32	34	47	54	2	23	27
राजस्थान	27	31	36	26	28	35	48	47	50	18	23	29	39	56	47	7	14	21
मध्य प्रदेश	48	48	43	45	47	42	69	65	67	37	40	35	70	60	52	7	31	39
हरियाणा	21	16	18	21	16	19	40	25	38	16	14	14	46	40	0	1	23	10
तमिलनाडु	28	40	42	29	40	43	50	57	65	25	36	40	24	46	44	21	34	30
ओडिशा	50	41	43	49	40	42	74	57	62	42	35	37	51	68	69	51	24	37
हिमाचल प्रदेश	4	9	7	4	10	7	6	21	15	3	7	3	1	0	0	0	0	9
छत्तीसगढ़	46	–	–	47	–	–	50	–	–	45	–	–	62	–	–	11	–	–
पंजाब	10	11	13	11	11	14	19	24	25	8	7	11	21	23	33	6	11	10
अन्य सभी राज्य	10	13	19	11	14	21	21	15	38	9	14	19	19	15	24	4	9	11

स्रोत : सच्चर समिति रिपोर्ट।

विवरण-II

भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति

परिशिष्ट सारणी 8.6: वर्ष 1983 से 2004-05 तक का ग्रामीण निर्धनों का तुलनात्मक विवरण

राज्य	योग			हिन्दू									मुस्लिम			अन्य सभी		
शहरी				सभी हिन्दू			अ.जा./अ.ज.जा.			अन्य हिन्दू								
	2004-05	1993-94	1987-88	2004-05	1993-94	1987-88	2004-05	1993-94	1987-88	2004-05	1993-94	1987-88	2004-05	1993-94	1987-88	2004-05	1993-94	1987-88
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
अखिल भारत	28	37	39	28	36	40	41	50	54	21	29	33	33	45	43	18	27	25
पश्चिम बंगाल	28	41	46	24	38	45	31	49	55	16	26	35	36	48	47	36	58	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
केरल	13	25	25	13	24	24	24	37	36	10	22	21	17	32	37	7	21	14
उत्तर प्रदेश	34	42	45	33	43	45	45	59	60	28	36	39	37	43	47	49	6	29
बिहार	42	58	58	41	56	57	64	71	71	32	49	52	52	67	62	33	66	60
असम	23	45	35	16	40	32	18	42	36	14	39	30	38	55	41	23	63	52
जम्मू और कश्मीर	3	18	26	3	16	26	4	20	38	2	14	20	3	47	27	11	5	9
झारखंड	43	–	–	41			52	–	–	33	–	–	44	–	–	51	–	–
कर्नाटक	24	30	31	25	30	31	36	43	48	20	24	26	27	34	31	1	24	30
उत्तराखंड	15	–	–	15			20	–	–	12	–	–	20	–	–	21	–	–
दिल्ली	7	2	1	7	2	2	0	12	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
महाराष्ट्र	32	38	45	31	36	44	54	51	58	24	31	39	28	43	42	47	51	57
आंध्र प्रदेश	11	16	21	11	16	21	21	27	33	7	11	17	10	12	27	10	24	22
गुजरात	20	22	28	21	22	29	32	31	41	15	17	23	13	16	20	19	37	23
राजस्थान	18	26	31	18	26	32	29	42	44	11	17	24	14	32	27	13	15	4
मध्य प्रदेश	37	41	46	37	41	46	52	53	62	24	30	33	35	28	41	2	24	42
हरियाणा	13	28	15	12	26	15	26	45	30	7	18	9	26	53	31	9	33	7
तमिलनाडु	24	33	42	24	33	42	32	44	58	21	28	36	10	25	37	22	41	47
ओडिशा	47	50	55	47	50	54	65	62	73	33	40	43	26	41	34	75	68	79
हिमाचल प्रदेश	8	30	16	8	31	16	15	42	20	5	26	15	4	36	4	9	12	6
छत्तीसगढ़	46	–	–	43			51	–	–	36	–	–	42	–	–	34	–	–
पंजाब	9	12	13	7	12	20	8	17	29	6	7	10	4	21	31	9	11	10
अन्य सभी राज्य	15	21	21	23	36	20	36	32	32	15	15	16	28	28	22	5	21	23

स्रोत: सच्चर समिति रिपोर्ट।

[अनुवाद]

मुस्लिम समुदाय की स्थिति

1424. श्री हरिभाऊ जावले: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यायमूर्ति राजन्दिर सच्चर समिति द्वारा "भारत में मुस्लिम की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति" की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों में विभिन्न राज्यों में मुस्लिम समुदाय की भिन्न-भिन्न स्थिति को चित्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में उनकी स्थिति अन्य समुदायों की तुलना में सबसे खराब है और किन-किन राज्यों में उनकी स्थिति अन्य समुदायों की तुलना में बेहतर या समान है;

(ग) क्या रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने सबसे खराब श्रेणी वाले राज्यों को अपने-अपने राज्यों में मुस्लिमों की ऐसी स्थिति के पीछे के कारणों को स्पष्ट के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ऐसे राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) सच्चर समिति ने सामाजिक, शैक्षिण और आर्थिक पिछड़ेपन को शामिल करते हुए विभिन्न मानदंडों के संदर्भ में भारत में मुस्लिम समुदाय की स्थिति की जांच की है। तथापि, रिपोर्ट में मुस्लिम समुदाय की स्थिति के संदर्भ में राज्यों को श्रेणीबद्ध नहीं किया गया है।

(ग) उपर्युक्त उत्तर के भाग (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए जी, नहीं। तथापि, सरकार द्वारा सच्चर समिति की अनुशंसाओं के आधार पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करके उनके संबंध में कई सकारात्मक कार्रवाई विवरण के अनुसार) की गई है। सच्चर समिति की अनुशंसाओं पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सहित संबंधित प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा आवधिक रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सच्चर समिति की प्रमुख अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर कार्यान्वियन की स्थिति

भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के संबंध में प्रधानमंत्री की उच्चस्तरीय समिति की विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था, जिसकी स्थिति इस प्रकार है:-

1. वित्तीय सेवा विभाग

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैकों को निदेश दिए गए हैं कि वे अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अधिक शाखाएं खोले। वर्ष 2007-08 में ऐसे जिलों में 523 शाखाएं तथा वर्ष 2008-09 में 537 नई शाखाएं खोली गयी। वर्ष 2009-10 में 743 नई शाखाएं और वर्ष 2010-11 में 814 नई शाखाएं खोली गयीं। वर्ष 2011-12 के दौरान (31 दिसम्बर, 2011 तक) 619 शाखाएं खोली गई है। वर्ष 2007-08 से अब तक कुल 3236 शाखाएं खोली जा चुकी हैं।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक ने अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु प्राथमिकता क्षेत्र ऋण संबंधी अपने मास्टर सर्कुलर को 1 जुलाई, 2007 को संशोधित किया है। दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार रु. 154789.90 करोड़ का ऋण अल्पसंख्यकों को प्रदान किया गया, जो कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का 14.83% है।

(iii) महिलाओं में लघु वित्त ऋण को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए 603087 खाते खोले गए तथा वर्ष 2011-12 सितम्बर, 2011 तक में उन्हें रु. 6611. 87 करोड़ का लघु ऋण दिया गया।

(iv) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों/जिलों/नगरों में जागरुकता अभियन चलाया जा रहा है। वर्ष 2011-12 में सितम्बर 2011 तक ऐसे क्षेत्रों में 1658 जागरुकता अभियानों का आयोजन किया गया।

(v) प्रमुख बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों/जिलों/नगरों में सितम्बर, 2011 तक 618 उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनसे लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की संख्या 9065 है।

2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय

सच्चर समिति द्वारा यथा इंगित मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक पिछड़ेपन की समस्या के समाधान हेतु एक बहु-आयामी कार्यनीति, जैसा नीचे दिया गया है, अपनाई गई है-

(क) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों के मानदण्ड को 1 अप्रैल, 2008 से संशोधित किया गया है, ताकि 30% से कम ग्रामीण महिला साक्षरता वाले ब्लॉकों तथा राष्ट्रीय औसत से नीचे के महिला साक्षरता वाले शहरी क्षेत्रों को योजना में शामिल किया जा सके। योजना के तहत दिसम्बर, 2011 तक 107 विद्यालयों की लक्ष्य की तुलना में अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 70 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित किये गये हैं।

(ख) माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापरक शिक्षा सुलभ कराने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सरकारी स्कूल खोले जाने को वरीयता दी जानी है। राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे योजना के तहत प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करते समय अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में नए स्कूलों की स्थापना/स्कूलों के उन्नयन को प्राथमिकता दें। वर्ष 2011-12 में अक्टूबर, 2011 तक 158 नए माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं।

(ग) देश के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 374 जिलों में एक-एक मॉडल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 374 जिलों में से 67 जिले अभिनिर्धारित अल्पसंख्यक बहुल जिलों में हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान अल्पसंख्यक जिलों में पांच मॉडल कॉलेज स्वीकृत किये गये हैं और दिनांक 30 सितम्बर, 2011 तक रु. 2.67 करोड़ की निधि जारी की गयी है।

(घ) सब-मिशन ऑफ पालीटेक्नीक्स योजना के तहत अन-सर्ब्ड और अन्डर-सर्ब्ड जिलों में पालीटेक्नीक्स स्थापित किए जाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना के तहत अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों में से 57 जिले विचारार्थ पात्र हैं। अब तक अल्पसंख्यक बहुल 46 जिलों को पालीटेक्नीक्स की स्थापना के लिए शामिल किया गया है और 30 सितम्बर, 2011 तक रु. 222. 66 करोड़ की राशि अवमुक्त की गयी है।

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम बहुल जिलों/ब्लॉकों में कालेजों और विश्वविद्यालयों में और अधिक बालिका छात्रावासों के प्रावधान को वरीयता दी जाती है। यूजीसी ने 11वीं योजना के दौरान अल्पसंख्यक बहुल जिलों/क्षेत्रों में 284 महिला छात्रावासों की स्वीकृति प्रदान की है तथा 30 सितम्बर, 2011 तक 201.55 करोड़ रु. की राशि अवमुक्त की है।

(च) क्षेत्र •उन्मुख और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को संशोधित कर दो योजनाओं में बांटा गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए रु. 325 करोड़ के आवंटन के साथ मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना का शुभारंभ किया गया है। इसमें शिक्षकों को बेहतर वेतन प्रदान करने तथा पुस्तकों, शिक्षण सहायता और कम्प्यूटरों के लिए अधिक सहायता प्रदान करने और व्यावसायिक विषयों की शुरुआत करने जैसे आकर्षक प्रावधान शामिल हैं। कुल रु. 150 करोड़ के बजटीय प्रावधान की तुलना में दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 तक रु. 92.77 करोड़ की राशि अवमुक्त की गयी है। दूसरी योजना, सहायता-प्राप्त/सहायता-रहित निजी अल्पसंख्यकों के संस्थानों में अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी है, जिसे 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए रु. 125 करोड़ के आवंटन के साथ शुरु किया गया है। वर्ष 2011-12 के दौरान रु. 50.00 करोड़ के बजटीय प्रावधान की तुलना में 31 दिसम्बर, 2011 तक रु. 21.88 करोड की राशि अवमुक्त की गयी है।

(छ) उच्चत्तर शिक्षा सुलभ कराने की दृष्टि से राज्य मदरसा बोर्डों द्वारा, जिनके प्रमाण-पत्रों और अर्हताओं को संबद्ध राज्य बोर्डों द्वारा समकक्ष माना गया है, जारी प्रमाण-पत्रों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), कॉउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशल इन इंडिया (सीओबीएसई) अथवा/और किसी अन्य स्कूल परीक्षा बोर्ड द्वारा समकक्ष माना जाएगा।

(ज) तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों नामत: मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद में उर्दू माध्यम के अध्यापकों के व्यावसायिक उन्नयन हेतु अकादमी खोले गए हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/कार्यशालाओं में 4718 उर्दू शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

(झ) संशोधित योजना के तहत ऐसे किसी क्षेत्र के सरकारी स्कूल में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है, जिस क्षेत्र में उर्दू बोलने वालों की आबादी 25% से अधिक हो। वित्तीय सहायता राज्य सरकार के स्कूलों में नियुक्त उर्दू शिक्षकों के लिए प्रचलित वेतन ढांचे पर आधारित होगी। अंश-कालिक उर्दू शिक्षकों को मानदेय भी स्वीकार्य है।

(ञ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में समुदाय आधारित जागरुकता अभियान चलाने का सुझाव दिया गया है। 410 पात्र जिलों में 372 जिलों में, जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार वयस्क महिला साक्षरत दर 50 प्रतिशत या इससे नीचे है। साक्षर भारत के अंतर्गत 88 मुस्लिम बहुल जिलों में से 61 जिलों को शामिल किया गया।

(ट) संशोधित योजनाओं में जन शिक्षण संस्थानों की परिकल्पना की गई है। वर्तमान में देश में मुस्लिम बहुल 88 जिलों में से 33 जिलों में जन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ठ) वर्ष 2008-09 से देश के सभी क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन योजना को विस्तार दिया गया है तथा इसमें उच्चतर प्राइमरी स्कूलों को भी शामिल किया गया है। मुस्लिम बहुल ब्लॉकों को योजना के तहत शामिल किया जा रहा है।

(ड) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को विद्यमान स्कूल भवनों और सामुदायिक भवनों को स्कूल बच्चों के लिए अध्ययन केन्द्र के रूप में प्रयोग में लाने की सलाह दी गई है।

(ढ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा-2005 के आलोक में सभी कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार की गई हैं। 14 राज्यों ने इसके अनुसार अपने पाठ्यक्रमों को संशोधित कर लिया है, जबकि 9 राज्य ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं। 10 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पड़ोसी राज्यों की पाठ्यपुस्तकों अथवा एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करते है।

(ण) अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक आमेलन और बहिष्कार नीति के अध्ययन हेतु 35 विश्वविद्यालयों ने अध्ययन केन्द्र की शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009-10 के दौरान 51 विश्वविद्यालयों में 1280 समान अवसर केन्द्रों की स्थापना की गई है तथा वर्ष 2010-11 और 2011-12 में क्रमश: 1345 और 1367 केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं।

3. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

(क) समान अवसर आयोग की कार्य प्रणाली और संरचना संबंधी अध्ययन और अनुशंसा के लिए गठित विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट 13 मार्च, 2008 को सौंपी। असमानता सूचकांक की अवधारणा के समान अवसर आयोग में शामिल किया गया है। समान अवसर आयोग के प्रारूप विधेयक पर संबंधित अन्य मंत्रालयों/विभागों से परामर्श किया जा रहा है।

(ख) लोक सभा द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2010 दिनांक 31.8.2010 को राज्य सभा में चयन समिति को भेजा गया। चयन समिति ने दिनांक 12.12.2011 को अपनी 22वीं बैठक का आयोजन किया। राज्य सभा की चयन समिति की वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2010 से संबंधित रिपोर्ट और चयन समिति के समक्ष प्राप्त साक्ष्यों को राज्य सभा पटल पर दिनांक 16.12.2011 को प्रस्तुत कर दिया गया।

(ग) सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के पुनर्गठन को "सिद्धान्तत:" स्वीकृति प्रदान कर दी है। निगम के पुनर्गठन संबंधी ब्यौरे तैयार करने हेतु एक कंसल्टेन्सी फर्म को नियुक्त किया गया। फर्म ने मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसकी मंत्रालय में जांच की जा रही है। परामर्शी निगरानी समिति के विचार और रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

(घ) अल्पसंख्यक बहुल अभिनिर्धारित 388 नगरों के समग्र विकास हेतु उपयुक्त कार्यनीति और कार्ययोजना तैयार करने के लिए गठित अंतरमंत्रालयीन कार्य दल द्वारा 08 नवम्बर, 2007 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। संबद्ध मंत्रालयों/ विभागों को इन 338 नगरों में अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है।

(ङ) अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाएं नामत: - पहली से दसवीं कक्षा के लिए *मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना,* 11वीं से पीएच.डी तक की शिक्षा के लिए *मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना* और स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए *मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना* शुरु की गई है। इन योजनाओं के तहत दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 तक अल्पसंख्यक समुदाय के 33.90 लाख छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए रु. 649.21 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एम.फिल और पीएच.डी के छात्रों के लिए *मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति* नामक योजना भी कार्यान्वयनधीन रही। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 756 अध्येतावृत्तियां और 3778 अध्येतावृत्ति नवीकरण के मामले स्वीकृत किए गए हैं और दिनांक 31.12.2011 तक रु. 51.98 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गयी है।

(च) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की रु. 100 करोड़ की संचित निधि को दिसम्बर, 2006 में दूना बढ़ाकर रु. 200 करोड़ कर दिया गया था। संचित निधि में 11वीं योजना अवधि के दौरान वृद्धि कर रु. 700 करोड़ कर दिया गया था। प्रतिष्ठान की योजनाओं के तहत वर्ष 2007-08 से अब तक 419 गैर-सरकारी संगठनों को शैक्षिक संस्थानों में अवसंरचना विकास के लिए सहायता-अनुदान प्रदान किया गया तथा 11वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी छात्राओं को 48471 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई।

(छ) वर्ष 2006-07 में संशोधित कोचिंग एवं संबद्ध योजना की शुरुआत हुई थी। वर्ष 2011-12 के लिए 6000 अभ्यर्थियों को कोचिंग देने के लक्ष्य की तुलना में अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध 90 अभ्यर्थियों को कोचिंग देने हेतु वित्तीय सहायता दी गयी। कुल रु. 16.00 करोड़ के बजटीय प्रावधान की तुलना में दिनांक 31.12.2011 तक रु. 4.00 करोड़ की राशि अवमुक्त की गयी।

(ज) वर्ष 2008-09 में अल्पसंख्यक बहुल 90 अभिनिर्धारित जिलों में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम शुरु किया गया। योजना की शुरुआत से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, बिहार, मेघालय, झारखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, मध्यप्रदेश, किक्किम और अरूणाचल प्रदेश राज्यों और संघ राज्यों में अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों की योजनाओं को (68 जिलों की योजनाओं को पूर्णत: और 22 जिलों की योजनाओं को आंशिक) स्वीकृति प्रदान की गई तथा योजना की शुरुआत से 31 दिसम्बर, 2011 तक रु. 2588.34 करोड़ की राशि अवमुक्त की गयी।

4. सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय

सामाजिक-धार्मिक समुदायों के लिए विभिन्न सामजिक-आर्थिक और आधारभूत सुविधा मानदंडों से संबंधित आंकड़े संकलित करने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में एक **राष्ट्रीय डाटा बैंक** स्थापित किया गया है।

5. योजना आयोग

(क) उचित एवं सुधारात्मक नीतिगत निर्णय लेने के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों के विश्लेषण हेतु योजना आयोग में स्वायत्त **आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण** स्थापित किया गया है। चूंकि दिनांक 15 जनवरी, 2011 को आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण का कार्यकाल समाप्त हो गया, इसलिए योजना आयोग ने आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण का पुनर्गठन किया और नवपुनर्गठित आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण ने कुछ बैठकें आयोजित की हैं।

(ख) योजना आयोग में कौशल विकास कार्य में तेजी लाने के लिए एक विस्तृत सांस्थानिक तंत्र स्थापित किया गया है ताकि अल्पसंख्यकों सहित देश भर के कौशल विकास से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इस तंत्र में शामिल हैं - *नेशनल कॉउंसिल ऑन स्किल डेवलपमेंट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन बोर्ड और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन।*

6. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

(क) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सरकारी कर्मचारियों की जानकारी हेतु कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा एक प्रशिक्षण माड्यूल विकसित किया गया है। ये माड्यूल प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय/राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को भेजे गये हैं।

(ख) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में थानों में मुस्लिम पुलिस कार्मिक तथा मुस्लिम स्वास्थ्य कार्यकर्ता और शिक्षकों की तैनाती करें। गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी दिशा-निर्देश जारी कर राज्यों/संघ राज्यों से ऐसी ही कार्रवाई करने की सलाह दी है।

7. गृह मंत्रालय

(क) *परिसीमन अधिनियम* की समीक्षा के लिए गठित उच्च शक्तिप्राप्त समिति ने सच्चर समिति की रिपोर्ट में परिसीमन योजनाओं के तहत सुरक्षित क्षेत्रों में खामी के संदर्भ में व्यक्त चिंताओं पर विचार किया है तथा अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

(ख) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के कार्यबल द्वारा "साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा निवारण (न्याय एवं निरसन) विधेयक, 2011" शीर्षक से विधेयक का प्रारूप तैयार किया है। परिषद द्वारा विधेयक को दिनांक 25.7.2011 को गृह मंत्रालय को भेजा गया है। विधेयक के प्रारूप की समीक्षा गृह मंत्रालय द्वारा की जा रही है।

8. शहरी कार्य मंत्रालय और आवास तथा निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय

जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयू आरएम), लघु एवं मध्यम नगरों में शहरी अवसंरचना विकास की योजना (यूआईडीएसएसएमटी), समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत अल्पसंख्यक बहुल नगरों और शहरों में धनराशि के प्रवाह के आवश्यक उपाय किए गए हैं, ताकि ऐसे नगरों से संबंधित *विस्तृत परियोजना रिपोर्ट* में अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त प्रावधान शामिल हों। इन उपायों में शामिल हैं:-

(क) यू आई डी एस एस एम टी के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल 88 नगरों के लिए रु. 2672.34 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं।

(ख) आई.एच.एस.डी.पी. के तहत रु. 1897.69 करोड़ लागत की परियोजनायें अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले 101 नगरों के लिए हैं।

(ग) बी.एस.यू.पी. के तहत 17 नगरों के लिए रु. 7086.47 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

(घ) उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, लक्षदीप, पुडूचेरी और केरल राज्य सरकारों को वक्फ बोर्ड परिसंपत्तियों पर किराया नियंत्रण अधिनियम से छूट दी गई है, जबकि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों ने सूचित किया है कि उनके राज्य में वक्फ परिसंपत्ति नहीं है।

9. श्रम और रोजगार मंत्रालय

असंगठित क्षेत्र में, जिसमें अन्य के साथ-साथ गृह आधारित कामगार शामिल हैं, कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए संसद द्वारा एक विधेयक पारित किया गया है।

10. संस्कृति मंत्रालय

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आने वाले वक्फों की सूची की समीक्षा के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के परिमंडलों की राज्य वक्फ बोर्डों के साथ बैठकें आयोजित की गयी हैं।

11. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से जुड़ी योजनाओं से संबंधित सूचनाओं का प्रचार-प्रसार क्षेत्रीय भाषाओं में किया जा रहा है।

12. पंचायती राज मंत्रालय

पंचायती राज मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की स्थिति में सुधार लाने की सलाह दी गई है।

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचना के अनुसार उत्तराखंड, केरल, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप राज्यों/संघ राज्यों में जिला और पंचायत स्तर पर अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के प्रावधान विद्यमान हैं। हिमाचल प्रदेश और ओडिशा राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि यह मामला राज्य सरकार में विचाराधीन है।

शहरी विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि केरल, पश्चिम बंगाल और हरियाणा राज्य सरकारों ने दिशा-निर्देशों को क्रियान्वित कर दिया है।

13. सूचना और प्रसारण मंत्रालय

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर फिल्म-चित्र जारी किए जाते रहे

हैं। इन फिल्म-चित्रों में छात्रवृत्ति योजनाओं तथा सच्चर समिति रिपोर्ट के अनुसरण में की गई पहलों से संबंधित जानकारी शामिल की गयी है।

फार्माकोपिया आयोग का गठन

1425. श्री राजय्या सिरिसिल्ला: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 62 बिलियन के वैश्विक जड़ी-बूटी (हर्बल) दवा बाजार में देश का हिस्सा बढ़ाने के उद्देश्य से देशीय दवाएं विकसित करने के लिए 14.08 करोड़ रुपए की लागत से फार्माकोपिया आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) आयुर्वेद, सिद्ध तथा युनानी औषधियों के लिए फार्माकोपियल मानक निर्धारित करने के उद्देश्य से सरकार ने भारतीय दवाइयों के लिए वर्ष 2010 में एक फार्माकोपिया आयोग की स्थापना की थी।

(ख) भारतीय दवाइयों के लिए फार्माकोपिया आयोग की आम निकाय, शासी निकाय तथा वैज्ञानिक निकाय के रूप में त्रिस्तरीय संरचना है। आम निकाय के 13 सदस्य और शासी निकाय के 5-6 सदस्य हैं तथा अन्य सदस्यों को सहयोजित करने का विकल्प है।

(ग) यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत स्वतंत्र/स्वायत्तशासी निकाय है।

पोन्नईयार-पालार लिंक

1426. श्री एस. सेम्मलई: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु में पोन्नईयार-पालार लिंक के लिए पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) तैयार कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) ने पोन्नईयार पालार संपर्क की व्यवहार्यता पूर्व रिपोर्ट (पीएफआर) तैयार की है और तमिलनाडु सरकार को भेजी है।

(ख) पोन्नईयार (कृष्णागिरी)-पालार अंतः राज्यीय संपर्क में कृष्णागिरी बांध में बाढ़ जल के तौर पर वार्षिक रूप से उपलब्ध जल में से गुरुत्वाकर्षण द्वारा 55.7 कि. मी. नहर के माध्यम से साथ के बेसिन में पलार नदी की वितरिका नामतः कलार को वर्ष में अक्टूबर से दिसंबर के महीने में हर महीने 5 दिन के हिसाब से 15 दिनों तक 99 मिलियन घन मीटर जल अंतरित करने की परिकल्पना है। इस अंतरित जल का पलार बेसिन के भूमि जल पुरर्भरण के लिए उपयोग किए जाने और इस प्रकार मौजूदा कुओं और बोरवेलों द्वारा सिंचाई किए जा रहे लगभग 11870 हेक्टेयर के वर्तमान कमान क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव है।

2008-09 के मूल्य स्तर पर परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 25793 लाख रुपए है। अनुमानित लाभ-लागत अनुपात 1:21 है।

(ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के नाते जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण राज्य सरकार द्वारा उसकी अपेक्षाओं और कार्यों की प्राथमिकता के अनुरूप किया जाता है।

जल विवाद अधिकरण

1427. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी जल विवाद अधिकरणों के स्थान पर एक अधिकरण बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान में विद्यमान जल विवाद अधिकरणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में सभी अंतर्राज्यीय जल विवादों के लिए एकल फोरम बनाने और इस निकाय को अर्द्ध-न्यायिक दर्जा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (ग) सभी अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए एक स्थायी अधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव संकल्पनात्मक चरण में हैं।

इस समय 5 अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिकरण हैं। उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	नदी/नदियां	संबंधित राज्य	केंद्र सरकार को भेजे जाने की तारीख	अधिकरण को भेजे जाने की तारीख
1.	रावी एवं व्यास	पंजाब, हरियाणा और राजस्थान	-	अप्रैल, 1986
2.	कावेरी	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी	जुलाई, 1986	जून, 1990
3.	कृष्णा	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र	सितंबर, 2002-जनवरी, 2003	अप्रैल, 2004
4.	महादायी	गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र	जुलाई, 2002	नवंबर, 2010
5.	वंसधारा	आंध्र प्रदेश और ओडिशा	फरवरी, 2006	मार्च, 2010

[हिन्दी]

चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए कायिक निधि

1428. श्री कैलाश जोशी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए कायिक निधि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो मांगी गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्र सरकार द्वारा उक्त निधि कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने जून, 2008 में 982.75 करोड़ रुपये के व्यय के साथ भोपाल गैस पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कार्य योजना प्रस्तुत किया था। इस योजना में आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए रु. 500 करोड़ रुपए की संचित निधि शामिल थी। मध्य प्रदेश सरकार ने गैस पीड़ितों के दीर्घ आवधिक चिकित्सा पुनर्वास और रु. 500 करोड़ की संचित निधि को पूरा करने के लिए निधि की आवश्यकता हेतु 21 दिसम्बर, 2010 को विस्तृत संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। योजना आयोग द्वारा भोपाल गैस रिसाव त्रासदी संबंधी मंत्रियों के समूह के निदेश पर इस प्रस्ताव की नए सिरे से जांच की गई। रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग ने योजना आयोग से पुन: जांच करने का अनुरोध किया। योजना आयोग ने 6 जनवरी, 2012 को सूचित किया कि आयोग इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता है।

रेलगाड़ियों का विलंब से परिचालन

1429. श्री मुरारी लाल सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई-हावड़ा रेल मार्ग पर सभी एक्सप्रेस/सुपरफास्ट/पैसेंजर रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से विलंब से चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलगाड़ियों के पांच से दस घंटे के विलंब से चलने के कारण यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं, मार्च, 2012 के दूसरे हफ्ते में (6 से 14 मार्च तक) मुंबई-हावड़ा रेल मार्ग पर प्रारंभ होने वाली और समाप्त होने वाली कुल 62 मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में से केवल 9 मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों ने समयपालन नहीं बनाए रखा।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और संबद्ध उत्पादों का आयात

1430. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की पेट्रोल और इससे संबद्ध उत्पादों की खपत का अस्सी प्रतिशत आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश में तेल भंडारों का पता लगाने के लिए भूगर्भीय तथा महासागरीय सर्वेक्षण करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, नहीं। विगत् तीन वर्षों के दौरान देश में पेट्रोल (एमएस) का आयात और इसका उपभोग निम्नवत् है:-

(हजार मीट्रिक टन में)

	2008-09	2009-10	2010-11 (अनंतिम)
उपभोग	11258	12818	14192
आयात	397	385	1702
(%) आयात प्रति उपभोग	3.5	3.0	12.0

(ख) और (ग) तलछटीय बेसिनों में हाइड्रोकार्बन की संभाव्यता का मूल्यांकन करने के लिए जमीनी और अपतटीय क्षेत्रों में भारतीय तलछटीय बेसिनों में गुरुत्व चुंबकीय, विद्युत-चुंबकीय, वायु चुंबकीय, मैगनेटो-तेलरिक, भू रासायनिक और भूकंपीय सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। इन सर्वेक्षणों से प्राप्त किए गए डाटा का उपयोग, नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) बोली दौरों के तहत प्रस्तुत किए जाने के लिए अन्वेषणात्मक ब्लाकों को तैयार करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत संविदाकार(रों) उनको प्रदान किए गए ब्लाकों में हाइड्रोकार्बन की संभाव्यता का पता लगाने के लिए विभिन्न भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण भी करते हैं।

[हिन्दी]

रेलवे में विद्युत उत्पादन

1431. श्रीमती सीमा उपाध्याय:
श्रीमती सुशीला सरोज:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार विद्युत प्राप्त करने के लिए रिजेनरेटिव ब्रेकिंग प्रणाली का कार्यान्वयन करने का है जैसा कि दिल्ली मेट्रो में उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रेलवे द्वारा अपने प्रचालनों में उपयोग के लिए गैर-परम्परागत विधियों से विद्युत उत्पादन के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) भारतीय रेलवे ने चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना (सीएलडब्ल्यू) और सवारी डिब्बा कारखाना (आईसीएफ) पर क्रमशः रीजनरेटिव ब्रेकिंग गुणों के साथ नई पीढ़ी के 6000 हार्स पावर (एचपी) बिजली रेल इंजनों और इलैक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट (ईएमयू) का निर्माण पहले ही शुरू कर दिया गया है। ऐसी प्रौद्योगिकी का भविष्य में रेल इंजनों और इलैक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिटों में अधिक संख्या में कार्यान्वित किया जाएगा।

(ग) भारतीय रेलवे ने तमिलनाडु में 31.03.2009 को सवारी डिब्बा कारखाना (आईसीएफ), चेन्नै के लिए 10.5 मेगा वाट (एमडब्ल्यू) क्षमता वाला एक पवन चक्की संयंत्र शुरू किया है। प्रत्येक 10.5 एमडब्ल्यू क्षमता वाले दो पवन चक्की संयंत्र, एक उत्तर पश्चिम रेलवे के जैसलमेर (राजस्थान) के लिए और दूसरा दक्षिण रेलवे में तमिलनाडु के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

इसके अलावा, भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों में 72 एमडब्ल्यू क्षमता के पवन चक्की संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

रेलवे स्टेशनों, कार्यालय भवनों, प्रशिक्षण संस्थानों और समपार गेटों पर भारतीय रेलवे विभिन्न क्षमताओं के सौर फोटो वोल्टैक (पीवी) की व्यवस्था करके सौर ऊर्जा का भी उपयोग कर रही है।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार

1432. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव का कार्यान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): भारत, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यूएनसीएसी) का हस्ताक्षरकर्ता है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का अनुच्छेद 12, प्राइवेट सेक्टर में भ्रष्टाचार से संबंधित है। देशी विधियों को संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अनुच्छेद 12 के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से, प्राइवेट सेक्टर में रिश्वत को एक दांडिक अपराध बनाने के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 को संशोधित करने के लिए एक प्रस्ताव है। चूंकि दांडिक विधि और दांडिक प्रक्रिया भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में आती हैं इसलिए उक्त प्रस्ताव पर कोई विचार किया जाना सभी राज्य सरकारों से टीका-टिप्पणियों की प्राप्ति के अध्यधीन है। इस संबंध में कोई समय सीमा नियत नहीं की जा सकती।

कच्चे माल का आयात

1433. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भविष्य में मांग को पूरा करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए विदेश से कच्चा माल अर्जित करने के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त नीति से क्या-क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) वर्तमान में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) के लिए विदेश से कच्चा माल अर्जित करने की कोई नीति नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

एनजीएचडीए की स्थापना

1434. श्री अधीर चौधरी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की तर्ज पर राष्ट्रीय ग्रिड राजमार्ग विकास प्राधिकरण (एनजीएचडीए) की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्राधिकरण की स्थापना से क्या-क्या लाभ होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अनुरूप राष्ट्रीय गैस राजमार्ग विकास प्राधिकरण (एनजीएचडीए) स्थापित करने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

एमजीआईआरआई के कृत्य

1435. श्री ए. गणेशमूर्ति: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान (एमजीआईआरआई) के उद्देश्य और कृत्य क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान संस्थान को आवंटित और उसके द्वारा व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान (एमजीआई आरआई), ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन एवं विस्तार कार्यकलापों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एमजीआईआरआई को जारी की गई एवं उनके द्वारा उपयोग की गई निधियों का विवरण निम्नोक्त है:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	जारी	उपयोग
2009-10	3.72	3.79**
2010-11	6.35	5.04
2011-12*	3.87	3.60

*29 फरवरी 2012 तक

**पिछले वर्ष के खर्च न किए गए शेष सहित।

(ग) वर्ष 2009-10 से एमजीआईआरआई ने 155 मॉडल उद्यमों को हैंडहोल्डिंग/प्रौद्योगिकीय सहयोग प्रदान करने संबंधी कार्रवाई आरंभ की, उच्चतर दक्षता प्राप्त करने तथा कार्य में नीरसता को कम करने के लिए उन्नत 53 मशीनें/प्रक्रियाएं/सेवाएं विकसित की, 1613 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया, 63 कार्यशालाएं आयोजित की तथा उनके द्वारा विकसित प्रोटोटाईप/प्रक्रियाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए 29 प्रदर्शनियों में भाग लिया है।

निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु एजेंसियां

1436. श्री सी.आर. पाटिल: क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्मल ग्राम पुरस्कार (एनजीपी), 2010 के संबंध में सर्वेक्षण हेतु जिन एजेंसियों की सेवाएं ली गईं क्या वे ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण आयोजित करने में तकनीकी और व्यावसायिक रूप से सक्षम थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गुजरात से स्थानीय व्यक्तियों की सेवाएं लेने के लिए इन सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा अपनाए गए मानदंड क्या हैं;

(घ) क्या सर्वेक्षण एजेंसियों ने पारदर्शी और सांख्यिकीय रूप से सुचारु सर्वेक्षण किया तथा ग्राम पंचायतों और अन्य हितधारकों को सर्वेक्षण के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) वर्ष 2010 और 2011 के दौरान एनजीपी आवेदक गांवों में सर्वेक्षण करने वाली प्रत्येक एजेंसी को दी गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या गुजरात सरकार ने इन सर्वेक्षण एजेंसियों के निष्कर्ष के संबंध में मौखिक और लिखित आपत्तियां दर्ज कराई हैं; और

(छ) क्या गुजरात सरकार ने इन सर्वेक्षण एजेंसियों के निष्कर्ष के संबंध में मौखिक और लिखित आपत्तियां दर्ज कराई हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) निर्मल ग्राम पुरस्कार से जुड़े सर्वेक्षण कार्य करने के लिए तैनात की गई एजेंसियों को विचारार्थ विषयों (टीओआर) के अनुसार सर्वेक्षण करने का अनुभव एवं सुविज्ञता थी।

(ग) सर्वेक्षण एजेंसियों को उपलब्ध कराए गए टीओआर में यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक सर्वेक्षण दल में एक पर्यवेक्षक और दो अन्वेषक होना चाहिए। दल के सभी सदस्य कम से कम स्नातक होने चाहिए और उन्हें स्थानीय भाषा में प्रभावी ढंग से बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए।

(घ) और (ङ) एजेंसियों ने टीओआर के अनुसार सर्वेक्षण किया था और मंत्रालय द्वारा बनाई गई ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली पर दी गई समय-सीमा के अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी थी और बाद में हार्ड प्रतियां दी थीं। इस रिपोर्ट का ब्यौरा राज्य सरकार को भी भेजा गया था।

(च) वर्ष 2010 और 2011 के दौरान गुजरात में एनजीपी आवेदक गांवों में सर्वे करने वाली प्रत्येक एजेंसी को किए गए भुगतान का ब्यौरा निम्नानुसार है:

	किया गया भुगतान (राशि रु. में)
1	2
गुजरात में 2010 के दौरान सर्वे करने वाली एजेंसियां	
एक्शन फार एग्रीकल्चर रिव्यूवल इन महाराष्ट्र-एएफएआरएम	2010750
एग्रीकल्चर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड	1938600
एशियन सेंटर फॉर सोशो-इकोनॉमिक एंड रूरल डिवल्वमेंट	2229000
सेंटर ऑफ साईस फॉर विलेजिज (सीएसवी)	1700250

1	2
इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिशट्रेशन	1789667
सोसायटी फॅार सोशल सर्विसेज, एमबीसी	2642908
गुजरात में 2011 के दौरान सर्वे करने वाली एजेंसियां	
सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च एंड डिवल्पमेंट	1489500
सीएमराम, रिसर्च हाउस	1747800
डीएचवी इंडिया प्रा.लि.	1431000
डीएमजी कन्सल्टिंग प्रा.लि.	1251918
जीएफके मोड प्रा. लि.	1309770
पावर्टी लर्निग फाउंडेशन	1769400
समबोधी रिसर्च एंड कम्यूनिकेशंस प्रा. लि.	1400400
सनटेक कंसलटेंट्स प्रा. लि.	1582200

(छ) और (ज) जी, हां। पत्रों की जांच की गई थी और चूंकि की गई आपत्ति एनजीपी दिशानिर्देशों के अनुरुप नहीं थी, राज्य को तदनुसार सूचित कर दिया गया था।

सिंचाई दशक

1437. श्री सुरेश कुमार शेटकर: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जल संसाधन की पूर्ण संभावना के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए वर्ष 2011-20 को 'सिंचाई दशक' घोषित किया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार विशेषकर आंध्र प्रदेश सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, नहीं। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2011-20 को 'सिंचाई दशक' के रूप में घोषित नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डीपीसीओ के अंतर्गत कैंसर औषध

1438. श्री हेमानंद बिसवाल: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नई आवश्यक औषध सूची के भाग के रुप में औषध मूल्य नियंत्रण आदेश के अंतर्गत अनेक कैंसर औषधों को शामिल करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में कैंसर औषधों की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) औषध विभाग ने एक प्रारूप राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति, 2011 (एनपीपीपी-2011) तैयार की थी जिसमें स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर राष्ट्रीय अनिवार्य दवा सूची (एनएलईएम), 2011 के भांति दवाओं को मूल्य नियंत्रण के अधीन लाए जाने का प्रस्ताव है। एनएलईएम, 2011 में 33 कैंसर रोधी दवाएं भी निहित हैं। इस प्रारूप राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति, 2011 (एनपीपीपी-2011) को सभी संबंधित मंत्रालयों/संबंधित पक्षों के पास भेजा गया है। यह प्रारूप औषधि नीति दिनांक 30.11.2011 तक किसी भी अन्य इच्छुक व्यक्ति की टिप्पणियों के लिए इस विभाग की वेबसाइट www.pharmaceuticals.gov.in पर भी उपलब्ध थी। सभी संबंधित पक्षों से प्राप्त हुए विचारों की जांच की जा रही है ताकि उन्हें मंत्रियों के समूह को प्रस्तुत किया जा सके।

(ग) मूल्य मॉनीटरिंग कार्य के अंग के रूप में, एनीपीपी गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव की नियमित आधार पर जांच करता है। ओआरजी-आईएमएस (जिसका नाम अब बदलकर आईएमएस स्वास्थ्य रखा गया है) की मासिक रिपोर्ट और अलग-अलग निर्माताओं द्वारा दी गई सूचना का उपयोग गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग के प्रयोजन हेतु किया जाता है। जहां कहीं 10 प्रतिशत वार्षिक से अधिक मूल्य वृद्धि का पता चलता है वहाँ सम्बन्धित निर्माता से कहा जाता है कि वह स्वेच्छा से मूल्य घटाए, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए जनहित में संबंधित फॉर्मूलेशन का मूल्य निर्धारित करने के लिए औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैराग्राफ 10(ख) के अधीन कार्रवाई शुरु की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

गुजरात में गैर-सरकारी संगठन

1439. श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा गुजरात राज्य में संचालित योजनाओं के अंतर्गत जिन गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई है, उनके नाम क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उन गैर-सरकारी संगठनों को स्वीकृत और उनके द्वारा उपयोग की गई निधियों का गैर-सरकारी संगठन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय अनियमितताओं में संलिप्त पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आवंटित विक्रय केन्द्र

1440. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने उत्पाद बेचने के लिए रेलवे स्टेशनों पर विक्रय केन्द्र आवंटित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों और उनके उत्पादों के नाम क्या हैं जिन्हें बेचने की अनुमति दी गयी है; और

(ग) रेलवे स्टेशनों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पाद बेचने की अनुमति प्रदान किए जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जे.वी.जी. समूह में अनियमितताएं

1441. श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री यशवंत लागुरी:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि जे.वी.जी. समूह अनियमितताओं में लिप्त है और इस समूह ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने इसकी जांच की है और सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या जे.वी.जी. ने निदेशकों से उगाही गई धनराशि का दुरुपयोग किया और बाद में समय पर भुगतान नहीं किया; और

(च) यदि हां, तो निवेशकों के धन को बचाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) मंत्रालय के पास जेवीजी ग्रुप के भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में संलिप्त होने के संबंध में कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2007 में जेवीजी ग्रुप की तेरह (13) कंपनियों के कार्यों की जांच का आदेश दिया गया था जिसे एसएफआईओ के हवाले किया गया था। उन कंपनियों की सूची सलंग्न विवरण में दी गई हैं। इनमें से 4 कंपनियां

परिसमापनाधीन हैं। अब तक एसएफआईओ ने उक्त 13 कंपनियों में से प्रत्येक के संबंध में रिपोर्ट सौंप दी है।

(ङ) और (च) जांच में इन कंपनियों द्वारा उगाही गई धनराशि के दुरुपयोग एवं पुनर्भुगतान में चूक संबंधी विभिन्न घटनाओं का खुलासा हुआ है। इसके अतिरिक्त, जांच में उक्त कंपनियों के प्रवर्तकों/निदेशकों द्वारा बेईमानी, धोखाधड़ी, आपराधिक न्यास भंग तथा निधि के अन्यत्र उपयोग की विभिन्न घटनाओं का भी खुलासा हुआ है। अब तक एसएफआईओ ने 9 कंपनियों के संबंध में अभियोजन दायर किया है। चूंकि शेष 4 कंपनियां परिसमापनाधीन हैं, अत: कंपनी अधिनियम की धारा 446 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही अभियोजन दायर किया जा सकता है।

विवरण

जेवीजी ग्रुप की कंपनियों की सूची

1. मैसर्स जेवीजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
2. मैसर्स जेवीजी पब्लिकेशन लिमिटेड
3. मैसर्स जेवीजी होटल्स लिमिटेड
4. मैसर्स जेवीजी स्टील्स लिमिटेड
5. मैसर्स जेवीजी टेक्नो इंडिया लिमिटेड
6. मैसर्स जेवीजी होल्डिंग्स लिमिटेड
7. मैसर्स जेवीजी फार्म फ्रेश लिमिटेड
8. मैसर्स जेवीजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
9. मैसर्स जेवीजी ओवरसीज लिमिटेड
10. मैसर्स जेवीजी फाइनेंस लिमिटेड (परिसमापनाधीन)
11. मैसर्स जेवीजी लीजिंग लिमिटेड (परिसमापनाधीन)
12. मैसर्स जेवीजी सिक्युरिटीज लिमिटेड (परिसमापनाधीन)
13. मैसर्स जेवीजी डिपार्टमेंटल स्टोर्स लिमिटेड (परिसमापनाधीन)

[हिन्दी]

बिहार में स्व-सहायता समूह

1442. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) और जिला ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ (डीआरडीसी) द्वारा बिहार में संचालित और वित्त पोषित स्व-सहायता समूहों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या गत कुछ वर्षों में ऐसी ग्रामीण विकास एजेंसियों, प्रकोष्ठों, गैर-सरकारी संगठनों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इन निकायों द्वारा की गई किन्हीं अनियमितताओं, यदि कोई हों, की जानकारी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड

1443. श्री बद्री राम जाखड़: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा हरियाणा के लिए निर्धारित जल की मात्रा में उसके वास्तविक उपयोग की तुलना में परिवर्तन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ने सूचित किया है कि हरियाणा, भाखड़ा नंगल करार, 1959 के अनुसार सतलुज जल का तथा 03.12.1982 को हुई बीबीएमबी की 105वीं बैठक में अनुमोदित तदर्थ अंतरिम करार के अनुसार रावी ब्यास के अधिशेष जल से अपना हिस्सा प्राप्त करता है। पंजाब द्वारा हरियाणा को, दो हरियाणा संपर्क बिंदुओं अर्थात आरडी 390 बीएमएल तथा आरडी 180 नरवाना शाखा से इन नहरों में उपलब्ध जल को सुरक्षित पहुंचाने की सीमा तक, जल प्रदान किया जाता है। बीबीएमबी जिसमें सहभागी राज्य सदस्य हैं, तकनीकी समिति में, जल की उपलब्धता, सहभागी राज्यों के हिस्से तथा उनकी आवश्यकताओं/मांगों तथा जल-प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आने वाली अनेक नहरों में जल को सुरक्षित पहुंचाने पर विचार करते

हुए प्रति माह लिए गए निर्णय के अनुसार छोड़े जाने वाले जल की प्रमात्रा निर्धारित की जाती है।

[अनुवाद]

रेल सेवाओं में व्यवधान

1444. श्री नवीन जिन्दल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रेलवे की सामान्य सेवाओं में निरंतर व्यवधान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रकाश में आई ऐसी घटनाओं की वर्ष-वार संख्या क्या है;

(ग) क्या रेलवे को इन क्षेत्रों में रेलवे कर्मचारियों को और अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए रेलवे यूनियनों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इन क्षेत्रों में रेलवे कर्मचारियों, संपत्तियों और यात्रियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) मौजूदा कानून और व्यवस्था की दृष्टि से मुंबई-हवड़ा मार्ग के कतिपय खंडों पर यात्री गाडियों की गति रात के समय नियंत्रित कर दी गई है। इसके अलावा, वामपंथी उग्रवादियों द्वारा घोषित बंध के दौरान, रेल सेवाओं को विनियमित करने के लिए भी पर्याप्त सावधानी अपनाई जाती है। रेलों पर तोड़ फोड़ की कुछेक घटनाएं सूचित की गईं जिनसे सामान्य गाड़ी सेवाएं प्रभावित हुईं। वर्ष 2009, 2010 तथा 2011 के दौरान सूचित की गई घटनाओं की संख्या नीचे दिए अनुसार है:

वर्ष	सूचित घटनाओं की सं.
2009	60
2010	75
2011	44

(ग) और (ङ) जी हां, वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र में संरक्षा परिस्थितियां सुधारने के लिए रेल यूनियनों से सुझाव प्राप्त हुए हैं, चूंकि रेलों में "पुलिस व्यवस्था" राज्य का विषय है और रेलवे परिसरों के साथ साथ चलती गाडियों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की सांविधिक जिम्मेदारी है, रेलवे कर्मचारियों सहित रेलवे अवसंरचना को हमलों से बचाने तथा किसी संभावित आपदा से बचने के लिए रेलवे द्वारा उनसे अतिरिक्त सिविल पुलिस, राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) तथा केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की तैनाती के लिए अनुरोध किया जाता है।

इस क्षेत्र में रेलवे कर्मचारियों, परिसंपत्ति तथा यात्रियों की संरक्षा तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे राज्य सरकारों के साथ विभिन्न स्तरों पर नियमित समन्वय बनाए रखती है।

उर्वरक राजसहायता

1445. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राजसहायता प्रणाली के अंतर्गत उर्वरक राजसहायता के प्रशासन की वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बारहवें वित्त आयोग ने उर्वरक राजसहायता जारी करने के लिए एक वैकल्पिक तंत्र विकसित किए जाने की सिफारिश की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) जी हां। तथापि, इसमें समय-समय पर आगे और सुधार करने के लिए विभिन्न सुझावों पर विचार किया गया है। नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों पर पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति का कार्यान्वयन 1 अप्रैल, 2010 से लागू किया गया है। इस नीति के अनुसार पोषक-तत्वों 'एन'-नाइट्रोजन, 'पी'-फॉस्फोरस, 'के'-पोटाश और 'एस' सल्फर तत्वों पर राजसहायता वार्षिक आधार पर निर्धारित की जाएगी। ऊपर उल्लिखित पोषक-तत्वों पर नियत राजसहायता के अलावा एफसीओ 1985 के अंतर्गत अनुमोदित फार्मूलेशनों में अतिरिक्त द्वितीयक पोषक-तत्वों

और सूक्ष्म पोषक-तत्वों को शामिल करते हुए राजसहायता-प्राप्त उर्वरक हेतु प्रति टन अतिरिक्त राजसहायता दी जाएगी। नई मूल्य-निर्धारण योजना (एनपीएस)-III के बाद स्वदेशी रूप से उत्पादित यूरिया में राजसहायता व्यवस्था के विभिन्न विकल्पों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ग) बारहवें वित्त आयोग ने उर्वरक राजसहायता के मुद्दे पर टिप्पणी की कि "वैकल्पिक साधन विकसित करने की स्पष्ट आवश्यकता है ताकि राजसहायता की मांग कम हो और इसके लाभ को बेहतर ढंग से लक्षित किया जा सके। वर्तमान प्रणाली को यथा शीघ्र हटाए जाने की आवश्यकता है। "(पैरा 3 ए) (रिपोर्ट का अध्याय 3)। तथापि, बारहवें वित्त आयोग ने उर्वरक राजसहायता के संबंध में कोई विशिष्टि सिफारिश नहीं की है।

(घ) और (च) उर्वरक विभाग के संबंध में उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एलपीजी वितरण तंत्र

1446. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या और एलपीजी वितरकों की संख्या का अनुपात क्या है;

(ख) इस अनुपात में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या देश भर में विभिन्न कोटों के अंतर्गत एलपीजी वितरकों हेतु अनेक आवेदन पत्र कई वर्षों से लंबित पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) देश भर में अपने क्रमशः 7036 शहरी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और 4183 ग्रामीण एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में लगभग 849.67 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं और ग्रामीण क्षेत्रों में 503.06 लाख उपभोक्ताओं को सेवाएं दे रही हैं। शहरी क्षेत्रों में प्रति एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप में 12076 उपभोक्ताओं और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप में 12026 ग्राहकों का अनुपात है।

(ख) इस मंत्रालय द्वारा अपनाए गए 'विजन-2015' में वर्ष 2009 और 2015 के बीच, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और कम कवर किए गए क्षेत्रों में 5.5 करोड़ नए एलपीजी कनैक्शन जारी करके देश की एलपीजी जनसंख्या कवरेज 50% से 75% तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।

(ग) और (घ) ओएमसीज ने रिपोर्ट दी है कि देश में विभिन्न श्रेणियों में 1492 नियमित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और 3380 राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण (आरजीजीएलवी) डिस्ट्रीब्यूटरशिप को चालू करने का कार्य विभिन्न अनिवार्य लाइसेंस और अनुमोदन न मिलने, शिकायतों/मुकदमों के निपटान, लंबित न्यायिक मामलों आदि के कारण लंबित हैं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

लंबित डिस्ट्रीब्यूटरशिप को चालू करने का कार्य उपर्युक्त घटकों की शर्त पर है और ओएमसीज इन्हें जल्दी शुरु करने की कार्रवाई कर रही हैं।

विवरण

चालू करने के लिए लंबित एलपीजी राज्यवार-डिस्ट्रीब्यूटरशिप

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नियमित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या	आरजीजीएलवी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	57	206
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	15
3.	असम	22	103
4.	बिहार	26	296
5.	छत्तीसगढ़	24	36
6.	दिल्ली	7	0
7.	गोवा	4	0
8.	गुजरात	64	73
9.	हरियाणा	16	109
10.	हिमाचल प्रदेश	6	40
11.	जम्मू और कश्मीर	13	65

1	2	3	4
12.	झारखंड	36	137
13.	कर्नाटक	21	141
14.	केरल	149	99
15.	मध्य प्रदेश	119	151
16.	महाराष्ट्र	116	220
17.	मणिपुर	3	21
18.	मेघालय	2	3
19.	मिजोरम	1	19
20.	नागालैंड	5	5
21.	ओडिशा	18	207
22.	पंजाब	60	127
23.	राजस्थान	89	167
24.	सिक्किम	0	0
25.	तमिलनाडु	149	213
26.	त्रिपुरा	3	16
27.	उत्तर प्रदेश	431	594
28.	उत्तराखंड	7	57
29.	पश्चिम बंगाल	38	259
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0
31.	चंडीगढ़	3	0
32.	दादरा और नगर हवेली	0	0
33.	दमन द्वीव	1	0
34.	लक्षद्वीप	0	0
35.	पुडुचेरी	1	1
	योग	1492	3380

[हिन्दी]

स्वरोजगार पर मनरेगा का प्रभाव

1447. श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह:**
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संबंध में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें यह बताया गया है कि योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में लघु और कुटीर उद्योगों का विकास और विस्तार प्रभावित हो रहा है क्योंकि आम आदमी सरकारी रोजगार योजनाओं पर उत्तरोतर निर्भर हो रहा है और इस कारण लघु और कुटीर उद्योगों में रोजगार को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद की "व्हाई एन इनोवेटिव एंटी पोवर्टी प्रोग्राम शोड नो नेट इम्पैक्ट" नामक अनुसंधान रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश के मेडक जिले, जो कि अध्ययन का संबंध में कोई निर्णायक साक्ष्य नहीं मिला है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे स्टॉलों में कोटा

1448. श्री यशवंत लागुरी:
श्री लक्ष्मण टुडु:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर स्टाल चलाने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई कोटा निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कोटे में मानदंडों का उल्लंघन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक प्राप्त शिकायतों और रेलवे द्वारा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का जोन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए किए गए अथवा किए जा रहे सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) नई खानपान नीति 2010 के अनुसार, ए, बी तथा सी श्रेणी के रेलवे स्टेशनों पर लघु स्थैतिक खानपान इकाइयों के आबंटन में 25% आरक्षण दिया गया है जिसमें से 6% तथा 4% क्रमश: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित हैं। डी, ई और एफ श्रेणी के स्टेशनों पर विभिन्न आरक्षित कोटियों के लिए 49.5% आरक्षण निर्धारित किया गया है जिसमें से 12% तथा 8% क्रमश: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षित हैं।

(ग) से (ङ) जी नहीं। विभिन्न आरक्षित कोटियों के अंतर्गत लघु खानपान इकाइयों का आबंटन एक सतत् प्रक्रिया है और निर्धारित कोटा भरने के उपाए किए जाते हैं। मानदंड सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर रेलवे द्वारा इस पर कार्रवाई की जाती है।

एस.एस.आई. हेतु औद्योगिक समूह

1449. श्री कपिल मुनि करवारिया: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में लघु उद्योगों के विस्तार और विकास हेतु औद्योगिक समूह स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन औद्योगिक समूहों की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस पर कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) इस समय औद्योगिक समूहों की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, यह मंत्रालय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत राज्य सरकारों द्वारा दर्शायी गई अपेक्षाओं के अनुसार नए औद्योगिक केन्द्र/इस्टेट की स्थापना के लिए अवसंरचना विकास (आईडी) घटक है।

(ख) एमएसई-सीडीपी के अवसंरचना विकास घटक के तहत 18 नए अवसंरचना विकास केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। ब्यौरा विवरण पर दिया गया है।

(ग) सामान्यत: अवसंरचना विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दो वर्ष का समय अपेक्षित होता है। तथापि परियोजना का पूरा होना संबंधित राज्य सरकारों की कार्यान्वयन एजेंसियों पर निर्भर करता है।

(घ) नई अवसंरचना विकास परियोजनाओं के लिए खर्च की जाने वाली संभावित धनराशि का ब्यौरा अनुबंध पर दिया गया है।

विवरण

18 नए अवसंरचना विकास केन्द्र

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य	स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित नए अवसंरचना विकास केन्द्रों की संख्या	प्रस्तावित अवसंरचना विकास केन्द्रों पर खर्च की जाने वाली अनुमानित धनराशि	
			परियोजना की लागत	भारत सरकार की सहायता
1	2	3	4	5
1.	अरूणाचल प्रदेश	1	328.00	262.40
2.	असम	5	1983.70	1586.95

1	2	3	4	5
3.	गुजरात	1	500.00	200.00
4.	मध्य प्रदेश	1	720.00	432.00
5.	ओडिशा	1	436.53	174.61
6.	पंजाब	1	482.21	193.00
7.	राजस्थान	2	1184.00	710.00
8.	त्रिपुरा	1	456.30	365.04
9.	तमिलनाडु	4	1172.00	703.20
10.	पश्चिम बंगाल	1	752.86	451.72

[अनुवाद]

रेल महाप्रबंधक सम्मेलन

1450. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारतीय रेलवे के महाप्रबंधकों का दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन के दौरान चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां, महाप्रबंधकों की दो दिनों की बैठक हाल ही में 11 और 12 जनवरी, 2012 को आयोजित की गई थी।

(ख) भारतीय रेलों पर संरक्षा, समय पालन, मालभाड़ा लदान, वित्तीय निष्पादन (आय और व्यय), गाडियों और स्टेशनों की सफाई, नई लाइनें/आमान परिवर्तन/दोहरीकरण/विद्युतीकरण, उत्पादन इकाइयों का कार्य निष्पादन आदि से संबंधित कार्यों को पूरा करने जैसे विभिन्न मुद्दों पर बैठक के दौरान चर्चा की गई थी।

भारतीय रेलवे के शीर्ष स्तर पर महाप्रबंधको की बैठक एक आवधिक कार्य निष्पादन की समीक्षा करने तंत्र है। इन बैठकों के दौरान लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई एक सतत् प्रक्रिया है जो संसाधनों की उपलब्धता, राज्य सरकार और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों की नीतियों, और प्रतिक्रियाओं, देश में सामान्य आर्थिक पर्यावरण आदि सहित बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत शुल्क की पूर्ण प्रतिपूर्ति

1451. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए लागू की जा रही 'मेघा-सह-साधन' छात्रवृत्ति के अंतर्गत पूरे शुल्क की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए लागू की जा रही छात्रवृत्ति योजना में भी ऐसा प्रावधान है;

(ग) यदि नहीं तो क्या पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर एवं 'मेघा-सह-साधन' छात्रवृत्ति के अंतर्गत शुल्क की पूर्ण प्रतिपूर्ति के प्रावधान को लागू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के अधीन व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए 70 संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है। इन संस्थान में प्रवेश-प्राप्त अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध पात्र छात्रों को पूरे पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। अन्य

संस्थानों में अध्ययन कर रहे छात्रों को रु. 20,000 वार्षिक पाठ्यक्रम शुल्क अथवा वास्तविक शुल्क, इसमें से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाती है।

(ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस-ओबीसी) योजना के अधीन अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क की प्रतिपूर्ति करने का प्रावधान है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पेयजल और स्वच्छता पर बल

1452. श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री गजानन घ. बाबर:
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के पुनर्मुखीकरण के संबंध में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे पेयजल, स्वच्छता आदि पर राज्यों की विशेष आवश्यकता पर ध्यान दिए जाने के माध्यम से अधिक ध्यान देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, हां। चालू वर्ष 2011-12 में ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के लिए उपलब्ध कराए गए 10,000 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान 14,000 करोड़ रुपए आबंटित करके भारत सरकार ने ग्रामीण जलापूर्ति तथा स्वच्छता को उच्च वरीयता प्रदान की है। मरुभूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा विशेष वर्ग वाले पहाड़ी राज्यों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में राज्यों की विशेष जरूरत का ध्यान, उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों के आबंटन में वेटेज देकर रखा जाता है।

[अनुवाद]

म.गां.रा. ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत वार्षिक लेखे

1453. श्री जगदम्बिका पाल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना (मनरेगा) में इस योजना से संबंधित प्रतिवेदनों और लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों को संसद के समक्ष रखे जाने का उपबंध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 'मनरेगा' योजना के वार्षिक लेखों को महानियंत्रक और लेखा-परीक्षक द्वारा नियमित रूप से परीक्षित कराके संसद के समक्ष रखा जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (घ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) के अंतर्गत निधियों का उपयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित पंचायतों या पंजीकृत सोसाइटियों द्वारा किया जाता है। ऐसी सोसाइटियों/लेखा तैयार करने वाले प्रतिष्ठानों के खातों को अंतिम रूप देने तथा इसे राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकारों की है। इस अधिनियम की धारा 11(1) (च) के अनुसार संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन की वार्षिक रिपोर्टें तैयार करना केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद का दायित्व है। मंत्रालय के विनियोजन खाते, जिसमें मंत्रालय की सभी योजनाओं के विस्तृत खातों शामिल किया जाता है, को वर्ष में एक बार संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे मनरेगा सहित सभी योजनाओं की वित्तीय लेखा परीक्षा करें।

भारतीय भेषजिक कंपनियों का अधिग्रहण

1454. शेख सैदुल हक:
श्री सुरेश अंगडी:
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भेषज क्षेत्र की भारतीय भेषजिक कंपनियों का बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अधिग्रहण किए जाने के संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से एक अध्ययन करने का अनुरोध किया है अथवा कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसका क्या परिणाम हुआ है;

(ग) क्या घरेलू क्षेत्र की सात औषध निर्माण कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अधिग्रहण का यथार्थ मूल्य प्रदान न करते हुए अधिग्रहीत कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या औषध-निर्माण क्षेत्र (ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट) में ऐसे अधिग्रहण से उत्पादन रोजगार-सृजन तथा अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में नए सिरे से क्षमता वृद्धि हुई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार की घरेलू बाजार पर उक्त अधिग्रहण के प्रतिकूल प्रभावों का आकलन करने की कोई योजना है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) औषध विभाग ने वाणिज्य विभाग से अनुरोध किया था कि वह स्वदेशी औषध उद्योगों के हाल ही में हुए अधिग्रहणों के मामले का समुचित मूल्यांकन करे ताकि हमारे सामान्य क्षेत्रीय हित की रक्षा करने के उद्देश्य से अपेक्षित नीतिगत परिवर्तन किए जा सकें।

(ख) वाणिज्य विभाग ने स्वदेशी औषध उद्योग के हाल ही में हुए अधिग्रहण का अध्ययन करने का कार्य मैसर्स अर्नेस्ट एंड यंग को सौंपा था। मैसर्स अर्नेस्ट एंड यंग ने वाणिज्य विभाग को अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। वाणिज्य विभाग ने यह सूचित किया है कि इस रिपोर्ट में औषध क्षेत्र में वर्तमान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति को जारी रखने की सिफारिश की गई है।

(ग) और (घ) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने यह सूचित किया है कि अप्रैल, 2004 से दिसम्बर, 2011 तक 141 भारतीय औषध विनिर्माण कंपनियां अधिगृहीत हुई है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) विभाग द्वारा इस प्रकार का अध्ययन किया जाएगा।

(छ) और (ज) संबंधित मुद्दों की अपेक्षाकृत व्यापक परिप्रेक्ष्य में जांच करने के उद्देश्य से योजना आयोग ने माननीय प्रधानमंत्री के अनुमोदन से योजना आयोग के सदस्य (उद्योग) श्री अरुण मेयरा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) गठित की ताकि सभी संगत पहलुओं पर विचार किया जा सके।

माननीय प्रधानमंत्री ने औषधीय तथा भेषजीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति पर चर्चा करने के लिए दिनांक 10-10-2011 को आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में श्री अरुण मेयरा, सदस्य (उद्योग), योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया गया और उसके बाद मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने यह निर्णय लिया कि जन स्वास्थ्य मामलों और स्वदेशी निर्माण क्षमताओं को मजबूत बनाने के बीच संतुलन कायम करते हुए औषध क्षेत्र में विलयन और अधिग्रहणों से संबंधित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के मुद्दे पर अपेक्षाकृत अधिक स्पष्टता चाहिए। बैठक में निम्नलिखित सुविचारित निर्णय लिए गए:-

(क) भारत औषध क्षेत्र में ग्रीनफील्ड निवेशों के लिए ऑटोमैटिक रूट के अधीन बिना किसी सीमा के (100%) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देना जारी रखेगा। इससे निर्माण सुविधाएं बढ़ेंगी, प्रौद्योगिकी प्राप्त होगी और विकास होगा;

(ख) औषध क्षेत्र में ब्राउन फील्ड निवेशों के मामले में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति 06 मास की अवधि के लिए एफआईबीपी अनुमोदित रूट के माध्यम से दी जाएगी। इस अवधि के दौरान विलयन और अधिग्रहणों पर कारगर निगरानी के लिए सीसीआई द्वारा आवश्यक समर्थकारी विनियम बनाए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि औषध क्षेत्र में जन स्वास्थ्य मामलों और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकृष्ट करने के बीच संतुलन बना रहे। इसके बाद देश के प्रतिस्पर्द्धा कानून के अनुसार सीसीआई द्वारा पूर्णत: आवश्यक निगरानी रखी जाएगी।

तत्पश्चात औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग ने मौजूदा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति में संशोधन करते हुए दिनांक 08-11-2011 का प्रेस नोट संख्या 3(2011 श्रृखंला) जारी किया जिसके द्वारा ऑटोमैटिक रुट के माध्यम से 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई। औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग द्वारा दिनांक 08-11-2011 को जारी प्रेस नोट संख्या 3(2011 श्रृंखला) के अनुसार:-

(i) भेषजीय क्षेत्र में ग्रीन फील्ड निवेशों के लिए ऑटोमैटिक रूट के अधीन 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को अनुमति दी जाती रहेगी।

(ii) भेषजीय क्षेत्र में ब्राउन फील्ड निवेश (अर्थात् मौजूदा कंपनियों में निवेश) के लिए सरकारी द्वारा अनुमोदित रूट के अधीन 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को अनुमति दी जाएगी।

उपर्युक्त प्रेस नोट के अनुसार इस की 06 महीने के बाद समीक्षा की जाएगी।

विवरण

अप्रैल, 2004 से दिसम्बर, 2011 तक
कंपनी-वार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी प्रवाह
क्षेत्र: औषधीय तथा भेषजीय
अधिग्रहण रूट

क्र.सं.	भारतीय कंपनी का नाम	देश	विदेशी सहयोगी का नाम	विनिर्माण की मद	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह की रकम	
					(करोड़ रु.)	(करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	होसपीरा हेल्थ केयर इंडिया प्रा. लि. (ओजेएएसपीएच)	बाहमास	होसपीरा बाहमास (आयरलैंड) कारपोरेशन	औषधीय विनिर्माता	0.00	0.00
2.	आरएफसीएल लि.	मॉरिशस	एवेटर परफॉर्मेस मेटीरियल्स मॉरिशस	औषधीय	0.97	0.22
3.	आरएफसीएल लि.	मॉरिशस	एवेटर परफॉर्मेस मेटीरियल्स मॉरिशस	औषधीय	1.97	0.44
4.	आरएफसीएल लि.	मॉरिशस	एवेटर परफॉर्मेस मेटीरियल्स मॉरिशस	औषधीय	3.94	0.89
5.	आरएफसीएल लि.	मॉरिशस	एवेटर परफॉर्मेस मेटीरियल्स मॉरिशस	औषधीय	5.91	1.33
6.	आरएफसीएल लि.	मॉरिशस	एवेटर परफॉर्मेस मेटीरियल्स मॉरिशस	औषधीय	9.85	2.21
7.	आरएफसीएल लि.	मॉरिशस	एवेटर परफॉर्मेस मेटीरियल्स मॉरिशस	औषधीय	171.45	38.64
8.	आर्क फार्मालेब्स लि. (आर्क कॉमर्ज लि.)	चैक गणराज्य	थॉमस एजावेदो	औषधीय विनिर्माण	0.50	0.11
9.	यूनीसिटी हेल्थ प्रा. लि.	थाइलैंड	यूनीसिटी मार्किटिंग थाइलैंड कं. लि.	औषधीय उत्पादों का विनिर्माण	0.00	0.00
10.	यूनीसिटी हेल्थ प्रा. लि.	सिंगापुर	यूनीसिटी सिंगापुर पीटीई लि.	औषधीय उत्पादों का विनिर्माण	0.01	0.00
11.	न्यू केमी केमिकल	जापान	सुमितोमो केमिकल कं. लि.	कीटनाशक आदि	37.50	7.87
12.	इलोवा बायोटेक प्रा. लि.	मॉरिशस	वैंचर लाइफ ट्रस्ट III एलएलसी	औषध खोज	11.93	2.27

1	2	3	4	5	6	7
13.	रैनबेक्सी लेबोरिटीज लि.	जापान	डाइची सांक्यो कं. लि.	औषधीय विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक द्रव्यों का निर्माण	6,818.66	1,401.42
14.	रैनबेक्सी लेबोरिटीज लि.	जापान	डाइची सांक्यो कं. लि.	औषधीय विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक द्रव्यों का निर्माण	6.037.01	1,240.77
15.	रैनबेक्सी लेबोरिटीज लि.	जापान	डाइची सांक्यो कं. लि.	औषधीय विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक द्रव्यों का निर्माण	3,409.22	700.69
16.	रैनबेक्सी लेबोरिटीज लि.	जापान	डाइची सांक्यो कं. लि.	औषधीय विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक द्रव्यों का निर्माण	3,359.14	722.28
17.	इंडस बायोटेक प्रा. लि.	सिंगापुर	सदीस राघवन	चिकित्सीय औषधियों का विनिर्माण	0.25	0.06
18.	इवोलवा बायोटेक प्रा. लि.	स्विटजरलैंड	इवोलवा एसए	मोलेक्यूलस, सेवाओं और प्रोपराइट्री ड्रग्स केंडिडेट्स के लिए औषध खोज मंच	1.86	0.37
19.	कैमफील्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	जापान	असाही केसी केमिकल्स कॉरपोरेशन	माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलूलोस का विनिर्माण	7.15	1.36
20.	इलोवा बायोटेक प्रा. लि.	स्विटजरलैंड	इवोलवा एसए	स्मॉल मोलेक्यूलस, सेवाओं और प्रोपराइट्री ड्रग्स केंडिडेट्स के लिए खोज मंच	0.92	0.18

1	2	3	4	5	6	7
21.	केरी इनग्रीडिएंट्स इंडिया प्रा. लि.	नीदरलैंड्स	केरी ग्रुप बी वी	औषधियों और खाद्यों का विनिर्माण विपणन, वितरण, क्रय विक्रय, आयात, निर्यात	0.01	0.00
22.	फर्मेटा बायोटेक लि.	मॉरिशस	इवोलवेंस इंडिया लाइफ साइंसिस फंड एलएलसी	बल्क औषधियों और इजाइमों का निर्माण	20.00	4.20
23.	इंटास फार्मास्युटिकल्स लि.	मॉरिशस	मॉजार्ट लि.	औषधि उत्पादों का विनिर्माण	53.00	11.13
24.	केप्सूजल हेल्थ केयर लि.	बेल्जियम	केप्सूजल बेल्जियम	एम्टी हॉल्ड जिलाटिन कैप्सूलों का विनिर्माण	262.06	55.02
25.	केडीमैक्स (इंडिया) फार्मा प्रा. लि.	वर्जिन आइलैंड्स (अमरीका)	कप्लेट लि.	औषधियों का विनिर्माण	1.25	0.25
26.	केप्सूजल हेल्थ केयर लि.	बेल्जियम	केप्सूजल बेल्जियम बीवीबीए	एम्टी हार्ड जिलाटिन कैप्सूलों का विनिर्माण	7.29	1.53
27.	होसपीरा हेल्थ केयर इंडिया प्रा. लि. (ओजेएएसपीएच)	सिंगापुर	होसपीरा इंडिया प्रा. लि.	औषधियों का विनिर्माण	0.01	0.00
28.	आरएफसीएल लि.	मॉरिशस	एवेंटर परफॉर्मेस मेटीरियल्स मॉरिशस	औषधीय	11.82	2.66
29.	आरएफसीएल लि.	मॉरिशस	एवेंटर परफॉर्मेस मेटीरियल्स मॉरिशस	औषधीय	3.94	0.89
30.	आरएफसीएल लि.	केमेन आईलैंड	एवेंटर परफॉर्मेस मेटीरियल्स केमेन लि.	औषधीय	0.00	0.00
31.	होसपीरा हेल्थ केयर इंडिया प्रा. लि. (ओजेएएसपीएच)	सिंगापुर	होसपीरा इंडिया प्रा. लि.	औषधियों का विनिर्माण	0.00	0.00
32.	आरएफसीएल लि.	मलेशिया	एवेंटर परफॉर्मेस मेटीरियल्स एसडीएनबीएचडी	औषधीय	0.00	0.00
33.	जेलिया फार्मास्युटिकल्स प्रा. लि.	डेनमार्क	जेलिया फार्मास्युटिकल्स एपीएस	औषधीयों का मूल्यांकन गुणवत्ता	0.01	0.00

1	2	3	4	5	6	7
34.	आरएफसीएल लिमिटेड	निदरलैंड	एवान्टर परफार्मेंस मेटिरियल होल्डिंग	औषधीय	0.00	0.00
35.	आरएफसीएल लिमिटेड	लक्जमबर्ग	एवान्टर परफार्मेंस मेटिरियल होल्डिंग	औषधीय	0.00	0.00
36.	आरएफसीएल लिमिटेड	मॉरिशस	एवान्टर परफार्मेंस मेटिरियल होल्डिंग	औषधीय	0.00	0.00
37.	आरएफसीएल लिमिटेड	निदरलैंड	एवान्टर परफार्मेंस मेटिरियल होल्डिंग	औषधीय	0.00	0.00
38.	जेनोटेक लेबरोटरिस लिमिटेड	जापान	डाइची सांकको कार्पोरेशन लिमिटेड	औषधीय	78.24	17.24
39.	फरमेंटा बॉयोटेक लिमिटेड	मॉरिशस	इवोलवेंस इंडिया लाइफ साइंसेफंड एलएलसी	बल्क औषधियों का विनिर्माण	19.92	4.38
40.	आर्क फार्मालेब लिमिटेड	मॉरिशस	गियोफ	बल्क औषधियों का विनिर्माण	5.00	1.09
41.	सीजे हराल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड	यू.के.	अशोक नरसिम्हा	बल्क औषधियों का विनिर्माण	0.01	0.00
42.	इकोलूशन कॉर्बन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	हॉगकॉग	इकोलूशन न्यू एनर्जी इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	सीडीएम एडवाइजरी एंड सीईआर/वीईआर ट्रैडिंग आदि	0.00	0.00
43.	आर्क फार्मा लेब्ज लिमिटेड	कनाडा	जेास पी एजाविडो	बल्क औषधियों का विनिर्माण	0.25	0.05
44.	आर्क फार्मालेब	सिंगापुर	चंदरो	बल्क औषधियों का विनिर्माण	0.50	0.11
45.	मोदी ओमेगा फार्मा (आई) प्रा. लिमिटेड	नींदरलैंड	ओमेगा फार्मा होल्डिंग (नीदरलैंड) बी बी	बल्क औषधियों और दवाओं का विनिर्माण	1.58	0.34
46.	थीमिस मेडिकेयर लिमिटेड	हंगरी	जीडिओन रिचर इनवेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड	बल्क औषधियों का विनिर्माण	4.07	0.92
47.	सीडीई मैक्स (इंडिया) फार्मा लिमिटेड	वरजिन आइलैंड (यूएस)	कोपलेट लिमिटेड	बल्क औषधियों का विनिर्माण	1.31	0.30
48.	सोल्वे फार्मा इंडिया लिमिटेड	यू.के	एबोट कैपिटल इंडिया लिमिटेड	औषधियीय क्षेत्र में डील	308.51	65.87

1	2	3	4	5	6	7
49.	एनवी इनटल प्राइवेट	यू.एस.ए.	हयूमन बॉयोसाइंस आईएनसी	औषधियों, दवाएं और तत्संबंधी कार्यकलाप	0.03	0.01
50.	बायर फार्मास्युटिकल प्राइवेट लि.	देश का ब्यौरा प्रतीक्षित	नायर (साउथ ईस्ट एशिया) पीटीई लि.	औषधियों का विनिर्माण	18.27	3.94
51.	हॉव पर एल्डर (इंडिया) लि.	सिंगापुर	हॉवपर हेल्थकेयर लि.	मैन्यूफैक्चर एंड डील इन ऑल काइंड्स आफ क्वासी ड्रग्स मेडिकल डिवाइसिस, हैल्थ फूड	1.46	0.30
52.	एससीएस फार्मा रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रा. लि.	देश का ब्यौरा प्रतीक्षित	एमएसडी लेबरोटटिंस एलएलसी	टीकों का अनुसंधान एवं विकास और इससे संबंधित	0.01	0.00
53.	बॉयो फार्मा प्रा. लि.	देश का ब्यौरा प्रतीक्षित	नोंग इनवेस्टमेंट लि.	मानव इन्सूलिन स्तर के उत्पादानों का विनिर्माण	0.34	0.07
54.	साप्ट एंड कार्पोरेशन (बॉम्बे) प्रा. लि.	मॉरिशस	एरिनस्काई ग्लोबल लि.	औषध तथा स्वास्थ्य उत्पादा का विनिर्माण	0.07	0.01
55.	आर्क फार्मा लेब्ज लिमिटेड	यू.के	मनजीत सिंह बाशी	औषधियों का विनिर्माण	0.25	0.05
56.	मेडिकामेंन बॉयोटेक लि.	डेनमार्क	फार्माडानिका एएस	औषधियों फारमूलेशन की बिक्री और विनिर्माण	1.17	0.24
57.	रामकी इनविरो इंजीनियर लि.	मॉरिशस	तारा इंडिया होल्डिंग पीटीई लि.	वाटर ट्रटमेंट	5.20	1.08
58.	मेटरिक्स लेबोरेट्रीस लि.	देश का ब्यौरा प्रतीक्षित	एमपी लेबोरेट्रीस मॉरिशस लि.	औषधीय विनिर्माण	37.72	7.78
59.	शांता बॉयोटेक्नीक	फ्रांस	सानोफी पासटीयोर मेरियोक्स	टीकों का विनिर्माण	0.23	0.05
60.	शांता बॉयोटेक्नीक	फ्रांस	सानोफी पासटीयोर मेरियोक्स	टीकों का विनिर्माण	86.64	18.54
61.	रिसर्च स्पोर्ट इंटरनेशनल	जर्मनी	इवोटेक एजी	औषधीय खोज एवं विकास सेवाएं	11.17	2.40
62.	शांता बॉयोटेक्नीक लि.	फ्रांस	शानोर्फ पासटीयोर मेटियोक्स	टीकों का विनिर्माण	0.12	0.03
63.	मेटरिक्स लेबोरेट्रीस लि.	मॉरिशस	एमपी लेबोरेट्रीस (मॉरिशस) लि.	सक्रिय औषधीय अवयवों के विनिर्माता	162.00	34.79

1	2	3	4	5	6	7
64.	भारत सिरम एंड वैक्सीन लि.	मौरिशस	काडियोस एशिया मारिशस लि.	औषधियों उत्पादों का विनिर्माण	5.00	1.09
65.	सोहम इंडिया प्रा. लि.	देश का ब्यौरा प्रतीक्षित	स्वाती शाह	औषधियों उत्पादों का विनिर्माण	0.01	0.00
66.	शांता बायोटेक्नीक लि.	फ्रांस	शनोफी पास्टीयोर	टीकों का विनिर्माण	0.35	0.08
67.	गेट्स फार्मा प्रा. लि.	देश का ब्यौरा प्रतीक्षित	गेटज फार्मा आइएनटीएलएफजेड-एलएलसी	औषध	2.24	0.49
68.	सुर्टुस (आई) पी. लि.	मॉरिशस	इवोल्वेंस (आई) लाइफ साइंस फंड एलएलसी	औषधिय दवाओं का विनिर्माण	3.00	0.66
69.	आरगानोन इंडिया लि.	नीदरलैण्ड	आरगानोन पार्टीसिपेशन बीवी	ह्यूमन औषधीय उत्पादों का विनिर्माण और विपणन	0.18	0.04
70.	ग्रांडिक्स फार्मास्यूटिकल्स लि.	देश का ब्यौरा प्रतीक्षित	स्ट्राइडस आर कोलेब लि.	दवाएं	26.75	6.55
71.	एक्सिटां फार्मा एससीआईपी	देश का ब्यौरा प्रतीक्षित	एक्सयिका होल्डिंग एलएलसी	औषधियां	0.02	0.01
72.	भारत आइएमएन	देश का ब्यौरा प्रतीक्षित	नंदिता एम मेहता	औषधियां	0.41	0.10
73.	टोरेंट फार्मास्युटिकल्स लि.	मॉरिशस	जीपीसी मॉरिशस II एलएलसी	औषधियों का विनिर्माण तथा विपणन	21.07	5.35
74.	भारत इम्यूनोलोजिकल्स एंड बॉयोजिकल्स	देश का ब्यौरा प्रतीक्षित	नंदिता मेहता	औषधियां	0.21	0.05
75.	डानमेड फार्मास्युटिकल्स (पी) लि.	साइप्रस	ड्रगोन फल्ईस पावन ट्रेडिंग लि.	औषधीय मदों का विनिर्माण	0.57	0.13
76.	डानमेड फार्मास्युटिकल्स (पी) लि.	साइप्रस	ड्रगोन फल्ईस पावन ट्रेडिंग लि.	औषधीय मदों का विनिर्माण	2.28	0.53
77.	डानमेड फार्मास्युटिकल्स (पी) लि.	साइप्रस	ड्रगोन फल्ईस पावन ट्रेडिंग लि.	औषधीय मदों का विनिर्माण	0.57	0.13
78.	स्टाइस आरकोलेब लि.	देश का ब्यौरा प्रतीक्षित	ग्रांडिक्स फार्मास्युटिकल्स लि.	एंटीबायोटिक्स दवाएं	27.02	6.31
79.	साई एडवान्टीम फार्मा लि.	मॉरिशस	सिक्वोआ केपिटल इंडिया इंनवेस्टमेंट III	औषध संविदाएं	0.50	0.12

1	2	3	4	5	6	7
80.	निओ इकोसिस्टम एंड सॉफ्टवेयर प्रा. लि.	रूस	एंड्रे पिगालेव	जल शोधन	0.00	0.00
81.	निओ इकोसिस्टम एंड सॉफ्टवेयर प्रा. लि.	रूस	अनिल कुमार	जल शोधन प्रणाली	0.00	0.00
82.	निओ इकोसिस्टम एंड सॉफ्टवेयर प्रा. लि.	रूस	डिमिट्रियाकोटेनकोव	जल शोधन प्रणाली	0.00	0.00
83.	निओ इकोसिस्टम एंड सॉफ्टवेयर प्रा. लि.	रूस	शरगे कार्मेनस्कि	जल शोधन	0.00	0.00
84.	रिक्केट पिरामल प्रा. लि.	देश का ब्यौरा प्रतीक्षित	चंद्र मोहन सेठी	औषध	0.00	0.00
85.	परलिकन फार्मा प्रा. लि.	देश का ब्यौरा प्रतीक्षित	डा. रेड्डी लेबारेट्रीस लि.	औषध	0.00	0.00
86.	ग्लोबल फार्माटेक पी. लि.	देश का ब्यौरा प्रतीक्षित	टी. थोमस	ओपी औषधीय उत्पादों का विनिर्माण	4.95	1.17
87.	एसडीडी ग्लोबल	यूएसए	स्मिथ डोरमन एंड डेहन	ओपी औषधीय उत्पादों का विनिर्माण	0.00	0.00
88.	इंटरमेड लेब्स प्रा. लि.	ब्रिटिश आइलेस	कोपलेट लि.	ओपी औषधीय उत्पादों का विनिर्माण	2.44	0.61
89.	पारस फार्मास्युटिकल्स	मॉरिशस	औरियस साउथ एशिया फंड एलएलसी	प्रसाधन उत्पादों एंव औषधियों का विपणन/विनिर्माण	22.35	5.67
90.	पारस फार्मास्युटिकल्स	मॉरिशस	एक्टीस कनजियोमर इंडिया लि.	प्रसाधन उत्पादों एंव औषधियों का विपणन/विनिर्माण	27.00	6.85
91.	वाइबरेंट हेल्थकेयर प्रा. लि.	स्विटजरलैंड	डा. हाइन्ज हामेरु	स्वास्थ्य परिचर्या	0.01	0.00
92.	ग्राकियोर फार्मास्युटिकल्स	देश का ब्यौरा प्रतीक्षित	मेडिकामेंटस एक्सपोर्टस	दवाओं का विनिर्माण	0.21	0.05
93.	सिलिको प्रोटिन लि.	मलेशिया	गनानासिकरन रविन्द्रन कांडिया	बॉओटेक उत्पाद	0.61	0.13
94.	मार्कसांस फार्मा लि.	मॉरिशस	एचएसबीसी ग्लोबल इनवेस्टमेंट फंड (मॉरिशस) लि.	औषध/ड्रग्स	21.85	4.78

1	2	3	4	5	6	7
95.	इनफर इंडिया लि. सॉफ्टवेयर प्रा. लि.	नीदरलैंड	ओरगानोन पारटिसिपेशन बी.पी.	औषधीय उत्पादनों का विपणन/विनिर्माण	1.69	0.39
96.	अलटाना इंडिया लि.	जर्मनी	-	औषधियां	0.01	0.00
97.	प्रिससाइनाटिस इंडिया प्रा. लि.	यूएसए	-	औषध की खोज, जीव विज्ञान में अनुसंधान एंव विकास	2.28	0.50
98.	बॉयोकोन इंडिया लि.	यूएसए	-	बॉयो-औषधियां	0.01	0.00
99.	आइवाक्स इंडिया प्रा. लि.	नीदरलैंड	आइवेक्स आईएनटीएनबीवी	औषधियों का अनुसंधान एवं विकास	0.00	0.00
100.	ग्रांडडिक्स फामास्युटिकल्स लि.	वरजिन आइलैंड (यूएस)	जेरोक्स लि.	औषधों का विपणन एवं विनिर्माण	3.00	0.66
101.	विरबक एनिमल हेल्थ इंडिया प्रा. लि.	फ्रांस	विरबक	आहार-विज्ञान और पशु स्वास्थ्य एवं पशुओं की दवाओं से संबंधित सभी प्रकार का कार्य	0.01	0.00
102.	अलचिमास आईसीएमएसएम प्रा. लि.	यूके	जेनफार प्रो इंवेस्टमेंट (जी.वी) लि.	घरेलू एवं विदेशी बाजार से बल्क ड्रग्स एवं इनटिरिम	0.76	0.17
103.	इथीफार्मा एलएलप लि.	मॉरिशस	इथीफार्मा एशिया कारपोरेशन लि.	मेडीसिनल फार म्युलेशंस का विनिर्माण	26.68	6.13
104.	ग्राकियोर फार्मास्युटिकल्स लि.	बेल्जियम	इएक्स फार एसए 2 मेडिकामेन टी एक्सपोर्ट	औषधीय फार्मूलेशनों का विनिर्माण एवं निर्यात	0.39	0.08
105.	मेटरिक्स लेबरोटरिस लि.	मॉरिशस	इंडिया न्यब्रिज इंवेस्टमेंट लि.	सक्रिय औषधीय अवयवों और इसके इंटरमिडिया	105.00	22.83
106.	इयूरोमेड इंटरनेशनल प्रा. लि.	देश का ब्यौरा प्रतीक्षित	फार्माकेयर एफ जेयई	फार्मा उत्पादों का व्यापार करना	0.01	0.00
107.	श्रेया बॉयोटेक प्रा. लि.	सिंगापुर	साइजेन लि. एन	बॉयोटेक्नोलोजी	0.00	0.00
108.	पारस फार्मास्युटिकल्स लि.	मॉरिशस	सिकियूवा केपिटल आईएनडी ग्रोथ आईएनवीएचओएल मोरिशस	प्रसाधन उत्पादों और औषधियों का विपणन	4.50	1.14

1	2	3	4	5	6	7
109.	टोरेंट फार्मास्युटिकल्स	मॉरिशस	जीपीसी मोरिशस	औषधियों का विपणन और विनिर्माण	48.44	12.26
110.	ग्लोबल फार्माटेक प्रा. लि.	यूके	1. आशा रावत 2. गौतम रावत	स्टेराइल लिक्विड	0.05	0.01
111.	रिजेनटेक बॉयो फार्मा प्रा. लि.	न्यूजीलैंड	अशोक बाशीन	बॉयोटेक्नोलाजी	0.01	0.00
112.	एवेनटीस फार्मा	देश का ब्यौरा प्रतीक्षित	सिनोफी एवेनटीस	औषधियों का विपणन और विनिर्माण	0.39	0.09
113.	स्टरलिंग सिनरजी एसवाईए प्रा. लि.	यूके	मायोजेनिक बॉयोटेक लि.	क्लीनिकल ट्राइल्स	0.01	0.00
114.	डीएसएम न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स (आई) प्रा. लि.	नीदरलैंड	रोची विटामिंस बी.वी	औषधीय उत्पादनों का वितरण	0.00	0.00
115.	आरकिट केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.	देश का ब्यौरा प्रतीक्षित	हर्पलाइन लि.	फार्मा	19.41	4.76
116.	ग्राकियोर फार्मास्युटिकल्स लि.	फ्रांस	एक्सपर एसए (36000 शेयर)	औषधीय फाममुलेशनों का निर्यात एवं विनिर्माण	0.39	0.08
117.	मेटरिक्स लेबरोटिरिस लि.	मॉरिशस	इंडिया न्यू ब्रिज इनवेंसमेंट लि.	औषधियां तथा भेषज	436.44	94.88
118.	ओरगेनोन (आई) लि.	नीदरलैंड	ओरगेनोन माटरीसिपेशन बी.वी.	हयूमन औषधीय उत्पादों का विपणन एवं विनिर्माण	0.17	0.04
119.	इनटस फार्मास्युटिकल्स लि.	मोरिशस	मोजारट लि.	औषधीय उत्पादों का विपणन/वितरण/ विनिर्माण	52.99	11.94
120.	पारस फार्मास्युटिकल्स	मॉरिशस	एक्टीस कंज्यूमर इंडिया लि.	प्रसाधन उत्पादों और औषधियों का विपणन	170.13	37.42
121.	कोनकोर्ड बॉयोटेक लि.	कनाडा	ओनटारियों आईएनसी	औषधि	0.76	0.16
122.	मल्लाडी ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स	मॉरिशस	एलओएफ मोरिशस एलएलसी	औषधों की बिक्री/विनिर्माण	15.00	3.42

1	2	3	4	5	6	7
123.	वास्कुलर कोन्सेप्ट प्रा. लि.	ब्रिटिश आइलेस	वास्कुलर कोन्सेप्ट होल्डिंग लि.	औषधियां	0.47	0.11
124.	हेक्जल फार्मा प्रा. लि.	जर्मनी	सेलूटस फार्मा जीएमबीएच	औषध और भेषज	0.01	0.00
125.	शेपाटोडेट हेल्थ केयर इंडिया लि.	देश का ब्यौरा प्रतीक्षित	स्पेसलिटिस शेपटोडेंट एसए	स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी उपचार	1.00	0.23
126.	सोलवे फार्मा इंडिया लि.	नीदरलैंड	सोलवे फार्मास्युटिकल्स बी.वी.	जैव-विज्ञान	5.39	1.20
127.	बॉयोजेनेक्स लाइफ साइंस प्रा. लि.	यूएसए	बॉयोजेनेक्स आईएनसी	जैव-विज्ञान	0.00	0.00
128.	कोडिक्स लेबरोटरिस इंडिया प्रा. लि.	मॉरिशस	कोडेक्स लेबरोरिस मॉरिशस प्रा. लि.	औषधों और भेषज	0.01	0.00
129.	ज्योति लेबरोटरिस लि.	मॉरिशस	साउथ एशिया रिजनल	औषधीय उत्पादों का विनिर्माण	25.22	6.25
130.	मल्लाड़ी ड्रग्स एंड फार्मा लि.	मॉरिशस	डायनामिक इंडिया फंड	एफीडरिन और अन्य औषधों की बिक्री	5.52	1.29
131.	आर्क फार्मा लेब लि.	मॉरिशस	डायनामिक इंडिया फंड	सक्रिय औषध अवयव	3.71	0.87
132.	इनालटेक फार्मा प्रा. लि.	हांगकांग	आईएंडसी (हांगकांग) लि.	औषधों	0.02	0.00
133.	इनालटेक फार्मा प्रा. लि.	सउदी अरब	साइटेक लि.	सक्रिय औषध अवयवों का विनिर्माण	1.12	0.23
134.	शांता बॉयोटेकनीक लि.	फ्रांस	सानोफी पास्टीयर एमइआर	टीकों का विनिर्माण	152.96	34.37
135.	शांता बॉयोटेकनीक लि.	देश का ब्यौरा प्रतीक्षित	शान एच	दवाओं का विनिर्माण	46.34	9.95
136.	पाथिआन फार्मास्युटिकल्स इंडिया प्रा. लि.	साइप्रस	पाथियोन होडिंग साइप्रस लि.	औषधीय उत्पादनों के लिए विनिर्माण की सेवाएं प्रदान करना	0.01	0.00
137.	बॉयोमेब फार्मास्युटिकल्स (आई) प्रा. लि.	सिंगापुर	दिनेश जैन (फस्ट होल्डर)	जैव औषधि उत्पादों की बिक्री एंड विनिर्माण	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
138.	जुबिलियन्ट बॉयोसेस लि.	सिंगापुर	जुबिलियन्ट बॉयोसेस (सिंगापुर) लि.	औषध खोज सेवाएं	6.63	1.36
139.	जुबिलियन्ट केमस्टसिस लि.	सिंगापुर	जुबिलियंट ड्रग्स डेवलपमेंट प्रा. लि.	मेडिकल केमेस्ट्री सर्विस	1.04	0.21
140.	सिंधु फार्मास्युटिकल्स प्रा. लि.	देश का ब्यौरा प्रतीक्षित	इंडस फार्मास्युटिकल्स आइएनसी	औषधों एवं दवाओं का विनिर्माण	0.01	0.00
141.	बॉयोमेब फार्मास्युटिकल्स (आई) प्रा. लि.	सिंगापुर	बॉयोमेब फार्मास्युटिकल्स (सिंगापुर) पीटीईएल	जैव औषधियों के उत्पदों की बिक्री तथा विनिर्माण	0.01	0.00
कुल योग					22,469.30	4,650.32

[हिन्दी]

विधवा/वृद्धजन/निःशक्तजन के लिए पेंशन योजना

1455. श्रीमती सुमित्रा महाजनः
डॉ. राजन सुशान्तः
डॉ. संजय जायसवालः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विधवा-पेंशन और वृद्धजन-पेंशन के नियमों में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार वृद्धजन, निःशक्तजन और विधवाओं को ग्रेच्युटी-पेंशन देने के सिलसिले में कतिपय शर्तों को हटाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विधवाओं/वृद्धजन/निःशक्तजन को उपलब्ध कराई जाने वाली पेंशन-राशि को बढ़ाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) वर्तमान में, विधवा पेंशन तथा वृद्धवस्था पेंशन नियमों में संशोधन का कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

(ग) और (घ) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) 60 वर्ष तथा अधिक आयु के व्यक्तियों और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) 40-59 वर्ष के आयु वर्ग के विधवाओं के लिए है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) 18-59 वर्ष के आयु वर्ग के गंभीर या बहुअपंगता वाले व्यक्तियों के लिए है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार, ये सभी तीनों पेंशन योजनाएं गरीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवारों के व्यक्तियों के लिए लागू हैं। उपर्युक्त पात्रता मानदंड के अलावा, केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए और कोई शर्तें नहीं हैं।

(ङ) और (च) माननीय वित्त मंत्री ने अपने वर्ष 2012-13 के बजट भाषण में घोषणा की थी कि 'बीपीएल लाभार्थियों के लिए वर्तमान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति मासिक पेंशन राशि को 200/- से बढ़ाकर 300/- रु. किया जा रहा है।'

अल्पसंख्यक विकास हेतु प्रस्ताव

1456. श्री सज्जन वर्माः क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सहित राज्य सरकारों से अल्पसंख्यक-विकास के संबंध में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) इन पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इनमें से कितने प्रस्तव लंबित हैं सरकार द्वारा इन्हें कब तक निपटाने जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) पिछले तीन वर्षो तथा वर्तमान वर्ष के दौरान अल्पसंख्यकों के विकास के लिए मध्य प्रदेश राज्य सहित सरकारों से मंत्रालय को प्राप्त प्रस्तावों की संख्या इस प्रकार है:

(1) **मैट्रिक-पूर्व एवं मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत** पिछले तीन वर्षो के दौरान 302 प्रस्ताव प्राप्त हुए। वर्तमान वर्ष के दौरान दोनों योजनाओं के तहत 102 प्रस्ताव प्राप्त हुए।

(2) **मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के तहत** पिछले तीन वर्षो के दौरान राज्यों/संघ राज्यों से 103233 छात्रों को छात्रवृत्तियां संवितरित करने के लिए रु.270.99 करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए। वर्तमान वर्ष के दौरान दिनांक 29.02.2012 तक राज्यों/संघ राज्यों से 41621 छात्रों को छात्रवृत्तियां संवितरित करने के लिए रु. 113.20 करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए।

(3) **बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत** मध्य प्रदेश विभिन्न राज्यों से प्राप्त एवं अनुमोदित प्रस्तावों के राज्य-वार ब्यौरे विवरण-I में हैं।

(4) **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की योजनाओं के तहत** राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होते हैं। एनएमडीएफसी द्वारा अपनी योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से किया जाता है। एनएमडीएफसी की ऋण नीति के अनुसार राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को एनुअल एक्शन प्लान के रूप में प्रस्ताव प्रत्येक वित्त वर्ष की शुरूआत में प्रस्तुत करने होते हैं। एनएमडीएफसी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को वार्षिक धनराशि आवंटन का निर्धारण करती है तथा लेटर ऑफ इंटेंट जारी करती है। इसके अतिरिक्त, एनएमडीएफसी द्वारा अपनी एससीए को लाभार्थियों द्वारा प्रस्तुत रु. 1.0 लाख की लागत वाले यूनिटों से संबंधित प्रस्तावों/परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति स्वीकृति प्रदानकर्ता प्राधिकारी को प्रदान की है। इससे अधिक के लिए एनएमडीएफसी द्वारा केस-दर-केस आधार पर एक बारगी स्वीकृति मॉडल योजनाओं के लिए प्रदान की जाती है, जो संबद्ध राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा लाभार्थियों को स्वीकृत किया जा सकता है।

(5) **राज्य वक्फ बोडों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना** वर्ष 2009-10 में शुरू हुई थी। इसके तहत मंत्रालय को उनके प्रस्ताव प्राप्त हुए थे तथा प्रदेश राज्य सहित सरकारों को धनराशि अवमुक्त की गयी थी। पिछले दो वर्षो तथा वर्तमान वर्ष के ब्यौरे विवरण-II में हैं।

(6) **निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के तहत** राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होते हैं, अपितु संस्थानों से प्राप्त होते हैं। तथापि, राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिस पर विचार किया गया और धनराशि अवमुक्त की गयी।

(ख) ऊपर उल्लिखित योजनाओं के तहत प्राप्त प्रस्ताओं को प्रक्रिया में लिया गया तथा मध्य प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मैट्रिकोत्तर, मेरट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना और राज्य वक्फ बोर्डो के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार धनराशि अवमुक्त की गयी।

(ग)

(1) मंत्रालय में छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत कोई प्रस्ताव निस्तारण हेतु लंबित नहीं है।

(2) एमएसडीपी के तहत उत्तराखंड, अरूणाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार और सिक्किम से फरवरी से फरवरी-मार्च, 2012 में प्राप्त प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है, इन प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान किया जाना राज्य सरकारों से वित्त वर्ष 2011-12 में स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर निर्भर है।

(3) एससीए से कोई भी प्रस्ताव एनएमडीएफसी के पास लंबित नहीं है।

विवरण I

विभिन्न राज्यों से प्राप्त एवं अनुमोदित प्रस्ताव

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2008-09 में प्राप्त/स्वीकृत एमएसडीपी परियोजनाएं (कोष्ठक में यूनिटों की संख्या का उल्लेख है)
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश	इंदिरा आवास योजना (56807), स्वास्थ्य (180), आंगनवाड़ी केन्द्र (4910), पेय जल आपूर्ति (2346), स्कूल भवन (7), आईटीआई (3), सोक पिट रिचार्ज (50), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (48)
2.	पश्चिम बंगाल	आंगनवड़ी केन्द्र (1716), स्वास्थ्य सुविधा (178), इंदिरा आवास योजना (4130), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (80), एसएसके (40)
3.	हरियाणा	अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (63), आंगनवाड़ी केन्द्र (71), इंदिरा आवास योजना (1000), मेवात मोडल स्कूल का सुदृढ़ीकरण (6), जन स्वास्थ्य केन्द्र (5), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (1)
4.	असम	इंदिरा आवास योजना (19857), पेय जल आपूर्ति (3732), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (732)
5.	मणिपुर	इंदिरा आवास योजना (5940), स्कूल भवन (231), प्रसूति गृह (152), पेय जल आपूर्ति एवं रिंग वेल (522), छात्रावास (1), वाटर टैंक (15)
6.	बिहार	अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (134), स्कूल भवन (11), आंगनवाड़ी केन्द्र (3074), एपीएचसी (13), एपीएचसी का सुदृढ़ीकरण (6)
7.	मेघालय	इंदिरा आवास योजना (500), हैंड पम्प (998), कुओं की खुदाई (303), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (25), कम्प्यूटर कक्ष (25)
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	आंगनवाड़ी केन्द्र (35)
9.	झारखंड	इंदिरा आवास योजना (7574), पीएचसी (94), आंगनवाड़ी केन्द्र (555)
10.	ओडिशा	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
11.	केरल	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
12.	कर्नाटक	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
13.	महाराष्ट्र	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
14.	मिजोरम	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
15.	जम्मू और कश्मीर	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
16.	उत्तराखंड	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
17.	मध्य प्रदेश	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए

1	2	3
18.	दिल्ली	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
19	सिक्किम	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
20.	अरुणाचल प्रदेश	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2009-10 में प्राप्त/स्वीकृत एमएसडीपी परियोजनाएं (कोष्ठक में यूनिटों की संख्या का उल्लेख है)
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश	इंदिरा आवास योजना (21000), स्वास्थ्य (705), आंगनवाड़ी केन्द्र (3219), पेय जल आपूर्ति (6642), स्कूल भवन (4), आईटीआई (2), अतिरिक्त कक्षा कक्ष (419), स्कूल में शौचालय (78)
2.	पश्चिम बंगाल	इंदिरा आवास योजना (12646), स्वास्थ्य सुविधा (581), आंगनवाड़ी केन्द्र (4642), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (3842), पेय जल आपूर्ति (3546), छात्रावास (3), सौर लालटेन (5000), स्कूल (39)
3.	हरियाणा	स्कूल भवन (1)
4.	असम	सैर लालटेन (9905), प्रयोगशाला (40), स्कूल (142), आंगनवाड़ी केन्द्र (1305), इंदिरा आवास योजना (45453), स्वास्थ्य सुविधा (79), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (249)
5.	मणिपुर	पेय जल आपूर्ति (392), स्कूल भवन (138), पेय जल आपूर्ति के लिए जीएफपीडब्ल्यूएस को लगाना (41), आंगनवाड़ी केन्द्र (75), आईटीआई (1), आईडब्ल्यूडीपी (6000 हे.)
6.	बिहार	एपीएचसी, एचएससी (122), एपीएचसी का सुदृढ़ीकरण (4), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (203), छात्रावास (5), प्रयोगशाला कक्ष (51), शौचालय एवं जल आपूर्ति (324), सरकार द्वारा शामिल मदरसा (49), इंदिरा आवास योजना (5000), हैंड पम्प (150), सौर प्रकाश (385), इनसिनरेटर युक्त लघु कक्ष (37), प्रयोगशाला उपकरण (14)
7.	मेघालय	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
9.	झारखंड	इंदिरा आवास योजना (1641), आंगनवाड़ी केन्द्र (650), सौर प्रकाश लाइट (1124), अतिरिक्त कक्ष ब्लॉक (1), कम्प्यूटर प्रयोगशाला (1)
10.	ओडिशा	इंदिरा आवास योजना (5740)
11.	केरल	एचएससी (10)
12.	कर्नाटक	इंदिरा आवास योजना (1667), आंगनवाड़ी केन्द्र (148), स्वास्थ्य (15), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (50)

1	2	3
13.	महाराष्ट्र	आंगनवाड़ी केन्द्र (40), 6 स्लीप्ड बैक हैबिटेशन में जल आपूर्ति योजनाएं, हैंड पम्प (60), सोलर सबमर्सिबल पम्प (16), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (15), लकड़ी की फ्लोरिंग वाले शयन कक्ष (6), लकड़ी के फ्लोरिंग वाले डायनिंग हॉल (3), लकड़ी की फ्लोरिंग वाले मनोरंजन कक्ष (3), आवासीय छात्रावासों में सौर ऊर्जा युक्त स्नानागार (48), आवासीय छात्रावासों में किचन (3), वार्डन के लिए सौर ऊर्जाकृत कक्षों का निर्माण (7), शौचालय
14.	मिजोरम	इंदिरा आवास योजना (890), प्रसुति गृह सहित एचएससी (6) अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (14), स्कूल भवन (17), आकस्मिकता कक्ष (2), महिला एवं पुरुष वार्ड (1)
15.	जम्मू और कश्मीर	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
16.	उत्तराखंड	आंगनवाड़ी केन्द्र (412)
17.	मध्य प्रदेश	आंगनवाड़ी केन्द्र (200)
18.	दिल्ली	अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (80), शौचालय (17)
19.	सिक्किम	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
20.	अरुणाचल प्रदेश	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2010-11 में प्राप्त/स्वीकृत एमएसडीपी परियोजनाएं (कोष्ठक में यूनिटों की संख्या का उल्लेख है)
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश	इंदिरा आवास योजना (3091), स्वास्थ्य (38), आंगनवाड़ी केन्द्र (698), पेय जल आपूर्ति (2162), स्कूल भवन (45), पोलीटेक्नीक (18), आईटीआई (17), छात्रावास (7), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (90)
2.	पश्चिम बंगाल	अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (2802), छात्रावास (512), इंदिरा आवास योजना (19477), पेय जल आपूर्ति (404), स्वास्थ्य सुविधा (76), आईटीआई (1), पोलीटेक्नीक (2), प्रयोगशाला (45)
3.	हरियाणा	स्कूल भवन (1)
4.	असम	शौचालय (220), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (962), स्वास्थ्य सुविधा (19), विज्ञान प्रयोगशाला (47), कम्प्यूटर कक्ष (21), छात्रावास (4), इंदिरा आवास योजना (11880), आंगनवाड़ी केन्द्र (312), पेय जल आपूर्ति
5.	मणिपुर	छात्रावास (13), स्कूल भवन (2)
6.	बिहार	आंगनवाड़ी केन्द्र (821), छात्रावास (20), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (984), प्रयोगशाला कक्ष (11), हैंड पम्प (1689), सोलर स्ट्रीट प्रकाश एवं लालटेन (13900)
7.	मेघालय	स्कूल भवन (1), शिक्षण ब्लॉक (4), छात्रावास (5), आंगनवाड़ी केन्द्र (81)
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	स्कूलों के लिए आधुनिक शिक्षण सहायता प्रदान करना (25)

1	2	3
9.	झारखंड	एचएससी (77), छात्रावास (4), आंगनवाड़ी केन्द्र (130), अतिरिक्त कक्षा ब्लाक (1), आईटीआई (1)
10.	ओडिशा	प्राथमिक विद्यालय छात्रावासों (64), आईटीआई छात्रावासों में पेज जल तथा शौचालय सुविधा में सुधार (2)
11.	केरल	लैब सुविधा युक्त अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, (तीन गांवों) की जल आपूर्ति का संवर्धन, पोलीटेक्नीक का उन्नयन (1)
12.	कर्नाटक	इंदिरा आवास योजना (2733), आंगनवाड़ी केन्द्र (293), स्वास्थ्य (6), छात्रावास (26)
13.	महाराष्ट्र	बालिका छात्रावास (6), इंदिरा आवास योजना (1613), आंगनवाड़ी केन्द्र (30)
14.	मिजोरम	आंगनवाड़ी केन्द्र (166), इंदिरा आवास योजना (1380), छात्रावास (9), एचएससी एंड पीएचसी (13), पेय जल आपूर्ति (10)
15.	जम्मू और कश्मीर	आईटीआई का उन्नयन (1)
16.	उत्तराखंड	अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (48), स्कूल भवन (2), हैंड पम्प (17), कम्प्यूटर कक्ष (17), शौचालय (17), पीएचसी (1), पोलीटेक्नीक (2), आंगनवाड़ी केन्द्र (43), प्रयोगशाला (3), एससी (23)
17.	मध्य प्रदेश	इंदिरा आवास योजना (100), बालिका छात्रावास (1)
18.	दिल्ली	जल आपूर्ति योजना का सुदृढ़ीकरण (130)
19.	सिक्किम	आंगनवाड़ी केन्द्र (56), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (19), स्वास्थ्य सुविधा (1), जल आपूर्ति योजना (4), इंदिरा आवास योजना (250)
20.	अरुणाचल प्रदेश	इंदिरा आवास योजना (5029), स्कूल भवन (40), आंगनवाड़ी केन्द्र (499), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (202), बालिका छात्रावास (68), प्रसुति गृह (2), बालक छात्रावास (3), कम्प्यूटर कक्ष (6), स्कूल में शौचालय (2), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष के साथ मेडिकल सब सेंटर (1), एचएससी (15), पीएचएससी (2), विज्ञान प्रयोगशाला (10)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2011-12 में प्राप्त/स्वीकृत एमएसडीपी परियोजनाएं (कोष्ठक में यूनिटों की संख्या का उल्लेख है)
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश	इंदिरा आवास योजना (2350), आंगनवाड़ी केन्द्र (182), पेय जल आपूर्ति (834), स्कूल भवन (3), आईटीआई (1), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (81)
2.	पश्चिम बंगाल	आईटीआई (6), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (5), इंदिरा आवास योजना (46), आंगनवाड़ी केन्द्र (5), पेय जल आपूर्ति (2), पोलीटेक्नीक (1), कम्युनिटी शौचालय (66)
3.	हरियाणा	आंगनवाड़ी केन्द्र (19)

1	2	3
4.	असम	छात्रावास (32), आईटीआई (12), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (546), इंदिरा आवास योजना (12596), आंगनवाड़ी केन्द्र (275), पेय जल आपूर्ति (4430), शौचालय (374), कम्प्यूटर कक्ष (27), पुस्तकालय (44), स्वास्थ्य सुविधा (34), पोलीटेक्नीक (1)
5.	मणिपुर	छात्रावास (22), पेय जल आपूर्ति (4), स्कूल भवन (40.50), पाइप लाइन का विस्तार (1)
6.	बिहार	स्कूल भवन (28), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (577), इंदिरा आवास योजना (277), छात्रावास (15), पहुंच मार्ग (15.355 कि.मी.), डीआईईटी भवन (1), आईटीआई में अवसंरचना विकास (1), एचएससी (40)
7.	मेघालय	आवंटन पूर्णत: स्वीकृत
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
9.	झारखंड	केकेएम कॉलेज में अतिरिक्त अवसंरचना (25), छात्रावास (2), पीएचसी एंड एचएससी (27)
10.	ओडिशा	आवंटन पूर्णत: स्वीकृत
11.	केरल	आवंटन पूर्णत: स्वीकृत
12.	कर्नाटक	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
13.	महाराष्ट्र	आवंटन पूर्णत: स्वीकृत
14.	मिजोरम	पेय जल आपूर्ति (14), इंदिरा आवास योजना (488)
15.	जम्मू और कश्मीर	पालीटेक्नीक का उन्नयन (1)
16.	उत्तराखंड	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
17.	मध्य प्रदेश	बालिका छात्रावास (3)
18.	दिल्ली	आईटीआई में महिला स्कंध (1), स्कूल भवन (2), डिस्पेंसरी, मेडिकल मोबाइल यूनिट (4), स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम
19.	सिक्किम	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
20.	अरुणाचल प्रदेश	इंदिरा आवास योजना (596), स्कूल भवन (9), आंगनवाड़ी केन्द्र (58), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (18), बालिका छात्रावास (27), पीएचएससी (6)

विवरण-II

राज्य वक्फ बोर्डों के कम्प्यूटरीकरण की योजना के तहत राज्य वक्फ बोर्डों/राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र/केन्द्रीय वक्फ परिषद को संवितरित धनराशि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य वक्फ बोर्ड के नाम	धनराशि (लाख रु. में)
1	2	3
2009-10		
I	**राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द**	480.92
II	**केन्द्रीय वक्फ परिषद**	27.1

1	2	3
III	**राज्य वक्फ बोर्ड**	
1.	पंजाब वक्फ बोर्ड	27.1
2.	कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड	27.1
3.	छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड	27.1
4.	महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड	27.1
5.	तमिलनाडु वक्फ बोर्ड	27.1
6.	पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड	27.1
7.	असम वक्फ बोर्ड	27.1
8.	ओडिशा वक्फ बोर्ड	27.1
9.	त्रिपुरा वक्फ बोर्ड	27.1
10.	हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड	27.1
11.	यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड	27.1
	योग	806.12
	2010-11	
1.	बिहार सुन्नी राज्य वक्फ बोर्ड	27.1
2.	बिहार शिया राज्य वक्फ बोर्ड	27.1
3.	पुडुचेरी राज्य वक्फ बोर्ड	27.1
4.	केरल राज्य वक्फ बोर्ड	27.1
5.	हरियाणा राज्य वक्फ बोर्ड	27.1
6.	मणिपुर वक्फ बोर्ड	27.1
7.	मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड	27.1
8.	दिल्ली वक्फ बोर्ड	27.1
9.	लक्षद्वीप राज्य वक्फ बोर्ड	27.1
10.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह वक्फ बोर्ड	21.29
11.	उत्तराखंड वक्फ बोर्ड	27.1
12.	राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड	27.1
13.	जम्मू और कश्मीर बोर्ड फोर स्पेसीफाइड वक्फ एंड स्पेसीफाइड वक्फ प्रोपर्टीज	21.96
14.	मेघालय वक्फ बोर्ड	21.29
	योग	362.64

1	2	3
	2011-12	
1.	आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड	27.1
2.	महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड (हैंड होल्डिंग चार्जेज)	7.13
3.	हरियाणा राज्य वक्फ बोर्ड (हैंड होल्डिंग चार्जेज)	3.04
4.	मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड (हैंड होल्डिंग चार्जेज)	10.2
	योग	47.47

[अनुवाद]

हाईब्रिड-वाहनों का आयात

1457. **श्री निशिकांत दुबे:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में हाईब्रिड-वाहनों के आयात की अनुमति देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन वाहनों के आयात पर लगाए जाने वाले शुल्क का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में हाईब्रिड-करों सहित इस प्रकार के वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग/सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है;

(घ) क्या सरकार ने देश में हाईब्रिड-वाहनों के आयात के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) भारतीय ऑटोमोबाईल विनिर्माण सोसायटी (एसआईएएम) से प्राप्त सूचना के अनुसार, देश में हाईब्रिड वाहनों के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लागू करों तथा आयात शुल्क का भुगतान कर तथा वाहनों के आयात की शर्तों को पूरा करने के बाद हाईब्रिड वाहनों का आयात किया जा सकता है।

(ख) केन्द्रीय बजट 2012-13 में की गई घोषणा के अनुसार, 40,000 अमरीकी डालर और उससे अधिक मूल्य की पूर्णत: निर्मित यूनिट (सीबीयू) फार्म में तथा 3000 सीसी पेट्रोल और 2500 सीसी डीजल वाहन से अधिक के वाहन के आयात पर मूल शुल्क 75% निर्धारित किया गया है। अन्य सभी वाहनों पर मूल आयात शुल्क 60% हैं।

(ग) सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक और हाईब्रिड वाहनों को अपनाने तथा इसके उत्पादन को बढ़ाना देने के लिए नेशनल मिशन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आरंभ की है।

(घ) और (ङ) सरकार तथा एसआईएएम ने देश में इलेक्ट्रिक तथा हाईब्रिड वाहनों की बाजार संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए एक विस्तृत सर्वे कराया है। इस सर्वे में इलेक्ट्रिक और हाईब्रिड वाहनों में घरेलू क्षमताओं का विकास करने तथा स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए घरेलू उत्पादन पर प्रकाश डाला गया है।

डीजल वाहनों की मांग

1458. **प्रो. रंजन कुमार यादव:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डीजल वाहनों की मांग में भारी वृद्धि है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऑटोमोबाइल उद्योग के हित-संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय ऑटोमोबाइल विनिर्माता एसोसिएशन सोसायटी (एसआईएएम) से प्राप्त सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान डीजल यात्री कारों की बिक्री के अनुमान निम्नानुसार हैं:-

(संख्या में)

	2008-09	2009-10	2010-11
डीजल यात्री कार	3,15,033	4,32,884	6,13,900

(ग) ऑटोमोटिव मिशन प्लान (2006-16) के अनुसरण में अनेक कदम उठाए गए हैं और नई विदेश व्यापार नीति में अतिरिक्त प्रोत्साहनों के प्रावधान किए गए हैं जिससे देश में कारों की बिक्री और निर्यात को पर्याप्त रूप से बढ़ावा मिलेगा।

अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाएं

1459. **श्री गणेश सिंह:**

श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अल्पसंख्यक कल्याण के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक में ऐसी परियोजना के वित्त पोषण का ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना आयोग के परामर्श से चालू पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस संबंध में क्या योजना तैयार की गई है;

(घ) उक्तावधि के दौरान कर्नाटक में संचालित ऐसी प्रत्येक योजना में पारदर्शिता बरतने के लिए क्या प्रावधान किया गया है; और

(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने व्यक्तियों के लाभान्वित होने का अनुमान है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) *अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा विशेषकर अल्पसंख्यकों के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं:*

(i) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना

(ii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

(iii) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

(iv) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति

(v) नि:शुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना

(vi) बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम और

(vii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा लघु वित्त योजना का कार्यान्वयन किया जाता है, जिसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय की स्वसहायता समूह की महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एनएमडीएफसी द्वारा कौशल विकास के तहत कार्यान्वित महिला समृद्धि योजना विशेषकर महिलाओं के लिए है। एनएमडीएफी की कौशल विकाय कार्यक्रम के साथ-साथ महिला समृद्धि योजना के तहत धनराशि आवंटन की बजाय प्रशिक्षित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखकर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

एनएमडीएफसी द्वारा महिलाओं सहित अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को स्वरोजगार एवं आय सृजक क्रियाकलापों के लिए रियायती ऋण भी प्रदान किया जाता है। एनएमडीएफसी की सावधि ऋण योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को अधिकतम रु. 5.00 लाख का ऋण प्रदान किया जाता है। एनएमडीएफसी की व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी एक योजना है जिसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं सहित अभ्यर्थियों को प्रति अभ्यर्थी प्रति पाठ्यक्रम अधिकतम रु. 1000 प्रतिमाह की दर से 6 माह तक अर्थात प्रशिक्षण लागत का 85% अनुदान तथा प्रतिमाह रु. 500 की दर से वृतिका भी प्रदान की जाती है।

(ख) पिछले तीन वर्षो तथा वर्तमान वर्ष के दौरान कर्नाटक राज्य को विभिन्न योजनाओं के तहत अवमुक्त धनराशि इस प्रकार है:

(1) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के दौरान मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना तथा मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना

क्र.सं.	योजना का नाम	व्यय (करोड़ रु. में)			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (29.2.2012 तक)
1.	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना	62.21	202.94	446.22	540.44
2.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	70.63	148.74	297.86	326.93
3.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना	शुरू नहीं	14.90	29.98	51.98

(2) मेरिट-सह साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना

क्र.सं.	वर्ष	प्रदत्त छात्रवृत्तियों की सं.		योग	धनराशि (रु. में) (29.2.2012 तक)
		नई	नवीकरण		
1.	2008-09	790	593	1383	3,64,13,708
2.	2009-10	891	865	1756	4,60,37,632
3.	2010-11	906	1080	1986	5,30,24,508
4.	2011-12	868	1349	2217	5,99,28,540

(3) नि:शुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना

वर्ष	अवमुक्त धनराशि (लाख रु. में) (29.2.2012 तक)
2008-09	81.46
2009-10	106.48
2010-11	14.47
2011-12	150.17

(4) एनएमडीएफसी द्वारा संवितरित ऋण

वर्ष	संवितरित धनराशि (लाख रु. में (29.2.2012 तक)
2008-09	450.00
2009-10	350.00
2010-11	शून्य*
2011-12	शून्य*

*सरकारी प्रतिभूति गैर-पुनर्अदायगी आदि के अभाव में धनराशि अवमुक्त नहीं की जा सकी।

(5) बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

क्र.सं.	जिला	आवंटन (लाख रु. में)	स्वीकृत परियोजनाएं कोष्ठक में यूनिटों की सं.			स्वीकृत धनराशि (लाख रु. में)			
			2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	गुलबर्गा	2330	-	इंदिरा आवास योजना के मकान (1142) आगंनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण (100)	इंदिरा आवास योजना के मकान (1633) आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण (167) सहायक नर्स मिड वाइफ उप-केन्द्र का निर्माण (6) 50/100 बिस्तर वाले छात्रावासों का निर्माण (7)	-	599.78	1720.16	464.83
2	बीदर	1660	-	इंदिरा आवास योजना के मकानों का निर्माण (525) प्राइमरी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण (50) आगनवाड़ी केन्द्रों को निर्माण (50) प्रसूति गृह का निर्माण (4) प्रसूति वार्ड का निर्माण (11)	इंदिरा आवास योजना के मकान (1100) आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण (126) बालक एवं बालिका छात्रावास का निर्माण (12)	-	524.36	1125.75	229.5
							1124.14	2845.91	694.33

(ग) योजना आयोग के परामर्शन में वर्तमान पंचवर्षीय योजना के लिए तैयार की गयी योजना विवरण I पर है।

(घ) इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित तंत्रों का प्रावधान किया गया है।

(1) बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के प्रभावी निगरानी के लिए मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्यों के साथ प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है। केन्द्र स्तर पर ओवर साइट कमिटी कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त, राज्य एवं जिला स्तरी समितियां कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती हैं।

(2) बेहतर पारदर्शिता एवं जवाबदेहता हेतु मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत वर्ष 2011-12 में हुई थी।

(3) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय स्तर के मॉनीटरों के दल द्वारा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं पर निगरानी रखने के लिए विभिन्न जिलों का दौरा किया गया है।

(4) लक्षित वर्गों में जागरूकता लाने तथा जनजागरूकता हेतु समाचार-पत्रों और इलेक्ट्रोनिक प्रचार माध्यमों पर विज्ञापन की सहायता से व्यापक प्रचार-प्रसार किए गए है।

(ङ) उपर्युक्त योजना के तहत दिनांक 29.2.2012 तक लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या विवरण II से IV पर है। बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम एक क्षेत्र विकाय कार्यक्रम है जिसके तहत इंदिरा आवास योजना के मकानों को छोड़कर जिससे 300097 व्यक्ति लाभान्वित हुए है। समग्र समुदाय के कल्याणार्थ परिसंपत्तियों का सृजन किया जाता है।

विवरण I

11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12) के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
योजनागत स्कीमें/कार्यक्रम (वोटेड, राजस्व एवं पूंजी)											
क. केन्द्रीय क्षेत्र की योजना (सी एस)											
1.	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता-अनुदान	50.00	50.00	60.00	60.0	115.00	115.00	125.00	125.00	200.00	200.00
2.	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना	10.00	10.00	10.00	8.75	12.00	12.00	15.00	15.00	16.00	16.00
3.	एनएमडीएफसी की इक्विटी में अंशदान	70.00	70.00	75.00	75.00	125.00	125.00	115.00	115.00	115.00	115.00
4.	प्रचार सहित अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना	6.00	11.59	5.00	8.95	13.00	13.00	22.00	22.00	36.00	36.00
5.	एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता-अनुदान	10.00	10.00	5.00	2.30	2.00	2.00	4.00	4.00	2.00	2.00
6.	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	15.00	5.00	15.00	0.04
7.	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्यतावृत्ति	0.00	0.00	0.0	0.00	15.00	15.00	30.00	30.00	52.00	52.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	राज्य वक्फ बोर्डो के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	13.00	6.00	5.00	2.00
9.	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण ब्याज सब्सिडी की योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.02	0.00	0.00
10.	भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए संवर्धनात्मक क्रियाकलाप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.05	0.00	0.00
11.	लघु अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी में गिरावट को नियंत्रित करने की योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.01	0.00	0.00
	उप-योग-(सीएस)	146.00	151.59	155.00	155.00	300.00	300.00	343.00	322.08	441.00	423.04
ख.	**केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)**										
1.	व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति	54.00	54.00	124.90	64.94	100.00	100.00	135.00	135.00	140.00	140.00
2.	चुनिन्दा अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अल्पसंक्ष्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकाय कार्यक्रम	120.00	74.41	539.80	279.89	989.50	989.50	1399.50	1327.32	1218.40	1136.36
3.	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां	80.00	10.00	79.90	79.00	200.00	200.00	450.00	45.00	600.00	600.00
4.	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	100.00	60.00	99.90	69.93	150.00	150.00	265.00	265.00	450.00	450.00
5.	राज्य वक्फ बोर्डो का सुदृढ़ीकरण@	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.10	0.00	0.00
	*सचिवालय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सेवा	0.00	0.00	0.50	0.34	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	0.60
	उप-योग (सीएसएस)	354.00	198.41	845.00	495.00	1440.0	1440.00	2257.00	2177.92	2409.00	2326.96
	कुल योग (क+ख)	500.00	350.00	1000.00	650.00	1740.00	1740.00	2600.00	2500.00	2850.00	2750.00

*प्रावधान केन्द्र प्रायोजित योजना से किया गया है।

@योजना आयोग द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति से मना करने पर वर्ष 2010-11 में इन योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं किया जा सका।

विवरण II

मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत संवितरण छात्रवृत्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	2007-08	2008-08	2009-10	2010-11	2011-12 (29.2.2012 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश		25923	86248	225462	121319
2.	अरूणाचल प्रदेश		0	0	0	0
3.	असम		0	87376	38259	86159
4.	बिहार		43582	35668	320107	157973
5.	छत्तीसगढ़		1600	4765	6976	12610
6.	गोवा		151	594		0
7.	गुजरात		0	0	0	0
8.	हरियाणा		3727	14867	24823	0
9.	हिमाचल प्रदेश		540	1095	1166	3958
10.	जम्मू और कश्मीर		4842	53421	116571	0
11.	झारखंड		12003	18510	26107	35837
12.	कर्नाटक	योजना शुरू नहीं	21018	86829	314508	299020
13.	केरल		46347	161590	563560	572880
14.	मध्य प्रदेश		13719	18278	61052	135932
15.	महाराष्ट्र		58052	201490	545201	701243
16.	मणिपुर		1960	10780		9438
17.	मेघालय		5479	10518	12846	0
18.	मिजोरम		2661	9428	14053	13485
19.	नागालैंड		0	0	4400	0
20.	ओडिशा		3542	17049	17909	24553
21.	पंजाब		49996	123907	279082	264329
22.	राजस्थान		18775	60318	121988	148816

1	2	3	4	5	6	7
23.	सिक्किम		0	604	2434	3269
24.	तमिलनाडु		24135	84150	312415	235582
25.	त्रिपुरा		821	1069	1617	0
26.	उत्तर प्रदेश		97785	371189	465812	971245
27.	उत्तराखंड		0	449	1132	3103
28.	पश्चिम बंगाल		68235	240548	913002	955205
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		220	96		237
30.	चंडीगढ़		398	1518		0
31.	दादरा और नगर हवेली		21	40	72	183
32.	दमन और दीव		30	110	113	0
33.	दिल्ली		6918	26313	30904	12728
34.	लक्षद्वीप		0	0	0	0
35.	पुडुचेरी		177	259		0
	योग		512657	1729076	4421571	4769204

विवरण III

मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना के तहत संवितरित छात्रवृतियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	2007-08	2008-08	2009-10	2010-11	2011-12 (29.2.2012 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	0	25923	86248	225462	121319
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	87376	38259	86159
4.	बिहार	0	43582	35668	320107	157973
5.	छत्तीसगढ़	0	1600	4765	6976	12610
6.	गोवा	0	151	594		0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	256	3727	14867	24823	0

1	2	3	4	5	6	7
9.	हिमाचल प्रदेश	63	540	1095	1166	3958
10.	जम्मू और कश्मीर	0	4842	53421	116571	0
11.	झारखंड	0	12003	18510	26107	35837
12.	कर्नाटक	5721	21018	86829	314508	299020
13.	केरल	4321	46347	161590	563560	572880
14.	मध्य प्रदेश	1615	13719	18278	61052	135932
15.	महाराष्ट्र	5170	58052	201490	545201	701243
16.	मणिपुर	0	1960	10780		9438
17.	मेघालय	9	5479	10518	12846	0
18.	मिजोरम	682	2661	9428	14053	13485
19.	नागालैंड	0	0	0	4400	0
20.	ओडिशा	125	3542	17049	17909	24553
21.	पंजाब	1585	49996	123907	279082	264329
22.	राजस्थान	1905	18775	60318	121988	148816
23.	सिक्किम	0	0	604	2434	3269
24.	तमिलनाडु	3858	24135	84150	312415	235582
25.	त्रिपुरा	71	821	1069	1617	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	97785	371189	465812	971245
27.	उत्तराखंड	0	0	449	1132	3103
28.	पश्चिम बंगाल	0	68235	240548	913002	955205
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	220	96		237
30.	चंडीगढ़	0	398	1518		0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	21	40	72	183
32.	दमन और दीव	0	30	110	113	0
33.	दिल्ली	456	6918	26313	30904	12728
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	31	177	259		0
	योग	24868	512657	1729076	4421571	4769204

विवरण IV

मेरिट–सह साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के तहत संवितरित छात्रवृत्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	वर्ष				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	20011-12 (29.2.2012 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	889	1411	1319	1314	1126
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
3.	असम	504	1372	1910	1908	1381
4.	बिहार	1595	2500	2718	3133	3681
5.	छत्तीसगढ़	11	78	121	148	140
6.	गोवा	29	52	68	79	84
7.	गुजरात	195	526	705	928	941
8.	हरियाणा	132	344	300	310	362
9.	हिमाचल प्रदेश	11	19	35	37	36
10.	जम्मू और कश्मीर	1012	1392	1278	1443	1594
11.	झारखंड	399	620	709	916	892
12.	कर्नाटक	879	1383	1756	1986	2217
13.	केरल	1786	2239	3504	4443	4557
14.	मध्य प्रदेश	393	490	984	814	843
15.	महाराष्ट्र	1126	2006	3028	2463	3475
16.	मणिपुर	83	158	98	184	175
17.	मेघालय	3	51	85	224	305
18.	मिजोरम	88	179	122	188	145
19.	नागालैंड	0	0	143	345	399
20.	ओडीशा	84	188	241	191	201
21.	पंजाब	528	592	1884	2541	2774
22.	राजस्थान	550	882	956	1001	1187

1	2	3	4	5	6	7
23.	सिक्किम	0	0	20	145	75
24.	तमिलनाडु	1311	1659	2209	2118	2390
25.	त्रिपुरा	2	23	54	73	59
26.	उत्तर प्रदेश	3539	4268	4808	6962	6379
27.	उत्तराखंड	24	65	109	127	210
28.	पश्चिम बंगाल	1897	3336	6379	6599	5539
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		5	8	11	7
30.	चंडीगढ़	6.	25	28	17	18
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव		0	0	1	2
33.	दिल्ली	178	322	387	385	408
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	4	10	16	22	19
	योग	17258	26195	35982	41056	41621

विवरण-V

निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के तहत संवितरित छात्रवृत्तियों की संख्या

		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (29.2.2012 तक)
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	छात्रों/अभ्यर्थियों की सं.	छात्रों/अभ्यार्थियों की सं.	छात्रों/अभ्यार्थियों की सं.	छात्रों/अभ्यार्थियों की सं.	छात्रों/अभ्यार्थियों की सं.
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	185	650	100	50	200
3.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
4.	असम	90	0	150	500	1100
5.	बिहार	0	0	100	500	1000
6.	चंडीगढ़	0	50	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
7.	छत्तीसगढ़	80	90	50	0	0
8.	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0	0
10.	दिल्ली	473	541	500	0	0
11.	गोवा	0	0	0	0	0
12.	गुजरात	0	100	0	50	0
13.	हरियाणा	50	140	40	100	200
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0	25	0	0
15.	जम्मू और कश्मीर	240	0	0	0	500
16.	झारखंड	0	75	0	200	500
17.	कर्नाटक	450	520	535	0	500
18.	केरल	0	200	25	600	500
19.	मध्य प्रदेश	90	220	215	0	150
20.	महाराष्ट्र	0	980	130	2200	200
21.	मणिपुर	160	118	230	30	0
22.	मेघालय	0	0	50	0	0
23.	मिजोरम	250	180	50	0	300
24.	नागालैंड	0	50	0	0	0
25.	ओडिशा	190	75	230	70	0
26.	पंजाब	160	50	220	0	0
27.	राजस्थान	1004	75	682	50	350
28.	सिक्किम	0	0	0	0	0
29.	तमिलनाडु	0	0	0	150	50
30.	त्रिपुरा	0	100	0	40	100
31.	उत्तर प्रदेश	675	685	150	225	930
32.	उत्तराखंड	0	0	0	30	50
33.	पश्चिम बंगाल	0	623	2050	50	1200
34.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0
	योग	4097	5522	5532	4845	7830

विवरण-VI

वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार एवं वर्ष-वार आवंटन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (29.2.2012 तक)
		लाभार्थियों की सं.	लाभार्थियों की सं.	लाभार्थियों की सं.	लाभार्थियों की सं.	लाभार्थियों की सं.
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	2631	637	704	0	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
3.	असम	654	0	230	2500	0
4.	बिहार	893	3357	60	1854	0
5.	चंडीगढ़	13	4	14	9	0
6.	छत्तीसगढ़	0	0	222	222	0
7.	दिल्ली	107	34	158	38	350
8.	गुजरात	474	1009	957	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	375	202	511	255	185
10.	हरियाणा	1073	777	5474	0	0
11.	जम्मू और कश्मीर	1350	1641	2272	2920	1586
12.	झारखंड	218	447	0	0	0
13.	केरल	10250	14729	31010	42200	19104
14.	कर्नाटक	1234	1426	1600	0	0
15.	महाराष्ट्र	1933	1000	1111	2311	645
16.	मणिपुर	80	20	0	0	0
17.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0
18.	मेघालय	62	0	0	0	0
19.	मिजोरम	1000	910	790	287	0
20.	नागालैंड	1681	1836	3114	2029	893
21.	ओडिशा	0	382	553	0	439
22.	पुडुचेरी	57	303	1061	443	0

1	2	3	4	5	6	7
23.	पंजाब	1875	1628	1044	2135	770
24.	राजस्थान	626	205	692	1555	1000
25.	तमिलनाडु	8042	8039	16439	31823	0
26.	त्रिपुरा	75	206	213	222	308
27.	उत्तर प्रदेश	615	0	0	24	0
28.	उत्तराखंड	0	0	45	0	0
29.	पश्चिम बंगाल	12415	12406	36320	67683	33227
	योग	47733	51198	104594	158510	58507

गंगा और यमुना पर बांध-निर्माण

1460. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तराखंड सरकार ने गंगा और यमुना नदियों पर बांधों की एक श्रृंखला के निर्माण की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित बांधों के लिए हिमालय क्षेत्र में कई सुरंगें खोदी जानी होंगी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करने का विचार रखती है कि उक्त निर्माण से इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को क्षति न हो?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (ख) जी हां, उत्तराखंड सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उन्होंने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग के दिशा-निर्देशों के परियोजनाओं के निर्माण/विकास के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

गंगा नदी

क-भागीरथी

1. भैरों घाटी (जल विद्युत परियोजना) (एचईबी) 3381 मेगावाट (एमडब्ल्यू),
2. पाला मनेरी (एचईपी) (480 एमडब्ल्यू)
3. लोहारी नाग पाला (600 एमडब्ल्यू) (उपर्युक्त तीनों परियोजनाओं को राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण द्वारा बंद कर दिया है)
4. कोटेश्वर बांध (400 एमडब्ल्यू)
5. टिहरी पी एस पी (1000 एमडब्ल्यू)
6. कोटाली भेल (195 एमडब्ल्यू)

ख-अलकनंदा

1. बौला नन्द प्रयाग (एचईपी) (300 एमडब्ल्यू)
2. नन्द प्रयास लंगासू (एचईपी) (100 एमडब्ल्यू)
3. विष्णुगढ़ पिपलकोटी (444 एमडब्ल्यू)
4. श्रीनगर (330 एमडब्ल्यू)
5. तपोवन विष्णुगढ़ (520 एमडब्ल्यू)
6. अलकनन्दा (300 एमडब्ल्यू)

ग-धौलीगंगा

1. तमक लता (एचईपी) (250 एमडब्ल्यू)

यमुना

1. व्यासी एचईसी (120 एमडब्ल्यू) पूर्व में आंशिक रूप से निर्माण किया गया)
2. लखवट बहु-उद्देशीय परियोजना (300 एमडब्ल्यू) (पूर्व में आंशिक रूप से निर्माण किया गया)

(ग) जी हां, कुछ परिजनाओं पर सुरंगों/प्रेशर शाफ्ट का निर्माण प्रस्तावित है।

(घ) उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने परियोजना के लिए किए ईआईए/ईएमपी अध्ययनों पर आधारित पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) को अनुमोदित किया है तथा आवश्यक होने पर परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन किए जाने हेतु अतिरिक्त पर्यावरणीय/पारिस्थितिकी उपाय करने के लिए यह निदेश जारी करता है।

[अनुवाद]

बिहार में गरीबी उपशमन कार्यक्रम की समीक्षा

1461. श्री सुशील कुमार सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार में गरीबी उपशमन कार्यक्रम की समीक्षा अथवा निगरानी की है; और

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान की गई सीमक्षा और निगरानी का क्या परिणाम निकला है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय बिहार सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों के माध्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) तथा स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) नामक दो बड़े गरीबी उपशमन कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी तथा समीक्षा की एक व्यापक प्रणाली तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आवधिक प्रगति रिपोर्टें, निष्पादन समीक्षा समिति, क्षेत्र अधिकारियों की योजना, राज्य तथा जिला स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समिति तथा राष्ट्र स्तरीय निगरानी कर्ता शामिल हैं। योजनाओं के कार्यान्वयन की निरंतर समीक्षा की जाती है तथा जहां भी योजनाओं के बेहतर प्रचालन के लिए परिवर्तन की जरुरत हो तो ऐसे आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। इन योजनाओं की समीक्षा/निगरानी के दौरान, यह पाया गया कि वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11, तथा चालू वर्ष 2011-12 (जनवरी 2012 तक) के दौरान किया गया रोजगार सृजन क्रमश: 991.75 लाख श्रम दिवस, 1136.88 लाख श्रम दिवस, 1602.62 लाख श्रम दिवस तथा 239.46 लाख श्रम दिवस था। इसी प्रकार एसजीएसवाई/एनआरएलएम के अंतर्गत सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की कुल संख्या इन वर्षों के दौरान क्रमश: 1.27 लाख, 1.58 लाख, 1.62 लाख तथा 0.88 लाख थी।

सिंचाई-क्षमता का उपयोग

1462. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी सिंचाई-क्षमता सृजित की गई और इसका कितने प्रतिशत उपयोग किया गया;

(ख) क्या इसका इष्टतम क्षमता से कम उपयोग हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्षमता के अल्प-उपयोग के क्या कारण हैं; और

(घ) सिंचाई-क्षमता के इष्टतम उपयोग हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जलसंसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) विगत तीन वर्षों (2007-08, 08-09, 09-10) और चालू वर्ष (2010-11) के दौरान राज्य-वार सृजित सिंचाई क्षमता संलग्न विवरण में दी गई है। इस नई सृजित सिंचाई क्षमता के उपयोग का ब्यौरा इस मंत्रालय में नहीं रखा जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना एवं कार्यान्वयन शुरु किया जाता है। तथापि, सिंचाई क्षमता के इष्टतम उपयोग हेतु भारत सरकार 'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम "(एआईबीपी)", कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन "(सीएडी) एवं डब्ल्यूएम) और" जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार" (आरआरआर) के तहत राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

विवरण

भारत निर्माण अन्तर्गत सृजित सिंचाई क्षमता का राज्य-वार विवरण
(राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)

(हजार हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	उपलब्धियां 2007-08	उपलब्धियां 2008-09	उपलब्धियां 2009-10	उपलब्धियां 2010-11
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	271.433	225.764	92.220	34.975
2.	अरूणाचल प्रदेश	7.000	4.350	3.470	2.466
3.	असम	15.212	34.504	82.506	21.130
4.	बिहार	31.750	15.950	255.290	196.040
5.	छत्तीसगढ़	36.273	36.957	46.501	31.741
6.	गोवा	6.384	3.740	0.869	1.374
7.	गुजरात	119.632	93.660	110.410	55.516
8.	हरियाणा	10.356	19.601	7.890	11.093
9.	हिमाचल प्रदेश	5.845	4.800	32.925	6.500
10.	जम्मू और कश्मीर	19.443	NR	14.620	32.084
11.	झारखंड	8.482	36.860	18.875	42.520
12.	कर्नाटक	51.735	86.357	85.000	47.814
13.	केरल	7.064	9.072	9.641	6.309
14.	मध्य प्रदेश	126.200	92.220	47.484	114.955
15.	महाराष्ट्र	179.000	120.000	204.423	85.700
16.	मणिपुर	12.000	4.140	3.872	4.000
17.	मेघालय	0.932	5.056	4.589	4.448
18.	मिजोरम	3.031	5.248	5.248	4.900
19.	नागालैंड	4.195	3.872	4.053	5.235
20.	ओडिशा	63.427	105.808	118.069	67.626
21.	पंजाब	26.202	25.192	15.275	7.890

1	2	3	4	5	6
22.	राजस्थान	93.590	66.880	66.900	41.400
23.	सिक्किम	1.080	0.797	0.914	0.000
24.	तमिलनाडु	16.730	437.100	319.000	674.560
25.	त्रिपुरा	2.706	0.270	3.212	1.993
26.	उत्तर प्रदेश	544.503	422.730	241.711	2.330
27.	उत्तरांखड	29.506	12.086	12.139	25.549
28.	पश्चिम बंगाल	39.619	53.963	50.537	27.840
	कुल	1733.330	1926.977	1857.643	1557.988

भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा

1463. श्री पी. विश्वनाथन:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों ने अधिक मुआवजे तथा इस कांड में हुई मौतों के मामले में स्थिति की सीमक्षा की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नागपुर में विषैले अपशिष्ट पदार्थ के उपचार और निपटान के सख्त विरोध को देखते हुए, केंद्र सरकार ने इस मामले में स्थिति पर पुनर्विचार किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार 'डाउ केमिकल्स' कंपनी पर भोपाल कांड के लिए अधिक मुआवजा देने तथा शहर के पर्यावरण की शुद्धि करने का दबाव डालेगी; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मेंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) रसायन और मेट्रो-रसायन विभाग ने 3 दिसम्बर, 2010 को उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका (सिविल) दायर किया था जिसमें 1989 में उच्चतम न्यायालय द्वारा 470 यूएस डॉलर की राशि पर पूर्व में निपटाया गया था, में मुआवजे को बढ़ाने की मांग की गई थी। भोपाल गैस पीड़ितो से जुडे एनजीओ समूह में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत भोपाल गैस पीड़ितों के वर्गीकरण एवं उनकी संख्या को चुनौती देते हुए सुधारात्मक याचिका के संबंध में निदेश हेतु आवेदन दायर किया था। इस मामले को भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए गठित मंत्रियों के समूह द्वारा 13 जनवरी, 2012 को विचार किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि भोपाल गैस पीड़ितों के विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत संख्या एवं वर्गीकरण को परिवर्तित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(घ) और (ङ) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की नागपुर स्थित भस्मक सुविधा केन्द्र तक विषैल अपशिष्ट को दहन हेतु ले जाने के निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि भष्मक के लिए अपेक्षित अनुमति प्राप्त नहीं हुई थी, साथ ही, उक्त कचरे के परिवहन के लिए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ था। अत: पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 22 फरवरी, 2012 ने परिवहन, भण्डारण एवं निपटान सुविधा केन्द्र (टीएसडीएफ), पीतमपुर में कचरे का निपटान के पूर्व निर्णय को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है, जैसा कि वर्ष 2010 में उच्चतम न्यायालय को सूचित किया गया था। तथापि, यह मामला जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।

(च) और (छ) अधिक मुआवजा के दावा के लिए दायर सुधारात्मक याचिका में पर्यावरण सफाई में होने वाले वास्तविक

व्यय/पर्यावरण सफाई की दिशा में होने वाले व्यय शामिल है। सुधारात्मक याचिका में डाउ केमिकल कंपनी एक प्रतिभागी है।

संदेहास्पद मतदाता

1464. श्री अनंत कुमार: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में विदेशी व्यक्तियों से संबंधित विभिन्न न्यायाधिकरणों में संदेहास्पद मतदाताओं से जुड़े कई मामले लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या ऐसे उदाहरण हैं जहां विदेशी घोषित किए गए व्यक्तियों को मतदाता-सूची में उल्लिखित उनके नाम का विश्वास करते हुए मतदान करने की अनुमति दी गई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान कितने संदेहास्पद मतदाताओं के विरुद्ध विदेशी व्यक्ति न्यायाधिकरणों में मामले दर्ज किए गए तथा उनका निपटान हुआ ; और

(च) विगत तीन वर्षों में राज्य-वार कितने संदेहास्पद मतदाताओं को विदेशी व्यक्ति न्यायाधिकरणों द्वारा भारत का नागरिक घोषित किय गया?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (च) जानकारी एकत्रित की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दुर्गावती सिंचाई परियोजना

1465. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार स्थित दुर्गावती सिंचाई परियोजना को सरकार ने मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना का बजट कितना है; और

(घ) इसके लिए क्या अनंतिम समय-सीमा निर्धारित की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) दुर्गावती जलाशय परियोजना को मई, 1975 में 25.30 करोड़ रुपए हेतु योजना आयोग द्वारा मूल रूप से अनुमोदित किया गया था। 983.10 करोड़ रु. (2009 के मूल्य स्तर पर) हेतु परियोजना के द्वितीय संशोधित लागत अनुमान को जल संसाधन मंत्रालय की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण तथा बहु-उद्देश्यीय परियोजनाओं संबंधी सलाहकार समिति द्वारा 16.9.2010 को हुई उनकी 106वीं बैठक में स्वीकार कर लिया गया था।

(ग) बिहार राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचनानुसार, वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 हेतु बजट प्रावधान क्रमशः 12.45 करोड़ रु. तथा 152.09 करोड़ रु. है।

(घ) बिहार राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचनानुसार, उक्त परियोजना को मार्च, 2014 तक पूरा किया जाना निर्धारित किया गया है।

[हिन्दी]

प्रमुख परियोजनाओं के बारे में जानकारी

1466. श्री उदय प्रताप सिंह:
श्री लालचंद कटारिया:

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्यों को राज्य सरकारों के लिए प्रमुख परियोजनाओं व योजनाओं की मंजूरी की जानकारी देने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) यह मंत्रालय विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय क्षेत्र की मौजूदा परियोजनाओं (150 करोड़ रुपए तथा इसके ऊपर की लागत वाली) को मॉनीटर करता है। संसद सदस्यों को परियोजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए कोई नियमित तंत्र नहीं है। तथापि, विगत में मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्यों को संसद सदस्यों के अनुरोध पर उनके राज्यों की विलंब से चल रही परियोजनाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध कार्रवाई थीं। यह सूचना मंत्रालय की वेबसाइट cspm.gov.in पर भी उपलब्ध है।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री के 15-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत भर्ती

1467. श्री एस. आर. जेयदुरई: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 2007 के दौरान प्रधानमंत्री के अल्पसंख्यक कल्याण के 15-सूत्री कार्यक्रम के अनुपालन में, भर्ती में अल्पसंख्यकों को विशेष तरजीह देने के मार्गनिदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी मंत्रालयों/विभागों और बैंकों सहित सरकारी उपक्रमों द्वारा इन मार्गनिदेशों का पालन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जलसंसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अनुसरण में अपने दिनांक 08.1.2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 39016/7(एस)/2006-स्था. (बी) के माध्यम से सभी मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को इस आशय के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि केन्द्र सरकार की सेवाओं में अल्पसंख्यकों की भर्ती पर विशेष ध्यान दिया जाए। ये दिशा-निर्देश कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट (http://persmin.nic.in/DOPT.asp) पर भी उपलब्ध है।

(ख) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) चयन बोर्ड/समिति की संरचना इस प्रकार होनी चाहिए कि उसमें अल्पसंख्यक समुदाय और अनुसूचि जाति/अनुसूचि जनजाति के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व हो।

(ii) सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा वित्तीय संस्थानों में सभी नियुक्तियों से संबंधित व्यापक प्रचार-प्रसार होना चाहिए।

(iii) अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में रिक्तियों से संबंधित परिपत्र का वितरण स्थानीय भाषा में होनी चाहिए।

(iv) संभी संबद्ध मंत्रालय/विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अर्ध-वार्षिक/वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना होगा।

(ग) और (घ) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों आदि से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट पर निगरानी रखी जाती है। उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के जारी होने के फलस्वरुप कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार यह संसूचित हुआ है कि आज की तिथि तक सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में अल्पसंख्यकों की भर्ती की संख्या वर्ष 2006-07 में 6.93% (70 मंत्रालय/विभाग+138 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 11.99% (70 मंत्रालय/विभाग) हो गयी है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत और जापान के बीच समझौता

1468. श्री फ्रांसिक्को कोज्मी सारदीना: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और जापान ने भेषज, इत्यादि के क्षेत्र में सहयोग हेतु कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो समझौता-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरुप क्या-क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) भारत और जापान ने औषध के क्षेत्र में सहयोग हेतु कोई करार सम्पन्न नहीं किया है। तथापि, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री और जापान के विदेश मंत्री द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2011 को टोक्यो में भारत तथा जापान के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) सम्पन्न किया था। यह करार दिनांक 1 अगस्त, 2011 को प्रवृत्त हुआ है। इस भारत-जापान सीईपीए में अन्य बातों के साथ-साथ औषधियों मे पारस्परिक सहयोग भी शामिल है।

(ख) इस करार के अनुच्छेद 54 में जेनेरिक दवाइयों से संबंधित विनियामक उपायों से संबंधित सूचना का आदान-प्रदान करके जेनेरिक दवाइयों के संबंध में पारस्परिक सहयोग का भी प्रावधान है ताकि औषधि क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया जा सके और एक-दूसरे के विनियामक उपायों में आपसी विश्वास का निर्माण हो सके। इस अनुच्छेद में जेनेरिक औषधियों की पारस्परिक सहमत परिभाषा निर्धारित की गई है।

(ग) इस करार से जापान को जेनेरिक दवाइयों के निर्यात का संवर्धन करने में मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

बुंदेलखंड में नलकूप

1469. श्री घनश्याम अनुरागी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के पिछड़े इलाकों में सिंचाई हेतु गहरे नलकूप बनाने के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या स्वीकृत राशि जारी कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) उत्तर प्रदेश सरकार के लघु सिंचाई विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र के सात जिलों के पिछड़े क्षेत्रों में 1101 सिंचाई नलकूपों के निर्माणार्थ राज्य सरकार ने जिला योजना तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान 1285.28 लाख रुपए की राशि मंजूर की है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, बांदा, हमीरपुर, जालौन और चित्रकूट जिलों में 52 नए नलकूपों के निर्माण हेतु नाबार्ड ने मान्यवर काशीराम नव नलकूप परियोजना के अंतर्गत 872.13 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा, बांदा हमीरपुर, जालौन और झांसी जिलों में 39 असफल नलकूपों के आधुनिकीकरण/पुनर्निर्माण के लिए मान्यवर काशीराम असफल नलकूप आधुनिकीकरण/पुनर्निर्माण परियोजना के तहत 580.91 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।

(ख) राज्य सरकार ने जिला योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सम्पूर्ण राशि जारी कर दी है। इसके अलावा नाबार्ड ने मान्यवर काशीराम नव नलकूप परियोजना तथा मान्यवर काशी राम असफल नलकूप आधुनिकीकरण/पुनर्निर्माण परियोजना के अंतर्गत सम्पूर्ण राशि जारी कर दी है।

(ग) विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत जारी राशि का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जिला योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत अब तक 1004 नलकूपों को निर्माण पूरा हो चुका है।

विवरण

उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में विभिन्न स्कीमों के तहत नलकूपों के निर्माणार्थ मंजूर और जारी की गई राशि का ब्यौरा (लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार)

क्र.सं.	जिला	जिला योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना				मान्यवर काशी राम नव नलकूप निर्माण परियोजना (नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित)				मान्यवर काशी राम नलकूप आधुनिकीकरण/पुनर्निर्माण परियोजना (नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित)			
		मंजूर राशि	जारी की गई राशि	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि	मंजूर राशि	जारी की गई राशि	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि	मंजूर राशि	जारी की गई राशि	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	झांसी	174.15	174.15	174	109	81.12	81.12	5	निर्माण कार्य चल रहे हैं	66.80	66.80	4	निर्माण कार्य चल रहें हैं
2.	जालौन	195.10	195.10	173	168	248.97	248.97	15	तदैव	145.00	145.00	10	तदैव
3.	ललितपुर	243.20	243.20	243	224	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	-
4.	हमीरपुर	226.82	226.82	126	118	256.60	256.60	15	निर्माण कार्य चल रहे हैं	224.11	224.11	15	निर्माण कार्य चल रहें हैं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	महोबा	30.05	30.05	22	22	शून्य	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	-
6.	बांदा	141.00	141.00	141	141	251.73	251.73	15	निर्माण कार्य चल रहे हैं	145	145	10	निर्माण कार्य चल रहें हैं
7.	चित्रकूट	274.96	274.96	222	222	33.71	33.71	2	तदैव	शून्य	शून्य	शून्य	-
	कुल	1285.28	1285.28	1101	1004	872.13	872.13	52		580.91	580.91	39	

प्रधानमंत्री का 15-सूत्री कार्यक्रम

[अनुवाद]

1470. श्री डी.बी. चन्द्रेगौडा:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अल्पसंख्यक विकास के लिए प्रधानमंत्री के 15-सूत्री कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन की कमी से संबंधित काफी शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पर केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) उक्त कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) देश में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन में और सुधार लाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से कई सुझाव प्राप्त हुए हैं।

(ख) प्राप्त सुझाव क्षेत्र विशेष से संबद्ध नहीं हैं, बल्कि जातिगत स्वरूप के हैं, जिनमें योजनाओं का विस्तार, अल्पसंख्यक समुदायों (सेगमेन्टस) के अलग-अलग आंकड़े रखना आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) प्राप्त सुझावों पर 12वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए गठित कार्य-दल द्वारा विचार किया गया है और कार्यदल की अनुशंसाओं पर आधारित संशोधनों को योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।

रेल संपर्क

1471. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अब तक रेल मार्ग से नहीं जुड़े राज्यों के नाम क्या हैं तथा इसके कारण क्या हैं;

(ख) क्या रेलवे ने इस संबंध में कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग): मेघालय और सिक्किम को छोड़कर सभी राज्य रेल द्वारा जुड़े हुए हैं।

इन दो राज्यों तक भी रेल संपर्क मुहैया कराने के लिए, रेलवे ने मेघालय में 3 नई लाइन परियोजनाओं (1). दुधनोई-मेंदीपाथर (19. 75 कि.मी.) और तेतेलिया-बर्नीहाट (21.5 कि.मी.) और बर्नीहाट-शिलांग (108.4 कि.मी.) और सिक्किम में एक नई परियोजना यथा सिवोक-रांगपो (44.39 कि.मी. का निर्माण शुरू कर दिया है।

रेलवे के खाली पड़े क्वार्टर

1472. श्री कौशलेन्द्र कुमार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रेलवे के कुल कितने क्वार्टर हैं और देश में विशेषकर दिल्ली क्षेत्र में रेलवे के टाइपवार एवं जोनवार कितने क्वार्टर खाली पड़े हैं;

(ख) ये क्वार्टर कब से खाली पड़े हैं तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) इन क्वार्टरों को इतनी लंबी अवधि से खाली होने के कारण रेलवे को हो रही राजस्व की हानि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) ऐसे खाली पड़े क्वार्टरों को रहने योग्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं ताकि इन्हें पात्र कर्मचारियों को आवंटित किया जा सकें?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) क्वार्टरों की संख्या और खाली क्वार्टरों का जोन-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। दिल्ली क्षेत्र में लगभग 11270 अदद क्वार्टर हैं, जिसमें से लगभग 804 अदद क्वार्टर इस समय खाली हैं।

(ख) से (घ) क्वार्टरों का खाली होना, उनकी मरम्मत एवं उनका आवंटन एक सतत प्रक्रिया है। रेल, राजस्व सृजन के उद्देश्य से क्वार्टरों का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि परिशासनिक अनिवार्यताओं के कारण रेल कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सक्षम बनाने के लिए करती हैं।

इनसें से अधिकांश क्वार्टरों का निर्माण उस समय प्रचलित मानदंडों के अनुसार काफी समय पहले किया गया था। क्वार्टरों का चरणबद्ध आधार पर सुधार किया जाता है, जिन्हें रहने योग्य बनाया जा सकता है, जबकि शेष क्वार्टरों को, जो सुरक्षित नहीं हैं, परित्यक्त कर दिया जाता है और निर्धारित कार्यपद्धति के अनुसार उनका समुचित रूप से निपटान कर दिया जाता है।

क्वार्टरों की मरम्मत और उनका सुधार एक सतत गतिविधि है और संबंध में निर्माण निधियों की उपलब्धता के अनुसार चरणबद्ध आधार पर प्रतिवर्ष किए जाते हैं।

विवरण

क्वार्टरों की संख्या और खाली पड़े क्वार्टरों का जोन-वार ब्यौरा

(दिसंबर, 2011 को)

रेलवे जोन	रेलवे क्वार्टरों की कुल संख्या	खाली पड़े हुए रेलवे क्वार्टरों की संख्या
1	2	3
मध्य	43019	3762
पूर्व	37229	5637
पूर्व मध्य	45272	626
पूर्व तट	25043	3626
उत्तर	75867	3047
उत्तर मध्य	26266	1058
पूर्वोत्तर	27015	663
पूर्वोत्तर सीमा	53234	4163
उत्तर पश्चिम	31524	2573
दक्षिण	29276	2920
दक्षिण मध्य	34203	2343
दक्षिण पूर्व मध्य	23284	2584
दक्षिण पश्चिम	14404	1359
पश्चिम	51716	4234
पश्चिम मध्य	27518	1116
मेट्रो	645	0
कुल	593821	43681

ग्रामीण विकास योजनाओं में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

1473. श्री दत्ता मेघे:
डॉ. संजय जायसवाल:
श्री महाबल मिश्रा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश, विशेषकर बिहार में, ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में गैर-सरकारी संगठनों को लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार उक्त गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए कार्य तथा उन्हें आबंटित धनराशि व उसके व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन कार्यो की निगरानी की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन कार्यों में कोई अनियमिताएं पाई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ङ): जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

[अनुवाद]

1474. श्री ए. के. एस. विजयन:
योगी आदित्य नाथ:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जोन-वार और खंड-वार कुल कितनी लम्बी रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है तथा कुल कितनी लम्बी रेल लाइनों का विद्युतीकरण कर दिया गया है;

(ख) देश में विशेषकर तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में चल रहे विद्युतीकरण कार्यों की वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी जोन-वार, खंड-वार ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) चल रहे उक्त कार्यों को पूरा करने में तेजी लाने के लिए तथा देश में शेष रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) 01.04.2011 को विद्युतीकृत मार्ग किलोमीटर की जोनवार स्थिति निम्नानुसार है:

क.सं.	राज्य	आने वाले जोन	विद्युतीकृत मार्ग किमी	गैर-विद्युतीकृत मार्ग किमी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	दक्षिण, दक्षिण मध्य, दक्षिण पश्चिम, पूर्व तट	2586	2655
2.	बिहार	पूर्वोत्तर, पूर्व मध्य, पूर्व	1104	2464
3.	छत्तीसगढ़	दक्षिण पूर्व मध्य, पूर्व तट	861	325
4.	दिल्ली	उत्तर	139	44
5.	गुजरात	पश्चिम, उत्तर पश्चिम	743	4256
6.	हरियाणा	उत्तर, उत्तर मध्य, उत्तर पश्चिम	413	1140
7.	हिमाचल प्रदेश	उत्तर	25	271
8.	जम्मू और कश्मीर	उत्तर	37	219
9.	झारखंड	पूर्व, पूर्व मध्य, दक्षिण पूर्व	1591	410
10.	कर्नाटक	मध्य, दक्षिण मध्य, दक्षिण पश्चिम	203	2870
11.	केरल	दक्षिण	579	471
12.	मध्य प्रदेश	पश्चिम, दक्षिण पूर्व मध्य, पश्चिम मध्य, मध्य, उत्तर मध्य, पूर्व मध्य, पश्चिम मध्य	2154	2794

1	2	3	4	5
13.	महाराष्ट्र	मध्य, दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व मध्य, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम	2065	3536
14.	ओडिशा	पूर्व तट, दक्षिण पूर्व मध्य, दक्षिण पूर्व	1461	925
15.	पंजाब	उत्तर पश्चिम, उत्तर, उत्तर मध्य, पश्चिम मध्य, उत्तर	527	1606
16.	पुडुचेरी	दक्षिण	11	0
17.	राजस्थान	पश्चिम, उत्तर पश्चिम	642	5138
18.	तमिलनाडु	दक्षिण, दक्षिण मध्य, दक्षिण पश्चिम	1427	2634
19.	उत्तर प्रदेश	उत्तर, उत्तर मध्य, पूर्वोत्तर, पश्चिम मध्य, पूर्व मध्य	2498	6228
20.	उत्तराखंड	उत्तर, पूर्वोत्तर	52	293
21.	पश्चिम बंगाल	पूर्व, दक्षिण पूर्व, पूर्वोत्तर सीमा	1916	1974
22.	अन्य राज्य	पूर्वोत्तर सीमा	...	2687
	जोड़		21034	42940

(ख) तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित देश में रेल लाइनों की चालू विद्युतीकरण की जोनवार, खंडवार और वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

विद्युतीकरण परियोजनाओं की चालू रेल परियोजनाएं

क.सं.	राज्य	क्षेत्रीय रेलवे	परियोजना का नाम (एवं स्वीकृति का वर्ष)	मार्ग किलोमीटर जोड़	01.04.2011 को शेष मार्ग किमी 01.04. 2011
1	2	3	4	5	6
1.	महाराष्ट्र	मध्य	पुंतांबा-शिर्डी सहित दौंड मनमाड़ (2010-11)	255	255
2.	पश्चिम बंगाल	पूर्व	कृष्णनगर-शांतिपुर-नबद्वीपघाट आमान परिवर्तन सहित (2001-02/2007-08)	27	27

1	2	3	4	5	6
3.	पश्चिम बंगाल	पूर्व	आमान परिवर्तन सहित बर्दवान - कटवा (2007-08)	52	52
4.	पश्चिम बंगाल/ झारखंड	पूर्व	खाना-सैंथिया सहित पांडबेश्वर-सैंथिया-पाकुर (2010.11)	205	205
5.	उत्तर प्रदेश/ बिहार	पूर्वोत्तर, पूर्व मध्य	बाराबंकी-बरौनी-गुवाहाटी के चरण-I के रूप में सीवान-थावे सहित बाराबंकी - गोंडा-गोरखपुर (2007-08)	757	305
6.	बिहार, पश्चिम बंगाल/ असम	पूर्व मध्य, पूर्वोत्तर सीमा	कटिहार-बरसोई सहित बरौनी-कटिहार-गुवाहाटी (2008-09)	836	821
7.	ओडिशा	पूर्व तट	अंगुल-सुकिंदा (रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ नई लाइन (आरवीएनएल) (1997-98)	99	99
8.	ओडिशा	पूर्व तट	हरिदासपुर-पाराद्वीप (आरवीएनएल के साथ नई लाइन 1996-97)	82	82
9.	ओडिशा	पूर्व तट	दैतारी-बांसपानी (आरवीएनएल के साथ नई लाइन - 1992-93)	155	05
10.	ओडिशा/ छत्तीसगढ/ आंध्र प्रदेश	पूर्व तट	विजयनगरम-रायगडा-टिटलागढ़-रायपुर (2011-12)	465	465
11.	हरियाणा/पंजाब	उत्तर	चंडीगढ़-लुधियाना (नई लाइन सहित 2005-06)	112	69
12.	दिल्ली/उत्तर प्रदेश	उत्तर	लोनी-दिल्ली शाहदरा (यातायात सुविधाओं के साथ पूरक 2008-09)	10	10
13.	हरियाणा/पंजाब	उत्तर	रोहतक-भटिंडा-लेहरा मुहब्बत (2010-11)	252	252
14.	उत्तर प्रदेश	उत्तर	गाजियाबाद-मुरादाबाद (2010-11)	140	140
15.	उत्तर प्रदेश	उत्तर	फाफामऊ-प्रयाग-इलाहाबाद सहित वाराणासी-जंघई-ऊंचाहार (2008-09)	207	207

1	2	3	4	5	6
16.	पंजाब/ हिमाचल प्रदेश/जम्मू एवं कश्मीर	उत्तर	जालंधर-जम्मूतवी-बारामूला के चरण-I के रूप में जम्मूतवी-उधमपुर सहित जालंधर-जम्मू तवी (2007-08) दोहरीकरण का कार्य भी प्रगति पर है	275	137
17.	उत्तर प्रदेश	उत्तर, पूर्वोत्तर	रोजा - सीतापुर - बुरहवल	181	181
18.	दिल्ली/ हरियाणा	उत्तर	शकूरबस्ती-रोहतक (2007-08)	60	3
19.	उत्तर प्रदेश	उत्तर	मुरादाबाद-लखनऊ-उतरेतिया (2005-06)	348	37
20.	उत्तर प्रदेश	उत्तर	उतरेतिया-सुल्तानपुर-मुगलसराय (2006-07)	297	66
21.	उत्तर प्रदेश	उत्तर	गाजियाबाद-मेरठ सहित खुर्जा-मेरठ-सहारनपुर (1996-97/ मार्च 2007)	254	49
22.	उत्तर प्रदेश	उत्तर मध्य, पूर्वोत्तर	ऐट-कोंच एवं कानपुर अनवरगंज-कल्याणपुर सहित झांसी-कानपुर (2008-09)	241	154
23.	उत्तर प्रदेश/ राजस्थान	उत्तर मध्य	मथुरा-अलवर (2010-11)	121	121
24.	राजस्थान	उत्तर पश्चिम	अलवर-रेवाड़ी (2011-12)	82	82
25.	राजस्थान	उत्तर पश्चिम	रेवाड़ी-मनहेरू (दोहरीकरण सहित 2011-12)	69	69
26.	तमिलनाडु	दक्षिण	आमान परिवर्तन सहित वेल्लोर-विल्लुपुरम (आमान परिवर्तन का सामग्री आशोधन दिसंबर, 2008)	141	119
27.	कर्नाटक/ आंध्र प्रदेश	दक्षिण मध्य, दक्षिण पश्चिम	येलहंका-धर्मावरम-गुटी (2010-11)	306	306
28.	केरल/ कर्नाटक	दक्षिण	शोराणुर-मंगलोर-पेनांबुर (2010-11)	328	328
29.	तमिलनाडु	दक्षिण	मदुरै-तूतीकोरिन-नागरकोइल (2008-09)	262	156
30.	केरल/ तमिलनाडु	दक्षिण	एरणाकुल-त्रिवेंद्रम के सामग्री आशोधन के रूप में त्रिवेंद्रम-कन्याकुमारी (87 मार्ग किमी) (फरवरी 2007)	87	02

1	2	3	4	5	6
31.	आंध्र प्रदेश/ कर्नाटक	दक्षिण मध्य	लिंगमपल्ली-वाडी (2006-07)	161	26
32.	आंध्र प्रदेश	दक्षिण मध्य	नांदलुर-गुंटकल (आरवीएनएल सहित 2000-01) दोहरीकरण कार्य भी प्रगति पर है	222	102
33.	आंध्र प्रदेश	दक्षिण मध्य	ओबुलावरीपल्ले-कृष्णपटनम (आरवीएनएल द्वारा नई लाइन 2006-07)	113	85
34.	आंध्र प्रदेश	दक्षिण मध्य	विजयवाड़ा- गुडिवाडा- भीमावरम- निदादावोलु और गुडिवाडा- मछलीपटनम और भीमवरम- नरसापुर (दोहरीकरण सहित 2011-12)	221	221
35.	आंध्र प्रदेश कर्नाटक/ महाराष्ट्र	दक्षिण मध्य, मध्य	पुणे-वाडी-गुंटकल (आरवीएनएल द्वारा विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण, 2009-10 - एडीबी वित्तपोषण)	641	641
36.	पश्चिम बंगाल	दक्षिण पूर्व	तामलुक-दीघा (नई लाइन कार्य के सामग्री आशोधन के रूप में 2009)	94	94
37.	महाराष्ट्र	दक्षिण पूर्व मध्य	गोंदिया-बल्लारशाह (2010-11)	250	250
38.	कर्नाटक	दक्षिण पश्चिम	केंगेरी-मैसूर (बंगलोर-मैसूर दोहरीकरण का सामग्री आशोधन, फरवरी 2010)	126	117
39.	कर्नाटक	दक्षिण पश्चिम	बंगारपेट-मुरिकुम्प्पम (बंगलोर क्षेत्र के विद्युतीकरण के सामग्री आशोधन के रूप में मई, 2010)	22	14
40.	गुजरात	पश्चिम	भरूच-सामनी-दाहेज (आरवीएनएल द्वारा आमान परिवर्तन सहित 2005-06)	62	42
41.	मध्य प्रदेश	पश्चिम	उज्जैन-इंदौर एवं देवास - मक्सी (2006-07)	116	01
42.	गुजरात	पश्चिम	मियांगाम-दभोई-समलया (दोहरीकरण सहित 2011-12)	96	96
			जोड़	8830	6493

(ग) सभी चालू रेल विद्युतीकरण परियोजनाओं को 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूरा करने की योजना बनाई गई है। बहरहाल, यह मार्ग की लंबाई, स्थानीय विषमताओं और अन्य संबंधित कार्यों जैसे यार्ड की पुन:संरचना, दोहरीकरण और संसाधनों की उपलब्धता के अध्ययनधीन है। टर्न की ठेकों सहित रेलपथों का शीघ्र विद्युतीकरण करने, निर्माण कार्यों के लिए नई एजेंसियों को शामिल करने और निर्माण में बेहतर परियोजना निगरानी तंत्र के लिए प्रयास किए गए। जहां तक शेष रेल लाइनों के विद्युतीकरण का संबंध है, रेलपथों के विद्युतीकरण का निर्णय वित्तीय व्यवहार्यता, यातायात घनत्व और परिचालनिक व्यवहार्यता के आधार पर लिया जाता है।

पीएमजीएसवाई का दसवां चरण

[हिन्दी]

1475. श्री राजू शेट्टी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के दसवें चरण महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के लिए कार्य को मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत परियोजनाएं मंजूर करना एक सतत प्रक्रिया है और विभिन्न चरणों में कार्यान्वित किया जाता है। राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त होते ही राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआडीए) द्वारा कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के प्रावधान के अनुसार इसकी जांच की जाती हैं। एनआरआरडीए द्वारा जांच के बाद प्रस्ताव अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं और इसकी सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जातें हैं। सामान्यत: किसी राज्य के लिए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत चरणों की संख्या प्रति वर्ष स्वीकृत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर दी जाती है और इसीलिए विभिन्न राज्यों के लिए चरणों की यह संख्या अलग-अलग होती हैं।

12 जून, 2009 की एडवाजरी के अनुसार केवल निम्नलिखित श्रेणी के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(क) भारत निर्माण के चरण-1 अंतर्गत परिकल्पित शेष नया सड़क संपर्क

(ख) विश्व बैंक और एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों बैंक की सहायता से शुरू की जाने वाली परियोजनाएं

(ग) अभिज्ञात एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में नई बसावटों के सड़क-संपर्क

(घ) सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए घोषित विशेष सड़क संपर्क पैकेज

तदनुसार, कुछ राज्यों के प्रस्ताव वापस कर दिए गए हैं। तथापि, परिपत्र सं. 2/2012 (विवरण के रूप में संलग्न प्रति) के माध्यम से 15 फरवरी, 2012 को एडवाजरी में लोचनीयता दी गई है

विवरण

सं. पी-170/25/6/12010-आरसी
भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली-1
दिनांक: 15 फरवरी, 2012

विषय: पीएमजीएसवाई के अंतर्गत पात्र बसावटों के लिए नई संपर्कता के प्रस्ताव।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत प्रस्तावों के विषय में परामर्शी पत्र दिसम्बर एच–12013/1/2009–आरसी दिनांक 12 जून, 2009 तथा उसमें रियायत देते हुए 12 रिआयतें उपलब्ध कराना है।

2. यह भी स्मरण होगा कि उपर्युक्त परामर्शी दिनांक 12 जून, 2009 के अनुसार पीएमजीएसवाई के अंतर्गत केवल निम्नलिखित क्षेणी के प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु विचार किया जाएगा:

(क) भारत निर्माण के चरण-I के अंतर्गत विचारित अवशिष्ट नई संपर्कता को शामिल करना।

(ख) विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक की सहायता से शुरू की जाने वाली परियोजनाएं।

(ग) पहचान किए गए 33 वामपंथी उगवाद (एल डब्ल्यू ई) प्रभावित जिलों में नई बसावट संपर्कता।

(घ) सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए विशेष सड़क संपर्कता पैकेज की घोषणा।

ऊपर (ग) पर दिए अनुसार पहचान किए गए 33 वामपंथी उगवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों को दी गई रिआयतें एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) के अंतर्गत सम्मिलित किए गए 60 चुने गए

जनजाति एवं पिछड़े जिलों को दी गई थी। जिस हेतु 250 एवं अधिक की जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार) वाली संपर्कविहीन पात्र बसावटों के लिए पई संपर्कता के प्रस्तावों पर पहले से विचार किया जा रहा है।

3. उपर्युक्त क्षेणियों के प्रस्तावों की स्वीकृति में की गई प्रगति के दृष्टिगत उपर्युक्त परामर्शी दुबारा की गई थी तथा परिपत्र एवं एक व्यापक प्रक्रिया द्वारा प्रस्ताव भेजने हेतु और रिआयत दी जा रही है को आगे के पैराओं में सम्मिलित किया गया है।

4. मैदानी क्षेत्रों में 500 या अधिक (2001 की जनगणना के अनुसार) की जनसंख्या वाली तथा पहाड़ी राज्यों (उत्तर–पूर्व, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड) मरुस्थल क्षेत्रों (जैसा कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम में पहचान की गई है) तथा एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) के अंतर्गत सम्मिलित चुने गए 60 जनजाति तथा पिछड़े जिलों के अलावा जनजाति (अनुसूची-V) क्षेत्रों में पात्र संपर्कविहीन बसावटों के लिए प्रस्तावों पर विचार करने के लिए निम्नलिखित कार्य प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

(i) मैदानी क्षेत्रों के संबंध में:

(क) वह राज्य जो इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुतत करते हैं कि उन्होंने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत अपनी 1,000 अथवा अधिक की आबादी (2001 की जनगणना के अनुसार) वाली 90% से अधिक संपर्कविहीन पात्र बसावटों का कार्य सौंप दिया है वह 800-999 के बीच की जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार) वाली अपनी संपर्कविहीनता पात्र बसावटों के प्रस्ताव भेज सकते हैं।

(ख) एक बार यदि पीएमजीएसवाई के अंजर्गत 800–999 के बीच की जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार) वाली 90% से अधिक संपर्कविहीन पात्र बसावटों का कार्य सौंप दिया जाता है तो राज्य ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके अपनी 600–799 के बीच की जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार) वाली संपर्कविहीन पात्र बसावटों के प्रस्ताव भेज सकते हैं।

(ग) एक बार यदि पीएमजीएसवाई के अंजर्गत 600–799 के बीच की जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार) वाली 90% से अधिक संपर्कविहीन पात्र बसावटों का कार्य सौंप दिया जाता है तो राज्य ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके अपनी 500–599 की जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार) वाली संपर्कविहीन पात्र बसावटों के प्रस्ताव भेज सकते हैं।

(ii) पहाड़ी राज्यों (उत्तर-पूर्व, सिक्किम, हिमाचल, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड), मरुस्थल क्षेत्र (जैसा कि मरुस्थल विकास में पहचान की गई है) तथा एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) के अंतर्गत सम्मिलित चयनित जनजातीय तथा पिछड़े जिलों के अलावा जनजाति (अनुसूची-V) क्षेत्रों के संबंध में।

(क) वह राज्य जो इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुतत करते हैं कि उन्होंने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत अपनी 500 अथवा अधिक की आबादी (2001 की जनगणना के अनुसार) वाली 90% से अधिक संपर्कविहीन पात्र बसावटों का कार्य सौंप दिया है वह 400-499 के बीच की जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार) वाली अपनी संपर्कविहीनता पात्र बसावटों के प्रस्ताव भेज सकते हैं।

(ख) एक बार यदि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 400–499 के बीच की जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार) वाली 90% से अधिक संपर्कविहीन पात्र बसावटों का कार्य सौंप दिया जाता है तो राज्य ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके अपनी 300–399 के बीच की जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार) वाली संपर्कविहीन पात्र बसावटों के प्रस्ताव भेज सकते हैं।

(ग) एक बार यदि पीएमजीएसवाई के अंजर्गत 300–399 के बीच की जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार) वाली 90% से अधिक संपर्कविहीन पात्र बसावटों का कार्य सौंप दिया जाता है तो राज्य ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके अपनी 250–299 की जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार) वाली संपर्कविहीन पात्र बसावटों के प्रस्ताव भेज सकते हैं।

पैरा 4 (i) तथा (ii) में अपेक्षित किये अनुसार कार्यों का प्रतिशत परिकलित करते समय छोड़ दिये गये कार्य, अन्य परियोजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित किये गये कार्य, एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) में सम्मिलित किए गए चयनित जनजाति तथा पिछड़े जिलों में कार्य, अदालती मामलों के कारण पूर्ण नहीं होने, वन विभाग से स्वीकृति, चरण-I स्वीकृतियां तथा किसी अन्य विशिष्ट कारण से (कारण दर्शाया जाये) पूर्ण होने को लम्बित पड़े कार्यों को कुल स्वीकृत कार्यो से घटा दिया जाये। जिन राज्यों में ऊपर पेरा 4 (i) तथा (ii) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रे हैं वह उपर्युक्त दोनों क्षेणियों के अंतर्गत संबद्ध प्रमाण पत्रों सहित अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं।

5. अनुबंध के अनुसार प्रस्तावों के साथ निम्नलिखित सूचना प्रपत्र में भरकर भेजी जानी चाहिए।

(i) अनुबंध के भाग 'क' के अनुसार अप्रैल 2011 से अंतिम तिमाही तक किए जा चुके तथा अपेक्षित एसक्यूएम निरीक्षणों की संख्या।

(ii) अनुबंध के भाग 'ख' के अनुसार 2010-11 के दौरान तथा बद के वर्षों में अनुरक्षण हेतु अपेक्षित, एसआरआरडीए के बैंक लेखे में जमा की गई राशि तथा एसआरआरडीए द्वारा किये गये वास्तविक खर्च संबंध में सूचना।

(iii) अनुबंध के भाग 'ग' के अनुसार 12 महीने पहले समाप्त हुई अवधि तक कुल स्वीकृत कार्यों में से पूर्ण की ग गई सड़कों के ब्यौरे (जिनमें छोड़ दिये गयेए कार्य, अन्य परियोजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित किए गए कार्य, एकीकृत कार्य अदालती मामलों के वन विभाग से स्वीकृत, चरण-I स्वीकृतियां तथा किसी अन्य विशिष्ट कारण से (कारण दिया जाए) छोड़े गये कार्य सामिल नहीं हैं।

6. सड़क बसावट और व्यय से संबंधित सभी आँकड़े ओएमएमएएस से मिलने चाहिए जिनका तदनुसार प्रक्रिया विधि के अनुसार अद्यतनीकरण किया जा सकता है।

7. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(एस. आर. मीणा)
निदेशक (आरसी)

संलग्न: उपर्युक्त अनुबंध के अनुसार
सेवा में पीएमजीएसवाई से संबद्ध सभी प्रधान सचिव/सचिव

संपूर्ण स्वच्छता अभियान की कवरेज

[अनुवाद]

1476. श्री मनोहर तिरकी:
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सिक्किम एवं प. बंगाल सहित उन जिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां वर्तमान में संपूर्ण स्वच्छता (टीएससी) चल रहा है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इन राज्यों को सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कुछ और जिलों को शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे समावेश के लिए अपनाए गए मानदंड सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) सिक्किम और पश्चिम बंगाल सहित देश में ऐसे राज्यों का ब्यौरा जहां वर्तमान संपूर्ण स्वच्छता अभियान प्रचालन में है, का ब्यौरा संलग्न I में दिया गया है।

(ख) टीएससी एक मांग जनित परियोजना आधारित कार्यक्रम है। राज्यों को कोई वार्षिक आवंटन नहीं किया गया है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान टीएससी के अंतर्गत राज्यों को रिलीज की गई केन्द्रीय निधि का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) टीएससी एक मांग जनित परियोजना आधारित कार्यक्रम है जिसमें जिले को इकाई के रूप में लिया जाता है। इसे देश के सभी ग्रामीण जिलों को कवर करने के लिए चलाया जा रहा है तथा वर्तमान में यह 607 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। शेष ग्रामीण जिलों से यह उम्मीद की जाती है कि वे टीएससी दिशानिर्देशों के अनुसार अपने परियोजना प्रस्तावों को मंत्रालय के विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे।

विवरण I

राज्य-वार स्वीकृत टीएससी परियोजनाओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	22
2.	अरूणाचल प्रदेश	16
3.	असम	26
4.	बिहार	38
5.	छत्तीसगढ़	16
6.	दादरा एवं नगर हवेली	1

1	2	3
7.	गोवा	2
8.	गुजरात	25
9.	हरियाणा	20
10.	हिमाचल प्रदेश	12
11.	जम्मू और कश्मीर	21
12.	झारखंड	24
13.	कर्नाटक	29
14.	केरल	14
15.	मध्य प्रदेश	50
16.	महाराष्ट्र	33
17.	मणिपुर	9
18.	मेघालय	7
19.	मिजोरम	8
20.	नागालैंड	11
21.	ओडिशा	30
22.	पुडुचेरी	1
23.	पंजाब	20
24.	राजस्थान	32
25.	सिक्किम	4
26.	तमिलनाडु	29
27.	त्रिपुरा	4
28.	उत्तर प्रदेश	71
29.	उत्तराखंड	13
30.	पश्चिम बंगाल	19
	कुल	607

विवरण II

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार की गई केन्द्रीय रिलीज का ब्यौरा

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12(फरवरी, 2012 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1391.81	11078.44	14218.46	9657.28
2.	अरूणाचल प्रदेश	1530.16	404.97	119.26	102.44
3.	असम	8310.66	6729.84	9437.36	6125.59
4.	बिहार	7150.57	9046.72	11259.76	17219.09
5.	छत्तीसगढ़	1144.14	5018.42	5479.58	2702.42
6.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
7.	गोवा	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
8.	गुजरात	978.81	3036.91	4692.36	2154.29
9.	हरियाणा	1069.09	718.15	2361.49	335.27
10.	हिमाचल प्रदेश	778.76	1017.74	2939.78	469.57
11.	जम्मू और कश्मीर	1115.82	332.9	2792.51	967.95
12.	झारखंड	3188.2	3941.66	5466.98	3632.46
13.	कर्नाटक	3176.18	5571	4458.66	4354.64
14.	केरल	388.99	975.45	2286.34	158.89
15.	मध्य प्रदेश	9767.83	9987.48	14402.6	15076
16.	महाराष्ट्र	3526.29	9894.05	12911.7	5799.94
17.	मणिपुर	99.83	1177.54	80.3	698.5
18.	मेघालय	578.3	1378.78	3105.23	557.86
19.	मिजोरम	694.27	412.98	653.4	31.38
20.	नागालैंड	99.78	1059.27	1229.45	174.06
21.	ओडिशा	7204.33	5031.55	6836.73	11171.7
22.	पुडुचेरी	0	0	0	0
23.	पंजाब	223.18	116.02	1116.39	283.18
24.	राजस्थान	2516.85	4352.64	5670.74	3443.79
25.	सिक्किम	254.86	0	112.86	0
26.	तमिलनाडु	473.31	6166.18	7794.35	7662.06
27.	त्रिपुरा	158.76	836.66	925.14	133.92
28.	उत्तर प्रदेश	38284.24	11579.77	22594	16920.72
29.	उत्तराखंड	861.89	773.98	1707.61	402.38
30.	पश्चिम बंगाल	3047.06	3246.26	8327.5	14124.34
	कुल	98013.97	103885.36	152980.54	124359.72

राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना

1477. श्री अम्बिका बनर्जी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना (एनसीपीपी) शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो एनसीपीपी की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस परियोजना का चरण-वार ब्यौरा क्या है तथा तत्संबंधी अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) केन्द्र एवं राज्य सरकारों सहित वित्त पोषण एजेंसियों के अंशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प. बंगाल एवं अन्य तटवर्ती राज्यों द्वारा धनराशि के कितने अंश की पूर्ति की जाएगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जल संसाधन मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना (एनसीपीपी) तैयार करने की संभावना का पता लगाने के मद्देनजर गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में ब्यौरा एकत्र करने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी तथा इसे बाह्य सहायता से प्रारंभ कर रहा है।

(ख) महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा राज्यों हेतु एक स्थायी तटीय सुरक्षा एवं प्रबन्धन परियोजना तैयार करने के लिए एक मिलियन अमरीकी डॉलर के एडीवी अनुदान से एक परियोजना निरूपण तकनीकी सहायता (पीपीटीए) प्रदान करना प्रारंभ किया गया तथा एडीबी द्वारा नियुक्त परामर्शदाताओं द्वारा पूरा किया गया था। पीपीटीए की अंतिम रिपोर्ट मई, 2009 में पूरी की गई थी।

(ग) महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा राज्यों के लिए एशियन डेवेलपमेंट बैंक के साथ 30 अगस्त 1 सितंबर, 2010 तक 250 मिलियन अमरीकी डालर की राशि (कुल परियोजना लागत 404.6 मिलियन अमरीकी डालर) हेतु एक बहु-क्षेत्रीय वित्त सुविधा (एमएफएफ) हेतु स्थायी तटीय सुरक्षा एवं प्रबंधन निवेश कार्यक्रम पर विचार विमर्श किया गया था। इस सुविधा को तीन अथवा अधिक क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाएगा।

(घ) राज्य सरकारों का हिस्सा 119.8 मिलियन अमरीकी डालर है (महाराष्ट्र: 51.196 मिलियन अमरीकी डालर, कर्नाटक: 54.941 अमरीकी मिलियन डालर तथा गोवा: 13.693 मिलियन अमरीकी डालर) अर्थात् 29.6 प्रतिशत है। बकाया राशि को निजी क्षेत्र सहित अन्य स्रोतों से पूरा किया जाएगा। परियोजना के ट्रैंच - 1 (एलएन 2679-आईएनडी) पर महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के लिए 51.5 मि. अमरीकी डालर एडीबी ऋण (महाराष्ट्र: 10.5 मिलियन अमरीकी डालर तथा कर्नाटक: 41.0 मिलियन अमरीकी डालर) सहित 62.7 मिलियन अमरीकी डालर की कुल अनुमानित लागत हेतु 17 अगस्त 2011 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस ट्रैंच के अंतर्गत राज्य सरकारों का हिस्सा 17.7% है। एमईएफ का (क) किनारे पर सतत योजनाओं और प्रबंधन (ख) तटीय कटाव तथा अस्थिर कमी तथा (ग) तटीय योजना एवं विकास हेतु क्षमता विकास के लिए एक वित्तीय घटक के रूप में उपयोग किया जाना अभिप्रेत है।

(ङ) पश्चिम बंगाल राज्य सतत तटीय सुरक्षा तथा प्रबंधन निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है।

देश में आमान परिवर्तन

1478. श्री रमेन डेका:
श्री कमल किशोर 'कमांडो':
श्री संजय धोत्रे:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्री हेमानन्द बिसवाल:
श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण:
श्री एम.बी. राजेश:
श्री एम.के. राघवन:
श्री शिवकुमार उदासी:
श्री एस. पक्कीरप्पा:
श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री खगेन दास:
श्री रूद्रमाधव राय:
श्री गणेश सिंह:
श्री राजेन्द्र सिंह राणा:
श्रीमती रमा देवी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जारी आमान परिवर्तन कार्यों की वर्तमान स्थिति का जोन-वार तथा खंड-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) मंजूरी के बावजूद उन मार्गों का जोन-वार जहां आमान परिवर्तन कार्य आरंभ नहीं किया गया है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) रेलवे द्वारा उन चल रहे कार्य को शीघ्र एवं निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) उन कार्यों के लिए आवंटित/खर्च की गई धनराशि का जोन-वार एवं खंड-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महिला स्व सहायता समूह

1479. श्री संजय भोई:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री आनन्द प्रकाश परांजपे:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महिला स्व सहायता समूह, जो समाज का सबसे वंचित वर्ग है, को 10 से 13 प्रतिशत ब्याज दर से बैंक ऋण प्रदान किया जाता है जो किसानों को लघु अवधि ऋण पांच प्रतिशत पर उपलब्ध कराने की तुलना में बहुत ज्यादा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मुद्दे को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) बैंकों को कार्यात्मक स्वायत्तता प्राप्त है और इसीलिए उनके बोर्ड आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार ब्याज दर तय करते हैं। भारत सरकार वर्ष 2006-07 से इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के जरिए किसानों को फसल ऋणों पर ब्याज सब्सिडी इस प्रकार प्रदान कर रही है कि किसानों को व्यक्तिगत स्तर पर 3 लाख रू. तक के अल्पावधिक फसल ऋण 7% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त अल्पावधिक फसल ऋण समय पर अदा कर देने वाले किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त सबवेंशन वर्ष 2009-10 से दी जा रही है। वर्ष 2011-12 में अतिरिक्त सबवेंशन 3 प्रतिशत है। अत: समय पर ऋण अदा करने वाले किसानों के लिए ब्याज दर 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष है।

(ग) और (घ) वर्ष 2012-13 के बजट भाषण में यह प्रस्ताव किया गया है कि 3 लाख रू. तक के ऋण लेने वाले महिला स्व-सहायता समूहों को वार्षिक 7 प्रतिशत की ब्याज सबवेंशन और समय पर ऋण अदा करने वाले महिला स्व-सहायता समूहों को अतिरिक्त 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज सबवेंशन दी जाए, जिससे प्रभावी ब्याज दर कम होकर 4 प्रतिशत रह जाए। पहले चरण में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों सहित 150 जिलों की चुनिंदा 600 ब्लॉकों में यह पहल शुरू की जाएगी।

मनरेगा के अंतर्गत लेखापरीक्षा

1480. श्री बाल कुमार पटेल:
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत जारी धनराशि की लेखापरीक्षा करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मनरेगा के अंतर्गत लेखों की अनिवार्य लेखापरीक्षा करने के लिए नियम बनाने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) मनरेगा की निगरानी हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) ये लेखापरीक्षा केन्द्र सरकार को कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) और (ङ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) के अंतर्गत वित्तीय लेखा-परीक्षा अनिवार्य है। पिछले वर्ष के संबंध में लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, यदि देय हो, और उपलब्ध निधियों में से कम से कम 60 प्रतिशत निधियों का उपयोग दर्शाने वाले उपयोग प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज प्राप्त हो जाने पर ही केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां रिलीज करती है। इस अधिनियम की धारा 24 के अनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से केंद्र सरकार सभी स्तरों पर योजनाओं के खातों की लेखा-परीक्षा के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं निर्धारित कर सकती है। तदनुसार, सीएजी के परामर्श से मंत्रालय ने

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं की लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 अधिसूचित कर दी है। विनिर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर की जाने वाली लेखा-परीक्षा और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया एवं समयसीमाएं इन नियमों में निर्धारित की गई हैं।

(घ) महात्मा गांधी नरेगा सहित मंत्रालय के सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा की व्यापक प्रणाली मौजूद है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आवधिक प्रगति रिपोर्टें निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकें, क्षेत्रीय अधिकारी योजना, राष्ट्रीय स्तर पर निगरानीकर्ता और राज्य एवं जिला स्तरों पर सतर्कता एवं निगरानी समितियां शामिल हैं। विशिष्ट शिकायतों के मामलों में राष्ट्रीय स्तर के गिरानीकर्ता और क्षेत्रीय अधिकारी स्वतंत्र निगरानी और सत्यापन भी करते हैं। ऐसी समीक्षा बैठकों और दौनों के निष्कर्षों और निपोर्टो से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अवगत कराया जाता है, ताकि वे अनुवर्ती कार्रवाई कर सकें, क्योंकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपनी बनाई योजनाओं के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा का कार्यान्वयन करते हैं।

पवन ऊर्जा संयंत्र

1481. श्री संजय धोत्रे:
श्री मंगनी लाल मंडल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) द्वारा स्थापित पवन ऊर्जा संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश के अन्य भागों में ऐसे पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए अध्ययन किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसी इकाइयों की स्थापना में कितना व्यय होने की संभावना है; और

(ङ) ऐसी प्रत्येक इकाई से उत्पन्न संभावित ऊर्जा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) ने वर्ष 2008 में गुजरात (ग्राम जखाऊ, जिला कच्छ, गुजरात) में 51 मेगावाट की एक पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की है।

(ख) जी, हां। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्य में 102 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना को स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किए गए थे।

(ग) ओएनजीसी बोर्ड ने राजस्थान राज्य में 102 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इसके लिए निविदा की प्रक्रिया जारी है।

(घ) ऐसी इकाई की स्थापना में 650 करोड़ रुपये का खर्च होने का अनुमान है।

(ङ) ऐसी इकाइयों से प्रति 2081 लाख यूनिट ऊर्जा के उत्पादन का अनुमान है।

यूरिया संबंधी निवेश नीति

[हिन्दी]

1482. श्री विश्व मोहन कुमार:
श्री ए.टी. नाना पाटील:
श्री पोन्नम प्रभाकर:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री के. सुगुमार:
श्री ब्रजभूषण शरण सिंह:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरिया उत्पादन बढ़ाने संबंधी सरकार की 2008 की निवेश नीति निवेश आकर्षित करने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में 2011 में सचिवों की समिति गठित की गयी थी;

(घ) यदि हां, तो क्या समिति ने उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्षेत्र एवं ब्राउनफिल्ड परियोजना तथा मौजूदा संयंत्रों तथा सुविधाओं के विस्तार एवं नए संयंत्र की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहन राशि देने का सुझाव दिया है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त समिति की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(च) क्या सरकार ने ऊर्जा उत्पादक इकाइयों को प्रदान की जा रही राजसहायता तथा यूरिया के संबंध में नयी निवेश निति के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इसके यूरिया के मूल्य, राजसहायता बिल पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है तथा नीति के क्रियान्वयन के बाद यह किस तरीके से लाभप्रद होने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) सरकार ने यूरिया क्षेत्र में अधिक अपेक्षित

निवेश को आकर्षित करने के लिए इस क्षेत्र के लिए एक नई निवेश नीति को 4 सितंबर, 2008 को अधिसूचित किया था। इस नीति से मौजूदा संयंत्रों के पुनरूद्धार के द्वारा स्वदेशी यूरिया उत्पादन में लगभग दो मिलियन टन की वृद्धि हुई है। तथापि, पूर्व-निर्धारित मूल्य फार्मूला पर सरकार द्वारा घरेलू प्राकृतिक गैस की उपलब्धता पर प्रतिबद्धता की कमी के कारण संयंत्रों का विस्तार करना/ब्राउनफील्ड संयंत्र लगाना फलित नहीं हो सका। इसके अलावा, ग्रीनफील्ड इकाइयों को इन इकाइयों से यूरिया मूल्य के निर्धारण हेतु बोली प्रक्रिया से गुजरना होता था। यह महसूस किया गया कि ग्रीनफील्ड यूरिया परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें ब्राउनफील्ड/विस्तार इकाइयां माना जाना होगा और उन्हें आईपीपी व्यवस्था के दायरे में लाना होगा। यूरिया क्षेत्र में नया निवेश करने की इच्छुक कंपनियां सरकार से लाना या तो घरेलू गैस स्रोतों से पूर्व-निर्धारित नियत मूल्यों पर गैस का सुनिश्चित आवंटन करने या उद्योग को न्यूनतम मूल्यों पर पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराकर गैस के सुपुर्दगी मूल्य में वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली किसी अतिरिक्त देनदारी से उद्योग को संरक्षण प्रदान करने का लगातार अनुरोध कर रहीं हैं।

(ग) जी, हां। उर्वरक विभाग द्वारा 4 सितंबर, 2008 को अधिसूचित नई निवेश नीति में संशोधन करने के प्रस्ताव पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) की 5 जनवरी, 2011 को आयोजित बैठक में चर्चा की गई थी। मंत्रियों के समूह ने डॉ. सौमित्र चौधरी, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्देश दिया था जिसमें सचिव (उर्वरक), सचिव (व्यय), सचिव (डीएसी) और सचिव (पेट्रोलियम) सदस्य हों।

(घ) से (ज) उर्वरक नीति की समीक्षा के लिए गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने 24 फरवरी, 2012 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त समिति के प्रस्तावों, उर्वरक विभाग के सुझावों और उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार किया था। जीओएम ने यह निर्णय लिया था कि डॉ. सौमित्र चौधरी, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा सुझाए गए यूरिया क्षेत्र में नई निवेश नीति-2012 का, उर्वरक विभाग द्वारा यथा संशोधित प्रस्ताव, आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रीमंडल समिति (सीसीईए) के समक्ष प्रस्तुत किया जाए जो कुछ शर्तों के अधीन होंगी। प्रस्ताव उर्वरक विभाग के विचारधीन है।

गैर-सरकारी एयरलाइनों पर बकाया राशि

1483. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्री पी.के. बिजू:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में परिचालन कर रही गैर-सरकारी एयरलाइनों पर सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों की बकाया राशि की कंपनी-वार तथा एयरलाइन-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त गैर-सरकारी एयरलाइनों कंपनियों द्वारा भुगतान रोकने के कारण तेल कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन एयरलाइनों से निश्चित समय-सीमा में बकाया राशि वसूल करने के लिए तेल कंपनियों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) 29.02.2012 की स्थिति के अनुसार देश में प्रचालनरत निजी एयरलाइनों का सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को बकाया देय राशियों की कंपनी-वार तथा एयरलाइन-वार वर्तमान स्थिति निम्नवत है:

ओएमसी का नाम	एयरलाइन का नाम	29.02.2012 की स्थिति के अनुसार ब्याज सहित कुल बकाया (करोड़ रु. में)	29.02.2012 की स्थिति के अनुसार ब्याज सहित कुल अतिदेय (करोड़ रु. में)
1	2	3	4
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)	जेट एयरवेज	718.74	0.00
	किंगफिशर एयरलाइन्स	0.00	0.00
	गो एयरलाइन्स	54.16	0.00

1	2	3	4
	स्पाइस जेट	92.05	0.00
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	किंगफिशर एयरलाइन्स	0.00	0.00
	जेट एयरवेज	179.48	33.93
	गो एयरलाइन्स	1.95	1.95
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)	जेट एयरवेज	0.00	0.00
	किंगफिशर एयरलाइन्स	517.96	249.70
	पैरामाउण्ट	19.28	19.28

(ख) और (ग) जी हां। एचपीसीएल को किंगफिशर एयरलाइन्स द्वारा कम भुगतान किए जाने के कारण कार्यशील पूंजी के अवरूद्ध होने पर ब्याज लागत के रूप में हानियां उठानी पड़ी हैं। तथापि, दिसम्बर, 2011 तक किंगफिशर एयरलाइन्स द्वारा विलंबित भुगतानों के लिए 84.98 करोड़ रुपए का ब्याज एयरलाइन्स से लिया गया हैं।

(घ) यदि एयरलाइन्स अपनी बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहती है, तो ओएमसीज उनके और एयरलाइन्स के बीच पारस्परिक रूप से सहमति प्राप्त वाणिज्यिक शर्तों के अनुसार बकाया राशियों की वसूली के लिए कार्रवाई करती हैं। चूक करने वाली एयरलाइनों पर "नकद दो और माल लो" नीति लागू कर दी जाती है तथा अतिदेय भुगतानों पर ब्याज की वसूली की जाती है। ओएमसीज जहां कहीं लागू हो, उनके और एयरलाइन्स के बीच पारस्परिक रूप से सहमति प्राप्त वाणिज्यिक शर्तों के अनुसार, बैंक गारंटी तथा उत्तर दिनांकित चैकों को भुनाती हैं। कुछ मामलों में, ओएमसीज बकाया राशियों की वसूली के लिए विधि न्यायालय में चूक करने वाली एयरलाइनों के विरूद्ध वाद दायर करते हुए कानूनी मार्ग का भी सहारा लेती हैं।

रेल दुर्घटनाएं

[अनुवाद]

1484. श्रीमती जयश्री बेन पटेल:
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:
श्री राकेश सिंह:
श्री के.पी. धनपालन:
श्रीमती भावना पाटील गवली:
श्री अर्जुन राय:
श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* **ललन सिंह:**
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:
श्री भूदेव चौधरी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक तथा चालू वर्ष के दौरान माल गाड़ियों सहित रेल दुर्घटनाओं, ट्रेनों के पटरी से उतरने, रेल में आग लगने तथा छत पर यात्रा करने संबंधी प्रत्येक दुर्घटना का जोन-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसे प्रत्येक मामलों में रेल कर्मी सहित मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों की संख्या क्या है तथा क्षतिग्रस्त संपत्ति का मूल्य क्या है;

(ग) ऐसी प्रत्येक दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए गठित समितियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त समितियों के निष्कर्ष क्या हैं तथा इस पर विशेषकर कर्तव्य में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) इसमें कितने परिवार (रेलकर्मियों सहित) प्रभावित हुए हैं तथा रेलवे द्वारा प्रभावितों को कितना मुआवजा दिया गया है एवं लम्बित मुआवजों का जोन-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नयी प्रौद्योगिकी, सिग्नलिंग प्रणाली अपनाने, वित्तपोषण योजना तथा अधिकारियों को प्रशिक्षण देने जैसे सुरक्षा उपायों पर रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) 2008-09, 2009-10, 2010-11 और चालू वर्ष में अप्रैल, 2011 से फरवरी, 2012 तक घटित परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं अर्थात् टक्कर होने, गाड़ी का पटरी से उतरने, चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाएं, गाड़ी में आग लगने और विविध कारणों से हुई दुर्घटनाओं की संख्या निम्नानुसार हैं:-

दुर्घटना की किस्म	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12* (अप्रैल, 2011 से फरवरी, 2012 तक)
टक्कर	13	9	5	9
पटरी से उतरना	85	80	80	52
चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाएं	7	5	5	6
गाड़ियों में आग लगना	3	2	2	4
विविध	7	4	1	2
कुल	115	100	93	73

नोट: उपर्युक्त आंकड़ों में सड़क वाहन उपयोगकर्ताओं की लापरवाही के कारण बिना चौकीदार वाले समपारों पर अनाधिकार प्रवेश के कारण हुई दुर्घटनाएं शामिल नहीं हैं।

इन दुर्घटनाओं का जोनवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन दुर्घटनाओं का कारणवार विवरण निम्नानुसार है:

कारण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12* (अप्रैल, 2011 से फरवरी 2012)
रेल कर्मचारियों की चूक	75	63	56	56
रेल कर्मचारियों के अलावा अन्य लोगों की चूक	14	10	9	7
उपकरणों की खराबी	0	6	5	2
तोड़फोड़	13	14	16	5
मिश्रित कारक	4	1	3	1
आकस्मिक	5	4	4	2
तय नहीं किया जा सका	4	2	0	0
कुल	115	100	93	73

*आंकड़े अनन्तिम हैं

(ख) उपर्युक्त परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं में रेलवे कर्मचारियों सहित मारे गए और घायल हुए व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है:

दुर्घटना की किस्म	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (अप्रैल, 2011 से फरवरी, 2012 तक)	
	मारे गए	घायल	मारे गए	घायल	मारे गए	घायल	मारे गए	घायल
टक्कर	9	53	44	115	240*	296*	21	174
गाड़ी का पटरी से उतरना	10	142	14	91	4	57	74@	372@
चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाएं	18	54	7	6	7	12	5	10
गाड़ियों में आग लगना	31	11	0	0	0	0	9	3
विविध	12	42	3	35	0	0	5	0
कुल	80	302	68	247	251	365	114	559

*इसमें तोड़फोड़ के कारण खडगपुर के निकट 28.05.2010 को ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस गाड़ी के पटरी से उतरने और टक्कर की दुर्घटना में मारे गए 150 व्यक्ति और गंभीर रूप से घायल हुए 171 व्यक्ति शामिल हैं।

@ इसमें उत्तर प्रदेश में ऐटा के निकट 10.07.2011 को कालका मेल के पटरी से उतर जाने के कारण हुई दुर्घटना में मारे गए 71 व्यक्ति और घायल हुए 264 व्यक्ति शामिल हैं।

2009, 2010, 2011 और चालू वर्ष 2012 (फरवरी, 2012 तक) के दौरान गाड़ियों की छत पर यात्रा करने के मामलों में क्रमश: 53, 51, 68 और 8 व्यक्तियों को अपनी जान गंवानी पड़ी।

2008-09, 2009-10, 2010-11 में और अप्रैल, 2011 से फरवरी, 2012 तक चालू वर्ष में उपर्युक्त परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं में रेल संपत्ति की क्षति क्रमश: 60.65 करोड़ रुपये (लगभग), 53.71 करोड़ रुपये (लगभग), 71.93 करोड़ रुपये (लगभग) और 77.50 करोड़ रुपये (लगभग) होने का अनुमान है।

(ग) प्रत्येक परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की जांच दुर्घटनाओं की गंभीरता के आधार पर या तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा या क्षेत्रीय रेलों के अंतर्गत विभागीय जांच समिति द्वारा की जाती है। वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक और चालू वर्ष (फरवरी, 2012 तक) में हुई 381 परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं में से 61 दुर्घटनाओं की जांच रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा और शेष 320 दुर्घटनाओं की जांच विभागीय जांच समितियों द्वारा की गई है। इन आंकड़ों में सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही के कारण बिना चौकीदार वाले समपारों पर अनाधिकार प्रवेश के मामले और असामान्य दुर्घटनाएं शामिल नहीं हैं।

(घ) रेल संरक्षा आयुक्तों/विभागीय जांच समितियों के निष्कर्षो/सिफारिशों के अनुपालन के लिए भारतीय रेलवे के संबंधित विभागों द्वारा उनकी जांच की जाती है। 2008-09 से 2010-11 के दौरान और चालू वर्ष में (फरवरी, 2012 तक) अब तक चूक करने वाले कर्मचारियों पर क्रमश: 251 और 305 बड़ी और छोटी शास्तियां लगाई गई हैं। इनमें से इस अवधि के दौरान 86 रेल कर्मचारियों को रेल सेवा से हटा दिया गया है/बर्खास्त कर दिया गया है।

(ङ) 2008-09, 2009-10, 2010-11 और चालू वर्ष में फरवरी, 2012 तक गाड़ी दुर्घटना के मामलों में रेल दावा अधिकरणों द्वारा पीड़ितों को क्रमश: लगभग 218.94 लाख रुपये, 265.81 लाख रुपये, 585.79 लाख रुपये और 474.60 लाख रुपये क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान किया गया। यह राशि दुर्घटनाओं के बाद पीड़ितों को तुरन्त राहत के रूप में रेलों द्वारा दी गई अनुग्रह राशि के अलावा है।

किसी वर्ष में क्षतिपूर्ति के संबंध में किया गया भुगतान आवश्यक नहीं है कि वह उसी वर्ष की दुर्घटनाओं से संबंधित हो और यह किसी विशेष वर्ष में निपटाए गए मामलों की संख्या पर निर्भर करता है। फरवरी, 2012 को रेल दावा अधिकरण के पास लंबित क्षतिपूर्ति दावों के मामलों का विवरण निम्नानुसार है:

रेलवे	फरवरी, 2012 को क्षतिपूर्ति के लंबित मामले
मध्य	5
पूर्व	104
उत्तर	39
पूर्वोत्तर	26
पूर्वोत्तर सीमा	3
दक्षिण	33
दक्षिण मध्य	9
दक्षिण पूर्व	80
पश्चिम	16
पूर्व मध्य	19
पूर्व तट	74
उत्तर मध्य	36
उत्तर पश्चिम	6
दक्षिण पूर्व मध्य	4
दक्षिण पश्चिम	10
पश्चिम मध्य	29
कोंकण रेलवे	0
कुल	493

(च) भारतीय रेलों द्वारा संरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाती है और दुर्घटनाओं को रोकने और संरक्षा बढ़ाने के लिए सतत् आधार पर सभी संभव उपाय किए जाते हैं। इनमें गतायु परिसंपत्तियों का समय पर प्रतिस्थापन, रेलपथ, चल स्टोंक, सिगनल और अंतर्पाशन प्रणाली के उन्नयन और अनुरक्षण के लिए उपयुक्त तकनीकों को अपनाना, निगरानी के लिए नियमित के आधार पर संरक्षा अभियान और निरीक्षण करना और संरक्षा कार्यों के अनुपालन के लिए कर्मचारियों को शिक्षित करना शामिल है।

संपूर्ण स्टेशन खंड का रेलपथ परिपथन, पाइंटों एवं सिगनलों के केंद्रीयकृत परिचालन सहित इलैक्ट्रिक/इलैक्ट्रोनिक अंतर्पाशन प्रणाली, ब्लॉक प्रूविंग धूरा काउंटर, समपार फाटकों का अंतर्पाशन, मल्टी आसपेक्ट कलर लाइट सिगनलिंग, गाड़ी सुरक्षा एवं चेतावनी प्रणाली पर पायलट परियोजनाओं को शुरू करना, आशोधित आटोमैटिक सिगनल प्रणाली का प्रावधान आदि सहित संरक्षा को बढ़ाने के लिए सिगनल प्रणाली में नई प्रौद्योगिकियां अपनाई गई है।

नवीकरण के बकाया कार्यों को क्लीयर करने और गतायु परिसंपत्तियों यथा, रेलपथों, पुलों चल स्टॉकों, सिगनल गियरों आदि के पुनर्स्थापन के लिए 2001 में सृजित 17000 करोड़ रुपये की विशेष रेल संरक्षा निधि का उपयोग हो जाने के बाद जैसे-जैसे जब गतायु परिसंपत्तियों के पुनर्स्थापन कार्य के लिए आवश्यकता होती है, मूल्यह्रास आरक्षित निधि में वर्ष-दर-वर्ष पर्याप्त अंशदान किया जा रहा है। विगत पांच वर्षों में औसतन भारतीय रेलों के कुल योजना परिव्यय का 17% से 18% मूल्यह्रास आरक्षित निधि में आवंटित किया गया है।

भारतीय रेलों में प्रत्येक कोटि के कर्मचारियों के लिए एक सुनिर्धारित प्रशिक्षण योजना है, जिसमें आरंभिक, पुनश्चर्या, पदोन्नति और विशेष पाठ्यक्रम शामिल हैं। संरक्षा कोटि के कर्मचारियों को 3/5 वर्षों की अवधि में अनिवार्य पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण मॉड्यूलों का आवधिक रूप से आशोधन भी किया जाता है।

विवरण

वर्ष	रेलवे	टक्कर	गाड़ी का पटरी से उतरना	चौकीदार वाले समपार	गाड़ी में आग लगना	विविध	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
2008-09	मध्य रेलवे	1	5	1		2	9
	पूर्व तट रेलवे		7				7

1	2	3	4	5	6	7	8
	पूर्व मध्य रेलवे	1	11		1	1	14
	पूर्व रेलवे		7				7
	उत्तर मध्य रेलवे	3	9			1	13
	पूर्वोत्तर रेलवे		7	1		1	9
	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे		2	1			3
	उत्तर रेलवे	3	11	3		1	18
	उत्तर पश्चिम रेलवे		3				3
	दक्षिण मध्य रेलवे	1	3	1	2		7
	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे		1				1
	दक्षिण पूर्व रेलवे	3	6				9
	दक्षिण रेलवे	1	3				4
	दक्षिण पश्चिम रेलवे	4					4
	पश्चिम मध्य रेलवे		4			1	5
	पश्चिम रेलवे		2				2
	कुल	13	85	7	3	7	115
2009-10	मध्य रेलवे		12			1	13
	पूर्व तट रेलवे		6	1			7
	पूर्व मध्य रेलवे		14			1	15
	पूर्व रेलवे	1	2				3
	उत्तर मध्य रेलवे	4	1		1		6
	पूर्वोत्तर रेलवे		2				2
	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे		4	1	1	1	7
	उत्तर रेलवे	1	8	1			10
	उत्तर पश्चिम रेलवे		3	1			4
	दक्षिण मध्य रेलवे	1	7				8

1	2	3	4	5	6	7	8
	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे		1				1
	दक्षिण पूर्व रेलवे		7				7
	दक्षिण रेलवे	1	3				4
	दक्षिण पश्चिम रेलवे		3			1	4
	पश्चिम मध्य रेलवे		2				2
	पश्चिम रेलवे	1	5	1			7
	कुल	9	80	5	2	4	100
2010-11	मध्य रेलवे		3				3
	पूर्व तट रेलवे		8	1			9
	पूर्व मध्य रेलवे		11				11
	पूर्व रेलवे	1	3	1			5
	कोलकाता मेट्रो		1				1
	कोंकण रेल निगम लि.		1				1
	उत्तर मध्य रेलवे		8				8
	पूर्वोत्तर रेलवे		4				4
	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे		6				6
	उत्तर रेलवे	1	12	2		1	16
	उत्तर पश्चिम रेलवे		3				3
	दक्षिण मध्य रेलवे		5		1		6
	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	1					1
	दक्षिण पूर्व रेलवे	1	6	1			8
	दक्षिण रेलवे		3				3
	दक्षिण पश्चिम रेलवे		4				4
	पश्चिम मध्य रेलवे	1			1		2
	पश्चिम रेलवे		2				2
	कुल	5	80	5	2	1	93

1	2	3	4	5	6	7	8
2011-12 फरवरी 2012 तक)	मध्य रेलवे		5				5
	पूर्व तट रेलवे	2	3		1	1	7
	पूर्व मध्य रेलवे		3	1	1		5
	पूर्व रेलवे	3	2				5
	उत्तर रेलवे		7	1		1	9
	उत्तर मध्य रेलवे	1	8				9
	पूर्वोत्तर रेलवे		1	1			2
	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे		7				7
	उत्तर पश्चिम रेलवे		3	1			4
	दक्षिण मध्य रेलवे		5				5
	दक्षिण पूर्व रेलवे	1					1
	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	1					1
	दक्षिण रेलवे	1	2				3
	दक्षिण पश्चिम रेलवे	1	1			2	
	पश्चिम मध्य रेलवे		4	1	2		7
	पश्चिम रेलवे		1				1
	कुल	9	52	6	4	2	73

कच्चे तेल उत्पादन में हिस्सा

[हिन्दी]

1485. श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:
श्रीमती सुशीला सरोज:
श्री महेश्वर हजारी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान देश में कच्चे तेल उत्पादन के क्षेत्र में गैर-सरकारी एवं सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के अंश का ब्यौरा क्या है;

(ख) कच्चे तेल के उत्पादन में ये कंपनियां किस सीमा तक पिछड़ रही हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान गैस उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विशेषज्ञों द्वारा किए गए अनुमान के अनुसार, तेल का उत्पादन आगामी वर्षो में और कम होने की आशंका है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) वर्ष 2010-2011 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों

अर्थात आयल और नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) और आयल इंडिया लि. (ओआईएल) का कच्चे तेल के उत्पादन में 74.3% हिस्सा था जबकि 2011-12 (फरवरी, 2012 तक) में 72.5% हिस्सा है। वर्ष 201-11 और 2011-12 के दौरान, ओएनजीसी, ओआईएल और निजी/संयुक्त उद्यम कम्पनियों (प्राइवेट/जेवीज) द्वारा देश में कच्चे तेल के उत्पादन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

कच्चे तेल का उत्पादन मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) में

	2010-2011	2011-2012
ओएनजीसी	24.419	21.755 (फरवरी, 2012 तक)
ओआईएल	3.586	3.516 (फरवरी, 2012 तक)
प्राइवेट/जेवीज	9.682	9.596 (फरवरी, 2012 तक)

(ख) कच्चे तेल का उत्पादन पुराने पड़े क्षेत्रों से उत्पादन होने के कारण 2009-10 तक लगभग स्थिर रहा था। राजस्थान में प्राइवेट/जेवीज कम्पनियों द्वारा नए क्षेत्रों से कच्चे तेल का उत्पादन शुरू करने पर, यदि पूर्ववर्त्ती वर्ष अर्थात 2009-10 के साथ तुलना की जाए, तो 2010-11 में कच्चे तेल का उत्पादन 12.4% बढ़ा है।

(ग) ओएनजीसी, ओआईएल और प्राइवेट/जेवीज कम्पनीयों द्वारा वर्ष 2010-2011 और 2011-12 के दौरान गैस उत्पादन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

गैस उत्पादन मिलियन मीट्रीक मानक घन मीटर (एमएमएससीएम) में

	2010-2011	2011-2012
ओएनजीसी	23095	21242 (फरवरी, 2012 तक)
ओआईएल	2352.72	2406 (फरवरी, 2012 तक)
प्राइवेट/जेवीज	26774	20046 (फरवरी, 2012 तक)

(घ) और (ङ) 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि (2012-2017) के दौरान, 216.339 एमएमटी कच्चे तेल के उत्पादन का अनुमान, 11वी पंचवर्षीय योजना में होने वाले 177.015 एमएमटी उत्पादन से लगभग 22.2% अधिक है। 12वीं योजना के दौरान, ओएनजीसी द्वारा 11वीं योजनावधि में किए जाने वाले संभावित उत्पादन की तुलना में, उनके द्वारा प्रचालित क्षेत्रों से 8.9 एमएमटी कच्चे तेल का अतिरिक्त उत्पादन करने की संभावना है। ओएनजीसी के कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि सीमान्त क्षेत्रों को विकसित करके की जाएगी। आयल इंडिया लि. द्वारा 11वीं योजना की तुलना में, 12वीं योजनावधि में 1.5 एमएमटी अतिरिक्त कच्चे तेल का उत्पादन करने की संभावना हैं। 12वीं योजना के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन में मुख्य वृद्धि, राजस्थान में मुख्य रूप से निजी कम्पनियों द्वारा किए जाने वाले उत्पादन के कारण होगी, जो लगभग 27.5 एमएमटी होगी।

मनरेगा के अंतर्गत धनराशि का अल्प उपयोग

[अनुवाद]

1486. श्री नीरज शेखरः
श्री यशवीर सिंहः
श्री शिवकुमार उदासीः
श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारीः
श्री प्रेमचन्द गुड्डूः
श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोडः
श्री अद्गुरू एच० विश्वनाथः
श्री चंद्रकांत खैरेः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक एवं चालू वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत कामगारों को भुगतान की गयी मजदूरी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार राशि का अल्प उपयोग करने वाले राज्यों के संबंध में वर्ष 2012-13 के लिए आवंटन को कम करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उन राज्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्होंने उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत उपयोग की गयी आवंटन राशि के संबंध में केन्द्र सरकार को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया है; और

(ङ) अब तक उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले राज्यों से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए अनुसार, पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कामगारों की मजदूरी पर व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) महात्मा गांधी नरेगा के प्रावधानों को मांग आधारित योजनाओं के रूप में लागू किया जाता है, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा तैयार एवं कार्यान्वित किया जाता है। राज्यों को कोई निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं। राज्यों को उनकी मांग के अनुसार निधियां रिलीज की जाती हैं जिसका निर्धारण, श्रम संबंधी मांग के पूर्वानुमान के आधार पर किया जाता है।

(घ) 31.3.2010 तक की गई रिलीज संबंधी उपयोगिता प्रमाण-पत्र, महाराष्ट्र के 3 जिलों (नागपुर, वाशिम, सिन्धुदुर्ग) और जम्मू तथा कश्मीर के एक जिले (श्रीनगर) को छोड़कर सभी महात्मा गांधी नरेगा कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हो गए हैं।

(ङ) महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त स्वीकृत श्रम बजट के अनुसार लेखाओं की उपलब्धता तथा निधियों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए एवं पिछले वर्ष से पूर्व वित्त वर्ष के लेखों का समायोजन किए जाने पर रिलीज की जाती है और दूसरी किस्त पिछले वर्ष तथा चालू वर्ष के उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद रिलीज की जाती है। राज्यों/जिलों से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के मामलों में संबंधित राज्यों/जिलों को सूचित किया जाता है और महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत निधियों के केंद्रीय हिस्से की रिलीज संबंधी उपयोग प्रमाण-पत्र करने का अनुरोध किया जाता है।

विवरण

मनरेगा के अंतर्गत कामगारों के लिए पारिश्रमिक पर होने वाला व्यय

क्र.सं.	राज्य	महात्मा गांधी नरेगा के तहत मजदूरी पर व्यय (लाख रु. में)			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (16.2.2012 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	225796.50	371511.00	335056.21	202428.08
2.	अरूणाचल प्रदेश	2055.82	1166.21	2957.61	2.53
3.	असम	57941.32	63735.83	50385.21	29678.58
4.	बिहार	84379.94	110872.82	162216.36	33844.48
5.	छत्तीसगढ़	91005.61	85669.64	115934.25	104123.13
6.	गुजरात	14437.33	52249.34	47886.09	26177.78
7.	हरियाणा	8269.37	8907.04	14225.69	12927.32
8.	हिमाचल प्रदेश	20337.81	31213.60	27769.08	22555.56
9.	जम्मू और कश्मीर	5321.82	12005.72	23727.40	8683.40
10.	झारखंड	67843.60	82304.01	85807.13	53266.95
11.	कर्नाटक	23295.85	172303.67	157562.89	84093.08
12.	केरल	18459.60	40954.19	63676.86	63833.44
13.	मध्य प्रदेश	215621.79	219623.79	214931.94	127146.99

1	2	3	4	5	6
14.	महाराष्ट्र	31377.01	25857.74	26886.86	55796.08
15.	मणिपुर	22299.42	23779.95	27477.17	7903.33
16.	मेघालय	6052.84	11722.09	19925.71	10917.52
17.	मिजोरम	13712.28	17782.54	19239.94	7589.00
18.	नागालैंड	16372.28	29229.27	34396.65	9992.80
19.	ओडिशा	39810.35	58671.56	93293.06	43049.40
20.	पंजाब	4412.43	9529.75	9765.25	6772.52
21.	राजस्थान	426531.88	393048.44	227202.50	147893.75
22.	सिक्किम	2414.68	4129.40	4812.99	1929.02
23.	तमिलनाडु	95899.82	171082.27	221453.08	185148.26
24.	त्रिपुरा	30057.75	46279.79	38450.12	40519.03
25.	उत्तर प्रदेश	225446.53	354123.06	351965.30	241915.22
26.	उत्तराखंड	8830.23	18046.03	23467.84	14723.44
27.	पश्चिम बंगाल	61522.41	140192.98	165658.07	91647.09
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	123.91	838.64	745.63	714.50
29.	दादरा और नगर हवेली	0.52	78.72	54.52	एन.आर.
30.	दमन और दीव	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
31.	गोवा	97.10	175.16	512.46	458.82
32.	लक्षद्वीप	145.33	158.23	185.09	156.04
33.	पुडुचेरी	130.00	689.80	1023.97	964.59
34.	चंडीगढ़	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
	कुल	1820003.13	2557932.28	2568652.93	1636851.73

एन.आर. - असूचित

[हिन्दी]

क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्रों का कार्यकरण

1487. **कुमारी मीनाक्षी नटराजन:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्रों के कार्यकरण की राज्य-वार समीक्षा की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विज्ञान मैग्नेट स्कूल योजना प्रारंभ करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार विज्ञान के प्रसार के लिए प्रयोगशालाओं को बढ़ावा देने के लिए पहल करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) विज्ञान को लोकोन्मुखी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहें हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेलगाड़ियों के ठहराव एवं हाल्ट

[अनुवाद]

1488. **श्री एम.बी. राजेश:**
श्री ए.टी. नाना पाटील:
श्री संजय सिंह चौहान:
श्री रतन सिंह:
श्री देवजी एम. पटेल:
श्री राम सिंह कस्वां:
श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास भुसावल, जलगांव (महाराष्ट्र), मालिया (गुजरात) पर सभी एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव प्रदान करने तथा गुजरात में धनेरा (डीएनक्यू) में दादर-बीकानेर एक्सप्रेस रेलगाड़ी के ठहराव तथा भरतपुर जंक्शन राजस्थान, मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत स्टेशनों पर रेलगाड़ियों के हाल्ट तथा सादुलपुर-हनुमानगढ़ रेल लाइन के अंतर्गत सोती बढ़ी गांव पर हाल्ट कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसा ठहराव एवं हॉल्ट कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या रेलवे की केरल में वल्लापुझा, कुलुकालुर या वदनामकुरिसी स्टेशनों पर राज्य रानी एक्सप्रेस का ठहराव प्रदान करने का कोई प्रस्ताव भी मिला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) फिलहाल भुसावल, जलगांव, मालिया-मियाना, धनेरा, भरतपुर और मुरादाबाद मंडल में सभी एक्सप्रेस गाड़ियों को ठहराव देने का कोई प्रस्ताव नहीं है. बहरहाल, सादुलपुर-हनुमानगढ़ खंड में "सोटी बाडी" नामक कोई भी स्टेशन नहीं है.

(ग) और (घ) वडानम कुरूराशि, वालापूजा एच और कूलूक्कलूर एच पर 16349/16350 तिरूवनंतपुरम-निलांबूर रोड राज्य रानी एक्सप्रेस के ठहराव की व्यवस्था करने के लिए श्री एम.बी. राजेश, माननीय संसद सदस्य सहित अन्य अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं. इनकी जांच की गई है परंतु फिलहाल इसे व्यवहारिक नहीं पाया गया है.

अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति

1489. **श्री पी.के. बिजू:**
श्री अद्गुरू एच. विश्वनाथ:
डॉ. रत्ना डे:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान और चालू वर्ष में श्रेणी-वार, वर्ष-वार और राज्य-वार कर्नाटक सहित पूरे देश में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए क्रियान्वित मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रिक-पश्चात् छात्रवृत्ति और साधन सह-योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार उक्त छात्रवृत्ति के लिए आवंटित और जारी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार लाभ प्राप्त छात्रों की संख्या कितनी है;

(घ) उच्च शिक्षा के लिए प्रत्येक छात्र के लिए स्वीकृत छात्रवृत्ति की धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति केवल तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (ग) कर्नाटक राज्य सहित देश भर में पिछले तीन वर्षो तथा वर्तमान वर्ष के दौरान कार्यान्वित मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं के ब्यौरे तथा वर्ष-वार अवमुक्त धनराशि, योजना के तहत लाभान्वित छात्रों की संख्या के ब्यौरे सलंग्न विवरण-I से III में हैं। इन छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत वर्ग-वार आवंटन नहीं होता है।

(घ) मंत्रालय में उच्चतर शिक्षा हेतु प्रति छात्र स्वीकृत धनराशि संबंधी आंकड़ों का रख-रखाव नहीं किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के छात्रों को स्वीकृत धनराशि के समेकित आंकड़े संलग्न विवरण-IV से VI में हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) ब्यौरे संलग्न विवरण-VII में दिए गए हैं।

विवरण I

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा वर्ष-वार लक्ष्य एवं उपलब्धि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (29.02.2012 तक)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	27353	25923	65032	86248	86709	225462	147406	121319
2.	अरूणाचल प्रदेश	1199	0	2877	0	3836	0	6521	0
3.	असम	30951	0	73582	87376	98109	38259	166785	86159
4.	बिहार	46000	43582	109357	35668	145809	320107	247875	157973
5.	छत्तीसगढ़	3124	1600	7432	4765	9909	6976	16845	12610
6.	गोवा	1546	151	3677	594	4905		8340	0
7.	गुजरात	16501	0	39194	0	52260	0	88842	0
8.	हरियाणा	8108	3727	19282	14867	25709	24823	43705	0
9.	हिमाचल प्रदेश	947	540	2257	1095	3009	1166	5115	3958
10.	जम्मू और कश्मीर	23757	4842	56482	53421	75309	116571	128026	0
11.	झारखंड	16375	12003	38932	18510	51909	26107	88245	35837
12.	कर्नाटक	26249	21018	62407	86829	83209	314508	141457	299020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	केरल	46347	46347	110175	161590	146900	563560	249731	572880
14.	मध्य प्रदेश	14576	13719	34657	18278	46209	61052	78555	135932
15.	महाराष्ट्र	58052	58052	137732	201490	183638	545201	312187	701343
16.	मणिपुर	3092	1960	7390	10780	9855		16753	9438
17.	मेघालय	5743	5479	13690	10518	18255	12846	31032	0
18.	मिजोरम	2871	2661	6852	9428	9136	14053	15533	13485
19.	नागालैंड	6089	0	14515	0	19355	4400	32901	0
20.	ओडिशा	5647	3542	13432	17049	17909	17909	30445	24553
21.	पंजाब	50953	49996	120852	123907	161127	279082	273917	264329
22.	राजस्थान	18962	18775	45082	60318	60109	121988	102186	148816
23.	सिक्किम	663	0	1602	604	2136	2434	3633	3269
24.	तमिलनाडु	24198	24135	57532	84150	76709	312415	130407	235582
25.	त्रिपुरा	1514	821	3627	1069	4836	1617	8221	0
26.	उत्तर प्रदेश	106356	97785	252832	371189	337109	465812	573086	971245
27.	उत्तराखंड	4196	0	9982	449	13309	1132	22625	3103
28.	पश्चिम बंगाल	70136	68235	166732	240548	222309	913002	377926	955205
29.	अंडमान और निकोबार	347	220	865	96	1155		1961	237
30.	चंडीगढ़	631	398	1520	1518	2027		3446	0
31.	दादरा और नगर हवेली	62	21	190	40	255	72	432	183
32.	दमन और दीव	63	30	173	110	233	113	395	0
33.	दिल्ली	7793	6918	18532	26313	24709	30904	42006	12728
34.	लक्षद्वीप	189	0	510	0	682	0	1158	0
35.	पुडुचेरी	410	177	1015	259	1355		2302	0
	कुल	631000	512657	150000	1729076	2000000	4421571	3400000	4769204

विवरण II

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा वर्ष-वार लक्ष्य एवं उपलब्धि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (29.02.2012 तक)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	27353	25923	65032	86248	86709	225462	147406	121319
2.	अरूणाचल प्रदेश	1199	0	2877	0	3836	0	6521	0
3.	असम	30951	0	73582	87376	98109	38259	166785	86159
4.	बिहार	46000	43582	109357	35668	145809	320107	247875	157973
5.	छत्तीसगढ़	3124	1600	7432	4765	9909	6976	16845	12610
6.	गोवा	1546	151	3677	594	4905		8340	0
7.	गुजरात	16501	0	39194	0	52260	0	88842	0
8.	हरियाणा	8108	3727	19282	14867	25709	24823	43705	0
9.	हिमाचल प्रदेश	947	540	2257	1095	3009	1166	5115	3958
10.	जम्मू और कश्मीर	23757	4842	56482	53421	75309	116571	128026	0
11.	झारखंड	16375	12003	38932	18510	51909	26107	88245	35837
12.	कर्नाटक	26249	21018	62407	86829	83209	314508	141457	299020
13.	केरल	46347	46347	110175	161590	146900	563560	249731	572880
14.	मध्य प्रदेश	14576	13719	34657	18278	46209	61052	78555	135932
15.	महाराष्ट्र	58052	58052	137732	201490	183638	545201	312187	701343
16.	मणिपुर	3092	1960	7390	10780	9855		16753	9438
17.	मेघालय	5743	5479	13690	10518	18255	12846	31032	0
18.	मिजोरम	2871	2661	6852	9428	9136	14053	15533	13485
19.	नागालैंड	6089	0	14515	0	19355	4400	32901	0
20.	ओडिशा	5647	3542	13432	17049	17909	17909	30445	24553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	पंजाब	50953	49996	120852	123907	161127	279082	273917	264329
22.	राजस्थान	18962	18775	45082	60318	60109	121988	102186	148816
23.	सिक्किम	663	0	1602	60	2136	2434	3633	3269
24.	तमिलनाडु	24198	24135	57532	84150	76709	312415	130407	235582
25.	त्रिपुरा	1514	821	3627	1069	4836	1617	8221	0
26.	उत्तर प्रदेश	106356	97785	252832	371189	337109	465812	573036	971245
27.	उत्तराखंड	4196	0	9982	449	13309	1132	22625	3103
28.	पश्चिम बंगाल	70136	68235	166732	240548	222309	913002	377926	955205
29.	अंडमान और निकोबार	347	220	865	96	1155		1961	237
30.	चंडीगढ़	631	398	1520	1518	2027		3446	0
31.	दादरा और नगर हवेली	62	21	190	40	255	72	432	183
32.	दमन और दीव	63	30	173	110	233	113	395	0
33.	दिल्ली	7793	6918	18532	26313	24709	30904	42006	12728
34.	लक्षद्वीप	189	0	510	0	682	0	1158	0
35.	पुडुचेरी	410	177	1015	259	1355		2302	0
	कुल	631000	512657	1500000	1729076	1999999.9	4421571	3400000	4769204

विवरण III

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा वर्ष-वार लक्ष्य एवं उपलब्धि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (29.02.2012 तक)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	867	1411	867	1319	867	1314	867	1126
2.	अरूणाचल प्रदेश	38	0	38	0	38	0	38	0
3.	असम	981	1372	981	1910	981	1908	981	1381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	बिहार	1458	2500	1458	2718	1458	3133	1458	3681
5.	छत्तीसगढ़	99	78	99	121	99	148	99	140
6.	गोवा	49	52	49	68	49	79	49	84
7.	गुजरात	523	526	523	705	523	928	523	941
8.	हरियाणा	257	344	257	300	257	310	257	362
9.	हिमाचल प्रदेश	30	19	30	35	30	37	30	36
10.	जम्मू और कश्मीर	753	1392	753	1278	753	1443	753	1594
11.	झारखंड	519	620	519	709	519	916	519	892
12.	कर्नाटक	832	1383	832	1756	832	1986	832	2217
13.	केरल	1469	2239	1469	3504	1469	4443	1469	4557
14.	मध्य प्रदेश	462	490	462	984	462	814	462	843
15.	महाराष्ट्र	1840	2006	1840	3028	1840	2463	1840	3475
16.	मणिपुर	98	158	98	98	98	184	98	175
17.	मेघालय	182	51	182	85	182	224	182	305
18.	मिजोरम	91	179	91	122	91	188	91	145
19.	नागालैंड	193	0	193	143	193	345	193	399
20.	ओडिशा	179	188	179	241	179	191	179	201
21.	पंजाब	1615	592	1615	1884	1615	2541	1615	2774
22.	राजस्थान	601	882	601	956	601	1001	601	1187
23.	सिक्किम	21	0	21	20	21	145	21	75
24.	तमिलनाडु	767	1659	767	2209	767	2118	767	2390
25.	त्रिपुरा	48	23	48	54	48	73	48	59
26.	उत्तर प्रदेश	3371	4268	3371	4808	3371	6962	3371	6379
27.	उत्तराखंड	133	65	133	109	133	127	133	210
28.	पश्चिम बंगाल	2223	3336	2223	6379	2223	6599	2223	5539
29.	अंडमान और निकोबार	11	5	11	8	11	11	11	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	चंडीगढ़	20	25	20	28	20	17	20	18
31.	दादर और नगर हवेली	2	0	2	0	2	0	2	0
32.	दमन और दीव	2	0	2	0	2	1	2	2
33.	दिल्ली	247	322	247	387	247	385	247	408
34.	लक्षद्वीप	6	0	6	0	6	0	6	0
35.	पुडुचेरी	13	10	13	16	13	22	13	19
	कुल	20000	26195	20000	35982	20000	41056	20000	41621

विवरण-IV

मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के लिए वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटन तथा अवमुक्त धनराशि के ब्यौरे

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (29.02.2012 तक)	
		आवंटन	अवमुक्त धनराशि	आवंटन	अवमुक्त धनराशि	आवंटन	अवमुक्त धनराशि	आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश		5.37		13.90	16.29	42.85	25.62	19.30
2.	अरूणाचल प्रदेश		0.00		0.00	0.72	0	1.39	0.00
3.	असम		0.00		16.83	18.43	8.37	35.55	21.25
4.	बिहार		10.71		9.22	27.39	34.12	43.08	21.54
5.	छत्तीसगढ़		0.24		1.07	1.86	1	2.93	2.93
6.	गोवा		0.02		0.04	0.92	0	1.45	0.00
7.	गुजरात		0.00		0.00	9.82	0	15.44	0.00
8.	हरियाणा		0.51		1.58	4.83	2	7.60	2.03
9.	हिमाचल प्रदेश		0.18		0.09	0.57	0	0.89	0.41
10.	जम्मू और कश्मीर		1.02		7.44	14.15	13	22.25	11.10
11.	झारखंड		2.71		2.10	9.75	4	15.34	7.51
12.	कर्नाटक		1.89		13.93	15.63	33.16	24.58	38.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	केरल		3.50		12.24	27.59	42.69	43.40	43.40
14.	मध्य प्रदेश		2.44		2.18	8.68	7	13.65	17.93
15.	महाराष्ट्र		4.51		15.78	34.49	41	54.26	54.72
16.	मणिपुर		0.46		3.10	1.85	0	3.57	1.19
17.	मेघालय		0.71		1.26	3.43	2	6.61	0.00
18.	मिजोरम		0.44		1.58	1.72	2	3.31	2.49
19.	नागालैंड		0.00		0.00	3.64	1	7.01	0.00
20.	ओडिशा		0.28		1.34	3.36	1	5.29	2.00
21.	पंजाब		3.79		15.10	30.27	26	47.61	24.49
22.	राजस्थान		1.83		4.72	11.29	11	17.76	10.14
23.	सिक्किम		0.00		0.09	0.40	0	0.77	0.61
24.	तमिलनाडु		2.33		7.82	14.41	28.17	22.66	25.70
25.	त्रिपुरा		0.07		0.08	0.91	0	1.75	0.00
26.	उत्तर प्रदेश		12.98		48.63	63.32	65.27	99.60	148.11
27.	उत्तराखंड		0.00		0.07	2.50	0	3.93	0.43
28.	पश्चिम बंगाल		5.36		19.72	41.76	76.53	65.68	82.98
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		0.04		0.01	0.22	0	0.52	0.03
30.	चंडीगढ़		0.04		0.17	0.38	0	0.92	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली		0.01		0.02	0.05	0	0.12	0.07
32.	दमन और दीव		0.01		0.02	0.04	0	0.11	0.00
33.	दिल्ली		0.71		2.77	4.64	3.03	4.75	1.35
34.	लक्षद्वीप		0.00		0.00	0.13	0	0.31	0.00
35.	पुडुचेरी		0.05		0.01	0.25	0	0.26	0.00
	कुल	79.90	62.11	200.00	202.94	375.68	446.25	600.00	540.44

विवरण-V

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटन तथा अवमुक्त धनराशि के ब्यौरे

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (29.02.2012 तक)	
		आवंटन	अवमुक्त धनराशि	आवंटन	अवमुक्त धनराशि	आवंटन	अवमुक्त धनराशि	आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश		6.23		19.96	10.00	35.24	19.12	17.28
2.	अरूणाचल प्रदेश		0.00		0.00	0.44	0.00	1.04	0.00
3.	असम		4.87		8.32	11.32	5.60	26.71	0.00
4.	बिहार		10.86		3.80	16.83	15.96	32.15	23.81
5.	छत्तीसगढ़		0.24		0.60	1.14	1.03	2.18	1.57
6.	गोवा		0.13		0.00	0.57	0.21	1.08	0.00
7.	गुजरात		1.97		2.88	6.03	4.47	1153	6.99
8.	हरियाणा		0.93		0.68	2.97	1.48	5.67	1.48
9.	हिमाचल प्रदेश		0.08		0.17	0.34	0.21	0.66	0.20
10.	जम्मू और कश्मीर		0.98		3.67	8.69	5.24	16.61	2.13
11.	झारखंड		2.86		3.67	5.99	6.15	11.45	8.85
12.	कर्नाटक		0.46		8.82	9.60	12.35	18.35	24.85
13.	केरल		2.43		11.21	16.96	9.98	32.39	21.69
14.	मध्य प्रदेश		1.85		1.10	5.33	3.31	10.19	6.17
15.	महाराष्ट्र		4.03		8.17	21.17	20.09	40.58	23.44
16.	मणिपुर		0.75		2.85	1.14		2.67	0.00
17.	मेघालय		0.03		0.04	2.11	0.19	4.96	0.00
18.	मिजोरम		0.87		2.54	1.05	2.81	2.48	1.24
19.	नागालैंड		0.01		0.02	2.24	0.05	5.26	0.04
20.	ओडिशा		0.35		0.46	2.07	1.03	3.95	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	पंजाब		1.26		10.73	18.55	14.83	35.61	38.23
22.	राजस्थान		2.14		4.00	6.93	4.66	13.25	12.05
23.	सिक्किम		0.00		0.10	0.25	0.31	0.57	0.40
24.	तमिलनाडु		2.42		11.04	8.85	10.67	16.91	14.43
25.	त्रिपुरा		0.05		0.07	0.56	0.17	1.31	0.12
26.	उत्तर प्रदेश		16.46		24.78	38.91	46.42	74.34	74.81
27.	उत्तराखंड		0.10		0.06	1.53	0.08	2.93	0.19
28.	पश्चिम बंगाल		7.72		18.43	25.66	25.77	49.02	46.87
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		0.03		0.01	0.13	0.01	0.52	0.00
30.	चंडीगढ़		0.05		0.05	0.24	0.09	0.95	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली		0.01		0.01	0.03	0.02	0.10	0.00
32.	दमन और दीव		0.02		0.02	0.04	0.02	0.10	0.00
33.	दिल्ली		0.39		0.43	2.85	0.38	4.75	0.00
34.	लक्षद्वीप		0.00		0.00	0.09		0.29	0.00
35.	पुडुचेरी		0.04		0.03	0.16	0.13	0.25	0.10
	कुल	69.93	70.62	150.00	148.72	230.77	228.96	450	326.93

विवरण VI

मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के लिए वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक के दौरान राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटन तथा अवमुक्त धनराशि के ब्यौरे

धनराशि (करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (29.02.2012 तक)
		स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3.61	2.36	3.39	3.09
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
3.	असम	3.68	5.86	5.39	4.05
4.	बिहार	4.71	8.68	9.46	9.91
5.	छत्तीसगढ़	0.21	0.32	0.39	0.43
6.	गोवा	0.13	0.19	0.20	0.23
7.	गुजरात	1.07	1.43	2.02	2.26
8.	हरियाणा	0.87	0.74	0.83	1.03
9.	हिमाचल प्रदेश	0.05	0.09	0.09	0.12
10.	जम्मू और कश्मीर	3.24	2.73	3.62	4.70
11.	झारखंड	1.52	1.96	2.54	2.56
12.	कर्नाटक	3.64	4.60	5.30	5.99
13.	केरल	5.40	9.45	11.85	12.83
14.	मध्य प्रदेश	1.21	2.44	2.10	2.27
15.	महाराष्ट्र	4.81	7.67	5.49	9.27
16.	मणिपुर	0.54	0.23	0.68	0.50
17.	मेघालय	0.08	0.32	0.66	0.95
18.	मिजोरम	0.67	0.33	0.49	0.39
19.	नागालैंड	0.00	0.57	1.57	1.22
20.	ओडिशा	0.50	0.63	0.53	0.68
21.	पंजाब	1.63	5.37	7.12	8.65
22.	राजस्थान	2.15	2.40	2.23	3.25
23.	सिक्किम	0.00	0.10	0.49	0.23
24.	तमिलनाडु	4.40	5.80	5.57	6.26
25.	त्रिपुरा	0.07	0.16	0.21	0.17
26.	उत्तर प्रदेश	10.82	14.47	17.97	15.46
27.	उत्तराखंड	0.22	0.30	0.35	0.66
28.	पश्चिम बंगाल	8.73	17.40	17.14	14.84
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.04	0.03	0.04	0.04

1	2	3	4	5	6
30.	चंडीगढ़	0.05	0.09	0.16	0.12
31.	दादर एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.01
33.	दिल्ली	0.65	0.79	0.80	0.99
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	0.03	0.04	0.05	0.05
	कुल	64.73	97.51	108.75	113.20

विवरण VII

मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है, जो वर्ष 2007 में शुरू की गयी थी। इसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से किया जा रहा है। इसका सम्पूर्ण व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। उपयुक्त प्राधिकरण से मान्यता-प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वालों को छात्रवृत्तियों प्रदान की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्तियों के नवीकरण के अतिरिक्त 20 हजार छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है।

छात्रवृत्तियों में से 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। पर्याप्त संख्या में पात्र छात्राओं के अनुपलब्ध होने पर इनका उपयोग छात्रों द्वारा किया जा सकता है। इस योजना के तहत व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए 70 संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है। इन संस्थानों में प्रवेश प्राप्त अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र छात्रों को पूरे पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। अन्य संस्थानों में अध्ययन कर रहे छात्रों को रु. 20 हजार वार्षिक की दर से पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। गैर-छात्रावासी छात्रों को प्रतिमाह रु. 500 की दर से तथा छात्रावासी छात्रों को प्रतिमाह रु. 1000 की दर से भरण पोषण भत्ता दिया जाता है। छात्रवृत्ति प्राप्ति के लिए पात्रता यह है कि छात्र को उपयुक्त प्राधिकरण से मान्यताप्राप्त किसी भी तकनीकी अथवा व्यावसायिक संस्थान में प्रवेश लिया होना चाहिए। यदि छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा दिए बिना प्रवेश मिल गया हो तो उन्हें 50 प्रतिशत से कम अंक अर्जित किया हुआ नहीं होना चाहिए। परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय रु. 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

खाली तकनीकी पद

1490. श्री ताराचन्द भगोरा: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय के भेषज विभाग में खाली पड़े विभिन्न तकनीकी पदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भेषज संबंधी अनेक मुद्दों जिनमें तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है, को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया/विलंबित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार के पास भारतीय उद्योग को चीन के खतरे से निपटने में मदद करने के लिए भारतीय भेषज उद्योग की सहायता करने हेतु और अधिक तकनीकी पदों के सृजन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक इन पदों के भरे जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) मंत्रालय के औषध विभाग में निम्नलिखित तकनीकी पद रिक्त हैं:

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत संख्या	वर्तमान तैनाती	रिक्त
1.	अतिरिक्त औद्योगिक सलाहकार	1	0	1
2.	उप औद्योगिक सलाहकार	3	1	2
3.	सहायक औद्योगिक सलाहकार	1	0	1

(ख) जी, नहीं।

(ग) ऊपर (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) ऊपर (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

वैज्ञानिक और नवोचारी अनुसंधान के लिए अकादमियां

1491. श्रीमती प्रिया दत्त: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अगले पांच वर्षों में वैज्ञानिक और नवीन अनुसंधान की कितनी अकादमियां खोले जाने की संभावना है;

(ख) क्या इन अकादमियों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ जोड़ा जाएगा या ये अकादमियां स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन आगामी पांच वर्षों के दौरान स्वायत्त अनुदान - सहायता संस्थान के रूप में देहरादून, उत्तराखंड में एक वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, नामत: राष्ट्रीय हिमालयी हिमनद केन्द्र के खोले जाने की संभावना है।

(ख) और (ग) जी नहीं। इसे विद्यमान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ नहीं जोड़ा जाएगा और यह स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा।

सार्वजनिक सुविधाएं

1492. कुमारी सरोज पाण्डेय:
श्री संजय सिंह चौहान:
श्री एन. पीताम्बर कुरूप:
श्री राजेन्द्र अग्रवाल:
श्री देवजी एम. पटेल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने स्टेशनों पर सप्लाई की गुणवत्ता में सुधार विशेष रूप से सभी ट्रेनों में जीरो डिस्चार्ज टायलेट सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रगति के संबंध में कोई आवश्यक कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक इसे उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ग) विभिन्न स्टेशनों विशेषकर मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) कोंकण मार्ग में बाइनुरमुकाम्बिका रोड और राजस्थान में आबू रोड में इष्टतम सार्वजनिक सुविधाएं जैसे आरक्षण केन्द्र का विस्तार, विश्राम कक्ष, जलपान सुविधाएं, आटो/टैक्सी की पार्किंग सुविधाएं, पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उक्त प्रयोजन के लिए आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) भारतीय रेलवे उपयोगकर्ता को प्रौद्योगिकी, शिक्षण और रेलवे स्टेशनों पर सफाई के मानक में सुधार करने के लिए यांत्रिकीकृत उपस्करों की व्यवस्था करके बहु आयामी कार्रवाई करती है. यांत्रिकीकृत सफाई प्रक्रिया शुरू करना, रद्दी उठाने/कूड़ा निपटान ठेके देना, "पे एंड यूज" शौचालय शुरू करने सहित उपाए किए गए हैं. इसके अलावा, समय समय पर सफाई अभियान भी चलाए जाते हैं. रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा निरीक्षण भी किए जाते हैं और सुधारात्मक उपाए भी किए जाते हैं. रेलपथों पर खुले में शौच करने पर रोकथाम के लिए भारतीय रेलवे ने एक बहु आयामी रणनीति अपनाई है। फिलहाल, विभिन्न प्रकार के लगभग 250 जैविक शौचालय सेवा में हैं। इन जैविक शौचालयों में अधिकांश मार्च, 2010 में भारतीय रेलवे और डीआरडीओ के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की शर्तों के अंतर्गत भारतीय रेलवे के यांत्रिक इंजीनियरों और रक्षा

अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के जैविक तकनिशियनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित प्रौद्योगिकी के आधार पर डिजाइन किए गए हैं। इसके अलावा, लगभग 2500 भारतीय रेलवे-डीआडीओ जैविक शौचालयों को लगाने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। अअमासं, और आईआईटी, कानपुर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक रेक में जीरो डिस्चार्ज टायलेट सिस्टम (जैडडीटीएस) के ट्रायल की योजना है।

(ग) सभी स्टेशनों पर मानदंडों के अनुसार बुकिंग सुविधा, पीने का पानी, ऊपरी पैदल पुल आदि सहित न्यूनतम अनिवार्य सुविधाओं की पहले से ही व्यवस्था की गई है। यातायात की आवश्यकता के अनुसार चुनिंदा स्टेशनों पर विश्राम गृहों, अल्प आहार सुविधाएं, पार्किंग सुविधाएं आदि जैसी कुछ अनुशंसित/वांछनीय सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

मुजफ्फरनगर और आबू रोड "ए" श्रेणी का स्टेशन है जहां पार्किंग, ऊपरी पैदल पुल आदि की व्यवस्था पहले से की जा चुकी है। मूकम्बिका रोड-बयंदूर स्टेशन एक हाल्ट स्टेशन है जहां न्यूनतम अनिवार्य सुविधाओं की पहले से ही व्यवस्था की गई है।

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान "यात्री सुविधाएं" योजना शीर्ष के अंतर्गत आबंटित निधि और किए गए व्यय का क्षेत्रवार ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:

(आंकड़े करोड़ रु. में)

रेलवे	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
	*आवंटन	**खर्च	आवंटन	खर्च	आवंटन	खर्च	आवंटन	***खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य	53.34	70.00	73.05	82.78	72.42	65.01	47.55	47.12
पूर्व	58.88	70.24	150.15	122.71	184.22	157.71	103.69	108.71
पूर्व मध्य	31.55	23.29	24.04	31.26	57.61	38.72	39.02	30.92
पूर्व तट	23.54	29.24	32.89	31.14	23.09	25.70	18.48	16.29
उत्तर	79.09	94.01	87.25	80.36	128.45	121.52	69.94	63.27
उत्तर मध्य	27.97	26.60	39.02	37.70	44.52	32.68	46.02	41.08
पूर्वोत्तर	15.15	21.07	24.25	25.57	21.42	23.77	17.63	13.79
पूर्वोत्तर सीमा	33.36	34.45	37.11	35.84	55.68	59.13	47.11	52.62
उत्तर पश्चिम	26.58	21.88	20.62	20.23	23,53	18.41	13.96	13.89
दक्षिण	79.67	90.81	71.08	80.73	80.78	61.90	58.98	49.78
दक्षिण मध्य	147.95	171.14	160.76	155.53	106.18	110.47	81.46	90.77
दक्षिण पूर्व	19.23	21.51	37.20	33.54	67.12	66.19	40.00	34.32
दक्षिण पूर्व मध्य	15.04	12.15	18.09	15.75	19.54	22.60	44.13	39.15
दक्षिण पश्चिम	30.90	43.11	36.02	36.37	20.04	12.56	32.98	27.72
पश्चिम	62.66	75.63	80.20	90.10	53.97	60.69	61.98	54.81
पश्चिम मध्य	22.59	20.27	25.42	23.83	27.05	26.82	26.98	22.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मेट्रो	3.96	02.12	5.75	02.77	11.68	06.93	12.50	8.76
कुल	731.46	827.52	922.91	906.21	997.30	910.81	762.41	715.23

* आवंटन

** खर्च

*** जनवरी, 2012 तक खर्च (अनुमानत:)

नई औषधि नीति का निर्माण

1493. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नई औषध नीति बनाने का है जिसके अंतर्गत बहुराष्ट्रीय भेषज कंपनियों को कुछ अवधि के लिए अपनी ब्रान्डेड दवाओं की कीमत वसूलने की अनुमति दी जाएगी तथा उसके बाद सरकार द्वारा बनाए गए कतिपय फार्मूला के आधार पर औषधि की कीमत का निर्धारण किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई नीति के कब तक लागू होने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) औषध विभाग ने स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित तात्विकता और आवश्यकता के मानदण्डों के आधार पर प्रारूप राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति, 2011 (एनपीपीपी-2011) तैयार की है। इस प्रारूप राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति, 2011 (एनपीपीपी-2011) को सभी संबंधित मंत्रालयों/संबंधित पक्षों के पास भेजा गया था। यह प्रारूप औषधि नीति दिनांक 30.11.2011 तक किसी भी अन्य इच्छुक व्यक्ति की टिप्पणियों के लिए इस विभाग की वेबसाइट www.pharmaceuticals.gov.in पर भी उपलब्ध थी। सभी संबंधित पक्षों से प्राप्त हुए विचारों की जांच की जा रही है ताकि उन्हें मंत्रियों के समूह को प्रस्तुत किया जा सके। अत: कोई भी समय-सीमा नहीं दी जा सकती है।

केरल जाने वाली ट्रेनों के लिए डिब्बे

1494. **श्री एम.के. राघवन:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने केरल में ट्रेनों के पूर्ण उपयोग के लिए यात्री डिब्बों की वास्तविक आवश्यकता का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या रेलवे का विचार रेल यात्री डिब्बा कारखाना, पालक्कड में बनाए गए डिब्बों का कुछ प्रतिशत विशेष रूप से केरल जाने वाली ट्रेनों के लिए निर्धारित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी नहीं। आंकड़े राज्य-वार नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं। सवारी डिब्बे राज्य-वार आबंटित नहीं किए जाते हैं।

आवास और पेयजल सुविधाएं

[हिन्दी]

1495. **श्री अशोक कुमार रावत:**
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अभी तक कितनी संख्या में आवासों का निर्माण हुआ तथा राज्यवार आवासों के लिए आवंटित खुले और निर्मित क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे लोगों की राज्यवार संख्या क्या है जिनके पास अभी तक कोई घर नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लगाए गए हैंड पम्प वर्षो से खराब पड़े हैं जिसके कारण लोगों को पेयजल के अन्य स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है;

(घ) क्या सरकार का विचार भविष्य में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को पेयजल सुविधा और 'पक्का घर' देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या योजना के अंतर्गत कई राज्यों में कार्य संतोषजनक ढंग से पूरे नहीं हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) आईएवाई के दिशा-निर्देशों में आईएवाई मकान के लिए 20 वर्ग मी. के कुर्सी क्षेत्रफल का प्रावधान है। इस योजना की शुरूआत से अब तक इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए मकानों और वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की कमी की संख्या के राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) आईएवाई के अंतर्गत लक्ष्य निधियों की उपलब्धता के अनुसार वर्ष दर वर्ष आधार पर निर्धारित किये जाते हैं। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के भीतर, आईएवाई के अंतर्गत सभी इच्छुक लाभार्थियों को यथासंभव कवर करने के प्रयास किए जातें हैं। आईएवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार आईएवाई परिवार को पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराना आईएवाई के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार एजेंसियों द्वारा सुनिश्चित किया जाना होता है। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम (एनआरडब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत क्रियाकलापों के साथ आईएवाई के समायोजन के जरिए सुनिश्चित किया जाता है।

(च) और (छ) इंदिरा आवास योजना केन्द्र सरकार की बहुत लोकप्रिय योजना है और सभी राज्यों में कारगर ढंग से कार्यान्वित की जा रही है। आईएवाई पूर्णत: एक सब्सिडी योजना है और मकानों का निर्माण स्वयं लाभार्थियों द्वारा किया जाता हैं। तथापि, कुछ राज्यों में कुशल कामगार, सामग्री और तकनीकी पर्यवेक्षण का अभाव है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे इस मामले को हल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

जहां तक बीपीएल परिवारों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का संबंध हैं, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय राज्यों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों को पर्याप्त एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के राज्यों के प्रयासों में मदद करने के लिए उन्हें वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल- कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) संचालित करता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्य सरकारें योजना बनाने, अनुमोदित करने और राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति के जरिए केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से ग्रामीण पेयजल कार्यान्वित करने में सक्षम हैं। राज्यों में एनआरडीडब्ल्यूपी का कार्यान्वयन संतोषजनक है।

विवरण

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य-वार मकानों की कमी और इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत इसकी शुरूआत (1985-86 से 2011-12 तक) निर्मित मकानों की कुल संख्या को दर्शाने वाला विवरण*

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार मकानों की कमी	निर्मित मकानों की कुल सं.
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1350282	2737571
2.	अरूणाचल प्रदेश	105728	70497
3.	असम	2241230	1434387
4.	बिहार	4210293	4889784
5.	छत्तीसगढ़	11528	337474
6.	गोवा	6422	12361
7.	गुजरात	674354	1111085
8.	हरियाणा	55572	202400
9.	हिमाचल प्रदेश	15928	73238
10.	जम्मू और कश्मीर	92923	160675
11.	झारखंड	105867	838903

1	2	3	4
12.	कर्नाटक	436638	1008892
13.	केरल	261347	662824
14.	मध्य प्रदेश	207744	1533303
15.	महाराष्ट्र	612441	1767758
16.	मणिपुर	69062	40314
17.	मेघालय	148657	73609
18.	मिजोरम	30250	37467
19.	नागालैंड	97157	132181
20.	ओडिशा	655617	2130802
21.	पंजाब	75374	163560
22.	राजस्थान	258634	855934
23.	सिक्किम	11944	25511
24.	तमिलनाडु	431010	1444539
25.	त्रिपुरा	174835	170214
26.	उत्तर प्रदेश	1324028	3798801
27.	उत्तराखंड	53521	202199
28.	पश्चिम बंगाल	974479	1815590
29.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	17890	4492
30.	दादरा और नगर हवेली	1926	1408
31.	दमन और द्वीव	787	524
32.	लक्षद्वीप	190	882
33.	पुडुचेरी	7778	3865
	कुल	14825436	27743044

*दिनांक 16.3.2012 की स्थिति के अनुसार फरवरी माह के लिए प्राप्त वर्ष 2011-12 के लिए ऑन-लाइन प्रगति रिपोर्ट

जल की कमी

[हिन्दी]

1496. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री आर. ध्रुवनारायण:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री जगदीश शर्मा:
श्री मरोतराव सैनुजी कोवासे:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बढ़ती हुई जल की कमी से आर्थिक जोखिम उत्पन्न हो रहा है तथा यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में उन हिस्सों का ब्यौरा क्या है जहां पानी की कमी का पता चला है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जल संसाधन की प्रचुरता के बावजूद देश के पूर्वोत्तर भागों में पानी के उपयोग संबंधी अवसंरचना सुविधाएं बेहतर स्थिति में नहीं है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार कमी से उबरने के लिए किसी विशेष पैकेज की घोषणा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो विशेष रूप से झारखंड सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीन्सेंट एच. पाला): (क) वर्तमान में किए गए आकलन एकीकृत जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय आयोग द्वारा वर्ष 2050 तक 1180 बीसीएम जल की अनुमानित मांग की तुलना में औसत वार्षिक उपयोज्य जल की मात्रा 1123 बीसीएम हैं। देश भर में जल की उपलब्धता में वृहद अस्थायी एवं स्थानिक परिवर्तनशिलता तथा अपर्याप्त भण्डारण क्षमता से जल के संकट की स्थिति में वृद्धि हुई है जिसमें आर्थिक विकास में बाधाएं उत्पन्न हुई हैं।

(ख) भारत में जल की उपलब्धता दक्षिण-पश्चिम और पूर्वोत्तर मानसून में पूर्वोत्तर में 10,000 मि.मी. से अधिक से पूर्वोत्तर भागों में 100 मि. मी. से कम परिवर्तनशीलता होने पर निर्भर हैं।

(ग) जल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के मद्देनजर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन हेतु अनेक

उपाए प्रारंभ किए गए हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भंडारणों का सृजन करना, जल निकायों को पुनरूद्वार करना, वर्षा जल संचयन, भूमि जल का कृत्रिम पुनर्भरण, बेहतर प्रबंधन पद्धतियों को अपनाना इत्यादि शामिल हैं। भारत सरकार विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करती हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों को 'विशेष श्रेणी के राज्यों' में वर्गीकृत किया गया हैं जिसके कारण ये राज्य अधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरकों की आपूर्ति

[अनुवाद]

1497. श्री जी.वी. हर्ष कुमारः क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार खेती के लिए मुख्य पोषक तत्व डाई अमोनियम फॉस्फेट मुरिएट ऑफ पोटाश और यूरिया का सुरक्षित भण्डार बना कर बुआई के समय उर्वरकों के समुचित आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से आंध्र प्रदेश सहित राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) इस समय डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और म्यूरिएट और पोटाश (एमओपी) के बफर स्टॉक का सृजन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विभाग खरीफ और रबी मौसमों के दौरान किसी अप्रत्याशित परिस्थिति से निपटने के लिए प्रमुख खपत वाले राज्यों में उर्वरक कंपनियों (मुख्य उर्वरक आपूर्तिकर्ताओं) के माध्यम से मौसमी आवश्यकता के 5% की सीमा, अर्थात् 6.25 लाख मी.टन तक यूरिया के बफर स्टॉक का संचलन करता है। आंध्र प्रदेश सहित बफर स्टॉक का प्रचालन करने वाले चयनित राज्य निम्न प्रकार हैं:

1. आंध्र प्रदेश
2. कर्नाटक
3. तमिलनाडु
4. गुजरात
5. मध्य प्रदेश
6. महाराष्ट्र
7. राजस्थान
8. हरियाणा
9. पंजाब
10. उत्तर प्रदेश
11. बिहार
12. जम्मू और कश्मीर
13. ओडिशा
14. पश्चिम बंगाल

ईरान से कच्चे तेल का निर्यात

1498. श्री मनीष तिवारी:
डॉ० संजीव गणेश नाईक:
श्री संजय दिना पाटील:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री रमाशंकर राजभर:
श्री हर्ष वर्धन:
श्री पी० विश्वनाथन:
श्री के० सुगुमार:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अप्रैल, 2000 से 1 मार्च 2012 तक सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा आयातित कच्चे तेल का माह-वार और कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों द्वारा कच्चे तेल के आयात के बाद निर्यात किए गए अथवा पुन: निर्यात किए गये परिशोधित पेट्रोलियम उत्पादन की मात्रा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान निर्यात और आयात के ग्राफ में वृद्धि या कमी की प्रवृत्ति देखी गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) भारत द्वारा ईरान को कच्चे तेल को आयात का भुगतान करने के लिये तैयार किए गए भुगतान तंत्र का ब्यौरा क्या है तथा क्या भारत रुपये में भुगतान हेतु यूको बैंक द्वारा तैयार किए गए वैकल्पिक बैंकिग मार्ग पर पाबंदी लगाए जाने की स्थिति में बैंक अप के रूप में सोने में भुगतान की योजना बना रहा है; और

(ङ) उतार-चढ़ाव और बहारी परिस्थितियों के कारण ईरान से तेल का आयात पूरी तरह बंद होने की स्थिति में सरकार की वैकल्पिक रणनीति का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०पी०एन० सिंह): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) 2 दिसंबर, 2010 में आरबीआई द्वारा एशियन क्लियरिंग यूनियन समाप्त करने के पश्चात् सरकार ने अगस्त 2011 में नई भुगतान व्यवस्था शुरू की है जिसके तहत नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी (एनआईओसी) को देय सभी बकाया भुगतानों का सफलतापूर्वक निपटान कर दिया गया है और ईरान से कच्चे तेल के आयात का भुगतान इस व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है, जब भी देय होता है।

भारत द्वारा ईरान से आयातित कच्चे तेल का आंशिक भुगतान भारतीय रुपए में करने के लिए भी भारत और ईरान सहमत हैं।

(ङ) देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विश्व के किसी क्षेत्र विशेष पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए, देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कच्चे तेल के आयातों के अपने स्रोतों में विविधता लाने के भारत सतर्क प्रयास करता रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तेल और गैस उत्पादक देशों से निकट सम्पर्क बनाए हुए हैं और विभिन्न महाद्वीपों में फैले 30 देशों से अधिक से कच्चे तेल का आयात करता है।

देश में मानवयुक्त/मानवरहित समपार फाटक

1499. श्री अरुण यादव:
श्री हरीश चौधरी:
श्री इज्यराज सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार, अंचल-वार मानवयुक्त और मानवरहित समपार फाटकों की संख्या क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार यातायात जाम की समस्या से निपटने के लिए समपार फाटकों को खत्म करने पर विचार कर रही है;

(घ) क्या रेलवे ने इन समपार फाटकों के कारण ट्रेनों की रफ्तार और आवृत्ति में कमी के रूप में हानि का कोई मूल्यांकन किया है तथा इसे अर्थव्यवस्था में हानि के साथ जोड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक उक्त प्रस्ताव पर कार्रवाई की जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ङ) 01.04.2011 को भारतीय रेल पर 14896 बिना चौकीदार वाले और 17839 चौकीदार वाले समपार हैं। रेलवे समपारों के राज्यवार आंकड़े नहीं रखती है। बहरहाल जोनवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। रेलवे ने (i) बिना चौकीदार वाले समपारों के बदले निचले सड़क पुलों/उपमार्गों का निर्माण कर (ii) बिना चौकीदार वाले समपारों को नजदीकी चौकीदार वाले या बिना चौकीदार वाले फाटकों या उपमार्गों या ऊपरी/निचले सड़क पुलों से मिलाने के लिए अंतरण मार्गों के निर्माण द्वारा (iii) जहां दोनों और सड़क नहीं है उन शून्य गाड़ी वाहन इकाई वाले बिना चौकीदार वाले समपारों को बंद करके बिना चौकीदार वाले समपारों का समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। रेलवे ने ऐसे समपारों को जिन्हें अन्य साधनों से समाप्त नहीं किया जा सकता है, पर धीरे-धीरे चौकीदारों को तैनात करने का निर्णय लिया गया है।

समपारों के कारण गाड़ियों के समयपालन में लगभग 3 से 5 प्रतिशत समय बाधित होता है। उपरोक्त कार्यों को वित्तीय संसाधनों और विशेषरूप से समपारों को बंद करने और भविष्य में सड़क एवं नालियों के रख-रखाव के लिए वचनबद्धता देने में राज्य सरकार के सहयोग के अध्ययधीन पूरा किया जाएगा।

विवरण

रेलवे-वार चौकीदार वाले तथा बिना चौकीदार वाले समपार (01.04.2011 को)

क्र.सं.	जोन	चौकीदार वाले समपारों की संख्या	बिना चौकीदार वाले समपारों की संख्या	जोड़
1.	मध्य रेलवे	902	290	1192
2.	पूर्व रेलवे	942	350	1292
3.	पूर्व मध्य रेलवे	1026	799	1825
4.	पूर्व तट रेलवे	535	658	1193
5.	उत्तर रेलवे	2657	1510	4167
6.	उत्तर मध्य रेलवे	1035	484	1519
7.	पूर्वोत्तर रेलवे	1137	1420	2557
8.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	849	1083	1932
9.	उत्तर पश्चिम रेलवे	1350	1295	2645
10.	दक्षिण रेलवे	1781	1122	2903
11.	दक्षिण मध्य रेलवे	1256	1032	2288
12.	दक्षिण पूर्व रेलवे	489	934	1423
13.	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	522	579	1101
14.	दक्षिण पश्चिम रेलवे	681	637	1318
15.	पश्चिम रेलवे	1829	2478	4307
16.	पश्चिम मध्य रेलवे	848	225	1073
	कुल	17839	14896	32735

एसआरएसएफ का उपयोग

[हिन्दी]

1500. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुरक्षा उपाय के लिए विशेष रेलवे संरक्षा निधि (एसआरएसएफ) का सृजन रेलवे में एक दशक पूर्व हो गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रयोजन के लिए दी गई राशि का उपयोग हाल में अनिल काकोदकर समिति की सिफारिशों में संदर्भित मदों पर किए जाने का प्रस्ताव था;

(ग) यदि हां, तो रेलवे की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या वे मद जिन पर व्यय एक दशक पूर्व हो गया था, का पुनः मरम्मत/पुनरूद्धार की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कार्य योजना बनाई गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) रेलवे अवसंरचना की मरम्मत और पुनरूद्धार करना एक सतत प्रक्रिया है। मरम्मत और पुनरूद्धार का कार्य जब भी अपेक्षित होता है, किया जाता हैं।

नई ट्रेनें

1501. श्री ए.टी. नाना पाटील: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा घोषित नई ट्रेनों की वर्ष-वार संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से शुरू की गई ट्रेनों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक शुरू नहीं की गई ट्रेनों की संख्या और उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन्हें विलंब से शुरू करने का क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों में घोषित की गई नई गाड़ियां, चलाई गई गाड़ियां और वे गाड़िया जो अभी चलाई जानी हैं, का ब्यौरा वर्षवार नीचे दिए अनुसार है:

वर्ष	घोषित की गई नई गाड़ियां	चलाई गई गाड़ियां	चलाई जाने वाली गाड़ियां
2009-10	78	78	0
2010-11	124	116	8
2011-12	132	116	16

2010-11 में घोषित की गई गाड़ियों का ब्यौरा जिन्हें अभी चलाया जाना हैं, वे इस प्रकार हैं: (1) राजगीर-हावड़ा एक्सप्रेस (2) बेंगलूरू-नीलमंगला यात्री गाड़ी (3) कोयंबतूर-पोलाच्ची यात्री गाड़ी (4) बरेली-लालकुआं यात्री गाड़ी (5) कटिहार-तेजनारायणपुर यात्री गाड़ी (कटिहार से मनीहारी तक यात्री गाड़ी पहले ही शुरू कर दी गई है) होस्पेट-हरिहर यात्री गाड़ी (6) काजीगुंड-बारामुला (7) कृष्णानगर-फरक्का डेमू।

सामान्यतः चालू वर्ष अर्थात 2011-12 में घोषित की गई गाड़ियां उसी वर्ष शुरू की जाती हैं।

(घ) आमान परिवर्तन का कार्य पूरा न होने, रेलवे संरक्षा आयुक्त से आवश्यक स्वीकृत प्राप्त न होने पर (नए खुले और आमान परिवर्तन खंड के मामले में) भी जैसी विभिन्न कठिनाइयों के कारण घोषित गाड़ियां, अभी भी चलाई जानी हैं।

लाभ की हिस्सेदारी

1502. श्रीमती भावना पाटील गवली: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्पादन भागीदारी ठेके के अधीन (पीएससी) 2006 से सरकार और निजी कंपनियों के बीच लाभ के हिस्से के बंटवारे के मानदंड क्या हैं; और

(ख) उक्त के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत लाभ पेट्रोलियम को पूर्व-परिभाषित निवेश गुणक (आईएम) अथवा पीएससी

में करोपरांत प्रतिफल (पीटीआरआर) ट्रांचेज की दर, जो अलग-अलग संविदा में भिन्न भिन्न होती है, के आधार पर संविदाकार (संविदाकारों) और भारत सरकार (जीओआई) के बीच बांटा जाना अपेक्षित है।

एनईएलपी-1 से एनईएलपी-4 पीएससीज (वर्ष 2000 और 2007 के बीच हस्ताक्षरित) के मामले में संविदाकारों द्वारा-1.5 के आईएम अथवा 3.5 के आईएम से कम अथवा अधिक के स्लाइडिंग स्केल सिद्धांतों के आधार पर आईएम्स की विभिन्न ट्रांचेज के लिए लाभ पेट्रोलियम के सरकार के हिस्से हेतु बोली देना अपेक्षित था। एनइनएलपी-7 (2008 मे हस्तारक्षित) से संविदाकार (संविदाकारों) द्वारा आईएम के केवल दो स्तरों, नामत: 1.5 अथवा कम के आईएम पर लाभ का हिस्सा और 3.5 अथवा अधिक के आईएम पर लाभ का हिस्सा, पर बोली देना अपेक्षित है। 1.5 और 3.5 के बीच आईएम पर लाभ पेट्रोलियम को सरकार के हिस्से का निर्धारण अंतर्वेशन द्वारा किया जाता है। नई व्यवस्था में लाभ पेट्रोलियम के सरकार के हिस्से में आईएम में वृद्धि की तुलना में एक समान वृद्धि (लीनियर स्केल) होती है और लाभ के हिस्से में अचानक होने वाली वृद्धि से बचा जाता है।

(ख) दिनांक 31.12.2011 तक भारत सरकार द्वारा प्राप्त किया गया कुल लाभ पेट्रोलियम 37,160 करोड़ रुपए है।

मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी

[अनुवाद]

1503. श्री उदय सिंह:
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:
श्री हमदुल्लाह सईद:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली और देश के अन्य भागों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत राज्य-वार मजदूरी का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार इस योजना के अंतर्गत लगी महिलाओं में अजा/अजजा समुदाय की महिलाओं का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या कुछ राज्यों में इस योजना के अंतर्गत दी जा रही मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में निर्धारित मजदूरी से कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) योजना के अंतर्गत मजदूरी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ग) से (ङ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मजदूरी की दरें विवरण-I में दी गई हैं। मनरेगा दिल्ली में लागू नहीं है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अकुशल कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत अकुशल कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों तथा मनरेगा मजदूरी दरों की तुलना को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, प. बंगाल, गोवा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दादरा व नगर हवेली तथा लक्षद्वीप में मनरेगा मजदूरी दर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत अकुशल कृषि श्रमिकों के लिए तय न्यूनतम मजदूरी से कम है। सरकार ने कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआईएएल) के हिसाब से मनरेगा मजदूरी की सूची बना ली है और तदनुसार मनरेगा अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत संशोधित मजदूरी दरों की अधिसूचना जारी कर दी है।

(ख) 2011-12 में (16.2.2012 तक) मनरेगा के अंतर्गत सृजित श्रम दिवसों की कुल संख्या तथा उसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति, तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिशत, जैसाकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने जानकारी दी है, विवरण-II में दिया गया है। मनरेगा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदायों की महिलाओं की भागीदारी का अलग से आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

विवरण-I

मनरेगा बनाम न्यूनतम मजदूरी दर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.1.2012 को मनरेगा मजदूरी दर	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत कृषि श्रमिकों के लिए वर्तमान न्यूनतम मजदूरी दर
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	121	168
2.	अरूणाचल प्रदेश	118	135.154
3.	असम	130	100.42
4.	बिहार	120	120
5.	छत्तीसगढ़	122	114
6.	गुजरात	124	100
7.	हरियाणा	179	173.19
8.	हिमाचल प्रदेश-गैर अनुसूचित क्षेत्र	120	120
8.क	हिमाचल प्रदेश-अनुसूचित क्षेत्र	150	150
9.	जम्मू और कश्मीर	121	110
10.	झारखंड	120	127
11.	कर्नाटक	125	145.58
12.	केरल	150	200
13.	मध्य प्रदेश	122	124
14.	महाराष्ट्र	127	100
15.	मणिपुर	126	122.1
16.	मेघालय	117	100
17.	मिजोरम	129	170
18.	नागालैंड	118	एन.ए.
19.	ओडिशा	125	90
20.	पंजाब	153	153.8
21.	राजस्थान	119	135
22.	सिक्किम	118	100
23.	तमिलनाडु	119	100
24.	त्रिपुरा	118	100
25.	उत्तर प्रदेश	120	100
26.	उत्तराखण्ड	120	121.65
27.	पश्चिम बंगाल	130	167
28.	गोवा	138	157
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		
29.क	अंडमान	170	205
29.ख	निकोबार	181	216
30.	दादरा और नगर हवेली	138	156.2
31.	दमन और दीव	126	एन.ए.
32.	लक्षद्वीप	138	147.4
33.	पुडुचेरी	119	115
34.	चंडीगढ़	174	एन.ए.

एन.ए. - उपलब्ध नहीं

विवरण-II

2011-12 में मनरेगा में अनु.जा., अनु.ज.जा. तथा महिलाओं के लिए भागीदारी (16.2.2012 तक)

क्र.सं.	राज्य	कुल श्रम दिवस (लाख में)	अ.जा. की भागीदारी का प्रतिशत	अ.ज.जा. की भागीदारी का प्रतिशत	महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2243.26	27.36	18.33	57.73
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.14	0.00	99.88	25.45
3.	असम	225.95	5.52	23.60	24.77
4.	बिहार	239.46	24.99	2.05	27.97
5.	छत्तीसगढ़	833.60	10.32	34.97	45.32
6.	गुजरात	234.32	7.90	39.51	45.79
7.	हरियाणा	70.93	49.93	0.02	36.06
8.	हिमाचल प्रदेश	177.09	30.40	6.83	59.50
9.	जम्मू और कश्मीर	70.44	6.10	12.23	15.53
10.	झारखंड	441.87	12.87	38.18	31.03
11.	कर्नाटक	310.49	15.72	8.33	45.76
12.	केरल	430.27	14.37	2.55	92.91
13.	मध्य प्रदेश	1018.17	20.61	27.16	42.48
14.	महाराष्ट्र	332.55	5.80	16.81	46.06
15.	मणिपुर	63.51	0.82	60.79	34.08
16.	मेघालय	95.38	0.71	93.91	41.32
17.	मिजोरम	66.61	0.09	99.60	23.75
18.	नागालैंड	84.56	1.48	89.86	22.47
19.	ओडिशा	346.88	17.69	36.92	38.48
20.	पंजाब	45.65	77.73	0.04	43.76
21.	राजस्थान	1548.95	16.76	26.40	69.01
22.	सिक्किम	16.20	4.87	35.37	46.48

1	2	3	4	5	6
23.	तमिलनाडु	2042.42	29.12	1.23	75.23
24.	त्रिपुरा	343.54	17.73	43.16	38.21
25.	उत्तर प्रदेश	2008.37	31.72	1.22	17.16
26.	उत्तराखंड	111.93	18.67	3.42	43.27
27.	पश्चिम बंगाल	600.82	34.05	10.76	31.70
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.02	0.03	2.03	46.39
29.	दादरा और नगर हवेली	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
30.	दमन और दीव	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
31.	गोवा	2.83	3.18	21.37	75.57
32.	लक्षद्वीप	1.15	0.15	98.49	40.46
33.	पुडुचेरी	8.12	36.79	0.08	79.61
34.	चंडीगढ़	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
	कुल	14019.47	22.55	17.79	49.20

[हिन्दी]

नदियों के तटों का कटाव

1504. श्री जगदानंद सिंह: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में विभिन्न स्थानों पर गंगा नदी के तटों के भारी कटाव को देखते हुए कृषि और घरों को खतरा उत्पन्न हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में नदी के तटों के कटाव को रोकने के लिए व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गंगा के तटों के कटाव के कारण हुए नुकसान को रोकने के लिए योजना का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां।

(ख) प्रत्येक वर्ष बाढ़ के दौरान बाढ़ मैदानों में स्थित अथवा गंगा जैसी टेढ़ी-मेढ़ी बहने वाली नदियों के मार्ग में आने वाली कृषि भूमि एवं घर, विभिन्न स्थानों पर नदियों द्वारा कटाव होने से ग्रस्त हो सकते हैं। गंगा नदी से कटाव के कारण प्रभावित होने वाले प्रमुख राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल हैं।

(ग) और (घ) 11वीं योजना अवधि के दौरान एक राज्य क्षेत्रीय स्कीम नामत: "बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी)" के अंतर्गत बाढ़ से ग्रसित सभी नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण और कटाव रोधी कार्यों हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। 11वीं योजना के दौरान "एफएमपी" के अंतर्गत बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित सात गंगा बेसिन राज्यों में गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों पर कुल अनुमानित लागत 4205.28 करोड़ रु. के कुल 97 कार्यों को शामिल किया गया है तथा दिनांक 29.02.2012 तक संबंधित राज्यों को 1627.91 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता राशि निम्नानुसार जारी की गई है:-

क्र.सं.	राज्य	एफएमपी के अंतर्गत शामिल की गई स्कीमें			29.2.2012 तक जारी की गई निधियां
		संख्या	कुल लागत	केन्द्रीय हिस्सा	
1.	बिहार	43	1370.42	1027.80	629.15
2.	हरियाणा	1	173.75	130.31	46.91
3.	हिमाचल प्रदेश	1	34.67	31.20	16.20
4.	झारखंड	3	39.30	29.47	17.07
5.	उत्तर प्रदेश	26	667.57	500.67	283.79
6.	उत्तराखंड	12	119.82	104.71	34.57
7.	पश्चिम बंगाल	11	1799.75	1349.81	600.22
	कुल	97	4205.28	3173.97	1627.91

उपर्युक्त के आलावा 11वीं योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम "नदी प्रबंधन कार्यकलाप एवं सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्य" के अंतर्गत बाढ़ सुरक्षा कार्यों को प्रारंभ करने के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों को सहायता अनुदान भी जारी किए गए हैं। "नदी प्रबंधन कार्यकलाप एवं सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्यों" के तहत राज्य सरकारों को सहायता अनुदान निम्नानुसार जारी किए गए हैं:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	29.2.2012 तक जारी
1.	बिहार	163.96
2.	उत्तर प्रदेश	33.20
3.	पश्चिम बंगाल	88.83
	कुल	285.99

ग्रामीण विकास योजनाएं

1505. **श्री लक्ष्मण टुडु:**
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:
डॉ. रतन सिंह अजनाला:
डॉ. संजय सिंह:
श्री निशिकांत दुबे:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री नरहरि महतो:
श्री कादिर राणा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में संभावति वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई/की जा रही योजनाओं को ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान और चालू वर्ष में प्रत्येक योजनाओं के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमिताओं की कोई शिकायत मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों के संभावित विकास के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), स्वर्णजयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई)/ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), इंदिरा आवास

योजना (आईएवाई), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) तथा समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) नामक योजनाएं कार्यान्वित करता है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीब्ल्यूपी) और सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) योजनाओं का कार्यान्वियन भी ग्रामीण विकास मंत्रालय कर रहा था किंतु 14.7.2011 से इसका कार्यान्वयन पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

(ख) पिछले तीन वर्षों (2008-09, 2009-10 तथा 2010-11) तथा चालू वर्ष 2011-12 (फरवरी 2012 तक) के दौरान प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय आवंटन, रिलीज तथा राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों द्वारा सूचित उपयोग विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सभी से प्राप्त सभी प्रकार की शिकायतों को उपयुक्त कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को तुरन्त भेज दिया जाता है।

विवरण

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा वर्ष 2011-12 (फरवरी 2012 तक) के दौरान प्रमुख ग्रामीण कार्यक्रमों के अंतर्गत केन्द्रीय आवंटन, रिलीज तथा व्यय का कार्यक्रमवार विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
		केन्द्रीय आवंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय	केन्द्रीय आवंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय	केन्द्रीय आवंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय	केन्द्रीय आवंटन	केन्द्रीय रिलीज	व्यय
1.	मनरेगा	30000.19	29939.39	27250.09	39100.00	33506.61	37905.23	40100.00	35768.95	39377.27	31000.00	22967.73	20937.17
2.	एसजीएसवाई/ एनआरएलएम	2350.00	2337.89	2285.40	2350.00	2230.00	2779.19	2984.00	2665.18	2804.04	2914.00	2230.14	1678.00
3.	आईएवाई	5645.77	8795.79	8348.34	8494.70	8635.74	13292.46	10053.70	10139.45	13465.73	9491.20	8769.94	9618.70
4.	पीएमजीएसवाई	3615.00	148.48	151.61	3089.00	169.00	188.33	1269.00	203.66	149.11	18972.08	96902.60	88916.91
5.	एनएसएपी	4444.92	4444.92	3754.82	5113.45	5113.41	4668.08	5120.57	5120.57	5269.93	6619.33	5124.00	4202.98
6.	एनआरडीडब्ल्यूपी	6896.72	7056.02	5998.27	7986.43	7989.72	7205.43	8550.00	8941.81	8131.22	8330.00	7276.99	6658.78
7.	टीएससी	1200.00	980.14	834.85	1200.00	1038.85	1334.08	1580.00	1531.95	1176.17	1500.00	1281.46	1646.29
8.	आईडब्ल्यूएमपी	1545.00	1544.40	1590.05	1762.80	1762.64	1515.02	2458.00	2456.13	1199.67	2314.20	2055.35	NR

व्यय के आंकड़े कुल उपलब्ध निधियों में से हैं जिसमें योजनाएं अथशेष + केन्द्रीय रिलीज + राज्य रिलीज + विविध प्राप्तियां शामिल हैं।

नोट: मनरेगा तथा आईडब्ल्यूएमपी नामक योजनाएं मांग आधारित हैं। राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-निष्पादन संबंधी पैनल

1506. श्री जोस के. मणि: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसयूज) के कार्य-निष्पादन का अध्ययन करने के लिए नियुक्त पैनल ने उल्लेख किया है कि सतर्कता संबंधी कार्यों के भय के कारण पीएसयू जोखिम उठाने और निर्णय लेने से कतराती है जिससे इनके कार्य-निष्पादन पर प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त पैनल की सिफारिश के अनुसार फर्मों को अफसरशाही पद्धति से मुक्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) योजना आयोग ने अप्रैल, 2010 में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में सुधारों पर विशेषज्ञों के एक पैनल का गठन किया था। पैनल ने योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 2011 में प्रस्तुत कर दी है जिस पर विचार किया जा रहा है।

रेलवे में नये जोन/मंडल

1507. श्री पी.सी. गद्दीगौदर:
कुमारी सरोज पाण्डेय:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार रेलवे बोर्ड के आधुनिकीकरण के साथ देश में नये जोन और मंडलों का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितनी निधियां आवंटित की गई तथा उनके कार्यान्वयन हेतु क्या समय-सीमा बनाई गई है;

(ग) देश में कुल कितने रेलवे जोन हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक जोन से कितना राजस्व प्राप्त हुआ;

(घ) क्या प्रत्येक जोन में रेलवे सुविधाओं के प्रसार पर व्यय की गई निधियां प्रत्येक जोन द्वारा सृजित राजस्व धनराशि के अनुपात में है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों हेतु जोन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): *(क) और (ख) रेलवे बोर्ड में नए जोनों और मंडलों का सृजन और आधुनिकीकरण एक चालू प्रक्रिया है जिसे समय-समय पर उत्पन्न होने वाली परिचालनिक और संगठनात्मक आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। मौजूदा अथवा पहले से घोषित जोन और मंडलों के अलावा, इस समय नए जोनों अथवा मंडलों के सृजन पर विचार किया जा रहा है।

(ग) मेट्रो रेलवे/कोलकाता सहित, जिसे अभी हाल ही में क्षेत्रीय रेलवे घोषित किया गया है, भारतीय रेलवे पर 17 जोन हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक क्षेत्र द्वारा सृजित राजस्व नीचे दिए अनुसार है:

(रु. करोड़ में)

क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4
मध्य	6427.24	6909.08	7466.44
पूर्व	3112.78	3514.97	3840.07
पूर्व मध्य	4713.45	5133.90	5449.70
पूर्व तट	6638.21	7023.93	8887.81
उत्तर	7481.40	8812.37	9775.50
उत्तर मध्य	6813.86	7551.97	7965.75
पूर्वोत्तर	1391.84	1464.77	1682.93
पूर्वोत्तर सीमा	2347.75	2430.86	2616.06
उत्तर पश्चिम	2466.37	3001.56	3379.72
दक्षिण	4324.05	4456.90	4790.28

1	2	3	4
दक्षिण मध्य	7715.32	8392.51	8531.91
दक्षिण पूर्व	6737.31	7214.80	7752.35
दक्षिण पूर्व मध्य	5007.35	5378.67	5799.84
दक्षिण पश्चिम	3035.20	2879.85	2866.59
पश्चिम	6700.74	7381.29	7820.84
पश्चिम मध्य	4850.15	5468.51	5796.52
मेट्रो रेलवे	74.06	88.71	103.15
कुल	79837.08	87104.65	94525.46

* दिनांक 22.03.2012 के वाद-विवाद में अतारांकित प्रश्न सं० 1507 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में तदनंतर दिनांक 29.03.2012 को सभा में दिए गए शुद्धि विवरण के माध्यम से शुद्धि की गई और तदनुसार उत्तर में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:

(क) और (ख) रेलवे बोर्ड में नए जोनों और मंडलों का सृजन और आधुनिकीकरण एक चालू प्रक्रिया है जिसे समय-समय पर उत्पन्न होने वाली परिचालिक और संगठनात्मक आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। इस समय मौजूदा अथवा पहले से घोषित जोन और मंडलों के अलावा नए जोनों अथवा मंडलों के सृजन पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(घ) और (च) रेलवे द्वारा सृजित राजस्व केंद्रीकृत रूप में संकलित किया जाता है और उसके बाद क्षेत्रीय रेलों के निवेश और संचालन खर्चों के लिए उपयोग किया जाता है जो प्रदेश तथा क्षेत्र विशेष तथा समग्र रूप से राष्ट्रीय प्राथमिकता की विशिष्ट आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

प्राकृतिक गैस का आयात

1508. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे देश में प्राकृतिक गैस का आयात किया जा रहा है;

(ख) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कंपनी-वार आयात की गई गैस की मात्रा का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०पी०एन० सिंह): (क) प्राकृतिक गैस आयात कतर, मलेशिया, रूस, यूएई, मिस्र, ओमान, आस्ट्रेलिया, अलजीरिया, नाइजीरिया, यूएसए, नार्वे, त्रिनिडाड और टोबैगो, विषुवतीय गायना, बेल्जियम, इंडोनेशिया और यमन से किया जाता है।

(ख) वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 की अवधि के दौरान, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) और हजीरा एलएनजी प्रा०लि० (एचएलपीएल) द्वारा आयात की गई प्राकृतिक गैस निम्नवत् है:-

आंकड़े मिलियन मीट्रिक टन में (एमएमटी)

कंपनी	2009-10	2010-11	2011-12
पीएलएल	7.75	9.29	10.33 (18-3-2012 तक)
एचएलपीएल	1.4	1.08	2.09 (फरवरी 2012 तक)

निर्मल ग्राम पुरस्कार

1509. श्री वरुण गांधी:
श्री एस. पक्कीरप्पा:

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना के अनुपयुक्त कार्यान्वयन के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त लक्ष्यों के बीच अन्तर का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए/उठाये जाने प्रस्तावित हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी निधियां आबंटित की गईं और व्यय की गईं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश):

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निर्मल ग्राम पुरस्कार के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रदान किए गए पुरस्कारों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) निर्मल ग्राम पुरस्कार के अंतर्गत पुरस्कार राशि के वितरण के लिए आवंटन राज्य-वार नहीं किया गया है। तथापि, विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्मल ग्राम पुरस्कार के अंतर्गत पंचायत राज संस्थानों को पुरस्कार राशि के रूप में जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पंचायती राज संस्थानों को दिए गए निर्मल ग्रामीण पुरस्कारों की संख्या

		2008			2009			2010			2011		
क्रम.सं.	राज्य	जीपी	बीपी	जेडपी	जीपी	बीपी	जेडपी	जीपी	बीपी	जेडपी	जीपी	बीपी	जेडपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	662	1	0	272	0	0	44	0	0	142	0	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	4	0	0	8	0	0	3	0	0	14	0	0
3.	असम	14	0	0	6	0	0	2	0	0	5	0	0
4.	बिहार	155	0	0	0	0	0	13	0	0	6	0	0
5.	छत्तीसगढ़	300	0	0	119	0	0	172	0	0	124	0	0
6.	गुजरात	739	0	0	350	0	0	189	0	0	422	61	0
7.	हरियाणा	798	1	0	131	0	0	259	0	0	330	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	245	1	0	253	0	0	168	0	0	323	0	0

1	2	3			4			5			6		
9.	जम्मू और कश्मीर	12	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
10.	झारखंड	142	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	कर्नाटक	479	1	0	245	3	0	121	0	0	103	2	1
12.	केरल	600	84	4	43	15	2	103	1	0	7	11	2
13.	मध्य प्रदेश	682	0	639	00	344	0	0	212	0	0	0	0
14.	महाराष्ट्र	4300	2	0	1720	6	0	694	0	0	442	2	0
15.	मणिपुर	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मेघालय	11	0	0	52	0	0	160	0	0	365	0	0
17.	मिजोरम	8	0	0	20	0	0	5	0	0	53	0	0
18.	नागालैंड	8	0	0	42	0	0	23	0	0	17	0	0
19.	ओडिशा	94	0	0	20	0	0	81	0	0	48	0	0
20.	पंजाब	22	0	0	74	0	0	51	0	0	19	0	0
21.	राजस्थान	141	0	0	43	0	0	82	0	0	32	0	0
22.	सिक्किम	137	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	तमिलनाडु	1474	5	0	196	0	0	237	0	0	51	0	0
24.	त्रिपुरा	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	उत्तर प्रदेश	492	0	0	6	0	0	13	0	0	41	0	0
26.	उत्तराखंड	160	0	0	136	0	0	44	0	0	63	0	0
27.	पश्चिम बंगाल	328	17	0	109	4	0	0	0	0	36	0	0
	कुल	12038	112	8	4556	28	2	2808	1	0	2857	15	3

जीपी - ग्राम पंचायत
बीपी - ब्लॉक पंचायत
जेडपी - जिला पंचायत

विवरण-II

निर्मल ग्राम पुरस्कार के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों को पुरस्कार राशि के रूप में रिलीज की गई राज्य-वार निधियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	आंध्र प्रदेश	888.50	427.00	67.15	311.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	2.00	4.00	1.70	7.00
3.	असम	60.00	26.00	7.65	20.00
4.	बिहार	658.00	0.00	50.00	22.00
5.	छत्तीसगढ़	357.50	130.00	204.50	139.50
6.	गुजरात	981.50	427.00	245.00	540.50
7.	हरियाणा	1149.00	165.00	297. 50	342.00
8.	हिमाचल प्रदेश	363.00	164.50	297.50	430.50
9.	जम्मू और कश्मीर	11.00	0.00	0.00	2.00
10.	झारखंड	478.50	242.00	0.00	0.00
11.	कर्नाटक	1421.00	857.00	358.70	412.00
12.	केरल	4853.00	600.50	453.90	335.00
13.	मध्य प्रदेश	916.50	874.00	422.02	270.00
14.	महाराष्ट्र	4989.50	2460.50	745.45	576.50
15.	मणिपुर	2.00	2.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	12.00	22.50	3.40	28.50
17.	मेघालय	6.50	29.50	72.25	187.00
18.	नागालैंड	4.50	48.00	14.45	21.00
19.	ओडिशा	309.00	69.00	243.95	148.00
20.	पंजाब	17.00	64.50	48.00	14.00
21.	राजस्थान	424.00	122.00	192.95	73.50
22.	सिक्किम	353.00	0.00	0.00	0.00
23.	तमिलनाडु	2847.00	326.50	351.48	85.00
24.	त्रिपुरा	55.00	0.00	0.00	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	1220.00	6.00	23.00	47.50
26.	उत्तराखंड	128.50	98.00	38.25	38.50
27.	पश्चिम बंगाल	1965.00	622.00	0.00	177.00

[हिन्दी]

बाढ़ प्रबंधन

1510. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी:
श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ:
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बाढ़ प्रवण क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन के लिए केन्द्र के समक्ष कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2009 से राज्य-वार विशेषकर कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और केरल का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान मांगी गई और आवंटित राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजना के पूरा होने का संभावित समय क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच.पाला): (क) राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (आरबीए) ने 1980 में आकलन किया था कि देश में 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। इसका ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। देश में बाढ़ संभावित क्षेत्रों को वैज्ञानिक ढंग से कोई और आकलन नहीं किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों से प्राप्त बाढ़ प्रबंधन प्रस्तावों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) वर्ष 2009 से बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य/प्रस्तावों की लागत तथा जारी की गई राशि का ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत शामिल कार्य, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। इन कार्यों को मार्च, 2014 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

विवरण I

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (आरबीए) द्वारा आकलित भारत में बाढ़ संभावित क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा-1980

(लाख हेक्टेयर क्षेत्र)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आरबीए द्वारा आकलित बाढ़ संभावित क्षेत्र
1	2	3
(क) राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	13.90
2.	अरूणाचल प्रदेश	
3.	असम	31.50
4.	बिहार	*42.60
5.	छत्तीसगढ़	-
6.	दिल्ली (रा.राज.क्षेत्र)	0.50
7.	गोवा	
8.	गुजरात	13.90
9.	हरियाणा	23.50
10.	हिमाचल प्रदेश	2.30
11.	जम्मू और कश्मीर	0.80
12.	झारखंड	-
13.	कर्नाटक	0.20
14.	केरल	8.70
15.	मध्य प्रदेश	*2.60
16.	महाराष्ट्र	2.30
17.	मणिपुर	0.80
18.	मेघालय	0.20
19.	मिजोरम	-
20.	नागालैंड	-

1	2	3
21.	ओडिशा	14.00
22.	पंजाब	37.00
23.	राजस्थान	32.60
24.	सिक्किम	-
25.	तमिलनाडु	4.50
26.	त्रिपुरा	3.30
27.	उत्तर प्रदेश	* 73.36
28.	उत्तराखंड	-
29.	पश्चिम बंगाल	26.50
	उप-योग (राज्य)	335.06
(ख)	**संघ राज्य क्षेत्र**	
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-
31.	चंडीगढ़	-
32.	दादरा और नगर हवेली	-
33.	दमन और दीव	-
34.	लक्षद्वीप	-
35.	पुदुचेरी	0.10
	उप-योग (संघ राज्य क्षेत्र)	0.10
	कुल जोड़	335.16

*आंकड़े विभाजन से पहले के हैं

आरबीए द्वारा आकलित बाढ़ संभावित क्षेत्र

(1)	एक वर्ष में बाढ़ से प्रभावित अधिकतम क्षेत्र (1953 से 1980) 1978 तक सुरक्षित किया गया क्षेत्र	= 33.516 मिलियन हेक्टेयर अर्थात 34 मिलियन हेक्टेयर
(2)	1978 तक सुरक्षित कुल क्षेत्र	= 10 मिलियन हेक्टेयर
(3)	दरार/सुरक्षा में असफलता के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल सुरक्षित के लिए घटना	= 4 मिलियन हेक्टेयर
	बाढ़ संभावित क्षेत्र =(1) + (2) - (3) = 34 + 10 - 4	= 40 मिलियन हेक्टेयर

विवरण II

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल तमिलानाडु राज्य सरकारों से केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त बाढ़ प्रबंधन प्रस्तावों की राज्यवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृति प्रस्तावों की संख्या	हटाए गए प्रस्तावों की संख्या	जांचाधीन प्रस्तावों की संख्या	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम में शामिल प्रस्तावों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	2	0	2	0	0
2.	कर्नाटक	8	7	0	1	3
3.	केरल	4	4	0	0	4
4.	तमिलनाडु	5	5	0	0	5

विवरण III

2009 से बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित बाढ़ प्रबंधन कार्य और आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य सरकारों को जारी निधि का राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	एफएमपी के तहत शामिल करने हेतु प्रस्ताव		एफएमपी में शामिल प्रस्ताव		2009 से 29 फरवरी, 2012 तक जारी निधियां
		संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत (11वीं योजना के दौरान एफएमपी के अंतर्गत)	
1.	आंध्र प्रदेश	2	1125.00	0	0.00	0.00
2.	कर्नाटक	8	370.66	3	59.46	0.00
3.	केरल	4	771.05	4	319.74	22.42
4.	तमिलनाडु	5	635.54	5	613.32	59.82
	कुल	19	2902.25	12	992.52	82.24

[अनुवाद]

कोच जोड़ना

1511. श्री राजेन्द्रसिंह राणा:
श्री ई.जी. सुगावनम:
श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को भावनगर-मुम्बई के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 12971/72 में यात्री कोच बढ़ाने, मुम्बई एवं चेन्नई मार्ग पर डबल डेकर कोच बढ़ाने तथा भिवानी एवं कालका के बीच दौड़ने वाली एकता एक्सप्रेस (14795/96) में ए.सी. कोच लगाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिससे उक्त मार्गों पर भारी मांग के मद्देनजर और अधिक संख्या में यात्रियों को यात्रा की सुविधा प्रदान की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) दो स्लीपर डिब्बे, एक 23.06.2010 से तथा दूसरा 04.07.2011 से 12971/12972 बांद्रा (टर्मि)-भावनगर एक्सप्रेस में लगाए गए हैं। फिलहाल, मुंबई और चेन्नै के बीच डबल डैकर डिब्बे शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. 14795/14796 भिवानी-कालका एकता एक्सप्रेस अपने अधिकतम अनुमेय भार के साथ पानीपत में जुड़ने/कटने के साथ 14095/14096 दिल्ली सराय रोहिल्ला-कालका हिमालयन क्वीन एक्सप्रेस के साथ मिलकर चल रही है। इन दोनों गाड़ियों में अतिरिक्त एसी डिब्बों को लगाना फिलहाल परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है। इसके अलावा, गाड़ियों में डिब्बों को लगाना भारतीय रेलों पर एक सतत् प्रक्रिया है और इसे यातायात पैटर्न, परिचालनिक व्यावहार्यता, वाणिज्यिक व्यावहारिकता और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है.

जल का अधिकार

[हिन्दी]

1512. श्री अर्जुन राय:
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के नागरिकों को जल प्रयोग करने का अधिकार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जल के प्राकृतिक स्रोतों से मानव उपभोग तक पहुंचने की प्रक्रिया में सरकार की भूमिका केवल एक प्रबंधक तक सीमित होकर रह गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रारूप राष्ट्रीय जल नीति, 2012 बनाने में सरकार की भूमिका क्या हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने यह व्याख्या की है कि पेयजल का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिये गए मौलिक अधिकार-जीवन के अधिकार में सम्मिलित हैं।

(ग) और (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार लोक विश्वास सिद्धांत के अंतर्गत जल संसाधनों का प्रबंधन करना सरकार की जिम्मेदारी है।

(ङ) जल संसाधन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल नीति, 2012 का मौसदा तैयार किया है तथा इस संबंध में टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने राष्ट्रीय जल बोर्ड की सिफारिश पर राष्ट्रीय जल नीति को अपनाया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) की समीक्षा

[अनुवाद]

1513. श्री पी.टी. थॉमस:
श्री समीर भुजबल:
श्री जोसेफ टोप्पो:
श्री रावसाहेब दानवे पाटील:
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं परिणाम क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त सफलता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किये गये अधिकांश गांवों में अभी तक सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं;

(च) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी निधियां जारी की गईं और उपयोग में लाई गई, और

(छ) अगले दो वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितने अतिरिक्त गांवों को शामिल किये जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, हां। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय राज्य ग्रामीण पेयजल आपूर्ति विभागों के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों एवं विडियो कान्फ्रेंसों का आयोजन करके समय-समय पर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडी डब्ल्यूपी) के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है। सभी राज्यों के ग्रामीण पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता प्रभारी राज्य सचिवों का सम्मेलन 1 जून, 2011 को आयोजित किया गया, जिसमें एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत की गई प्रगति की समीक्षा की गई। दिनांक 01 जून, 2011 के सम्मेलन में विभिन्न राज्यों में अपनाई गई अच्छी पद्धतियों से जुड़ी जानकारी का भी आदान-प्रदान किया गया। फरवरी-मार्च, 2012 में अगले वर्ष की वार्षिक कार्य योजनाओं पर विचार-विमर्श के दौरान राज्यों की प्रगति की समीक्षा भी की गई। राज्यों से कहा गया कि वे इस कार्यक्रम के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वास्तविक और वित्तीय प्रगति में तेजी लाएं। मंत्रालय के वरिष्ठ/तकनीकी अधिकारी भी इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति का अवलोकन करने के लिए राज्यों के दौरे करते हैं। समीक्षा बैठकों और दौरों से इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है, जिनमें प्रगति कम है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण बसावटों की पेयजल आपूर्ति में कवरेज की उपलब्धि दर्शाने संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) और (ङ) इस मंत्रालय की समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर 14.3.2012 तक राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, देशभर में 16,64,186 ग्रामीण बसावटों में से लगभग 1,06,500 में कुछ स्रोतों में रासायनिक संदूषण की समस्या है, जिनमें सुरक्षित पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जानी है। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। भारत सरकार ने एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत गुणवत्ता की समस्या से प्रभावित बसावटों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति के प्रावधान को प्राथमिकता दी है। इस संबंध में राज्यों को किए गए कुल आबंटन में से 62% का उपयोग गुणवत्ता की समस्या से प्रभावित बसावटों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकता है। वर्ष 2011-12 में एनआरडीडब्ल्यूपी के लिए 8500 करोड़ रु. का बजटीय आबंटन (संशोधित अनुमान) किया गया है।

(च) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रिलीज की गई निधियां और व्यय को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(छ) वर्ष में बसावटों की कवरेज का लक्ष्य उस वर्ष के आरंभ में राज्यों द्वारा तैयार की जाने वाली वार्षिक कार्य योजनाओं में तय किया जाता है और निधियों की उपलब्धता इत्यादि के आधार पर उस लक्ष्य के बारे में मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श किया जाता है, इसीलिए यह लक्ष्य पहले से तय नहीं किया जा सकता है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत बसावटों की कवरेज

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12*
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	15647	5374	6971	2671
2.	अरूणाचल प्रदेश	905	567	601	209
3.	असम	8703	12004	6467	4745
4.	बिहार	25785	26622	14221	8831
5.	छत्तीसगढ़	8178	12002	7847	6415
6.	गोवा	4	0		
7.	गुजरात	2374	1441	1079	953
8.	हरियाणा	965	885	752	583
9.	हिमाचल प्रदेश	6390	5204	5094	2181
10.	जम्मू और कश्मीर	2234	424	903	297
11.	झारखंड	6832	14605	11399	13304
12.	कर्नाटक	5586	11625	6130	6544
13.	केरल	7650	241	405	278
14.	मध्य प्रदेश	5302	10781	13937	13265

1	2	3	4	5	6
15.	महाराष्ट्र	17128	7465	8987	4910
16.	मणिपुर	115	158	227	211
17.	मेघालय	1116	407	380	296
18.	मिजोरम	46	124	121	75
19.	नागालैंड	584	84	128	87
20.	ओडिशा	13507	9525	7525	5422
21.	पंजाब	1523	1874	1658	518
22.	राजस्थान	7434	10388	7254	6212
23.	सिक्किम	27	110	100	31
24.	तमिलनाडु	9097	8206	7039	4398
25.	त्रिपुरा	555	843	976	797
26.	उत्तर प्रदेश	1190	1874	1879	15296
27.	उत्तराखण्ड	1351	1200	1324	803
28	पश्चिम बंगाल	2747	4806	5967	4031
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	8	
30.	दादरा व नगर हवेली	0	0		
31.	दमन एवं दीव				
32.	दिल्ली				
33.	लक्षद्वीप				10
34.	पुदुचेरी	15	40	12	
35.	चंडीगढ़				
	कुल	152990	148879	119401	103363

* आईएमआईएस पर 14.3.2012 की स्थिति के अनुसार

विवरण-II

पेयजल आपूर्ति के संबंध में ग्रामीण बसावटों की स्थिति
(आईएमआईएस पर 14.3.2012 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	कुल बसावटें	गुणवत्ता प्रभावित बसावटें
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	72407	518
2.	बिहार	107642	15895
3.	छत्तीसगढ़	72329	6918
4.	गोवा	347	0
5.	गुजरात	34415	149
6.	हरियाणा	7385	16
7.	हिमाचल प्रदेश	53201	0
8.	जम्मू और कश्मीर	12826	25
9.	झारखंड	120154	533
10.	कर्नाटक	59532	6809
11.	केरल	11883	927
12.	मध्य प्रदेश	127197	2581
13.	महाराष्ट्र	98842	1781
14.	ओडिशा	141928	13718
15.	पंजाब	15338	48
16.	राजस्थान	121133	28590
17.	तमिलनाडु	94500	451
18.	उत्तर प्रदेश	260110	676
19.	उत्तराखंड	39142	14
20.	पश्चिम बंगाल	95395	4248
21.	अरूणाचल प्रदेश	5612	0
22.	असम	86976	16787
23.	मणिपुर	2870	4
24.	मेघालय	9326	99
25.	मिजोरम	777	0
26.	नागालैंड	1432	131
27.	सिक्किम	2498	0
28.	त्रिपुरा	8132	5582
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	491	0
30.	चंडीगढ़	18	0
31.	दादरा और नगर हवेली	70	0
32.	दमन और दीव	21	0
33.	दिल्ली	0	0
34.	लक्षद्वीप	9	0
35.	पुडुचेरी	248	0
	कुल	1664186	106500

विवरण-III

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटन, रिलीज और व्यय

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
		आवंटन	रिलीज	व्यय	आवंटन	रिलीज	व्यय*	आवंटन	रिलीज	व्यय*	आवंटन	रिलीज#	व्यय#
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	394.53	395.05	398.05	437.09	537.37	394.45	491.02	558.74	423.38	479.51	377.91	416.97
2.	अरूणाचल प्रदेश	146.12	162.46	160.97	180.00	178.20	193.80	123.35	199.99	176.55	116.48	182.21	110.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	असम	246.44	187.57	265.40	301.60	323.50	269.34	449.64	487.48	480.55	421.90	418.54	400.69
4.	बिहार	425.38	452.38	73.30	372.21	186.11	279.36	341.46	170.73	425.91	379.59	205.42	350.77
5.	छत्तीसगढ़	130.42	125.26	112.42	116.01	128.22	104.06	130.27	122.01	97.77	145.67	126.75	98.83
6.	गोवा	3.98	0.00	0.00	5.64	3.32	0.50	5.34	0.00	1.16	5.22	2.88	1.16
7.	गुजरात	314.44	369.44	289.33	482.75	482.75	515.69	542.67	609.10	610.50	484.66	423.04	375.68
8.	हरियाणा	117.29	117.29	117.29	207.89	206.89	132.35	233.69	276.90	201.57	211.52	168.34	232.58
9.	हिमाचल प्रदेश	141.51	141.51	141.49	138.52	182.85	160.03	133.71	194.37	165.59	132.30	94.75	96.25
10.	जम्मू और कश्मीर	397.86	396.49	176.67	447.74	402.51	383.49	449.22	468.91	506.52	438.13	320.19	394.91
11.	झारखंड	160.67	80.33	18.85	149.29	111.34	86.04	165.93	129.95	128.19	163.33	111.95	112.70
12.	कर्नाटक	477.19	477.85	449.15	573.67	627.86	473.71	644.92	703.80	573.93	715.12	667.78	499.70
13.	केरल	103.33	106.97	106.56	152.77	151.89	150.56	144.28	159.83	137.97	145.36	113.39	84.16
14.	मध्य प्रदेश	370.47	380.47	368.61	367.66	379.66	354.30	399.04	388.33	324.94	374.32	292.78	249.40
15.	महाराष्ट्र	572.57	648.24	511.06	652.43	647.81	625.59	733.27	718.42	713.48	737.56	535.81	436.16
16.	मणिपुर	50.16	45.23	36.33	61.60	38.57	30.17	54.61	52.77	69.27	51.58	39.17	28.79
17.	मेघालय	57.79	63.38	74.50	70.40	79.40	68.57	63.48	84.88	40.28	59.59	64.39	54.16
18.	मिजोरम	41.44	54.19	45.48	50.40	55.26	51.11	46.00	61.58	58.02	38.49	36.35	37.52
19	नागालैंड	42.53	42.53	39.60	52.00	47.06	71.58	79.51	77.52	80.63	79.97	79.81	49.12
20.	ओडिशा	298.68	298.68	273.12	187.13	226.66	198.87	204.88	294.76	211.11	207.99	171.05	171.66
21.	पंजाब	86.56	86.56	96.68	81.17	88.81	110.15	82.21	106.59	108.93	89.16	123.44	101.41
22.	राजस्थान	970.13	971.83	967.95	1036.46	1012.16	671.29	1165.44	1099.48	852.82	1087.41	1153.76	1100.44
23.	सिक्किम	17.45	32.45	28.85	21.60	20.60	28.98	26.24	23.20	19.51	27.59	63.11	18.80
24.	तमिलनाडु	241.82	287.82	230.58	320.43	317.95	370.44	316.91	393.53	303.41	337.17	319.11	178.37
25.	त्रिपुरा	51.25	41.01	36.99	62.40	77.40	77.35	57.17	74.66	67.20	54.41	83.86	74.56
26.	उत्तर प्रदेश	539.74	615.78	514.54	959.12	956.36	967.38	899.12	848.68	933.28	860.63	783.60	412.71
27.	उत्तराखंड	107.58	85.87	61.09	126.16	124.90	67.24	139.39	136.41	55.44	137.23	75.57	104.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28.	पश्चिम बंगाल	389.39	389.39	371.62	372.29	394.30	87.76	418.03	499.19	363.31	348.11	242.03	466.32
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	30.78	0.00	0.00		1.01	0.00		0.00	0.00	
30.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.09	0.00		0.00	0.00	
31.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.61	0.00		0.00	0.00	
32.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.31	0.00		0.00	0.00	
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.24	0.00		0.00	0.00	
34.	पुदुचेरी	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		1.54	0.00		0.00	0.00	
35.	चंडीगढ़							0.40			0.00	0.00	
	कुल	6896.72	7056.02	5998.28	7986.43	7989.72	6924.16	8550.00	8941.81	8131.22	8330.00	7276.99	6658.78

* आईएमआईएस के अनुसार

\# आईएमआईएस पर 14.3.2012 की स्थिति के अनुसार

[हिन्दी]

रेलवे ट्रैवेल एजेन्ट्स

1514. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल ट्रैवेल एजेन्ट्स अपना कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने उनकी मांगो पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस समय, रेल यात्री सेवा एजेंट आरक्षित द्वितीय श्रेणी के सिटिंग और स्लीपर श्रेणी के लिए प्रति यात्री 15 रु. तथा अन्य श्रेणियों के मामले में प्रति यात्री 25 रु. प्रभारित करने के लिए प्राधिकृत हैं। ये प्रभार पर्याप्त समझे जाते हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्यकरण

1515. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ:
श्री संजय धोत्रे:
श्री मंगनी लाल मंडल:
डॉ. क्रुपारानी किल्ली:
श्री अनंत कुमार:
श्री कुलदीप बिश्नोई:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं परिणाम क्या रहे;

(ग) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में इस योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस योजना के अंतर्गत और अधिक क्रियाकलापों को शामिल करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस योजना के अंतर्गत मजदूरी के भुगतान में विलंब की जानकारी प्राप्त हुई है; और

(छ) यदि हां, तो उक्त अवधि के अंतर्गत तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा राज्य-वार क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) महात्मा गांधी नरेगा सहित मंत्रालय के सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा की व्यापक प्रणाली मौजूद है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आवधिक प्रगति रिपोर्टें, निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकें, क्षेत्रीय अधिकारी योजना, राष्ट्रीय स्तर पर निगरानीकर्ता और राज्य एवं जिला स्तरों पर सतर्कता एवं निगरानी समितियां शामिल हैं। निष्पादन समीक्षा समिति की पिछली बैठक नवम्बर, 2011 में आयोजित की गई थी। विशिष्ट शिकायतों के मामलों में राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता और क्षेत्रीय अधिकारी स्वतंत्र निगरानी और सत्यापन भी करते हैं। ऐसी समीक्षा बैठकों और दौरों के निष्कर्षों और रिपोर्टों से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अवगत कराया जाता है, ताकि वे अनुवर्ती कार्रवाई कर सकें, क्योंकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपनी बनाई योजनाओं के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा का कार्यान्वयन करते हैं।

(ग) चूंकि महात्मा गांधी नरेगा मांग आधारित है, इसलिए इसके अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। इस अधिनियम के उपबंधों को राज्य सरकारों द्वारा तैयार और कार्यान्वित की जाने वाली मांग आधारित योजनाओं के रूप में लागू किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान रोजगार पाने वाले परिवारों और सृजित श्रम दिवसों की कुल संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची 1 के पैरा 1 (ख) में उन कार्यों की सूची दी गई है, जिन पर महात्मा गांधी नरेगा की धारा 4 (1) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा तैयार की जाने वाली योजनाएं ध्यान केन्द्रित करेंगी। शुरू किए जा सकने वाली कार्यों और कार्यकलापों का दायरा बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची 1 के पैरा में समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

(च) और (छ) सभी राज्य सरकारों को महात्मा गांधी नरेगा के उपबंधों के अनुसार ही लाभार्थियों को मजदूरी का भुगतान करना होता है। देश में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन के विषय में सभी प्रकार की शिकायतें मंत्रालय को प्राप्त होती हैं। दिनांक 09.03.2012 तक मंत्रालय को मजदूरी के भुगतान में देरी के संबंध में 48 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। चूंकि इस अधिनियम का कार्यान्वयन राज्य सरकारें अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपनी बनाई योजनाओं के अनुसार करती हैं, इसलिए मंत्रालय को प्राप्त सभी शिकायतें कानून के अनुसार जांच सहित उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी जाती हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान मनरेगा के अंतर्गत दिए गए रोजगार और कार्य-दिवस की कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य	रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या				सृजित श्रम दिवस (लाख में)			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (16.2.2012 तक)	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (16.2.2012 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	5699557	6158493	6200423	4606635	2735.45	4044.30	3351.61	2243.26
2.	अरूणाचल प्रदेश	80714	68157	134527	2381	34.98	16.98	31.12	0.14
3.	असम	1877393	2137270	1798372	1002870	751.07	732.95	470.52	225.95
4.	बिहार	3822484	4127330	4738464	774277	991.75	1136.88	1602.62	239.46
5.	छत्तीसगढ़	2270415	2025845	2485581	2338507	1243.18	1041.57	1110.35	833.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	गुजरात	850691	1596402	1096223	698168	213.07	585.09	491.84	234.32
7.	हरियाणा	162932	156406	235281	238332	69.11	59.04	84.20	70.93
8.	हिमाचल प्रदेश	445713	497336	444247	413693	205.28	284.94	219.46	177.09
9.	जम्मू और कश्मीर	199166	336036	492277	207129	78.80	128.71	210.68	70.44
10.	झारखंड	1576348	1702599	1987360	1323293	749.97	842.47	830.90	441.87
11.	कर्नाटक	896212	3535281	2224468	976339	287.64	2003.43	1097.85	310.49
12.	केरल	692015	955976	1175816	1341199	153.75	339.71	480.34	430.27
13.	मध्य प्रदेश	5207665	4714591	4407643	2942608	2946.97	2624.00	2198.18	1018.17
14.	महाराष्ट्र	906297	591547	451169	922355	419.85	274.35	200.00	332.55
15.	मणिपुर	381109	418564	433856	252199	285.62	306.18	295.61	63.51
16.	मेघालय	224263	300482	346149	274576	86.31	148.48	199.81	95.38
17.	मिजोरम	172775	180140	170894	167307	125.82	170.33	165.98	66.61
18.	नागालैंड	296689	325242	350815	228245	202.70	284.27	334.34	84.56
19.	ओडिशा	199006	1398300	2004815	1172044	432.58	554.09	976.57	346.88
20.	पंजाब	147336	271934	278134	197562	39.89	77.17	75.40	45.65
21.	राजस्थान	6373093	6522264	5859667	4274896	4829.55	4498.10	3026.22	1548.95
22.	सिक्किम	52006	54156	56401	37482	26.34	43.27	48.14	16.20
23.	तमिलनाडु	3345648	4373257	4969140	5614541	1203.59	2390.75	2685.93	2042.42
24.	त्रिपुरा	549022	576487	557055	556068	351.12	460.22	374.51	343.54
25.	उत्तर प्रदेश	4336466	5483434	6431213	6379217	2272.21	3559.23	3348.97	2008.37
26.	उत्तराखंड	298741	522304	542391	334340	104.33	182.41	230.20	111.93
27.	पश्चिम बंगाल	3025854	3479915	4998239	3639878	786.61	1551.68	1553.08	600.82
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5975	20337	17636	13103	1.00	5.83	4.03	4.02
29.	दादरा और नगर हवेली	1919	3741	2290	एनआर	0.48	0.70	0.47	एनआर
30.	दमन और दीव	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	गोवा	एनआर	6604	13897	10582	एनआर	1.85	3.70	2.83
32.	लक्षद्वीप	3024	5192	4507	3183	1.82	1.41	1.34	1.15
33.	पुदुचेरी	12264	40377	38118	39774	1.64	9.07	11.27	8.12
34.	चंडीगढ़	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
	कुल	45112792	52585999	54947068	40962783	21632.48	28359.46	25715.24	14019.47

एनआर-असूचित

भारतीय मानक समय में समय जोड़ना

1516. श्री संजय दिना पाटील: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवान्स्ड स्टडीज ने भारतीय मानक समय में समय जोड़ने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार के कार्य से ऊर्जा में बचत होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) जी, नहीं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवान्स्ड स्टडीज़, बैंगलूरू ने भारतीय मानक समय (आई एस टी) में समय जोड़ने का प्रस्ताव नहीं किया था। तथापि, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवान्स्ड स्टडीज़ के वैज्ञानिकों ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियंशी, विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक वैयक्तिक अनुसंधान परियोजना पर कार्य किया था। संचालित किए गए इस अध्ययन के निष्कर्षों को "करंट साइंस" जनरल में प्रकाशित किया गया और इसमें आई एस टी देशान्तर को 82.5 डिग्री पूर्व से 90 डिग्री पूर्व परिवर्तित करके भारतीय मानक समय को आधे घंटे तक बढ़ाने का समर्थन किया गया है। तथापि, समय देशान्तर को परिवर्तित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों का पालन करने की आवश्यकता होती है और इसे किसी एक देश द्वारा पृथक रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है।

(ग) और (घ) आधे घंटे तक समय को परिवर्तित करने से ऊर्जा बचत में कुछ लाभ होंगे। तथापि, देशान्तर को परिवर्तित करके इस तरह से बढ़ाना इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन स्टेण्डर्ड का उल्लंघन होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने देश के दूरस्थ क्षेत्रों के बीच देशान्तरीय दूरी को देखते हुए दो अलग-अलग 'टाइम जोन' की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए वर्ष 2002 में, एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति ने यह टिप्पणी की कि अलग-अलग 'टाइम जोन' बनाने से राज्यों को कोई विशेष लाभ नहीं होगा बल्कि एयरलाइनों, रेलवे, संचार सेवाओं आदि के लिए अलग-अलग समय-निर्धारण तैयार किए जाने से कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। इसने राज्यों में कार्य समय को आगे बढ़ाने के अपेक्षाकृत अधिक कारगर समाधान की सिफारिश की जिसे संबंधित प्रशासनिक कार्यों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा सकता है। तदनुसार, भारत सरकार ने ऊर्जा बचत को बढ़ाने के लिए मौसम के हिसाब से कार्य समय को अलग-अलग निर्धारित करने जैसे दिन के उजाले संबंधी ऊर्जा बचत उपायों को अपनाने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अनुरोध किया था। बहुत से देश ऊर्जा बचत के लिए समय देशान्तर परिवर्तित किए बिना दिन के उजाले संबंधी बचत उपायों को अपनाते हैं।

उर्वरक सब्सिडी में कटौती

[हिन्दी]

1517. श्री सुन्दर सिंह नागर: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी घटाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्य से लघु एवं सीमांत कृषक अत्यधिक प्रभावित हुये हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस कदम से पहले से ही अलाभकारी कृषि कार्य और अधिक अलाभकारी हो जाएंगे;

(ङ) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गयें हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (च) जी, नहीं। पीएण्डके उर्वरकों पर राजसहयता में पिछले तीन वर्षों के दौरान कटौती नहीं की गई हैं। उर्वरक विभाग 1.4.2010 से नियंत्रणमुक्त फास्टेटयुक्त और पोटायशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (एनलबीएस) नीति का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके अंतर्गत सरकार पोषक-तत्वों नामत: नाइट्रोजन 'एन', फास्फेट 'पी', पोटश 'के' और सल्फर 'एस' पर वार्षिक आधार पर प्रति कि.ग्रा. राजसहायता की घोषणा करती है। इन दरों की घोषणा सभी संबंधित कारकों, पीएण्डके उर्वरकों के संभावित अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों, प्रचलित विनियम दर, पीएण्डके उर्वरकों के प्रचलित घरेलू मूल्य, माल सूची स्तर आदि को ध्यान में रखते हुए की जाती है। वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए अनुमोदित दरें इस प्रकार हैं:

रुपए प्रति कि.ग्रा.

वर्ष	एन	पी	के	एस
2010-11	23.227	25.624	23.987	1.784
2011-12	27.153	32.338	26.756	1.677

पीएण्डके उर्वरकों की एमआरपी को खुला रखा गया है और उत्पादों/विपणनकर्ताओं/आयातकों को मांग व आपूर्ति उतार-चढ़ाव के आधार पर युक्तिसंगत स्तर पर एमआरपी निर्धारित करने की अनुमति दी गई है। वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में एनबीएस दरों में हुई वृद्धि के बावजूद पीएण्डके उर्वरकों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि और अमेरिकी डालर की तुलना में भारतीय रुपए के ह्रास के कारण उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि हुई है।

वर्ष 2010-11 से पहले सरकार नियंत्रणमुक्त पीएण्डके उर्वरकों के लिए रियायत योजना का कार्यान्वयन कर रही थी जिसमें निर्धारित की गई एमआरपी उर्वरकों की सुपुर्दगी लागत से काफी कम होती थी। यूरिया किसानों को 5310 रुपए प्रति मी.टन सांविधिक एमआरपी पर उपलब्ध कराया जाता है।

राजसहायता प्राप्त उर्वरकों किसानों के भूमि स्वामित्व की मात्रा को ध्यान न देते हुए देश के सभी किसानों को उपलब्ध करायी जाती है।

[अनुवाद]

इंदिरा आवास योजना के लक्ष्य

1518. श्री पूर्णमासी राम:
श्री उदय प्रताप सिंह:
श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान प्रदान करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के निर्धारित लक्ष्यों का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत, मकान के लिए राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(घ) गत बजट में इन्दिरा आवास योजना के लिये सरकार द्वारा कितनी निधियां आवंटित की गईं तथा अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी धनराशि जारी की गई;

(ङ) इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन से संबंधित अनियमितताओं पर सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों तथा इंदिरा आवास योजना के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों हेतु निधियों के अंतरण का ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) इंदिरा आवास योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निर्धारित किए गए लक्ष्य संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) 2001 की जनगणना के आधार पर भारत के महापंजीयक के कार्यालय के आकलन के अनुसार देश भर (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 148.25 लाख आवासों की कमी थी। राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(घ) विगत वर्ष अर्थात् 2010-11 के दौरान राज्य-वार आवंटित निधियां और जारी की गई निधियां संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ङ) आईएवाई योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित की जा रही है। तद्नुसार जब कभी, योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायत मंत्रालय के ध्यान में लाई जाती है, तो संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के साथ तत्काल मामला उठाया जाता है। अति विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के मामले में, इस मंत्रालय के पैनल पर राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं को शिकायतों की जांच के लिए नियुक्त किया जाता है। यदि अनियमितताओं का पता चलता है तो संबंधित राज्य सरकार को उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है। योजना के कार्यान्वयन में निधियों की अनियमितताओं और दुर्विनियोजन के बारे में प्राप्त हुई शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई के बारे में राज्य-वार विवरण का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) आईएवाई के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। तद्नुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय वर्ष के शुरू में ही निधियां आवंटित की जाती हैं ताकि सभी कार्यान्वयन एजेंसियां आईएवाई लाभार्थियों को तत्काल निधियां जारी करना शुरू कर दें। इसके अलावा, प्रगति की प्रभावशाली ढंग से निगरानी करने के लिए समन्वय अधिकारियों की मासिक बैठकों, तिमाही निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों जैसी नियमित समीक्षा बैठकें हो रही हैं। स्थल-पर प्रगति की निगरानी के लिए अधिकारी भी नियमित रूप से विभिन्न क्षेत्रों के दौरे करते हैं।

विवरण-I

वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य-वार आवासों की कमी, 2008-09 से 2011-12 के लिए निर्धारित लक्ष्य और वर्ष 2010-11 से 2011-12 के दौरान केन्द्र द्वारा आवंटित निधियां और केन्द्र द्वारा जारी निधियां

क्रम.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों की कमी	लक्ष्य (संख्या में)				2010-11 (रु. लाख में)		2011-12 (लाख रु. में)	
			2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	केन्द्रीय आंवटन	केन्द्रीय रिलीज (*)	केन्द्रीय आवंटन	केन्द्रीय रिलीज (16.3.2012 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	1350282	192132	371982	257104	249013	86772.58	87366.08	84762.05	85481.99
2.	अरूणाचल प्रदेश	105728	6770	10873	7726	7548	3372.56	3784.31	3294.85	1909.38
3.	असम	2241230	149699	240446	170849	166913	74575.72	71031.77	72857.40	57569.97
4.	बिहार	4210293	567325	1098001	758904	737486	256130	226058.94	250195.44	207678.48
5.	छत्तीसगढ़	115528	29712	57520	39759	37466	13418.67	13279.76	13107.75	24225.22
6.	गोवा	6422	1183	2291	1584	1547	534.46	517.43	522.07	522.07
7.	गुजरात	674354	94226	182429	126090	123168	42555.24	51934.99	41569.23	35107.26
8.	हरियाणा	55572	13229	25611	17703	17293	5974.79	5974.80	5836.35	5812.31
9.	हिमाचल प्रदेश	15928	4242	8212	5793	5659	2107.33	2143.04	2058.51	2029.83
10.	जम्मू और कश्मीर	92923	13176	25508	17995	17578	6545.51	6643.35	6393.85	5588.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	झारखंड	105867	50585	97926	167691	63477	56595.67	55864.20	22316.33	17203.95
12.	कर्नाटक	436638	74023	143311	99055	96760	33431.11	38798.37	32656.50	23233.55
13.	केरल	261347	41164	79695	55084	53808	18590.8	18590.80	18160.05	17466.73
14.	मध्य प्रदेश	207744	59091	114396	79073	76135	26687.27	44223.47	26068.92	39742.04
15.	महाराष्ट्र	612441	115869	224323	155052	151063	52329.94	52313.82	51117.44	50068.05
16.	मणिपुर	69062	5877	9439	6707	6552	2927,55	2541.31	2860.10	2244.30
17.	मेघालय	148657	10235	16440	11681	11412	5098.75	5572.45	4981.27	4960.91
18.	मिजोरम	30250	2181	3504	2489	2432	1086.6	1335.55	1061.56	1061.56
19.	नागालैंड	97157	6773	10878	7730	7552	3374.01	4455.68	3296.27	3296.27
20.	ओडिशा	655617	111422	215715	149100	142082	50321.27	47573.66	49155.32	43411.47
21.	पंजाब	75374	16361	31674	21893	21386	7389.05	6358.58	7217.84	2175.07
22.	राजस्थान	258634	47350	91670	63362	63894	21384.64	37422.23	20889.15	33972.67
23.	सिक्किम	11944	1295	2080	1478	1444	645.29	852.16	630.42	501.54
24.	तमिलनाडु	431010	76925	148929	102939	100553	34741.77	34801.21	33936.80	32090.76
25.	त्रिपुरा	174835	13187	21182	15050	14704	6569.52	10826.77	6418.13	9702.79
26.	उत्तर प्रदेश	1324028	254729	493156	340868	332804	115043.1	1 14990.42	112377.53	111888.57
27.	उत्तराखण्ड	53521	11610	22476	15856	15488	5767.56	5395.01	5633.93	5607.50
28.	पश्चिम बंगाल	974479	153697	297564	205671	199176	69414.01	63014.36	67805.68	49543.70
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	17890	1828	2750	2446	2389	1100.55	77.09	1075.04	98.04
30.	दादरा और नगर हवेली	1926	305	458	407	398	183.37	91.69	179.32	89.56
31.	दमन और दीव	787	136	205	182	178	82.03	41.02	80.17	0.00
32.	लक्षद्वीप	190	118	229	158	154	71.12	71.12	69.47	0.00
33.	पुदुचेरी	7778	910	1370	1218	1190	548.16	0.00	535.46	0.00
	कुल	14825436	2127165	4052243	2908697	2726702	1005370.00	1013945.40	949120.00	874283.56

(*) केन्द्रीय रिलीज के अतिरिक्त 2011-12 के दौरान वासभूमि क्षेत्र की खरीद के लिए 18999.60 लाख रु. रिलीज किए गए थे।

विवरण-II

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अनियमितताओं/निधियों के दुर्विनियोजन के संबंध में प्राप्त शिकायतों की सूची

1. बिहार

(क) श्री शशिभूषण हजारी, विधायक से दिनांक 14.12.2010 को उनके निर्वाचन क्षेत्र 78- कुशेश्वरस्थान पूर्वी, बिहार में आईएवाई अनुदानों के दुरूपयोग के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

आईएवाई दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए शिकायत को बिहार राज्य सरकार को दिनांक 15.2.2011 को अग्रेषित कर दिया गया है।

(ख) आईएवाई के कार्यान्वयन के संबंध में बताई गई अनियमितताओं के बारे में श्री उमेश कुमार त्रिवेदी, महासचिव, पंचायत समिति, मुजफ्फरपुर, बिहार की शिकायत जो दिनांक 6.1.2011 को श्री सागर राक्या, सचिव, अखिल भारत कांग्रेस समिति के माध्यम से प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

आईएवाई दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए शिकायत को संलग्नकों के साथ बिहार राज्य सरकार को दिनांक 31.1. 2011 को अग्रेषित कर दिया गया है।

(ग) आईएवाई के कार्यान्वयन के संबंध में बताई गई अनियमितताओं के बारे में श्री उमेश कुमार त्रिवेदी, महासचिव, पंचायत समिति, मुजफ्फरपुर, बिहार की शिकायत जो दिनांक 6.1.2011 को श्री सागर राक्या, सचिव, अखिल भारत कांग्रेस समिति के माध्यम से प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

आईएवाई दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए शिकायत को संलग्नकों के साथ बिहार राज्य सरकार को दिनांक 31.1. 2011 को अग्रेषित कर दिया गया है।

2. झारखंड

(क) बीडीओ, जरमुंडी, दुमका द्वारा गैर-पात्र व्यक्तियों को आईएवाई आवासों को आबंटित करके बरती गई अनियमितताओं के संबंध में दिनांक 23.2.2011 को श्री जुली यादव, पार्षद, जिला-दुमका, झारखंड से एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

आईएवाई के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए तथा मामले की जांच करने के लिए दिनांक 07.04.2011 को झारखंड राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित कर दी गई है।

3. उत्तर प्रदेश

(क) आईएवाई के कार्यान्वयन में गैर-पात्र व्यक्तियों को आईएवाई आवासों को आबंटित करके बरती गई अनियमितताओं के संबंध में श्री नरेन्द्र कुमार सिंह सुपुत्र श्री राजबख्श सिंह, ग्राम पंचायत-कपरावल कयामपुर, ब्लॉक-महासी, जिला-बहरीच, उत्तर प्रदेश से दिनांक 08.02.2011 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

एनएलएम द्वारा मामले की जांच की गई थी, जिन्हें काफी अनियमितताओं का पता चला। दिनांक 21.07.2011 को स्टेटस रिपोर्ट के लिए रिपोर्ट उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को भेज दी गई है।

(ख) गैर-पात्र व्यक्तियों को आईएवाई आवासों को आबंटित करके आईएवाई के कार्यान्वयन के संबंध में हुई अनियमितताओं के बारे में श्री भोपाल उर्फ कलवा, ग्राम पंचायत - घाकरोली, ब्लॉक - जहांगीरबाद, जिला-बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

आईएवाई दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई तथा मामले की जांच के लिए दिनांक 24.2.2011 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित कर दी गई है।

(ग) गैर-पात्र व्यक्तियों को आईएवाई आवासों को आबंटित करके आईएवाई के कार्यान्वयन के संबंध में हुई अनियमितताओं के बारे में 25.08.2011 को श्री घनश्याम अनुरागी ने गांव-मुस्सीबुजुर्ग, ब्लॉक-पहाड़ी, जिला-चित्रकूट, उत्तर प्रदेश के निवासी से प्राप्त शिकायत को अग्रेषित किया था।

की गई कार्रवाई

एनएलएम द्वारा मामले की जांच की गई थी, जिन्हें योजना के कार्यान्वयन में काफी अनियमितताओं का पता चला। आईएवाई के

दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए तथा मामले की जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को रिपोर्ट अग्रेषित कर दी गई है।

4. असम

(क) आईएवाई आवासों के आबंटन में जालसाजी के आरोप लगाने संबंधी श्री असब उद्दीन, गांव व डाकखाना - बाजारघाट, जिला - करीमगंज, असम से दिनांक 29.11.2010 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

आईएवाई दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई तथा मामले की जांच के लिए दिनांक 17.2.2011 को शिकायत असम राज्य सरकार को भेज दी गई है।

(ख) बेचमारी देव के जे.ई. श्री एम एम दास द्वारा आईएवाई लाभार्थी के खाते से आईएवाई के अंतर्गत प्राप्त राशि निकालने और जेई द्वारा आवास का निर्माण न करने संबंधी दिनांक 1.2.2011 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

मामले में तथ्यों के सत्यापन तथा सुधारात्मक, दण्डात्मक और निवारक कार्रवाई के लिए दिनांक 11.4.2011 को शिकायत राज्य सरकार को भेज दी गई थी।

(ग) श्री रोहित चौधरी से दिनांक 23.4.2011 को शिकायत प्राप्त हुई, जो जूनियर इंजीनियर (जे.ई.) और लाभार्थी का संयुक्त खाता खोलकर, खाते से धनराशि निकालने के समय रिश्वत लेकर और इंदिरा आवास योजना लाभार्थी पर निर्माण-सामग्री असम में आईएवाई योजना के कार्यान्वयन में जे.ई. की बताई दुकानों से ही खरीदने का दबाव डालकर असम में इंदिरा आवास योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किए जाने के संबंध में है।

की गई कार्रवाई

एनएलएम द्वारा मामले की जांच की गई थी, जिन्हें योजना के कार्यान्वयन में काफी अनियमितताओं का पता चला। आईएवाई के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए तथा मामले की जांच करने के लिए दिनांक 17.6.2011 को असम राज्य सरकार को रिपोर्ट अग्रेषित कर दी गई है।

5. पंजाब

(क) पंजाब के मनसा जिले में गैर-पात्र व्यक्तियों को आईएवाई आवासों को आवंटित करके आईएवाई दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन में अनियमितता संबंधी श्री संदीप कुमार की दिनांक 30.9.2011 की शिकायत।

की गई कार्रवाई

एनएलएम द्वारा मामले की जांच की गई थी, जिन्हें योजना के कार्यान्वयन में काफी अनियमितताओं का पता चला। आईएवाई के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए तथा मामले की जांच करने के लिए पंजाब राज्य सरकार को रिपोर्ट अग्रेषित कर दी गई है।

6. मणिपुर

(क) आईएवाई के अंतर्गत वित्तीय सहायता रिलीज करने के संबंध में 4 ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें जाली हस्ताक्षर करके सहायता राशि पहले ही किसी व्यक्ति द्वारा निकाल ली गई थी।

की गई कार्रवाई

राज्य सरकार को शिकायत अग्रेषित कर दी गई थी जो मामले की जांच करेगी तथा ग्राम पंचायत के प्रधान से राशि को वसूल करने संबंधी सुधारात्मक कार्रवाई करके वास्तविक लाभार्थी को भुगतान करेगी।

ओडिशा में ग्रामीण सड़कों का निर्माण

1519. श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री वैजयंत पांडा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओडिशा सरकार ने केन्द्रीय योजना के अंतर्गत पन्द्रह समेकित कार्य योजना (आईएपी) में सड़क विकास हेतु कोई प्रस्ताव तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के अंतर्गत राज्य में सड़कों के निर्माण की स्थिति का ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य हेतु कितनी निधियां आवंटित की गईं;

(ग) क्या उक्त निधियों से इस क्षेत्र में ग्रामीण बसावटों को ग्रामीण सड़क संपर्क प्रदान करने में सहायता मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 15 नवम्बर, 2011 को आईएपी (भाग-I) के अन्तर्गत ओडिशा के समेकित कार्य योजना (आईएपी) जिलों के लिए 993.80 करोड़ रु. की लागत पर 602 सड़क कार्यों के परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे। इसके अलावा, ओडिशा सरकार ने आईएपी (भाग-II) के अन्तर्गत 1007.55 करोड़ रु. की लागत पर 681 सड़क कार्यों के परियोजना प्रस्ताव भेजे थे। पीएमजीएसवाई संबंधी अधिकार प्राप्त समिति ने 4.1.2012 को अपनी बैठक में इन प्रस्तावों पर विचार किया था और उसकी कुछ शर्तो सहित सिफारिश की थी।

(ख) से (घ) ओडिशा राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, योजना की शुरूआत (2000-2001) से जनवरी, 2012 तक समेकित कार्य योजना (आईएपी) जिलों में पीएमजीएसवाई के संबंध में स्थिति नीचे दी गई है:

स्वीकृत सड़क कार्यों की सं०	5,913
पूर्ण सड़क कार्यों की सं०	3,258
स्वीकृत सड़क कार्यों की सं०	24,569 कि.मी.
पूर्ण सड़क कार्यों की ल०	13,363 कि.मी.
स्वीकृत परियोजनाओं का मूल्य	8,397 करोड़ रु.
किया गया व्यय	4,759 करोड़ रु.
सड़क-सम्पर्क से जोड़ी गई बसावटों की सं.	3,858

देश में दोहरीकरण परियोजनाएं

1520. श्री बसुदेव आचार्य:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:
श्री सुरेश अंगड़ी:
श्री कादिर राणा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रहे दोहरीकरण कार्यों की वर्तमान स्थिति तथा उनको स्वीकृति देने के वर्ष, प्रारंभिक एवं मौजूदा प्राक्कलित लागत का राज्य-वार और खण्ड-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन मार्गों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन पर अनुमति के बावजूद अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) राज्य-वार, खण्ड-वार इस पर आवंटित/व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कार्य को निर्धारित समय-सीमा के अंदर पूरा करने की दिशा में तेजी लाने के लिये रेलवे द्वारा क्या कदम उठाये गये/उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेलवे में विज्ञापन राजस्व

[हिन्दी]

1521. श्री गोपाल सिंह शेखावत: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे विज्ञापनों एवं होर्डिंग्स के लिए स्लॉट को किराये पर देकर भारी राजस्व अर्जित करती रही है;

(ख) यदि हां, तो जोन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी जोनों ने इस घटक से इष्टतम राजस्व जुटाने हेतु आवश्यक कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। यद्यपी अपेक्षित सूचना की अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है, तथापि 2009-10 से 2010-11 (दिसंबर, 2011तक) वित्तीय वर्षो के दौरान विज्ञापनों से हुई जोन-वार आमदनी निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपयों में)

ज़ोन	2009-10	2010-11	2011-12 दिसंबर, 2011 तक
1	2	3	4
मध्य	30.27	34.22	18.27
पूर्व	5.80	9.41	4.59
पूर्व मध्य	0.89	0.95	10.4
पूर्व तट	4.03	3.97	1.96

1	2	3	4
उत्तर	40.84	32.92	4.64
उत्तर मध्य	2.66	3.22	1.73
पूर्वोत्तर	1.63	2.15	1.46
पूर्वोत्तर सीमा	0.76	0.27	0.81
उत्तर पश्चिम	4.36	3.83	3.19
दक्षिण	18.86	25.30	16.75
दक्षिण मध्य	5.21	8.93	5.29
दक्षिण पूर्व	2.61	3.16	1.66
दक्षिण पूर्व मध्य	0.56	1.30	1.12
दक्षिण पश्चिम	4.53	3.73	3.98
पश्चिम	36.24	39.97	32.51
पश्चिम मध्य	1.80	2.38	2.45
मेट्रो	9.15	12.03	4.98
कुल	170.20	187.74	106.43

(ग) और (घ) रेलों की विभिन्न परिसंपत्तियों यथा स्टेशन परिसरों, रेलगाड़ियों, प्रमुख के स्टेशनों के लिए पहुंच मार्गो और अन्य उपयुक्त क्षेत्रों, का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक विज्ञापनों के माध्यम से राजस्व सृजन के लिए जोनल रेलों को नीति संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। विज्ञापनों के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व सृजन के लिए संभावनाओं का अन्वेषण एक सतत प्रक्रिया है और वाणिज्यिक प्रचार के माध्यम से आमदनी बढ़ाने के लिए थोक विज्ञापनों अधिकारों, गाड़ियों पर विनायल चढ़ाने, ऑन बोर्ड मनोरंजन सूचनाएं आदि जैसे विभिन्न विचारों/योजनाओं को अपनाया गया है।

भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन

[अनुवाद]

1522. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:
श्री के० सुधाकरण:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चुनाव आयोग ने सरकार से मतदाताओं को नकद या वस्तु के रूप में रिश्वत देने को संज्ञेय अपराध बनाने हेतु कानून में संशोधन करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कब तक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171(ख) में संशोधन करने तथा इसे संज्ञेय अपराध बनाने की संभावना है;

(घ) क्या यह पता करने के लिये कोई तन्त्र बनाया गया है कि मतदाता ने अपना मत किसी रिश्वत देने वाले के पक्ष में दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) निर्वाचन आयोग ने, भारतीय दंड संहिता की धारा 171ख/ धारा 171ङ के अधीन, रिश्वत के अपराध को एक संज्ञेय अपराध के रूप में बनाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, की पहली अनुसूची का संशोधन करने के लिए सुझाव दिया है, जैसा कि दांडिक विधि और दंड प्रक्रिया संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है और उन्हें राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित किया जा रहा है, प्रस्ताव पर राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की टीका-टिप्पणियां/विचार मांगे गए हैं। इस संबंध में कोई समय सीमा नहीं नियत की जा सकती हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मेरठ-टपारी खंड का दोहरीकरण/विद्युतीकरण

1523. श्री संजय सिंह चौहान: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत मेरठ-टपारी मार्ग पर रेलवे लाइन का दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण एवं विद्युतीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं वर्तमान स्थिति क्या हैं; और

(ग) उक्त कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) मेरठ सिटी-मुजफ्फरपुर इकहरी लाइन खंड (55.47 किमी) का दोहरीकरण कार्य 289.79 करोड़ रु. की प्रत्याशित लागत पर रेलवे बजट 2012-13 के प्रस्तावों में शामिल किया गया है मुजफ्फरपुर-टपारी खंड के दोहरीकरण पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है। मेरठ सिटी-टपरि खंड के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है।

(ग) मेरठ सिटी-मुजफ्फरनगर के दोहरीकरण कार्य पूरा करने की लक्ष्य तारीख निर्धारित नहीं की गई है मेरठ सिटी-टपरि खंड के विद्युतीकरण का कार्य 2012-13 में पूरा होने की संभावना है।

ग्रामीण आवास हेतु लक्ष्य

[अनुवाद]

1524. श्रीमती अन्नू टन्डन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विशेषकर बीपीएल परिवारों के संबंध में ग्रामीण आवास के लिए निर्धारित विशेष लक्ष्यों पर चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बीपीएल परिवारों हेतु ग्रामीण आवास के लिए कोई वित्तीय एवं सामाजिक लेखापरीक्षा का विकल्प तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग द्वारा गठित ग्रामीण आवास कार्य समूह ने 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 20 मिलियन मकानों के निर्माण के लिए सहायता की सिफारिश की है।

(ग) और (घ) इंदिरा आवास योजना की वित्तीय लेखा परीक्षा हर वर्ष की जाती है। यह लेखा परीक्षा वित्तीय विवरणियों, लेखा-परीक्षा रिपोर्टो, उपयोग प्रमाण-पत्रों, मासिक एवं वार्षिक प्रगति रिपोर्टो की प्राप्ति इत्यादि जैसी विभिन्न व्यवस्थाओं के माध्यम से की जाती है। ग्राम पंचायत बीपीएल सूची/स्थायी इंदिरा आवास योजना प्रतीक्षा सूचियों में से लाभार्थियों का चयन करके ग्राम सभा से अनुमोदन का अनुरोध करती है। अत: इस नीति में ही सामाजिक लेखा-परीक्षा अंतनिर्मित है। इसके अतिरिक्त योजना के दिशा-निर्देशों में यह भी प्रावधान है कि सामाजिक लेखा-परीक्षा प्रणाली का अनुपालन किया जाएगा।

[हिन्दी]

कैफियत एक्सप्रेस

1525 डॉ. बलीराम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली से आजमगढ़ के बीच चलने वाली 'कैफियत एक्सप्रेस' अपने गंतव्य पर प्राय: देर से पहुंचती है; और

(ख) यदि हां, तो इस रेलगाडी़ को निर्धारित समय पर चलाने और पैंट्री कार सुविधा उपलब्ध करवाने और इस रेलगाड़ी में उचित सफाई रखने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) 1 से 15 मार्च, दौरान गाड़ी सं. 12226 दिल्ली-आजमगढ़ कैफियत एक्सप्रेस, आजमगढ़ 3 दिन सही समय पर, 1 दिन 15-30 मिनट, 4 दिन 31-45 मिनट, 1 दिन 46-60 मिनट और 6 दिन 60 मिनट से अधिक विलंब से पहुंची। क्षेत्रीय रेलवे को गाड़ी के ठीक समय पर चलाना सुनिश्चित करने के लिए मंडल और क्षेत्रीय स्तर पर 24 घंटों निगरानी रखने के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

यात्रियों को खानपान सेवाएं मुहैया कराने के लिए कैफियत एक्सप्रेस में ट्रेन साइड वेंडिंग सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। इसके अलावा, नई खानपान नीति, 2010 के अनुसार, गाड़ियों में पैंट्री कार लगाने की मांग विभिन्न कारकों जैसे की प्राथमिकता (प्रथम प्राथमिकता/दूरंतो/राजधानी, सुपरफास्ट मेंल/एक्सप्रेस गाड़ियां, उसके पश्चात वे गाड़ियां जिसका चालन समय 24 घंटे से अधिक लगता हैं), वाणिज्यिक औचित्य, पैंट्रीकारों की उपलब्धता और गाड़ियों में भार सीमा को ध्यान में रखकर की जाती हैं।

इस गाड़ी में समुचित स्वच्छता बरकरार रखने के लिए गाड़ी निरीक्षणों में वृद्धि की गई है। गाड़ी के प्रस्थान से पहले साफ-सफाई करने सहित सभी निर्धारित अनुरक्षण किए जाते हैं।

निवेश पर नैगेटिव रिटर्न वाली परियोजनाएं

1526. श्री मधुसूदन यादव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षो के दौरान स्वीकृत उन रेल पयोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनसे निवेश पर नैगेटिव रिटर्न (आरओआई)प्राप्त हुई है; और

(ख) देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु आरओआई को नजरअंदाज करते हुए, परियोजनाएं स्वीकृत करने के लिए रेलवे ने क्या कदम उठाए है/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) भारतीय रेल में परियोजनाओं की मंजूरी सामान्यतः राष्ट्रीय परिवहन नीति, 1980 में निर्धारित मापदंडों के अनुसार की जाती है। इसके अलावा, आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से भी परियोजनाएं शुरू की जाती हैं।

पिछड़े तीन वर्षों अर्थात 2008-09, 2009-10, 2010-11 और चालू वर्ष के दौरान ऋणात्मक प्रतिफल की दर पर 30 नई लाइन और 3 आमान परिवर्तन परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

परियोजनाओं की स्वीकृति देना एक सतत प्रक्रिया है। रेलवे द्वारा नई लाइन और आमान परिवर्तन से संबंधित 89 प्रस्तावों को "सैद्धांतिक रूप सें" अनुमोदन प्रदान करने के लिए योजना आयोग को भेजा गया है।

गैस की बिक्री हेतु विपणन मार्जिन

[अनुवाद]

1527. श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी:
श्री जे०एम० आरून रशीद:
डॉ० पी० वेणुगोपाल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लि० (आरआईएल) और अन्यों द्वारा बेची गैस पर विपणन मार्जिन परिगणित करने के लिए तेल विनियामक पीएनजीआरबी को आदेश दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लि० (गेल) सहित अनेक सरकारी कम्पनियां लागत और जोखिम की पूर्ति हेतु विपणन मार्जिन वसूल रही हैं ;

(घ) यदि हां, तो विपणन मार्जिन लागू होने की तारीख से इन कम्पनियों द्वारा वसूले जा रहे विपणन मार्जिन का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या विपणन मार्जिन की वसूली उद्योग जगत की एक प्रथा है, यह स्पष्ट रूप से क्रेता और विक्रेता के बीच का मामला है ; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार के इस मामले में हस्तक्षेप से उत्पादन भागीदारी संविदा का उल्लंघन होगा और वाणिज्यिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप माना जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०पी०एन० सिंह): (क) और (ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किसी भी विपणनकर्ता द्वारा प्राकृतिक गैस की बिक्री पर लागू विपणन मार्जिन के मुद्दे को पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 की धारा 11(जे) के तहत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) को भेज दिया है जो, विपणन कंपनी द्वारा अंत्य उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस की बिक्री पर लिए जाने वाले विपणन मार्जिन की मात्रा को, कंपनी द्वारा वहन की गई विपणन लागतों के आधार पर निर्धारित करेगा।

(ग) और (घ) जी, हां। गेल (इंडिया) लि० गैस की बिक्री पर विपणन मार्जिन प्रभारित कर रहा है। ब्यौरे निम्नवत् हैं:-

गैस के प्रकार	धनराशि
ओएनजीसी और ओआईएल के नामित ब्लाकों से उत्पादित एपीएम और गैर-एपीएम	200 रुपये/हजार मानक धन मीटर (एमएससीएम)
पीएमटी गैस	9.26 रुपये/मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू)
रव्वा सैटेलाइट	9.26 रुपये/एमएमबीटीयू
फोकस एनर्जी	9.26 रुपये/एमएमबीटीयू
रामनाद (एमडीपी गैस कावेरी बेसिन)	364 रुपये/एमएससीएम
त्रिपुरा (एमडीपी गैस त्रिपुरा क्षेत्र)	330 रुपये/एमएससीएम
पीवाई-I (एचओईसी-पीपीएम)	5.65 रुपये/एमएमबीटीयू
आरएलएनजी (स्पॉट सहित)	9.723 रुपये/एमएमबीटीयू

गेल के अतिरिक्त, ओएनजीसी और ओआईएल अपने नामित ब्लाकों से उनके द्वारा आपूर्ति की गई गैस के लिए ग्राहकों से 200 रुपये/एससीएम का विपणन मार्जिन वसूल करते हैं।

(ङ) गैस विपणनकर्ता द्वारा प्रभारित किए गए विपणन मार्जिन के मुद्दे को तय करने के लिए पीएनजीआरबी को भेज दिया गया है और सभी पक्षकारों को पीएनजीआरबी के निर्णय का पालन करना होगा।

(च) विपणन कंपनियों द्वारा प्रभारित किए गए विपणन मार्जिन के मुद्दे को पीएनजीआरबी अधिनियम की धारा 11(जे) के तहत पीएनजीआरबी को भेज दिया गया है।

वहनीय मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध करवाना

1528. डॉ. संजय सिंह:
श्री एस. अलागिरी:
श्री प्रहलाद जोशी:
श्री घनश्याम अनुरागी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सरकार का अधिदेश है कि वह किसानों को वहनीय मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध कराए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बिजाई के मौसम में तथा बिजाई की गई फसलों के लिए किसानों को उर्वरकों की अनुपलब्धता के बारे में कर्नाटक सहित राज्य सरकारों से राज्य-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने उर्वरकों का मूल्य बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को हिदायतें दी हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) उर्वरक विभाग देश में किसानों को वहनीय मूल्यों पर उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता करने के लिए जिम्मेदार है। इस उद्देश्य के लिए उर्वरक विभाग पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति के अंतर्गत पीएण्डके उर्वरकों के 25 गेड तथा नई मूल्य निर्धारण योजना चरण-III के अंतर्गत यूरिया पर राजसहायता उपलब्ध करा रहा है। एनबीएस नीति के अंतर्गत सरकारा पोषक-तत्व नामत: नाइट्रोजन 'एन', फॉस्फेट 'पी', पोटाश 'के' और सल्फर 'एस' पर वार्षिक आधार पर प्रति कि.ग्रा. राजसहायता घोषित करती है। पीएण्डके उर्वरकों के संभावित अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों, मौजूदा विनिमय दर, पीएण्डके उर्वरकों के मौजूदा घरेलू मूल्यों, मांग-सूची स्तर आदि सहित सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखने के बाद सरकार द्वारा पोषक-तत्वों 'एन', 'पी', 'के' तथा 'एस' की एनबीएस दरें घोषित की जाती हैं। इस नीति के अंतर्गत पीएण्डके उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को खुला रखा गया है और उत्पादकों/विपणनकर्ताओं/आयातकों को मांग और आपूर्ति के उतार-चढ़ाव के आधार पर उपयुक्त स्तर पर एमआरपी निर्धारित करने की अनुमति दी जाती है। वर्तमान में, किसान पीएण्डके उर्वरकों की सुपुर्दगी लागत के लगभग 50 प्रतिशतत का ही भुगतान कर रहे हैं और शेष लागत को भारत सरकार द्वारा राजसहायता के रूप में वहन किया जाता है। किसानों को यूरिया 5310/- रुपए प्रति मी.टन पर सांविधिक एमआरपी पर उपलब्ध कराया जाता है जो उसकी वास्तविक लागत से काफी कम है।

(ग) और (घ) उर्वरकों की अनुपलब्धता के संबंध में कर्नाटक सहित राज्य सरकारों से कोई बड़ी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वास्तव में, कर्नाटक सरकार ने विशेषकर मौजूदा वर्ष के दौरान उर्वरकों की संतोषजनक उपलब्धता की समय-समय पर सूचना दी है। पिछले प्रत्येक तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान देश में उर्वरकों की उपलब्धता विवरण-I में संलग्न दी गई है।

(ङ) जी नहीं। केन्द्र सरकार ने उर्वरकों के मूल्यों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं। एनबीएस नीति के अंतर्गत, उर्वरक उत्पादकों/विपणनकर्ताओं/आयातकों को मांग-आपूर्ति के उतार-चढ़ाव के आधार पर उपयुक्त स्तर पर पीएण्डके उर्वरकों की एमआरपी निर्धारित करने की अनुमति दी जाती है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2008-09 (अप्रैल '08 से मार्च 09') के दौरान उर्वरकों की संचयी उपलब्धता

2008-09 राज्य	यूरिया			डीएपी			एमओपी			मिश्रित		
	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
आंध्र प्रदेश	27.50	27.84	27.33	8.50	9.98	9.97	5.85	6.27	6.04	20.50	16.50	16.30
कर्नाटक	13.50	12.88	12.82	6.05	8.12	8.07	4.55	5.14	5.05	11.17	8.44	8.39
केरल	1.49	1.68	1.63	0.31	0.24	0.24	1.33	1.53	1.51	1.72	1.85	1.81
तमिलनाडु	10.37	11.28	11.28	4,31	3.85	3.85	4.84	5.95	5.84	3.62	3.55	3.51
गुजरात	18.65	18.69	18.48	7.10	8.24	8.19	1.90	2.26	2.22	4.39	4.92	4,70
मध्य प्रदेश	15.75	13.83	13.59	8.25	8.31	8.14	1.20	1.17	0.88	4.35	2.20	2.15
छत्तीसगढ़	5.40	5.23	5.06	1.75	2.31	2.28	0.77	0.95	0.92	1.31	1.23	1.22
महाराष्ट्र	23.25	22.84	22.46	8.60	10.19	10.15	3.70	5.17	4.92	15.65	10.40	10.29
राजस्थान	15.10	13.21	12.97	5.60	5.90	5.77	0.33	0.32	0.24	1.42	0.67	0.66
हरियाणा	19.90	17.59	17.36	6.00	6.69	6.61	0.46	0.47	0.39	0.67	0.31	0.31
पंजाब	25.50	26.28	25.77	8.10	8.82	8.82	0.95	0.98	0.81	1.01	0.59	0.57
हिमाचल प्रदेश	0.65	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.07	0.06	0.06	0.44	0.40	0.40
जम्मू और कश्मीर	1.35	1.28	1.26	0.80	0.59	0.59	0.33	0.14	0.14	0.00	0.01	0.01
उत्तर प्रदेश	55.00	55.74	54.83	15.50	15.12	14.93	2.50	2.79	2.47	10.50	7.44	7.32
उत्तराखंड	2.30	2.22	2.20	0.35	0.31	0.31	0.18	0.08	0.08	0.45	0.51	0.51
बिहार	21.25	18.33	17.96	4.25	4.12	4.11	1.90	2.28	22.13	3.60	2.59	2.59
झारखंड	2.00	1.57	1.54	1.05	0.80	0.80	0.13	0.16	0.14	0.40	0.38	0.38
ओडिशा	5.50	4.74	4.61	2.00	1.89	1.89	1.35	1.53	1.34	2.88	2.66	2.55
पश्चिम बंगाल	13.00	11.94	11.67	4.86	4.03	4.03	4.15	4.80	4.62	7.49	7.29	7.23
असम	2.40	2.30	2.30	1.03	0.14	0.14	1.06	1.08	0.95	0.30	0.06	0.06
अखिल भारत	281.34	270.88	266.51	94.83	99.78	99.03	37.86	43.34	40.95	92.32	72.26	71.22

$मार्च, 2008 में बेचे गए 10.4 लाख मी०टन यूरिया के अतिरिक्त

(मार्च, 08 की आवश्यकता 10.36 लाख मी०टन, बिक्री 22.76 लाख मी०टन थी)

नोट: उर्वरक विभाग ने मिश्रित उर्वरकों की निगरानी खरीफ 2008 से करनी शुरू की।

वर्ष 2009-10 (अप्रैल से मार्च) के दौरान उर्वरकों की संचयी आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

2009-10 राज्य	यूरिया			डीएपी			एमओपी			मिश्रित		
	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
आंध्र प्रदेश	27.50	26.16	25.95	9.75	8.89	8.85	6.60	6.07	6.01	20.50	18.69	18.15
कर्नाटक	13.75	13.77	13.77	8.20	846	8.46	5.15	6.12	6.08	11.20	10.95	10.76
केरल	1.63	1.53	1.53	0.35	0.30	0.30	1.54	1.57	1.54	1.90	2.12	2.05
तमिलनाडु	11.50	9.98	9.98	4.25	2.94	2.94	5.84	5.14	5.12	4.00	6.18	6.13
गुजरात	18.75	18.21	18.12	8.00	7.64	7.62	2.30	2.86	2.69	4.72	4.20	4.01
मध्य प्रदेश	15.25	16.00	15.93	8.50	9.52	9.47	1.20	1.67	1.43	3.55	3.48	2.43
छत्तीसगढ़	5.48	5.27	5.27	1.77	2.65	2.65	0.84	0.96	0.90	1.42	1.04	1.04
महाराष्ट्र	24.75	22.87	22.87	12.50	13.83	13.82	5.60	7.07	7.06	14.00	11.25	11.13
राजस्थान	15.10	13.37	13.15	6.50	5.86	5.85	0.35	0.55	0.42	1.37	0.78	0.78
हरियाणा	19.65	18.05	17.95	7.00	6.66	6.66	0.52	0.90	0.90	0.45	0.48	0.48
पंजाब	25.50	24.65	24.46	8.50	8.08	8.06	0.91	1.00	1.08	0.55	0.57	0.55
हिमाचल प्रदेश	0.67	0.54	0.54	0.00	0.02	0.02	0.07	0.05	0.05	0.50	0.38	0.38
जम्मू और कश्मीर	1.40	1.22	1.22	0.78	0.48	0.48	0.26	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	55.00	53.64	53.08	17.00	16.51	16.49	2.85	3.47	3.43	8.50	9.47	9.40
उत्तराखंड	2.15	2.33	2.33	0.40	0.38	0.38	0.13	0.04	0.04	0.45	0.41	0.40
बिहार	19.00	17.04	17.03	4.50	3.98	3.97	2.10	2.26	2.26	3.10	2.68	2.68
झारखंड	2.05	1.50	1.50	1.15	0.82	0.82	0.15	0.17	0.17	0.50	0.69	0.68
ओडिशा	5.75	4.61	4.59	2.25	2.24	2.21	1.70	1.31	1.27	3.00	2.28	2.24
पश्चिम बंगाल	13.00	11.71	11.71	4.80	4.56	4.55	4.15	4.97	4.97	7.50	8.39	8.39
असम	2.60	2.56	2.56	0.35	0.22	0.22	1.26	0.97	0.97	0.06	0.06	0.06
अखिल भारत	281.90	265.97	264.48	106.98	104.09	103.92	43.85	47.60	46.74	87.73	83.38	82.03

वर्ष 2010-11 (अप्रैल '10 से मार्च' 11 तक) के दौरान यूरिया डीएपी, एमओपी और एनपीके की संचयी आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

(आंकड़े लाख मी.टन में)

2010-11 राज्य	यूरिया			डीएपी			एमओपी			मिश्रित		
	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
आंध्र प्रदेश	28.50	30.38	29.95	11.00	10.40	10.36	6.60	6.09	6.04	20.50	22.12	21.88
कर्नाटक	14.00	14.28	14.28	8.60	8.46	8.42	5.65	4.24	4.14	11.20	13.78	13.51
केरल	1.90	1.44	1.44	0.35	0.42	0.41	1.55	1.58	1.56	2.50	2.28	2.22
तमिलनाडु	11.50	10.23	10.15	4.25	3.20	3.19	5.84	4.74	4.72	4.25	6.91	6.83
गुजरात	19.50	21.26	21.19	8.40	8.11	8.09	2.30	2.02	2.02	4.83	6.62	6.55
मध्य प्रदेश	16.75	17.05	16.92	10.00	10.94	10.92	1.45	1.36	1.33	3.69	3.55	3.52
छत्तीसगढ़	5.70	5.56	5.54	2.84	2.41	2.41	1.06	0.96	0.94	1.40	1.32	1.32
महाराष्ट्र	25.25	25.52	25.51	16.70	14.35	14.31	6.75	6.52	6.37	14.80	17.98	17.92
राजस्थान	15.60	15.73	15.70	7.00	7.20	7.16	0.55	0.35	0.28	1.18	1.40	1.37
हरियाणा	19.65	18.75	18.38	7.20	7.40	7.37	0.70	0.66	0.66	0.55	0.69	0.69
पंजाब	26.00	27.61	27.17	9.25	9.04	9.01	1.06	1.06	0.96	0.70	1.05	1.03
हिमाचल प्रदेश	0.64	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.07	0.04	0.04	0.50	0.41	0.41
जम्मू और कश्मीर	1.50	1.28	1.27	0.85	0.81	0.81	0.36	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	57.60	55.08	54.51	19.60	17.71	17.64	3.70	2.17	1.92	9.45	10.61	10.30
उत्तराखंड	2.20	2.24	2.23	0.40	0.28	0.28	0.09	0.05	0.05	0.50	0.57	0.57
बिहार	19.50	16.96	16.94	4.75	4.60	4.59	2.30	2.00	1.97	3.35	3.14	3.11
झारखंड	2.10	1.36	1.35	1.10	0.66	0.65	0.15	0.08	0.06	0.85	0.36	0.36
ओडिशा	5.75	4.74	4.57	2.50	2.20	2.19	1.90	1.36	1.32	3.00	2.33	2.31
पश्चिम बंगाल	13.00	11.26	11.26	5.10	4.64	4.62	4.00	3.29	3.23	8.25	8.95	8.76
असम	2.60	2.50	2.50	0.60	0.29	0.27	1.30	0.96	0.96	0.05	0.11	0.11
अखिल भारत	290.79	284.62	282.23	120.92	113.09	112.87	47.80	39.83	38.91	92.00	104.39	102.98

वर्ष 2011-12 (अप्रैल 11 से फरवरी 12) के दौरान उर्वरकों की संचयी आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

2011-12 राज्य	यूरिया			डीएपी			एमओपी			मिश्रित		
	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
आंध्र प्रदेश	28.75	27.91	27.44	11.80	10.21	9.10	6.20	3.75	3.05	21.20	23.00	20.67
कर्नाटक	13.63	13.82	13.51	8.49	8.86	7.88	5.30	3.34	3.10	12.19	15.62	14.16
केरल	1.82	1.40	1.39	0.45	0.42	0.39	1.75	1.42	1.29	2.47	2.04	1.81
तमिलनाडु	10.71	10.04	9.96	4.11	3.59	3.44	4.99	3.72	3.53	6.25	7.58	6.51
गुजरात	21.40	20.00	19.85	8.55	6.43	5.73	2.17	1.62	1.46	4.94	6.72	5.68
मध्य प्रदेश	17.41	17.50	17.19	10.93	9.98	8.94	1.65	0.88	0.64	4.05	4.88	4.29
छत्तीसगढ़	6.18	5.64	5.52	2.87	2.48	2.23	1.14	0.68	0.60	1.52	2.06	1.81
महाराष्ट्र	25.75	23.55	23.20	16.40	11.60	10.60	5.90	3.74	3.20	17.34	19.17	17.08
राजस्थान	15.65	16.44	16.30	7.15	6.92	6.68	0.48	0.25	0.23	1.67	1.42	1.29
हरियाणा	19.25	18.31	18.17	7.12	7.60	7.32	0.70	0.42	0.40	0.80	0.69	0.63
पंजाब	25.00	25.77	25.53	10.05	9.51	9.12	1.01	0.70	0.65	0.98	1.22	1.11
हिमाचल प्रदेश	0.64	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.06	0.07	0.07	0.53	0.31	0.31
जम्मू और कश्मीर	1.42	0.84	0.83	0.83	0.58	0.53	0.34	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	56.00	54.26	53.52	19.45	17.11	14.58	3.90	1.50	1.37	11.05	12.35	10.39
उत्तराखंड	2.20	2.38	2.35	0.33	0.34	0.32	0.10	0.04	0.04	0.68	0.50	0.42
बिहार	19.50	16.80	16.64	4.95	4.47	3.98	2.40	1.21	0.94	3.73	3.83	3.27
झारखंड	2.54	2.10	2.06	1.25	0.69	0.60	0.34	0.04	0.02	1.03	0.47	0.43
ओडिशा	5.85	4.86	4.59	2.52	1.71	1.46	1.91	8.84	0.68	3.03	3.21	2.77
पश्चिम बंगाल	12.21	10.95	10.79	4.98	4.62	4.14	3.82	8.61	2.26	8.58	8.10	6.92
असम	2.79	2.33	2.31	0.55	0.37	0.26	1.30	18.4	0.67	0.25	0.07	0.04
अखिल भारत	288.68	275.49	271.72	122.77	107.48	97.30	45.44	27.63	24.24	102.27	113.23	99.59

[हिन्दी]

एमपीएलएडी स्कीम हेतु निधियां

1529. श्रीमती दीपा दासमुंशी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का ग्रामीण विकास योजनाओं की राशि एमपीलैड स्कीम हेतु उपयोग में लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह मंत्रालय योजना दिशानिर्देशों के अनुसार योजनाओं के अंतर्गत निधियों को रिलीज करता है, जबकि एमपीएलएडी योजना सांख्यिक कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

[अनुवाद]

ब्रह्मपुत्र का जलस्तर

1530. श्री इन्ग्रिड मैक्लोड:
श्री श्रीपाद येसो नाईक:
श्री ए. टी. नाना पाटील:
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीनी गतिविधियों के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर लगातार घट रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई रिपोर्ट मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि चीन की गतिविधियों के कारण ब्रह्मपुत्र नदी के जल स्तर में लगातार गिरावट आई है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय जल आयोग चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सीमा के निकट ऊपरी सियांग जिले में टूटिंग में नदी जल स्तर और निस्सरण आंकड़ों का रखरखाव करता है। केन्द्रीय जल आयोग को सियांग नदी के जल स्तर में कोई असामान्य गिरावट होने पर उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

गत पांच वर्षों (2007-11) के जनवरी और फरवरी महीनों में सीडब्ल्यूसी द्वारा टूटिंग में सियांग नदी के प्रवाह के विश्लेषण में दर्शाया गया है कि जनवरी/फरवरी, 2012 में औसत मासिक प्रवाह पिछले वर्षों के दौरान संगत औसत मासिक प्रवाहों से कम से कम 50 से 150% अधिक है।

(ङ) भारत सरकार, चीन के उन समस्त घटनाक्रमों की लगातार निगरानी करती है, जो भारत के हितों से संबंधित हैं तथा इनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करती है।

यूरिया का उत्पादन और इसकी खपत

1531. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में यूरिया का उत्पादन इसकी खपत से अधिक होता है;

(ख) यदि हां, तो यूरिया की कमी के क्या कारण हैं, और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी, नहीं। देश में यूरिया का स्वदेशी उत्पादन खपत से कम है। आकलित मांग और स्वदेशी उत्पादन के बीच अंतर को आयात के जरिए पूरा किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

डबल स्टैक कन्टेनर ट्रेनें

1532. श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट:
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में डबल स्टैक कन्टेनर ट्रेन चालू करने के लिए क्या मापदंड अपनाया गया है;

(ख) देश में जिन मार्गों पर ये रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने देश में उक्त सेवा शुरू करने के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किन-किन मार्गों का पता लगाया है; और

(ङ) इसके क्या वित्तीय प्रभाव पड़ने की संभावना है और उक्त मास्टर प्लान लागू करने के लिए क्या समय सीमा नियत की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) डबल स्टैक कन्टेनर गाड़ियों को चलाना, इस तरह की गाड़ियों की गतिमय आयाम को अधिकतम समायोजित करने के लिए पर्याप्त स्वीकृतियों सहित मार्ग अवसंरचना की उपयुक्तता और ग्राहकों की मांग पर निर्भर करता है।

(ख) रेलवे पिपावाव-कनकपुरा (जयपुर के पास), मुंद्रा-कनकपुरा (जयपुर के पास) पिपापाव-गढ़ी हरसरू (गुड़गांव के पास) और मुंद्रा-गढ़ी हरसरू (गुड़गांव के पास) मार्गों पर निजी कंटेनर गाड़ी ऑपरेटरों द्वारा डबल स्टैक कंटैनर गाड़ियां पहले से चला रही हैं जो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के मध्य से गुजरती है।

(ग) डबल स्टैक कंटेनर परिचालन गाड़ियों के लिए एक ब्लू प्रिंट तैयार किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) जैसे ही ब्लू प्रिंट को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, ब्यौरा उपलब्ध हो जाएगा।

कुटुम्ब न्यायालयों में न्यायाधीश

1533. श्री राधे मोहन सिंह: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुटुम्ब न्यायालयों में बड़ी संख्या में पुरुष न्यायाधीश हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/लिंग-वार तुलनात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ग) कुटुम्ब न्यायालयों में अधिक महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) कुटुम्ब न्यायालयों में महिला और पुरुष दोनों न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तथापि, कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 4(4)(ख) के अनुसार न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों का चयन करते समय महिलाओं को अधिमानता दी जाती है।

(ख) और (ग) कुटुंब न्यायालय, संबंधित उच्च न्यायालय के साथ परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 4(3) के अनुसार कोई व्यक्ति, न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब, (क) वह भारत में कोई न्यायिक पद या किसी अधिकरण के सदस्य का पद अथवा संघ या राज्य के अधीन ऐसा कोई पद कम से कम सात वर्ष तक धारण कर चुका हो जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है; या (ख) वह किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो; या (ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हों, जो केन्द्रीय सरकार, भारत के मुख्य न्यायामूर्ति की सहमति से, विहित करे। इस प्रकार कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश केवल तभी चयनित किए जाएंगे जब वे अधिनियम में अधिकथित मानदंड का समाधान करेंगे। यद्यपि, महिलाओं को प्राथमिकता दिए जाने के लिए उपबंध है। फिर भी, ये उनके मानदंड का समाधान करने के अध्यधीन होगा। चूंकि चयन अधीनस्थ स्तर पर किया जाता है और उनके द्वारा आंकड़े रखे जाते हैं और तब से पद का कार्यभार स्थानांतरण आदि के कारण समय के साथ बदलता रहता है, अतः राज्यवार और लिंग के आधार पर संख्या प्रदान करना कठिन है।

कर्नाटक में विद्युतीकरण कार्य

1534. श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार कर्नाटक में बंगलौर-मैसूर, बंगलौर-हुबली और हुबली-गदग रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक पूरा किया जाना है;

(ग) इन मार्गों पर इएमयू/मेमू और विद्युत ईंजन वाली रेलगाड़ियां कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या रेलवे का विचार चनप्पा-मैसूर विद्युतीकरण कार्य पूरा होने के बाद कुछ और रेलगाड़ियों को मैसूर तक चलाने का है; और

(ङ) उक्त मार्गों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए रेलवे और क्या कदम उठा रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं। बहरहाल, बेंगलुरू-केनगेरी खंड विद्युतीकृत है और केनगेरी-मैसूर खंड पर विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है। बेंगलुरू-हुबली और हुबली-गदग रेल लाइनों के विद्युतीकरण के लिए व्यवहार्यता सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है। चूंकि रेलपथ के विद्युतीकरण पर निर्णय वित्तीय व्यवहार्यता, यातायात घनत्व और परिचालनिक लोचशीलता पर आधारित होता है, इसलिए अंतिम निर्णय सर्वेक्षण रिपोर्ट के मूल्यांकन पर निर्भर करेगा।

(ख) केनगेरी-मैसूर खंड के विद्युतीकरण का कार्य दोहरीकरण के साथ राज्य सरकार और रेलवे के बीच लागत में 2:1 की हिस्सेदारी से स्वीकृत किया गया था। राज्य सरकार अब विद्युतीकरण के हिस्से की लागत वहन करने के लिए इच्छुक नहीं है। जब तक राज्य सरकार अपने हिस्से की धनराशि नहीं देती है, जैसा कि उन्होंने पहले सहमति दी थी, तब तक इसे पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता।

(ग) से (ङ) भारतीय रेलों में नई रेलगाड़ियां चलाना, मौजूदा गाड़ी सेवाओं का विस्तार और सुविधाओं का संवर्द्धन एक सतत् प्रक्रिया है बशर्ते यातायात औचित्यपूर्ण हो, परिचालनिक व्यवहार्यता हो और संसाधनों की उपलब्धता आदि।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में समपार फाटक

1535. डॉ. राजन सुशान्त: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश में समपार बनाने के लिए प्रारंभ की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस बारे में अभी तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और अभी तक कितनी राशि आवंटित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) हिमाचल प्रदेश में नए समपार के स्थापित करने के संबंध में कोई परियोजना नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एमएसएमई में निवेश की सीमा

[अनुवाद]

1536. श्री खगेन दास: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वर्गीकृत करने के लिए निवेश की सीमा संशोधित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ क्या मापदंड अपनाए जाने की संभावना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) और (ख) वर्तमान में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वर्गीकृत करने के लिए निवेश की सीमाओं को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

पुराने पुल

1537. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार देश में विशेष रूप से पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने पुराने पुल हैं जिनकी बड़े स्तर पर सुदृढ़ीकरण और पुनर्निर्माण की आवश्यकता है;

(ख) क्या देश में इन पुराने और क्षतिग्रस्त पुलों के सुदृढ़ीकरण और पुनर्निर्माण हेतु कोई व्यापक योजना तैयार कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो पुनरूद्धार कार्य हेतु अभिज्ञात ऐसे पुलों का जोन-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) रेल पुलों के लिए कोई आयु संबंधी मानदंड निर्धारित नहीं है। भारतीय रेल प्रणाली में कोई भी पुल पुराना नहीं है। पुलों का पुनर्निर्माण/पुन:स्थापन/सुदृढ़ीकरण उनकी वास्तविक स्थिति के आधार पर किया जाता है न कि आयु के आधार पर। रेल पुलों की सूचना जोन-वार रखी जाती है। 01.04.2011 को कुल 33,012 रेल पुल हैं जो 100 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। भारतीय रेलों में पुलों के निरीक्षण की एक नियमित और कड़ी निरीक्षण प्रणाली का अनुसरण किया जाता है।

इस प्रणाली के अंतर्गत सभी पुलों का वर्ष में एक बार अधिनामित अधिकारियों द्वारा बारीकी से निरीक्षण किया जाता है। इसके अलावा, निरीक्षण अधिकारी अपने नैमित्तिक निरीक्षणों के दौरान पुलों का भी निरीक्षण करते हैं। पुलों का पुनर्निर्माण/पुन:स्थापन/सुदृढ़ीकरण नियमित निरीक्षणों के दौरान उनकी वास्तविक स्थिति के आधार पर किया जाता है। 01.04.2011 को 3681 रेल पुल पुनर्निर्माण/पुन:स्थापन/सुदृढ़ीकरण के लिए स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें सभी आयु वर्ग के पुलों को शामिल किया गया है, जिसका जोन-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

रेलवे	मरे	पूरे	पूमरे	पूतरे	उरे	उमरे	पूर्वोत्तर	पूसीरे
पुल	138	370	522	89	328	136	8	132
रेलवे	उपरे	दरे	दमरे	दपूरे	दपूमरे	दपरे	परे	पमरे
पुल	199	227	315	304	149	159	327	278

पिछले पांच वित्त वर्षों के दौरान, भारतीय रेल प्रणाली में कुल 6201 अदद रेल पुलों को पुन:निर्मित/पुन:स्थापित/सुदृढ़ीकृत किया गया है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों का व्यय

1538. श्री भूदेव चौधरी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल विपणन कम्पनियों ने अपने कर्मचारियों को मितव्ययिता उपाय करने के लिए कहा है और विभिन्न पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों बढ़ाने के लिए सरकार से लगातार मांग की है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, इन विपणन कम्पनियों की आय और व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन ओएमसी'ज द्वारा दर्शाया गया घाटा उनके वास्तविक खातों को इंगित नहीं करता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन ओएमसी'ज के खातों पर नजर रखने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) नामत: इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) और भारत पेट्रोलियम लिमिटेड (बीपीसी) ने राजकोषीय बुद्धिमत्ता और खर्चा में किफायत के उपाय किए हैं।,

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में ओएमसीज की आय और खर्च के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	अप्रैल-दिसंबर 2011
बीपीसी				
आय	146901	133740	164973	156345
खर्च	145897	131374	162561	158994
एचपीसी				
आय	125658.2	109283.62	134842.48	126588.85
खर्च	122863.14	106258.98	131597.1	12860.86
आईओसी				
आय	3074413.03	277756.07	336866.71	308385.85
खर्च	303084.44	263649.98	327770.85	317101.66

(ग) डॉ. सी. रंगराजन, अध्यक्ष-प्रधानपंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की अध्यक्षता में गठित पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण और कराधान संबंधी समिति के अनुसार, "कच्चे तेल का शोधन एक प्रक्रिया उद्योग है जहां कुल लागत को लगभग 90% कच्चा तेल होता है। चूंकि वर्धित मूल्य अपेक्षाकृत कम होता है अत: प्रत्येक उत्पाद का अलग से मूल्य निर्धारण करने में समस्या आती है। तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) इस समय आयात समता आधार पर रिफाइनरियों से अपने उत्पादों का स्रोतीकरण कर रही हैं, जो बाद में उनका लागत मूल्य बन जाता हैं। लागत मूल्य और वसूल गए मूल्यों के बीच अंतर ओएमसीज की अल्प वसूलियों को दर्शाता हैं।"

ऊपर यथा परिकलित अल्प वसूलियां तेल कंपनियों के प्रकाशित परिणामों के अनुसार उनके वास्तविक लाभ हानियों से भिन्न हैं। एकीकृत कंपनियों के मामले में लाभांश आय, पाइपलाइन आय, मालसूची परिवर्तन, मुक्त मूल्य वाले उत्पादों से लाभ और शोधन मार्जिन जैसी अन्य आय के बारे में बाद में विचार किया जाता है।

(घ) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा ओएमसीज के खातों की लेखापरीक्षा की जाती है।

जल संसाधनों के प्रबंधन हेतु अनुसंधान और विकास

[अनुवाद]

1539. चौधरी लाल सिंह: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जल संसाधनों के प्रबंधन हेतु अनुसंधान और विकास के लिए कोई योजना/कार्यक्रम प्रारंभ किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ आबंटित और खर्च की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालयों में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां। भारत सरकार देश के जल संसाधनों संबंधी समस्याओं का हल निकालने, उपलब्ध प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी पद्धतियों और प्रक्रियाओं में सुधार करने, नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने में अग्रसर रहने इत्यादि के उद्देश्य से जल संसाधन मंत्रालय के तहत "जल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम" नामक एक योजना स्कीम का प्रचालन करती है।

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 242.19 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया था, जिसकी तुलना में दिसंबर, 2011 तक 170.43 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

[हिन्दी]

ओएनजीसी द्वारा ऑनशोर ब्लॉक का अभ्यर्पण

1540. श्री तूफानी सरोज: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने पश्चिम बंगाल में ऑनशोर ब्लॉक अभ्यर्पित कर दिया है और कोल बेड मीथेन ब्लॉक्स भी बंद कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ओएनजीसी को ऑनशोर ब्लॉक कब आवंटित किए गए थे और ओएनजीसी ने उक्त ब्लॉक में कितने वर्ष अन्वेषण कार्य किया;

(घ) क्या ओएनजीसी ने निर्धारित समय अनुसार इनमें ड्रिलिंग पूरी की थी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, हां। आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के दूसरे बोली दौर के तहत प्रदत्त जमीनी ब्लॉक डब्ल्यूबी-ओएनएन-2000/1 और कन्टाइ ऑनशोर नामिनेशन ब्लॉक को त्याग दिया है। ओएनजीसी ने कोल बेड मिथेन (सीबीएम) नीति के दूसरे बोली दौर के तहत प्रदत तीन कोल बेड मिथेन (सीबीएम) ब्लॉक नामत: एसीटी -सीबीएम-2003/II (सतपुडा, मध्य प्रदेश), डब्ल्यूडी-सीबीएम-2003/II (वर्धा, माहाराष्ट्र) और बीएस (3)-सीबीएम-2003/11 (बाडमेर-संचोर, गुजरात) भी त्याग दिये हैं।

(ख) एनईएलपी और सीबीएम ब्लॉक ओएनजीसी द्वारा इन ब्लॉकों में हाइड्रोकार्बन/सीबीएम की कम संभाव्यता बताते हुए (संविदाओं में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार) इन्हें त्याग दिया गया था। ओएनजीसी द्वारा कन्टाइ नामिनेशन ब्लॉक का त्याग कर दिया गया था क्योंकि हाइड्रोकार्बन की संभाव्यता सिद्ध नहीं हो पाई थी।

(ग) ब्लॉक डब्ल्यूबी-ओएनएन-2000/1 के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) पर हस्ताक्षर 17.07.2001 को किए गए थे। इस

समस्त ब्लॉक का त्याग, चरण-1 के न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूडीपी) के अनुसार द्वि-आयाम भूकंपीय आंकणों के 100 लाइन किलो. मीटर (एलकेएम) के अर्जन, संसाधन और व्याख्या (एपीआई) पूरी करने के बाद 28.09.2003 को (अर्थात् दो वर्ष बाद) कर दिया गया था। दिनांक 22.08.1997 को ओएनजीसी को कन्टाइ ब्लॉक प्रदान किया गया था। इस ब्लॉक को दिनांक 21.08.2011 को त्याग दिया गया था।

(घ) और (ङ) ओएनजीसी ने ब्लाक डब्ल्यूबी-ओएनएन- 2000/1 ब्लॉक में किसी कूप का वेधन नहीं किया है क्योंकि चरण-1 के पूरा होने के बाद इस ब्लॉक का चरण-1 के एमडब्ल्यूपी में अन्वेषणात्मक कूपों का वेधन शामिल नहीं था।

ओएनजीसी ने कार्यक्रम के अनुसार कन्टाइ नामिनेशन ब्लॉक में वेधन का कार्य पूरा किया।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत परियोजनाएं

[अनुवाद]

1541. श्री प्रदीप माझी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गैर-इमारती लकड़ी वन उत्पाद आधारित परियोजनाओं को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे क्षेत्रों में ये परियोजनाएं कब तक प्रचालनरत हो जाएंगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

किसानों को रसायन मुक्त उर्वरक

1542. श्री प्रेमदास: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रासायनिक उर्वरकों और जहरीली रासायनीक सामग्री/औषधियों के अंधाधुंध उपयोग को रोकने के लिए नई विधियों का उपयोग करते हुए देशभर में किसानों को रसायन मुक्त उर्वरक उपलब्ध करवाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त उर्वरक कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) इस समय किसानों को रसायन मुक्त उर्वरक उपलब्ध कराने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार रासायनिक उर्वरकों, जैव-उर्वरकों का परीक्षण आधारित, संतुलित और युक्तिसंगत प्रयोग तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध कार्बनिक खादों जैसे फार्मो यार्ड मैन्योर, कृमि-कंपोस्ट, और हरी खाद के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है ताकि मृदा स्वास्थ्य और उत्पादकता को बनाए रखा जा सके। कार्बनिक और जैव-उर्वरकों के प्रोत्साहन देने के लिए 5 जैव-उर्वरकों नामत: रिजोबियम, अजोटोबैक्टर, अजोस्प्रिलियम, फास्फेट, साल्यूब्लाइजिंग बैक्टेरिया और माइकोरिझा को उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ), 1985 में शामिल किया गया है। कार्बनिक उर्वरक और जैव-उर्वरक खुले बाजार में उपलब्ध हैं। तथापि, कुल राज्य भी किसानों को जैव-उर्वरक कराते हैं।

कालका-शिमला रेल कार

1543. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व विरासत कालका-शिमला रेल मार्ग पर चल रही चार रेल कारों में से दो कारें बंद हो चुकी हैं और शेष दो को भी बंद किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त रेल कारों को बंद किए जाने से घरेलू और विदेशी पर्यटकों को परिवहन संबंधी समस्याएं होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे ने एसी समस्याओं पर रोक लगाने और यह सुनिश्चित करने की न केवल उक्त मार्ग पर रेल कार सेवा जारी रहे अपितु पुरानी सेवाओं को भी जारी किया जाय, कोई उपाय किए है; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) से (ङ) कालका-शिमला खंड में इस समय पारंपरिक तथा रेल कार सेवाएं पहले से ही मौजूद हैं। दो रेल कार काफी पहले से ही नकारा हो चुकी थी किंतु अभी भी 2 रेल कारें उपयोग में लाई जा रही हैं। यातायात के मौजूद स्तर को देखते हुए ये सेवाएं पर्याप्त समझी जाती हैं। व्यस्त अवधि के दौरान पर्यटकों सहित भारी भीड़ की निकासी के लिए विशेष गाड़ियां भी चलाई जाती हैं।

[अनुवाद]

माल ढुलाई प्रचालन सूचना प्रणाली

1544. डॉ. विनय कुमार पाण्डेय: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने माल ढुलाई प्रचालन सूचना प्रणाली (एफओआईएस) को क्रियान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) मालभाड़ा परिचालन सूचना प्रणाली (एफओआईएस) चरणबद्ध आधार पर निम्नानुसार लागू की गई हैं:-

(i) 246 स्थलों पर रेक प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है।

(ii) 1747 स्थलों पर टर्मिनल प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है। दिसंबर, 2012 तक 135 और स्थलों पर इसे चालू किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

अंग्रेजी में मनरेगा की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1545. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न राज्यों में ग्राम पंचायतों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की लेखापरीक्षा रिपोर्ट केवल अंग्रेजी में प्राप्त हो रही है न कि हिन्दी में;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में लेखापरीक्षा रिपोर्ट की अनुपब्धता के कारण पंचायत सचिवों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उठाई गई आपत्तियों का उत्तर देने में मुश्किल हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) विभिन्न राज्यों में ग्राम पंचायत के लेखाओं की लेखापरीक्षा स्थानीय निधि लेखापरीक्षा कार्यालय अथवा संबंधित राज्य सरकार द्वारा स्थापित समकक्ष द्वारा की जाती है और संबंधित राज्यों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया विधि द्वारा संचालित होती है। ग्राम पंचायत अथवा जिला परिषद के लेखाओं की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के अनुपालन में की गई कार्रवाई रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है।

कृत्रिम वर्षा

1546. श्री जगदीश शर्मा: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेईचिंग में जल संकट को दूर करने तथा कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु चीन ने कृत्रिम वर्षा का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार ने भी विगत में कृषि हेतु कृत्रिम वर्षा का उपयोग करने का निर्णय लिया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में निर्णय लेने का है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी नहीं। कृत्रिम रूप से वर्षा कराने की तकनीकों का प्रयोग सूखे-कम वर्षा वाले/सूखाग्रस्त क्षेत्रों में वर्षा वाले बादल लाने के लिए नहीं किया जा सकता। अगर संगठित मौसम परिवर्तन हस्तक्षेप सफल हो जाए तो ऐसे प्रयासों से केवल किसी निश्चित स्थान पर पहले से ही विद्यमान वर्षा की संभावना वाले बादलों को वर्षा करने हेतु किया जा सकता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं

(घ) अब तक, कृत्रिम बादल बनाने संबंधी सभी कार्यक्रम का कार्यान्वयन विभिन्न प्रयोजकों, जिनमें बड़े क्षेत्रों में सरकारी प्रायोजक तथा स्थानीय स्तर पर निजी न्यास शामिल हैं, के साथ अनुबंध के तहत कार्यरत वाणिज्यिक फार्मों द्वारा किया जा रहा है। विगत में कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों ने निजी फार्मों को भाड़े पर लेकर कृत्रिम बादल बनाने संबंधी प्रचालन किए थे और इन सभी प्रचालनों के लिए निधि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी।

जाति प्रमाण-पत्र की जांच

1547. श्री बृजभूषण शरण सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर रेलवे ने आरक्षित श्रेणियों के खान-पान (केटरिंग) लाइसेंसधारकों द्वारा प्रदान किए गए जाति प्रमाण-पत्र की जांच की है;

(ख) यदि हां तो, कितने जाति प्रमाण-पत्रों को फर्जी पाया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो रेलवे इसकी जांच करने पर विचार कर रही है; और

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कितने लोगों को उत्तर रेलवे द्वारा केटरिंग लाइसेंस जारी किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) जाली जाति प्रमाण पत्र का कोई मामला नहीं पाया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उत्तर रेलवे पर आरक्षित कोटियों को दिए गए खानपान लाइसेंसों का ब्यौरा निम्ननुसार हैं:

अनुसूचित जाति	-	47
अनुसूचित जन जाति	-	01
अन्य पिछड़ा वर्ग	-	62

रेल परियोजनाओं की लागत वृद्धि

1548. श्री काशीनाथ तवारे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे की कितनी जोन-वार परियोजनाएं पूरा किए जाने की अपनी निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रही हैं;

(ख) प्रत्येक विलंबित परियोजनाओं के समय और लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) रेलवे द्वारा ऐसी परियोजनाओं की समय और लागत में वृद्धि को रोकने हेतु क्या रणनीति अपनाई गई/अपनाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) 01.04.2011 को, भारतीय रेलों पर चालू परियोजनाओं का भारी बकाया है अर्थात 129 नई लाइन, 45 आमान परिवर्तन और 166 दोहरीकरण परियोजनाएं हैं जिन्हें पूरा करने के लिए 1,25,000 करोड़ रु. की आवश्यकता है। चालू परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब होने के मुख्य कारण भूमि की उपलब्धता में विलंब होना, संसाधनों की सीमित उपलब्धता, वन संबंधी क्लीयरेंस में देरी लगना, प्रतिकूल कानून एवं व्यवस्था का होना, ठेकेदारों की विफलताएं, संरेखरण के संबंध में न्यायालय में मामले, सामग्रियों की अनुपलब्धता आदि है, जो इन परियोजनाओं की प्रगति को प्रभावित करती हैं। चालू परियोजनाओं के उपरोक्त कारणों के परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि हुई है और निर्माण एवं प्रौद्योगिकी के मानक, कार्य के क्षेत्र मुद्रास्फीति आदि में परिवर्तन हो गया है। चालू नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाओं का जोनवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) चालू परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने और लागत एवं समय में वृद्धि से बचने के लिए रेलवे सार्वजनिक निजी भागीदारी, राज्य सरकारों/लाभकर्ताओं द्वारा सहभागिता, रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा क्रियान्वयन से भी राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन जैसे उपायों द्वारा अतिरिक्त बजटीय वित्तपोषण का सृजन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयत्नों ने सकारात्मक परिणाम देने शुरू कर दिए हैं।

इसके अतिरिक्त, (1) ठेका प्रबंधन में दक्षता लाने के लिए ठेका शर्तों को संशोधित किया गया है और फील्ड यूनिटों को शक्तियां प्रात्योजित करके उन्हें सुदृढ़ किया गया है; और (2) सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण के लंबित मुद्दों को संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है और पर्यावरण संबंधित मुद्दों को भी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय स्तर पर उठाया जा रहा है।

विवरण

चालू नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाओं का जोन-वार ब्यौरा

रेलवे जोन	चालू परियोजनाओं की संख्या		
	नई लाइन	आमान परिवर्तन	दोहरीकरण
मध्य	4	–	6
पूर्व तट	6	–	14
पूर्व मध्य	26	4	3
पूर्व	10	1	35
उत्तर	8	–	19
उत्तर मध्य	4	2	3
पूर्वोत्तर	5	6	8
पूर्वोत्तर सीमा	18	5	2
उत्तर पश्चिम	2	4	9
दक्षिण	9	6	15
दक्षिण मध्य	16	–	9
दक्षिण पूर्व	5	3	15
दक्षिण पूर्व मध्य	2	3	7
दक्षिण पश्चिम	10	3	11
पश्चिम मध्य	1	–	4
पश्चिम	3	8	6
जोड़	129	45	166

भूमि वितरण

1549. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भूमि का वितरण अस्पष्ट है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में भूमि के सफल वितरण हेतु कोई प्रभावी कदम उठाकर भूमि का राष्ट्रीयकरण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) जी हां।

(ख) एनएसएस 59वें राउंड सर्वे (जनवरी-दिसम्बर, 2003) की रिपोर्ट सं. 491 से, 17 प्रमुख राज्यों में पांच व्यापक श्रेणियों में स्वामित्च वाले जोत तथा क्षेत्रों का प्रतिशत वितरण दर्शाने वाला ब्यौरा के रूप में संलग्न है।

(ग) से (ङ) भूमि तथा इसका प्रबंधन संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 में की गई व्यवस्था के अनुसार अनन्य रूप से राज्यों के विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तथापि, अलग-अलग राज्यों ने भूमि का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए भूमि के सीमांकन से संबंधित अपने स्वयं के कानून अधिनियमित किए हैं। वर्तमान में 'भूमि और इसके प्रबंधन' का राष्ट्रीयकरण करने के लिए केन्द्र स्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

2003 के लिए 17 प्रमुख राज्यों में पांच व्यापक श्रेणियों में स्वामीत्व वाले जोत तथा क्षेत्र का प्रतिशत विवरण

राज्य	वर्ष	जोतों का प्रतिशत						स्वामित्व वाले क्षेत्र का प्रतिशत					
		सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम	मध्यम	बड़े	सभी	सीमांत	छोटे	अर्ध मध्यम	मध्यम	बड़े	सभी
आंध्र प्रदेश	2003	82.70	9.10	5.30	2.60	0.50	100.00	21.87	19.95	21.16	22.91	14.05	100
असम	2003	81.80	14.20	3.60	0.50	0.00	100.00	44.42	34.87	16.36	4.32	0.00	100
बिहार	2003	89.40	7.10	2.70	0.70	0.010	100.00	42.07	25.29	18.53	9.56	4.63	100
गुजरात	2003	73.30	11.90	7.20	6.50	1.00	100.00	13.60	16.05	18.96	39.12	12.28	100
हरियाणा	2003	77.20	9.80	7.70	4.90	0.40	100.00	13.15	15.83	24.62	34.14	12.26	100
हिमाचल प्रदेश	2003	83.70	1.50	4.10	0.50	0.10	100.00	43.80	28.02	19.77	6.45	2.03	100
जम्मू व कश्मीर	2003	77.50	15.00	5.60	1.70	0.20	100.00	36.26	25.49	19.54	11.12	7.58	100
कर्नाटक	2003	71.00	14.10	8.80	5.49	0.70	100.00	16.65	19.45	23.18	29.52	11.20	100
केरल	2003	95.30	3.50	0.90	0.30	0.00	100.00	60.72	21.13	10.78	7.16	0.00	100
मध्य प्रदेश	2003	61.70	18.00	12.10	7.10	1.10	100.00	11.61	19.07	25.80	31.25	12.29	100
महाराष्ट्र	2003	69.00	13.10	12.00	5.10	0.80	100.00	12.38	17.57	30.88	27.35	11.78	100
ओडिशा	2003	85.50	9.70	3.70	0.90	0.10	100.00	41.52	27.06	19.72	9.98	1.78	100
पंजाब	2003	76.30	9.50	7.90	5.10	1.00	100.00	9.16	15.63	25.30	34.50	15.31	100
राजस्थान	2003	55.20	16.50	14.00	10.10	4.10	100.00	9.26	11.19	18.61	28.40	32.52	100
तमिलनाडु	2003	90.10	5.70	2.90	1.20	0.00	100.00	33.21	23.10	22.09	20.57	1.23	100
उत्तर प्रदेश	2003	81.00	12.30	4.80	1.60	0.10	100.00	34.89	27.38	20.74	14.65	2.34	100
पश्चिम बंगाल	2003	92.06	5.70	1.40	0.20	0.00	100.00	58.23	25.71	11.88	4.02	0.00	100
अखिल भारत	2003	79.60	10.80	6.00	3.00	0.60	100.00	23.05	20.38	21.98	23.08	11.55	100

जोत आकार की श्रेणी	आकार
सीमांत	1000 हैक्टेयर से कम अथवा इसके बराबर
छोटे	1000 हैक्टेयर से अधिक लेकिन 2,000 हैक्टेयर से कम अथवा इसके बराबर
अर्ध-मध्यम	2,000 हैक्टेयर से अधिक लेकिन 4,000 हैक्टेयर से कम अथवा इसके बराबर
मध्यम	4,000 हैक्टेयर से अधिक लेकिन 10,000 हैक्टेयर से कम अथवा इसके बराबर
बड़े	10,000 हैक्टेयर से अधिक

एनएसएस रिपोर्ट सं. 491: भारत में जोतों का स्वामित्व, 2003

[अनुवाद]

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की स्थिति

1550. श्री नामा नागेश्वर राव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे की जानकारी है कि नई दिल्ली रेलवे पर चूहों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या से निजात पाने के संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) जी हां.

(ख) इस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त फर्मों की सेवाओं का इस्तेमाल करके कारगर (रोडेंन्ट) कृंतक नियंत्रण उपाय किए गए हैं, इससे चूहों की संख्या में कमी हुई है। इस पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है।

अतिक्रमणकारियों के संबंध में आंकड़े

1551. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:
श्री एल. राजगोपाल:
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास देश में रेल पटरियों के आसपास रहने वाले लोगों तथा रेलवे भूमि पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के संबंध में कोई आंकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) जी हां.

(ख) इस समय, रेलवे भूमि पर लगभग एक लाख चालीस हजार अतिक्रमण रिपोर्ट किए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

'क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम'

1552. श्री मानिक टैगोर: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए "क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएस)" नामक योजना कार्यान्वयनाधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु क्या अर्हक मानदंड हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने एकक लाभान्वित हुए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र): (क) और (ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी नामक एक योजना (सीएलसीएसएस) चला रहा है। इस योजना के तहत 1 करोड़ रू० तक के ऋण पर संयंत्र व मशीनरी के मूल्य का 15 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी दी जाती है। यह योजना 11 नोडल बैंकों/एजेंसियों नामत: भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय स्टेट बैंक, आंध्र बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

(ग) इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों में एकल स्वामित्व, भागीदारी, सहकारी समितियां, और सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र की निजी और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां शामिल हैं। सीएलसीएसएस के तहत अतिरिक्त ऋण की मंजूरी के कारण लघु उद्योग से मध्यम उद्योग में अग्रसर होने वाले उद्योग भी सहायता के पात्र हैं। इन इकाइयों के दायरे में राज्य उद्योग निदेशालय के साथ पंजीकृत मौजूदा और नई इकाइयां आती हैं जो इस योजना के दिशा निर्देशों के तहत सूचीबद्ध प्रौद्योगिकी से अपनी सुविधाएं स्थापित या उन्नयन कर रही हैं। इस योजना में वे परियोजनाएं भी आती हैं जिन्हें 29 सितंबर, 2005 को या इसके बाद पात्र प्राथमिक ऋण संस्थानों (पीएलआई) द्वारा सावधि ऋण मंजूर किया गया है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) की हायर पर्चेज स्कीम के तहत खरीदी गई मशीनरी भी इस योजना के तहत सब्सिडी के लिए पात्र है। योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश www.dcmsme.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के तहत लाभान्वित इकाइयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के तहत लाभान्वित इकाइयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	इकाइयों की संख्या			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (आज की तिथि के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	189	119	187	213
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0
3.	असम	0	1	0	0
4.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
5.	बिहार	1	3	3	1
6.	चंडीगढ़	26	35	23	9
7.	छत्तीसगढ़	27	14	9	5
8.	दादरा और नगर हवेली	3	1	5	2
9.	दमन और दीव	0	0	2	1
10.	गोवा	2	5	7	3
11.	गुजरात	128	321	730	767
12.	हरियाणा	84	67	160	185
13.	हिमाचल प्रदेश	0	0	1	1
14.	जम्मू और कश्मीर	0	0	1	0
15.	झारखंड	5	17	27	4
16.	कर्नाटक	300	289	593	380
17.	केरल	12	16	23	15
18.	लक्षद्वीप	0	1	0	0
19.	मध्य प्रदेश	23	21	27	24

1	2	3	4	5	6
20.	महाराष्ट्र	211	365	370	309
21.	मणिपुर	1	0	0	0
22.	मेघालय	0	0	0	0
23.	मिजोरम	0	0	0	0
24.	नागालैंड	0	2	0	0
25.	दिल्ली	44	17	60	37
26.	ओडिशा	31	12	83	28
27.	पुदुचेरी	4	0	1	6
28.	पंजाब	141	235	448	297
29.	राजस्थान	78	92	175	197
30.	सिक्किम	0	1	0	0
31.	तमिलनाडु	446	863	934	297
32.	त्रिपुरा	0	2	0	0
33.	उत्तर प्रदेश	31	34	84	42
34.	उत्तराखंड	0	0	2	2
35.	पश्चिम बंगाल	3	19	29	17
	कुल	1790	2552	3984	2842

पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे बुनियादी ढांचा

1553. श्री राजेन गोहैनः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों में रेलवे का मौजूदा बुनियादी ढांचा देश के शेष भागों की तुलना में पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने इसमें सुधार करने हेतु कोई विशेष पैकेज लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) से (घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल अवसंरचना के विकास के लिए रेलवे ने कुल 24104.54 करोड़ रु. की लागत से 12 नई लाइन, 4 आमान परिवर्तन तथा एक दोहरीकरण परियोजनाएं शुरू की है। 'पूर्वोत्तर क्षेत्र रेल विकास निधि' (एनईआरआरडीएफ) एक समर्पित अव्यपगत निधि की स्थापना की गई है ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के राष्ट्रीय परियोजनाओं को निर्बाध रूप से धनराशि मिलती रहे।

राष्ट्रीय औषध-भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

1554. श्री एल. राजगोपाल: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय औषध-भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है;

(ख) क्या यह एक तथ्य नहीं है कि एनपीपीए का एक कर्त्तव्य औषधियों के मूल्य निर्धारण ढांचे को वहनीय दरों पर लागू करना है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि एनपीपीए 74 अनुसूचित औषधियों सहित दवाओं के बढ़ते मूल्य को नियंत्रित करने में असफल रहा हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) की स्थापना दिनांक 29-08-1997 के भारत के राजपत्र संख्या - 159 में प्रकाशित भारत सरकार के संकल्प द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

(i) अनुसूचित बल्क औषधियां तथा फार्मूलेशनों के मूल्यों का निर्धारण और संशोधन;

(ii) मूल्य नियंत्रण के अधीन आने वाली औषधियों की सूची को अद्यतन बनाना;

(iii) नियंत्रण बाह्य औषधियों तथा फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग करना;

(iv) औषधियों की उपलब्धता की मॉनीटरिंग करना;

(v) उत्पादन, निर्यात तथा आयात आदि के संबंध में आंकड़े एकत्रित करना और उनका रख-रखाव करना;

(vi) डीपीसीओ के प्रावधानों का कार्यान्वयन तथा प्रवर्त्तन;

(vii) औषधियों/भेषजों के मूल्य निर्धारण के संबंध में अध्ययन करवाना;

(viii) औषधियों और मूल्य निर्धारण नीतियों के संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देना; और

(ix) एनपीपीए के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले विधिक मामलों पर कार्रवाई करना।

(ख) से (घ) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अधीन 74 बल्क औषधियों और इन अनुसूचित औषधियां में से किसी भी अनुसूचित औषधि वाले फार्मूलेशन मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित औषधियों/फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारित अथवा संशोधित किए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी अनुसूचित औषधि/फार्मूलेशन को एनपीपीए द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर नहीं बेच सकता है।

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने अपनी स्थापना के समय से 522 मामलों में मूल्यों को निर्धारित/संशोधित किया है जिनमें बल्क औषधियों के 334 मामले तथा अनुसूचित बल्क औषधियों के व्युत्पन्नों के 188 मामले शामिल हैं एवं 11660 फॉर्मूलेशन पैकों के मूल्यों का निर्धारण/संशोधन भी किया हैं। इनमें से 15 अनुसूचित बल्क औषधियों तथा 6 व्युत्पन्नों और 607 फॉर्मूलेशनों के मूल्य 1 अप्रैल, 2011 से 29 फरवरी, 2012 तक की अवधि के दौरान निर्धारित/संशोधित किये गये थे।

पिछले चार वर्षों के दौरान तथा एनपीपीए की स्थापना के शुरू से ही जिन अनुसूचित बल्क औषधियों के मूल्य निर्धारित किये गये थे उनकी संख्या निम्नानुसार है:

I. बल्क औषधियों के मूल्य

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (29 फरवरी, 2012 तक)	एनपीपीए की स्थापना से
1	2	3	4	5	6
बल्क औषधियों की संख्या जिनके मूल्यों में वृद्धि हुई	22	15	10	19	152
बल्क औषधों की संख्या जिनके मूल्यों में गिरावट हुई	9	10	07	01	343

1	2	3	4	5	6
बल्क औषधियों की संख्या जिनके मूल्य पहली बार निर्धारित किए गए	0	02	01	0	17
मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं	0	01	03	1	10
कुल	31	28	21	21	522

II. फार्मूलेशन पैक

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (29 फरवरी, 2012 तक)	एनपीपीए की स्थापना से
अनुमोदित पैकों की संख्या	1577	1824	713	607	11660
जिनके मूल्य बढ़े	190	184	223	257	1789
जिनके मूल्य घटे	89	450	60	50	3409
पहली बार मूल्य निर्धारित हुए	1256	1155	371	239	6062
मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं	42	35	59	61	400
कुल	1577	1824	713	607	11660

जो औषधियां, औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अधीन नहीं आती हैं अर्थात गैर अनुसूचित औषधियां हैं, उनके मामले में सरकार/एनपीपीए से अनुमोदन लिए बिना ही निर्माता स्वयं मूल्य निर्धारित करते हैं। तथापि, मूल्य मॉनीटरिंग कार्य के अंग के रूप में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) गैर अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव की नियमित आधार पर जांच करता है। ओआरजी-आईएमएस की मासिक रिपोर्टों और अलग-अलग निर्माताओं के द्वारा दी गई सूचना का उपयोग गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग के प्रयोजन हेतु किया जाता है। जहां कहीं 10 प्रतिशत वार्षिक से अधिक मूल्य वृद्धि का पता चलता है वहां निर्माता से कहा जाता है कि वह स्वेच्छा से मूल्य घटाए, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए जनहित में फार्मूलेशन का मूल्य निर्धारित करने के लिए औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैराग्राफ 10(ख) के अधीन कार्रवाई की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

गैर अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग के आधार पर एनपीपीए ने पैरा 10(ख) के अधीन 30 फार्मूलेशन पैकों के मामले में मूल्यों का निर्धारण किया है, और कंपनियों ने 65 फार्मूलेशन पैकों के मामले में स्वेच्छा से मूल्य घटाए हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर गैर अनुसूचित औषधियों के 95 पैकों के मूल्य एनपीपीए के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप घटे हैं।

सितम्बर, 2011 के महीने के लिए आईएमएस स्वास्थ्य मासिक एसएसए रिपोर्ट के अनुसार 61016 फार्मूलेशनों पैकों के मूल्यों के संबंध में वृद्धि/कमी का ब्यौरा इस प्रकार है:

	उक्त महीने के दौरान मूल्यों में हुए परिवर्तन	दवाइयों (पैकों) की संख्या	कुल का प्रतिशत
क.	मूल्य घटे	410	0.67%
ख.	मूल्य बढ़े	1080	1.77%
	(क) 5% तक	543	0.89%
	(ख) 5% से अधिक और 10% तक	527	0.86%
	(ग) 10% से अधिक और 20%	10	0.02%
	(घ) 20% से अधिक	-	-
ग.	मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया	59526	97.56%
	कुल	61016	100.00%

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के संबंध में आईएमएस स्वास्थ्य की खुदरा लेखा परीक्षा रिपोर्टों के अनुसार प्रतिशतता के संदर्भ में मासिक आधार पर उन पैकों की प्रतिशत संख्या का ब्यौरा जिनके मूल्य बढ़े हैं, घटे हैं और स्थिर रहे हैं।

जिन पैकों के मूल्य बढ़े हैं उनकी प्रतिशत संख्या

वर्ष	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
2006-07	0.15	0.55	0.31	0.66	0.27	0.34	0.66	-	0.37	0.89	0.68	0.14
2007-08	0.77	0.14	0.10	0.02	0.13	0.12	0.01	0.01	0.32	0.33	0.03	0.00
2008-09	0.07	0.12	0.30	0.05	0.11	15.89	1.73	2.44	0.10	0.07	0.02	8.74
2009-10	1.99	0.62	4.75	0.01	0.07	3.21	0.14	0.003	2.92	0.03	0.02	2.66
2010-11	0.09	0.02	1.98	0.22	0.09	2.28	0.08	0.03	2.46	0.30	0.01	1.89
2011-12	0.07	0.02	1.49	0.01	0.00 4	1.77						

जिन पैकों के मूल्य घटे हैं उनकी प्रतिशत संख्या

वर्ष	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
2006-07	0.33	0.24	0.28	0.03	0.35	0.15	0.11	0.00	0.62	0.30	0.23	0.04
2007-08	0.22	0.20	0.42	0.02	0.09	0.02	0.12	0.00	0.07	0.12	0.03	0.01
2008-09	0.01	0.03	0.08	0.02	0.09	10.85	1.32	2.41	0.29	0.02	0.03	6.67
2009-10	1.32	0.48	5.15	0.02	0.02	2.96	0.02	0.01	1.31	0.02	0.03	0.87
2010-11	0.06	0.01	1.45	0.14	0.03	1.15	0.01	0.02	0.88	0.15	0.01	0.62
2011-12	0.01	0.04	0.89	0.03	0.008	0.67						

जिन पैकों के मूल्य स्थिर रहे हैं उनकी प्रतिशत संख्या

वर्ष	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
2006-07	99.52	99.20	99.41	99.31	99.37	99.51	99.23	100.00	99.02	98.81	99.18	99.81
2007-08	98.99	99.65	99.48	99.96	99.78	99.85	99.87	99.99	99.61	99.55	99.93	99.99
2008-09	99.93	99.85	99.62	99.92	99.80	73.26	96.95	95.15	99.61	99.91	99.95	84.59
2009-10	96.69	98.90	90.10	99.96	99.92	93.83	99.84	99.99	95.76	99.95	99.96	96.47
2010-11	99.85	99.97	96.57	99.65	99.88	96.57	99.91	99.95	96.66	99.55	99.98	97.49
2011-12	99.92	99.94	97.62	99.96	99.99	97.56						

स्रोत: आईएमएस - स्वास्थ्य

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि दवाइयों के मूल्य सामान्यत: स्थिर रहे हैं। उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा जारी थोक मूल्य सूचकांकों के अनुसार निम्नलिखित स्थिति सामने आई है:

थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2004-05)

वर्ष	सभी वस्तुएं	प्रतिशत वृद्धि	औषधियां और दवाइयां	प्रतिशत वृद्धि
2006-2007	111.35	-	102.56	-
2007-2008	116.63	4.74	108.11	5.41
2008-2009	126.02	8.05	111.41	3.05
2009-2010	130.81	3.80	112.72	1.17
2010-2011	143.32	9.56	115.40	2.38
2011-2012 (जनवरी, 11-जनवरी, 12)	157.70	6.55	121.30	3.94

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2006-07 से वर्ष 2011-12 तक के दौरान सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की तुलना में औषधियों और दवाइयों के मूल्यों में वृद्धि आमतौर पर कम रही है। इस प्रकार एनपीपीए डीपीसीओ, 1995 प्रावधानों के अंतर्गत औषधियों के मूल्यों को नियंत्रित रखने के मामले में सफल रहा है।

डीएमआईसी के आस-पास रेलवे लाइन

1555. श्री हरिन पाठक: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे (डीएमआईसी) के समग्र विकास हेतु विभिन्न रेलवे लाइनों के विकास हेतु गुजरात सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में रेलवे में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) उक्त विकास हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) और (ग) रेलवे के समर्पित मालभाड़ा गलियारा परियोजना के पश्चिमी मार्ग के साथ निवेश सहमति विकसित करने के लिए डीएमआईसी (दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा) भारत सरकार की एक परियोजना है. गुजरात सरकार के पत्र में दी गई निम्नलिखित परियोजनाएं पूरी हो गई हैं:-

- दहेज-सामनी-भरूच खंड (आमान परिवर्तन)
- छोटा-उदयपुर-वडोदरा खंड (आमान परिवर्तन)
- आदिपुर-गांधीधाम खंड (दोहरीकरण)
- गांधीधाम-कांडला खंड (दोहरीकरण)

कतिपय अन्य पहचानी गई परियोजनाएं जो डीएमआईसी से संबंधित हैं, को स्वीकृत कर दिया गया है और सर्वेक्षण जैसे प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

सुरक्षित पेयजल हेतु दृष्टिकोण पत्र

1556. श्री सुरेश अंगड़ी: क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सुरक्षित पेयजल के प्रावधान हेतु एक दृष्टिकोण पत्र तैयार किया है और इसे योजना आयोग को प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में योजना आयोग की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सुरक्षित पेयजल प्रदान करने हेतु कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) योजना आयोग ने ग्रामीण घरेलू जल और स्वच्छता के संबंध में 12वीं पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए समीक्षा और क्षेत्रों में सिफारिशों के संबंध में रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक कार्य समूह गठित किया है। कार्यसमूह ने योजना आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) ग्रामीण घरेलू जल के संबंध में रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें हैं:

(i) ग्रामीण बसावटों को पेयजल आपूर्ति की कवरेज के मानदण्डों को 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक बढ़ाया जाए।

(ii) पाइपों से पेयजल की आपूर्ति के माध्यम से पेयजल प्रदान करने पर ध्यान देना।

(iii) पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता के बीच तालमेल को सुदृढ़ किया जाए।

योजना आयोग द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है।

(ग) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों के लिए सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिए निर्धारित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

2008-09 से 2010-11 के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी का आवंटन, रिलीज और व्यय

(राशि करोड़ रू.)

		2008-09			2009-10			2010-11		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन	रिलीज	व्यय	आवंटन	रिलीज	व्यय	आवंटन	रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	394.53	395.05	398.05	437.09	537.37	394.45	491.02	558.74	423.38
2.	अरूणाचल प्रदेश	146.12	162.46	160.97	180.00	178.20	193.80	123.35	199.99	176.55
3.	असम	246.44	187.57	265.40	301.60	323.50	269.34	449.64	487.48	480.55
4.	बिहार	425.38	452.38	73.30	372.21	18611	279.36	341.46	170.73	425.91
5.	छत्तीसगढ़	130.42	125.26	112.42	116.01	128.22	104.06	130.27	122.01	97.77
6.	गोवा	3.98	0.00	0.00	5.64	3.32	0.50	5.34	0.00	1.16
7.	गुजरात	314.44	369.44	289.33	482.75	482.75	515.69	542.67	609.10	610.50
8.	हरियाणा	117.29	117.29	117.29	207.89	206.89	132.35	233.69	276.90	201.57
9.	हिमाचल प्रदेश	141.51	141.51	141.49	138.52	182.85	160.03	133.71	194.37	165.59
10.	जम्मू और कश्मीर	397.86	396.49	176.6६	447.74	402.51	363.49	449.22	468.91	506.52
11.	झारखंड	160.67	80.33	18.85	149.29	111.34	86.04	165.93	129.95	128.19
12.	कर्नाटक	477.19	477.85	449.15	573.67	627.86	473.71	644.92	703.80	573.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	केरल	103.33	106.97	106.56	152.77	151.89	150.56	144.28	159.83	137.97
14.	मध्य प्रदेश	370.47	380.47	368.61	367.66	379.66	354.30	399.04	388.33	324.94
15.	महाराष्ट्र	572.57	648.24	511.06	652.43	647.81	625.59	733.27	718.42	713.48
16.	मणिपुर	50.16	45.23	36.33	61.60	38.57	30.17	54.61	52.77	69.27
17.	मेघालय	57.79	63.38	74.50	70.40	79.40	68.57	63.48	84.88	40.28
18.	मिजोरम	41.44	54.19	45.48	50.40	55.26	51.11	46.00	61.58	58.02
19.	नागालैंड	42.53	42.53	39.60	52.00	47.06	71.58	79.51	77.52	80.63
20.	ओडिशा	298.68	298.68	273.12	187.13	226.66	198.87	204.88	294.76	211.11
21.	पंजाब	86.56	86.56	96.68	81.17	88.81	110.15	82.21	106.59	108.93
22.	राजस्थान	970.13	971.83	967.95	1036.46	1012.16	671.29	1165.44	1099.48	852.82
23.	सिक्किम	17.45	32.45	28.85	21.60	20.60	28.98	26.24	23.20	19.51
24.	तमिलनाडु	241.82	287.82	230.58	320.43	317.95	370.44	316.91	393.53	303.41
25.	त्रिपुरा	51.25	41.01	36.99	62.40	77.40	77.35	57.17	74.66	67.20
26.	उत्तर प्रदेश	539.74	615.78	514.54	959.12	956.36	967.38	899.12	848.68	933.28
27.	उत्तराखंड	107.58	85.87	61.09	126.16	124.90	67.24	139.39	136.41	55.44
28.	पश्चिम बंगाल	389.39	389.39	3ध1.62	372.29	394.30	87.76	418.03	499.19	363.31
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	30.78	0.00	0.00		1.01	0.00	
30.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.09	0.00	
31.	दमन और दीव	0.00	000	0.00	0.00	0.00		0.61	0.00	
32.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.31	000	
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.24	0.00	
34.	पुदुचेरी	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		1.54	0.00	
35.	चंडीगढ़							0.40		
	कुल	6896.72	7056.02	5998.28	7986.43	7989.72	6924.16	8550.00	8941.81	8131.22

* आईएमआईएस के अनुसार

आईएमआईएस पर 14.3.2012 की स्थिति के अनुसार

जल अभाव

1557. श्री पी. कुमार: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत को निकट भविष्य में जल अभाव का सामना करने की उम्मीद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार सभी रूपों में उपलब्ध जल के प्रयोग को नियंत्रित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) भारत लगभग 1545 घन मीटर प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के कारण जल की समस्या वाला देश बन गया है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों को विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के तहत जल संसाधनों के सतत विकास और कुशल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

भारत सरकार ने जल संसाधनों के समेकित विकास और प्रबंधन द्वारा जल संरक्षण, जल की बर्बादी को कम करने तथा राज्यों के भीतर और बाहर दोनों में अपेक्षाकृत अधिक समान वितरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जल मिशन प्रारंभ किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन

[हिन्दी]

1558. श्री वीरेन्द्र कश्यप:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2005 में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में किए गए संशोधन के द्वारा पैतृक संपत्ति में महिलाओं को अधिकार प्रदान किए जाने के बाद उनकी स्थिति में कोई सुधार देखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भू-जल स्तर में कमी

1559. श्री एन एस वी. चित्तन:
श्री एम वेणुगोपाल रेड्डी:
श्री वरूण गांधी:
श्री पशुपति नाथ सिंह:
श्रीमती कमला देवी पटले:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भू-जल स्तर में गिरावट के कारण निम्न भू-जल स्तर से मिलने वाली पानी के उपभोग से कई बीमारियां फैल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2009 और 2010 में जल स्तर में गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेषकर झारखंड सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा बीमारियों की घटनाओं को भूजल के गिरते हुए स्तर से जोड़ने के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा मई, 2009 और मई, 2010 के दौरान एकत्रित किये गए जल स्तर संबंधी आंकड़ों की तुलना यह दर्शाती है कि लगभग 59% विश्लेषित कुओं में जल स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। झारखंड में 75% कुओं में गिरावट दर्ज की गई है।

(घ) राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण दिया गया है।

(ङ) 'जल' राज्य का विषय होने के कारण, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विविध उपाय प्रारंभ किए जाने हैं। तथापि, इस मंत्रालय ने देश में वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा देने और देश में भू-जल विकास के विनियमन और प्रबंधन के लिए निम्नलिखित उपाय प्रारंभ किए हैं।

(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूमि जल विकास के विनियमन एवं नियंत्रण हेतु समुचित कानून अधिनियमित करने में सहायता प्रदान करने के लिए 'मॉडल बिल' को परिचालित करना, जिसमें छत के वर्षा जल संचयन को अनिवार्य करने का प्रावधान है। अभी तक 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामतः आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप एवं पुडुचेरी ने भूमि जल कानून अधिनियमित कर दिया है। उक्त मामले पर अन्य राज्यों के साथ सक्रिय रूप से बात की जा रही है।

(ii) राज्यों को वर्षा जल संचयन को अनिवार्य करने की सलाह दी गई है। इसके अनुपालन में राजस्थान सहित 18 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में भवन निर्माण उपनियमों में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य किया गया है।

(iii) सभी सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन/कृत्रिम पुनर्भरण को अपनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों और शहरी विकास मंत्रालय को निदेश जारी किए गए हैं।

(iv) देश में अति दोहित और गंभीर (जल ग्रसित क्षेत्रों को छोड़कर) में आने वाली सभी आवासीय समूह रिहायशी सोसाइटियों/संस्थाओं/स्कूलों/होटलों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अपने परिसरों में छत की वर्षा जल संचयन प्रणालियों को अपनाने के लिए निदेश जारी किए गए हैं।

(v) देश में (जल ग्रसित क्षेत्रों को छोड़कर) सभी राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य के राजमार्गों तथा अन्य सड़कों पर सीआरआरआई द्वारा भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सीपीडब्ल्यूडी, राज्य के लोक निर्माण विभागों, भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे ट्रैकों पर, भारत के खेल प्राधिकरण, बीसीसीआई, खेल और युवा मामलों के विभागों द्वारा सभी स्टेडियमों में भारत के विमानपत्तन प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन मंत्रालय को हवाई अड्डों पर वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने, भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण को अपनाने के लिए भूमिजल पुनर्भरण उपायों का कार्यान्वयन करने हेतु सम्बन्धित प्राधिकरणों को निदेश जारी किए गए हैं।

(vi) केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने भूमि जल विकास एवं प्रबंधन के विनियमन हेतु देश में 82 क्षेत्रों को अधिसूचित किया है। इन अधिसूचित क्षेत्रों में प्राधिकरण/प्राधिकृत अधिकारियों के विशिष्ट पूर्व अनुमोदन के बिना नई भूमि जल निकासी संरचनाओं को संस्थापित करने की अनुमति नहीं है।

(vii) केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय की सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) के अंतर्गत जन जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, पैंटिंग प्रतियोगिता, पुस्तिकाओं एवं विवरणिकाओं के वितरण इत्यादि जैसे कार्यकलाप करता है।

(viii) सरकार ने माननीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में वर्ष 2006 में भूमिजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी सलाहकार परिषद गठित की है, जिसका मुख्य उद्देश्य पणधारियों और जल प्रबंधकों में कृत्रिम पुनर्भरण की संकल्पना को लोकप्रिय बनाना है।

(ix) 'भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्टर योजना' नामक एक संकल्पना रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें देश के कुल 4.5 लाख वर्ग कि.मी. क्षेत्र की पहचान की गई है, जहां भूमिजल के कृत्रिम पुनर्भरण की आवश्यकता है। यह अनुमान लगाया गया है कि भूमिजल के संवर्धन के लिए वर्ष में लगभग 36 बीसीएम अधिशेष मॉनसून अपवाह का पुनर्भरण किया जा सकता है। यह दस्तावेज सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है।

विवरण

मानसून-पूर्व 2009 से मानसून-पूर्व 2010 तक विभिन्न श्रेणियों में वार्षिक उतार-चढ़ाव एवं बारंबारता वितरण

क्रम सं.	राज्य	रेंज मी. में					चढ़ाव						उतार						कुल			
		विश्लेषित कुओं की संख्या	चढ़ाव		उतार		0-2 मी.		2-4 मी.		>4 मी.		0-2 मी.		2-4 मी.		>4 मी.					
			न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	नहीं	%	नहीं	%	नहीं	%	नहीं	%	नहीं	%	नहीं	%	चढ़ाव	% चढ़ाव	उतार	% उतार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	आंध्र प्रदेश	538	0.01	11.92	0.02	14.46	214	39.78	54	10.04	15	2.79	185	34.39	45	8.36	25	4.65	283	52.60	255	47.40
2.	अरूणाचल प्रदेश	9	0.01	0.24	0.07	7.21	4	44.44	0	0.00	0	0.00	3	33.33	1	11.11	1	11.11	4	44.44	5	55.56
3.	असम	174	0.01	5.30	0.01	4.45	73	41.95	4	2.30	3	1.72	78	44.83	13	7.47	3	1.72	80	45.98	94	54.02
4.	बिहार	183	0.01	2.84	0.02	7.45	79	43.17	2	1.09	0	0.00	78	4262	13	7.10	11	6.01	81	44.26	102	55.74
5.	चंडीगढ़	17	0.05	0.20	0.15	10.09	2	11.76	0	0.00	0	0.00	11	64.71	0	0.00	4	23.53	2	11.76	15	88.24
6.	छत्तीसगढ़	293	0.01	6.74	0.03	10.35	120	40.96	17	5.80	9	3.07	122	41.64	20	6.83	5	1.71	146	49.83	147	50.17
7.	दादरा और नगर हवेली	5	0.24	3.00	0.20	1.55	2	40.00	1	20.00	0	0.00	2	40.00	0	0.00	0	0.00	3	60.00	2	40.00
8.	दिल्ली	192	1.01	6.93	0.02	36.78	31	16.15	4	2.08	3	1.56	132	68.75	8	4.17	14	7.29	38	19.79	154	80.21
9.	गुजरात और दमन दीव	631	0.02	35.31	0.01	44.28	130	20.60	31	4.91	32	5.07	270	42.79	85	13.47	83	13.15	193	30.59	438	69.41
10.	हरियाणा	174	0.01	7.73	0.01	13.80	29	16.67	3	1.72	3	1.72	115	66.09	17	9.77	7	4.02	35	20.11	139	79.89
11.	हिमाचल प्रदेश	66	0.02	3.38	0.01	11.50	18	27.27	2	3.03	0	0.00	39	59.09	4	6.06	3	4.55	20	30.30	46	69.70
12.	जम्मू और कश्मीर	105	0.01	9.55	0.01	18.95	16	15.24	0	0.00	1	0.95	63	60.00	20	19.05	5	4.76	17	16.19	88	83.81
13.	झारखंड	148	0.02	8.80	1.00	10.30	30	20.55	4	2.74	3	2.05	84	57.53	21	14.38	4	2.74	37	25.34	109	74.66
14.	कर्नाटक	709	0.01	15.76	0.01	12.41	308	43.44	77	10.86	45	6.35	214	30.18	44	6.21	21	2.96	430	60.65	279	39.35
15.	केरल	524	0.01	8.85	0.01	3.86	322	61.45	20	3.82	4	0.76	169	32.25	9	1.72	0	0.00	346	66.03	178	33.97
16.	मध्य प्रदेश	533	0.01	17.83	0.01	7.20	219	41.09	67	12.57	42	7.88	166	31.14	30	5.63	9	1.69	328	61.54	205	38.46
17.	महाराष्ट्र	662	0.04	13.50	0.01	25.15	234	35.35	58	8.76	19	2.87	243	36.71	59	8.91	49	7.40	311	46.98	351	53.02
18.	मेघालय	26	0.06	2.26	0.12	0.70	14	53.85	2	7.69	0	0.00	10	38.46	0	0.00	0	0.00	16	61.54	10	38.46
19.	ओडिशा	742	0.01	11.38	0.01	17.50	308	41.51	33	4.45	11	1.48	333	44.88	41	5.53	16	2.16	352	47.44	390	52.56
20.	पुडुचेरी	6	0.10	0.38	0.10	0.45	2	33.33	0	0.00	0	0.00	4	66.67	0	0.00	0	0.00	2	33.33	4	66.67
21.	पंजाब	154	0.05	7.25	0.03	11.78	26	16.88	4	2.60	2	1.30	109	70.78	9	5.84	4	2.60	32	20.78	122	79.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
22.	राजस्थान	689	0.01	12.27	0.01	30.55	120	17.42	23	3.34	25	3.63	328	47.61	119	17.27	74	10.74	168	24.38	521	75.62
23.	तमिलनाडु	631	0.01	32.00	0.01	36.90	180	28.53	28	4.44	23	3.65	262	41.52	74	11.73	64	10.14	231	36,61	400	63.39
24.	त्रिपुरा	22	0.03	2.16	0.02	1.57	12	54.55	1	4.55	0	0.00	9	40.91	0.00	0.00	0	0.00	13	59.09	9	40.91
25.	उत्तर प्रदेश	727	0.01	8.21	0.01	9.60	187	25.72	20	2.75	8	1.10	444	61.07	51	7.02	17	2.34	215	29.57	512	70.43
26.	उत्तरांचल	40	0.08	7.41	0.10	8.39	6	15.00	0	0.00	1	2.50	29	72.50	2	5.00	2	5.00	7	17.50	33	82.50
27.	पश्चिम बंगाल	458	0.02	5.86	0.01	12.79	106	21.29	16	3.21	3	0.60	266	53.41	61	12.25	46	9.24	125	25.10	373	74.90
	कुल	8496					2792	32.86	471	5.54	252	2.97	3768	44.35	746	8.78	467	5.50	3515	41.37	4981	58.63

[हिन्दी]

नदियों को आपस में जोड़ना

1560. **श्री उमाशंकर सिंह:**
श्रीमती रमा देवी:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री ए. के. एस. विजयन:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री एंटो एंटोनी:
श्री गुरूदास दासगुप्त:
श्री अर्जुन राम मेघवाल:
श्री विश्वमोहन कुमार:
श्री अधीर चौधरी:
श्री नीरज शेखर:
श्री पी. के. बिजू:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री कपिलमुनि करवारिया:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री पी. लिंगम:
श्री ए. टी. नाना पाटील:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:
श्री एस. पक्कीरप्पा:
श्री पूर्णमासी राम:
श्री बिभू प्रसाद तराई:
श्री एस. एस. रामासुब्बू:
श्री प्रबोध पांडा:
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना:
श्री शिवराम गौडा:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री के. सुगुमार:
डॉ. अनूप कुमार साहा:
श्री ए. गणेशमूर्ति:
श्री हर्ष वर्धन:
श्री डी. बी. चन्द्रे गौडा:
श्री रूद्रमाधव राय:
श्री हरिभाऊ जावले:
श्री बृजभूषण शरण सिंह:
श्री मानिक टैगोर:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री सी. शिवासामी:
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए कोई उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई/शिकायतें/सुझाव/परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा नदियों को आपस में जोड़कर जन संकट, बाढ़, सूखे, सिंचाई तथा विद्युत परियोजना के लिए जल की कमी के मुद्दें को सुलझाने के लिए कोई उपाय किए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, नहीं।

(ख) राज्य सरकारों से समय-समय पर पूर्व व्यवहार्यता/व्यवहार्यता/विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के संबंध में सुझाव/विचार प्राप्त हो रहे हैं जिन पर रिर्पोटों में संशोधन करते समय समुचित ध्यान दिया जाता हैं। इसके अलावा, एनडब्ल्यू को सात राज्यों नामत: महाराष्ट्र गुजरात, झारखंड, ओडिशा, बिहार, राजस्थान और तमिलनाडु से अंत:राज्यीय सम्पर्को के 36 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से एनडब्ल्यूडीए ने 20 अंत:राज्यीय सम्पर्कों की पूर्व व्यवहार्यता रिर्पोटो पूरी कर ली हैं। एनडब्ल्यूडीए ने बिहार के 2 अंत:राज्यीय सम्पर्को नामत: कोसी-मेची संपर्क और बूढ़ी गंडक-नोन-बया-गंगा संपर्क की डीपीआर तैयार करनी शुरू कर दी है।

(ग) जल संसाधन मंत्रालय (पूर्व में सिंचाई मंत्रालय) ने जल संसाधन विकास के लिए 1980 में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) जिसके अंतर्गत दो घटक नामत: हिमालयी नदी विकास घटक और प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक शामिल हैं, तैयार की थी जिसमें अधिक जल के बेसिन से जल की कमी वाली बेसिनों/क्षेत्रों, में अन्तर-बेसिन जल अन्तरण की परिकल्पना की गई थी। जल संसाधन मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) का गठन एनपीपी के प्रस्तावों की व्यवहार्यता स्थापित करने और उन्हें मूर्त रूप देने हेतु विभिन्न तकनीकी अध्ययन करने के लिए 1982 में की गई थी। किए गए विभिन्न अध्ययनों के आधार पर, एनडब्ल्यूडीए ने व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए 30 संपर्को (प्रायद्वीपीय) घटक के अन्तर्गत 16 तथा हिमालयी घटक के तहत 14 की पहचान की है। इनमें से प्रायद्वीपीय घटक के अन्तर्गत 14 और हिमालयी घटक (भारतीय भाग) के अन्तर्गत 2 सम्पर्को की व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई हैं।

पांच प्रायद्वीपीय घटकों अर्थात (1) केन-बेतवा, (2) पार्वती-कालीसिंध-चम्बल, (3) दमन गंगा-पिंजाल, (4) पार-तापी-नर्मदा एवं (5) गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) को उनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रांरभ करने के लिए प्राथमिकता वाले संपर्को के तौर पर अभिज्ञात किया गया हैं। प्राथमिकता वाले एक संपर्क अर्थात केन-बेतवा की डीपीआर पूरी कर ली गई है और पक्षकार राज्यों को भेज दी गई हैं। संबंधित राज्यों की टिप्पणियों के आलोक में एनडब्ल्यूडीए ने प्रस्तावों में संशोधन करना और अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी प्रारभ कर दी है। केन-बेतवा सम्पर्क परियोजना को राष्ट्रीय परियोजनाओं की स्कीम में शामिल कर लिया गया है।

एनडब्ल्यूडीए द्वारा एनपीपी के तहत निर्धारित संपर्क में बाढ़ को कम करने, नौवाहन, जलापूर्ति, मत्स्य पालन, लवणता, प्रदूषण नियंत्रण आदि के लाभ के अलावा सतही जल से 25 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई, भूमि के ज्यादा उपयोग से 10 मिलियन हेक्टेयर के अतिरिक्त सिंचाई लाभ और 34000 मेगावाट उत्पादन की योजना हैं।

[अनुवाद]

मुल्लापेरियार बांध

1561. **श्री बलीराम जाधव:**
श्री पी. विश्वनाथन:
श्री एम. बी. राजेश:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु और केरल के बीच मुल्लापेरियार बांध मुद्दे की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) मुल्लापेरियार बांध के बारे में विशेषकर इस बांध को भूकंप के खतरे के संबंध में गठित समिति की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुराने बांध के स्थान पर नये बांध का निर्माण आवश्यक है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय जल आयोग की बांध के जल स्तर को बढ़ाने की कोई योजना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मुद्दे के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठाए गए मुद्दों की जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के आधार पर गठित एक अधिकार प्राप्त समिति, विशेषज्ञ अभिकरणों के माध्यम से मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की जांच कर रही हैं और मामला निर्णयाधीन है। अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख 30 अप्रैल, 2012 तक है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए कोई अलग कदम अभिकल्पित नहीं है।

रेलवे परियोजनाओं में पीपीपी

1562. श्री गोपीनाथ मुंडे:
श्री आनंदराव अडसूल:
श्री अशोक तंवर:
श्रीमती जे. शांता:
श्री पी. कुमार:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री जी. एम. सिद्देश्वर:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी निजी भागीदारी पद्धति (पीपीपी) के आधार पर निष्पादित की जा रही रेल परियोजनाओं/सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) रेलवे को निजी क्षेत्र के साथ ऐसे सहयोग से अपने विस्तार प्रयासों में किस हद तक मदद मिली है;

(ग) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान रेलवे का निवल लाभ कम हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) रेलवे द्वारा अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ताकि देश में लंबित विभिन्न परियोजनाएं प्रभावित न हों/लंबित न हों?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) इस समय, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से निम्नलिखित परियोजनाएं निष्पादित की जा रही हैं: हरिदासपुर-पारादीप (नई लाइन), औबूलावरिपल्लै-कृष्णापटनम (नई लाइन), भरूच-दहेज (आमान परिवर्तन) और अंगुल-सुकिंदा (नई लाइन) परियोजनाएं जिनमें कुल लगभग 357 किलोमीटर शामिल हैं।

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से निष्पादन करने के लिए जिन अतिरिक्त क्षेत्र/परियोजनाओं की पहचान की गई है/निर्धारित की गई हैं उनमें उच्च गति कोंरीडोर परियोजना (मुंबई-अहमदाबाद), एलिवेटेड रेल कोंरीडोर (चर्चगेट-विरार), स्टेशनों का पुनर्विकास, लॉजिस्टिक पार्कों, निजी माल यातायात टर्मिनलों (पीएफटी), निजी कंटेनर गाड़ी परिचालन, माल डिब्बों को लीज पर देना और अन्य माल यातायात विपणन योजनाएं, पोर्ट संपर्कता, समर्पित माल यातायात गलियारा और रेल इंजनों तथा सवारी डिब्बा निर्माण इकाइयां शामिल हैं।

पीपीपी परियोजनाओं से अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाया गया है ताकि रेलवे अपनी परियोजनाओं को वित्त पोषण कर सके और सकल बजटीय सहायता, आंतरिक संसाधन सृजन और बाजार से ऋण लेने के बाद शेष अंतर को कम करती है।

(ग) और (घ) रेलवे में अधिशेष जिसे "आधिक्य" कहते हैं, आमदनी में वृद्धि होने के बावजूद छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के परिणामस्वरूप हाल ही के वर्षों में प्रभावित हुआ है, इन्हें नीचे तालिका में दिया गया है:

(रु. करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11
कुल प्राप्तियां	81,659	89,229	96,681
कुल व्यय	72,485	83,685	90,335
शुद्ध राजस्व	9,174	5,544	6,346
लाभांश भुगतान	4,717	5,543	4,941
आधिक्य/कमी	4,457	1	1,405

(ङ) राजस्व बढ़ाने और आंतरिक सरप्लस सृजित करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में विभिन्न आर्थिक उपायों सहित माल भाड़ा दर को युक्तिसंगत बनाना, माल यातायात आमदनी को उच्चतम सीमा तक ले जाना तथा क्षमता संबर्द्धन संबंधी परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर जोर देना शामिल है. पीपीपी के माध्यम से निष्पादित करने के लिए कई क्षेत्रों-गतिविधियों को भी चिन्हित किया गया है।

[हिन्दी]

सियांग नदी में जल स्तर

1563. श्री हरि मांझी:
श्री राधा मोहन सिंह:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अरूणाचल प्रदेश में सियांग नदी जलस्तर अचानक सूखने के स्तर तक गिर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) जी नहीं, नदी के प्रवाह परिवर्तन विभिन्न जलीय-मौसम विज्ञानीय तथा जलवायु विज्ञानीय कारकों के कारण हुआ है। इसके अलावा केन्द्रीय जल आयोग ने हाल ही में सियांग नदी के जल प्रवाहों में कोई असामान्य और गिरावट नहीं देखी है।

गत पांच वर्षों (2007-11) के जनवरी और फरवरी महीनों में सीडब्ल्यूसी द्वारा टूटिंग में सियांग नदी के प्रवाह के विश्लेषण में दर्शाया गया है कि जनवरी/फरवरी, 2012 में औसत मासिक प्रवाह पिछले वर्षों के दौरान संगत औसत मासिक प्रवाहों से कम से कम 50 से 150% अधिक है।

(ग) भारत सरकार, चीन के उन समस्त घटनाक्रमों की लगातार निगरानी करती है, जो भारत के हितों से संबंधित हैं तथा इनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करती है।

किरोसीन तेल का विपथन

1564. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:
श्री निशिकांत दुबे:
श्री गोरखप्रसाद जायसवाल:
श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र:
श्री कुलदीप बिश्नोई:
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत किरोसिन के विपथन, अपमिश्रित पेट्रोल तथा डीजल की बिक्री तथा इस संबंध में तेल माफिया की संलिप्तता पर रोक लगा पाई है;

(ख) यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं और ऐसे अवैध कार्यो पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान तेल माफिया द्वारा कितने व्हिसल ब्लोअरों की हत्या की गई है तथा किरोसिन के विपथन तथा पेट्रोलियम उत्पादों के अपमिश्रण के संबंध में राज्य-वार/संघ राज्य-वार कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(घ) क्या किरोसीन में अपमिश्रण को रोकने के लिए मार्कर प्रणाली को पुनः आरंभ करने का निर्णय लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो देश भर में मार्कर प्रणाली को आवश्यक नहीं बनाने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा किरोसिन में अपमिश्रण को रोकने के लिए त्रुटिरहित प्रणाली लागू करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) विपथन को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के बावजूद पीडीएस मिट्टी तेल और पेट्रोल/डीजल के मूल्य में भारी अंतर के कारण कुछ बेईमान तत्वों द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए पीडीएस मिट्टी तेल जैसे पेट्रोलियम उत्पाद की मिलावट/विपथन की संभावना को इन्कार नहीं किया जा सकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा एक्स-एमआई (विपणन स्थापना) आधार पर मिट्टी तेल डीलरों को पीडीएस मिट्टी तेल की आपूर्ति की जाती हैं। इसके बाद राज्य में राशन की दुकानों/खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को पीडीएस मिट्टी तेल का वितरण राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता हैं। राज्य सिविल आपूर्ति प्राधिकारियों द्वारा मिट्टी तेल डीलरों को निरीक्षण किया जाता है जिससें यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित उत्पाद उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वास्तविक लाभार्थियों को मिले। तथापि, पीडीएस मिट्टी तेल की काला बाजार/विपथन की जांच करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी मिट्टी तेल (उपयोग पर प्रतिबंध और अधिकतम मूल्य निर्धारण)आदेश 1993 प्रावधान किए हैं कि डीलरों को सरकार या ओएमसीज द्वारा निर्धारित मूल्य पर पीडीएस मिट्टी तेल की बिक्री करनी है और भंडार स्थल के विशिष्ट स्थान के तहत, काला बाजारी और अन्य अनियमिताओं में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को शक्ति प्रदान की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों का मिलावट, विपथन आदि जैसी विभिन्न अनियमितताओं/कदाचार की जांच के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों का स्वचलन केन्द्रों का स्वचलन, खुदरा बिक्री केन्द्रों का तृतीय पक्षकार प्रमाणीकरण, वैश्विक अवस्थिति प्रणाली (जीपीएस) के माध्यम से टैंक ट्रकों के संचालन का मानीटरन आदि जैसे अनेक उपाय किए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज खुदरा बिक्री केन्द्रों का नियमित और औचक निरीक्षक भी करती हैं और मिलावट और कदाचार में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी)

और डीलरशिप करार के तहत कार्रवाई भी की जाती है। एमडीजी में मिलावट, मुहरबंदी से छेड़छाड़ और डिसपेन्सिग इकाइयों में अप्राधिकृत फिटिंग्स/गियर्स जैसे गंभीर कदाचार मामलों के लिए प्रथम दृष्टवा डीलरशिप समाप्त करने का प्रावधान हैं।

(ग) श्री यशवंत सोनवाने, मालेगांव के अपर कलैक्टर, पेट्रोलियम उत्पादों की चोरी रोकने का प्रयास करते समय दिनांक 25-1-2011 को मारे गए। तद्नुसार महाराष्ट्र राज्य, पुलिस द्वारा आईपीसी धारा 302, 307, 353, 143, 147, 148 और 149 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम खंड 3 एवं 7 के तहत फौजदारी का मामला पंजीकृत किया गया था। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थिति की पुनरीक्षा भी की गई और राज्य के सभी संदिग्ध और अप्राधिकृत अस्थायी गोदामों पर छापें/जांच तेज करने का निर्णय लिया तथा जिला राजस्व और पुलिस पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से छापे मारे गए।

(घ) और (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज को पीडीएस मिट्टी तेल के साथ डापिंग के लिए इन-हाउस मार्कर के विकास की प्रक्रिया तेज करने के निदेश दिए गए हैं।

[अनुवाद]

पेयजल गुणवत्ता में भारत का रैंक

1565. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:
श्री मनोहर तिरकी:

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संघ राज्य अध्ययन के बारे में जानकारी है कि जिसमें पेयजल की गुणवत्ता के मामले में भारत का 122 देशों की सूची में 120वां स्थान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) वर्तमान देश में पेयजल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं तथा सरकार द्वारा स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रयोगशालाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का देश में ऐसी और प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र के 23 देशों द्वारा चलाए जा रहे विश्व जल मूल्यांकन कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित विश्व जल विकास रिपोर्ट-लोगों के लिए जल, जीवन के लिए जल-2003 में जल गुणवत्ता के अनुसार भारत को 122 देशों में 120वां स्थान दिया गया है। यह मूल्यांकन अनेक तथ्यों अर्थात स्वच्छ जल की मात्रा एवं गुणवत्ता, विशेषकर भूजल एवं अपशिष्ट जल शोधन सुविधाओं और प्रदूषण विनियमों को लागू करने जैसे कानूनी मामलों से संबंधित आंकड़ों पर आधारित है।

जल राज्य का विषय है। भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के जरिए वित्तीय और तकनीकी सहायता देकर राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। पाइप के जरिए जल की आपूर्ति की जाने वाली योजनाओं के मामले में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य ग्रामीण आबादी को पेयजल की आपूर्ति करने से पहले विसंक्रमण पद्धतियों को अपना रहे हैं। हैंड पंपों के मामले में राज्यों को यह सलाह दी गई है कि वे पेयजल स्रोतों की नियमित रूप से सेनिटरी जांच करें ताकि हैंड पंप प्लेटफार्म रिसाव रहित रहे, लीच पिट शौचालय उसके आस-पास न हो तथा गंदे जल आदि की निकासी के लिए उचित सोख्ता गड्ढे हों।

(ग) से (ङ) अब तक ऑन लाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली पर 15.3.2012 की स्थिति के अनुसार दी गई जानकारी के हिसाब से देश में स्थापित की गई पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। जल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच के लिए 3 प्रतिशत एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का प्रावधान रखा गया है। राज्य अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक राज्य में विशिष्ट जरूरतों के आधार पर नई जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने या मौजूदा जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन करने के लिए इस निधि का उपयोग कर सकते हैं। राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2011-12 में नई जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना का लक्ष्य का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है क्योंकि पेयजल की गुणवत्ता विभिन्न कारणों से समय के साथ-साथ बदलती रहती है।

विवरण

15.3.2012 तक बनाई गई पेयजल परीक्षण प्रयोगशालाओं की राज्य-वार संख्या तथा 2011-12 के लिए लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य	प्रयोगशालाओं की संख्या			
		राज्य स्तरीय प्रयोगशाला	जिला स्तरीय प्रयोगशाला	उप जिला स्तरीय प्रयोगशाला (अनुमंडल एवं ब्लॉक)	2011-12 के लिए लक्ष्य (जिला एवं उप जिला स्तरीय प्रयोगशाला)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1	51	27	92
2.	बिहार	1	39	0	0
3.	छत्तीसगढ़	1	20	1	0
4.	गोवा	1	0	10	5
5.	गुजरात	1	26	14	0
6.	हरियाणा	0	21	13	63
7.	हिमाचल प्रदेश	0	18	3	7
8.	जम्मू और कश्मीर	0	30	0	1
9.	झारखंड	1	24	3	0
10.	कर्नाटक	1	41	71	10
11.	केरल	1	14	16	0
12.	मध्य प्रदेश	1	51	100	101
13.	महाराष्ट्र	0	33	386	100
14.	ओडिशा	0	32	20	0
15.	पंजाब	3	20	14	0
16.	राजस्थान	1	32	0	119
17.	तमिलनाडु	0	63	49	0
18.	उत्तर प्रदेश	1	72	7	0
19.	उत्तराखंड	0	27	0	23
20.	पश्चिम बंगाल	1	37	81	0
21.	अरूणाचल प्रदेश	0	17	30	0

1	2	3	4	5	6
22.	असम	1	24	13	79
23.	मणिपुर	1	9	2	0
24.	मेघालय	1	7	0	18
25.	मिजोरम	1	8	17	8
26.	नागालैंड	0	3	10	11
27.	सिक्किम	2	1	0	0
28.	त्रिपुरा	1	4	17	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	2	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0
31.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	9	0	0
35.	पुडुचेरी	0	2	0	0
	कुल	23	735	906	637

न्यायालयों में लंबित मामले

1566. **श्री सी. राजेन्द्रन:**
श्री अम्बिका बनर्जी:
श्री जोस. के. मणि:
श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी:
श्रीमती ज्योति धुर्वे:
श्री मिथिलेश कुमार:
डॉ. रत्ना डे:
श्री पन्ना लाल पुनिया:
श्री पी.आर. नटराजन:
श्री सी.आर. पाटिल:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 2012 तक उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, सत्र अधीनस्थ न्यायालयों तथा स्थानीय न्यायालयों में लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भर कर तथा अधिक न्यायालयों की स्थापना कर लंबित मामलों में कमी करने के लिये कोई तंत्र विकसित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या रणनीति तैयार की गई है;

(घ) क्या सरकार देश भर में सायंकालीन न्यायालय चलाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) लंबित मामलों के संस्थन, निपटान और

उनकी लंबित संख्या के आंकड़े उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा रखे जाते हैं। उच्चतम न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 14.03.2012 को उच्चतम न्यायालय में 59,368 मामले लंबित हैं। जिनमें से 17680 मामले एक वर्ष से कम अवधि के हैं और बकाया नहीं हैं।

न्यायालय समाचार (जिल्द 6, अंक सं. 1) में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकाशित जानकारी के अनुसार, उच्च न्यायालय में 42,49,344 मामले और अधीनस्थ न्यायालयों में 2,77,51,181 मामले 31.12.2010 तक लंबित थे।

(ख) से (ङ) न्यायालयों में अधिक मामलों की संख्या और लंबित मामले देश में न्यायिक प्रशासन और न्याय परिदान दोनों को प्रभावित करने वाली मुख्य समस्या रही है। विधि और न्याय मंत्रालय ने अक्तूबर, 2009 में लंबित मामले और विलंब को कम करने के लिए न्यायपालिका को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया था। परामर्शकों ने विजन दस्तावेज पर मंथन और विचार-विमर्श किया है जिसे परामर्श के अंत में संकल्प द्वारा पृष्ठांकित किया गया था। विजन दस्तावेज में दिए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनेक रणनीतिक पहलुओं के अनुसरण में न्यायिक परिदान और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन में सम्मिलित होंगे (i) नीति और विधायी परिवर्तन; (ii) प्रक्रियाओं का पुनर्निर्माण; (iii) मानव संसाधन विकास के उपाय; (iv) गठित किए गए बेहतर न्याय परिदान के लिए उद्यामन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। मिशन, न्यायिक प्रशासन के बकाया और लंबित मामलों के परिनिर्धारण करने समन्वयित पहुंच का अनुसरण करेगा।

सरकार ने लंबित मामलों को कम करने के लिए भी विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिए न्यायाधीशों की पद संख्या का पुनर्विलोकन करके न्यायालय प्रणाली को सुदृढ़ करने लिए उपाय, अंशकालिक/विशेष न्यायालयों का गठन, न्यायालयों में अवसंरचना का सुधार करने और न्यायालय प्रबंध के लिए आई सी टी के उपयोग में बढ़ोतरी करने के साथ ही नागरिक केंद्रस्थ सेवाओं को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को प्रदान करने के उपाय सम्मिलित हैं। तेरहवें वित्त आयोग ने प्रात:कालीन/सायंकालीन/पाली न्यायालयों के लिए राज्यों को 2500 करोड़ रुपए का अनुदान आबंटित किया है। ये न्यायालय छोटे-मोटे मामलों का विचारण करेंगे जिससे कि मामलों के बैकलॉग समाप्त किया जा सके और न्यायिक समय पर दवाब को कम किया जा सके। ये न्यायालय अतिरिक्त प्रतिकर के संदाय पर या तो सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों या नियमित न्यायिक अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे। 681.66 करोड़ रुपए प्रात:कालीन/सायंकालीन/पाली न्यायालयों के लिए राज्यों को जारी कर दिए गए हैं। अभी तक, 4537 प्रात:कालीन/सायंकालीन/पाली न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

[हिन्दी]

जलभराव तथा जल निकासी प्रणाली

1567. श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी:
श्री कमल किशोर 'कमांडो':

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक वर्ष बाढ़ एवं वर्षा के चलते जलभराव तथा जल की बर्बादी के संबंध में कोई आकलन कराया है/कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जल भराव तथा त्रुटिपूर्ण जल निकासी प्रणाली के चलते देश के अनेक भागों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है;

(घ) यदि हां, तो आरंभ की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जल निकासी प्रणाली में सुधार करने तथा तत्संबंधी सहायता का उपयोग करने के लिए कितनी निधियों का आवंटन किया गया हैं;

(ङ) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में झीलों की जल संचयन क्षमता में वृद्धि करने तथा उक्त झीलों का सिंचाई के प्रयोजनार्थ उपयोग करने के लिए कोई उपाय करने जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच.पाला): (क) और (ख) बाढ़ और वर्षा के कारण प्रति वर्ष होने वाले जल जमाव एवं जल व्यर्थ होने के संबंध में अलग से कोई आकलन नहीं किया गया है। तथापि, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) के क्षेत्रीय दूर संवेदी सेवा केन्द्र (आरआरएसएससी) जोधपुर के साथ मिलकर दूर संवेदी तकनीकी का प्रयोग करते हुए पूरे देश में अक्टूबर, 2003 से जून, 2008 तक की अवधि के दौरान सभी वृहत एवं माध्यम परियोजनाओं के सिंचाई कमानों में जलग्रस्त क्षेत्रों के आकलन के संबंध में एक अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन की अवधि के दौरान, देश में वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत 88895.620 हजार हेक्टेयर के कुल कमान क्षेत्र में से 1719. 279 हजार हेक्टेयर का क्षेत्र जलग्रस्त था। 173.145 हजार हेक्टेयर क्षेत्र स्थायी रूप से जलग्रस्त था, जबकि 1546.134 हजार हेक्टेयर क्षेत्र मौसमी जल जमाव की समस्या से ग्रस्त था।

(ग) जी, हां। जल निकास की कमी के परिणामस्वरूप जलजमाव होता है। जब वर्षा अधिक होती है तो इसके कारण जलग्रस्त कारण जलग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं।

(घ) ग्यारहवीं योजना के दौरान, गंभीर क्षेत्रों में नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव-राधी, जल निकास विकास, बाढ़ से बचाव संबंधी कार्यों और क्षतिग्रस्त बाढ़ प्रबंधन कार्यों के पुररुद्धार आदि के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एक राज्य क्षेत्र की स्कीम नामत: "बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी)" अनुमोदित की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 6101.54 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता देने के लिए 7708.79 करोड़ रुपए की कुल लागत से 24 राज्यों के अनुसार राज्यों को 3166.78 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता (10वीं योजना के आगे ले जाए गए कार्यों के लिए 89.79 करोड़ रुपए सहित) जारी की गई है।

(ङ) उत्तर प्रदेश में झीलों में जल को रोक रखने की क्षमता में वृद्धि करने और झीलों के जल को चैनलीकृत करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एआईबीपी के तहत सिंचाई परियोजनाओं हेतु प्रस्ताव

1568. श्री बी वाई राघवेन्द्र:
श्री एंटो एंटोनी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिये राज्य सरकारों से वित्तीय अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा परियोजना-वार कितना अनुदान जारी किया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) जी, हां, राज्य सरकारों द्वारा 2011-12 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत वित्तीय अनुदान/वित्तपोषण के लिए प्राप्त प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) 2011-12 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का परियोजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

राज्य सरकारों से एआईबीपी के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए प्राप्त प्रस्तावों का प्रक्रियान्वयन एआईबीपी के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

विवरण-I

2011-12 के दौरान केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) में राज्य सरकारों से एआईबीपी के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए प्राप्त हुए प्रस्ताव

क्र.सं.	परियोजना का नाम
1	2
	आंध्र प्रदेश
1.	के एल राव सागर पुलीचिंताला परियोजना और कृष्णा डेल्टा प्रणाली के आधुनिकीकरण (नई) को शामिल करते हुए संयुक्त परियोजना
2.	जे चोकाराव
3.	इंद्रा सागर पोल्लावरम
	असम
1.	धनसीरी
2.	बोरोलिया
3.	बुढ़ी दिहांग
4.	चंपामती
	बिहार
1.	पूर्वी कोसी मुख्य नहर ईआरएम (नई) का पुर्नरूद्धार
2.	नेपाल लाभ स्कीम - हितकारी योजना 09 गंडक परियोजना (ईआरएम) नई
3.	भटेश्वस्थान गंगा पंप नहर (नई)
4.	बताने
5.	पश्चिमी कोसी

1	2
6.	पुनपुन बराज
	छत्तीसगढ़
1.	मनियारी-ईआरएम (नई)
2.	घुमरिया नल्ला
	गोवा
1.	तिल्लारी (अंतर्राज्यीय)
	गुजरात
1.	सरदार सरोवर परियोजना
	हिमाचल प्रदेश
1.	सिधाता
2.	बल्ह घाटी मध्यम
3.	शाह नहर
4.	चेंजर क्षेत्र
	झारखंड
1.	तजना जलाशय परियोजना (नई)
2.	गुमानी
3.	रायसा जलाशय परियोजना (नई)
4.	सुबर्णरेखा बहुउद्देशीय (नई)
5.	बटेश्वरस्थान पंप नहर परियोजना (नई)
6.	पंचखेरो
	जम्मू और कश्मीर
1.	रावी-तवी मुख्य नहर का पुनरूद्धार एवं आधुनिकीकरण (नई)
2.	जैंगीर नहर का आधुनिकीकरण (नई)
3.	ग्रिमतू नहर का आधुनिकीकरण (नई)
4.	अहजी नहर
5.	लार नहर का आधुनिकीकरण (नई)

1	2
6.	रणवीर नहर का आधुनिकीकरण
7.	त्राल लिफ्ट सिंचाई परियोजना
8.	दादी नहर का आधुनिकीकरण
9.	राजपुरा लिफ्ट सिंचाई नहर
	कर्नाटक
1.	ऊपरी मल्लमारी (नई)
2.	हत्तूकुन्नी (नई)
3.	चंद्रमपल्ली (नई)
4.	ऊपरी कृष्णा परियोजना चरण-I फेज-III
5.	भद्रा नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण
6.	मलप्रभा
7.	हिप्पारगी
8.	रामेश्वर एलआईएस (नई)
9.	भीमा लिफ्ट सिंचाई स्कीम
10.	करंजा
	मध्य प्रदेश
1.	सिंहपुर मध्यम (नई)
2.	सागर मध्यम (नई)
3.	संजय सागर (बह) मध्यम (नई)
4.	महान
5.	माही
6.	ऊपरी कोकेटो मध्यम (नई)
7.	बाणसागर-II
8.	राजीवसागर (बावनथाडी)
9.	जोबट मध्यम सिंचाई परियोजना
10.	ऊपरी बेदा मध्यम
11.	निचली गोई

1	2
12.	इंदिरा सागर नहर परियोजना-III
13.	इंदिरा सागर नहर परियोजना-IV
14.	सिंध फेज-II (वृहद)
15.	मान (वृहद)
16.	कुशलपुरा (मध्यम (नई)
17.	रेहती मध्यम (नई)
18.	बघारू मध्यम (नई)
	सागर मध्यम (नई) दूसरी किस्त
	संजय सागर मध्यम दूसरी किस्त
19.	कछाल
20.	ओंकारेश्वर फेज-I
21.	ओंकारेश्वर फेज-II
22.	ओंकारेश्वर फेज-III
	महाराष्ट्र
1.	अर्जुन मध्यम
2.	निचली पेधी (वृहद)
3.	ऊपरी पेनगंगा (वृहद)
4.	घुंघसी बराज मध्यम (नई)
5.	तराली
6.	धोम वल्कवाडी (वृहद)
7.	तेंभू एलआईएस (वृहद)(नई)
8.	उरमोदी (वृहद)(नई)
9.	संगोला शाखा नहर
10.	वांग मध्यम
11.	बेम्बला वृहद
12.	निचली दुधाना
13.	निचली वर्धा

1	2
14.	पुनाद
15.	नंदु मदमेश्वर फेज-II
16.	मोरना (घुरेघर)
17.	तिल्लारी (अंतर्राज्यीय)
18.	अरूणा मध्यम परियोजना
19.	कृष्णा-कोयना लिफ्ट सिंचाई परियोजना
20.	ऊपरी मन्नार मध्यम
21.	नरदेवे (महमदवादी)
22.	कुदाली
23.	निचली पंजारा
24.	गदनदी
25.	ऊपरी कुंडलिका
26.	वागुर
27.	बावनथाड़ी
	कृष्णा-कोयला लिफ्ट सिंचाई परियोजना (दूसरी किस्त)
28.	डोंगरगांव टैंक
29.	खडकपूर्णा
	बेम्बला वृहद (दूसरी किस्त)
	मणिपुर
1.	थोबल
	ओडिशा
1.	कानपुर सिंचाई परियोजना 90%
2.	सुबर्णरेखा सिंचाई परियोजना 81.12%
3.	तेलनगिर सिंचाई परियोजना, 90%
4.	रूकुरा सिंचाई परियोजना (टी), 90%
5.	निचली इंदिरा (केबीके), 90%
6.	एकीकृत आनंदपुर परियोजना

1	2
7.	रेंगाली सिंचाई परियोजना (आरबीसी)
8.	ऊपरी इंद्रावती
9.	रेत सिंचाई परियोजना
	पंजाब
1.	कांडी नहर का विस्तार फेज-II
	राजस्थान
1.	नर्मदा नहर परियोजना
2.	गंग नहर का आधुनिकीकरण
	उत्तर प्रदेश
1.	अर्जुन सहायक
2.	शारदा सहायक प्रणाली
3.	मध्य गंग नहर फेज-II
4.	कचनौदा बांध
5.	सरयू नहर परियोजना फेज-II
6.	बदायूं सिंचाई परियोजना
7.	कन्हर
	पश्चिम बंगाल
1.	तटको मध्यम
2.	पतलोई मध्यम

विवरण-II

2011-12 के लिए एआईबीपी के अंतर्गत जारी की गई केंद्रीय सहायता (सीए)/अनुदान का परियोजनावार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/परियोजना का नाम (जिस योजना में शुरू की गई)	राशि (रुपये करोड़ में) 2011-12
1	2	3
	वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाएं	
	आंध्र प्रदेश	
	17 नई एलआई एमआई स्कीमें 2011-12	113.400
1.	जे. चोक्काराव एलआईएस (पीएमपी)	256.131
	(आंध्र प्रदेश)-कुल	369.531
	अरूणाचल प्रदेश	
	2010-11 का 79 नई एमआई स्कीमें	30.4094
	(अरूणाचल प्रदेश)-कुल	30.4094
	असम	
	39 नई एमआई स्कीमें (सामान्य क्षेत्र) (2008-09)	2.2446
	32 नई सतही एमआई स्कीमें (केएएसी) 2008-09	20.7586
	42 नई एमआई स्कीमें (सामान्य क्षेत्र) (2008-09)	1.3257

1	2	3
	1 नई एमआई स्कीम (कालू प्रवाह सिंचाई स्कीम) (2008-09)	0.3308
	85 नई एमआई स्कीमें (सामान्य क्षेत्र) (2008-09)	12.3394
	23 नई सतही एमआई स्कीमें 2008-09 (बीटीसी)	4.5062
	सामान्य क्षेत्र में 9 नई एमआई स्कीमें (2008-09)	0.8146
	सामान्य क्षेत्र की 89 नई एमआई स्कीमें (2008-09)	14.3771
	27 नई सतही एमआई स्कीमें (केएएसी) 2009-10	19.7413
	104 नई सतही एमआई स्कीमें 2009-10 (सामान्य)	41.116
	208 नई एमआई स्कीमें 2009-10 (बीटीसी)	76.4938
	42 नई एमआई स्कीमें 2009-10 (सामान्य क्षेत्र)	72.3716
	124 नई एमआई स्कीमें 2009-10 (सामान्य क्षेत्र)	99.391
	(असम)-कुल	365.8103
	छत्तीसगढ़	
	2006-07 में 39 एमआई स्कीमें	0.5899
	2007-08 में 70 एमआई स्कीमें	4.9859
	2008-09 में 12 नई एमआई स्कीमें	0.548
	2008-09 में 30 नई एमआई स्कीमें	2.9237
	2008-09 में 19 चालू एमआई स्कीमें	0.030
	2008-09 में 16 नई एमआई स्कीमें	1.2904
	2011-12 में 6 नई एमआई स्कीमें	14.760
	2011-12 में 8 नई एमआई स्कीमें	19.310
	2011-12 में 11 नई एमआई स्कीमें	17.330
	2011-12 में 5 नई एमआई स्कीमें	6.280
	2011-12 में 7 नई एमआई स्कीमें	9.960
2.	**मनियारी टैंक सिंचाई परियोजना (ईआरएम) 2011-12**	22.250
	12 नई एमआई स्कीमें 2011-12	18.7596
	38 नई एमआई स्कीमें 2011-12	82.4580
	(छत्तीसगढ़)-कुल	201.466

1	2	3
	हिमाचल प्रदेश	
	2010-11 में 191 नई एमआई स्कीमें	47.115
	(हिमाचल प्रदेश)-कुल	47.115
	जम्मू और कश्मीर	
3.	**रणवीर नहर का आधुनिकीकरण (VII)**	24.467
4.	**राजपोरा लिफ्ट (वा.यो. 1978-80)**	74.483
	2006-07 में 3 नई एमआई स्कीमें (कश्मीर)	0.1220
	2007-08 में 132 नई एमआई स्कीमें (कश्मीर)	7.8785
	2008-09 में 15 नई एमआई स्कीमें (लेह एवं कारगिल)	20.886
	2008-09 में 57 नई एमआई स्कीमें (कश्मीर)	49.500
	2008-09 में 40 नई एमआई स्कीमें (जम्मू)	17.1281
	2008-09 में 19 नई एमआई स्कीमें (कश्मीर)	3.7349
	2009-10 में 1 नई एमआई स्कीमें (जम्मू)	12.1419
	59 नई एमआई स्कीमें (कश्मीर) 2011-12	14.62480
	158 नई एमआई स्कीमें (जम्मू) 2011-12	41.9680
5.	**मुख्य रावी नहर का पुनरूद्धार एवं आधुनिकीरण (ईआरएम)**	8.9100
	(जम्मू व कश्मीर)-कुल	275.8442
	झारखंड	
6.	**सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना**	335.540
	116 नई एमआई स्कीमें	66.8306
	(झारखंड)-कुल	402.3706
	कर्नाटक	
7.	**यूकेपी चरण-I फेज-III**	134.505
	57 चालू एमआई स्कीमें	18.251
	201 चालू एमआई स्कीमें	40.917
	कर्नाटक-कुल	193.673

1	2	3
	मध्य प्रदेश	
	बाणसागर (यूनिट-II) (V)	40.520
8.	**माही** (VI)	39.393
	22 नई एमआई स्कीमें (2008-09)	45.9683
	2010-11 की 19 नई एमआई स्कीमें	22.6005
	67 नई एमआई स्कीमें 2011-12	142.7192
9.	मध्य प्रदेश की सिंहपुर सिंचाई परियोजना	15.750
10.	मध्य प्रदेश की सागर (सागदु) सिंचाई परियोजना	8.055
11.	मध्य प्रदेश की संजय सागर (बह) एमआई परियोजना	5.180
	(मध्य प्रदेश)-कुल	320.186
	महाराष्ट्र	
12.	ऊपरी मन्नार	9.000
	नंदुर मधमेश्वर फेज-II	94.690
13.	निचली वर्धा (पीएमपी)	55.129
14.	बेम्बला सिंचाई परियोजना (पीएमपी)	148.802
	6 नई एमआई स्कीमें 2008-09	17.0861
15.	तराली परियोजना	40.260
16.	धोम बालकवाडी परियोजना	29.360
17.	अर्जुन परियोजना	11.250
18.	निचली पेधी परियोजना (पीएमपी) (XI) 2008-09	54.080
19.	नरदवे परियोजना (XI) 2009-10-नई मध्यम	11.137
20.	अरूणा परियोजना (XI) 2009-10-नई मध्यम	11.362
21.	कृष्णा-कोयला लिफ्ट सिंचाई (XI) 2009-10-नई	108.080
22.	कुदाली सिंचाई परियोजना	3.670
	(महाराष्ट्र)-कुल	593.906

1	2	3
	मणिपुर	
	2009-10 में 165 नई एमआई स्कीमें	44.550
	(मणिपुर)-कुल	44.550
	मेघालय	
	27 चालू एमआई स्कीमें	0.134
	2009-10 में 23 नई एमआई स्कीमें	56.6040
	2010-11 की 49 नई एमआई स्कीमें	20.251
	44 चालू एमआई स्कीमें	4.311
	(मेघालय)-कुल	81.3002
	मिजोरम	
	41 नई एम आई स्कीमें	20.6750
	2010-11 की 17 नई एम आई स्कीमें	17.2241
	(मिजोरम)-कुल	37.8991
	नागालैंड	
	2011-12 में 96 नई एमआई स्कीमें	40.9105
	2010-11 में 177 नई एम आई स्कीमें	24.4767
	2010-11 में 177 नई एम आई स्कीमें	2.7197
	(नागालैंड)-कुल	68.1069
	ओडिशा	
23.	ऊपरी इंद्रावती (वा.यो. 1978-80) (केबीके)	73.949
24.	एकीकृत आनंदपुर बैराज (केबीके)	26.418
25.	निचली इंद्रा (केबीके) (IX)	100.550
26.	तेलनगिरी सिंचाई परियोजना (केबीके)	37.000
27.	कानपुर (VIII)	117.010
28.	रूकुरा (XI) 2009-10-नई	32.400
	(ओडिशा)-कुल	387.327

1	2	3
	त्रिपुरा	
	2009-10 में 37 नई एम आई स्कीमें	34.8751
	(त्रिपुरा)-कुल	34.8751
	उत्तर प्रदेश	
29.	ऊपरी गंगा एवं मध्य गंगा (V) (सी)	
30.	मध्य गंगा नहर चरण-II (XI)	61.875
31.	कचनौदा बांध (XI) नई 2009-10	23.625
32.	शारदा सहायक की जलाशय क्षमता (XI) नई 2009-10	18.000
33.	अर्जुन सहायक (XI) नई 2009-10	105.468
	(उत्तर प्रदेश)-कुल	208.968
	उत्तराखंड	
	2009-10 में 13 नई एम आई स्कीमें	1.0843
	2009-10 में 7 नई एम आई स्कीमें	0.228
	38 चालू एमआई स्कीमें 2008-09	0.9882
	2010-11 में 464 नई एमआई स्कीमें	155.2186
	40 नई एमआई स्कीमें 2011-12 (सिंचाई विभाग)	75.2325
	कुल	232.7513
	सिक्किम	
	2010-11 की 225 नई एमआई स्कीमें	33.7144
	(सिक्किम)-कुल	33.7144
	कुल जोड़	3929.8033

न्यायाधीशों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव

1569. श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री संजय भोई:
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:
श्री भास्कराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह पता लगाने के लिए कि लंबित मामलों की बड़ी संख्या के कारण विचारण न्यायालय के न्यायाधीशों पर किस प्रकार मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, सरकार का एक अध्ययन कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि व्यय की जायेगी;

(ग) इस अध्ययन के कब तक पूर्ण होने की संभावना है;

(घ) क्या अध्ययन से प्रभावित न्यायाधीशों को लाभ पहुंचेगा तथा मामलों का लंबन कम हो जायेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ङ) न्यायालयों में अधिक मामलों की संख्या और लंबित मामले देश में न्यायिक प्रशासन और न्याय परिदान दोनों को प्रभावित करने वाली मुख्य समस्या रही है। विधि और न्याय मंत्रालय ने अक्तूबर, 2009 में लंबित मामले और विलंब को कम करने के लिए न्यायपालिका को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया था। परामर्शकों ने विजन दस्तावेज पर चिंतन और विचार-विमर्श किया है जिसे परामर्श के अंत में संकल्प द्वारा पृष्ठांकित किया गया था। विजन दस्तावेज में दिए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनेक रणनीतिक पहलुओं के अनुसरण में न्यायिक परिदान और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन में सम्मिलित होंगे (i) नीति परिवर्तन; (ii) प्रक्रियाओं का पुनर्निर्माण; (iii) मानव संसाधन विकास के उपाय; (iv) गठित किए गए बेहतर न्याय परिदान के लिए उद्यामन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। मिशन, न्यायिक प्रशासन के बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिनिर्धारण करने के लिए समन्वयित पहुंच का अनुसरण करेगा। राष्ट्रीय आयोग ने अनुसंधान अध्ययनों की जिम्मेवारी लेने के लिए 'न्यायिक सुधारों पर अनुसंधान और अध्ययन कार्य' शीर्षक के अधीन बजट का भी उपबंध किया है। न्यायाधीशों पर लंबित मामलों के मनोवैज्ञानिक संघात का अवधारण करने के लिए न तो कोई अध्ययन किया गया है और न ही इसे प्रभावी करने के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा कोई प्रस्ताव लाया गया है।

तथापि, सरकार ने लंबित मामलों को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए उपाय, समय-समय पर न्यायाधीशों की पद संख्या का पुनर्विलोकन और अंशकालिक/विशेष न्यायालयों का गठन, न्यायालयों में अवसंरचना का सुधार करने और न्यायालय प्रबंध के लिए आई सी टी के उपयोग में बढ़ोतरी करने के साथ ही उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों से प्रारंभ सभी स्तरों पर नागरिक केंद्रस्थ सेवाओं को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को प्रदान करना सम्मिलित है। इनमें से कुछ पहलुओं का और ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(i) प्रणाली में विलंब और बकायों में कमी करके पहुंच में वृद्धि करना केन्द्रीय सरकार का सतत् प्रयास रहा है। इसके लिए ढांचागत परिवर्तनों को करने के लिए साथ ही जहां तक जो उनके निपटान से संबद्ध है, न्यायालयों के कार्य की मानीटरी के लिए पूर्व में अनेक कदम उठाए गए हैं। विशेष अभियान को चलाकर निपटान में वृद्धि की गई है, जिसमें से हाल ही में एक जुलाई, 2011 से 31 दिसंबर, 2011 तक चलाया गया है।

(ii) ग्यारहवें वित्त आयोग ने त्वरित निपटान न्यायालयों ने गठन की सिफारिश की थी जिसके लिए वर्ष 2000-05 के लिए 502.90 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया था इसको बाद में 2010-11 तक बढ़ा दिया गया था। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 31.03.2011 को 1192 त्वरित निपटान न्यायालय देश में कार्य कर रहे थे। वर्ष 2000-01 से 2010-11 तक केन्द्रीय सहायता के 11 वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 33 लाख मामले त्वरित निपटान न्यायालय द्वारा निपटाए गए थे। तेरहवें वित्त आयोग ने 2010 से 2015 तक की पांच वर्ष की अवधि के लिए राज्यों को उपयोग में लाए जाने हेतु 5000 करोड़ रू० के अनुदान की सिफारिश की है। यह राशि राज्यों के लिए ऐसे विभिन्न पहलों के लिए आबंटित की गई है जैसे (i) प्रात:कालीन/सायंकालीन/पारी न्यायालयों के आयोजन द्वारा विद्यमान अवसंरचना का उपयोग करके न्यायालय के कार्यघंटों की संख्या में वृद्धि करना; (ii) नियमित न्यायालयों में दबाव कम करने के लिए लोक अदालतों के समर्थन में वृद्धि करना; (iii) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को विधिक सहायता में वृद्धि करने और न्याय के प्रति उनकी पहुंच को सशक्त करने में समर्थ बनाने के लिए अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराना; (iv) न्यायालय प्रणाली से बाहर विवादों के भाग रूप में समाधान करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान (ए डी आर) तंत्र का संवर्धन करना; (v) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से न्यायिक अधिकारियों और लोक अभियोजकों की क्षमता में वृद्धि करना; (vi) ऐसे प्रशिक्षण को सुकर बनाने के लिए प्रत्येक राज्य में एक न्यायिक अकादमी के सृजन या उसको सुदृढ़ करने में समर्थन देना; (vii) न्यायपालिका को उनके प्रशासनिक कृत्यों में सहायता करने के लिए प्रत्येक न्यायिक जिले और उच्च न्यायालयों में न्यायालय प्रबंधकों के पद को सृजित करना; और (viii) विरासत न्यायालय भवनों का अनुरक्षण करना। इस मद्दे राज्यों को पहले ही 1353.623 करोड़ रुपए की रकम जारी कर दी गई है।

(iii) देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटीकरण (ई न्यायालय परियोजना) के लिए केन्द्रीय सेक्टर स्कीम के अधीन और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की

आई सी टी अवसंरचना के उन्नयन के लिए देश में 25.02. 2012 को 14229 न्यायालयों में से 9501 न्यायालय कंप्यूटीकृत किए गए हैं। शेष न्यायालय 31.03.2014 तक कंप्यूटरीकृत किए जाएंगे।

दूसरे चरण में चल रहे कम्प्यूटरीकरण और नागरिक केन्द्रीयकृत सेवाओं के कार्य में डिजिटीकरण, पुस्तकालय प्रबंध, ई फाइलिंग और आंकड़ा भांडागार की स्थापना किए जाने की प्रत्याशा है।

(iv) ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 का अधिनियमन, जमीनी स्तर तक नागरिकों को उनकी दहलीज पर न्याय की पहुंच प्रदान करने के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने का उपबंध करता है। 18.00 लाख रुपए प्रति ग्राम न्यायालय की सीमा के अध्यधीन, ग्राम न्यायालयों के गठन के लिए गैर-आवर्ती व्ययों को पूरा करने के लिए राज्यों को केंद्रीय सरकार सहायता दे रही है। केंद्रीय सरकार पहले तीन वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 3.20 लाख रुपए प्रति ग्राम न्यायालय की सीमा के अध्यधीन इन ग्राम न्यायालयों के चलाने के लिए आवर्ती व्ययों की सहायता भी प्रदान करती है। राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अभी तक 153 ग्राम न्यायालयों को अधिसूचित कर दिया गया है। जिनमें से 151 ग्राम न्यायालयों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को 25.39 करोड़ रुपए की रकम जारी कर दी गई है।

(v) न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीयकृत प्रायोजित एक स्कीम वर्ष 1993-94 से कार्यान्वित की जा रही है जिसके अधीन न्यायालयों के भवन और न्यायिक अधिकारियों के आवासीय क्वाटर्स के संनिर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता, राज्य सरकारों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए जारी की गई है। अभी तक इस स्कीम में केन्द्रीय सरकार द्वारा 1810.33 करोड़ रुपए के व्यय को उपगत किया गया है।

पीएसयू में सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाया जाना

1570. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री संजय भोई:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सरकारी रुग्ण कंपनियों में सेवानिवृति आयु को दो वर्ष बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस कदम से कितने लोग लाभान्वित होंगे;

(घ) इस प्रस्ताव के कब तक लागू हो जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा रुग्ण पीएसयू के पुनरूद्धार के लिये क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) की अनुशंसाओं के आधार पर लोक उद्यम विभाग केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण व घाटा उठाने वाले ऐसे उद्यमों के कर्मचारियों की अधिवर्षिता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के लिए एक नीति का प्रतिपादन कर रहा है जिनका पुनरूद्धार पैकेज सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है और जो पुनरूद्धार पैकेज के कार्यान्वयन के बाद सरकारी क्षेत्र में बने रहेंगे। अंतर मंत्रालयी परामर्श तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद उपर्युक्त नीति को अधिसूचित कर दिया जाएगा।

(ङ) सरकार ने दिसम्बर, 2004 में एक परामर्शी निकाय के रूप में सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) की स्थापना कर दी है जो अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों के पुनरूद्धार व पुनर्गठन के बारे में सरकार को परामर्श देगा। बीआरपीएसई की अनुशंसाओं के आधार पर सरकार ने आज की तारीख तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 43 उद्यमों के पुनरूद्धार का अनुमोदन कर दिया है जिसमें भारत सरकार से रु. 4313 करोड़ की नकद सहायता तथा रु. 21595 करोड़ की गैर-नकद सहायता समाविष्ट है।

लोकोमोटिव और वैगनों का उत्पादन

1571. श्री वैजयंत पांडा:
श्री बाल कुमार पटेल:
श्री नित्यानंद प्रधान:
श्रीमती दीपा दासमुंशी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में लोकोमोटिव की मांग की तुलना में लोकोमोटिव विनिर्माण इकाइयों में क्षमता एवं विनिर्माण संबंधी बाध्यताओं के चलते लोकोमोटिव क्षमता विस्तार बाधित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सार्वजनिक और निजी वेगन विनिर्माता संविदागत मात्रा की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है;

(घ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने जा रहे हैं;

(ङ) क्या समेकित रेलवे आधुनिकीकरण योजना में यथा परिकल्पित लोकोमोटिव तथा वैगन के क्षमता वृद्धि हेतु लक्ष्य को वर्तमान पंचवर्षीय योजना अवधि ने प्राप्त नहीं किया जा सका है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और विदेशों से सहायता सहित इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं.

(ख) यद्यपि रेलवे इंजनों के बढ़ाए गए उत्पादन से भारतीय रेलों की वर्तमान मांग पूरी हो रही है, परंतु भविष्य में होने वाले यातायात की प्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी तथा चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, चित्तरंजन की क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। एक डीजल लोकोमोटिव फैक्टरी तथा एक इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्टरी को क्रमश: मरहोवरा तथा मधेपुरा में जेबी/पीपीपी के माध्यम से स्थापित करने की योजना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) एककीकृत रेलवे आधुनिकीकरण योजना 2007-08 से 2009-10 की समयावधि में (जो चालू पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था) रेल इंजनों और स्टेनलैस स्टील ओपन वैगनों में वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

वर्षाजल संचयन

1572. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी:
श्री पन्ना लाल पुनिया:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही वर्षा जल संचयन परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सरकारों भवनों में वर्षा जल संचयन को अपनाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संचयित की जाने वाली वर्षा जल की मात्रा को पूर्व निर्धारित करने के लिये उपग्रह अथवा अन्य नदियों से उन्नत तकनीक विकसित की गई है ताकि तदनुसार वर्षा जल संचयन की पूर्व व्यवस्था की जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) ग्यारहवीं योजना (वर्ष 2007-2012) के दौरान, वर्षा जल संचयन तथा कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी प्रदर्शनात्मक पुनर्भरणीय परियोजना के प्रयोजनार्थ भूमि जल प्रबंधन एवं विनियमन की केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। पिछले पांच वर्षों (2007-2012) के दौरान, स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में राज्य अभिकरणों द्वारा कार्यान्वयन की जाने वाली 103.18 करोड़ रु. की लागत की 158 परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) आठवीं, नौवीं और दसवीं योजनावधियों के दौरान केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा कार्यान्वित केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम "भूमि जल के पुनर्भरण संबंधी अध्ययन" के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में 235 सरकारी भवनों में छत की वर्षा जल संचयन स्कीम का कार्यान्वयन किया गया था। इसके अतिरिक्त XIवीं योजना के दौरान "भूमिजल प्रबंधन एवं विनयमन" की केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत वर्षा जल संचयन एवं कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में 379 छत की वर्षा जल संचयन संरचनाओं को संस्थापित किया जा रहा है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

इसके अलावा, केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने दिनांक 06.9.2011 के आदेश द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा शहरी विकास मंत्रालय के मुख्य सचिवों/प्रशासकों को सभी सरकारी भवनों पर वर्षा जल संचयन/कृत्रिम पुनर्भरण अपनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने निदेश जारी किए हैं।

(घ) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय मौसम विज्ञानीय विभाग (आईएमडी) परंपरागत, स्वचालित मौसम स्टेशन (एडब्ल्यूएस), स्वचालित वर्षामापी आंकड़े (एआरजी) एकत्र करके, संस्थागत मौसम पूर्वानुमान (एनडब्ल्यूपी) मॉडलों में उपग्रही एवं मौसम राडार प्रेक्षणों

द्वारा (5 दिवसीय) जिला स्तरीय मात्रात्मक वर्षा पूर्वानुमान प्रदान करता है।

(ङ) आईएमडी के पास एक अच्छा नेटवर्क है, जिसमें 675 एडब्ल्यूएस, 660 एआरजी और 12 डॉपलर मौसम राडार हैं। आईएमडी, कल्पना-I, उपग्रह विकिरण प्रेक्षण का प्रतिदिन आधार पर उपयोग करते हुए एक डिग्री अक्षांश/रेखांश ग्रिड बाक्सों में मात्रात्मक वर्षा अनुमानों (क्यूपीई) की भी गणना करता है तथा मानसून के दौरान 3000 वर्षा स्थलों से आंकड़ों का इस्तेमाल करके आधा डिग्री आक्षांश/रेखांश में वर्षा अनुमान तैयार किया जाता है। इन ग्रिड आंकड़ों को आईएमडी वेबसाइटों पर नियमित आधार पर अपलोड किया गया है।

विवरण-I

ग्यारहवीं योजना (11.3.2012 तक) के दौरान कार्यान्वित की जा रही प्रदर्शनात्मक पुनर्भरण परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	कार्यान्वित की जा रही प्रदर्शनात्मक पुनर्भरणीय परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	पुनर्भरणीय संरचनाओं की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5	5.73	119
2.	अरूणाचल प्रदेश	8	8.50	160
3.	बिहार	2	0.96	11
4.	चंडीगढ़	1	7.76	54
5.	छत्तीसगढ़	2	2.69	34
6.	दिल्ली	1	0.43	10
7.	गुजरात	2	3.16	116
8.	हिमाचल प्रदेश	11	1.91	13
9.	जम्मू और कश्मीर	3	1.00	3
10.	झारखंड	2	1.91	69
11.	कर्नाटक	6	5.88	192
12.	केरल	7	0.98	91
13.	मध्य प्रदेश	4	8.61	51
14.	महाराष्ट्र	1	0.15	49
15.	नागालैंड	1	1.13	30
16.	ओडिशा	14	4.64	65
17.	पंजाब	3	2.60	86

1	2		3	
18.	राजस्थान	76	5.91	79
19.	तमिलनाडु	4	5.26	273
20.	उत्तर प्रदेश	4	32.86	189
21.	पश्चिम बंगाल	1	1.11	30
	कुल	158	103.18	1724

विवरण-II

आठवीं, नौवीं और दसवीं योजना के दौरान केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा प्रदर्शनात्मक पुनर्भरण परियोजनाओं के अंतर्गत संस्थापित की गई और ग्यारहवीं योजना के दौरान प्रारंभ की गई छत के वर्षा जल संचयन संरचनाओं का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	सीजीडब्ल्यूबी द्वारा आठवीं, नौवीं, दसवीं योजना के अंतर्गत् सरकारी भवनों में संस्थापित छत के वर्षा जल संचयन की संख्या	ग्यारहवीं योजना के दौरान प्रारंभ की गई छत की वर्षा जल संचयन संरचनाएं
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	0	19
2.	अरूणाचल प्रदेश	5	124
3.	असम	13	0
4.	बिहार	2	0
5.	चंडीगढ़	8	54
6.	दिल्ली	12	0
7.	गुजरात	2	0
8.	हरियाणा	2	0
9.	हिमाचल प्रदेश	2	0
10.	झारखंड	5	54
11.	जम्मू और कश्मीर	6	0
12.	कर्नाटक	9	15
13.	केरल	2	1
14.	मध्य प्रदेश	4	0
15.	महाराष्ट्र	1	0
16.	मेघालय	6	0
17.	मिजोरम	35	0
18.	नागालैंड	48	30
19.	ओडिशा	11	6
20.	पुदुचेरी	0	0
21.	पंजाब	7	0
22.	राजस्थान	14	73
23.	तमिलनाडु	4	1
24.	उत्तर प्रदेश	20	0
25.	उत्तराखंड	0	0
26.	पश्चिम बंगाल	17	2
	कुल	235	379

एमजीएनआरईजीएस के तहत दिशानिर्देश

1573. **श्री यशवीर सिंह:**
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री नीरज शेखर:
श्री पी. लिंगम:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना पर कोई सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा की गई तथा किस निर्णय पर पहुंचे;

(ग) क्या उक्त योजना के तहत दिशा निर्देशों/मानदण्डों का पुर्नप्रारूपण करने के लिए किसी समिति का गठन किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही उक्त समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ङ) सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है; और

(च) इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद यह योजना किस सीमा तक लाभप्रद साबित हुई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के छह वर्ष पूरा होने के अवसर पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 2 फरवरी, 2012 को "एमजीएनआरईजीए सम्मेलन" आयोजित किया गया। सम्मेलन में एमजीएनआरईजीए के लक्ष्यों के प्रति सभी स्टेक होल्डरों की प्रतिबद्धता की पुष्टि की जानी थी।

(ग) से (ङ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के परिचालन दिशा-निर्देशों में संशोधन संबंधी सुझाव देने के लिए डा० मिहिर शाह, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(i) एमजीएनआरईजीए के कार्यान्वयन को संचालित करने के लिए राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय एवं राज्य रोजगार गारंटी मिशन एवं प्रबंधन दल बनाया जाना चाहिए।

(ii) ग्रामीण विकास विभाग के राष्ट्रीय प्रबंधन दल (एनएमटी) के भीतर राष्ट्रीय स्तर पर क्षमता निर्माण संस्थाओं का नेटवर्क बनाया जाए। इसी तर्ज पर, राज्य एवं जिला स्तर पर क्षमता निर्माण प्रभाग बनाया जाना चाहिए।

(iii) 15 अगस्त को ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की बैठक में श्रम बजट प्रस्तुत किया जाना चाहिए। परियोजनाओं की सूची क्रम से दो वर्षों के लिए कार्यों की मांग पूरी करने में पर्याप्त होनी चाहिए।

(iv) वाटरशेड, कृषि, पशुधन, मछलीपालन, तटीय क्षेत्रों और ग्रामीण स्वच्छता में कार्यों से जुड़े लगभग 30 कार्यों को अनुमेय कार्यों की सूची में शामिल किए जाने की सिफारिश की गई है।

(v) नकद मजदूरी भुगतान की अनुमति उन ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों में दी जानी चाहिए जहां बैंक/डाकघरों की उपलब्धता बहुत कम है।

(vi) मजदूरी की मांग करने वाले ऐसे लोगों, जिनकी कार्य की मांग 15 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है, को बेरोजगारी के भुगतान के लिए भुगतान आदेश (स्वत:) सृजित करने के लिए एमआईएस।

(vii) सामाजिक लेखा परीक्षा एकक (कार्यान्वयन कर्ता विभागों/एजेंसियों से स्वतंत्र सोसायटी अथवा निदेशालय) बनाया जाना चाहिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को यथोचित अंतराल पर योजनाओं के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने का अधिकार होगा।

(viii) इस अधिनियम के कार्यान्वयन में अनियमितताओं का पता लगाने के लिए राज्य, जिला एवं स्थानीय स्तर पर त्रि-स्तरीय सतर्कता तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।

इस अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत राज्यों द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं के जरिए एमजीएनआरईजीए के प्रावधानों को लागू किया जाता है। राज्यों द्वारा बनाई गई योजनाओं में इस अधिनियम की अनुसूची-I मे विनिर्दिष्ट न्यूनतम विशेषताओं का प्रावधान करना होता है जिसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। समिति की रिपोर्ट की प्रति सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दी गई है और टिप्पणी/सुझाव के लिए सार्वजनिक रूप से रखी गई है। राज्य सरकार सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अनुसूची एवं दिशा-निर्देशों में समय-समय पर बदलाव एवं संशोधन किया जाता है और यह एक सतत प्रक्रिया है।

(च) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए तहत निधियां

1574. श्रीमती सुप्रिया सुलेः
श्री गुरुदास दासगुप्तः
श्री गजानन ध. बाबरः
श्री पी. लिंगमः
श्री संजय दिना पाटीलः
डॉ. संजीव गणेश नाईकः
चौधरी लाल सिंहः
श्री के. सुधाकरणः
श्री धर्मेन्द्र यादवः
श्री अधलराव पाटील शिवाजीः
श्री आनंदराव अडसुलः
श्री दुष्यंत सिंहः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत सीधे ही निधियों का अंतरण करने तथा आवंटित निधियों के लगभग पचास प्रतिशत निधियों के संबंध में राज्य सरकारों को विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सीधे ही राज्यों को अंतरित केन्द्रीय निधियों के उपयोग की निगरानी करेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सभी ग्रामीण विकास योजनाओं की कार्यकुशलता तथा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रस्तावित समवर्ती मूल्यांकन नेटवर्क का खाका तैयार करके मंत्री के द्वारा प्रधान मंत्री को भेजा गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (घ) कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/ कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/ कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों को निधियां प्रदान करता है।

(ङ) और (च) जी, हां। सभी ग्रामीण विकास योजनाओं की कार्यकुशलता और परिणामों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए समवर्ती मूल्यांकन नेटवर्क का प्रस्ताव भेजा गया है। इसके लिए कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती है क्योंकि इसमें विभिन्न मंत्रालयों से परामर्श किया जाना है और अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त किए जाने हैं।

[हिन्दी]

नई राष्ट्रीय जल नीति

1575. डॉ. संजीव गणेश नाईकः
श्री अर्जुन राम मेघवालः
श्री संजय दिना पाटीलः
श्री मधुसूदन यादवः
श्री जय प्रकाश अग्रवालः
श्री हर्ष वर्धनः
श्री विलास मुत्तेमवारः
श्री जगदीश शर्माः
श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रः

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का नई राष्ट्रीय जल नीति का अधिनियमन करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) जलापूर्ति के निजीकरण/वाणिज्यिकरण के संबंध में नई नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) जल के भंडारण, उपयोग तथा सफाई और आवंटन के संबंध में दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नई नीति में जल स्रोतों के प्रदूषण को रोकने के लिए प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मसौदा नीति में राष्ट्रीय जल बोर्ड तथा जल निगरानी प्राधिकरण की भूमिका क्या है यथा इसका किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां। सरकार ने राष्ट्रीय जल नीति, 2012 का मसौदा तैयार किया है। राष्ट्रीय जल नीति, 2012 के मसौदे की प्रमुख विशेषताएं विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ख) राष्ट्रीय जल नीति 2012 के मसौदे में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश है कि जल संबंधी सेवाएं समुचित

'सार्वजनिक-निजी-भागीदारी'' मॉडल सहित समुदाय और/अथवा निजी क्षेत्रों को अंतरित कर दी जानी चाहिए।

(ग) जल के भंडारण, उपयोग, सफाई और आवंटन दिशानिर्देशों के विषय में की गई सिफारिशें संलग्न राष्ट्रीय जल नीति, 2012 के मसौदे की प्रमुख विशेषताओं में दी गई हैं।

(घ) जी, हां। राष्ट्रीय जल नीति 2012 के मसौदे में निम्न सिफारिशें की गई हैं:-

(i) जल स्रोतों और जल निकायों को दूषित नहीं होने देना चाहिए। तीसरे पक्ष द्वारा आवधिक निरीक्षण की प्रणाली विकसित की जानी चाहिए और प्रदूषण फैलाने वालों पर भुगतान के सिद्धांत पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। जुर्माना के तौर पर वसूली गई राशि जल परिशोधन को सुलभ बनाने के लिए एक कोष में रखी जाए।

(ii) भूमि जल के संबंध में गुणवत्ता संरक्षण और सुधार अधिक जरूरी है क्योंकि इसे साफ करना बहुत मुश्किल है। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि औद्योगिक बहि:स्राव, स्थानीय गंदगी कुंडो का अपशिष्ट, उर्वरक एवं रसायनों के अपशिष्ट, आदि भूमि तल तक न पहुंचे।

(ङ) राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने राष्ट्रीय जल बोर्ड की सिफारिश पर राष्ट्रीय जल नीति अपनाती है। राष्ट्रीय/राज्य जल नीतियों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन में कार्यान्वित योजना स्कीमों से किसानों को लाभ होता हैं।

विवरण

राष्ट्रीय जल नीति (2012) के मसौदें की प्रमुख विशेषताएं

1. इस तथ्य को स्वीकार करते हुए भी कि राज्यों को जल के संबंध में उचित नीतियां, कानून एवं विनियम बनाने का अधिकार है, राष्ट्रीय जल नीति, 2012 के मसौदे में राष्ट्रीय जल संरचना कानून, अंतरराज्यीय नदियों एवं नदी घाटियों के इष्टम विकास के लिए व्यापक, विधान लोक विश्वास सिद्धांत, भारतीय भोगाधिकार अधिनियम, 1882 में संशोधन आदि की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

2. आवश्यक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता और पारिस्थिति को बनाए रखने के लिए मूलभूत न्यूनतम मात्रा को सार्वाधिक आवयश्कता माना गया है, जो कि सुनिश्चित की जानी चाहिए। जल को पहली बार सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता के अतिरिक्त आर्थिक वस्तु माना गया है, जिससे जल का मूल्य अधिकतम बनाने और इसके संरक्षण एवं कुशल उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

3. राष्ट्रीय जल नीति, 2012 के मसौदे में नदी को केवल न्यूनतम प्रवाह आवश्यकता तक सीमित न रखते हुए इसकी पारिस्थितिकीय आवश्यकता का एक संपूर्णवादी चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसमें यह उल्लेख किया गया है कि नदी की पारिस्थितिकीय आवश्यकताएं इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जानी चाहिए कि नदी प्रवाहों में कम अथवा शून्य प्रवाह, कम बाढ़ (फ्रेशेट), अधिक बाढ़ तथा प्रवाह विभिन्न जैसी विशिष्टताएं पाई जाती हैं और इन आवश्यकताओं में विकास संबंधी आवश्यकताओं को शामिल किया जाना चाहिए। नदी प्रवाहों का एक भाग यह सुनिश्चित करते हुए पारिस्थितिकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रखा जाना चाहिए कि आनुपातिक न्यून अथवा उच्च प्रवाह समय पर लगभग प्राकृतिक प्रवाह स्तर के संगत हो जाए।

4. राष्ट्रीय जल नीति, 2012 के मसौदे में जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना एवं कार्यान्वन में जलवायु परिवर्तन की स्थितियों के साथ अनुकूलन की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। जल संसाधन संरचनाओं का डिजाइन तैयार करने एवं प्रबंधन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिये कार्यनीतियों और स्वीकार्यता मानदंडों की समीक्षा पर जोर दिया जाता है।

5. जल की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता एवं संबंधित दृष्टिकोण निर्धारित किए गए हैं। वर्षा के सीधे उपयोग और अनभिप्रेत वाष्प-वाष्पोत्सर्जन को टालना, उपयोग योग्य जल संसाधनों के संवर्धन के लिए नई अतिरिक्त कार्यनीतियों के रूप में प्रस्तावित किए गए हैं।

6. देश में भूजल संसाधनों (पुनर्भरणीय और गैर-पुनर्भरणीय) की मात्रा एवं गुणवत्ता जानने के लिए आवधिक उन्नयन के प्रावधान के साथ जलभृतों के मानचित्र का प्रस्ताव किया गया है।

7. जल उपयोग दक्षता पर जोर दिया गया है। जल का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रयोजनों अर्थात जल फुटप्रिंट एवं जल लेखापरीक्षा के लिए मानदंड विकसित करने हेतु एक पद्धति विकसित की जानी चाहिए। जल के कुशल एवं मितव्ययी उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक औजार के रूप में परियोजना वित्त प्रबंध का सुझाव दिया गया है।

8. जल के पुन:चक्रण एवं पुन:उपयोग को प्रोत्साहन करने के लिए जल विनियामक प्राधिकरण की स्थापना और जल का उचित मूल्य निर्धारित करने का प्रावधान विनिर्दिष्ट किया गया है।

9. जल प्रयोक्ता संघ को जल प्रभार एकत्रित करने और इसका एक भाग रखने, उन्हें आवंटित जल की मात्रा का प्रबंधन करने और उनके अधिकार क्षेत्र में वितरण प्रणाली के रखरखाव के लिए सांविधिक शक्तियां दी जानी चाहिएं।

10. राष्ट्रीय जल नीति, 2012 के मसौदे में विद्युत के अत्यधिक कम मूल्य, जिसके कारण विद्युत एवं जल दोनों का अपव्यय किया जाता है, को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।

11. राष्ट्रीय जल नीति, 2012 के मसौदे में जल निकायों के अतिक्रमण एवं डाइवर्जन को स्वीकार किया गया है और सामुदायिक सहभागिता से उनके पुनरूद्धार की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

12. राष्ट्रीय जल नीति, 2012 के मसौदे में अवसंरचना विकास की लागत का एक उचित प्रतिशत अलग रखने का प्रस्ताव किया गया है जो एकत्रित जल प्रभारों के साथ मरम्मत एवं अनुरक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता हैं। परियोजनाओं के निर्माण के लिए निविदा में लबी अवधि के लिए उचित रखरखाव और अवसंरचना को बेहतर स्थिति में लोटाने का प्रावधान अंतर्निहित होना चाहिए।

13. जल संसाधन परियोजनाओं के सभी घटकों की आयोजना एवं निष्पादन समान गति से करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे वांछित लाभ कार्य पूरा होन के तुरंत बाद मिलने शुरू हो जाएं और सृजित क्षमता एवं उपयोग की गई क्षमता के बीच कोई अंतर न रहे।

14. उपलब्ध स्थलाकृति और जल संसाधनों से अधिकतम लाभ लेने के लिए भंडारण के प्रावधानों के साथ जल विद्युत परियोजनाओं सहित सभी जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, जहां तक व्यवहार्य हो, बहुउद्देशीय, परियोजनाओं के रूप में की जानी चाहिए।

15. परियोजना प्रभावित परिवारों को प्रगति में भागीदार बनाया जाना चाहिए और परियोजना से लाभान्वित परिवारों के तुल्य लाभों में से एक हिस्सा दिया जाना चाहिए, जो उचित मूल्य निर्धारण के माध्यम से पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास की लागत का एक हिस्सा वहन करें।

16. राष्ट्रीय जल नीति, 2012 के मसौदे में एक विकल्प के रूप में समस्याओं से निपटने के तंत्र के साथ बाढ़/सूखे के लिए तैयारी पर जोर दिया गया है। समस्यायों से निपटने की कार्यनीतियां विकसित करने के लिए आवृति आधारित बाढ़ आप्लावन मानचित्र तैयार किये जाने चाहिए।

17. ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बीच समानता लाने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिए निर्धारित मात्राओं के बीच बड़े अंतर को कम करने की आवश्यकता है।

18. राष्ट्रीय जल नीति, 2012 के मसौदे में जल संबंधी मुद्दों पर विचार करने और पक्षकार राज्यों के बीच सहमति, सहयोग और सामंजस्य विकसित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच का प्रस्ताव किया है। प्रत्येक राज्य में और राज्य के विभिन्न भागों के बीच भी जल के विभिन्न प्रयोक्ताओं के बीच मांग हेतु प्रतिस्पर्धा में विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए इसी प्रकार का तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।

19. जल संसाधन की आयोजना, कार्यान्वयन एवं प्रबंधन के लिए उत्तरदायी के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य की "सेवा प्रदाता" की भूमिका को धीरे-धीरे सेवाओं के विनियामक एवं सुलभकारक के रूप में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। जल संबंधी सेवाओं को उपयुक्त "सार्वजनिक निजी भागीदारी" मॉडल के साथ समुदाय और/अथवा निजी क्षेत्र को अंतरित कर दी जानी चाहिए।

20. वर्षा, नदी प्रवाहों फसल-वार एवं स्रोत-वार सिंचित क्षेत्र, सतही एवं भूजल दोनों के विभिन्न उपयोगों के लिए उपयोग के संबंध में नियमित आधार पर सभी आंकड़े एकत्रित करने एवं मिलाने और जल वैज्ञानिक शेष के आधार पर उपयुक्त जल बजट एवं लेखों के साथ प्रत्येक नदी बेसिन हेतु उचित संस्थागत व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।

21. राष्ट्रीय जल नीति, 2012 के मसौदे में राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए तटवर्ती राज्यों के साथ परामर्श एवं सहयोग से द्विवपक्षीय पर अंतर्राष्ट्रीय नदियों के जल की

भागीदारी एवं प्रबंधन के संबंध में चर्चा का प्रावधान किया गया है।

22. राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में गुप्त के रूप में वर्गीकृत आंकड़ों अतिरिक्त सभी जल वैज्ञानिक आंकड़ों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय जल सूचना केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

23. जल क्षेत्र के मुद्दों का वैज्ञानिक पद्धति से समाधान करने के लिए सतत अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी में उन्नयन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जल संसाधन क्षेत्र में नवाचार को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाना चाहिए। जल संसाधन की बदलती परिस्थितियों के लिए नीति संबंधी निर्देश विकसित करने के लिए जल नीति के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए।

24. प्रौद्योगिकी, डिजाइन पद्धतियों, आयोजन तथा प्रबंधन पद्धतियों में उन्नयन स्थल एवं बेसिन के लिए वार्षिक जल शेष एवं लेखों को तैयार करना, जल प्रणालियों के लिए जलवैज्ञानिक शेष तैयार करना और मानदंड तय करना एवं निष्पादन मूल्यांकन के लिए राज्यों को पर्याप्त अनुदान देना आवश्यक है।

[अनुवाद]

बंद उर्वरक विनिर्माण इकाइयों का पुनरुद्धार

1576. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:
श्री अरुण यादव:
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:
श्री पी.के. बिजू:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रहे उर्वरक विनिर्माण संयंत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) बंद/रुग्ण उर्वरक विनिर्माण संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार इन संयंत्रों के पुनरुद्धार के लिये किसी कार्य योजना पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन बंद उर्वरक विनिर्माण संयंत्रों के पुनरुद्धार से देश में किसी हद तक उर्वरक की मांग पूरी हो सकेंगी;

(च) क्या सरकार द्वारा घाटा उठा रहे इन संयंत्रों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(छ) यदि हां, तो पिछले वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान संयंत्र-वार उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र में बंद रुग्ण उर्वरक उत्पादन इकाइयों का ब्यौरा तथा इकाइयों के बंद/रुग्ण होने के कारण संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां सरकार बंद और रुग्ण उर्वरक पीएसयू के पुनरुद्धार करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इस दिशा में सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

क. बंद इकाइयों के संबंध में:

सचिवों की अधिकार-प्राप्त समिति की सिफारिशों के आधार पर सीसीईए ने 4.8.2011 को आयोजित अपनी बैठक में फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड(एचएफसीएल) की बंद इकाइयों के पुनरुद्धार के प्रस्ताव पर विचार किया था तथा इस शर्त के साथ अनुमोदित किया था कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) कार्यवाहियों में शीघ्रता लाई जाए और तत्पश्चात् बोली मानदण्डों में अपेक्षित परिवर्तन, यदि कोई हो, सहित मामले को अंतिम निर्णय के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। एफसीआईएल और एचएफसीआईएल और एचएफसीएल ने बीआईएफआर को अनुमोदन हेतु पुनर्वास योजना का प्रारूप (डीआरएस) प्रस्तुत किया है। बीआईएफआर ने एचएफसीएल और एफसीआईएल की डीआरएस की जांच के लिए भारतीय स्टेट बैंक को प्रचालन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।

ख. रुग्ण इकाइयों के संबंध में

(i) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल) ने 390.79 करोड़ रुपए के सरकारी ऋण तथा उस पर ब्याज को माफ करने के अलावा, 376.64 करोड़ रुपए योजना ऋण की स्वीकृति करने, नई मूल्य-निर्धारण योजना को 31.3.2010 के बाद जारी रखने तथा अपने यूरिया संयंत्र को प्राकृतिक गैस में परिवर्तित करने, आदि संबंधी वित्तीय पुनर्गठन प्रस्ताव किया था। प्रस्ताव अंतर मंत्रालय परामर्श के लिए परिचालित किया गया था। व्यय विभाग और योजना आयोग से संशोधित टिप्पणियां मांगी गई हैं।

इस दौरान बीआईएफआर ने 25 अगस्त, 2011 को आयोजित अपनी सुनवाई में प्रचालन एजेंसी (भारतीय स्टेट बैंक) को भारत सरकार के ऋण को साम्या में परिवर्तित करने पर विचार करते हुए एमएफएल का वित्तीय पुनर्गठन तैयार करने का निर्देश दिया है।

(ii) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) ने हाल में उर्वरक विभाग के विचारार्थ वित्तीय पुनर्गठन और पुनर्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है तथा उसे बीआरपीएसई को भेजने की सिफारिश की है।

(ङ) यदि परिकल्पित प्रस्ताव के अनुसार एचएफसीएल और एफसीआईएल के बंद पड़े आठ संयंत्रों का पुनरुद्धार हो जाता है तो प्रति वर्ष लगभग नौ मिलियन टन की अतिरिक्त क्षमता का सृजन होगा।

(च) और (छ) एमएफएल और बीवीएफसीएल को योजना ऋण के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आबंटित योजना ऋण का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	बीवीएफसीएल	एमएफएल
2008-09	19.98	12.97
2009-10	65.00	96.99
2010-11	45.00	74.50
2011-12	67.80	88.95

विवरण-I

देश में यूरिया, डीएपी एवं एनपीके का उत्पादन करने वाली प्रमुख यूरिया इकाइयों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	कार्य कर रही इकाइयों की सं.
1.	आंध्र प्रदेश	4
2.	असम	2
3.	बिहार	-
4.	छत्तीसगढ़	-
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	8
7.	हरियाणा	1
8.	झारखंड	-
9.	कर्नाटक	1
10.	केरल	2
11.	मध्य प्रदेश	2
12.	महाराष्ट्र	5
13.	ओडिशा	2
14.	पंजाब	2
15.	राजस्थान	3
16.	तमिलनाडु	4
17.	उत्तर प्रदेश	7
18.	पश्चिम बंगाल	1
	कुल	45

विवरण-II

बंद/रुग्ण संयंत्रों का पुनरुद्धार

क्र.सं.	बंद/रुग्ण संयंत्रों का नाम	इकाइयों के बंद/रुग्ण होने के कारण
बंद पीएसयू उर्वरक संयंत्र		
1.	फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की सिंदरी इकाई	लगातार घाटा होने के कई कारण हैं जिनमें पुरानी प्रौद्योगिकी, डिजाइन और उपकरण में खामियां, बिजली की कमी, औद्योगिक संबंधों में समस्याएं, अधिशेष जनशक्ति और संसाधनों की कमी।
2.	फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की गोरखपुर इकाई	
3.	फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तलचर इकाई	
4.	फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की रामागुण्डम इकाई	
5.	कोरबा (कभी चालू नहीं हुई)	
6.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड की बरौनी इकाई	
7.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड की दुर्गापुर इकाई	
8.	हल्दिया (कभी चालू नहीं हुई)	
रुग्ण पीएसयू उर्वरक संयंत्र		
9.	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) के नामरूप संयंत्र	• बीवीएफसीएल के नामरूप-II और नामरूप-III संयंत्र पुरानी और विंटेज प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। • अपकेन्द्रित कंप्रेसरों और टर्बाइनों की न्यून दक्षता
10.	मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड	(i) यूरिया संयंत्र के पुनरुद्धार के बाद कुछ डिजाइन समस्याओं के कारण संयंत्र का बार-बार बंद होना, जिससे क्षमता उपयोग कम हुआ, वित्तीय कमी और नकदी की समस्या हुई। (ii) कंपनी को नई मूल्य-निर्धारण योजना (एनपीएस) के लागू होने के बाद से पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला क्योंकि एनपीएस में प्रतिपूर्ति देने/ऋण पर ब्याज का भुगतान करने, ऋण की अदायगी और मूल्य-ह्रास का प्रावधान नहीं था।

[हिन्दी]

विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव

1577. श्री एन. पीताम्बर कुरूप:
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्री शिवकुमार उदासी:
श्री संजय दिना पाटील:
श्री मधुसूदन यादव:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री निशिकांत दुबे:
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्य सरकारों विशेष रूप से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, केरल से विभिन्न रेल परियोजना के लिए परियोजना-वार, प्राप्त ऐसे प्रस्तावों/अनुरोधों का ब्यौरा क्या है जो कि अभी रेलवे के निर्णय/अनुमोदन के लिए विचाराधीन/लंबित हैं:

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित ऐसे प्रस्तावों/अनुरोधों का परियोजना-वार और राज्य-वार प्राप्त ऐसे प्रस्तावों/अनुरोधों का ब्यौर क्या है जो कि अभी भी रेलवे के निर्णय/अनुमोदन के लिए विचाराधीन/लंबित हैं; और

(ग) ऐसी अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परियोजना-वार और राज्य-वार निर्धारित/आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जन औषधि विक्रय केंद्रों की स्थापना

1578. श्री राम सिंह कस्वां:
कुमारी मीनाक्षी नटराजन:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान सहित राज्य सरकारों द्वारा स्थापित जन औषधि विक्रय केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकारी अस्पतालों में ऐसे विक्रय केन्द्रों की अनिवार्य रूप से स्थापना के संबंध में केन्द्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या शेष राज्यों में ऐसे विक्रय केन्द्र खोलने के लिए कोई समय-सीमा तय की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या विद्यमान जन औषधि केन्द्रों ने जीवन रक्षक औषधियों का जेनरिक प्रोटोटाप बेचना शुरू कर दिया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) देश में जेनरिक औषधि को लोकप्रिय करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) अब तक राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 117 जन औषधि बिक्री केंद्र खोले जा चुके हैं। देशभर में खोले गए इन जन औषधि बिक्री केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौर के रूप में संलग्न हैं।

(ख) और (ग) सभी के लिए वाज़िब मूल्यों पर गुणवत्तायुक्त जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकारी अस्पतालों में जन औषधि बिक्री केन्द्र खोलने के लिए नवम्बर, 2008 में औषधि विभाग, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जन औषधि स्कीम के अनुसार प्रारंभ में ऐसे प्रत्येक जिले में कम से कम एक जन औषधि बिक्री केन्द्र खोलने का विचार था जहां कहीं सरकारी अस्पतालों अथवा अन्य उचित स्थानों पर जन औषधि बिक्री केन्द्रों के लिए स्थान आबंटित करने के मामले में तथा इन जन औषधि बिक्री केन्द्रों की प्रबंध व्यवस्था के लिए गैर-सरकारी संगठनों, धर्मार्थ/सहकारी/अस्पतालों तथा सरकारी निकायों में से अभिकरणों की पहचान करने के मामले में भी राज्य सरकारें अपना सहयोग-समर्थन देती हों।

(घ) और (ङ) चूंकि जन औषधि बिक्री केन्द्र खोलना इस बात पर निर्भर करता है कि ऐसे बिक्री केन्द्रों के लिए स्थान का आवंटन करने तथा उनकी प्रबंध व्यवस्था के लिए अभिकरणों की पहचान करने में संबंधित राज्य सरकार कितना सहयोग-समर्थन देती है इसलिए देश के शेष राज्यों में जन औषधि बिक्री केन्द्र खोलने की कोई समय-सीमा निर्धारित करना कठिन होगा।

(च) और (छ) जन औषधि बिक्री केन्द्रों का कार्य ब्रांडरहित जेनेरिक दवाइयां बेचना है जिनमें जीवन-रक्षक औषधियां भी शामिल हैं।

(ज) जन औषधि बिक्री केन्द्रों में बेची जाने वाली ब्रांडरहित दवाइयों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से भारतीय औषध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ब्यूरो (बीपीपीआई) के सहयोग/परामर्श से औषध विभाग की ओर से उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा मल्टीमीडिया प्रचार कार्यक्रम शुरू किया गया। जन औषधि अभियान के संबंध में उपभोक्ताओं के लाभ के लिए नि:शुल्क हेल्पलाइन भी स्थापित की गई है।

विवरण

दिनांक 15-03-2012 तक खोले गए जन औषधि बिक्री केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	राज्य	जिला
1	2	3
1.	पंजाब	सिविल अस्पताल, अमृतसर
2.		सिविल अस्पताल, मौहाली
3.		सिविल अस्पताल, भटिंडा
4.		सिविल अस्पताल, लुधियाना
5.		सिविल अस्पताल, जालंधर
6.		सिविल अस्पताल, पटियाला*
7.		सिविल अस्पताल, मोगा
8.		सिविल अस्पताल, फरीदकोट
9.		सिविल अस्पताल, फिरोजपुर
10.		सिविल अस्पताल, मनसा
11.		सिविल अस्पताल, संगरूर
12.		सिविल अस्पताल, बरनाला
13.		सिविल अस्पताल, फतेहगढ़ साहिब*
14.		सिविल अस्पताल, रूपनगर (रोपड़)*
15.		सिविल अस्पताल, नवांशहर (शहीद भगत सिंह नगर)
16.		सिविल अस्पताल, होशियार पुर
17.		सिविल अस्पताल, तरण तारण
18.		सिविल अस्पताल, मुक्तसर
19.		सिविल अस्पताल, गुरदासपुर
20.		सिविल अस्पताल, कपूरथाला
21.		सिविल अस्पताल, पठानकोट
22.		सिविल अस्पताल, अबोहर
23.	दिल्ली	शास्त्री भवन, नई दिल्ली
24.		गुरू तेग बहादुर अस्पताल, शाहदरा
25.		दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, हरि नगर
26.	हरियाणा	हरियाणा सिविल अस्पताल, गुडगांव**
27.		सिविल अस्पताल, पंचकुला
28.		बी.के. अस्पताल, फरीदाबाद**
29.		सिविल अस्पताल, यमुना नगर **
30.	राजस्थान@	कंवतिया अस्पताल जयपुर
31.		जयपुरिया अस्पताल, जयपुर
32.		सरकारी जिला अस्पताल, अलवर
33.		सरकारी जिला अस्पताल, सवाई माधोपुर
34.		सरकारी जिला अस्पताल, श्री गंगा नगर-1
35.		सरकारी जिला अस्पताल, श्री गंगा नगर-2
36.		सरकारी जिला अस्पताल, उदयपुर
37.		सरकारी जिला अस्पताल, बंसवाड़ा
38.		सरकारी जिला अस्पताल, झालावाड़
39.		सरकारी जिला अस्पताल, केशवराव पत्तन
40.		सरकारी जिला अस्पताल, बुन्दी
41.		सरकारी जिला अस्पताल, भवानी मंडी

1	2	3
42.		सरकारी जिला अस्पताल, जालौर
43.		सरकारी जिला अस्पताल, खानपुर (झालावाड)
44.		सरकारी जिला अस्पताल, चुरू
45.		सरकारी जिला अस्पताल, झुनझुन
46.		सरकारी जिला अस्पताल, राज गढ़ (अलवर)
47.		सरकारी जिला अस्पताल, ब्यावर
48.		सरकारी जिला अस्पताल, हनुमानगढ़
49.		सरकारी जिला अस्पताल, सोनेल (झालावाड़)
50.		सरकारी जिला अस्पताल, रामपुरा (कोटा 1)
51.		सरकारी जिला अस्पताल, एमबीए हॉस्पीटल (कोटा 2)
52.		सरकारी जिला अस्पताल, राजसमंद
53.		सरकारी जिला अस्पताल, भीलवाड़ा
54.		सरकारी जिला अस्पताल, पाली
55.		सरकारी जिला अस्पताल, ओंसिया जोधपुर
56.		सरकारी जिला अस्पताल, डूंगरपुर
57.		सरकारी जिला अस्पताल, मंडोर, जोधपुर
58.		सरकारी जिला अस्पताल, सागवाडा
59.		सरकारी जिला अस्पताल, टोंक 1
60.		सरकारी जिला अस्पताल, निवाही (टोंक 2)
61.		सरकारी जिला अस्पताल, बीकानेर
62.		सरकारी जिला अस्पताल, प्रतापगढ़
63.		सरकारी जिला अस्पताल, बिजय नगर
64.		सरकारी जिला अस्पताल, बाड़मेर (अजमेर)
65.		सरकारी जिला अस्पताल, दौसा
66.		सरकारी जिला अस्पताल, हनुमानगढ़
67.		सरकारी जिला अस्पताल, भरतपुर
68.		सरकारी जिला अस्पताल, मालपुरा (टोंक)
69.		सरकारी जिला अस्पताल, लालसूत
70.		सरकारी जिला अस्पताल, सीरोही
71.		सरकारी जिला अस्पताल, सिकर-1
72.		सरकारी जिला अस्पताल, सिकर-2
73.		सरकारी जिला अस्पताल, बंदी कुई
74.		सरकारी जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, कोटा-3
75.		सरकारी जिला अस्पताल, नीम का थाना
76.		सरकारी जिला अस्पताल, जेसलमेर
77.		सरकारी जिला अस्पताल, सुजात सिटी-1
78.		सरकारी जिला अस्पताल, सिटि-2
79.		सरकारी जिला अस्पताल, अजमेर
80.		सरकारी जिला अस्पताल, भिंडर
81.		सरकारी जिला अस्पताल, धोलपुर
82.		सरकारी जिला अस्पताल, तारनपुर
83.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापट्नम पोर्ट ट्रस्ट अस्पताल
84.		निजाम इंस्टीटयूट ऑफ मेडीकल साइंसिस, (एनआईएमएस) हैदराबाद**
85.		उप्पल इंडस्ट्रीयल एम्पलादज हेल्थ केयर सेन्टर, उप्पल
86.	ओडिशा	ओडिशा केपीटल अस्पताल, भुवनेश्वर

1	2	3
87.		रेड क्रॉस भवन, यूनिट-XI, भुवनेश्वर
88.		सरकारी जिला अस्पताल, खोरधा
89.		सरकारी जिला अस्पताल, धेनकनाल
90.		सरकारी जिला अस्पताल, कोरापुत
91.		सरकारी जिला अस्पताल, आंगुल
92.		सरकारी जिला अस्पताल, नवरंगपुर
93.		सरकारी जिला अस्पताल, बाड़ागढ़
94.		सरकारी जिला अस्पताल, नयागढ़
95.		सरकारी जिला अस्पताल, बेरमपुर
96.		सरकारी जिला अस्पताल, जजपुर
97.		सरकारी जिला अस्पताल, पुरी
98.		सरकारी जिला अस्पताल, नौपदा
99.		सरकारी जिला अस्पताल, बारीपदा मयूरभंज
100.	पश्चिम बंगाल	एम. आर. बांगरूर अस्पताल, कोलकाता
101.		एन.आर.एस.मेडीकल कॉलेज एंड अस्पताल, कोलकाता
102.		हावडा जिला अस्पताल, हावडा
103.	उत्तराखंड	दून अस्पताल; देहरादून
104.		जिला अस्पताल, रूड़की
105.	चंडीगढ़	पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़
106.		गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सेक्टर-32
107.		मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल, सेक्टर-16
108.	जम्मू और कश्मीर	रेड क्रास बिल्डिंग, एक्सचेंज रोड, श्रीनगर
109.		जिला अस्पताल, लेह
110.	हिमाचल प्रदेश	इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला
111.		जोनल अस्पताल, मंडी
112.		सिविल अस्पताल, उना
113.		जोनल अस्पताल, टांडा
114.		जोनल अस्पताल, धर्मशाला
115.		सिविल अस्पताल, सोलन
116.		रिजीनल अस्पताल, चम्बा
117.		दीन दयाल उपाध्याय जोनल हॉस्पीटल, शिमला

*न्यायालय के आदेश के कारण पंजाब में मोहाली और पटियाला में स्थिति बंद कर दिए जन औषधि बिक्री केन्द्रों को पुन: खोलने की प्रक्रिया चल रही है। प्रशासनिक कारणों से फतेहगढ़ साहिब तथा रूपनगर स्थित 02 जन औषधि बिक्री केन्द्र कार्य नहीं कर रहे हैं।

**हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव और यमुना नगर में 03 जन औषधि बिक्री केन्द्र तथा एनआईएमएस, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में स्थित 01 जन औषधि बिक्री केन्द्र और हिमाचल प्रदेश के चम्बा में स्थित जन औषधि बिक्री केन्द्र प्रशासनिक कारणों से कार्य नहीं कर रहे हैं।

@राजस्थान के मामले में राजस्थान सरकार की नवीनतम स्वास्थ्य नीति के अनुसार दिनांक 02 अक्टूबर, 2011 से उपचार के लिए राज्य के सरकारी अस्पतालों में आने वाले सभी अंतरंग रोगियों तथा बहिरंग रोगियों को नि:शुल्क दवाइयां दी जा रही हैं। तदनुसार, दवाओं के लिए नि:शुल्क वितरण केन्द्र खोलने के अलावा राज्य सरकार ने राज्य में मौजूदा सभी 53 जन औषधि बिक्री केन्द्रों को नि:शुल्क वितरण केन्द्रों में बदल दिया है। राज्य में जन औषधि बिक्री केन्द्रों के संचालन से संबंधित मामले को प्रबंध निदेशक, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, राजस्थान सरकार के साथ उठाया गया हैं।

एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत बकाया

[अनुवाद]

1579. श्री प्रबोध पांडा:
श्रीमती मेनका गांधी:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
प्रो. रंजन प्रसाद यादव:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री आर. थामराईसेलवन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत श्रमिकों को देय बकाया धनराशि का राज्य-वार पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देय बेरोजगारी भत्ते हेतु दिनों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त बकाया को जारी करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के प्रावधान इस अधिनियम की धारा 4(i) के अन्तर्गत राज्यों द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं के जरिए लागू किए जाते हैं। सभी राज्य सरकारों को एमजीएनआरईजी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लाभार्थियों को बेरोजगारी भत्ता के भुगतान सहित मजदूरी का भुगतान करना होता है। अधिकृत एमजीएनआरईजीए आवेदक को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करना इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार एक कानूनी आवश्यकता है। इस अधिनियम की धारा 7(3) से 7(6) के अनुसार, बेरोजगारी भत्ते के भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार पर है और इसकी मंजूरी एवं वितरण कार्यक्रम अधिकारी अथवा ऐसे स्थानीय प्राधिकारी, जैसाकि राज्य सरकार अधिसूचित करे, द्वारा किया जाना होता है। बेरोजगारी भत्ते का भुगतान इसके बकाया होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर किया जाएगा और बेरोजगारी भत्ते के भुगतान की प्रक्रियाविधि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जानी होती है। दिनों की संख्या के संबंध में जानकारी जिसके लिए वर्ष 2010-11 के पहले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एमजीएनआरईजीए के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता बकाया था, उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2010-11 से दिनों की संख्या के ब्यौरे, जिसके लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) में यथासूचित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बेरोजगारी भत्ता बकाया है, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) धारा 22(2) के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को अपनी संबंधित योजना के अंतर्गत देय बेरोजगारी भत्ता की लागत का वहन करना होता है। समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे मजदूरी के भुगतान की तरह उसी तर्ज पर अधिकृत कामगारों को बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के संबंध में इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करें।

विवरण

दिनों की संख्या, जिनका राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बेरोजगारी भत्ता बकाया है

क्र.सं.	राज्य	2010-11	2011-12 (15.3.12 की स्थिति के अनुसार)
		बकाया बेरोजगारी भत्ता दिनों की संख्या	बकाया बेरोजगारी भत्ता दिनों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	0	40
2.	अरूणाचल प्रदेश	345	30892
3.	असम	4082	8414
4.	बिहार	340031	631223
5.	छत्तीसगढ़	12437	8860
6.	गोवा	160	244
7.	गुजरात	70365	6254
8.	हरियाणा	28	12881
9.	हिमाचल प्रदेश	4518	1327
10.	जम्मू और कश्मीर	176265	115891
11.	झारखंड	4840	6928
12.	कर्नाटक	149793	3227
13.	केरल	11167	2405
14.	मध्य प्रदेश	36231	24586
15.	महाराष्ट्र	29917	113395
16.	मणिपुर	300810	386352
17.	मेघालय	27713	4518
18.	मिजोरम	238500	254304
19.	नागालैंड	16	855
20.	ओडिशा	12250	1982

1	2	3	4
21.	पंजाब	3546	4909
22.	राजस्थान	48350	12956
23.	सिक्किम	29760	24565
24.	तमिलनाडु	165566	409631
25.	त्रिपुरा	2333	9292
26.	उत्तर प्रदेश	367239	170523
27.	उत्तराखंड	58055	97010
28.	पश्चिम बंगाल	58319	41865
29.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	24347	299
30.	चंडीगढ़	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0
32.	दमन और दीव	0	0
33.	लक्षद्वीप	3424	1445
34.	पुडुचेरी	105	1011
	कुल	2180512	2388084

गेल की पाइपलाइन परियोजना

1580. श्री पी. करुणाकरन:
श्री एम.बी. राजेश:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय गैस प्राधिकरण लि० (गेल) की कोच्चि-मैंगलोर पाइपलाइन परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या हैं;

(ख) इस पाइपलाइन को बिछाने के संबंध में सरकार को प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने ऐसे मुद्दों पर ध्यान देने के लिए क्या कदम उठाए हैं:

(ग) भूमि के अधिग्रहण और इस पाइपलाइन से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं;

(घ) क्या केरल सरकार ने भूमि के उपयोग के अधिकार (आरओयू) हेतु मुआवजा धनराशि में वृद्धि करने की मांग है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०पी०एन० सिंह): (क) पाइपलाइन परियोजना में दो चरण शामिल हैं, प्रथम चरण में कोच्चि क्षेत्र में 40 कि.मी. पाइपलाइन बिछाए जाने की योजना है, जिसमें से अब तक 33.5 कि.मी. लम्बी पाइपलाइन को वेल्ड करते हुए बिछा दिया गया है। प्रथम चरण को वित्त वर्ष 2012-13 में चालू कर दिया जाएगा। दूसरे चरण में कोच्चि से बंगलोर/मंगलोर तक पाइपलाइन बिछाने की योजना है। अब तक, पाइपलाइन बिछाने की संविदाएं जनवरी, 2012 में प्रदान की गई हैं तथा उपकरण और जनशक्ति को जुटाने का कार्य प्रगति पर है। दूसरे चरण की प्रत्याशित कार्य पूर्णता वित्त वर्ष 2013-14 में है।

(ख) पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (पी एण्ड एम पी अधिनियम) की धारा 3(1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्ता के अधिकार (आरओयू) के अधिग्रहण के आशय की घोषणा संबंधी प्राप्त शिकायतों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुना गया और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनका निपटान कर दिया गया।

(ग) भूमि, जिस पर पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव है, के सभी स्वामियों को पी एण्ड एम पी अधिनियम की धारा 3(1) के तहत भूमि अधिग्रहण के आशय के राजपत्र प्रकाशन के बाद आपत्तियां, यदि कोई हैं, आमंत्रित करते हुए, नोटिस दिए जाते हैं। भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अधिग्रहण करने के लिए जिम्मेदार सक्षम प्राधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार का कार्यरत अधिकारी) तहसील स्तर पर सुनवाई करता है, जहां आपत्तियों की सुनवाई की जाती है तथा गैस पाइपलाइन के संबंध में किसी प्रकार की शंकाओं, भ्रांतियों को दूर करने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं। ऐसी सुनवाइयों के दौरान पाइपलाइन का पुन: मार्ग निर्धारण करने के लिए भू-स्वामियों से प्राप्त सुझावों पर भी विधिवत विचार किया जाता है, बशर्ते कि उनको तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त पाया गया हो।

क्षेत्र में प्रचलित, भूमि के 10% बाजार मूल्य की दर से भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार के अधिग्रहण के लिए मुआवजा अदा किया जाता है। बाजार मूल्य का निर्धारण, परामर्शदाताओं/रजिस्टरियों की प्रति/क्षेत्र में सर्कल दर के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया

जाता है। अन्य प्रकार की क्षतियों के लिए मुआवजा जैसे खड़ी फसल, सिंचाई सुविधाओं को क्षति, यदि कोई हुई है, के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित दर से भुगतान किया जाता है।

लाइन बिछाए जाने से पूर्व गेल स्थानीय प्रशासन के साथ बातचीत करती है और उन्हें लाइन के मार्ग के बारे में सूचित करती है तथा ग्रामीणों की स्थानीय समस्याओं को कम करने के लिए कदम उठाए जाते हैं।

(घ) और (ङ) दूसरे चरण के संबंध में मुआवजे के निर्धारण की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है।

[हिन्दी]

गैस मूल्यनिर्धारण फार्मूला

1581. श्री हर्ष वर्धन:
श्री ताराचन्द भगोरा:
श्री डी.बी. चन्द्रे गौड़ा:
श्री रामसिंह राठवा:
श्री अवतार सिंह भडाना:
श्री जी.वी. हर्ष कुमार:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) *क्या सरकार द्वारा प्राकृतिक गैस के लिए 2007 में अनुमोदित 4.2 डालर प्रति यूनिट के साथ वर्तमान गैस मूल्य निर्धारण फार्मूला अब व्यावहारिक नहीं है क्योंकि भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड और पेट्रोनेट एलएनजी (पीएलएल) इनके द्वारा 2008 तक दिये गए 2.5 डालर प्रति यूनिट मूल्य की तुलना में आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के लिए 14 डालर प्रति यूनिट तक देती रही है;*

(ख) यदि हां, तो इस बारे में रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) ने क्या चिंताए व्यक्त की हैं;

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और आरआईएल द्वारा अपने केजी डी-6 बेसिन में उत्पादित की जा रही गैस के वर्तमान मूल्य निर्धारण फार्मूले को बदलने और देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित के मूल्य में एकरूपता लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) देश में प्राकृतिक गैस के कम घरेलू उत्पादन के क्या कारण हैं और क्या प्राकृतिक गैस का मूल्य भी इसका एक कारण है; और

(ङ) यदि देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस के मूल्य में वृद्धि की मांग स्वीकार कर ली जाती है तो देश में प्राकृतिक गैस के मूल्य में कितनी वृद्धि हो सकती है और उपभोक्ताओं पर इसके क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) गैस के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों का घरेलू गैस के उत्पादन की लागत या घरेलू गैस का उत्पादन करने वाली कम्पनियों की साध्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और नाइकों रिसोर्सेज लि. (नाइको) के परिसंघ द्वारा प्रचालित ब्लाक केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 की पीएससी के अनुसार, संविदाकार ने सरकार के अनुमोदर्नाथ एक मूल्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिस पर अधिकार प्राप्त मंत्री समूह (ईजीओएम) द्वारा विचार किया गया था। ईजीओएम ने कुछ संशोधनों के साथ आरआईएल द्वारा प्रस्तुत मूल्य सूत्र को अनुमोदित किया है जिसके आधार पर ब्लाक केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 से उत्पादित वर्तमान एनईएलपी गैस प्रति बैरल 60 अमरीकी डालर से अधिक या बराबर कच्चे तेल के मूल्य पर 4.2 अमरीकी डालर प्रति मिलियन मीट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) बैठती है।

(ख) और (ग) 6 सितम्बर, 2010 को रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) ने इस मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया था। कि उनका प्रस्ताव ईजीओएम द्वारा अनुमोदित दर से अधिक दर पर गैस खरीदने का है और उन्होंने मार्गदर्शन चाहा कि पीएससी के अनुसार कैसे कार्यवाही की जाए। आरआईएल को सूचित किया गया कि ईजीओएम ने आपूर्ति आरंभ करने की तारीख से 5 वर्ष के लिए उपर्यक्त मूल्य को अनुमोदित किया है और आरआईएल को अनुदेश दिया गया कि ईजीओएम द्वारा निश्चित मूल्य का अनुपालन करें।

(घ) इस मंत्रालय के अधीन हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय ने सूचित किया है कि उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत प्राकृतिक गैस का उत्पादन (अप्रैल, 10 से फरवरी, 11) के दौरान उत्पादित 24.675 बीसीएम की तुलना में (अप्रैल, 11-फरवरी, 12) के दौरान 20.046 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) था। ऐसा, क्षेत्र विकास योजना (एफडीपी) में अनुमोदित उत्पादन दरों की तुलना में ब्लाक केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 में डी-1 और डी-3 गैस क्षेत्रों से मुख्यतया गैस का उत्पादन कम होने के कारण है। डीजीएच द्वारा यथा उल्लिखित उपर्युक्त क्षेत्रों से गैसों के कम उत्पादन होने का कारण आरंभिक विकास योजना (एआईडीपी) की प्रबंधन समिति (एमसी) द्वारा अनुमोदित परिशिष्ट में परिकल्पित संख्या की तुलना में विकास कूपों (उत्पादकों) का कम संख्या में वेधन करना है। इसके अलावा,

डी-1 और डी-3 क्षेत्रों में उत्पादन करने वाले अठारह (18 में से छ: (6) कूपों में पानी भर जाने/रेत भर जाने के कारण, गैस का उत्पादन बंद हो गया है। उपर्युक्त ब्लाक में एमए क्षेत्र के मामले में तेल/गैस का उत्पादन करने वाले छ: (6) कूपों में से एक (1) कूप में पानी भर जाने के कारण इसमें भी उत्पादन बंद कर दिया गया हैं। इसके अतिरिक्त, पुराने और परिपक्व क्षेत्र, कूप छिद्रों आदि में शीघ्र जल एवं रेत भर जाने जैसे कारणों से पीएससी व्यवस्था के तहत अन्य मुख्य गैस उत्पादक क्षेत्रों जैसे पन्ना-मुक्ता, मध्य और दक्षिण ताप्ती, राव्वा, सीबी-ओएस/2, पीवाई-1, आदि में भी गैस के उत्पादन में गिरावट आई है।

(ङ) प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल विभिन्न उत्पादों के निर्माण में फीडबैक ऊर्जा के रूप में किया जाता है। गैस आबंटन प्राथमिकता के अनुसार, प्राकृतिक गैस का आबंटन उर्वरकों क्षेत्र, एलपीजी, विद्युत सीजीडी और अन्य के क्रम में किया जाता हैं। गैस के मूल्य में किसी भी वृद्धि से उत्पाद के अन्तिम मूल्यों में तद्नुरूपी वृद्धि होगी। जिस सीमा तक उर्वरकों क्षेत्र और एलपीजी क्षेत्र द्वारा गैस की खपत की जाती है, मूल्य वृद्धि का सीधा प्रभाव राजसहायता भार के रूप में सरकार पर पड़ता है।

दवाओं के मूल्य में वृद्धि

1582. डॉ. क्रुपारानी किल्ली:
श्री कपिल मुनि करवारिया:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के महीनों के दौरान दवाओं के मूल्यों में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मूल्यवर्धित कर के लागू होने से जीवनरक्षक दवाओं के मूल्यों में वृद्धि की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने दवाओं के मूल्य नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा करने के लिए एक अधिकार-प्राप्त समिति का गठन किया है/या गठन करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दवाओं के मूल्यों पर नियंत्रण के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) सितम्बर, 2011 के महीने के लिए आईएमएस स्वास्थ्य मासिक एसएसए रिपोर्ट के अनुसार 61016 फार्मूलेशन पैकों के मूल्यों के संबंध में वृद्धि/कमी का ब्यौरा इस प्रकार हैं:

	उक्त महीने के दौरान मूल्यों में हुए परिवर्तन	दवाइयों (पैकों) की संख्या	कुल प्रतिशत
क.	मूल्य घटे	410	0.67%
ख.	मूल्य बढ़े	1080	1.77%
	(क) 5% तक	543	0.89%
	(ख) 5% से अधिक और 10% तक	527	0.86%
	(ग) 10% से अधिक और 20% तक	10	0.02%
	(घ) 20% से अधिक	-	-
ग.	मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया	59526	97.56%
	कुल	61016	100.00%

उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा जारी थोक मूल्य सूचकांकों के अनुसार निम्नलिखित स्थिति सामने आई है:

थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2004-05)

वर्ष	सभी वस्तुएं	प्रतिशत वृद्धि	औषधियां और दवाइयां	प्रतिशत वृद्धि
2006-2007	111.35	-	102.56	-
2007-2008	116.63	4.74	108.11	5.41
2008-2009	126.02	8.05	111.41	3.05
2009-2010	130.81	3.80	112.72	1.17
2010-2011	143.32	9.56	115.40	2.38
2011-2012 (जनवरी, 11- -जनवरी,12)	157.70	6.55	121.30	3.94

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय।

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2006-07 से वर्ष 2011-12 तक के दौरान सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की तुलना में औषधियों और दवाइयों के मूल्यों में वृद्धि आमतौर पर कम रही हैं।

(ग) और (घ) जीवन रक्षक औषधियां/दवाइयां डीपीसीओ, 1995 के अंतर्गत परिभाषित नहीं हैं। तथापि, वेट राज्यों का विषय है और एक राज्य से दूसरे राज्य में यह भिन्न-भिन्न हैं। दवाइयों के मूल्यों पर वेट के प्रभाव के संबंध में सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(ङ) और (च) औषध विभाग ने स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित तात्विकता और आवश्यकता के मानदण्डों के आधार पर प्रारूप राष्ट्रीय औषध मूल्य नीति, 2011 (एनपीपीपी-2011) तैयार की थी। इस प्रारूप राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति, 2011 (एनपीपी-2011) को, जिसमें कैंसर रोधी दवाइयां भी शामिल हैं सभी संबंधित मंत्रालयों/संबंधित पक्षों के पास भेजा गया था। यह प्रारूप औषधि नीति किसी भी अन्य इच्छुक व्यक्ति की टिप्पणियों के लिए इस विभाग की वेबसाइट www.pharmaceuticals.in पर भी दिनांक 30.11.2011 तक उपलब्ध थी। सभी संबंधित पक्षों से प्राप्त हुए विचारों की जांच की जा रही ताकि उन्हें मंत्रियों के समूह के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अधीन 74 अनुसूचित बल्क औषधियों और इन अनुसूचित औषधियों में से किसी भी अनुसूचित औषधि वाले फार्मूलेशनों के मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित औषधियों/फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारित अथवा संशोधित किए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी अनुसूचित औषधि/फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारित अथवा संशोधित किए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी अनुसूचित औषधि/फार्मूलेशन को एनपीपीए/सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर नहीं बेच सकता है।

जो औषधियां, औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अधीन नहीं आती हैं अर्थात गैर अनुसूचित औषधियां हैं, उनके मामले में सरकार/एनपीपीए से अनुमोदन लिए बिना ही निर्माता स्वयं मूल्य निर्धारित करते हैं। तथापि, मूल्य मॉनीटरिंग कार्य के अंग के रूप में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) गैर अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव की नियमित आधार पर जांच करता है। आईएमएस स्वास्थ्य की मासिक रिपोर्टों और अलग-अलग निर्माताओं द्वारा दी गई सूचना का उपयोग गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग के प्रयोजन हेतु किया जाता हैं। जहां कहीं 10 प्रतिशत वार्षिक से अधिक मूल्य वृद्धि का पता चलता है वहां निर्माता से कहा जाता है कि वह स्वेच्छा से मूल्य घटाए, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए जनहित में फार्मूलेशन का मूल्य निर्धारित करने के लिए औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1995 के पैराग्राफ 10 (ख) के अधीन कार्यवाही की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

गैर अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग के आधार पर एनपीपीए ने पैरा 10 (ख) के अधीन 30 फार्मूलेशन पैकों के मामले

में मूल्यों का निर्धारण किया है, और कंपनियों ने 65 फार्मूलेशन पैकों के मामले में स्वच्छा से मूल्य घटाए हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर गैर अनुसूचित औषधियों के 95 पैकों के मूल्य एनपीपीए के हस्तक्षेप के परिणामत: घटे हैं।

एमएसडीपी के अंतर्गत विकास कार्य

1583. श्री राम सुन्दर दास:
डॉ. संजीव नाईक:
श्री निशिकांत दुबे:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश भर में पहचान किए गए अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बहु-क्षेत्रक विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के अंतर्गत कई विकास कार्यों का जिम्मा लिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में अनुमोदित राज्य-वार और कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान परियोजनाओं के संबंध में स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) चालू वर्ष के दौरान उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त, अनुमोदित और लम्बित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) लंबित प्रस्तावों को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने इसके कार्यान्वयन हेतु कार्यक्रम की कोई समीक्षा की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा वर्तमान वर्ष के दौरान झारखंड सहित विभिन्न राज्यों के लिए स्वीकृत एवं उनमें कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण-1 में हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार स्वीकृत धनराशि, अवमुक्त धनराशि एवं उपयोग में लायी गयी धनराशि के ब्यौरे विवरण-2 में हैं।

(घ) और (ङ) वर्तमान वर्ष के दौरान कथित कार्यक्रमों के तहत प्राप्त प्रस्तावों, स्वीकृत प्रस्तावों तथा लंबित प्रस्तावों के राज्य-वार ब्यौरे विवरण-3 में हैं।

(च) और (छ) बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लिए शक्तिप्राप्त समिति केन्द्र स्तर पर ओवरसाइट कमिटी का कार्य भी करती है तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर भी निगरानी रखती है। अब तक ओवरसाइट कमिटी के 36 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित बैठकों के माध्यम से भी प्रगति की समीक्षा की जाती है।

विवरण I

विभिन्न राज्यों के लिए स्वीकृत एवं कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2008-09 में स्वीकृत परियोजनाएं (कोष्ठक में यूनिटों की संख्या का उल्लेख है)
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश	इंदिरा आवास योजना (56807), स्वास्थ्य (180), आंगनवाड़ी केन्द्र (4910), पेय जल आपूर्ति जल आपूर्ति (2346), स्कूल भवन (7), आईटीआई (3), सोक पिट रिचार्ज (50) अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (48)
2.	पश्चिम बंगाल	आंगनवाड़ी केन्द्र (1716), स्वास्थ्य सुविधा (178), इंदिरा आवास योजना (4130), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (80), एसएसके (80),
3.	हरियाणा	अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (63), आंगनवाड़ी केन्द्र (71), इंदिरा आवास योजना (1000), मेवात मोडल स्कूल का सुदृढ़ीकरण (6), जन स्वास्थ्य केन्द्र (5), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (1)

1	2	3
4.	असम	इंदिरा आवास योजना (19857), पेय जल आपूर्ति (3732), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (732)
5.	मणिपुर	इंदिरा आवास योजना (5940), स्कूल भवन (231), प्रसूति गृह (152), पेय जल आपूर्ति एवं रिंग वेल (522), छात्रावास (1), वाटर टैंक (15)
6.	बिहार	अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (134), स्कूल भवन (11), आंगनवाड़ी केन्द्र (3074), एपीएचसी (13), एपीएचसी का सुदृढ़ीकरण (6)
7.	मेघालय	इंदिरा आवास योजना (500), हैंड पम्प (998), कुओं की खुदायी (303), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (25), कम्प्यूटर कक्ष (25)
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	आंगनवाड़ी केन्द्र (35)
9.	झारखंड	इंदिरा आवास योजना (7574), पीएचसी (94), आंगनवाड़ी केन्द्र (555)
10.	ओडिशा	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
11.	केरल	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
12.	कर्नाटक	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
13.	महाराष्ट्र	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
14.	मिजोरम	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
15.	जम्मू और कश्मीर	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
16.	उत्तराखंड	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
17.	मध्य प्रदेश	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
18.	दिल्ली	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
19.	सिक्किम	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
20.	अरूणाचल प्रदेश	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2009-10 में स्वीकृत परियोजनाएं (कोष्ठक में यूनिटों की संख्या का उल्लेख है)
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश	इंदिरा आवास योजना (21000), स्वास्थ्य (705), आंगनवाड़ी केन्द्र (3219), पेय जल आपूर्ति (6642), स्कूल भवन (4), आईटीआई (2), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (419), स्कूल में शौचालय (78)
2.	पश्चिम बंगाल	इंदिरा आवास योजना (12646), स्वास्थ्य सुविधा (581), आंगनवाड़ी केन्द्र (4642), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (3842), पेय जल आपूर्ति (3546), छत्रावास (3) सौर लालटेन (5000), स्कूल (39)

1	2	3
3.	हरियाणा	स्कूल भवन (1)
4.	असम	सौर लालटेन (9905), प्रयोगशाला (40) स्कूल (142), आंगनवाड़ी केन्द्र (1305), इंदिरा आवास योजना (45453), स्वास्थ्य सुविधा (79), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (249)
5.	मणिपुर	पेय जल आपूर्ति (392), स्कूल भवन (138), पेय जल आपूर्ति के लिए जीएफपीडब्ल्यूएस को लगाना (41), आंगनवाड़ी केन्द्र (75), आईटीआई (1), आईडब्ल्यूडीपी (6000 हे.)
6.	बिहार	एपीएचसी, एचएससी (122), एपीएचसी का सुदृढ़ीकरण (4) अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (203), छात्रावास (5) प्रयोगशाला कक्ष (51), शौचालय एवं जल आपूर्ति (324), सरकार द्वारा शामिल मदरसा (49), इंदिरा आवास योजना (5000), हैंड पम्प (150), सौर प्रकाश (385), इनसिनरेटर युक्त लघु कक्ष (37), प्रयोगशाला उपकरण (14)
7.	मेघालय	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
9.	झारखंड	इंदिरा आवास योजना (1641), आंगनवाड़ी केन्द्र (650), सौर प्रकाश लाइट (1124), अतिरिक्त कक्ष ब्लॉक (1), कम्प्यूटर प्रयोगशाला (1)
10.	ओडिशा	इंदिरा आवास योजना (5740)
11.	केरल	एचएससी (10)
12.	कर्नाटक	इंदिरा आवास योजना (1667), आंगनवाड़ी केन्द्र (148), स्वास्थ्य (15), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (50)
13.	महाराष्ट्र	आंगनवाड़ी केन्द्र (40), 6 स्लीप्ड बैंक हैबिटेशन में जल आपूर्ति योजनाएं हैंड पम्प (60), सोलर सबमर्सिबल पम्प (16), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (15), लकड़ी की फ्लोरिंग वाले शयन कक्ष (6), लकड़ी के फ्लोरिंग वाले डायनिंग हॉल (3), लकड़ी की फ्लोरिंग वाले मनोरंजन कक्ष (3), आवासीय छात्रावासों में सौर उर्जा युक्त स्नानगार (48), आवासीय छात्रावासों में किचन (3), वार्डेन के लिए सौर उर्जाकृत कक्षों का निर्माण (7), शौचालय
14.	मिजोरम	इंदिरा आवास योजना, (890), प्रसुति गृह सहित एचएससी (6), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (14), स्कूल भवन (17) आकस्मिकता कक्ष, (2), महिला एवं पुरूष वार्ड (1)
15.	जम्मू और कश्मीर	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
16.	उत्तराखंड	आंगनवाड़ी केन्द्र (412)
17.	मध्य प्रदेश	आंगनवाड़ी केन्द्र (200)
18.	दिल्ली	अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (80) शौचालय (17)
19.	सिक्किम	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
20.	अरूणाचल प्रदेश	राज्य सरकार से प्रस्ताव/ प्लान नहीं हुए

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2010-11 में स्वीकृत परियोजनाएं (कोष्ठक में यूनिटों की संख्या का उल्लेख है)
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश	इंदिरा आवास योजना (3091), स्वास्थ्य (38), आंगनवाड़ी केन्द्र (698), पेय जल आपूर्ति (2162), स्कूल भवन (45), पोलीटेक्नीक (18), आईटीआई (17), छात्रावास (7), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (90)
2.	पश्चिम बंगाल	अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (2802), छात्रावास (512), इंदिरा आवास योजना (19477), पेय जल आपूर्ति (404), स्वास्थ्य सुविधास (76), आईटीआई (1), पोलीटेक्नीक (2), प्रयोशाला (45)
3.	हरियाणा	स्कूल भवन (1)
4.	असम	शौचालय (220), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (962), स्वास्थ्य सुविधा (19), विज्ञान प्रयोगशाला (47), कम्प्यूटर कक्ष (21), छात्रावास (4), इंदिरा आवास योजना (11880), आंगनवाड़ी केन्द्र (312), पेय जल आपूर्ति
5.	मणिपुर	छात्रावास (13), स्कूल भवन (2)
6.	बिहार	आंगनवाड़ी केन्द्र (821), छात्रावास (20), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (984), प्रयोगशाला कक्ष (11), हैंड पम्प (1689), सोलर स्ट्रीट प्रकाश एवं लालटेन (13900)
7.	मेघालय	स्कूलों के लिए आधुनिक शिक्षण ब्लॉक (4), छात्रावास (5), आंगनवाड़ी केन्द्र (81)
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	स्कूलों के लिए आधुनिक शिक्षण सहायता प्रदान करना (25)
9.	झारखंड	एचएससी (77), छात्रावास (4), आंगनवाड़ी केन्द्र (130), अतिरिक्त कक्षा ब्लॉक (1), आईटीआई (1)
10.	ओडिशा	प्राथमिक विद्यालय छात्रावासों (64), आईटीआई छात्रावासों में पेयजल तथा शौचालय सुविधा में सुधार (2)
11.	केरल	लैब सुविधा युक्त अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, (तीन गांवों) की जल आपूर्ति का संवर्धन, पोलीटेक्नीक का उन्नयन (1)
12.	कर्नाटक	इंदिरा आवास योजना (2733), आंगनवाड़ी केन्द्र (293), स्वास्थ्य (6), छात्रावास (26)
13.	महारष्ट्र	बालिका छात्रावास (6), इंदिरा आवास योजना (1613), आंगनवाड़ी केन्द्र (30)
14.	मिजोरम	आंगनवाड़ी केन्द्र (166) इंदिरा आवास योजना (1380), छात्रावास (9), एचएससी एंड पीएचसी (13), पेय जल आपूर्ति (10)
15.	जम्मू और कश्मीर	आईटीआई का सुदृढ़ीकरण (1)
16.	उत्तराखंड	अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (48), स्कूल भवन (2), हैंड पम्प (17), कम्प्यूटर कक्ष (17), शौचालय (17), पीएचसी (1), पोलीटेकनीक (2), आंगनवाड़ी केन्द्र (43), प्रयोगशाला (3), एससी (23)
17.	मध्य प्रदेश	इंदिरा आवास योजना (100), बालिका छात्रावास (1)

1	2	3
18.	दिल्ली	जल आपूर्ति योजना का सुदृढ़ीकरण (130)
19.	सिक्किम	आंगनवाड़ी केन्द्र (56), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (19), स्वास्थ्य सुविधा (1), जल आपूर्ति योजना (4), इंदिरा आवास योजना (250)
20.	अरूणाचल प्रदेश	इंदिरा आवास योजना (5029), स्कूल भवन (40), आंगनवाड़ी केन्द्र (499), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (202), बालिका छात्रावास (68), प्रसुति गृह (2), बालक छात्रावास (3), कम्प्यूटर कक्ष (6), स्कूल में शौचालय (2), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष के साथ मेडिकल सब सेंटर (1) एचएससी (15), पीएचएससी (2), विज्ञान प्रयोगशाला (10)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2011-12 में स्वीकृत परियोजनाएं (कोष्ठक में यूनिटों की संख्या का उल्लेख है)
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश	इंदिरा आवास योजना (2350), आंगनवाड़ी केन्द्र (182), पेय जल आपूर्ति (834), स्कूल भवन (3), आईटीआई (1), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (81)
2.	पश्चिम बंगाल	आईटीआई (6), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (5), इंदिरा आवास योजना (46), आंगनवाड़ी केन्द्र (5), पेय जल आपूर्ति (2), पोलीटेक्नीक (1), कम्युनिटी शौचालय (66)
3.	हरियाणा	आंगनवाड़ी केन्द्र (19)
4.	असम	छात्रावास (32), आईटीआई (12), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (546), इंदिरा आवास योजना (12596), आंगनवाड़ी केन्द्र (275), पेय जल आपूर्ति (4430), शौचालय (374), कम्प्यूटर कक्ष (27) पुस्तकालय (44), स्वास्थ्य सुविधा (34), पोलीटेक्नीक (1),
5.	मणिपुर	छात्रावास (22), पेय जल आपूर्ति (4), स्कूल भवन (40.50), पाइप लाइन का विस्तार (1)
6.	बिहार	स्कूल भवन (28), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (577), इंदिरा आवास योजना (277), छात्रावास (15), पहुच मार्ग (15.355 कि.मी.), डीआईईटी भवन (1), आईटीआई में अवसंरचना विकास (1), एचएससी (40)
7.	मेघालय	आवंटन पूर्णतः स्वीकृत
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
9.	झारखंड	केकेएम कॉलेज में अतिरिक्त अवसंरचना (25), छात्रावास (2), पीएचसी एंड एचएससी (27)
10.	ओडिशा	आवंटन पूर्णतः स्वीकृत
11.	केरल	आवंटन पूर्णतः स्वीकृत
12.	कर्नाटक	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
13.	महाराष्ट्र	आवंटन पूर्णतः स्वीकृत

1	2	3
14.	मिजोरम	पेय जल आपूर्ति (14), इंदिरा आवास योजना (488)
15.	जम्मू और कश्मीर	पालीटेक्नीक का उन्नयन (1)
16.	उत्तराखंड	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
17.	मध्य प्रदेश	बालिका छात्रावास (3)
18.	दिल्ली	आईटीआई में महिला स्कधं (1), स्कूल भवन (2), डिस्पेंसरी, मेडिकल मोबाइल यूनिट (4), स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम
19.	सिक्किम	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
20.	अरूणाचल प्रदेश	इंदिरा आवास योजना (596), स्कूल भवन (9), आंगनवाड़ी केन्द्र (58), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (18), बालिका छात्रावास (27), पीएचएससी (6)

विवरण II

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 (14.3.2012 तक) राज्य-वार स्वीकृत, अवमुक्त तथा उपयोग में लायी गयी धनराशि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	प्रायुक्त धनराशि यथासंसूचित
1	2	3	4	5
1.	ओडिशा	3129.92	2562.21	2083.24
2.	केरल	1500.00	945.43	707.74
3.	मध्य प्रदेश	1493.30	1398.30	909.35
4.	पश्चिम बंगाल	68579.68	56773.3	35110.11
5.	हरियाणा	4919.90	4042.05	2461.68
6.	झारखंड	16353.55	10887.25	6551.86
7.	महाराष्ट्र	5993.93	5311.30	2752.22
8.	मणिपुर	13886.13	12043.01	7131.46
9.	जम्मू और कश्मीर	1500.00	1193.00	593.79
10.	उत्तर प्रदेश	1002429.14	75383.37	34761.34
11.	बिहार	50592.65	39039.00	16750.45
12.	मेघालय	3039.67	2606.65	1044.57

1	2	3	4	5
13.	असम	67103.03	45403.12	13850.6
14.	मिजोरम	4519.07	2716.69	793.38
15.	सिक्किम	1468.54	1032.61	295.24
16.	अरूणाचल प्रदेश	11711.69	7050.67	2015.75
17.	कर्नाटक	3988.15	2709.58	634.6
18.	उत्तराखंड	5871.70	3041.47	609.3
19.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	247.47	622.76	-
20.	दिल्ली	2191.15	1099.73	-

विवरण III

प्राप्त प्रस्तावों, स्वीकृत प्रस्तावों तथा लंबित प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2011-12 में प्राप्त एवं स्वीकृत परियोजनाएं (कोष्ठक में यूनिटों की संख्या का उल्लेख है)
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश	इंदिरा आवास योजना (2350), आंगनवाड़ी केन्द्र (182), पेय जल आपूर्ति (834), स्कूल भवन (3), आईटीआई (1), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (81)
2.	पश्चिम बंगाल	आईटीआई (6), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (5), इंदिरा आवास योजना (46), आंगनवाड़ी केन्द्र (5), पेयजल आपूर्ति (2), पोलीटेक्नीक (1), कम्युनिटी शौचालय (66)
3.	हरियाणा	आंगनवाड़ी केन्द्र (19)
4.	असम	छात्रावास (32), आईटीआई (12), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (546), इंदिरा आवास योजना (12596), आंगनवाड़ी केन्द्र (275), पेय जल आपूर्ति (4430), शौचालय (374), कम्प्यूटर कक्ष (27), पुस्तकालय (44), स्वास्थ्य सुविधा (34), पोलीटेक्नीक (1),
5.	मणिपुर	छात्रावास (22), पेय जल आपूर्ति (4), स्कूल भवन (40.50), पाइप लाइन का विस्तार (1)
6.	बिहार	स्कूल भवन (28), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (577), इंदिरा आवास योजना (277), छात्रावास (15), पहुंच मार्ग (15.355 कि.मी.), डीआईईटी भवन (1), आईटीआई में अवसंरचना विकास (1), एचएससी (40)
7.	मेघालय	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नही हुए

1	2	3
9.	झारखंड	केकेएम कॉलेज में अतिरिक्त अवसंरचना (25), छात्रावास (2), पीएचसी एंड एचएससी (27)
10.	ओडिशा	आवंटन पूर्णत: स्वीकृत
11.	केरल	आवंटन पूर्णत: स्वीकृत
12.	कर्नाटक	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
13.	महाराष्ट्र	आवंटन पूर्णत: स्वीकृत
14.	मिजोरम	पेय जल आपूर्ति (14), इंदिरा आवास योजना (488)
15.	जम्मू और कश्मीर	पालीटेक्नीक का उन्नयन (1)
16.	उत्तराखंड	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
17.	मध्य प्रदेश	बालिका छात्रावास (3)
18.	दिल्ली	आईटीआई में महिला स्कंध (1), स्कूल भवन (2), डिस्पेंसरी, मेडिकल मोबाइल यूनिट (4), स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम
19.	सिक्किम	राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्लान प्राप्त नहीं हुए
20.	अरूणाचल प्रदेश	इंदिरा आवास योजना (596), स्कूल भवन (9), आंगनवाड़ी केन्द्र (58), अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (18), बालिका छात्रावास (27), पीएचएससी (6),

लंबित प्रस्ताव:

क्र.सं.	राज्य	प्रस्ताव	लंबित रहने के कारण
1	2	3	4
1.	असम	आंगनवाड़ी केन्द्र, पेय जल आपूर्ति विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष और बालिकाओं के लिए शौचालय सुविधा	प्रस्तावों के विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने तथा कुछ मामलों में अपूर्ण प्रस्ताव होने के कारण। इन प्रस्तावों की मंजूरी संबद्ध राज्यों द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्रस्तुत किए जाने वाले स्पष्टीकरण पर निर्भर हैं।
2.	सिक्किम	स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष	
3.	झारखंड	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनवाड़ी केन्द्र, पोलीटेक्नीक संस्थान	
4.	बिहार	कम्प्यूटर प्रयोगशाला, पोलीटेक्नीक संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	

1	2	3	4
5.	उत्तर प्रदेश	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और छात्रावास	
6.	अरूणाचल प्रदेश	छात्रावास	
7.	उत्तराखंड	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	
8.	केरल	पोलिटेक्निक में छात्रावास, पोलिट्क्नीक और आईटीआई का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन, स्कूलों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, छात्रावास, आईसीटी उपकरण, कम्युनिटी फिनिसिंग स्कूल, स्कूलों में स्वच्छता और उच्चतर शिक्षा के विकास हेतु प्रस्ताव	आवंटित धनराशि पूर्णत: उपयोग में ली गयी। इसलिए इस वित्त वर्ष में कोई नई योजना शुरू नहीं की जा सकी।

भूमि अतिक्रमण

1584. श्री माणिकाराव होडल्या गावित:
श्री गोपाल सिंह शेखावत:
डॉ. विनय कुमार पाण्डेय:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम और रेल अधिनियम का संशोधन करने और रेल भूमि/रेलपथ पर अतिक्रमणों/अनधिकार प्रवेशी की समस्या का समाधान करने के लिए कार्यबल गठित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार अतिक्रमण और अनधिकार प्रवेशी के कितने मामले सूचित किए गए हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे अतिक्रमणों से बेदखल किए गए व्यक्तियों की राज्य-वार और जोन-वार संख्या कितनी है;

(ङ) क्या कतिपय अधिकारियों को ऐसे अतिक्रमण को रोकने में अपने कर्तव्यों के प्रति अवहेलना का दोषी पाया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) भारतीय रेल के पास लगभग 4.31 लाख हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से लगभग 981 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमणाधीन है, जो कि कुल भूमि का 0.23 प्रतिशत बनता है। रेलें अतिक्रमण के संबंध में राज्य-वार आंकड़े नहीं रखती है। बहरहाल, इस समय अतिक्रमण की जोन-वार स्थिति में दी गयी है। 31.03.2011 को उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण सहित लगभग 1,34,841 अदद अतिक्रमण है, पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 5336 अदद भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। रेलें भेद्य स्थलों पर चारदीवारी, बाड़ वृक्षारोपण आदि करके रेलवे भूमि/परिसंपत्ति को अतिक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए निरंतर कवायद करती रहती हैं।

(ङ) और (च) अपने कर्तव्यों के प्रति रेल अधिकारियों की ओर से लापरवाही का कोई मामला अभी तक प्रकाश में नहीं आया है।

विवरण

अतिक्रमण की जोन-वार स्थिति

रेलवे जोन	31.03.2011 को अतिक्रमणधीन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
मध्य	63.52
पूर्व	21.35
पूर्व मध्य	4.28
पूर्व तट	21.52
उत्तर	220.26
उत्तर मध्य	47.98
पूर्वोत्तर	28.18
पूर्वोत्तर सीमा	167.48
उत्तर पश्चिम	167.48
दक्षिण	61.90
दक्षिण मध्य	13.37
दक्षिण पूर्व	162.94
दक्षिण पूर्व मध्य	48.96
दक्षिण पश्चिम	16.25
पश्चिम	41.52
पश्चिम मध्य	40.86
कुल	980.92

रेल समपारों पर रेल उपरिपुल

1585. श्री गोपाल सिंह शेखावत:
श्री जोसेफ टोप्पो:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषकर राजस्थान सहित देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थिति सभी रेल समपारों पर रेल उपरिपुलों के निर्माण की कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी चालू परियोजनाओं का स्थल-वार ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थिति सभी रेल समपारों पर रेल उपरिपुल के निर्माण के लिए नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर पड़ने वाले समपारों/रेल फाटकों पर ऊपरी पुलों के निर्माण के लिए रेलवे, राज्य सरकार और सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय/ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ संयुक्त रूप से योजना बनाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के अंतर्गत पड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है।

विवरण

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण से संबंधित चालू परियोजनाओं का स्थानवार ब्यौरा

क्र. सं.	क्षेत्रीय रेलवे	ऊपरी/निचले सड़क पुलों का विवरण	समपार संख्या	रेलवे किलोमीटर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	उत्तर पश्चिम	मौजूदा 4 लेन वाले ऊपरी सड़क पुल के बदले नया 2 लेन वाला ऊपरी सड़क पुल, किशनगढ़-ब्यावर खंड	369/1	264.35	8

1	2	3	4	5	6
2.	उत्तर पश्चिम	श्री सीमेंट की प्रा. लाइन के साथ मौजूदा 2 लेन वाले ऊपरी सड़क पुल के बदले नया 3 लेन वाला पुल, किशनगढ़-ब्यावर	49/3	0/9-1/0	8
3.	उत्तर पश्चिम	समपार के बदले 6 लेन वाला ऊपरी सड़क पुल, किशनगढ़-ब्यावर खंड	4एक्स/3ई	284/5-6	8
4.	उत्तर पश्चिम	समपार के बदले 6 लेन वाला ऊपरी सड़क पुल, किशनगढ़-ब्यावर खण्ड	4ए/3ई	6.25	8
5.	उत्तर पश्चिम	सेंद्रा में समपार के बदले 4 लेन वाला ऊपरी सड़क पुल, ब्यावर-पिंडवाड़ा	-	361/8-9	14
6.	उत्तर पश्चिम	पाली बाईपास पर समपार के बदले 4 लेन वाला ऊपरी पुल, ब्यावर-पिडंवाड़ा खंड	बी-31	701/4-5	14
7.	उत्तर पश्चिम	शिवदासपुरा में समपार के बदले 6 लेन वाला ऊपरी सड़क पुल, जयपुर-देवली खंड	65-बी	103/4-103/3	12
8.	उत्तर पश्चिम	निवाड़ी में समपार के बदले 6 लेन वाला ऊपरी सड़क पुल, जयपुर-देवली	35-एक्स/ई	62+050	12
9.	उत्तर पश्चिम	रिंगस रेलवे स्टेशन के नजदीक 3 लेन वाला ऊपरी सड़क पुल, जयपुर-रिंगस	-	148.04	11
10.	उत्तर पश्चिम	अजमेर-चित्तौड़गढ़ के बीच ऊपरी सड़क पुल	4	6/1-2	8
11.	पश्चिम मध्य	दद्दादेवी-डकनिया तलेरा स्टेशनों के बीच 4 लेन वाला ऊपरी सड़क पुल (कोटा बाईपास)	-	907/7-9	76
12.	पश्चिम मध्य	कोटा-चित्तौड़गढ़ पर बुंदी-तलेरा स्टेशन के बीच मौजूदा 2 लेन वाले ऊपरी सड़क पुल के अतिरिक्त 2 लेन	-	31/5-6	12
13.	पश्चिम मध्य	नगदा-कोटा खंड पर रावता-दररा स्टेशनों के बीच 4 लेन वाला ऊपरी सड़क पुल	-	874/14-16	12
14.	पश्चिम मध्य	सवाईमाधोपुर-जयपुर खंड के बीच सवाईमाधोपुर में ऊपरी सड़क पुल	टी/2-10	1/9-10	116
15.	पश्चिम मध्य	कोटा-बरन, शिवपुरी रोड पर ऊपरी सड़क पुल	37	64/14-15	76
16.	उत्तर पश्चिम	धौलपुर-मोहारी खंड पर ऊपरी सड़क पुल	3	1292/13-14	3
17.	उत्तर पश्चिम	मदार-पालनपुर खंड अजमेर के बीच समपार संख्या 31 पर ऊपरी सड़क पुल	31	357/3-4	14

1	2	3	4	5	6
18.	उत्तर पश्चिम	एडमी-पालनपुर खंड, सिरोही के बीच ऊपरी सड़क पुल	121	590/1-2	14
19.	उत्तर पश्चिम	सदुलपुल-रतनगढ़ खंड चुरू के बीच ऊपरी सड़क पुल	168-सी	283/2-3	65
20.	उत्तर पश्चिम	सूरतगढ़-हनुमानगढ़ (सीएलएल) खंड श्रीगंगानगर के बीच ऊपरी सड़क पुल	सी-119	137/14-15	15
21.	उत्तर पश्चिम	फुलेरा-मदर खंड अजमेर के बीच ऊपर सड़क पुल	32	272/5-6	8
22.	उत्तर पश्चिम	सवाई माधोपुर-जयपुर, जयपुर के बीच ऊपरी सड़क पुल	65	103/9-104/0	65
23.	उत्तर पश्चिम	समदड़ी-मुनाबो खंड, बाड़मेर पर ऊपरी सड़क पुल	323ए	831/3-4	112
24.	उत्तर पश्चिम	बीकानेर-मेड़ता रोड खंड, बीकानेर के बीच ऊपरी सड़क पुल	34	538/1-2	89
25.	उत्तर पश्चिम	बीकानेर-मेड़ता रोड खंड, नागौर के बीच ऊपरी सड़क पुल	61	576-8-9	89
26.	उत्तर पश्चिम	मारवाड़ जंक्शन-बीआई खंड के बीच ऊपरी सड़क पुल, राजसमंद	114	48/4-5	8
27.	उत्तर पश्चिम	रिंगस-किशन मानपुर, सीकर पर ऊपरी सड़क पुल	108	148/9-149/0	11
28.	उत्तर पश्चिम	मेड़ता रोड-जोधपुर पर ऊपरी सड़क पुल	165	617/4-5	बाई पास

[अनुवाद]

'घरेलू शौचालय' की लागत

1586. श्री नरहरि महतो:
श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्रीमती ज्योति धुर्वे:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के तहत हर घर में एक शौचालय (आइएचएचएल) और बीपीएल वर्ग के शौचालय की इकाई लागत की गणना करने हेतु क्या मापदण्ड है;

(ख) उन बीपीएल परिवारों जो अपने घर में शौचालय बनाते हैं, को प्रोत्साहन राशि तय करने के लिए कौन-कौन से कारकों पर विचार किया जाता है;

(ग) क्या सरकार का विचार इकाई लागत 2500 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये करने का है जिसमें सरकार का देयांश 4000 रुपये होगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या संपूर्ण स्वच्छता अभियान की लक्ष्यपूर्ति हेतु सरकार का गरीबी रेखा से ऊपर के वर्ग (एपीएल) के लिए भी प्रोत्साहक उपाय करने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का पूर्ण स्वच्छता अभियान तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को समन्वित करते हुए हर घर में एक शौचालय, स्कूल शौचालय, आंगनवाड़ी शौचालय, निकास नाली और जलभरण स्थल का निर्माण इसके अंतर्गत करने का विचार है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय की कोई इकाई लागत विनिर्दिष्ट नहीं की गई है और न ही बीपीएल शौचालय के रूप में कोई श्रेणीकरण किया गया है।

(ख) सरकार टीएससी के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की समय-समय पर समीक्षा करती है ताकि स्वच्छता सुविधाएं सृजित करने और उनका उपयोग करने में बीपीएल परिवारों को पूरी तरह प्रेरित किया जा सके।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी, नहीं। टीएससी के अंतर्गत शुरू किए गए आईईसी क्रियाकलापों में परियोजना जिले के सभी ग्रामीण परिवारों को शामिल किया गया है ताकि सभी एपीएल परिवार प्रेरित होकर स्वयं पारिवारिक शौचालयों का निर्माण कर सकें। वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने वाले एपीएल परिवारों को कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध परिक्रामी निधि की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

(छ) और (ज) अकुशल और कुशल श्रमदिवसों की मजदूरियों के संबंध में एमजीएनआरईजीएस के साथ पहले ही तालमेल कर लिया गया है जैसा कि राजपत्र की अधिसूचना संख्या एसओ2266 (ई) दिनांक 30.09.2011 के जरिए अधिसूचित किया गया है। ये प्रावधान आईएचएचएल, विद्यालय शौचालयों, आंगनवाड़ी शौचालयों तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के लिए हैं। ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(i) वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के निर्माण के संबंध में अकुशल श्रम (6 श्रमदिवसों तक) और अकुशल श्रम (सामग्री घटक के अंतर्गत 2 श्रमदिवसों तक)।

(ii) आंगनवाड़ी शौचालय के निर्माण के संबंध में अकुशल श्रम (10 श्रमदिवसों तक) और कुशल श्रम (सामग्री घटक के अंतर्गत 3 श्रमदिवसों तक)।

(iii) विद्यालय शौचालय इकाई के निर्माण के संबंध में अकुशल श्रम (25 श्रमदिवसों तक) और कुशल श्रम (सामग्री घटक के अंतर्गत 8 श्रमदिवसों तक)।

(iv) कम से कम 10 सीटों वाले सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के संबंध में अकुशल श्रम (250 श्रमदिवसों तक) और कुशल श्रम (सामग्री घटक के अंतर्गत 85 श्रमदिवसों तक)। अपेक्षाकृत कम सीटों के लिए, अकुशल श्रम और कुशल श्रम में उसी अनुपात में कमी की जाएगी।

[अनुवाद]

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाएं

1587. श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया:
श्री घनश्याम अनुरागी:
श्री प्रहलाद जोशी:
श्री हेमानंद बिसवाल:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2005 से लेकर अब तक देश में राज्य-वार विशेषकर उत्तर प्रदेश से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित की गई बड़ी, मध्यम एवं लघु परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार विशेषकर गुजरात में आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो पूरी हो चुकी हैं तथा जो लंबित हैं; और

(घ) उन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या प्रयत्न किए गए हैं जो निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ग) 2005-06 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत पूरी की गई वृहद, मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं का उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है और एआइबीपी के अंतर्गत पूरी की गई सतही लघु सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है। चालू और एआईबीपी के अंतर्गत वित्तपोषित की जा रही एमएमआई परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण-3 में और सतही लघु सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है।

(ख) 2005-06 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत वृहद, मध्यम एवं सतही लघु सिंचाई परियोजनाओं को जारी की गई सहायता का गुजरात सहित राज्य-वार ब्यौरा विवरण-4 में दिया गया है।

(घ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाएं बनाना, इनकी आयोजना, निष्पादन एवं वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों से तथा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा परियोजनाओं की आवधिक निगरानी, जल संसाधन मंत्रालय में एआईबीपी के अंतर्गत समय-समय पर परियोजनाओं के लिए समीक्षा बैठकें आयोजित करने जैसे प्रयास किये गए हैं

विवरण I

एआईबीपी के अंतर्गत पूरी की गई परियोजनाएं (वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाएं)

क्र.सं.	राज्य	राशि (रुपए करोड़ में)						
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	3	3	4	0	2	0	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	3	1	0	1	0	0
4.	बिहार	0	2	0	0	1	0	0
5	छत्तीसगढ़	0	3	0	0	0	2	0
6.	गोवा	0	1	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	1	0	0	3	0	0
8.	हरियाणा	0	1	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	7	0	0	0	2	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	1	0	0	1	0	0
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	2	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	2	5	3	0	18	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	2	0	0	0	0	1	0
21.	पंजाब	0	1	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	3	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
24.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0
25.	तमिलनाडु	0	1	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	1	1	0	2	2	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	1	0	1	0	0

विवरण-II

2005 से एआईबीपी के अंतर्गत पूरी की गई एवं चालू सतही लघु सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2009-10			2010-11			2011-12			कुल		
		शामिल	पूर्ण	चालू	शामिल	पूर्ण	चालू	शामिल	पूर्ण	चालू	शामिल	पूर्ण	चालू
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	79	0	79	0	0	0	455	376	79
2.	असम	505	10	495	0	0	0	0	0	0	974	321	653
3.	मणिपुर	165	19	146	0	0	0	0	0	0	407	261	146
4.	मेघालय	23	0	23	49	0	49	0	0	0	152	78	74
5.	मिजोरम	0	0	0	58	9	49	0	0	0	240	191	49
6.	नागालैंड	0	0	0	177	104	73	96	0	96	586	513	73
7.	सिक्किम	0	0	0	225	0	225	0	0	0	288	63	225
8.	त्रिपुरा	37	13	24	0	0	0	0	0	0	204	180	24
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	191	0	191	0	0	0	298	107	191
10.	जम्मू और कश्मीर	12	0	12	0	0	0	217	0	217	451	261	190
11.	ओडिशा (केबीके)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	13	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	उत्तराखंड	20	14	6	492	0	492	40	0	40	1543	828	715
13.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	17	88	20	68
14.	छत्तीसगढ़	22	0	22	0	0	0	85	0	85	189	125	64
15.	मध्य प्रदेश	0	0	0	19	0	19	67	0	67	242	104	138
16.	महाराष्ट्र	0	0	0	46	0	46	0	0	0	186	90	96
17.	बिहार	0	0	0	32	0	32	0	0	0	92	60	32
18.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	34	14	20	0	0	0	057	37	20
19.	राजस्थान	7	1	6	0	0	0	0	0	0	7	1	6
20.	कर्नाटक	98	55	43	207	12	195	0	0	0	305	67	238
21.	झारखंड	0	0	0	285	0	285	171	0	171	285	0	285
	कुल लघु सिंचाई परियोजनाएं	889	112	777	1894	139	1755	693	0	693	7109	3696	3413

2005 से एआईबीपी के अंतर्गत पूरी की गई एवं चालू लघु सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2005-06			2006-07			2007-08			2008-09		
		शामिल	पूर्ण	चालू	शामिल	पूर्ण	चालू	शामिल	पूर्ण	चालू	शामिल	पूर्ण	चालू
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अरूणाचल प्रदेश	243	243	0	0	0	0	231	231	0	145	145	0
2.	असम	22	22	0	47	47	0	102	102	0	320	162	158
3.	मणिपुर	211	211	0	0	0	0	242	242	0	0	0	0
4.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	27	27	0	53	51	2
5.	मिजोरम	0	0	0	47	47	0	62	62	0	73	73	0
6.	नागालैंड	45	45	0	173	173	0	70	70	0	166	166	0
7.	सिक्किम	79	79	0	0	0	0	63	63	0	0	0	0
8.	त्रिपुरा	174	174	0	80	80	0	87	87	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	95	95	0	0	0	0	107	107	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	65	47	18	243	179	64	131	35	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	ओडिशा (केबीके)	0	0	0	0	0	0	20	7	13	40	6	34
12.	उत्तराखंड	517	517	0	16	16	0	976	762	214	39	36	3
13.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	59	14	45	0	0	0	29	6	23
14.	छत्तीसगढ़	0	0	0	39	39	0	70	70	0	58	16	42
15.	मध्य प्रदेश	0	0	0	17	12	5	140	65	75	66	27	39
16.	महाराष्ट्र	0	0	0	96	90	6	38	0	38	6	0	6
17.	बिहार	0	0	0	0	0	0	4	4	0	56	56	0
18.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	23	23	0	0	0	0
19.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल लघु सिंचाई परियोजनाएं	1386	1386	0	639	565	74	2505	2101	404	1182	779	403

विवरण III

एआईबीपी के अंतर्गत चालू एमएमआई परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	एआईबीपी के अंतर्गत चालू परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	21
2.	अरूणाचल प्रदेश	-
3.	असम	4
4.	बिहार	5
5.	छत्तीसगढ़	7
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	2
8.	हरियाणा	-
9.	हिमाचल प्रदेश	4
10.	जम्मू और कश्मीर	11
11.	झारखंड	6
12.	कर्नाटक	13
13.	केरल	4
14.	मध्य प्रदेश	16
15.	महाराष्ट्र	30
16.	मणिपुर	3
17.	मेघालय	1
18.	मिजोरम	-
19.	नागालैंड	-
20.	ओडिशा	12

1	2	3
21.	पंजाब	5
22.	राजस्थान	3
23.	त्रिपुरा	3
24.	तमिलनाडु	-
25.	उत्तर प्रदेश	8
26.	पश्चिम बंगाल	4

विवरण IV

2005-06 से 2011-12 तक एआईबीपी के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता

राशि (रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	311.382	843.422	987.769	855.180	1300.728	22.792	369.531
2.	अरूणाचल प्रदेश	18.000	27.000	47.180	33.958	30.780	48.635	30.409
3.	असम	34.933	30.269	77.338	405.954	589.973	406.403	365.810
4.	बिहार	16.238	3.230	62.240	109.703	77.913	55.754	0.000
5.	छत्तीसगढ़	7.665	10.705	96.964	193.040	60.885	174.811	201.466
6.	गोवा		1.910	32.480	39.230	20.250	20.000	0.000
7.	गुजरात	339.600	121.889	585.720	258.610	6.080	361.420	0.000
8.	हरियाणा	6.000	3.170	0.000	0.000	0.000		0.000
9.	हिमाचल प्रदेश	30.079	3.930	114.050	119.318	90.680	43.521	47.115
10.	जम्मू और कश्मीर	36.688	37.772	199.225	399.066	171.728	156.034	275.844
11.	झारखंड	5.037	1.290	9.224	.720	0.000	242.887	402.371
12.	कर्नाटक	140.776	160.373	349.900	442.419	823.828	567.759	193.673
13.	केरल	9.359	16.647	0.000	0.905	3.812	10.017	0.000
14.	मध्य प्रदेश	168.097	48.310	500.345	473.782	758.746	658.692	320.186
15.	महाराष्ट्र	167.382	465.521	972.250	2257.832	1395.395	2069.056	593.906
16.	मणिपुर	75.704	156.304	103.987	221.673	42.540	249.997	44.550
17.	मेघालय	1.575	0.750	1.160	24.801	22.502	110.195	81.300
18.	मिजोरम	9.315	14.235	34.343	50.718	36.450	51.092	37.899

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	नागालैंड	7.999	10.600	40.510	48.598	57.286	70.000	68.107
20.	ओडिशा	151.374	133.885	624.359	724.439	871.572	591.681	387.327
21.	पंजाब	26.317		13.500	9.540	22.050	140.476	0.000
22.	राजस्थान	90.295	11.600	156.530	178.620	157.577	41.920	0.000
23.	सिक्किम	0.911	3.324	3.240	0.000	2.605	14.364	33.714
24.	त्रिपुरा	31.995	22513	8.100	43.175	36.209	48.000	34.875
25.	तमिलनाडु			0.000	0.000	0.000		0.000
26.	उत्तर प्रदेश	133.128	81.895	150.690	315.473	238.082	432.538	208.968
27.	उत्तराखंड	80.439	84.730	265.650	371.658	127.006	160.060	232.751
28.	पश्चिम बंगाल	0.029	6.700	8.950	22.810	0.914	89.100	0.000
	कुल	1900.314	2301.972	5445.705	7598.221	6945.590	6837.203	3929.804

[अनुवाद]

आर्थिक जनगणना

1588. डॉ. सुचारू रंजन हल्दर:
डॉ. विनय कुमार पाण्डेय:

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की छठी आर्थिक जनगणना रिपोर्ट के संबंध में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) के हस्तक्षेप से देश में आर्थिक परिदृश्य का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या आंकड़ों के संग्रहण में विशेष राज्य भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) छठी आर्थिक जनगणना रिपोर्ट को कब तक पूर्ण किए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) जी, नहीं तथापि, सरकार प्रतिष्ठानों के आर्थिक कार्यकलापों के वर्गीकरण तथा गांव/वार्ड स्तर पर इनमें नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या के आधार पर देश में इनकी कुल संख्या के बारे में अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छठी आर्थिक गणना के आयोजन की योजना बना रही है, ताकि इसके आधार पर और आगे अनुवर्ती सर्वेक्षण के लिए इन प्रतिष्ठानों का एक फ्रेम विकसित किया जा सके। यह कार्य राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों के सहयोग से किया जाना है। छठी आर्थिक गणना के दौरान उपयोग के लिए केवल तीन अनुसूचियों अर्थात् आवास और प्रतिष्ठान लिस्टिंग अनुसूची; प्रतिष्ठान सार तथा प्रतिष्ठान अनुसूची की निर्देशिका डिजाइन करने के लिए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) की सेवाएं ली गई हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। ऊपर बताई गई तीनों अनुसूचियों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की अपेक्षानुसार 15 भाषाओं में अनूदित किया गया है। इसमें निम्नलिखित भाषाएं शामिल हैं:-

हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, कोंकणी, मणिपुरी, उड़िया, तमिल, उर्दू, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, तेलुगु, मराठी।

(च) स्कीम में प्रस्ताव है कि सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा फील्ड कार्य पूरा कर लिए जाने के बाद एक वर्ष के अंदर

अखिल-भारतीय रिपोर्ट जारी कर दी जाए। छठी आर्थिक गणना के फील्ड कार्य का आरंभ देश में फिलहाल चल रही सामाजिक-आर्थिक जातिगत गणना के संपन्न होने से जुड़ा है और गणना के फील्ड कार्य को सितम्बर/अक्तूबर, 2012 से फरवरी/मार्च, 2013 के बीच आरंभ करने का प्रस्ताव है।

पीएसयू के लेखे

1589. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने पिछले कई वर्षों से अपने लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन उपक्रमों के क्या नाम हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) लोक उद्यम विभाग केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के तीन वर्षों के लेखे आधार पर उनके कार्यनिष्पादन से संबंधित सूचना उपलब्ध कराता है। यदि लोक उद्यम सर्वेक्षण (जिसे प्रत्येक वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है) के प्रकाशन से पहले लेखा परीक्षित लेखे उपलब्ध नहीं करवाए जाते तो उस मामले में विभाग केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से अनंतिम लेखे स्वीकार करता है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ऑटोमोबाइल उद्योग

1590. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि, अधिक ब्याज दर और मुद्रास्फीति से देश में ऑटोमोबाइल क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में उत्पादन और निर्यात में कुल कितनी कमी आई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र को बाजार में मजबूती प्रदान करके कुछ राहत प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऑटोमोबाइल क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां। अन्य कारणों सहित बढ़ते ब्याज दर और ईंधन की कीमतों में वृद्धि होने की वजह से यह क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जिससे हाल के महीनों में मार्जिनल वृद्धि हुई है।

(ख) भारतीय ऑटोमोबाइल विनिर्माता एसोसिएशन सोसायटी (एसआईएएम) से प्राप्त सूचना के अनुसार, हाल के महीनों का उत्पादन और निर्यात के आकड़े निम्नानुसार है:-

अप्रैल 11-फरवरी-12 में	यात्री कार	यूवी	वैन्स
उत्पादन	2,257,505	329,287	216,486
वृद्धि दर (%)	2.59%	16.57%	10.40%
घरेलू बिक्री	1,786,249	326,824	212,881
वृद्धि दर (%)	0.31%	14.66%	10.01%
निर्यात	450,439	4,606	1,803
वृद्धि दर (%)	16.21%	34.40%	(-) 18.60%

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) ऑटोमोटिव मिशन प्लान (2006-16) के अनुसरण में अनेक कदम उठाए गए हैं और नई विदेश व्यापार नीति में अतिरिक्त प्रोत्साहनों के प्रावधान किए गए हैं जिससे देश में कारों की बिक्री और निर्यात को पर्याप्त रूप से बढ़ावा मिलेगा।

किसानों को उर्वरकों पर प्रत्यक्ष राजसहायता

1591. श्री राम सिंह राठवा: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों को सीधे उर्वरकों पर राजसहायता

प्रदान करने हेतु एक नई योजना तैयार करने हेतु पहले निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अब इस नई व्यवस्था को रोकने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी, हां।

(ख) लाभार्थियों को राजसहायता देने की प्रभावी नीति अपनाने के लिए सरकार ने किसानों को उर्वरकों, मिट्टी का तेल और एलपीजी पर सीधे राजसहायता देने की एक नई योजना बनाने के लिए पद्धतियां तैयार करने हेतु एक कार्यबल का गठन किया है।

कार्यबल ने जून 2011 में वित्त मंत्रालय को एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है (www.finmin.nic.in पर प्रकाशित), जिसमें वांछित लाभार्थियों को दीर्घावधि में उर्वरक राजसहायता का सीधा वितरण करने के लिए एक चरणबद्ध दृष्टिकोण की सिफारिश की है।

वर्तमान में, उर्वरक विभाग ने राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) की तकनीकी सहायता से मोबाइल उर्वरक निगरानी प्रणाली (एमएफएमएस) के लिए एक मोबाइल और वेब अनुप्रयोग विकसित किया है जिसमें राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर उर्वरक की स्टॉक स्थिति, बिक्री और प्राप्ति के बारे में सूचना उपलब्ध कराई गई है। उर्वरक कंपनियां, खुदरा व्यापारी और थोक व्यापारी एमएफएमएस पोर्टल (http://mfms.nic.in) पर आंकड़ों को अद्यतन बना सकते हैं या मोबाइल अनुप्रयोग का प्रयोग कर सकते हैं।

चरण-I के लिए प्रायोगिक परियोजना नवंबर 2011 में शुरू की गई थी और वर्तमान में इसे देशभर में लागू करने और स्थायी बनाने की प्रक्रिया चल रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सेटेलाइट फील्ड योजना

1592. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फ्लैगिंग कृष्णा-गोदावरी (केजी) डी-6 ब्लॉक में चार सेटेलाइट फील्ड विकसित करने के लिए रिलायन्स इण्डस्ट्रीज के 1.5 बिलियन रुपए की निवेश योजना को स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०पी०एन० सिंह):

(क) और (ख) रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और नाइको रिसोर्सेज लिमिटेड (नाइको) के परिसंघ द्वारा प्रचालित ब्लाक केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 की प्रबंधन समिति (एमसी) ने संविदाकार द्वारा ब्लाक में 1,529.05 मिलियन अमरीकी डालर के अनुमानित सेपैक्स से चार सेटेलाइट गैस खोजों नामत: डी-2, 6, 19 और 22 की इष्टतम क्षेत्र विकास योजना (ओएफडीपी) को दिनांक 03-01-2012 को अनुमोदित कर दिया है।

अनुमोदित ओएफडीपी की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

अनुमानित गैस भंडार	:	617 बीसीएफ
विकास कूपों की संख्या	:	8
अधिकतम गैस उत्पादन दर	:	10.36 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी)
क्षेत्र कार्य	:	8 वर्ष
गैस उत्पादन शुरू होने का संभावित समय	:	वर्ष 2016 के मध्य में

संविदाकार ने ओएफपीडी से संबंधित कार्यकलाप शुरू कर दिए हैं।

[हिन्दी]

ठेके पर पेट्रोल पम्प

1593. श्री अंजनकुमार एम. यादवः
डॉ. संजय सिंहः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभिन्न पेट्रोल पंपों को ठेके पर चलाया जा रहा है;

(ख) क्या ऐसे पेट्रोल पंपों को सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के अधिकारियों के संबंधियों द्वारा चलाया जा रहा है;

(ग) क्या इन पेट्रोल पंपों पर अधिकारियों की मिलीभगत से मिलावट, कम तेल मापने तथा अन्य अनियमिताएं बरती जा रही हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच/समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस जांच/समीक्षा के क्या निष्कर्ष निकले तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) अर्थात, इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसी) कुछ खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज) का प्रचलन कंपनी के स्वामित्व में कंपनी द्वारा प्रचालित (कोको) आधार पर करती हैं। खुदरा बिक्री केन्द्र के प्रांगण में स्टाफ सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है और सेवा प्रदाता ऐसी सेवाओं हेतु स्टाफ उपलब्ध करवाने के लिए कार्पोरेशन के साथ संविदा पर होता है। ऐसे कोको आरओज का प्रचलन संबंधित ओएमसी के नामजद आधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जाता है।

(ख) ओएमसीज के अधिकारियों के रिश्तेदारों द्वारा किसी कोको को प्रचालित किए जाने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ग) से (ङ) पिछले 4 वर्षो (दिसंबर, 2011 तक) के दौरान ओएमसीज द्वारा अधिकारियों की मिलीभगत से कोको आरसोज में अनियमितताओं की कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है तथापि, नवंबर, 2010 में आंध्र प्रदेश में बीपीसी के एक कोको में कम सुपुर्दगी का एक मामला दर्ज किया गया है। सेवा प्रदाता को कारण बताओं नोटिस/चेतावनी जारी की गई थी और सांविधिक प्राधिकारी द्वारा डिस्पेंसिंग यूनिट्स को पुनः अंशांकित किया गया था और उन पर सांविधिक प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन की मोहर लगाई गई थी।

प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का चयन

1594. श्री महेश्वर हजारीः क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु अनुमोदन देने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई है;

(ख) क्या मौजूदा प्रक्रिया संतोषजनक है;

(ग) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस योजना के तहत स्थानीय संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश की गई सड़कों का निर्माण करने के लिए अनुमोदन देने की प्रक्रिया क्या है;

(ङ) क्या सड़क निर्माण में स्थानीय संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश की गई सिफारिशों को प्राथमिकता दी जाती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क से जुड़ी पात्र बसावटों को बारहमासी सड़क से जोड़ना है। पीएमजीएसवाई के कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाविधि कार्यक्रम के अंतर्गत सड़क निर्माण के लिए अनुमोदन करने के लिए अपनाई जाती है। राज्य जांच के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) को विस्तृत परियोजना प्रस्ताव भेजते हैं। परियोजना प्रस्ताव की जांच के पश्चात एनआरआरडीए इसे अधिकार प्राप्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजती हैं। अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी के लिए इस पर विचार किया जाता है।

(घ) से (च) कार्यक्रम दिशा-निर्देश में यह संकल्पना की गई है कि जिला पंचायत संबंधित संसद सदस्यों से कोर नेटवर्क में से वार्षिक प्रस्ताव की मांग करेगी। निर्धारित तारीख तक जिला पंचायत में संसद सदस्यों से प्राप्त को पूरा महत्व दिया जाना चाहिए, जिसे शामिल नहीं किए जाने के प्रत्येक मामले में कारण दर्ज करना चाहिए और शामिल नहीं किए जाने की स्थिति के प्रत्येक मामले में उनके प्रस्तावों को शामिल किए जाने/नहीं किए जाने तथा उसके कारण के बारे में संसद सदस्यों को अवगत कराया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

न्यायिक सक्रियता

1595. डॉ० रत्ना डे: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में न्यायिक सक्रियता बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने न्यायिक सक्रियता के संबंध में कोई समिति गठित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है और यह न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यापक शक्तियों का प्रयोग करती है। तथापि, राज्य के तीनों अंगों ने कुल मिलाकर जांच और संतुलन के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए अपने-अपने प्रभाव-क्षेत्र के भीतर कार्य किया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

एफएसीटी के लिए वित्तीय सहायता

1596. श्री के. पी. धनपालन: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल में फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि. (एफएसीटी) के लिए वित्तीय सहायता/पैकेज देने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और आज की तारीख तक इसकी स्थिति क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ आबंटित और जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) भारत सरकार ने कंपनी के प्रचालनों को बनाए रखने के लिए मार्च, 2008 में फैक्ट को 200 करोड़ रुपए का सहायता-अनुदान जारी किया था। सरकार संयंत्रों के कुछ उपस्करों के नवीनीकरण और प्रतिस्थापन के लिए योजना निधि ऋण भी उपलब्ध करा रही है। पिछले पांच वर्षों में फैक्ट को उपलब्ध कराए गए योजना निधि ऋण का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	फैक्ट को आबंटित योजना ऋण
2007-08	15.00
2008-09	13.00
2009-10	34.00
2010-11	89.99
2011-12 (संशोधित अनुमान)	60.74

कंपनी ने वित्तीय पुनर्गठन तथा कार्यशील पूंजी आवश्यकता के लिए नकद अनुमान का एक प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया है। कंपनी को परामर्शदाता द्वारा तैयार एक विस्तृत वित्तीय पुनर्गठन प्रस्ताव प्राप्त करने का सुझाव दिया गया है ताकि उसे सार्वजनिक क्षेत्र पुनर्गठन उद्यम बोर्ड (बीआरपीएसई) को प्रस्तुत किया जा सके।

[अनुवाद]

सिग्नल अनुरक्षण

1597. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने सिग्नल अनुरक्षण के आधुनिकीकरण हेतु निधियां आबंटित की है; और

(ख) यदि हां, तो सिग्नल अनुरक्षण और इसके आधुनिकीकरण हेतु चालू योजना अवधि में व्यय की गई निधियों का जोन-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत सिगनल एवं दूरसंचार योजना शीर्ष संख्या 33 में सिगनल अनुरक्षण के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि आबंटित की गई है। सिगनल अनुरक्षण और इसके आधुनिकीकरण के लिए चालू योजना अवधि (2007-08 से 2011-12 तक) में उपयोग किए गए धन का जोनवार विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

क्षेत्रीय रेलवे	योजना शीर्ष 33 के अंतर्गत उपयोग की गई धनराशि
मध्य रेलवे	297.71
पूर्व रेलवे	551.58
उत्तर रेलवे	638.15
पूर्वोत्तर रेलवे	141.35
पूर्वात्तर सीमा रेलवे	205.87
दक्षिण रेलवे	286.53
दक्षिण मध्य रेलवे	450.5
दक्षिण पूर्व रेलवे	436.94
पश्चिम रेलवे	480.59
पूर्व मध्य रेलवे	454.5
पूर्व तट रेलवे	353.06
उत्तर मध्य रेलवे	663.08
उत्तर पश्चिम रेलवे	126.47
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	306.23
दक्षिण पश्चिम रेलवे	176.12
पश्चिम मध्य रेलवे	260.61
मेट्रो रेलवे	18.38
जोड़	5847.67

*वर्ष 2011-12 के लिए आंकड़े बजट अनुमानों पर आधारित हैं।

[हिन्दी]

प्रतिनिधिमण्डल के विदेशी दौरों पर व्यय

1598. श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान नए क्षेत्रों/बाजार की संभावना तलाशने के लिए तथा संयुक्त उद्यमों को स्थापित करने के लिए विभिन्न देशों में व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल भेजने पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय निकायों की भागीदारी से आयोजित प्रदर्शनियों और क्रेता/विक्रेता बैठकों में भारतीय लघु उद्यमों/उद्यमियों की भागीदारी के संबंध में व्यय किया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिए कुछ भागीदारों द्वारा गलत जानकारी/दस्तावेज देने के संबंध में सरकार को शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) से (ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा उसके संगठन प्रौद्योगिकी समावेश/उन्नयन के नए क्षेत्रों का पता लगाने, संयुक्त उपक्रमों को सुविधाजनक बनाने, एमएसएमई उत्पादों को बाजार बेहतर बनाने, विदेशी सहयोग और विदेशों तथा भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और क्रेता-वस्तुओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और सेमिनार आयोजित करने के लिए दूसरे देशों में एमएसएमई व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं।

पिछलें तीन वर्षो में प्रत्येंक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस मंत्रालय इस संबंध में किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित हैं:

(लाख रु. में)

योजना का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (फरवरी 2012 तक)
मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना	175.00	200.00	399.42	142.00

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय, विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) कार्यालय द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित हैं:

(लाख रुपए में)

योजना का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (16.3.2012 तक)
वि.आ.(एमएसएमई) कार्यालय की लघु उद्योग-बाजार विकास सहायता योजना	240.00	240.00	220.00	345.00

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित हैं:

(लाख रु. में)

योजना का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (फरवरी, 2012 तक)
एनएसआईसी का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम	503.35	629.20	779.96	695.93

(घ) सहभागियों द्वारा गलत सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने के संबंध में इस मंत्रालय को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

सिंचाई हेतु जल का उपयोग

1599. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांधों और रिजर्वायरों से सिंचाई कार्य हेतु जल के समुचित उपयोग के लिए कोई तंत्र मौजूद है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय, बांधों एवं जलाशयों से सिंचाई कार्य हेतु जल के उचित उपयोग के लिए कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम (सीएडी एंड डब्ल्यूएम) कार्यान्वित कर रहा है। वर्तमान में, कार्यक्रम को 16.25 मिलियन हेक्टेयर (एमएचए) के कृष्य कमान क्षेत्र (सीसीए) सहित 151 परियोजनाओं में कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रारंभ से, सीसीए के 19.69 एमएचए क्षेत्र को शामिल किया गया है और मार्च 2011 तक 472249.55 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है।

[हिन्दी]

लोअर पेनगंगा सिंचाई परियोजना

1600. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के लोअर पेनगंगा सिंचाई परियोजना में विलंब हो रहा हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस परियोजना को पूरा करने के लिए सहायता मुहैया कराने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार लोअर पेनगंगा सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, निचली पेनगंगा सिंचाई परियोजना संबंधी कार्य में विलंब हुआ है।

(ख) और (ग) इस परियोजना को पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) की सुविधा देने के लिए राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध एवं एआईबीपी के प्रचलित दिशानिर्देशों की पात्रता मानदण्ड के आधार पर परियोजनाओं को एआईबीपी के तहत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना

1601. श्री दारा सिंह चौहान: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) के अन्तर्गत बनाए गए नए मकानों की वर्ष-वार और राज्य-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) इस योजना पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई है;

(ग) क्या पीएमजीवाई के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस योजना से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना शुरू की थी। यह योजना वर्ष 2002-2003 में योजना आयोग को अंतरित कर दी गई थी। योजना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह योजना वर्ष 2005-06 से बंद कर दी गई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वार्षिक प्रतिवेदनों का जमा करना

1602. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत सभी कंपनियों के लिए सरकार को वार्षिक रिटर्न, बैलेन्स शीट आदि जमा करना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का निर्णय किया है जो आम वार्षिक बैठकें नहीं करती हैं और वार्षिक प्रतिवेदन जमा नहीं करती हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों की पहचान करने के लिए अपनाए गए तंत्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार को वार्षिक रिटर्न, बैलेन्स शीट आदि प्रस्तुत नहीं करने वाली कंपनियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उन कंपनियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) 2006-07 से 2009-10 हेतु तुलन-पत्र एवं वार्षिक विवरण दायर करने में चूक करने वाली कंपनियों, उनके निदेशकों/कंपनी सचिवों को दंडात्मक कार्रवाई के अतिरिक्त, चूक में सुधार तक, कुछ कार्यक्रम आधारित सूचना को छोड़कर कोई भी दस्तावेज दायर करने से वंचित कर दिया जाता है। इन चूककर्ता कंपनियों की एमसीए21 ई-गवर्नेंस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पहचान की जाती है।

(ङ) 19.3.2012 तक जिन कंपनियों ने पिछले तीन वर्षों हेतु अपना वार्षिक विवरण एवं तुलन पत्र दायर नहीं किया है उनकी संख्या निम्नवत् है:-

अवधि	वार्षिक विवरण	तुलन-पत्र
2008-09	189099	187673
2009-10	218087	216786
2010-11	309125	315262

राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उन कंपनियों के नाम, जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान अपने वार्षिक विवरण और तुलन-पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं

राज्य	2008-09		2009-10		2010-11	
	वार्षिक विवरण	तुलन पत्र	वार्षिक विवरण	तुलन पत्र	वार्षिक विवरण	तुलन पत्र
1	2	3	4	5	6	7
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	56	56	65	64	96	97
आंध्र प्रदेश	27883	27785	30985	31044	37849	38276
अरूणाचल प्रदेश	10	11	12	12	36	37
असम	231	237	274	266	861	941
बिहार	2875	2852	3332	3313	4506	4605
चंडीगढ़	1742	1723	1986	1968	2580	2645
छत्तीसगढ़	462	452	627	610	1388	1422
दमन और दीव	33	34	47	45	55	56
दिल्ली	36952	36742	42222	41989	60590	62268
दादरा और नगर हवेली	69	68	77	76	161	162
गोवा	1371	1365	1649	1655	2338	2408
गुजरात	13195	12995	14482	14326	18252	18374
हिमाचल प्रदेश	613	615	751	755	1093	1108
हरियाणा	2559	2553	2077	2974	4106	4187
झारखंड	946	941	1132	1130	1756	1782
जम्मू और कश्मीर	1137	1149	1243	1247	1493	1506
कर्नाटक	11187	11090	13262	13159	18515	18661
केरल	3355	3365	4442	4483	7522	7691
लक्षद्वीप	2	2	3	3	6	6
महाराष्ट्र	43929	43699	50039	49770	68933	70392
मेघालय	18	22	25	29	72	77
मणिपुर	19	19	19	19	30	31

1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश	2147	2088	2739	2704	4535	4638
मिजोरम	6	8	7	9	11	11
नागालैंड	28	31	32	32	50	54
ओडिशा	951	930	1336	1333	2625	2801
पंजाब	3455	3392	3939	3889	5310	5425
पुडुचेरी	291	299	376	400	628	652
राजस्थान	2298	2233	3099	3037	5862	5909
तमिलनाडु	21406	21284	24591	24517	32955	33379
त्रिपुरा	11	16	14	18	25	33
उत्तर प्रदेश	6498	6454	7431	7390	10862	10610
उत्तराखंड	457	458	559	566	883	896
पश्चिम बंगाल	2907	2705	4313	3954	13141	14122
कुल	189099	187673	218087	216786	309125	315262

प्रारुप राष्ट्रीय भेषज नीति

1603. श्री पी.आर. नटराजन: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात को संज्ञान में लिया है कि प्रारुप राष्ट्रीय भेषज नीति, 2011 की वजह से भेषज उद्योग में आलोचना का माहौल बन गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं? और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) औषध विभाग ने स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित तात्विकता और आवश्यकता के मानदण्डों के आधार पर प्रारुप राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति, 2011 (एनपीपीपी-2011) तैयार की है। इस प्रारुप राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति, 2011 (एनपीपीपी-2011) को सभी संबंधित मंत्रालयों/संबंधित पक्षों के पास भेजा गया है। यह प्रारुप औषधि नीति किसी भी अन्य इच्छुक व्यक्ति की टिप्पणियों के लिए दिनांक 30.11.2011 तक इस विभाग की वेबसाइट www.pharmaceuticals.gov.in पर भी उपलब्ध है। सभी संबंधित पक्षों से प्राप्त हुए विचारों की जांच की जा रही है ताकि उन्हें मंत्रियों के समूह को प्रस्तुत किया जा सके।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस

1604. श्री ई० जी० सुगावनम: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स (एचपीएफ) घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कर्मचारियों के लिए लम्बे समय से लम्बित मजदूरी संशोधन के बारे में अवगत है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार एचपीएफ को आधुनिकीकृत करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) इसे कब तक किए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों का घाटा निम्नानुसार है:-

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	निवल हानि	प्रचालन हानि
2008-09	890.26	13.73
2009-10	1009.21	13.46
2010-11	1156.65	11.84
2011-12 (फरवरी, 2012 तक)	1208.77	16.10

(ग) जी, हां।

(घ) लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) ने एचपीएफ के पुनरूद्धार प्रस्ताव के भाग के रूप में कर्मचारियों के लिए वर्ष 1997 के वेतनमान के कार्यान्वयन की सिफारिश की है।

(ङ) पुनरुद्धार प्रस्ताव के भाग के रूप में विविधीकरण और आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है।

(च) एचपीएफ के पुनरुद्धार प्रस्ताव में न्यूनतम अतिरिक्त सुविधाओं में संशोधन और स्थापना कर मौजूदा अवसंरचना का उपयोग कर आईवी फ्ल्यूड, कलर ड्रापर, डिजीटल फिल्म्स और नॉन-सिल्वर फिल्म्स में विविधीकरण शामिल है। उत्पाद में सुधार और नए उत्पाद विकास की प्राप्ति के लिए अनुसंधान और विकास परीक्षणों हेतु 9 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।

(छ) सरकार द्वारा एचपीएफ के पुनरुद्धार पैकेज के अनुमोदन के दो वर्षों के भीतर विविधीकरण का कार्यान्वयन किया जाएगा।

उर्वरकों के अनुसंधान पर व्यय

1605. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार इकसठ उर्वरकों की प्रत्येक किस्म के संबंध में अनुसंधान करने के लिए धनराशि व्यय कर रही है;

(ख) यदि हां, तो अन्य राज्यों की तुलना में आन्ध्र प्रदेश में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे अनुसंधान पर कितनी धनराशि व्यय की गयी है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) उर्वरक विभाग में "विज्ञान और प्रौद्योगिकी" कार्यक्रम नामक एक योजनागत स्कीम है जिसके अंतर्गत देश में विभिन्न ख्यातिप्राप्त संस्थानों को अनुदान दिया जाता है। उर्वरक विभाग के विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एसएण्डटी) कार्यक्रम में मुख्यत: उर्वरक संयंत्रों की विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने के लिए प्रक्रियाओं और उपकरणों के अनुसंधान एवं विकास पर बल दिया जाता है। इसके अलावा, बहुमूल्य धातुओं की रिकवरी के बाद खतरनाक स्पेंट कैटेलिस्ट के निपटान की तुलना में उर्वरक संयंत्र में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए प्रदूषण मुक्त उपाय अपनाने, मृदा की उर्वरता को रिचार्ज करने वाली परियोजनाओं को भी इस विभाग द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। इसके अलावा, वर्ष 2006-07 के बाद से कृषि फसलों आदि में उर्वरक और कीटनाशक के प्रयोग संबंधी कुछ परियोजनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। इस विभाग द्वारा इन सभी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से प्रायोजित किया जा रहा है जिनका एकमात्र उद्देश्य उर्वरक उद्योग में सफल निष्कर्षों का प्रचार-प्रसार करना है, ताकि उन्हें उत्पादन प्रक्रिया में अपनाया जा सके।

वार्षिक योजना 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अंतर्गत योजना व्यय नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
वास्तविक	4.74	1.38	1.38	1.44	1.35

पंजाब में एलपीजी वितरक

1606. श्री रवनीत सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब में एलपीजी वितरकों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या अन्य राज्यों की तुलना में पंजाब में एलपीजी वितरकों की संख्या अपेक्षाकृत कम है;

(ग) देश में एलपीजी वितरक नियुक्त करने के मानदण्ड क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार पंजाब की जनता की मांग को पूरा करने के लिए और वितरकों की नियुक्ति करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०पी०एन० सिंह): (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) पंजाब राज्य में 464 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का प्रचालन कर रही हैं। जिला-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) पंजाब राज्य में ओएमसीज की मौजूदा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें राज्य में ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

(ग) ओएमसीज द्वारा संयुक्त रूप से एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना के लिए, उपलब्ध रीफिल बिक्री संभाव्यता के आधार पर, जिससे एक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का प्रचालन बनाए रखा जा सकता है, स्थलों की पहचान की जाती है। रीफिल बिक्री संभाव्यता विभिन्न कारकों पर आधारित होती है, जिसमें स्थल की आबादी, जनसंख्या वृद्धि दर, आर्थिक संपन्नता आदि शामिल होती है। कस्बे की आबादी के आधार पर, रीफिल की सीमा निम्न प्रकार से निर्धारित की गई है:-

बाजार का प्रकार	मासिक रिफिल सीमा
10 लाख से कम आबादी वाला कस्बा	8000
10 लाख से 20 लाख आबादी वाला कस्बा	10000
20 लाख से 40 लाख आबादी वाला कस्बा	12000
40 लाख से अधिक आबादी वाला कस्बा	15000

राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना (आरजीजीएलवीवाई), के मामले में किसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को खोलते समय 600 रीफिल की संभाव्य बिक्री पर विचार किया जाता है।

(घ) और (ङ) ग्रामीण क्षेत्रों और अछूते क्षेत्रों में एलपीजी वितरण नेटवर्क के फैलाव को गति देने के लिए, ओएमसीज ने पंजाब राज्य में 39 नियमित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और 127 आरजीजीएलवी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए विज्ञापन जारी किए हैं।

विवरण

पंजाब में राज्य एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का जिला-वार ब्यौरा

क्र.सं.	जिलों की संख्या	एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की सं.
1	2	3
1.	अमृतसर	49
2.	आनंदपुर	1
3.	बरनाला	6
4.	भठिण्डा	29
5.	भूंगा	1
6.	फरीदकोट	12
7.	फतेहगढ़ साहिब	7
8.	फजिका	6
9.	फिरोजपुर	23
10.	गुरदासपुर	31
11.	होशियारपुर	23
12.	जालंधर	49
13.	कपूरथला	15
14.	लुधियाना	69
15.	मानसा	9
16.	मोगा	12
17.	मोहाली	3

1	2	3
18.	मुक्तसर	9
19.	नवांशहर	8
20.	पटियाला	32
21.	पठानकोट	12
22.	रूपनगर	12
23.	रोपड़	1
24.	संगरूर	23
25.	एसएएस नगर	10
26.	तरण तारण	12
	योग	464

भारत निर्मित एक्जीक्यूशन ड्रग्स का उपयोग

1607. श्री आर. ध्रुव नारायण: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यू एस कारागार द्वारा भारत निर्मित एक्जीक्यूशन ड्रग्स का उपयोग करने संबंधी कुछ खबरें सरकार के ध्यान में आई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी, हां।

(ख) सरकार इस मामले की जांच कर रही है।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यक अध्ययन केन्द्रों की स्थापना

1608. श्री दानवे राव साहेब पाटील: क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को अल्पसंख्यकों के लाभार्थ अल्पसंख्यक अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी नहीं। अभी तक मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मूल्य नियंत्रण के तहत दवाइयां

1609. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ ड्रग्स और दवाईयों, जिन्हें ऐसे ड्रग्स के संयोजन से बनाया जाता है, को मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत रखा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी, हां। (ख) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 199 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अधीन 74 बल्क औषधियों और इन अनुसूचित औषधिओं में से किसी भी अनुसूचित औषधि वाले फार्मुलेशन मूल्य, नियंत्रण के अधीन हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित औषधियों/फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी अनुसूचित औषधि/फार्मूलेशन को एनपीपी द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर नहीं बेच सकता है।

जो औषधियां, औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अधीन नहीं आती हैं अर्थात गैर अनुसूचित औषधियां हैं, उनके मामले में सरकार/एनपीपीए से अनुमोदन लिए बिना ही निर्माता स्वयं मूल्य निर्धारण करते हैं। तथापि, मूल्य मॉनीटरिंग कार्य के रूप में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) गैर अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों में उतार चढ़ाव की नियमित आधार पर जांच करता है। आईएमएस स्वास्थ्य की मासिक रिपोर्टों और अलग-अलग निर्माताओं द्वारा दी गई सूचना का उपयोग गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग के प्रयोजन हेतु किया जाता है जहां कहीं 10 प्रतिशत वार्षिक से अधिक मूल्य वृद्धि का पता चलता है वहां निर्माता से कहा जाता है कि वह स्वेच्छा से मूल्य घटाए, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए जनहित में फार्मूलेशन का मूल्य

निर्धारित करने के लिए औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1995 के पैराग्राफ 10 (ख) के अधीन कार्रवाई शुरु की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

गैर अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग के आधार पर एनपीपीए ने पैरा 10 (ख) के अधीन 30 फार्मूलेशन पैकों के मामले में मूल्यों का निर्धारण किया है, और कंपनियों ने 65 फार्मूलेशन पैकों के मामले में स्वेच्छा से मूल्य घटाए हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर गैर अनुसूचित औषधियों के 95 पैकों के मूल्य एनपीपीए के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप घटे हैं।

गायब होने वाली कंपनियों की निगरानी हेतु समिति

1610. श्री रामसुन्दर दास: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गायब होने वाली कंपनियों और उनके प्रोमोटरों से जुड़े मुद्दों की जांच करने तथा उनके विरुद्ध अनुवर्ती कार्यवाही का जायजा लेने के लिए किसी केन्द्रीय समन्वय तथा निगरानी समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कुल कितनी कंपनियां और प्रोमोटर हैं जिनके विरुद्ध आज तक कार्यवाही की गई है; और

(ग) उससे आज तक कितनी धनराशि की वसूली की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) 'लुप्त कंपनी' पद का प्रयोग उन कंपनियों के लिए किया जाता है जिन्होंने अपना विवरण दायर करना बंद कर दिया है या पूंजी उगाहने के पश्चात् उनके निबंधित कार्यालय या उनके निदेशकों का पता नहीं है। ऐसी कंपनियों की पहचान करने एवं उनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई की अनुशंसा करने हेतु 1999 में एक केन्द्रीय समन्वय एवं पर्यवेक्षण समिति का गठन किया गया था। प्रारंभ में ऐसी 238 कंपनियों की पहचान की गई जिसमें से 119 कंपनियों ने बाद में संबंधित कंपनी रजिस्ट्रारों (आरओसी) के पास अपना विवरण दायर करना प्रारंभ कर दिया और इसलिए उन्हें लुप्त कंपनियों की सूची से हटा दिया गया । 32 अन्य ऐसी कंपनियां परिसमापन में चली गई हैं। वर्तमान में लुप्त कंपनियों की सूची में 87 कंपनियां शामिल हैं।

तथ्यों का गलत रूप से प्रस्तुत करने, आदि द्वारा धन निवेश के लिए प्रेरित करने हेतु कंपनी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अब तक 86 कंपनियों के संबंध में अभियोजन दायर किए गए हैं। इसी प्रकार कुछ कंपनियों और उनके निदेशकों, जिनका प्रयासों के बावजूद भी कोई अता-पता नहीं लगा, के संबंध में पुलिस में 82 प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की गई है तथापि, प्राप्त राशि की निश्चित मात्रा का आकलन संभव नहीं है क्योंकि कई मामलों में परिसमापन की प्रक्रिया अभी भी जारी है।

अध्यक्ष महोदया: सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

पूर्वाहन 11.01½ बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुन: समवेत हुई।
(अध्यक्ष महोदया पीठासीन हुईं)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

अध्यक्ष महोदया: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। श्री वीरभद्र सिंह।

[अनुवाद]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एंट्रेप्रेन्योरेशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एंट्रेप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 6234/15/12]

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम एंटरप्राइजेज, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम एंटरप्राइजेज, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 6235/15/12]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 6236/15/12]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, ऊटकमंड के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, ऊटकमंड का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 6237/15/12]

(3) पब्लिक एंटरप्राइजेज़ सर्वे 2010-2011 (वोल्यूम I और II) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 6238/15/12]

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): मैं वर्ष 2012-2013 के लिए विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 6239/15/12]

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश): मैं वर्ष 2012-2013 के लिए ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 6240/15/12]

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीकांत जेना): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) वर्ष 2012-2013 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 6241/15/12]

(दो) वर्ष 2012-2013 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 6242/15/12]

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): मैं पवन सिंह घाटोबार की तरफ से चौदहवीं तथा पंद्रहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं-

चौदहवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या सत्ताईस चौथा सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 6243/15/12]

2. विवरण संख्या चौबीस पांचवां सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 6244/15/12]

3. विवरण संख्या तेईस छठा सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 6245/15/12]

4. विवरण संख्या तेईस सातवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 6246/15/12]

5. विवरण संख्या बीस आठवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 6247/15/12]

6. विवरण संख्या उन्नीस नौवां सत्र 2006

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 6248/15/12]

7. विवरण संख्या उन्नीस दसवां सत्र, 2007

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 6249/15/12]

8. विवरण संख्या सत्रह ग्यारहवां सत्र, 2007

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 6250/15/12]

9. विवरण संख्या सोलह बारहवां सत्र, 2007

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 6251/15/12]

10. विवरण संख्या चौदह तेरहवां सत्र, 2008

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 6252/15/12]

11. विवरण संख्या बारह चौदहवा सत्र, 2008

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 6253/15/12]

12. विवरण संख्या ग्यारह पंद्रहवां सत्र, 2009

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 6254/15/12]

पंद्रहवीं लोक सभा

13. विवरण संख्या दस दूसरा सत्र, 2009

(ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 6255/15/12)

14. विवरण संख्या आठ तीसरा सत्र, 2009

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 6256/15/12]

15. विवरण संख्या आठ चौथा सत्र, 2010

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 6257/15/12]

16. विवरण संख्या पांच पांचवां सत्र, 2010

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 6258/15/12]

17. विवरण संख्या चार छठा सत्र, 2010

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 6259/15/12]

18. विवरण संख्या तीन सातवां सत्र, 2011

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 6260/15/12]

19. विवरण संख्या दो आठवां सत्र, 2011

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 6261/15/12]

20. विवरण संख्या एक नौवां सत्र, 2011

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 6262/15/12]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं–

(एक) वर्ष 2012-2013 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 6263/15/12]

(दो) वर्ष 2012-2013 के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 6264/15/12]

(तीन) वर्ष 2012-2013 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 6265/15/12]

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं–

(1) (एक) मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 6266/15/12]

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं-

(एक) वर्ष 2012-2013 के लिए वित्त मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 6267/15/12]

(दो) वर्ष 2012-2013 के लिए वित्त मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 6268/15/12]

अपराह्न 12.01 बजे

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

23वें से 26वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): अध्यक्ष महोदया, मैं ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं–

(1) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में उन्नीसवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी तेईसवां प्रतिवेदन।

(2) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में बीसवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी चौबीसवां प्रतिवेदन।

(3) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भू-संसाधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में इक्कीसवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी पच्चीसवां प्रतिवेदन।

(4) पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में बाईसवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी छब्बीसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.02 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री ने जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित 'कम हो चुके भू-जल स्तर का संवर्धन, सतत विकास, संरक्षण, प्रबंधन, भू-जल का उपयोग और जल प्रदूषण की रोकथाम' के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदया, मैं जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति की दसवीं रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रन्थालय में भी रखा गया और देखिए संख्या एल.टी. 6267/15/12

संबंध में यह विवरण रख रहा हूं। लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देश के अनुसार

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति की दसवीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) को 30 अगस्त, 2011 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। यह रिपोर्ट **"भूमि जल के घटते स्तर का संवर्धन करने, भूमि जल के सतत विकास, संरक्षण, प्रबंधन, उपयोग एवं जल प्रदूषण की रोकथाम"** से संबंधित है।

स्थायी समिति की उपर्युक्त रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों/टिप्पणियों संबंधी कार्रवाई टिप्पण समिति को पहले ही भेजी जा चुकी थी। समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों संबंधी इस रिपोर्ट में 23 सिफारिश पैरा थे जिनमें सरकार की ओर से कार्रवाई की जानी थी। ये सिफारिशें/टिप्पणियां मुख्यत: भूमि जल के घटते स्तर का संवर्धन करने, भूमि जल के सतत विकास, संरक्षण, प्रबंधन, उपयोग एवं जल प्रदूषण की रोकथाम इत्यादि जैसे मुद्दों से संबंधित हैं।

महोदया, समय की कमी के कारण मैं विवरण सभा पटल पर रखता हूं और यह अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ा हुआ समझा जाए।

अपराह्न 12.03 बजे

(दो) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 213वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): महोदया, मैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय पर विभाग से संबंधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; पर्यावरण और वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा उसकी 213वीं रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति उस विवरण के अनुसार है जो सभा पटल पर रखा गया है।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 6268/15/12

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले*

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। सदस्यगण जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हों वे बीस मिनट के अंदर सभा पटल पर पर्चियां व्यक्तिगत रूप से दे सकते हैं।

केवल उन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाए जिनके लिये निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर पर्चियां प्राप्त हो गई हैं। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

(एक) ओडिशा के संबलपुर जिले के चिपिलीमा स्थित कृषि महाविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र को केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता।

श्री अमरनाथ प्रधान (संबलपुर): संबलपुर मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ओडिशा राज्य के पश्चिमी ओडिशा क्षेत्र में स्थित है। यह पश्चिमी ओडिशा क्षेत्र का वाणिज्यिक केन्द्र एवं औद्योगिक एवं शैक्षिक केन्द्र है। यह पड़ोसी राज्यों से सड़क, रेल एवं हवाई मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा है। संबलपुर जिला और सम्पूर्ण पश्चिमी ओडिशा क्षेत्र के किसानों को लाभ होगा। यदि केन्द्र सरकार द्वारा उक्त जिले के चिपिलीमा स्थित मौजूदा कृषि महाविद्यालय और कृषि विज्ञान केन्द्र को एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में घोषित कर दिया जाए।

(दो) देश में निजी शैक्षिक संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता।

श्री पी.टी. थॉमस (इडुक्की): निजी शैक्षिक संस्थाओं (गैर सहायता प्राप्त स्ववित्तपोषित) देश के प्रमुख नियोक्ताओं में से एक है। वे अत्यंत वाणिज्यिक तरीके से कार्य कर रहे हैं और शुल्क के रूप में भारी धनराशि ले रहे हैं लेकिन अध्यापकों एवं कर्मचारियों को मानदेय के रूप में अत्यंत कम धनराशि का भुगतान कर रहे हैं। अध्यापकों की सेवा दशा भी अत्यंत दयनीय है। तथापि, अनेक संस्थाओं में वे इन अध्यापकों को बैंक के माध्यम से आकर्षक धनराशि दे रहे हैं और इसका बड़ा भाग नकद के रूप में वापस ले रहे हैं। ऐसा प्राधिकारियों

---

* सभा पटल पर रखे माने गए।

द्वारा निर्धारित विनियमों से केवल बचने के लिये किया जाता है। ये अध्यापक अपनी सेवा दशाओं के बारे में कोई विवाद नहीं खड़ा कर सकते हैं क्योंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन उन्हें "कामगार" के रूप में नहीं माना जाता है। वे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन न्यूनतम मजदूरी का दावा भी नहीं कर सकते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे पर ध्यान दे और निजी शैक्षिक संस्थाओं में नियुक्त हजारों अध्यापकों एवं कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिये आवश्यक कार्रवाई करे।

(तीन) केरल के अनिवासी भारतीयों की सुविधा हेतु केरल के कालीकट में विदेश मंत्रालय का एक अनुप्रमाणन केंद्र खोले जाने की आवश्यकता।

श्री एम. के. राघवन (कोझिकोड): 4 मिलियन से ज्यादा भारतीय लोग खाड़ी देशों में रह रहे हैं और उनमें से 60 प्रतिशत से ज्यादा लोग केरल से है। वर्तमान में, प्रमाणपत्रों एवं अल दस्तावेज़ों को विदेश मंत्रालय (एमईए) सहित संबंधित भारतीय प्राधिकरणों से अनुप्रमाणित करवाना होता है। केरल सरकार ने जनता की सहायता के लिए एनओआरकेए (नोट का) के माध्यम से तिरूवनंतपुरम, एर्नाकुलम और कोझिकोड में तीन प्रमाणन केन्द्र खोले हैं। तथापि, इनका एमईए, नई दिल्ली, चेन्नई अथवा गोवा द्वारा अनुप्रमाणन किया जाना आवश्यक है। एनआरई की मदद के लिए यह सुझाव है कि एमईए के अंतर्गत एक अनुप्रमाणन केन्द्र केरल, प्राथमिक रूप से कालीकट में खोला जाये ताकि खाड़ी देशों में कार्यरत अधिकांश लोग सेवाओं का सुविधाजनक ढंग से उपयोग कर सकें।

(चार) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कार्य की संस्वीकृति और चयन हेतु मापदंडों में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता।

श्री पोन्नम प्रभाकर (करीमनगर): मैं आंध्र प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र करीमनगर में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 187 कार्यों को मंजूरी दिये जाने की आवश्यकता के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही योजना एक अद्वितीय योजना है किन्तु इसके कार्यान्वयन और कार्यों की मंजूरी एवं उनके चयन में पैरामीटरों को अपनाये जाने के संबंध में पूरी तरह से जांच किए जाने आवश्यक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में आंध्र प्रदेश में यह पाया गया है कि निर्मित सड़कों की लंबाई 9526 कि०मी० है और 2463 करोड़ रू० की धनराशि नियुक्त की गई और 2490 करोड़ रू० की धनराशि का व्यय किया गया। हालांकि अनेक लंबित कार्य हैं जिन्हें आरंभ किये जाने की आवश्यकता है फिर भी, सरकार कार्यों को आरंभ करने में अन्य राज्यों के मुकाबले आंध्र प्रदेश को तरजीह नहीं दे रही है, जिसकी वजह अधोहस्ताकारी को पता नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र को शामिल किये जाने की जरूरत है तथा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये। यहां बढ़िया विपणन केन्द्र है तथा ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर मेरे करीमगर निर्वाचन क्षेत्र में खराब सड़कों की वजह से काफी असुविधा होती है।

अत:, मैं, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में लगभग 218 करोड़ रू० वाले 187 कार्यों को 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के पहले वर्ष में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी प्रदान करें ताकि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों की इच्छाओं को पूरा किया जा सके।

(पांच) राजस्थान के बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गांवों में नर्मदा नहर परियोजना से पेय जल तथा सिंचाई के प्रयोजनार्थ जल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान भू-भाग को लाभ पहुंचाने के लिए 1996 में एक योजना आरम्भ की गई थी। राजस्थान राज्य का मेरे संसदीय क्षेत्र का बाड़मेर जिला मरुस्थलीय क्षेत्र है और यहां पानी का अत्यंत अभाव है। नर्मदा नहर परियोजना से मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर के 639 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने एवं 108 गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जानी थी। सिंचाई कार्य हेतु योजनान्तर्गत कार्य प्रगति पर है केन्द्र सरकार से मांग है कि बाड़मेर जिले के पंचायत समिति चौहटन, धोरीमन्ना व सिणधरी में पेयजल की योजना बनाकर जल्दी से लागू करवाई जाए।

अत: अनुरोध है कि नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत पेयजल की आपूर्ति करने के कार्य को सुनिश्चित किया जाए एवं उपरोक्त पंचायत समितियों को इस परियोजना से तत्काल जोड़ा जाये।

(छह) राजस्थान के राजसमंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मावली जंक्शन को बड़ी रेल लाईन से मारवाड़ से जोड़े जाने की आवश्यकता।

श्री गोपाल सिंह शेखावत (राजसमंद): उत्तर-पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत मेरे लोक सभा क्षेत्र राजसमंद में मावली जंक्शन से मारवाड़ जंक्शन तक वर्तमान में मीटरगेज रेल लाइन बनी हुई है। रेलवे की नीति के अनुसार समान आमान परिवर्तन की नीति है। इसके बावजूद भी मावली से मारवाड़ तक की रेल लाइन को ब्राडगेज में

परिवर्तित करने की स्वीकृति नहीं दी जा रही है। इस रेल लाइन का सर्वेक्षण हो चुका है। यह क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से बहुत बड़ा खनिज क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में धार्मिक दृष्टि से श्रीनाथ जी, द्वारकाधीश जी तथा चारभुजा जी जैसे विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल हैं। मावली से मारवाड़ तक की रेल लाइन को ब्राडगेज से जोड़ने पर दक्षिणी राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान से सीधा संपर्क हो सकेगा तथा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण का सीमांत क्षेत्र जोधपुर, बाड़मेर तथा बीकानेर क्षेत्र से जुड़ना महत्वपूर्ण हो जायेगा।

(सात) देश में विश्व स्तर के विश्वविद्यालयों की स्थापना करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): भारत सरकार ने यह घोषणा की है कि वह विश्वस्तरीय मानकों वाले केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करेगी, जैसे- "विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय"। तथापि तदुपरान्त विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों को स्थापित किये जाने के पैरामीटरों के बारे में कुछ भी नहीं सुना गया है। गुजरात सरकार ने भारत सरकार को 28.05.2009 को एक पत्र लिखा है तथा भारत सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है।

भारत सरकार ने 02.12.2009 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या-2208 में यह सूचित किया है कि ग्यारहवीं योजना में 14 विश्वविद्यालयों, जिनमें से एक गुजरात में शामिल है, की स्थापना की परिकल्पना की गई है, जिनका उद्देश्य विश्वस्तर मानक है। नव-प्रवर्तन विश्वविद्यालयों संबंधी एक संकल्पना टिप्पणी तैयार कर हितधारकों की टिप्पणियों के लिये सार्वजनिक जानकारी हेतु प्रस्तुत कर दिया है तथा संकल्पना को अंतिम रूप देने के लिये विभिन्न वर्गों से बतौर आदान प्रतिक्रियाएं मिली हैं।

(आठ) असम में बाढ़ और अपरदन की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता।

श्री रमेन डेका (मंगलदोई): वर्ष 2011 के दौरान असम में बाढ़ से लखीमपुर, नगांव, करवी आंगलोंग, शिवसागर धुबरी और चिरान्ग के 12 जिलों के 322 राजस्व परिमंडलों के अंतर्गत कुल 9,11,080 लोग प्रभावित हुए हैं। सर्वाधिक प्रभावित जिले थे – धेमजी, चिरान्ग, कोकराझार। बाढ़ ने 43 तटबंधों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस बाढ़ अवधि के दौरान, कई पुल एवं सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं। असम में बार-बार आने वाली बाढ़ से पशुधन और कसल नहर हो गए। विज्ञान के इस युग में आजादी के 64 वर्षों बाद भी केन्द्र और राज्य में एक-के-बाद-एक आई सरकारें भी असम में बाढ़, जो प्रतिवर्ष तबाही लाती है, से निपटने में नाकाम रही हैं।

केन्द्र सरकार को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन योजना लानी चाहिये। मेरा सरकार से यह आग्रह है कि वह असम में बाढ़ एवं मृदा अपरदन को एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करे।

विचलित करने वाला एक समाचार यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बड़े पैमाने पर कम हो जाता है जो कि अप्रत्याशित स्थिति है। शायद इसकी वजह चीन में ब्रह्मपुत्र के ग्रेट बेन्ड में जल का विपथन है। मेरा केन्द्र सरकार से यह आग्रह है कि वह सीमापार ब्रह्मपुत्र की स्थिति स्पष्ट करे। केन्द्र सरकार के विद्युत एवं सिंचाई क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र के जल के समुचित उपयोग हेतु एक ठोस योजना बनानी चाहिये। मैं केन्द्र सरकार से पुन: आग्रह करता हूं कि वह असम में बाढ़ एवं मृदा अपरदन की समस्या का समाधान करने हेतु तत्काल कदम उठाये।

(नौ) 'सर्द हवा' और 'पाला' को प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): इस वर्ष राजस्थान में शीतलहर और पाला पड़ने के कारण गेहूं, चना, सरसों की फसल तबाह हो गई है। मेरे संसदीय क्षेत्र चुरू में बार-बार अकाल पड़ते रहते हैं। इस वर्ष अच्छी बरसात के बाद अच्छी फसल के आसार बने थे, लेकिन शीतलहर के कारण सम्पूर्ण फसल बर्बाद हो गई है। क्षेत्र के किसानों/सामाजिक/राजनैतिक संगठनों ने जिला कलेक्टर, माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर बर्बाद हुई फसल का तुरन्त आकंलन करवाकर किसान को राहत देने की मांग की है, राजस्थान विधान सभा में जन प्रतिनिधियों ने भी इस संबंध में किसान को राहत प्रदान करने की मांग की है, लेकिन राजस्थान सरकार उक्त होने वाले नुकसान को प्राकृतिक आपदा में शामिल नहीं होने के कारण कुछ भी करने में असमर्थता जाहिर कर रही है। आज किसान की हालात उत्यन्त ही खराब है वर्षो से पड़ने वाले अकाल ने किसान को तबाह कर दिया है। कभी-कभी अच्छी फसल होने के आसार बनते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं से किसान की कमर टूट जाती है, ऊपर से राज्य सरकार कुछ भी करने में असमर्थ है। किसान देश का भविष्य है, किसान अन्नदाता है उसकी रक्षा की जावे, सहायता की जावे। अकाल व अतिवृष्टि की तरह शीतलहर व पाले को भी प्राकृतिक आपदा में शामिल करने की मांग काफी समय से की जा रही है। राजस्थान सरकार ने भी इस संबंध में भारत सरकार से मांग की है, लेकिन अभी तक सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि शीतलहर व पाले को भी प्राकृतिक आपदा में शामिल करते हुए राजस्थान के किसानों को राहत प्रदान करने के लिए विशेष पैकेज जारी किया जाए।

(दस) देश में आवासीय जवाहर नवोदय विद्यालयों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रति व्यक्ति भोजन की दर बढ़ाए जाने की आवश्यकता।

श्री निखिल कुमार चौधरी (कटिहार): जवाहर नवोदय विद्यालय भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रेरणादायी आवासीय विद्यालय है जिसमें अध्ययन करने वाले लगभग 80 प्रतिशत छात्र-छात्राएं ग्रामांचल से आते हैं। खेद का विषय है कि आज जिस प्रकार महंगाई चरम सीमा पर है उस अनुरूप जवाहर नवोदय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्रा के लिए प्रतिमाह प्रति छात्र/छात्रा प्रतिमाह भोजन हेतु निर्धारित राशि 920 रुपया है यानि आज के महंगाई के दौर में 30 रुपये में एक छात्र/छात्रा एक दिन में एक बार नाश्ता एवं दो वक्त गुणवत्तायुक्त पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करना संभव नहीं है। मेरी मांग है कि जवाहर नवोदय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को गुणवत्ता युक्त पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रतिमाह प्रति छात्र/छात्रा निर्धारित राशि 920 रुपया से बढ़ाकर 1500 रुपया या महंगाई के अनुरूप किया जाये तथा भोजन सामग्री को सरकारी दर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाये, जिससे विद्यालय में पठन-पाठन कर रहे छात्र-छात्राओं को समुचित पौष्टिक आहार मिल सके।

(ग्यारह) उपभोक्ताओं को तम्बाकू-उत्पादों के हानिकारक अव्यवों और इसके प्रभावों के बारे में पूर्ण जानकारी दिए जाने की आवश्यकता।

श्री गजानन ध. बाबर (मावल): तम्बाकू पुड़िया में वास्तव में कितना जहर है इसमें कौन-कौन से जानलेवा रसायन और विष इंसानी जिन्दगी से जुड़े हैं, ये बेहद जरूरी तथ्य हैं। लेकिन इसकी जानकारी आम नागरिक को ही नहीं बल्कि हमारी पूरी कार्यपालिका को भी उपलब्ध नहीं है। सवाल पूछे जाने पर सरकार का यही जवाब होता है कि इससे जानने की कोशिश की जा रही है। केन्द्रीय तम्बाकू शोध संस्थान राजसमुन्दरी तम्बाकू संबंधी जांच के लिए देश में अकेली विशेषज्ञ प्रयोगशाला है, लेकिन अहम पैमाने पर इसने भी अपनी असमर्थता जाहिर कर दी।

एक रिपोर्ट के अनुसार पान मसाला में निकोटीन का स्तर गुटखा एवं खैनी से भी ज्यादा पाया गया है। वर्तमान में देश में भले ही 15 हजार करोड़ ज्यादा के गुटखे और पान मसाला कारोबार से सरकार अनेक तरह के शुल्क वसूलती है, इनके ग्राहकों को यह भी नहीं बताया जाता है, कि इनमें खतरनाक तत्वों की मात्रा कितनी है, पुड़िया पर केवल अधूरी ही चेतावनी (तम्बाकू से कैंसर होता है) लिखी है, जो नाकाफी है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार इन से कर वसूलती है, तो ग्राहकों को इसकी उचित जानकारी देना सरकार का कर्तव्य है। इसकी जांच के लिए आवश्यक प्रयोगशालाएं बनाई जाए, ग्राहकों को उचित जानकारी दी जाए। यदि ऐसा नहीं हो सकता है, तो समूचे देश में तम्बाकू सहित पान मसाला उत्पादन पर रोक लगाई जाए, जिससे ग्राहकों एवं देश के नवयुवकों को बचाया जा सके।

(बारह) तमिलनाडु में चेन्नई समुद्र तट से वेलाचेरी तक स्टेशनों का समुचित रखरखाव किए जाने की आवश्यकता।

श्री सी. राजेन्द्रन (चेन्नई दक्षिण): मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित अविलंबनीय लोक महत्व के मामले को उठाना चाहता हूं। चेन्नई भारत का चौला सबसे बड़ा शहर है। इसमें सुस्थापित रेल नेटवर्क है। परंतु चूंकि यह बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, इसलिये जन तीव्र यातायात प्रणाली (मास रेपिड ट्रांज़िट सिस्टम) की योजना बनाई गई थी और इसे वेलाचेरी तक पूरा कर लिया गया था। चेन्नई समुद्र किनारे से वेलाचेरी तक यह प्रणाली लगभग 25 कि०मी० की दूरी तय करती है; तथा मार्ग में 15 से ज्यादा रेलवे स्टेशन पड़ते हैं।

एमआरटीएस की व्यथा यह है कि किसी भी स्टेशन का समुचित ढंग से रखरखाव नहीं किया जाता। स्टेशन में और स्टेशन परिसर के आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता नहीं है; जल सुविधा भी नहीं है। आपात स्थिति के दौरान स्टेशन परिसर में पानी मिल पाना कठिन होता है। हालांकि स्टेशन हाल ही में निर्मित किये गये थे किंतु वे जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं। मूलतः इनमें प्रकाश व्यवस्था का अभाव है। किसी को भी रात के समय में इन स्टेशनों में प्रवेश करने पर डर लगता है, क्योंकि उनमें घोर अंधेरा रहता है।

इस मुद्दे पर सरकार द्वारा तत्काल ध्यान दिये जाने की ज़रूरत है। मेरा माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि वे इस मामले की ओर गौर करें और वह सुनिश्चित करें कि चेन्नई में एमआरटीएस स्टेशनों का समुचित रखरखाव है।

(तेरह) बांग्लादेश के साथ तीस्ता जल-बंटवारा करार करते समय पश्चिम बंगाल के लोगों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता।

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार (बलूरघाट): पश्चिम बंगाल के दो भाग हैं। पहला दक्षिण बंगाल और दूसरा उत्तर बंगाल जो कि सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है। उत्तर बंगाल की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। वहां उद्योग-धंधे नहीं हैं। उत्तर बंगाल में 6 जिले हैं। वहां

तीस्ता नदी है जो सिक्किम से आरंभ होती है तथा सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी के बीच तथा बंगलादेश में रंगपुर में भी बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। बंगलादेश के अस्तित्व में आने से काफी पहले, उत्तर बंगाल में कृषि के लाभ के लिये तीस्ता जल हेतु बढ़ते विरोध के प्रत्युत्तर में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तीस्ता बैराज परियोजना आरंभ की गई तथा भारत के योजना आयोग ने 8 मई, 1975 को अपनी मंजूरी दी। कार्य 1976 में आरंभ हुआ जिसे पूरा करने की समयावधि 2015 तक निर्धारित की गई। अब, तीस्ता बैराज ने जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग और उत्तर दीनाजपुर जिले में सिंचाई के लिये जलापूर्ति आरंभ कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, बंगलादेश को तीस्ता जल का हिस्सा मिलेगा। बंगलादेश हमारा पड़ोसी देश है और बंगलादेश के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। बंगलादेश के लोगों की भलाई के लिये कानूनी उदारता दिखाने वाली केन्द्र सरकार के हम विरोध में नहीं हैं। यदि जल हिस्सेदारी 48:52 है तो उत्तर बंगाल के कम-से-कम एक करोड़ लोगों को भुखमरी का सामना करना होगा। अत:, केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस बारे में निर्णय लेने से पूर्व पश्चिम बंगाल सरकार और उत्तर बंगाल क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों से परामर्श किया जाना चाहिये।

(चौदह) स्थानीय संसद सदस्य के परामर्श से एकीकृत कार्य योजना के अंतर्गत विकास योजनाएं तैयार किए जाने की आवश्यकता।

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर): परियोजनाओं को अंतिम रूप दिये जाने हेतु एकीकृत कार्य योजना पर स्थानीय संसद सदस्यों के साथ परामर्श की औपचारिक प्रक्रिया के बगैर ही निर्णय लिया जा रहा है।

परियोजनाओं को निर्वाचित प्रतिनिधियों से परामर्श के बगैर किंतु लोक सेवकों की मनमर्जी से ही कार्यान्वित किया जाता है।

जब तक लोगों की महत्वपूर्ण ज़रूरतों पर ध्यान दिया जाता तब तक इस कार्यक्रम का प्रभाव नगण्य होगा।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र में, पीने के लिये और कृषि के लिए तथा सड़कों के लिये पानी की कमी प्रमुख चुनौती है। तथापि, जलपरियोजना आरंभ न करके आंगनबाड़ियों का निर्माण किया गया।

हमें 2 अथवा 3 प्रमुख अंतरोक्षपणों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को लाभ मिले एवं वामपंथी अतिवाद की समस्या का समाधान हो सके।

(पन्द्रह) राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत योजनाओं को अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (दौसा): भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2011-12 तक सभी अवुद्यितीकृत गांवों एवं ढाणियों को विद्युतीकृत कर ग्रामीण परिवारों को (बीपीएल परिवारों सहित) भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में तथा 10 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में दी जा रही है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को इस योजना के क्रिचयान्वयन हेतु नोडल एजेन्सी बनाया गया है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राजस्थान की 40 योजनाओं हेतु 1307 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें 300 से अधिक आबादी की ढाणियों को ही शामिल किया गया था। प्रथम चरण में 25 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है व द्वितीय चरण की 15 योजनाओं का कार्य वर्ष 2011-12 के अन्त तक पूर्ण किया जाना संभावित है।

राजस्थान सहित अन्य राज्यों के निवेदन पर भारत सरकार ने 100 से 300 तक की आबादी की ढाणियों को सम्मिलित करते हुए गांवों के गहन विद्युतीकरण की वित्तीय सीमा को 1.00 लाख से बढ़ाकर 4.00 लाख कर दिया (रेगिस्तानी व पहाड़ी इलाकों के लिए 6 लाख)। इसी प्रकार अविद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण/सघन विद्युतीकरण के लिए यह सीमा 6.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 13 लाख रुपये कर दिया गया रेगिस्तानी व पहाड़ी इलाकों के लिए यह सीमा 18.00 लाख है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा माह फरवरी, 2008 में जारी की गयी संशोधित वित्तीय सीमा के तहत 1456.91 करोड़ रुपये की 32 पूरक योजनाएं तैयार कर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को स्वीकृति के लिए भिजवाई जा चुकी है जिसकी अभी तक भारत सरकार से स्वीकृति अपेक्षित है।

माननीय विद्युत मंत्री भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 7.4.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराया है कि पूरक योजनाओं को 11वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना फेज-2 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात विचार किया जायेगा।

राज्य की अधिकांश आबादी ढ़ाणियों में निवास करती है, जिनको राज्य सरकार विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु हर संभव प्रयासरत है। इन घरेलू कनेक्शनों की अधिकता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से इन सभी को कनेक्शन उपलब्ध कराना संभव नहीं है। अत: भारत सरकार द्वारा राज्य की पूरक योजनाओं की शीघ्र स्वीकृति जारी की जावे जिससे 100 से 300 की आबादी वाली 15149 ढाणियों को ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत सम्मिलित किया जा सके तथा इन ग्रामीण परिवारों सहित 5.12 लाख बीपीएल को घरेलू विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये जा सकें।

अपराह्न 12.04½

रेल बजट (2012-2013) - सामान्य चर्चा
लेखानुदानों की मांगे - (रेल) 2012-2013
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेल), 2011-12
अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेल) - 2009-10

[हिन्दी]

***श्री हरीश चौधरी** (बाड़मेर): रेल बजट में यात्री सुविधाओं एवं सुरक्षा तथा रेल आधुनिकीकरण पर विशेष पहल करने तथा राजस्थान के लिए लंबी दूरी की रेलों की घोषणा करने के लिए यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी एवं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, रेल मंत्रीजी को हार्दिक बधाई एवं आभार व्यक्त करता हूं। मैं रेल बजट में बालोतरा को आदर्श स्टेशन के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा के लिए धन्यवाद देता हूं, साथ ही पर्यटन स्वर्ण नगरी जैसलमेर रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में अपग्रेड करने के लिए, अनुरोध करता हूं।

बालोतरा में रेलवे ओवरब्रिज की बजट में स्वीकृति के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। बाड़मेर में दो रेलवे ओवरब्रिज निर्माण का कार्य चल रहा है, इनसे यातायात के प्रचालन में सुगमता आएगी और जाम जैसी समस्या से निजात मिलेगी।

इस रेल बजट में मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर से लंबी दूरी की रेल चलाये जाने एवं जैसलमेर-कांडला रेल लाइन बिछाने की स्वीकृति की आशा थी। लेकिन रेल बजट में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। मेरे संसदीय क्षेत्र के बाड़मेर जिल में समदड़ी-भीलड़ी रेल मार्ग पर आमान परिवर्तन पूर्ण हो गया है और उस मार्ग से जोधपुर-गांधीधाम, बीकानेर-मुम्बई के मध्य रेलें चलाई जा रही हैं। समदड़ी भिलड़ी मार्ग से बाड़मेर-मुम्बई रेल का सेवा चलाए जाने, घोषणा की पूरी आशा थी लेकिन यह पूरी नहीं हो पाई है।

मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बाड़मेर जैसलमेर जिलों में कोयला, जिप्सम, कच्चे तेल, लाइमस्टोन, गैस के अकूत भण्डार है वहीं सौर ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, सामरिक एवं औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में पूरे देश के कुल उत्पादन का 20 प्रतिशत कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है लेकिन ये सीमावर्ती जिले रेल सुविधाओं के अभाव के कारण देश के अन्य हिस्सों से कटे हुए हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि उद्योगों के विकास के लिए रेलों का इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, कोयला एवं लौहे अयस्क की खानों के लिए रेल संपर्क के तहत मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर में रेल संपर्क को प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता है।

मैंने पूर्व में भी अनुरोध किया था कि मेरा संसदीय क्षेत्र प्राकृतिक साधनों से भरपूर है और यहां पर उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित उद्योग लगाने की काफी संभावनाएं हैं। बाड़मेर में रेलवे की खाली पड़ी जमीन का कॉमर्शियल उपयोग पीपीपी के माध्यम से किया जा सकता है और अगर रेलवे उपकरण संबंधी कोई उद्योग बाड़मेर एवं जैसलमेर में लग जाये तो यहां के लोगों को पलायन करके अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा साथ ही साथ मारवाड़ क्षेत्र के लोग देश के हर कोने में फैले हैं और व्यापार एवं उद्योग में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं अगर देश के कोने वाले राज्यों से मेरे संसदीय क्षेत्र को जन्मभूमि/कर्मभूमि/मातृभूमि रेल सेवा से बाड़मेर एवं जैसलमेर को जोड़ दिया गया तो बाड़मेर एवं जैसलमेर के क्षेत्रीय विकास में सहयोग मिल पाऐगा।

मेरे संसदीय क्षेत्र के बाड़मेर जिले में समदड़ी मुनाबाव खण्ड में 45 मानवरहित समपास फाटक हैं जिनमें 2 पर आरयूबी बन रहे हैं और 4 को मानवसहित करने का कार्य हुआ है। लेकिन शेष 39 को मानवसहित श्रेणी में किये जाने की स्वीकृति की आवश्यकता है। क्योंकि इस कारण जनहानि के साथ-साथ पशुहानि की संभावना भी अधिक रहती है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनने वाली ग्राम सड़कों के मध्य मानवरहित और 8 मानवसहित फाटक बंद पड़े हैं, जिस कारण इस महत्वपूर्ण योजना में बनी सड़कों का लाभ ग्रामीण नहीं ले पा रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में 39 मानवरहित फाटकों को मानवसहित श्रेणी में करने में एवं पीएमजीएसवाई योजना में बनी सम्पर्क सड़कों पर स्थित 12 कोसिंग को शीघ्र आरम्भ कने की स्वीकृति प्रदान कराएं।

---

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

बाड़मेर में देश की बड़ी छावनी है जहां पर अन्य राज्यों के निवासी सैनिक देश की हिफाजत कार्य में जुटे हुए हैं। इन्हें अपने गन्तव्य स्थान तक जाने के लिए दिल्ली/अहमदाबाद/जयपुर से यात्रा करनी पड़ती है। वहीं बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वस्त्र कारोबार होता है, इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी देश के अन्य हिस्सों से रेल सेवा शुरू किये जाने की महत्ती आवश्यकता है। गाड़ी गाड़ी संख्या 12489/12490 दादर-जोधपुर-बीकानेर एक्सप्रेस की आधी गाड़ी को बाडमेर से प्रायोगिक तौर पर जोड़ा जावे तो इससे बाड़मेर के निवासियों को मुम्बई की तरफ सीधे जाने की सुविधा मिल सकेगी और रेलवे को भी इस मार्ग पर यातायात संभावना की जानकारी मिल सकेगी।

अन्त में पुन: माननीय सोनिया गांधी, प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह एवं माननीय रेल मंत्री को लोकप्रिय बजट को पेश किये जाने पर आभार व्यक्त करता हूं इसे पास करने के लिए सहमति देता हूं।

[अनुवाद]

श्री के. सुगुमार (पोल्लाची): सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2012-2013 के रेल-बजट के संबंध में, सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि रेल बजट में जिस प्रकार से तमिलनाडु राज्य की उपेक्षा की गई है उससे पूरा तमिलनाडु निराश है। जैसा कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री डॉ. पुरातची थलाईवी अम्मा ने कहा कि रेल बजट में तमिलनाडु के लिये आवश्यक रेल अवसंरचना का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया है और यह राज्य की विशेष आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने वाले विशिष्ट मार्गों पर 18 नई रेलगाड़ियों के अनुरोध की उपेक्षा की गई है। चालू-वर्ष के दौरान शुरू की जाने वाली 10 नई रेलगाड़ियां तमिलनाडु के अनुरोध के अनुरूप नहीं है। 6 रेललाइनों के आमान परिवर्तन और विल्लुपुरम कटपाडी खंड का विद्युतीकरण राज्य के सहयोग से दो औद्योगिक केन्द्रों को जोड़ने के लिये अवाड़ी के लिये ओरागदाम रेल लिंक बनाने तथा विल्लुपुरम तिरूची खंड के दोहरीकरण के अनुरोध को इस बजट में शामिल नहीं किया गया है। इसी प्रकार यह जानकर निराशा हुई है कि चैन्नई से आरंभ होने वाली दक्षिण क्षेत्र में डेडिकेटिड फ्रेट कारीडोर की भी घोषणा नहीं की गई है। जब 2006 में पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में इस योजना की घोषणा की गई थी तो दक्षिणी क्षेत्र को शामिल किया जाना चाहिये। विनिर्माण केन्द्र के रूप में तमिलनाडु के महत्व पर विचार करते हुये चैन्नई को 18 अतिरिक्त उपनगरीय सेवायें दी गई हैं जबकि मुम्बई के लिये स्वीकृत 75 और कोलकाता के लिये 44 अतिरिक्त सेवाओं और 50 नई सेवाएं दी गई हैं। इसलिये मैं सरकार से तमिलनाडु राज्य को न्याय दिये जाने का अनुरोध करता है जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. पुरातची थलाईवी अम्मा द्वारा मांग की गई है।

रेल बजट की चर्चा में भाग लेते हुये, यहां मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित कुछ मांग का उल्लेख करना चाहता हूं। पलानी से पोलाची, पोलाची से पालक्कड और पोलाची से कोयम्बटूर तक के आमान परिवर्तन का कार्य 31-03-2012 तक पूरा हो जाना चाहिये था परन्तु जिस धीमी गति से यह कार्य हो रहा है मुझे आशंका है कि इससे समय भी ज्यादा लगेगा और लागत भी बढ़ जाएगी। यह एक ऐसा कारक है जिसका सामना रेलवे को पूरे देश में करना पड़ रहा है। आचीपट्टी अर्थात् पोलाची (उत्तर) पर एक हाल्ट स्टेशन की मांग जोर पकड़ रही है क्योंकि मौजूदा स्टेशन दूर हैं और आचीपट्टी एक तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र है जहां पर्याप्त जनसंख्या है और जहां काफी वाणिज्यिक गतिविधियां चल रही हैं। दक्षिणी रेलवे के पालक्कड मंडल के अंतर्गत कोविलपलयम और चेट्टीपलयम में स्टेशन बनाये जाने की भारी मांग है। इन स्थानों पर स्टेशन थे लेकिन आमान परिवर्तन से पहले समाप्त कर दिये गये थे। इसी प्रकार दक्षिणी रेलवे के मदुरई मंडल में थिप्पाम्पट्टी और पुलांकनर में रेलवे स्टेशन बनाये जाने की मांग है। पुलांकनर को एक ऐसा स्टेशन बनाया जाए जहां से माल ढुलाई की सुविधा हो क्योंकि यहां से कपास, सब्जी आदि की भारी मात्रा में ढुलाई की जाती है तथा इस स्थान पर अनेक मालगोदाम हैं। इसी के साथ मैं अपना भाषण इस अनुरोध के साथ समाप्त करता हूं कि रेलवे तमिलनाडु राज्य के प्रति पर्याप्त दया दर्शायें और हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा रखी हुई सभी मांगों को स्वीकार किया जाए।

श्री एस. पक्कीरप्पा (रायचूर): मैं माननीय रेल मंत्री श्री दिनेश त्रिवेदी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2012-13 के रेल बजट पर अपना विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं।

सर्वप्रथम मैं रेल किराये में हुई भारी वृद्धि जिसकी घोषणा मौजूदा बजट में की गई है पर गंभीर चिंता व्यक्त करता हूं। मेरा कहना है कि यह वृद्धि आम आदमी के ऊपर एक भार है जो शयनमान और अनारक्षित डिब्बों में यात्रा करते हैं। यद्यपि न्यूनतम स्तर तक यात्री किराये में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है लेकिन जो वृद्धि हुई है वह अत्यंत अधिक है तथा इससे आम आदमी बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है। इसलिये मैं रेल मंत्री से विशेषकर शयनमान श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में बैठकर यात्रा करने वाले यात्रियों के ऊपर की गई रेल किराये की भारी वृद्धि को वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

इस बजट में माननीय मंत्री ने समाज के सभी वर्गों के लोगों की आवश्यकताओं पर ध्यान देने का प्रयास किया है लेकिन वह कनार्टक के लोगों को संतुष्ट करने में बुरी तरह विफल रहे हैं। रेल बजट में कर्नाटक के लोगों की मांगों पर विचार नहीं किया गया है। मैं कर्नाटक के लोगों के प्रति किये गये अन्याय के बारे में माननीय रेल मंत्री को बताना चाहता हूं।

स्टेशनों के उन्नयन से इन स्टेशनों पर अन्य सुविधाओं के साथ-साथ सुरक्षित पेय जल, पे एण्ड यूज प्रसाधन सुविधा, हाई लेवल प्लेटफार्म और विकलांगों को जगह-जगह पहुंचने के लिये बेहतर सुविधा मिल सकेगी। माननीय मंत्री ने आदर्श स्टेशन के रूप में 84 स्टेशनों का चुनाव किया है। लेकिन मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि इस सूची में मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रायचूर का कोई भी स्टेशन शामिल नहीं है जिसके बारे में मैं महसूस करता हूं कि यह कर्नाटक के लोगों के साथ बुरा बर्ताव है। मैं माननीय रेल मंत्री से अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रायचूर, कर्नाटक के स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में सम्मिलित करने का आग्रह करता हूं।

गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे ने आदर्श स्टेशनों के रूप में स्टेशनों के उन्नयन किये जाने की घोषणा की है। मैं मंत्री महोदय से यह देखने का आग्रह करता हूं कि आदर्श स्टेशनों पर कार्य को अत्यंत वरीयता के आधार लिया जाए।

मैं माननीय रेल मंत्री से इनटरनेट सुविधा की चालू स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं जो हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में शुरू की जानी थी। मैं माननीय रेल-मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सुविधा न केवल राजधानी, शताब्दी, दुरन्तो एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में बल्कि लम्बी दूरी की सभी सुपरफास्ट रेलगाड़ियों में सम्मिलित की गई है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं तथा इन रेलगाड़ियों में इनटरनेट सुविधा कब तक उपलब्ध हो जाएगी?

मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि कर्नाटक में चल रही परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिये पर्याप्त निधियां नहीं दी जाती हैं। यदि ऐसे हालात हैं तो एक के बाद एक रेल परियोजनाओं की घोषणा करने का क्या तुक है? मैं वास्तव में भारतीय रेल की नीति नहीं समझ रहा हूं? मैं माननीय मंत्री से कर्नाटक में चल रही रेल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिये और अधिक निधियां आवंटित करने का अनुरोध करता हूं जिससे कनार्टक के लोगों को बहुत सहायता मिलेगी।

अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र रायचूर, कर्नाटक के लोगों की निम्नलिखित मांगों को माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं:-

(एक) बंगलौर से हजरत निजामुद्दीन तक 4 दिन चलने वाली बंगलौर राजधानी एक्सप्रेस को प्रतिदिन किया जाए। मुझे यह बताया गया है कि यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है और यह रेलवे बोर्ड के मानदण्ड पूरा नहीं करेगा। मैं आश्चर्य के साथ यह उल्लेख करता हूं कि क्या मंत्रालय यात्री सुविधाओं की दृष्टि से विचार करने की बजाय केवल राजस्व पहलू का ध्यान रखता है। मैं पुरजोर मांग करता हूं कि यात्रियों की सुविधा के लिये बंगलौर राजधानी एक्सप्रेस को दैनिक आधार पर जाए।

(दो) मेरी मांग है कि गाड़ी सं. 15015/15016 को, यात्रियों के लाभ के लिये यह गाड़ी पकड़ने हेतु, रायचूर पर वाणिज्यिक ठहराव दिया जाए जहां पर वर्तमान में तकनीकी ठहराव है।

(तीन) मैं यह मांग करता हूं कि रायचूर होकर रॉयल सीमा एक्सप्रेस (हैदराबाद - तिरूपति) रेलगाड़ी में एक द्वितीय वातानुकूलित और एक तृतीय वातानुकूलित डिब्बे जोड़े जाएं।

(चार) मुनिराबाद-महबूब नगर वाया रायचुर नई रेल लाइन के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। मैं यहां इस बात को दोहराना चाहता हूं कि इस रेल लाइन के पूरा हो जाने पर हैदराबाद से हुबली, कोल्हापुर या वास्को तक की यात्रा में लगभग 20 कि०मी० की दूरी कम हो जायेगी। संबंधित रेल प्राधिकारियों की ओर से ध्यान न दिये जाने की वजह से कार्य में आशातीत गति से प्रगति नहीं हुई है। हालांकि राज्य सरकार सहायक स्टाफ की मदद कर रही है फिर भी कार्य की गति बहुत ही धीमी है। मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि वे 30 करोड़ रु. की बड़ी धन राशि का आवंटन करें और इस परियोजना को तीव्र गति से पूरा करने हेतु संबंधित प्राधिकारियों को सख्त निर्देश दें।

(पांच) मैं रेलवे से आग्रह करता हूं कि वह निर्माणाधीन गडवाल-रायचुर रेल लाइन जोकि पूरी होने वाली है, वो शीघ्र पूरा करने के लिये 5 करोड़ रु. की धनराशि का आवंटन किया जाये।

(छह) जहां तक रायचुर से अहमदाबाद जयपुर और जोधपुर तक रेल कनेक्टिविटी प्रदान किये जाने का संबंध है, माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि बंगलौर से अहमदाबाद, जोधपुर के बीच चलने वाली गाड़ियों को वाया गुटकल, रायचुर, गुलबर्गा और शोलापुर चलाया जायें। इससे हैदराबाद - कर्नाटक क्षेत्र के लोगों को सीधी ट्रेन कनेक्टिविटी प्रदान करने में सहायता मिलेगी। तथापि इससे रेलवे के राजकोष पर कोई अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगी तथा राज्य के तथाकथित पिछड़े क्षेत्र को सुविधाएं मुहैया हो पायेंगी।

(सात) माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि ट्रेन नं-12429, 12430, 12591, 12592, 16613, 16614, 11043, 11044, 12735, 16381, 16382, 12627 और 12628 को यादगीर रेलवे स्टेशन, जोकि मेरे संसदीय क्षेत्र में आता है, पर ठहराव दिया जाये। इससे रेलवे के राजकोष पर कोई बोझ नहीं बढ़ेगा बल्कि इससे मेरे निर्वाचन क्षेत्र के यात्रियों को रेल कनेक्टिविटी की सुविधा मिल पायेगी।

(आठ) मैंने पहले ही यह मांग की थी कि गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन नं-12535/12536, जो सिकन्दराबाद से यशवंतपुर के बीच चलती है, को मैसूर तक बढ़ाया जाये। इससे मैसूर पैलेस सिटी को सीधी रेल कनेक्टीविटी मिलेगी। माननीय रेल मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि इस अनुरोध पर अनुकूल ढंग से विचार किया जाये।

(नौ) गुलबर्गा, यादगीर और रायचुर जिले के लोगों की मांग को पूरा करने के लिये बंगलौर-गुलबर्गा के बीच इन्टरसिटी एक्सप्रेस नामक एक नई रेलगाड़ी आरंभ किये जाने की मांग है। गुलबर्गा से मौजूदा ट्रेन सुविधा लोगों की मांग की तुलना में बहुत ही कम है।

(दस) मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यादगीर रेलवे स्टेशनपर चोरी और लूटपाट की अनेक घटनाएं होती रही हैं। यादगीर रेलवे स्टेशन पर फंसे यात्रियों की सुरक्षा के लिये माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि यात्रियों की भलाई के लिये रेल सुरक्षा बल चौकी आरंभ की जाये।

माननीय रेल मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे मेरे संसदीय क्षेत्र, रायचुर, कर्नाटक के लोगों की उपर्युक्त मांगों पर विचार करें जिससे लोगों को उनकी रेल यात्राओं में सहायता करने में बड़ी मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

***श्री हंसराज गं. अहीर** (चन्द्रपुर): हम सभी कहते हैं कि रेलवे द्वारा समग्र विकास की असीम संभावनाएं पैदा होती हैं। हम रेलवे को विकास वाहिनी भी कहते हैं। कामकाज सूची के अनुसार यह चर्चा 19 मार्च से शुरू होने वाली थी लेकिन सरकार के गठबंधन में अंर्तविरोधों के कारण रेलमंत्री के बजट के बाद त्यागपत्र और आज नये मंत्री का शपथग्रहण यह संसदीय इतिहास में अनूठा उदाहरण बन गया है।

रेलवे का पिछले 10 वर्षो से किराया नहीं बढ़ा, लेकिन रेलवे द्वारा यात्री सुविधा की अनदेखी की जाती थी, सरकार ने इस बार पूरे 10 साल का किराया वसूल किया है। अगर यह थोड़ा-थोड़ा होता तो यह बोझ नहीं बनता, रेलवे प्लेटफार्म टिकट में 3 से 5 रुपये, द्वितीय श्रेणी और शयनयान श्रेणी जिसमें कि सबसे अधिक यात्रा करते हैं का भी टिकट बढ़ाकर सरकार ने 4,000 करोड़ की आय अर्जित करने का निर्णय लिया है। सरकार किराया बढ़ाने के साथ यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी करें, यात्रियों के लिए साफ सुथरी सीटे, टॉयलेट, अच्छा भोजन और सुरक्षा देने की जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार इसको नकार नहीं सकती, यह रेलवे की अब तक की सबसे बड़ी योजना है, 60100 करोड़ की योजना और बजट सहायता 24 हजार करोड़। केन्द्रीय सरकार ने बजट में से 4 हजार करोड़ रुपये इस बार अधिक दिये हैं। रेलवे ने बजटपूर्व माल भाड़े टैरीफ में वृद्धि पहले ही कर दी है। आज ही हाथरस में रेल फाटक विहीन समपार पर दुर्घटना में 18 लोगों की मौत हुई। इसके लिए सरकार को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। रेलवे अपने क्षेत्र से बाहर जाकर मेडिकल कॉजेल और अन्य उपक्रम कर रही है। लेकिन लोगों के जीवन से जुड़े मामलों में चुप्पी साधे, यह ठीक नहीं। देश के सभी समापारों पर फाटक तथा चौकीदार नियुक्त करने चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के यवतमाल जिले के वणी तहसील के पिंपलखुटी गांव के चौकीदार विहीन रेल फाटक हैं। वहां पर तत्काल चौकीदार की नियुक्ति करने की मैं मांग करता हूं।

इसी तरह, रेलवे लाईनों के कारण गांव तथा शहरों का विभाजन हो गया है। लोगों को आवागमन के लिए रेलवे लाईन पार करना दूभर हो गया है। इससे लोगों को हो रही तकलीफ को देखते हुए क्षेत्र के बाबूपेठ रेलवे गेट, माजरी रेलवे गेट, घुग्घूस–वणी रेलवे गेट, वरेरा गेट जो कि रेलवे द्वारा अनुमोदित किये जा चुके हैं, के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि का आवंटन करें तथा इसका निर्माण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कारवाई प्राथमिकता से करने का मैं अनुरोध करता हूं, देश के नैरो गेज से ब्राडगेज के आमान परिवर्तित स्टेशनों के प्लॅटफार्मो की ऊंचाई काफी कम है। इसके कारण यात्रियों को चढ़ने उतरने में काफी तकलीफ होती है। विकलांगों को तो भारी निराशा और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। दुर्घटनाएं भी होती है। इस लिए चांदाफोर्ट-नागभीड-गोंदीया रेल मार्ग के सभी स्टेशनों के प्लॅटफार्मो की ऊंचाई बढ़ाने के लिए सरकर से कारवाई का मांग करता हूं, तथा हर प्लॅटफार्मो पर विकलांगों के लिए ट्रेन में चढ़ने के लिए तथा उतरने के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने की भी मैं मांग करता हूं। और उनके लिए ठहराव का समय बढ़ाने की सुविधा उपलब्ध करें। रेलवे ने यात्री उपभोक्ताओं के लिए कॉल सेन्टर के माध्यम से संपर्क सेवा शुरू करने के बाद रेलवे स्टेशनों पर टेलिफोन पूछताछ सेवा बंद करने से लोगों को काफी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। इसे यथावत जारी रखने की मांग करता हूं। मैंने इस संदर्भ

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

में चन्द्रपुर और बल्लारशाह रेल स्टेशनों पर यह सुविधा कायम रखने का अनुरोध भी किया है। इसे लागू करने का काम करना चाहिए। 2000 से वडसा-आरमोरी-गडचिरोली 49.5 कि.मी. की नई रेल पटरी बिछाने की परियोजना राज्य सरकार की भागीदारी में स्वीकृत की गई लेकिन इसके प्रत्यक्ष निर्माण हेतु कोई कदम नहीं उठाने से इसका लागतमूल्य लगातार बढ़ रहा है। इस वर्ष रेल बजट में केवल 1 करोड़ रुपये स्वीकृत किये, इससे यह रेल मार्ग कब तक पूरा होगा इसकी घोषणा भी रेल मंत्री को करनी चाहिए। इसी तरह बल्लारशाह से मुम्बई लिंक गाड़ी की घोषणा बजट में की गई, लेकिन अभी तक शुरू नहीं की गई। पहले पीट लाईन का कारण देते थे अब वह पीट लाईन भी तैयार है। को इसे देखते बल्लारशाह-मुंबई लिंक रेल सेवा शुरू करने के लिए कदम उठाने की मांग करता हूं।

बल्लारशाह मध्य रेलवे का आखिरी और महत्त्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, वहां पर सभी गाड़ियां रूकती हैं। लेकिन तकनीकी ठहराव के रूप में अगर इसे वाणिज्यिक ठहराव घोषित किया तो यहां के लोगों को फायदा मिल सकता है। इसका मंत्री महोदय विचार करें, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित अन्य मांगों को संक्षेप में रख रहा हूं। (1) बल्लारशाह रेल स्टेशन से आठ कोचेज की लिंक एक्सप्रेस मुंबई के लिए छोड़े, (2) बल्लारशाह रेलवे स्टेशन से आठ कोचेज की नंदीग्राम एक्सप्रेस को माजरी रेलवे स्टेशन से जोड़ा जाये, (3) बल्लारशाह से नागपुर शटल ट्रेन सेवा शुरू करें, (4) चैन्नई/तिरुपति से अमृतसर के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू करें, (5) यशवंतपुर से कोरबा चलने वाली ट्रेन का हावड़ा तक विस्तापन, (6) आर्णी, जिला यवतमाल में पी. आर.एस. को स्वीकृति दें।

***श्रीमती जे. शांता** (बेल्लारी): रेलवे भारत की धमनियां हैं संपूर्ण भारत को सहजता एवं सरलता से जोड़ती हैं। सन् 1853 में भारत में अपने उद्‌भव के समय से ही यह हमारे आवागमन के मुख्य साधनों में से एक के रूप में सुस्थापित है। चूंकि रेल पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व के अधीन है, इसका स्वरूप और कार्यकरण किसी प्रदेश या क्षेत्र विशेष पर केन्द्रित होने की बजाय संपूर्ण राज्य की हितों और अपेक्षाओं को पूरा करने वाला होना चाहिए, किंतु दुर्भाग्यवश संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए)। और यूपीए 2 दोनों द्वारा प्रस्तुत रेल बजट में सर्वसमावेशी और समग्र दृष्टिकोण की घोर उपेक्षा की गई है जिसमें राष्ट्रीय जनमानस में छोभ और असंतोष का व्याप्त होना स्वाभाविक-सी बात है। इतना ही नहीं, इस बजट में क्षेत्र विशेष के उन्नयन को गत वर्ष की भांति ही प्राथमिकता दी गई है। ऐसी प्रवृत्ति भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है और जनसमुदाय में परस्पर द्वेष व आपसी बैमनस्यता को जन्म दे सकता है।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

एक लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते जनता की हित सर्वोपरि है न कि उपक्रम को होने वाला मुनाफा। संपूर्ण देश जो सरकार की त्रुटिपूर्ण वित्तीय नीति और भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के कारण पहले से ही कमर तोड़ महंगाई की चपेट में है। यात्री किराए में बढ़ोतरी कर उसे और अधिक बदतर स्थिति में धकेल दिया गया है। तथाकथित आम आदमी की हिमायती सरकार आम आदमी को हमेशा हाशिए पर लाने आमादा है जो आमतौर पर सभी नीतियों और विशेष रूप से रेल बजट में यात्री किराए में होने वाली वृद्धि में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। यात्री किराए में बढ़ोतरी करते समय जहां वातानुकूलित श्रेणी के किराए में आंशिक वृद्धि की गई है वहीं शयनयान और अनारक्षित श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों पर भी सर्वाधिक बोझ डालने का प्रयत्न किया गया है।

मौजूदा यात्रा सूचना प्रणाली को दुरुस्त और फूलप्रूफ बनाने की बजाय सरकार इंटरनेट और मोबाइल पर सूचना अपडेट करने पर जोर दे रही है। मैं पूछना चाहती हूं कि सारी सुविधाएं धनी व समृद्ध लोगों के हितों को ध्यान में रखकर क्यों बनाई जाती हैं? लंबी दूरी की गाड़ियों में अनारक्षित श्रेणी के डिब्बे बढ़ाए जाने संबंधी कोई घोषणा नहीं की गई है। जहां मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में अतिरिक्त गाड़ियां चलाने की घोषणा की गई वहीं कर्नाटक, जहां रेल नेटवर्क सीमित और संकुचित है, उसका कोई ध्यान नहीं रखा गया है।

महिलाएं जो हमारी कुल जनसंख्या का लगभग 50% है, उनके लिए अलग डिब्बे का प्रावधान करना तो दूर, उनकी सुविधा और सुरक्षा के निमित्त कोई कदम नहीं उठाया गया है और न ही इस संबंध में कोई घोषणा की गई है। महिलाओं पर यात्रा के दौरान होने वाले अपराध के दृष्टिगत रेल में महिला सुरक्षाकर्मियों की तैनाती किया जाना सर्वाधिक अनिवार्य है। साथ ही, उनके लिए विद्यमान कंपार्टमेंट को व्यापक व जगहयुक्त बनाए जाने की नितांत आवश्यकता है।

रेल में कार्यरत महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु उनके बच्चों, के लिए क्रेच की व्यवस्था, जिसकी घोषणा यूपीए-1 की रेल मंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने अपने बजट भाषण में की थी, उसे अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया है।

रेलकर्मियों की भर्ती में महिलाओं के लिए आयु सीमा में छूट और उनके लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही, भर्ती के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाखों की संख्या में अकुशल कर्मियों की भर्ती कर रेल पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालने की बजाय अर्द्धकुशल और कुशल युवक/युवतियों का भर्ती किए जाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

मानव रहित रेलवे फाटक, जो दुर्घटना को आमंत्रित करते हैं अर्थात दुर्घटना आशंकित हैं, उन सभी जगहों पर रेल उपरि पुल बनाए जाने संबंधी प्रस्ताव को कार्यान्वित करने संबंधी कोई घोषणा नहीं की गई है।

क्षेत्र विशेष की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप रेलवे स्टेशनों और हाल्टों पर सुविधाएं मुहैया कराते हुए आम आदमी के हितार्थ नीति निर्णय का कोई उल्लेख नहीं है।

भारत की लगभग 60% से अधिक जनता कृषि पर आश्रित है। वैश्वीकरण के इस दौर में इस क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु रेल से उनके आवागमन के लिए कोई विशेष सुविधा व छूट का प्रावधान नहीं किया गया है।

मेरे क्षेत्र कर्नाटक, विशेष रूप से बेल्लारी जहां का मैं प्रतिनिधित्व करती हूं, वहां रेल-नेटवर्क की सुविधा अभी भी लार्ड कर्जन और लार्ड डलहौजी के शासन काल की याद दिलाती है। वहां के लिए नाम मात्र की योजनाएं देना बिल्कुल बेमानी है चूंकि यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है और यहां की जनता को आवागमन की सुविधाओं से परिपूर्ण करना प्रत्यक्ष रूप से देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देने के समतुल्य होगा। इस क्षेत्र की प्राकृतिक संसाधनों की बाहुलता को देखते हुए दक्षिण भारत के इस जिले में रेल कोच फैक्ट्री लगाए जाने की मांग कई वर्षों से की जा रही है, किन्तु केन्द्रीय सरकार और रेल मंत्रालय के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती।

अंत में पुनः बात को दोहराना चाहूंगी कि यह रेल बजट क्षेत्रीय विषमताओं को पाटने की बजाय उसे और अधिक बढ़ावा देने वाला है। महिलाओं के प्रति संवेदनहीनता, धनाढय वर्ग के प्रति अगाध प्रेम, निर्धन और दलित के प्रति उपेक्षा भाव, युवा पीढ़ी विशेष रूप से छात्रों की उपेक्षा, सुविधा बढ़ाए जाने के नाम पर महंगाई झेल रही जनता पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ का प्रहार, राजनैतिक गठबंधन का एक्सक्यूज देकर यात्री किराए में मनमानी बढ़ोतरी, आदि इस रेल बजट की मुख्य विशेषताएं हैं। कहीं तो उपनगरीय रेल सेवाओं में वृद्धि का प्रस्ताव किया जाता है तो वहीं दूसरी और कर्नाटक जैसे बढ़े राज्य की घोर उपेक्षा की जाती है, इस प्रकार की संघीय व्यवस्था को परिलक्षित करता है, यह विचारनीय विषय है।

संक्षेप में मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संबंधी कुछ मांगों को पुनः दोहराना चाहूंगी और मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे इन पर सहानुभूतिपूर्वक ध्यान देकर इन्हें पूरा कर अनुगृहीत करें।

नई ट्रेनों का चलाया जानाः चेन्नई मुंबई वाया न्यू पकाला-सोलापुर; यशवंतपुर-जोधपुर वाया गुंटाकल; हुबली-चेन्नई वाया गड़ाग बेल्लारी; हुबली-सिकन्दराबाद वाया गड़ाग; मैसूर-विजयापुर वाया चित्रदुर्ग; धारवाड़-हुबली-गुलबर्ग।

इंटरसिटी सर्विसः बेल्लारी से बंगलोर वाया रायदुर्ग; गुंटाकल-हुबली-धारवाड़ वाया बेल्लारी; गुंटाकल-हास्पेट।

मौजूदा ट्रेनों का विस्तारः सोलापुर से ट्रेन संख्या 06554 को चेन्नई तक; यशवंतपुर-सोलापुर ट्रेन संख्या 6551 को शिर्डी तक; कुर्ला-यशवंतपुर ट्रेन संख्या 01215 को चेन्नई तक; गुंटाकल से ट्रेन संख्या 057471 को गुलबर्ग तक; हास्पेट से ट्रेन संख्या 56904 को गड़ाग तक; तिरुपति से ट्रेन संख्या 57475 को बेल्लारी तक।

ट्रेनों की बारम्बारता बढ़ानाः यशवंतपुर से 06539 को सप्ताह में तीन बार चलाना; हुबली-विजयवाड़ा से 17225 को प्रतिदिन चलाना; कोल्हापुर-तिरुपति ट्रेन 17451 को प्रतिदिन चलाना।

ट्रेन के समय में परिवर्तनः हुबली जाने वाली हम्पी एक्सप्रेस को 22.30 बजे चलाना; हुबली-तिरुपति ट्रेन संख्या 57421 को 6 बजे चलाना।

विकास योजनाएंः रायदुर्गा-पावागड़ा-तुमकुर नई रेल लाइन; बेल्लारी-गुलबर्ग वाया टेक्काला कोट नई रेल लाइन।

अंत में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आम यात्रियों की सुविधाओं और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने संबंधी पहल किया जाना सर्वाधिक अनिवार्य है। साथ ही, मुद्रास्फीति के इस माहौल में जनता, विशेष रूप से शयनयान और अनारक्षित श्रेणी के यात्रियों के किरायों में प्रस्तावित वृद्धि वापस ली जाए।

***श्रीमती जयश्रीबेन पटेल** (महेसाणा): मैं अपने कुछ विचार रेल बजट 2012-13 के लिए रखना चाहती हूं कृपया इसे नजर अंदाज न करके उसके ऊपर गौर किया जाए।

रेल सेवा देश के लोगों की लाइफ लाइन कहलाती है पूरे संसार में हमारा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर दुनिया में चौथे स्थान पर है।

इस रेल बजट में गुजरात के लिए एनआईडी अहमदाबाद को 10 करोड़ रुपए का रेल डिजाइन सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं। कच्छ में सवारी डिब्बों की फैक्टरी लगाने का जो प्रस्ताव है उनकी मैं सराहना करती हूं। समाज के गरीब नागरिकों को सम्मान जनक यात्रा प्रदान करने के लिए इज्जत स्कीम के तहत जो नए प्रस्ताव आए हैं उनकी भी मैं सराहना करती हूं। कुछ

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

नई रेल गाडियां गुजरात में चलाने का प्रावधान किया है उनकी भी मैं सराहना करती हूं। सामाजिक कल्याण के उपाय के रूप में विद्यार्थी खिलाड़ी, स्काउट एवं गाइड, किसान, वरिष्ठ नागरिक, अध्यापक, युवक, रोगी इत्यादि के बारे में यात्रा में छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है उसकी मैं सराहना करती हूं।

वर्ष 2012-13 का रेल बजट संसद में पेश होने वाले बजटों में शायद ऐसा पहला बजट है जो पेश होते ही दम तोड़ने की कगार पर पहुंच चुका है। इस बजट ने लोगों की उमीद पर पानी फेर दिया है।

आज तक जितने भी बजट पेश किए गए सभी में नई-नई घोषणाएं की गई। बजटों में की जाने वाली पिछली घोषणाएं पूरी नहीं होती और नई आगे आ जाती हैं। रेलवे ने भी कुछ ऐसे ही वादे पिछले साल भी किए थे जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया है, और नई घोषणाओं का एलान कर दिया गया है फिर चाहे नई ट्रेन चलाने का मामला हो या फिर ट्रैक बिछाने का, रेलवे के पास पहले से ही 10 साल आगे की परियोजनाएं पड़ी हैं जो आज तक पूरी नहीं हुई उनके साथ ही और नई घोषणाएं कर दी गई हैं। क्या जनता को इन नई घोषणाओं के पूरा होने की उम्मीद करनी चाहिए?

वर्ष 2012-13 का यह रेल बजट संरक्षा पर गठित काकोदकर समिति और आधुनिकीकरण पर पित्रोदा समिति की रिपोर्टो के इर्द-गिर्द धूमता दिखाई देता है। इस बजट पर कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी और योजना आयोग के उपाध्यक्ष की भी छाया है। तभी तो इस बजट में उनसे भी एक कदम आगे जाकर किराए बढ़ाए गए हैं।

काकोदकर समिति ने तो महज हर टिकट पर तीन रुपये का संरक्षा अधिभार लगाने की ताकीद की थी, मगर त्रिवेदी जी ने तो एकमुश्त सभी श्रेणियों में 10 से 20 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी है। साधारण द्वितीय श्रेणी में 2 पैसे प्रति किमी. वृद्धि, एक्सप्रेस में 3 पैसे प्रति किमी. तथा स्लीपर श्रेणी में 5 पैसे प्रति किमी. की बढ़ोतरी तथा साथ प्लेटफार्म टिकट भी 5 रु. का कर दिया गया है। इससे लगता है कि यह बजट काकोदकर समिति की सिफारिशों के अनुरूप रेलवे संरक्षा प्राधिकरण की स्थापना से भी एक कदम और आगे निकल गया है।

इस रेल बजट का सारा जोर "सेफ्टी, सेफ्टी और सेफ्टी" पर है। सब कुछ सेफ्टी को लेकर भविष्य पर डाल दिया गया है। लेकिन हर सप्ताह में कोई न कोई अकस्मात रेल दुर्घटना घट ही जाती है। 80-90 प्रतिशत रेल हादसे रेलवे क्रासिंग और मेनलैस समपार फाटकों से ही होते हैं। ममता जी के पिछले रेल बजट में हर साल पांच हजार मेन लेस समपार फाटकों पर रेल कर्मचारी की नियुक्ति की जाएगी लेकिन वो वायदे केवल वायदे ही रहे उसमें कोई ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। रेल बजट में करीब 8-9 साल बाद किराया बढ़ाया गया है इसके साथ ही नई ट्रेनों को शुरू करने की बात कही जा रही है। जब रेलवे के पास संसाधन नहीं हैं तो सामाजिक दायित्वों का बोझ क्यों अपने पर ले रहा है। जब रेलवे खुद को अपने पैरों पर खड़ा नहीं पाता तो वह अन्य सामाजिक दायित्वों को कैसे संभाल सकता है।

इस रेल बजट में यात्री किराए में वृद्धि करके महंगाई की मार झेलने पर मजबूर जनता पर अतिरिक्त बोझ डाला गया है।

रेल बजट में तमाम नई रेल लाइनों की घोषणा की गई है लेकिन उनके लिए पैसा कहां है? क्या रेलवे इन नई लाइनों को डालने के लिए रेल यात्री भाडा और माल भाडे पर वृद्धि कर रही है? क्या अपना मकसद पूरा करने के लिए वह सारा पैसा गरीब जनता की जेब से ही निकलवाना चाहती है?

रेलवे की दरकती बुनयाद को चुस्त-दुरस्त करने के लिए, पुल, पटरी, सिगनल, इंजन, डिब्बों तथा यात्रियों की सेफ्टी पर लगभग 60 हजार करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। इसी सेफ्टी का भरोसा दे रेलवे ने सारा खर्च केन्द्रीय राजस्व पर तथा किराए में वृद्धि कर गरीब जनता की जेब पर डाल दिया है।

2012-13 के रेल बजट में रेलवे की हालत को दुरुस्त करने के नाम पर रेल मंत्री जी ने किराया-भाड़ा तो दस से तीस फीसदी तक बढ़ाया है साथ ही ढुलाई के मामले में इसे डीजल के दाम के साथ जोड़ दिया है। ऐसा इतिहास में लगभग पहली बार ही हुआ है। यानी की जितने डीजल के दाम बढ़ेगे उतना ही ढुलाई का भाड़ा भी बढ़ जाएगा जबकि माल भाड़ा पहले ही 20 फीसदी तक बढ़ाया जा चुका है। जब यह माल भाड़ा पहले ही बढ़ाया जा चुका है तो इसे डीजल के साथ-साथ और अधिक जरूरत रेलवे को क्यों महसूस होती है।

रेलवे मंत्री जी ने रेल का किराया तो बढ़ा दिया मगर लोगों की सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। अभी भी लोगों को टिकट लेने के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता है उसके लिए अलग से काउंटर उपलब्ध नहीं कराए गए। रेलवे स्टेशनों की सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया गया सिर्फ किराए पर ही ध्यान दिया गया है।

रेल मंत्री जी ने बजट में सुरक्षा पर जोर दिया है लेकिन आज भी सफर में महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए अतिरिक्त कोच नहीं हैं। भीड़ से भरे डिब्बें में महिलाएं सफर करने को मजबूर हैं। किराए में बढ़ोतरी के साथ-साथ महिलाओं को सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाए।

इस बजट से लोगों को सुविधाओं के नाम पर सिर्फ घोषणाएं ही मिली हैं और मिला है केवल जनता की जेब से ज्यादा किराया। जिसे शायद आम आदमी आसानी से वहन न कर सकेगा।

मैं आपका ध्यान अपने जिले महेसाना की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी जहां पर अभी भी कुछ कमियों के साथ लोगों को रेल यात्रा में असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

रेल गुडस यातायात किराए में 20-25 प्रतिशत बढ़ावे से गांधीराम के नमक उद्योग पर 1 करोड़ रुपए की मार पड़ रही है और माल वाहक परिवहन पर 20-25 प्रतिशत के बढ़ावे से गुजरात विद्युत उत्पादन के तहत 300 करोड़ रुपए की गुजरात को मार झेलनी पड़ रही है।

रेल बजट के पहले माल यातायात के किराए में बढ़ावा और किराए में 2 से 30 पैसे तक जो बढ़ावा किया है उससे सबसे ज्यादा मार मध्यम वर्ग को झेलनी पड़ सकती है क्योंकि यातायात के किराए से उनकी आवश्यक सेवाओं में अपने आप महंगाई परोक्ष रूप से आ जाती है तथा नमक और बिजली भी, मध्यम वर्ग को इस प्रकार दोहरी ओर से मार पड़ती है। उनके बारे में सोचना चाहिए था। मैं इन दोनों तरह के बढ़ावे की घोर निंदा करती हूं और सरकार से उसे वापिस लेने का प्रस्ताव करती हूं।

2009-10 में कालुपुर-गुजरात को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने के प्रस्ताव पर आज तक कोई प्रगति नहीं हुई है। 2011-12 के बजट में अहमदाबाद, मुंबई दूरंतो गाड़ी को डेली चलाने की बात आज तक कार्यान्वित नही हुई है।

कालुपुर का रेल यातायात से भार कम करने के लिए मणीनगर और साबरमती रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाना चाहिए।

गुजरात की 15 आरओबी, एन्युटी के मुताबिक रेलवे ओवर ब्रिज बनाने की लंबित दरखास्त पूरी की जानी चाहिए।

अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 200 करोड़ रु. की आवंटन की बात हुई थी लेकिन कुछ नहीं होने से गुजरात को केवल निराशा ही हाथ लगी।

गांधीनगर जो गुजरात की कैपिटल है और रेल मंत्रालय की प्रत्येक राज्य की राजधानी को केन्द्र की राजधानी-दिल्ली से जोड़ने की नीति है लेकिन गांधीनगर को उसका कोई फायदा आज तक नहीं मिला है। सिर्फ इस बजट में गांधीनगर आनंद को मेमू ट्रेन चलाने का झुंझुना देकर गांधीनगर जो महानगर बन गया है उसके नागरिकों की सदंतर उपेक्षा की गई है।

बेचराजी और विसनगर समपारों की लंबाई-चौड़ाई की मांग अभी पूरी नहीं हुई है। बड़ोदरा और महेसाना में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन के तहत पोलिटेक्नीक कॉलेज की स्थापना भी नहीं गई। लंबी दूरी वाली गाड़ियों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है।

अहमदाबाद महेसाना होके पालनपुर तक की नई डेमू सेवा अभी अधर में है। महेसाना, तारंगा हिल तक आमान परिवर्तन संबंधी प्रक्रिया मंद गति से चल रही है।

वेस्टर्न रेलवे का यातायात गुजरात में 40 प्रतिशत तक है और गुजरात रेल राजस्व की कमाई में ज्यादा योगदान करता है फिर भी अमदाबाद को वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय बनाए जाने की हमारी बरसों से लंबित मांग आज तक पूरी नहीं हुई है। वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की मांग भी आज तक कार्यान्वित नहीं हुई है। इससे पता चलता है कि केन्द्र का गुजरात के प्रति रवैया सरासर नकारात्मक है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में उंझा जो एशिया की सबसे बड़ी स्पाइस मंडी है, महेसाना जो देश मिल्क सिटी है वह ऑयल सिटी और इंडस्ट्रीयल के नाम से जानी जाती है। वही से गुजरती हुई कई रेलगाड़ियों के स्टोपेज की मांगें आज भी वैसे की वैसे ही लंबित है। उंझा, विसनगर, वीजापुर, कडी, महेसाना, बेचराजी स्टेशनों पर रेल टिकट की बुकिंग में बढ़ोतरी की जाए।

दोहरीकरण की अहमदाबाद से जयपुर तक की गुजरात की मांग आज तक पूरी नहीं हुई है। नई लाइनें आमान परिवर्तन में गुजरात की सरासर उपेक्षा ही हुई है। कई पुल पुराने हो चुके हैं उनको अपग्रेड करने की जरूरत है और सिगनल व्यवस्था में भी पैनल/रूट और रिले इंटरलॉकिंग प्रणाली में सुधार करने में ओर देरी नहीं चाहिए।

2011-12 में 41 नई लाइनों की सूची में पूर्णे-अहमदाबाद ऐसी दूरंतो गाड़ी शुरू करने से अहमदाबाद की जनता को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।

विरंगाम, शंखेश्वर तक नई लाइन की सर्वेक्षण प्रक्रिया, तारंगा, अंबाजी, खेडब्रह्मा, आबू रोड तक न्यू लाइन सर्वेक्षण तथा कटोसन, बहुचराजी, रनुज आमान परिवर्तन सर्वेक्षण शुरू नहीं होने के क्या कारण हैं।

2012-13 में पूरी की जाने वाली 17 आमान परिवर्तन परियोजनाओं की सूची में महेसाना-तारंगा तथा पालनपुर, अंबाजी का कोई प्रस्ताव नहीं रखा, अम्बलयासन, बीजापुर में आमान परिवर्तन (ब्रोड गेज) का कोई प्रस्ताव नहीं रखा तथा योजना आयोग को भेजी गई आमान परिवर्तन परियोजना की सूची में कटोसन, बेचराजी, रनुज का समावेश नहीं किया गया है।

भारत की पहली हॉस्पिटल ट्रेन गुजरात से शुरू करने का मेरा प्रस्ताव है। पाटन, महेसाना, पालनपुर से सूरत और मुंबई के लिए नई ट्रेन चलाई जानी चाहिए क्यों आज तक उत्तर गुजरात को डायरेक्ट ट्रेन की कोई सुविधा प्राप्त नहीं है।

हमें रेल का किराया बढ़ाने की जगह वैकल्पिक आय के स्रोत तलाशने चाहिए। जिससे जनता पर बोझ न पड़े। लोगों की सुरक्षा व संरक्षा पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

सीनियर सिटिजन के लिए बजट में अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उनके लिए सुविधा मुहैया कराई जाए।

गंदे स्टेशन, टूटते डिब्बे, खराब पैंट्री को सही करवाना चाहिए ताकि यात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े।

ट्रेनों का आधारभूत ढांचा विकसित किया जाना चाहिए तथा संसाधनों का विकास किया जाना चाहिए। रेल की सिक्योरिटी और सेफ्टी पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

आम यात्रियों को बेहतर खान-पान उपलब्ध कराया जाए तथा साथ ही साफ सफाई के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। लम्बी दूरी वाली गाडियों में डॉक्टर की सुविधा के पुराने वायदे पुराने ही बन गए हैं। उसमें सुधार किया जाना चाहिए।

अहमदाबाद से दिल्ली डबल डेकर ट्रेन दुरंतो ट्रेन चलाई जानी चाहिए। कडी जो देश की कॉटन सिटी के नाम से जानी जाती है वहां पर रैक बढ़ाना चाहिए।

दिल्ली-मुंबई रेलवे कारीडोर के तहत भूमि अर्जनप का मामला खटाई में पड़ गया है उसके बारे में गुजरात के किसानों में दहशत का माहौल बन गया है उसके साथ संवाद करके मुआवजा और किसानों के अन्य प्रस्तावों पर सोच विचार करने के लिए जन प्रतिनिधियों-सांसदों-रेल प्रशासन और किसानों की एक बैठक बुलाई जाए।

रेलवे भूमि पर बनी झोपड़-पट्टी को पक्के मकानों में तबदील किया जाए।

रेल अकस्मात के तहत आपति व्यवस्थापन तंत्र (डी.एम.एस.) का एक प्रतिशक्षण केंद्र गुजरात में खोला जाए क्योंकि डी.एम.एस. गुजरात का अव्वल नंबर है।

रेल गाड़ियों में सुरक्षा कर्मियों की बढ़ोत्तरी की जाए। इसमें 30 प्रतिशत तक महिलाओं की भर्ती की जाए।

[अनुवाद]

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): मैं माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक प्रगतिशील एवं सुन्दर बजट पेश किया है, जिससे न केवल राजस्व सृजन होगा बल्कि भविष्य में रेल विभाग का निष्पादन भी बेहतर होगा।

इसके अलावा, मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र-जिला प्रतापगढ़ के निम्नलिखित कार्यो की ओर दिलाना चाहता हूं, जोकि इस क्षेत्र एवं आसपास के ज़िलों की जनता के कल्याण के लिये अत्यंत अत्याधिक स्वरूप के कार्य हैं:-

1. प्रतापगढ़ - वाया - अमेठी - रायबरेली - कानपुर - पुणे नई रेलगाड़ी आरंभ किये जाने की आवश्यकता है।
2. जागेसरगंज - चिलबिला (912/2-3 गेट नं-88 सी) के बीच एक रेलवे गेट संस्थापित किये जाने की आवश्यकता है।
3. चिलबिला समपार सं-84-बी पर आरओबी पर कार्य, जोकि प्रगति पर है, को गति तीव्र किये जाने की आवश्यकता है।
4. वाराणसी - सुलतानपुर - वाया - लखनऊ रेल लाइन जो लगभग 20 कि०मी० की है, पर नीमा/गोपालपुर पर ठहराव/स्टेशन किंतु इस समूचे क्षेत्र में छोई ठहराव/स्टेशन नहीं है।

अध्यक्ष महोदया: अब, माननीय रेल मंत्री जी बोलेंगे और कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)* *

रेल मंत्री (श्री मुकुल राय): महोदया, सर्वप्रथम, मैं उन माननीय सदस्यों के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने रेल बजट-2012-13, पर सामान्य चर्चा में भाग लिया है।

उन ढाई दिनों में, दोनों सदनों के 200 से ज़्यादा माननीय सदस्यों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बड़े पैमाने पर रेल बजट एवं रेल संगठन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये हैं। कई वरिष्ठ संसद सदस्यों, जैसे कि - श्री अर्जुन चरण सेठी, श्रीमती सुमित्रा महाजन, श्री रेवती रमन सिंह, श्री इन्दर सिंह नामधारी, श्री दारा सिंह चौहान, श्री जगदम्बिका पाल, श्री कल्याण बनर्जी, श्रीमती परमजीत और गुलशन, श्रीमती सुप्रिया सुले, श्री दिनेश यादव, श्री भुजबल, डॉ. रघुवंश प्रसाद, श्री एम०बी० राजेश, योगी आदित्यनाथ, श्री अर्जुन

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मेघवाल, श्री तुफानी सरोज, श्री लालजी टंडन, श्री उमाशंकर सिंह, जनाब शफीकुर्रहमान बर्क, श्री पी०सी० चाको, चौधरी लाल सिंह, श्री मदन लाल शर्मा और विख्यात लोगों की बुद्धिमत्ता ने मुझे मेरा कार्यभाल संभालने के कुछ दिनों में ही बहुत अधिक बुद्धिमान बना दिया है।

महोदया, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों पर मैं विशेष ध्यान दूंगा और मैं उनमें से प्रत्येक पर जहां तक संभव होगा, कार्रवाई करूंगा।

मेरी काबिल नेता, कुमारी ममता बनर्जी ने भारतीय रेल को अपने विज़न 2020 डॉक्यूमेन्ट के ज़रिये एक नया रोडमैप दिया है। उन्होंने परिकल्पना की कि भारतीय रेलवे समूचे देश के एवं समूचे आय वर्ग के लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा। सर्व समावेशी विकास की कार्यसूची को गहन एवं विस्तृत करना उद्देश्य था। मैं भारतीय रेल को उच्च विकास के नये पथ पर ले जाने के उनके विज़न में वर्णित मुख्य उद्देश्य को सलाम करता हूं। मैं कार्यसूची पर कार्य करते रहने के लिए प्रतिबद्ध हूं।

मेरा इरादा अन्य उपायों के माध्यम से संसाधन जुटाने के प्रयत्नों में तेजी लाने का है जिससे आम आदमी को अत्यावश्यक राहत मिल सके। मैं सभी माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि मेरा इरादा अपारम्परिक साधनों के द्वारा संसाधन जुटाने के लिये जोरदार अभियान चलाने का है।

यह निजी-सरकारी भागीदारी प्रयासों के द्वारा संभव हो पायेगा और जिस पर कार्य चल रहा है। इस पर अधिक बल दिया जाएगा और संसाधन जुटाने के परम्परागत तरीकों में तेजी लाये जाने हेतु यह कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। मुझे इसका भी विश्वास है कि अर्जन का एक स्रोत विज्ञापन है जिसका पूरा उपयोग नहीं हो पाया है। हमारे स्टेशनों की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इसकी भारी संभाव्यता विद्यमान है। इससे मैं गरीबों की आकांक्षाओं को पूरा कर सकूंगा जो भारतीय रेल को अत्यंत किफायती एवं यात्रा का सुस्थापित विश्वसनीय साधन मानते हैं। रेलवे के पास उपलब्ध खाली भूमि और एअर स्पेस का उपयोग करने पर केन्द्रीकृत दृष्टि अपनाई जाएगी और ऐसा करते समय सरकार द्वारा विहित मानदंडों का पूरा पालन किया जाएगा।

स्वतन्त्र रेल भाड़ा विनियामक प्राधिकरण का विचार जांच के लिये लिया गया था। रेल उस दूरसंचार या विद्युत क्षेत्र की तरह नहीं है। जहां प्रतिस्पर्धा करने के लिये अनेक एजेन्सियां हैं। रेल ने सदैव आम आदमी की जरूरत और आकांक्षा में विवेकपूर्ण संतुलन रखते हुये रेल भाड़ा ढांचा निर्धारित किया है। इसी के साथ रेल की विकास आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। मुझे इस बात का कोई औचित्य नजर नहीं आता कि समय की कसौटी पर खरी उतरी इस प्रणाली को क्यों नहीं जारी रखा जाए। इसलिये, मैंने इस प्रस्ताव को स्थगित रखने का निर्णय लिया है।

विजन 2020 प्रयत्न में अगले 10 सालों में दुर्घटना होने की सभी संभावनों को समाप्त किये जाने की परिकल्पना की गई है। माननीय सदस्यों ने नोट किया होगा कि सुरक्षा पर अत्यंत बल दिया गया है। अपनी तरफ से मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि सुरक्षा के उपाय जो पहले से प्रस्तावित हैं एवं कार्यान्वयन किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिये आवश्यक सभी संसाधन जुटाये जाएंगे और उनका इस्तेमाल किया जाएगा। माननीय सदस्यों को अवगत है कि मानवरहित समपारों पर होने वाली दुर्घटनायें चिन्ता का मुख्य कारण हैं। यद्यपि सड़क का उपयोग करने वालों द्वारा हमेशा लापरवाही बरती जाती है लेकिन रेल अनेक परिवारों के साथ होने वाली भारी कष्ट से उन्हें बचाने के लिये पहले से ही इस मुद्दे पर सक्रिय ध्यान देना अपना कर्त्तव्य समझता है। इसलिये संकेन्द्रित एवं समयबद्ध तरीके से मानवरहित समापारों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता पर जोर शोर से कार्य किया जाएगा।

मैं समपारों के नियंत्रण के लिये आवश्यक पदों सहित सुरक्षा श्रेणी के सभी पदों को भरने पर अत्यधिक बल दूंगा। रेलमार्गों, पुलों, सिग्नलिंग एवं दूरसंचार कार्य, चल स्टाक एवं टर्मिनल के आधुनिकीकरण पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा। भारतीय रेल को प्रौद्योगिकी अनुकूल आधुनिक संगठन में बदलने की दृष्टि को सरकार करने के लिये इस पर अत्यंत बल दिया जाएगा।

नई रेलगाड़ियां चलाये जाने तथा रेलगाड़ियों के ठहराव के बारे में माननीय सदस्यों से भारी संख्या में अनुरोध प्राप्त हुये हैं। मैं माननीय सदस्यों की उन लोगों जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं कि सुविधा के प्रति चिन्ता की अत्यंत प्रशंसा करता हूं और सम्मान व्यक्त करता हूं। जैसा कि सदस्यों को ज्ञात है कि मैंने अभी हाल ही में कार्यभार ग्रहण किया है और सभी बाधाओं और संभावनाओं पर विचार करते हुये सही समय पर इन मांगों को पूरा कर पाऊंगा। तथापि मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता है कि अवसंरचना सुविधाओं के सतत संवर्धन से रेल को नयी यात्री रेलगाड़ियां शुरू करने में मदद मिल रही है। मुझे सदन को यह बताते हुये प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2010-11 में अपने अच्छे कार्य निष्पादन को जारी रखते हुये रेलवे चालू वर्ष में 725 किलोमीटर नई रेललाइन जोड़ रही है। इसके अतिरिक्त 825 किलोमीटर के आमान परिवर्तन तथा 750 किलोमीटर के दोहरीकरण के कार्य को भी पूरा किया जा रहा है। रोड ओवर ब्रिज और रोड अन्डर ब्रिज के सभी प्रस्ताव जिसके लिये राज्य सरकारों से लागत भागीदारी की सहमति प्राप्त हो गयी है, को कार्य संबंधी कार्यक्रम में शामिल किये जाने के विचार हैं।

मैं इस सभा को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि मैं चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं के राष्ट्रीय परियोजनाओं में शामिल किये जाने के लिये भी प्रयत्न कर रहा हूं। ये परियोजनायें हैं:-

1. जम्मू - पुंछ नई लाईन (जम्मू और कश्मीर)
2. बिलासपुर - मनाली - लेह नई लाइन (हिमाचल प्रदेश)
3. टनकपुर - बागेश्वर नई लाइन (उत्तराखंड)
4. रूपई - परशुरामपुर कुंड नई लाइन (पूर्वोत्तर क्षेत्र) कालहांडी में सवारी डिब्बे की स्थापना करन का प्रस्ताव था, प्रतिबद्धता भी जाहिर की गई थी। बजट भाषण में यह उल्लेख किया गया था कि ओडिशा के मुख्यमंत्री ने कालाहांडी की बजाए गंजाम में सवारी डिब्बे का कारखाना स्थापित किये जाने की इच्छा व्यक्त की है। मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि यदि कालाहांडी में भूमि उपलब्ध है तो बजट में दर्शायी प्रतिबद्धता के अनुसार आगे बढ़ेंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

श्री मुकुल राय: यह महत्वपूर्ण है कि रेलवे सवारी रेलगाड़ियों और माल रेलगाड़ियों को अत्यंत दक्षता, मितव्ययता, और सबसे महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा के साथ चलाता है। तथापि, मैं आश्वासन देता हूं कि माननीय सदस्य द्वारा दिये गये प्रत्येक सुझाव की रेलवे द्वारा जांच की जाएगी तथा संभव मांगों को मानने के लिये सभी संभव कदम उठाये जाएंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने स्टेशनों पर एवं रेलगाड़ियों में सफाई के मानकों तथा बिस्तरों और लिनेन आदि की दशा पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की है। खान-पान सेवा में स्वास्थ्य संबंधी मानक की मौजूदा स्थिति भी चिन्ता का एक कारण है। मैं इस महान सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि सुरक्षा के बाद मेरा सबसे महत्वपूर्ण एजेन्डा स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से संबंधित विषय होंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से रेल अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण की दक्षता और इस निगरानी के परिणामों पर गौर करूंगा।

सदस्यों ने रेलगाड़ियों में परोसे जा रहे भोजन की खराब गुणवत्ता के मामलों का उल्लेख किया है। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि हाल ही में घोषित नई खान-पान नीति के अधीन मुख्य खान-पान के क्रियाकलाप में धीरे-धीरे पुन: सुधार हो रहा है। मुझे विश्वास है कि जोन एवं मंडल नियंत्रण के अंतर्गत परिकल्पित निगरानी से पर्यवेक्षण प्रक्रिया सुदृढ़ होगी एवं कमियां दूर होंगी। भारत एक बड़ा देश है जहां विविध प्रकार का खान-पान है। हमें गर्व होना चाहिये कि भारतीय भोजन ने विश्व व्यापी लोकप्रियता प्राप्त की है। मैं मौजूदा प्रणाली में उपयुक्त परिवर्तन करके स्थानीय प्रतिभा एवं विशेषज्ञता पर रेलवे की खान-पान गुणवत्ता एवं मानकों में सुधार लाने के लिये प्रतिबद्ध हूं।

इसलिये मेरा विश्वास है कि हमें देश के बाहर विशेषज्ञता खोजने की कोई जरूरत नहीं है।

ऐसा उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2012-13 के दौरान एक लाख से अधिक व्यक्तियों की भर्ती की जाएगी। एक माननीय सदस्य ने लोको पायलट की वैकल्प रिक्तियों का उल्लेख किया था। मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। वास्तव में, हमारा लक्ष्य विकलांगों सहित समाज के कमजोर तबकों का सभी विकलांग रिक्तियों को भरने का भी है।

महोदया, मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि रेलवे बोर्ड की वर्तमान संरचना कार्यात्मक विशेषज्ञता, अनुभव एवं ज्ञान से युक्त है। इसके मद्देनजर इस चरण पर बोर्ड का और विस्तार किये जाने सदस्य पीपीपी/विपणन एवं सदस्य सुरक्षा/शोध के पदों का सृजन किये जाने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है।

महोदया, अनेक माननीय सदस्यों ने यात्री किराये में हुई वृद्धि जिसका प्रभाव आम आदमी पर पड़ेगा, पर रोष किया है। गरीब आदमी की चिन्ता नहीं की जा रही है भले ही इसका अर्थ हो कि अलग प्रकार से कठिन परिस्थिति का सामना करने की शुरूआत की जा रहे हो। आम आदमी पर किराया वृद्धि का भारी प्रभाव पड़ेगा। दूसरे दर्जे तथा शयनयान में दो पैसे, तीन पैसे और पांच पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि से जनता के ऊपर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा। इसी प्रकार, ए.सी. चेयरकार और ए.सी. 3 टीयर श्रेणी जिसके ग्राहक मध्यम वर्ग हैं, में वृद्धि भी अत्यंत तकलीफदेह है। मेरा इरादा पहले से ही परेशान आम आदमी के ऊपर इन श्रेणियों में कोई वृद्धि नहीं करने का है।

अध्यक्ष महोदया, लेखानुदानों की मांगों के अंतर्गत पहले दो महीनों के लिये 41,834 करोड़ का व्यय शामिल है तथा इसमें प्रत्येक मांग के अंतर्गत कुल प्राक्कलित व्यय का छठा भाग है। तथापि आईआरएफसी पट्टा भुगतान देयता को पूरा करने के लिये मांग 9

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

और 16 (पूंजी निधि) हेतु अत्याधिक आवश्यकतायें शामिल हैं क्योंकि भुगतान दो किस्तों में होता है और पहला अप्रैल में ही होता है।

वर्तमान वर्ष की 7,771 करोड़ रु. की अनुपूरक अनुदानों की मांगें प्राथमिक रूप से स्टाक संबंधी व्यय, ईंधन व्यय एवं पेन्शन देयताओं पर होने वाले अधिक व्यय और साथ ही वित्त मंत्रालय द्वारा दिये जाने वाले 3,000 करोड़ रु. के ऋण के संबंध में हासिल की जा रही हैं। इसके अलावा, वर्ष 2009-10 की 1,923 करोड़ रु. की अतिरिक्त अनुदानों की मांग भी की गई है।

इसके साथ ही मेरा इस सम्मानित सदन से अनुरोध है कि 2012-13 की 'लेखा' अनुदानों की मांगों, अनुपूरक अनुदानों की मांगों 2011-12, अतिरिक्त अनुदानों की मांगों 2009-10 तथा संबंधित विनियोजन विधेयकों को अनुमोदन प्रदान किया जाये। मेरा सदन से यह अनुरोध भी है कि लाभांश से संबंधित दरों एवं अन्य आनुषंगिक मामलों के संबंध में रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया जाये।

अध्यक्ष महोदया: मैं अब वर्ष 2012-13 के लिये लेखानुदानों की मांगें (रेल) सभा में मतदान के लिये रखती हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 16 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षो के संबंध में 31 मार्च, (वर्ष) 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

लोक सभा द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए स्वीकृत लेखानुदानों की मांगे (रेल)

मांग की संख्या	मांगों के नाम	सभा द्वारा स्वीकृत अनुपूरक अनुदानों की मांगे लेखानुदान की मांगों की राशि (रुपये)
1	2	3
1	रेलवे बोर्ड	37,63,67,000
2	विविध व्यय (सामान्य)	127,38,17,000
3	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	885,42,81,000
4	रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	1464,46,49,000
5	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	669,28,10,000
6	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	1551,85,55,000
7	संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	843,70,59,000
8	परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर	1226,79,12,000
9	परिचालन व्यय-यातायात	4229,39,19,000
10	परिचालन व्यय - ईंधन	3557,78,73,000
11	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	723,78,03,000
12	विविध संचालन व्यय	767,57,61,000
13	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवाएं-निवृत्ति, लाभ	3186,77,66,000
14	निधियों में विनियोग	7261,16,67,000

1	2	3
15	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण की अदायगी और अतिपूंजीकरण का परिशोधन	4,28,83,000
16	परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव	
	राजस्व	9,98,33,000
	अन्य व्यय	
	पूंजी	10162,41,90,000
	रेलवे निधियां	4747,62,50,000
	रेलवे संरक्षा निधि	333,06,67,000
	जोड़	41790,40,62,000

अध्यक्ष महोदया: मैं अब वर्ष 2011-12 के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेल) सभा में मतदान के लिए रखती हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 6, 8 से 13 और 16 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षो के संबंध में 31 मार्च, (वर्ष) 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए स्वीकृत अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेल)

मांग की संख्या	मांगों के नाम	सभा द्वारा स्वीकृत अनुपूरक अनुदानों की मांगों की राशि (रुपए)
6	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	194,42,30,000
8	परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर	419,28,62,000
9	परिचालन व्यय-यातायात	116,09,59,000
10	परिचालन व्यय-ईंधन	1692,30,85,000
11	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	2,09,20,000
12	विविध संचालन व्यय	425,12,94,000
13	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवाएं-निवृत्ति लाभ	1077,60,91,000
16	परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव	
	पूंजी	3714,09,79,000
	जोड़	7641,04,20,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: अब मैं वर्ष 2009-2010 के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेल) को सभा मतदान के लिये रखती हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 दिखाई गयी मांग सं- 4 से 6, 8, 9, 12, 13 और 15 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये:-

लोक सभा द्वारा वर्ष 2009-10 के लिए स्वीकृत अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेल)

मांग संख्या	मांगों के नाम	सभा द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त अनुदानों की मांगों की राशि (रू.)
4	रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	54,49,81,635
5	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	88,71,27,842
6	सवारी एवं माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	161,20,05,393
8	परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर	35,20,77,632
9	परिचालन व्यय-यातायात	26,30,83,601
12	विविध संचालन व्यय	39,87,35,318
13	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवाएं-निवृत्ति लाभ	1512,26,50,695
15	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण की अदायगी तथा अतिपूंजीकरण का परिशोधन	4,51,03,762
	जोड़	1922,57,65,878

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.21 बजे

विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2012*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब सभा मद संख्या- 18 और 19 की एक साथ लेगी।

रेल मंत्री (श्री मुकुल राय): मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलवे के प्रायोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2012-13 के एक भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से क्षतिपय राशियों को निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2012-13 के एक भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थगित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित और प्रस्तुत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 22.3.2012 में प्रकाशित।

श्री मुकुल राय: मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदया: मंत्री अब प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाये।

श्री मुकुल राय: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2012-13 के एक भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2012-13 के एक भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड-1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री मुकुल राय: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.22 बजे

विनियोग (रेल) विधेयक, 2012*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब यह सभा मद् संख्या 20 और 21 पर एक साथ विचार आरंभ करेगी।

रेल मंत्री (श्री मुकुल राय): मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई है उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए रेल संबंधी कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई हैं उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मुकुल राय: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदया: मंत्री जी अब प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री मुकुल राय: मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए रेल संबंधी कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गयी हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 22.3.2012 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर: स्थापित और प्रस्तुत।

"कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए रेल संबंधी कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गयी हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: यह सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।

श्री मुकुल राय: मैं प्रस्ताव करता हूं:–

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.25 बजे

विनियोग (रेल) संख्या 02 विधेयक, 2012*

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री मुकुल राय): मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2011-12 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2011-12 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मुकुल राय: मैं विधेयक को पुर:स्थापित* करता हूं।

अध्यक्ष महोदया: यह सभा अब इस प्रस्ताव पर विचार करना आरंभ करेगी।

श्री मुकुल राय: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2011-12 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वर्ष 2011-12 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: अब यह सभा विधेयक खंड-वार विचार करना आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 22.3.2012 में प्रकाशित।

* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित और प्रस्तुत।

श्री मुकुल राय: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.29 बजे

रेल अभिसमय समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अनुमोदन के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब हम मद् संख्या 24 पर विचार करेंगे।

रेल मंत्री (श्री मुकुल राय): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व आदि को संदेय लाभांश की दर की समीक्षा करने के लिए नियुक्त रेल अभिसमय समिति (2009) के दूसरे प्रतिवेदन जिसे 30 अगस्त, 2011 को संसद की दोनों सभाओं में प्रस्तुत किया गया था, के पैरा 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82 और 84 में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करती है।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व आदि को संदेय लाभांश की दर की समीक्षा करने के लिए नियुक्त रेल अभिसमय समिति (2009) के दूसरे प्रतिवेदन जिसे 30 अगस्त, 2011 को संसद की दोनों सभाओं में प्रस्तुत किया गया था, के पैरा 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82 और 84 में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.30 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

ओडिशा के कंधमाल में सीपीआई माओवादियों द्वारा इटली के दो नागरिकों के अपहरण से उत्पन्न स्थिति के बारे में

अध्यक्ष महोदया: सभा अब 'शून्य काल' की कार्यवाही आरंभ करेगी।

श्री अर्जुन चरण सेठी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदया: श्री अर्जुन चरण सेठी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदया: श्री अर्जुन चरण सेठी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.30½ बजे

इस समय, श्री थोल तिरुमावलावन सभा भवन से बाहर चले गये।

श्री अर्जुन चरण सेठी (भद्रक): अध्यक्ष महोदया, कृपया मेरी ओर से श्री भर्तृहरि महताब को बोलने की अनुमति प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): अध्यक्ष महोदया, मैं यहां एक अत्यंत गंभीर मुद्दा उठाने के लिये खड़ा हुआ हूं जिसका संबंध केन्द्र सरकार और इस सभा दोनों से है।

हम में से अधिकांश लोगों को जानकारी है कि इटली के दो नागरिकों का गत एक सप्ताह से माओवादियों ने अपहरण किया हुआ है। शनिवार देर रात को इटली के नागरिकों के साथ दो भारतीय जो ओडिशा के कन्धमाल जिले के दूर दरज क्षेत्रों में गये थे वे पुरी लौट आये और देर रात बारह बजे के बाद पुलिस को अपहरण के बारे में

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सूचित किया। एक का नाम था श्री संतोष महाराजा, रसोइया और दूसरा था श्री कार्तिक परिदा, ड्राइवर। उन्होंने कहा कि दो इटली के नागरिकों जिनके नाम हैं बोसुस्को पाओलो और क्लाउडिओ कोलांजेलो का माओवादियों द्वारा अपहरण कर लिया गया है तथा उन्होंने राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा पूरे किये जाने हेतु मांगों की एक सूची दी है।

इटली के इन दोनों नागरिकों के अपहरण की सूचना विदेश मंत्री को दे दी गई थी। सुबह 18 तारीख को विदेश मंत्री से संपर्क करने का प्रयास किया गया। लेकिन विदेश मंत्री ने वापस आने के बाद अपराह्न 4.30 बजे काल का उत्तर दिया ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: हमें सभा में व्यवस्था बनाए रखनी चाहिये।

...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब: गृह मंत्री से संपर्क करने का भी प्रयास किया गया था। लेकिन बार-बार मुख्यमंत्री कार्यालय को बताया गया कि वे एक घंटे के बाद बात करें, दो घंटे के बाद बात करें, सात घंटे के बाद बात करें आदि यह चलता रहा और जब छह बजे अंततः मुख्यमंत्री गृह मंत्री से बात करना चाहते थे तो कोई उत्तर नहीं मिला और उन्हें एक घंटे या उसके बाद गृह मंत्री से बात करने को कहा गया। अंत में गृहमंत्री रात्रि 8.30 बजे बात करने लाइन पर आये। जब मुख्यमंत्री ने रात्रि 8.30 बजे उनसे बात की और उन्हें मामले की गंभीरता, माओवादियों द्वारा दो विदेशी नागरिकों का अपहरण किये जाने के बारे में बताया और यह बताया कि ओडिशा भारत में है और पहली बार ओडिशा में विदेशी नागरिकों का अपहरण हुआ है तथा गृह मंत्री को कहा कि इस मामले में कुछ किया जाना चाहिये तो मुझे अफसोस के साथ इस सभा में कहना है कि गृह मंत्री ने इसे अत्यंत हल्के में लिया। मुख्यमंत्री से केवल दो वाक्य सुनने के बाद उन्होंने कहा कि "धन्यवाद" और इसके बाद फोन रख दिया ...*(व्यवधान)*

महोदया, विदेशी नागरिकों का अपहरण अत्यंत गंभीर मामला है। पहली बार माओवादियों ने विदेशी नागरिकों का अपहरण किया है। यह संवेदनशील मामला है। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों को इस स्थिति से अत्यधिक सचेत तरीके से निपटना चाहिये। इसके अन्तर्राष्ट्रीय आयाम हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब: उड़ीसा राज्य सरकार ने पहले ही संकट प्रबन्धन समूह का गठन कर दिया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास सचिव, श्री संतोष सारंगी; गृह सचिव, अरबिन्दो बेहरा; पंचायती राज सचिव, श्री पी. के. जेना इस कार्य को देख रहे हैं। वे इस मामले की जांच कर रहे हैं और अधिक से अधिक संपर्क करने का प्रयत्न कर रहे हैं और संयुक्त रूप से स्थिति की निगरानी कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* माओवादियों ने शुरू में तीन व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट किया था। वे थे (एक), सीपीआई (माओवादी) के पोलित ब्यूरो के सदाय श्री नारायण सान्याल जो छत्तीसगढ़ में जेल में है; (दो) नागरिक अधिकार कार्यकर्ता श्री धन्दापालि माहेन्ती जो पहले ही भुवनेश्वर में पहुंच गये हैं; (तीन) नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, श्री विश्वप्रिय कानूनगो जिन्होंने वार्ता में भाग लेने से इन्कार कर दिया। इसके बाद दूसरे नागरिक अधिकार कार्यकर्ता श्री प्रफुल्ल सामंतरे के नाम का उल्लेख किया गया। उन्होंने भी वार्ता में भाग लेने से इन्कार कर दिया। दूसरे व्यक्ति श्री बी. डी. शर्मा, पूर्व सिविल सेवक और वर्तमान में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता के नाम का उल्लेख किया गया। वह पहले ही भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं। राज्य अभी भी सीपीआई (माओवादी) से दूसरे नाम की प्रतीक्षा कर रहा है ताकि वार्ता हो सके।

महोदया, श्री क्लाउडिओ पुरी में आ चुके थे तथा सूचना के अनुसार वह भारत में 20 वर्षों से अधिक समय से यात्रा कर रहे हैं। यह हर सचेत भारतीय के लिये चिन्ता की बात है। वह ऐसे विदेशी नागरिक हैं जो न केवल ओडिशा में रहे हैं बल्कि वह पूरे देश की यात्रा करते रहे हैं और विशेषकर यह कि वह कई वर्षों से यहां यात्रा करते रहे हैं? कोई सूचना नहीं दी जा रही है...*(व्यवधान)*

महोदया, यह एक गंभीर मामला है। कई दिन बीत गये हैं, सभा का सत्र चल रहा है, लेकिन सरकार ने कोई वक्तव्य नहीं दिया है ...*(व्यवधान)* गृह मंत्रालय ने कोई वक्तव्य नहीं दिया है। केन्द्र सरकार, संघी सरकार क्या कर रही है?...*(व्यवधान)*

मुझे बताया गया है कि श्री क्लाउडिओ के पास पैन कार्ड है और वह व्यावसायिक लेनदेन कर रहे हैं। यह प्रत्यक्ष मामला है जिस पर केन्द्र सरकार को अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। आज मेरी पहली जिम्मेदारी बंधकों को सुरक्षित एवं सकुशल वापस लाने की है। यह प्राथमिक लक्ष्य है। हमारा अनुरोध है कि इटली के इन दोनों नागरिकों को सुरक्षित निकाला जाए। इटली का मीडिया भी भुवनेश्वर में है। राजदूतावास का एक अधिकारी भुवनेश्वर में है। केन्द्र सरकार क्या कर रही है? ...*(व्यवधान)* हमारी चिन्ता यही है। कम से कम केन्द्र सरकार से किसी को उत्तर देना चाहिये और राज्य सरकार से बात करनी चाहिये।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: अब आप अपनी बात समाप्त करें। *[अनुवाद]* कृपया अपने स्थान पर बैठें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आपने सारी बात कह दी है इसलिए अपनी बात अब समाप्त करें।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: ओडिशा हमारे देश का एक भाग है। आपने उस समय कन्धामाल का दौरा किया था जब आप मंत्री थी। कन्धामाल ही वह जगह है जहां से इटली के इन दोनों नागरिकों का अपहरण हुआ है। दारिंगवाडी जिसे ओडिशा का कश्मीर माना जाता है में बर्फबारी हुई है। यह समुद्र तल से 3000 मीटर ऊपर है। यह एक सुन्दर स्थान है। यदि विदेशी नागरिक वहां जाते हैं तो उनका इस प्रकार अपहरण कर लिया जाता है, क्या यह गंभीर बात नहीं है? ...*(व्यवधान)*

मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि पुलिस ने उन्हें रोका और उन्हें उस क्षेत्र में जाने से मना किया। फिर भी वे वहां चले गये। इन मुद्दों पर हम बाद में चर्चा करेंगे। हमारा अनुरोध है कि खुफिया, पुलिस तथा आपके पास केन्द्र एवं ओडिशा में जो भी तन्त्र हैं उनकी मदद से उन्हें वापस लाने के सभी प्रयत्न किये जाएं। उन्हें इन लोगों को वापस लाने के लिये मिल-जुल कर प्रयत्न करने चाहिये। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया: श्री राजेन्द्र सिंह तोमर, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री निखिल कुमार चौधरी, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्री रमेन डेका, श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ श्री वीरेन्द्र कुमार और डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी को माओवादियों द्वारा ओडिशा के कन्धमाल में इटली के दो नागरिकों के अपहरण से संबंधित विषय जिसे श्री भर्तृहरि महताब ने उठाया है से सम्बद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

निशिकांत दुबे जी, आप अपने को इस विषय से संबद्ध कर रहे हैं

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): मैडम, मैंने भी इस बारे में नोटिस दिया है इसलिए मैं अपने को इस विषय से संबद्ध करते हुए कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया: इसी विषय पर अपने नोटिस दिया है। आप अपने को संबद्ध कर रहे हैं इसलिए जल्दी से अपनी बात कहें।

श्री निशिकांत दुबे: अध्यक्ष महोदया, अभी माननीय सदस्य भर्तृहरि महताब ने जो कहा, उससे अपने को संबद्ध करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि यह एक गंभीर मामला है। राज्य सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री और विदेश मंत्री किस तरह से इस बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कंधमाल में यह कोई पहली घटना नहीं है। दो इटैलियन नागरिकों का यदि किडनैपिंग हो गया तो उसके बारे में पूरी दुनिया ह्यू एंड क्राई कर रही है। कंधमाल में इससे पहले भी हत्याएं तक हो चुकी हैं, लेकिन मैं उस बारे में चर्चा नहीं करना चाहता। जो मुद्दे मेहताब साहब ने उठाए हैं, उनमें से दो-तीन बातें उभर कर आती हैं। पहली बात तो यह है कि इस देश की वीजा पालिसी क्या है, इस देश में नौकरी की पालिसी क्या है कि फॉरेन नेशनलिस्ट यहां आकर 20 साल से बैठे रहते हैं। उनमें से कोई आईएसआई के एजेंट बन जाते हैं, कोई क्रिश्चियन मिशनरी के माध्यम से धर्मान्तरण का काम करते हैं। ओडिशा में कई लोग इस तरह की बिजनेस एक्टीविटी करते हैं। यह केवल राज्य सरकार का सवाल है। पूरी केन्द्र सरकार इस बारे में क्या कर रही है? यह तो पूरा रेड कॉरिडोर है, जो नेपाल से चलते हुए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश तक जाता है, उस बारे में गृह मंत्री जी की क्या योजना है? यदि आज दो विदेशी नागरिक बंधक बन गए हैं, तो किस तरह से विनायक सेन को छत्तीसगढ़ सरकार यदि बंद करती है तो आप उसे छुड़ाने का काम करते हैं और उस राज्य सरकार पर अटैक करते हैं। आज इन लोगों ने अपने लोगों को आगे कर कहा कि ये लोग बातचीत करेंगे, यह इस बात को दिखाता है कि इनकी जड़ें कितनी गहरी हैं और किस तरह से केन्द्र के लोग उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। मैं अपने को इससे संबद्ध करते हुए यही कहना चाहता हूं कि इसमें वीजा नार्म्स क्या होने चाहिए, जो विदेशी नागरिक आते हैं, उन्हें धर्मान्तरण से कैसे रोकेंगे और नौकरी करने से कैसे रोकेंगे?

यह जो रेड-जोन बना हुआ है इस रेड-जोन के लिए होम-मिनिस्टर की क्या पॉलिसी है, उसके बारे में क्लीयर-कट योजना होनी चाहिए। आज वहां आम लोग मर रहे हैं और आप कहते हैं कि नक्सलाइट्स को खत्म करना है, मारना है, उनके लिए सीआरपीएफ और बीएसएफ भेज रहे हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं हो रहा है। आज वहां नक्सलवाद बढ़ रहा है और आम लोग तबाह हो रहे हैं। वहां इस प्रकार की गतिविधियां न हों, इस बारे में केन्द्र सरकार तुरंत ध्यान दे। आपके माध्यम से यही में सरकार को कम्युनिकेट करना चाहता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयाः श्री गुरुदास दासगुप्त।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप लोग बैठ जाइये। श्री गुरुदास दासगुप्त को बोलने दीजिए। आप लोग प्लीज बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप लोग बैठ जाइये। जीरो-आवर को चलने दीजिए। आप लोगों को नियम पता है, आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदया, मुझे भी बोलना है, मेरा भी इसी विषय पर नोटिस है।

अध्यक्ष महोदयाः मैं सभी को बुला रही हूं, आप बैठ जाइये।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): महोदया, यह मामला बहुत गंभीर है। इस बात को 9 दिन हो गये हैं और जो दो इटालियन्स का उस क्षेत्र से अपहरण हुआ है, उनके बारे में जानकारी नहीं है। मैंने टेलीविजन और अखबारों में जो कुछ देखा, उससे लगा कि जैसे कोई संवाद ही सरकार का उनसे नहीं है। बार-बार वह इस बात को कह रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस विषय में सरकार की ओर से गृह-मंत्री या विदेश-मंत्री बोलें। लेकिन दोनों में से किसी को आकर बताना चाहिए कि अब तक क्या-क्या हुआ है। और इस बारे में क्या किया जा सकता है? प्रदेश की सरकार तो वहां कोशिश कर रही है लेकिन मुख्यतः जवाबदारी केंद्र सरकार की है क्योंकि दोनों ही व्यक्ति जिनका अपहरण हुआ है, विदेशी हैं। इसलिए संसद को पूरी सूचना मिलनी चाहिए। अभी संसदीय कार्य मंत्री आश्वासन दे दें कि वे सोमवार के दिन गृह-मंत्री या विदेश मंत्री संसद को बता देंगे कि क्या हुआ है और वे क्या करने वाले हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सोमवार तक क्यों आज शाम तक बताएं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणीः शाम तक बता दें तो और भी अच्छा है।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मैं इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को दे दूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः श्री गुरूदास दासगुप्त।

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल): मैं अत्यावश्यक लोक महत्व का एक मामला उठा रहा हूं। भारतीय संविधान में दूसरे सदन का उपबन्ध किया गया है। भारतीय संसद में, लोक सभा और राज्य सभा है। कुछ राज्यों में, दूसरे सदन है किंतु कुछ, राज्यों में दूसरा सदन नहीं है। पश्चिम बंगाल में कोई दूसरा सदन नहीं है। समूचा देश यह जानता है कि दूसरे सदन के लिये जल्द ही निर्वाचन होने जा रहा है। मैं समूचे देश एवं राष्ट्र का ध्यान उस दूसरे सदन विशेष की निर्वाचन प्रक्रिया की ओर दिलाना चाहता हूं।

हमने सभा में भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा की। सभी दल भ्रष्टाचार की मर्त्सना करते हैं। हमने लोकपाल विधेयक पारित किया था और सरकार इस सत्र के अंत से पहले दूसरे सदन में उस विधेयक को पारित करने के लिये प्रतिबद्ध है। मुझे आशा है कि सरकार इस कार्य को करेगी।

निर्वाचन आयोग ने कई बार देश का ध्यान धन बल की भूमिका की ओर दिलाया था। पांच राज्यों में हाल ही में हुये चुनावों के दौरान निर्वाचन आयोग ने धन बल की भूमिका पर अंकुश के लिये प्रभावी कदम उठाये थे। हम सभी निर्वाचन आयोग की भूमिका की सराहना करते हैं। किंतु अब ऐसी रिपोर्ट आ रही हैं, बहुत ही संवेदनशील रिपोर्ट आ रही हैं कि दूसरे सदन के लिये उस निर्वाचन विशेष के लिये उम्मीदवारी हासिल करने के लिये बड़ी मात्रा में धन का भुगतान किया जा रहा है। कानूनी अथवा गैर-कानूनी रूप से बड़ी मात्रा में धन रखने वाले लोग उन लोगों, जिनका उम्मीदवार के चयन में महत्व है, को भारी मात्रा में योगदान, राजनीतिक अथवा व्यक्तिगत स्तर पर खाड़ी क्षेत्र सहित कर रहे हैं। ये रिपोर्टें इतनी खतरनाक है जो बताती हैं कि विश्व के विभिन्न भागों के अनिवासी भारतीयों ने इस दौड़ में शामिल होने के लिये उप-महाद्वीप पर नज़रें गाड़ रखी हैं और विधानमंडल में जाने के लिये पैसा भी चुकाया जा रहा है।

महोदया, मैं इस लोक सभा का विगत 7-8 वर्षों से सदाय हूं। मैं 16 वर्षों तक राज्य सभा में था। मुझे पता है कि संसद, चाहे वह लोक सभा हो अथवा राज्य सभा हो, होना एक बड़े विशेषाधिकार की बात होती है, हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करने को कहा जाता है, और यह अत्यंत सम्मानजनक बात है जिसमें संविधान की भावना के भी भय अथवा पक्ष रहित बनाये रखना है। किंतु यदि निर्वाचन प्रक्रिया इतनी संदूषित है, यदि अकूत धन वाले लोगों को विधानमंडल में आने दिया जाता है, तो इसे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था गंभीर रूप से तहस-नहस हो जायेगी। यह भारतीय लोकतंत्र पर एक बड़ा धब्बा है। यह भारतीय लोकतंत्र हेतु एक बड़ा खतरा है।

मैं और अधिक नाम नहीं ले सकता क्योंकि संसदीय नियम मुझे विधानमंडल, दल और उनके पीछे के लोगों के नाम लेने की इजाज़त नहीं देते।

भर्तृहरि महताब: किंतु आप हरेक का नाम ले रहे हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं नाम नहीं ले रहा हूं। लोग उस बारे में जानते ही हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं ...*(व्यवधान)* मैं उस विधानमंडल के एक सदस्य विशेष को जानता हूं जो मेरे दल का नहीं है जो कि काफी प्रभावी है किंतु उसे टिकट नहीं किया गया है जबकि किसी और, जोकि एक व्यवसायी है, को टिकट दिया गया है। ...*(व्यवधान)* मैं उस प्रकार से, आपके अनुसार नहीं चल सकता। जैसे आप चाहते हैं मैं वह बाहर कह सकता हूं।

अत: ऐसा प्रतीत होता है कि अभी दिल्ली दूर है तथा लोग जो सदन में कहते हैं और जो बाहर कहते हैं, उसमें भी अंतर है। संसदीय व्यवस्था तथा राजनीतिक दलों में यह दोहरापन, आडंबर हमेशा के लिये समाप्त होना चाहिये।

मैं सबसे, राष्ट्र से और निर्वाचन आयोग से अपील करता हूं कि वे इस ओर गौर करें और इस संदिग्ध नियत से इस संसदीय व्यवस्था को मनमाने ढंग से चलाने के जघन्य प्रयास को बंद करें। मैं यही बात कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, मैं अपने को श्री गुरुदास जी द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका): अध्यक्ष महोदया, मैं अपने को श्री गुरुदास दासगुप्त जी द्वारा उठाए गये विषय से संबद्ध करती हूं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं नाम नहीं ले सकता...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आपने अपनी बात समाप्त कर ली है। कृपया अब अपनी जगह पर बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? गुरुदास दासगुप्त जी, अब आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० सौगत राय): कृपया नाम लीजिये ...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं बाहर अपने मित्र को अनुगृहीत करूंगा। हर कोई जानता है, यह एक खुला खेल है ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं होगा। कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्रीमती पुतुल कुमारी: अध्यक्ष महोदया, मैं श्री गुरुदास दासगुप्त जी द्वारा उठाये गये विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करती हूं। कृपया अनुमति प्रदान की जाए।

[अनुवाद]

श्री अब्दुल रहमान (वेल्लोर): महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं केन्द्र सरकार द्वारा उठाये गये। उन सभी कदमों की सराहना करता हूं जो देश में निरक्षरता के उन्मूलन एवं देश में सभी स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये उठाये गये हैं।

हाल के दिनों में, सरकार ने उन सभी विद्यार्थियों को सहायता की घोषणा की है जो उच्च शिक्षा हासिल करने के इच्छुक हैं। तदनुसार, भारत सरकार ने शैक्षणिक ऋणों की घोषणा की थी, जिनका लाभ विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न बैंकों में लिया जा सकता है। हाल ही में, हमें राष्ट्र की वे विभिन्न हिस्सों, ख़ासकर मेरे संसदीय क्षेत्र वेल्लोर से कई शिकायतें मिल रही हैं। विद्यार्थियों को उनके शैक्षणिक ऋण संबंधी आवेदन के संबंध में बैंकिंग क्षेत्र से समुचित प्रतिक्रिया नहीं मिलती। विद्यार्थियों को हर रोज़ शैक्षणिक संस्थानों में जाने की बजाय, इस बाबत मजबूर किया जाता है कि वे उस क्षेत्र में प्रत्येक बैंक का दरवाज़ा खटखटाए जहां वे अपनी उच्च शिक्षा के लिये आवेदन करते हैं। विभिन्न बैंकों में अपना गई प्रविधि एवं व्यवस्था भिन्न-भिन्न स्वरूप एवं ढंग की है।

इस प्रकार की स्थिति से विद्यार्थियों और उनके माता-पिता एवं अभिभावकों को बहुत कष्ट हो रहा है तथा इसी वजह से बहुत से विद्यार्थी विभिन्न विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा हासिल करने की अपनी इच्छा को ही त्याग देते हैं।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

इस अवसर पर मैं संबंधित मंत्रालय और संबंधित शैक्षणिक मंत्रालय के अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि वे उन बैंकों जो उच्च शिक्षा हासिल करने में लगे विद्यार्थियों को शैक्षणिक ऋण की मंजूरी देने अथवा प्रदान करने के लिये शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं, के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करें। ऐसा करना समय की मांग है। अत:, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस प्रकार की असामान्य स्थिति का उन्मूलन करने हेतु अब कदम उठाये।

श्री एस.एस. रामासुब्बू (तिरूनेलवेली): महोदया, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करना चाहता हूं।

श्री पी. विश्वनाथन (कांचीपुरम): महोदया, मैं भी स्वयं को इससे सम्बद्ध करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती पुतुल कुमारी: अध्यक्ष महोदया, मैं भी श्री अब्दुल रहमान जी द्वारा उठाये गये विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करना चाहती हूं।

श्री कमल किशोर 'कमांडो' (बहराइच): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान देश के विशेषकर उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल जिलों में मुस्लिम समुदाय के आर्थिक पिछड़ेपन की समस्या के समाधान की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। अल्पसंख्यकों के माननीय प्रधान मंत्री जी के 15 सूत्रीय कार्यक्रम में यह प्रावधान किया गया है कि अल्पसंख्यकों को विकास के लिए शामिल मंत्रालयों, विभागों एवं योजनाओं तथा परियोजनाओं में 15 प्रतिशत का निर्धारण किया जाए। सरकार द्वारा मुस्लिम बच्चों के शैक्षणिक पिछड़ेपन की समस्या के समाधान के लिए अल्पसंख्यक बहुल ब्लाकों में कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की स्थापना, नये स्कूल की स्थापना, स्कूलों के उन्नयन, मॉडल कॉलेज, पॉलीटेक्नीक कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में बालिका छात्रावासों का निर्माण, मदरसों के शिक्षकों को बेहतर वेतन, पुस्तकालय, कम्प्यूटर, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत, उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हेतु वित्तीय सहायता, जन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा हेतु मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति, शैक्षिक संस्थानों के अवसंरचना विकास के लिए संस्थानों को अनुदान सहायता जैसी अनेक योजनाएं संचालित हैं जिसके लिए सरकार द्वारा काफी मात्रा में वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है किंतु इन योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल जिलों में नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश का जनपद बहराइच जहां से मैं निर्वाचित संसद सदस्य हूं, यह जिला भारत नेपाल सीमा पर बसा है। इस जिले में मुस्लिम आबादी बहुत ही अधिक है, यहां के मुस्लिम समुदाय के लोग शैक्षिक व आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हैं। यद्यपि अल्पसंख्यकों के कल्याणकारी केंद्र, राज्य जिला स्तरीय निगरानी तंत्र भी परिकल्पित है फिर भी उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के लिए किये जा रहे विकास कार्यों का प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिल पा रहा है। संसद सदस्यों सदस्यों को जिले में चलाये जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी नहीं दी जा रही है न ही उनके सुझावों पर ध्यान किया जाता है।

मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन है कि बहराइच जिले में अल्संख्यकों के शैक्षणिक तथा आर्थिक विकास हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा कराई जाए। इस जिले में अल्पसंख्यकों हेतु जो भी धन प्रदान किया गया है, उनसे कौन-कौन से कार्यक्रम संचालित हुए या हो रहे हैं और जो स्कूल, कॉलेज, पॉलीटेक्नीक आदि की स्थापना की स्वीकृति तथा धन दिया गया है, उनमें से कितने कार्य पूरे किये गये? जिला स्तर पर एक बैठक कराकर विगत तीन वर्षों में जारी किये धन से हुए कार्यों की समीक्षा की जाए।

अध्यक्ष महोदया: जगदंबिका पाल जी, संक्षेप में अपने को संबद्ध कर लीजिए और ज्यादा लंबा नहीं बोलिए।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अपने को इस विषय से संबद्ध करता हूं। मैं आपकी अनुज्ञा के लिए आभारी हूं कि जो बात उन्होंने नहीं कही है, मैं माननीय सदन के समक्ष उस बात का केवल उल्लेख करना चाहता हूं। माओवादियों द्वारा आज बृहस्पतिवार को अंतिम समय सीमा दी गई है, पहले रविवार को दी गई थी। यह स्वाभाविक है दोनों विदेशियों की जान खतरे में है। उन्होंने राज्य सरकार को 13 सूत्री मांग कुछ लोगों को छोड़ने के लिए दी है। अभी मेहताब जी कह रहे थे कि हमने समिति बना दी। 13 सूत्री मांगों के लेकर अगर वाकई राज्य सरकार विदेशियों की जिंदगी की हिफाजत चाहती है, सलामती चाहती है तो वार्ता शुरु होनी चाहिए।.. .*(व्यवधान)* मैंने आपको नहीं छेड़ा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बात को लंबी मत खींचिए। आपको सिर्फ संबद्ध करना था।

...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल: महोदया, कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। आप ज्ञानी हैं। ...*(व्यवधान)* यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल: इन्होंने कहा कि पुलिस ने मना किया कंधमाल के उस रेड जोन में जाने के लिए। ...*(व्यवधान)* इसके बावजूद अगर दोनों विदेशी गए तो दोनों विदेशियों को, जहां उनका अपहरण हो सकता था। ...*(व्यवधान)* उनका जीवन खतरे में पड़ सकता था। ...*(व्यवधान)* उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्रीमती जयश्रीबेन पटेल।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल: जब गृहमंत्री एनसीटीसी बनाने की मांग करते हैं ...*(व्यवधान)* प्रिवेंटिव कार्यवाही करें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाएं। जयश्रीबेन बोल रही है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। कृपा करके बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्रीमती जयश्रीबेन पटेल जो कह रही है उसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 29 मार्च 2011 को देश के 13,037 स्वास्थ्य सेवा केंद्रों को सूची जारी की जिन्हें बायोमेडिकल कचरा उत्पादन एवं निपटान नियमों का उल्लंघन करते पाया गया था। ऐसी स्वास्थ्य इकाइयों की संख्या 2007-08 में 19,090 थी। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में रोजाना, 4,05,702 किलोग्राम बायोमेडिकल कचरा पैदा होता है जिसमें से 2,91,983 किलोग्राम कचरा ठिकाने लगाया जाता है और रोजाना 1,13,719 किलोग्राम कचरा नष्ट नहीं किया जाता है। यह अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य प्रणाली में वापिस आ जाता है। 1998 के बायोमेडिकल कचरा (प्रबंधन और निपटान) नियमों के मुताबिक बायोमेडिकल कचरा पैदा करने वाले सेवा केंद्रों के लिए यह पक्का करना अनिवार्य है कि कचरे के प्रबंधन से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ऐसा कभी-कभार होता है। निवारण कानून न होना इस बात की बड़ी वजह है कि बायोमेडिकल कचरे के दिशा निर्देशों का अकसर उल्लंघन होता है। अगर कचरे का 1150 डिग्री सेल्सियस के निर्धारित तापमान पर भस्म नहीं किया जाता तो यह लगातार डायरेक्सिन और फ्युरान्स सरीखे ऑर्गेनिक प्रदूषण पैदा करता है जिससे कैंसर, प्रजनन और विकास संबंधी परेशानियां पैदा हो सकती हैं और मधुमेह की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस कचरे में निपटान हेतु शीघ्र ही सक्षम नीति एवं कठोर कदम उठाये जाएं तथा भारत में हमें यह काम निजी क्षेत्र को सौंपना चाहिए, ताकि अस्पताल चिकित्सा के मुद्दों पर ध्यान दे सकें।

अपराह्न 1.00 बजे

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीकारा): अध्यक्ष महोदया, मैं इस महान सभा का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं जिसे इस सभा में बहस के दौरान अनेक दलों द्वारा एवं अनेक सामाजिक एवं मीडिया की बहसों में उठाया गया है। हमारे देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्हें अंग्रेजी वर्ण में माना जाता है लेकिन वे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं। सरकार को उनके आर्थिक उत्थान पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभी सरकारों ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और कुछ सीमा तक अल्पसंख्यकों समूहों के कल्याण के

लिये कदम उठाये हैं लेकिन इस प्रयास के दौरान उन्होंने इस तथ्य की अवहेलना की है कि करोड़ों ऐसे लोग हैं जो अग्रणी समुदायों के हैं लेकिन आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े हुये हैं।

उनके आर्थिक उत्थान के लिये देश में जोरदार मांग उठाई गई है। मुझे इस सभा की जानकारी में यह बात लाकर खुशी होगी कि केरल सरकार ने अग्रणी समुदायों में आर्थिक रूप से पिछड़े हुये लोगों के कल्याण के लिये एक निगम की स्थापना किये जाने की घोषणा की है। यह सही दिशा में उठाया गया कदम है। इस प्रकार के निगम की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर किये जाने की आवश्यकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि उन लोगों को कुछ सुविधायें मिलेगी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं लेकिन इन सुविधाओं से वंचित हैं क्योंकि वे अग्रणी समुदायों से हैं।

इसलिये मैं केन्द्र सरकार के अग्रणी समुदायों में आर्थिक रूप से पिछड़ों के कल्याण के लिये एक निगम की अविलम्ब स्थापना किये जाने का अनुरोध करता हूं। इस निगम की स्थापना 100 करोड़ रुपयों की कायिक निधि के साथ की जा सकती है। इस प्रकार के निगम की स्थापना से अग्रणी समुदायों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान सुनिश्चित होगा। इससे देश में उचित प्रकार का माहौल बनाने में भी मदद मिलेगी।

मुझे आशा है कि भारत सरकार मेरे सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी।

अध्यक्ष महोदया: श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी ने अपने को श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा उठाये गये मामले से सम्बद्ध किया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: श्री राजाराम पाल जी, आप अपने आपको इससे संबद्ध कर लीजिए, क्योंकि एक ही विषय है इसलिए आप संबद्ध कर लीजिए।

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं बोलना चाहता हूं। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने एक ऐसे अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मुझे बोलने का मौका दिया। आजादी के 65 वर्षों के बाद भी इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं, जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। जो पिछड़े वर्गों में तो आते हैं, लेकिन उन्हें आज तक कोई लाभ नहीं मिला है। इसके बारे में मंडल आयोग ने भी लिखा, छेदी लाल शास्त्री की रिपोर्ट भी आई और माननीय कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में ऐसे वर्गों का सर्वे कराकर उन्हें अलग से पंचायतों में आरक्षण देने के लिए प्रस्ताव किया था और नौकरियों में भी आरक्षण करने का काम किया था। उसे बिहार सरकार ने पिछले समय लागू करने का काम किया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐसे वर्ग जो आज न तो अनुसूचित जाति में आते हैं और न अनुसूचित जनजाति में आते हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग में आते हैं। लेकिन आज उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है।

मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि यूपीए-2 की सरकार का एक ही नारा है 'कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ'। ये अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं, जो भालू नचाते हैं, बंदर नचाते हैं, कहीं बाल काटते हैं, कहीं माला बनाते हैं, कहीं मछली मारते हैं और कहीं भैंस-बकरी चराते हैं। हमारे पूरे देश में ऐसी सैकड़ों जातियां हैं, जो कहीं खुरपी पीटने का काम करते हैं, जिनके पास राशन कार्ड तक नहीं है। मैं चाहता हूं कि यूपीए सरकार ऐसे लोगों के प्रति संवेदनशील हो और एक अति पिछड़ा आयोग बनाकर पूरे देश में सर्वे कराने का काम करे और उन्हें नौकरियों में, पंचायतों में बिहार की तर्ज पर कर्पूरी ठाकुर फार्मूले के आधार पर आरक्षण दिलाने का काम किया जाए। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदया, जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपने देश के नागरिकों का मूल अधिकार है। यदि अपने देश के कुछ भागों में इस अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम इसे कहां उठा सकते हैं?

यही वह एक मात्र मंच है जहां हम मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मुद्दा उठा सकते हैं। महोदया, चूंकि पश्चिम बंगाल में विधान सभा के चुनाव ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: जो श्री वसुदेव आचार्य कह रहे हैं उसके अतिरिक्त अन्य कुछ कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

श्री बसुदेव आचार्य: हजारों हजार कामगार अपने घरों एवं गांवों से उजड़ गये हैं। हजारों लोगों को मारा पीटा गया है और हजारों लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। पूरे पश्चिम बंगाल राज्य में आंतक का माहौल है ...*(व्यवधान)* *

जो कुछ पश्चिम बंगाल राज्य में हो रहा है उसके सामने यह कुछ भी नहीं है ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

स्त्रियां सुरक्षित नहीं हैं। खुलेआम दिन में स्त्रियों के साथ यौन उत्पीड़न, बलात्कार एवं शील भंग की घटनायें हो रही हैं ...*(व्यवधान)*

महोदया, एक पूर्व विधान सभा सदस्य की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। ......'

पश्चिम बंगाल राज्य में यही स्थिति है। वहां कोई लोकतान्त्रिक अधिकार नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार जीवन के अधिकार का हनन कर रही है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप ऐसे मुद्दे क्यों उठा रहें जिन्हें यहां नहीं उठाया जाना है? ऐसे मुद्दे मत उठायें। आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य: किसानों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: नहीं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: जिन पट्टादारों को अपनी भूमि मिली थी उन्हें अब उनकी भूमि से बेदखल किया जा रहा है। मजदूर संघों के कार्यालयों को लूटा गया था। पार्टी के सैकड़ों कार्यालयों को लूटा गया और नष्ट कर दिया गया। *...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया इन मुद्दों को न उठायें। यह सभा इसके लिये नहीं है। नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दे रही हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: पश्चिम बंगाल राज्य में आतंक का राज चल रहा है। यह कुछ नहीं है *...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप उस विषय से दूर हट रहे हैं जिसकी सूचना आपने दी है।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बसुदेव आचार्य: राज्य सरकार के हाथ में लोकतन्त्र सुरक्षित नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: यह सब कुछ कार्यवाही वृत्तांतों में शामिल नहीं होगा।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदया: सभा अपराह्न 2.10 बजे पुन: समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

अपराह्न 1.08 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न दो बजकर दस मिनट तक के लिये स्थगित हुई।

अपराह्न 2.12 बजे

लोक सभा दो बजकर बारह मिनट पर पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

सामान्य बजट (2012-2013) - सामान्य चर्चा
लेखानुदानों की मांगे (सामान्य - 2012-2013
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य), 2011-12
अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य) - 2009-10

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मद संख्या 25 से 28 को एक साथ लेगी।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ दो में मांग संख्या 1 से 33, 35, 36, 38 से 63, 65 से 75, 77, 78 और 80 से 106 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिये या के संबंध में, कार्य-सूची के स्तम्भ तीन में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधी राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखे पर राष्ट्रपति को दी जायें।"

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई वर्ष 2012-2013 की अनुदानों की मांगों का लेखा (सामान्य)

(..... के लिए कार्य सूची के अनुसार)

संख्या और मांग का शीर्षक		सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई अनुदानों की मांगों 'लेखा सम्बन्धी' की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1		2	3
कृषि मंत्रालय			
1	कृषि और सहकारिता विभाग	3799,95,00,000	10,58,00,000
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	887,00,00,000	...
3	पशुपालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग	389,50,00,000	3,80,00,000
परमाणु ऊर्जा विभाग			
4	परमाणु ऊर्जा	927,34,00,000	637,04,00,000
5	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	659,03,00,000	93,68,00,000
रसायन और उर्वरक मंत्रालय			
6	रसायन और पैट्रोरसायन विभाग	293,58,00,000	6,85,00,000
7	उर्वरक विभाग	22396,38,00,000	40,67,00,000
8	भेषज विभाग	35,17,00,000	3,34,00,000
नागर विमानन मंत्रालय			
9	नागर विमानन मंत्रालय	180,50,00,000	692,63,00,000
कोयला मंत्रालय			
10	कोयला मंत्रालय	83,06,00,00	5,00,00,000
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय			
11	वाणिज्य विभाग	675,80,00,000	161,95,00,000
12	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	249,03,00,000	12,18,00,000
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
13	डाक विभाग	2396,60,00,000	102,63,00,000

1		2	3
14	दूरसंचार विभाग	1931,22,00,000	241,11,00,000
15	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	479,59,00,000	28,91,00,000
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			
16	उपभोक्ता मामले विभाग	97,27,00,000	3,28,00,000
17	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	19462,59,00,000	10108,37,00,000
कारपोरेट कार्य मंत्रालय			
18	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	34,23,00,000	5,33,00,000
संस्कृति मंत्रालय			
19	संस्कृति मंत्रालय	228,55,00,000	6,33,00,000
रक्षा मंत्रालय			
20	रक्षा मंत्रालय	3537,24,00,000	312,43,00,000
21	रक्षा पेंशन	6499,96,00,000	...
22	रक्षा सेवा-थल सेना	13545,92,00,000	...
23	रक्षा सेवा-नौ सेना	2123,64,00,000	...
24	रक्षा सेवा-वायु सेना	3053,81,00,000	...
25	रक्षा आयुध फैक्ट्रियां	1796,48,00,000	...
26	रक्षा सेवाएं-अनुसंधान एवं विकास	1005,83,00,000	...
27	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	13254,49,00,000
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय			
28	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	291,72,00,000	58,17,00,000
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय			
29	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	268,91,00,000	34,64,00,000
पर्यावरण और वन मंत्रालय			
30	पर्यावरण और वन मंत्रालय	502,05,00,000	11,69,00,000
विदेश मंत्रालय			
31	विदेश मंत्रालय	1437,05,00,000	548,00,00,000

1		2	3
वित्त मंत्रालय			
32	आर्थिक कार्य विभाग	1513,55,00,000	9826,85,00,000
33	वित्तीय सेवा विभाग	1422,54,00,000	2650,33,00,000
35	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	18825,50,00,000	...
36	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	...	41,67,00,000
38	व्यय विभाग	22,54,00,000	...
39	पेंशन	3285,00,00,000	...
40	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	567,90,00,000	1,67,00,000
41	राजस्व विभाग	298,82,00,000	1,92,00,000
42	प्रत्यक्ष कर	511,86,00,000	134,88,00,000
43	अप्रत्यक्ष कर	580,23,00,000	19,87,00,,000
44	विनिवेश विभाग	10,54,00,000	...
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय			
45	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	111,76,00,000	...
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय			
46	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	5060,30,00,000	383,05,00,000
47	आयुर्वेद, योग, एवं प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	192,98,00,000	2,77,00,000
48	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	151,33,00,000	...
49	एड्स नियंत्रण विभाग	282,00,00,000	1,33,00,000
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय			
50	भारी उद्योग विभाग	92,19,00,000	76,09,00,000
51	सरकारी उद्यम विभाग	3,66,00,000	...
मंत्रालय			
52	गृह मंत्रालय	487,56,00,000	37,39,00,000
53	मंत्रिमंडल	100,70,00,000	23,18,00,000
54	पुलिस	6477,07,00,000	1867,53,00,000

1		2	3
55	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	287,59,00,000	24,62,00,000
56	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	359,15,00,000	12,00,00,000
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय			
57	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	173,83,00,000	...
मानव संसाधन विकास मंत्रालय			
58	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	22859,78,00,000	...
59	उच्चतर शिक्षा विभाग	4212,50,00,000	...
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय			
60	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	367,14,00,000	90,67,00,000
श्रम और रोजगार मंत्रालय			
61	श्रम और रोजगार मंत्रालय	770,49,00,000	1,37,00,000
विधि और न्याय मंत्रालय			
62	निर्वाचन आयोग	12,03,00,000	...
63	विधि और न्याय	252,60,00,000	3,34,00,00
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय			
65	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	511,98,00,000	13,97,00,000
खान मंत्रालय			
66	खान मंत्रालय	104,79,00,000	11,60,00,000
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय			
67	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	509,12,00,000	16,67,00,000
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय			
68	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	224,37,00,000	15,33,00,000
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय			
69	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	15,80,00,000	3,33,00,000
पंचायती राज मंत्रालय			
70	पंचायती राज मंत्रालय	891,79,00,000	...

1		2	3
संसदीय कार्य मंत्रालय			
71	संसदीय कार्य मंत्रालय	1,95,00,000	...
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय			
72	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	159,20,00,000	18,78,00,000
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
73	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	7293,14,00,000	17,00,000
योजना मंत्रालय			
74	योजना मंत्रालय	697,69,00,000	85,97,00,000
विद्युत मंत्रालय			
75	विद्युत मंत्रालय	1809,87,00,000	738,74,00,000
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय			
77	लोकसभा	72,36,00,000	...
78	राज्यसभा	47,19,00,000	...
80	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	52,00,000	...
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय			
81	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	3749,23,00,000	4107,24,00,000
ग्रामीण विकास मंत्रालय			
82	ग्रामीण विकास विभाग	37858,60,00,000	...
83	भूमि संसाधन विभाग	534,70,00,000	...
84	पेय जलापूर्ति और स्वच्छता विभाग	3730,88,00,000	...
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
85	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	397,31,00,000	6,66,00,000
86	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	540,60,00,000	1,48,00,000
87	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	250,07,00,000	...

1		2	3
पोत परिवहन मंत्रालय			
88	पोत परिवहन मंत्रालय	233,34,00,000	89,21,00,000
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय			
89	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	920,22,00,000	50,00,00,000
अंतरिक्ष विभाग			
90	अंतरिक्ष विभाग	643,79,00,000	752,21,00,000
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय			
91	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	821,06,00,000	2,87,00,000
इस्पात मंत्रालय			
92	इस्पात मंत्रालय	19,98,00,000	...
कपड़ा मंत्रालय			
93	कपड़ा मंत्रालय	1295,94,00,000	10,13,00,000
पर्यटन मंत्रालय			
94	पर्यटन मंत्रालय	213,33,00,000	50,00,000
जनजाति कार्य मंत्रालय			
95	जनजाति कार्य मंत्रालय	68,37,00,000	11,67,00,000
संघ राज्य क्षेत्र (विधान-मंडल रहित)			
96	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	392,15,00,000	123,21,00,000
97	चंडीगढ़	414,43,00,000	68,39,00,000
98	दादरा और नगर हवेली	355,97,00,000	42,03,00,000
99	दमन और दीव	175,60,00,000	58,41,00,000
100	लक्षद्वीप	107,09,00,000	43,52,00,000
शहरी विकास मंत्रालय			
101	शहरी विकास विभाग	221,12,00,000	1554,36,00,000

1		2	3
102	लोक निर्माण कार्य	228,59,00,000	90,31,00,000
103	लेखन-सामग्री और मुद्रण	44,05,00,000	2,00,000
जल संसाधन मंत्रालय			
104	जल संसाधन मंत्रालय	322,88,00,000	21,05,00,000
महिला और बाल विकास मंत्रालय			
105	महिला और बाल विकास मंत्रालय	3092,63,00,000	...
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय			
106	युवा मामले और खेल मंत्रालय	189,12,00,000	22,00,000
	जोड़ राजस्व/पूंजी	**227722,96,00,000**	**49521,68,00,000**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ दो में मांग संख्या 1 से 5, 7, 9 से 14, 17 से 20, 22 से 25, 29 से 33, 35, 38, 40, 42, 43, 45 से 48, 50, 52 से 55, 58 से 61, 65, 67 से 70, 72 से 75, 77, 78, 81, 82, 85 से 91, 93 से 99 और 101 से 106 के सामने दिखे गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिये कार्य सूची के स्तम्भ तीन में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई वर्ष 2011-2012 की अनुपूरक अनुदानों मांगों (सामान्य) की सूची

मांग की संख्या और शीर्षक		सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक अनुदान मांगों की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1		2	3
1	कृषि और सहकारिता विभाग	4,00,000	...
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	50,03,00,000	...
3	पशुपालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग	2,00,000	...
4	परमाणु ऊर्जा	3,00,000	...
5	परमाणु विद्युत योजनाएं	312,34,00,000	...
7	उर्वरक विभाग	7201,07,00,000	...

	1	2	3
9	नागर विमानन मंत्रालय	9,77,00,000	...
10	कोयला मंत्रालय	...	46,83,00,000
11	वाणिज्य विभाग	30,23,00,000	...
12	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	2,00,000	...
13	डाक विभाग	240,06,00,000	1,00,000
14	दूरसंचार विभाग	1,00,000	...
17	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	9873,75,00,000	1,00,000
18	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	1,00,000	...
19	संस्कृति मंत्रालय	25,01,00,000	...
20	रक्षा मंत्रालय	128,78,00,000	1,00,000
22	रक्षा सेवा - थल सेना	3412,07,00,000	...
23	रक्षा सेवा - नौ सेना	752,76,00,000	...
24	रक्षा सेवा - वायु सेना	149,24,00,000	...
25	रक्षा आयुध फैक्ट्रियां	858,93,00,000	...
29	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	3,00,000	...
30	पर्यावरण और वन मंत्रालय	2,00,000	...
31	विदेश मंत्रालय	1,00,000	100,00,00,000
32	आर्थिक कार्य विभाग	3,00,000	1,00,000
33	वित्तीय सेवा विभाग	1,00,000	6497,42,00,000
35	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	555,00,00,000	...
38	व्यय विभाग	9,07,00,000	...
40	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	13,08,00,000	...
42	प्रत्यक्ष कर	15,72,00,000	...
43	अप्रत्यक्ष कर	7,50,00,000	...
45	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	2,00,000	...
46	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	2,00,000	2,00,000
47	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	3,00,000	40,00,000

	1	2	3
48	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	1,00,000	...
50	भारी उद्योग विभाग	64,00,000	...
52	गृह मंत्रालय	3,00,000	24,60,00,000
53	मंत्रिमंडल	190,69,00,000	...
54	पुलिस	2,00,000	2,00,000
55	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	3,00,000	1,00,000
58	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	70,02,00,000	...
59	उच्चतर शिक्षा विभाग	69,71,00,000	...
60	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	75,43,00,000	...
61	श्रम और रोजगार मंत्रालय	2,00,000	...
65	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	3,00,000	...
67	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	1,00,000	...
68	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	1,00,000	...
69	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	6,50,00,000	...
70	पंचायती राज मंत्रालय	1,00,000	...
72	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	10,07,00,000	...
73	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	14838,11,00,000	1,00,000
74	योजना मंत्रालय	197,00,00,000	1,00,000
75	विद्युत मंत्रालय	1,82,00,000	179,63,00,000
77	लोक सभा	11,00,00,000	...
78	राज्य सभा	33,01,00,000	...
81	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	485,15,00,000	731,38,00,000
82	ग्रामीण विकास विभाग	2,00,000	...
85	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	1,00,000	...
86	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	2,00,000	...
87	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	2,00,000	...
88	पोत परिवहन मंत्रालय	638,60,00,000	1,00,000

	1	2	3
89	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	3,00,000	...
90	अंतरिक्ष विभाग	...	1,00,000
91	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	4,00,000	...
93	वस्त्र मंत्रालय	210,02,00,000	...
94	पर्यटन मंत्रालय	1,00,000	...
95	जनजाति कार्य मंत्रालय	23,26,00,000	...
96	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	14,83,00,000	...
97	चंडीगढ़	70,97,00,000	...
98	दादरा और नगर हवेली	150,00,00,000	...
99	दमण और दीव	135,00,00,000	...
101	शहरी विकास विभाग	1,00,000	166,89,00,000
102	लोक निर्माण कार्य	62,24,00,000	24,00,00,000
103	लेखन-सामग्री और मुद्रण	10,06,00,000	...
104	जल संसाधन मंत्रालय	2,00,000	...
105	महिला और बाल विकास मंत्रालय	2,00,000	...
106	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	1,00,000	...
	जोड़	**40949,22,00,000**	**7771,28,00,000**

उपाध्यक्ष महोदया: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ दो में दिखाई गई मांग सं. 13, 14, 20 से 23 और 54 के संबंध में 31 मार्च 2010 को समाप्त हुये वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिये कार्य-सूची के स्तम्भ तीन में दिखाई गयी राशियों में अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

लोक सभा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई वर्ष 2009-2010 की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) की सूची

	मांग की संख्या एवं शीर्षक	सभा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाने वाली मांग राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	1	2	3
13	डाक विभाग	818,12,99,976	...
14	दूरसंचार विभाग	87,81,60,488	...

	1	2	3
20	रक्षा मंत्रालय	95,31,73,097	...
21	रक्षा पेंशन	8999,54,01,305	...
22	रक्षा सेवाएं - थल सेना	2464,11,11,895	...
23	रक्षा सेवाएं - नौ सेना	150,51,03,457	...
54	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	36,21,40,006	...
	जोड़	**12651,63,90,224**	...

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जसवंत सिंह (दार्जिलिंग): उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष के शुरू में तीन वार्षिक चर्चाओं राष्ट्रपति के अभिभाषण, केन्द्रीय बजट और रेल-बजट के बारे में मेरा मत है कि केन्द्रीय बजट पर चर्चा का केन्द्रीय महत्व है। मैं यह कार्य जो मुझे मेरी पार्टी द्वारा मेरे विद्वान सहकर्मी श्री यशवन्त सिन्हा की अनुपस्थिति के कारण दिया गया है, संयम के साथ जिम्मेदारी की भावना से और माननीय वित्त मंत्री के प्रति अत्यंत व्यक्तिगत आदर के साथ संपन्न करूंगा।

वित्त मंत्री जी मैं सरकार में आपके अनुभव का सम्मान करता हूं लेकिन जहां मैं इसका सम्मान करता हूं वहीं मुझे अनुमति प्रदान करें कि मैं आपके कुछ विचारों विशेषकर वित्तीय नीति के इस महत्वपूर्ण दस्तावेज के केन्द्रीय उद्देश्य एवं जोर दिये जाने वाले बिन्दुओं पर आपसे असहमत भी होऊं। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि वह कौन सी केन्द्रीय बात है जो आप अपने अनुभव से इस देश को देने का प्रयास कर रहे हैं? वह कौन सी मूल बात है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि राष्ट्र शुरू पर ध्यान दें?

क्या यह अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण की व्यवस्था पर वापस जाना है? क्या यह ऐसा है कि आप सामाजिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकता की तरफ पुन: जा रहे हैं? क्या आप सरकारी क्षेत्र को पुन: अर्थव्यवस्था के सर्वोच्च स्तर से नियंत्रित करना चाहते हैं? मैं वह केन्द्रीय उद्देश्य नहीं समझ पा रहा हूं, इसका कारण यह नहीं है कि मेरे समझने में कोई कमी है, बल्कि मेरा विचार है कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो वर्ष में एक बार आता है और जो सरकार की वित्तीय नीति का विवरण है, हमारे तथ्य यह प्रेषित करने में सक्षम नहीं है कि क्या हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है और अब आगे की क्या नीति है। ऐसा क्यों हुआ है?

क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि इस सरकार में अनेक अर्थशास्त्री हैं। मेरा विश्वास है कि किसी अन्य सरकार की तुलना में इस सरकार को परेशान करने के लिये अधिक अर्थशास्त्री हैं। फिर इस अर्थशास्त्रियों के बावजूद, यदि ऐसा हो रहा है तो इससे एक अत्यंत गंभीर प्रश्न पैदा होता है।

माननीय वित्त मंत्री जी आप निश्चय ही इस कहावत से परिचित होंगे कि बहुते जोगी मठ उजाड़ लेकिन यहां तो कई अर्थशास्त्री न केवल अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहे हैं, माननीय वित्त मंत्री जी वे तो वास्तव में अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। इसी कारण हम इस गिरावट का सामना कर रहे हैं।

बजटीय भाषण जिसे आपने इतने धारा प्रवाह ढंग से एवं काफी लम्बा दिया है में अनेक मांगों पर ध्यान दिया गया है। इसलिये आप इस भाषण में अनेक बातें रख रहे हैं। इसका उल्लेख करने के लिए मुझे क्षमा करें कि इससे कोई समस्या हल नहीं हो रही है। इसलिये मैं कुछ ऐसा उल्लेख करता हूं जो हाल ही में मैंने जेम्स विल्सन को पढ़ते समय प्राप्त किये हैं जो अमरीकी समाज में एक प्रसिद्ध खोजकर्ता था। इस वर्ष 2 मार्च को उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 26 वर्षों तक सरकार के बारे में पढ़ाया है। वह व्यापक फलक के लेखक थे और उन्हें सरकार के कार्यकरण के बारे में की गई अपनी खोज पर गर्व था। मैं अत्यंत विनम्र तरीके से कहता हूं कि मैं भी सरकार के कार्यकरण के बारे में एक खोजकर्ता हूं। इस बारे में मेरे जज्बात स्वर्गीय जेम्स विल्सन जैसे हैं।

जब मैं इस दस्तावेज या अन्य पहलुओं की जांच करता हूं तो मुझे त्रुटियां मिलती हैं, यह अत्यंत अव्यथित है, इसमें सरकार द्वारा बजट को संतुलित करने के निष्फल प्रयास हैं, रेलवे को चलाना, गठबंधन को चलाना, शोर शराबा वाली ससंद को मांगों पर ध्यान देना,

वित्तीय विवेक सुनिश्चित करना ये सभी बड़े लक्ष्य हैं - और अब इन सबके साथ विदेशी मुद्रा बाजार भी जुड़ गया है। वित्त मंत्री जी सब कुछ आपके योग्य कंधों के ऊपर हैं। मैं कामना करता हूं कि आपकी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिये और मंत्री होते क्योंकि यह सारा भार आपके ऊपर है।

मुझे बताया गया है कि आपको माननीय रेल मंत्री के उत्तर भी तैयार करने हैं।

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): मेरे ऊपर पहले से ही अधिक भार है। यह भार मेरे ऊपर मत डालें।

श्री जसवंत सिंह: इसीलिये मैं आपकी सरकार पर आश्चर्यचकित हूं। मुझे आपकी सरकार पर आश्चर्य है क्योंकि सारे प्रयत्नों के बावजूद यह फिर भी चल रही है। इसीलिये मैं भी स्वयं से प्राय: यह प्रश्न पूछता हूं कि। यह कोई सरकार है या कोई भ्रम? अधिकांशत: मैं स्पष्टत: आपसे कहता हूं कि यह सरकार जिसके अधीन हम कार्य कर रहे हैं केवल भ्रम नहीं है। यह मात्र एक धारणा है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे अच्छे मित्र श्री पवन कुमार बंसल अत्यंत दार्शनिक बात कह रहे हैं कि

[हिन्दी]

सभी कुछ माया है। यह इल्यूशन है तो वह भी इल्यूशन है।

[अनुवाद]

इसीलिये, वित्त मंत्री महोदय मैं ऐसा कहता हूं तथा आप सहमत होंगें कि मैं अभद्र बात नहीं कह रहा हूं जब मैं कहता हूं कि यह सरकार एक भ्रम है जिससे कष्ट हमें सहने हैं, यह ऐसी सरकार है जो सदा संकट में रहती है - एक के बाद दूसरा संकट आता है। किसी दिन मैंने कहा था, तथा मैंने पूरी ईमानदारी से कहा था कि हम चाहते हैं कि आपकी सरकार सफल हो। मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी सफलता के प्रति प्रतिबद्ध हूं क्योंकि यदि आप सफल होंगे तो यह देश के लिये अच्छा होगा। लेकिन वित्त मंत्री महोदय, आप और आपकी सरकार, लगता है कि सफल नहीं होने के लिये कृत संकल्प हैं। अब हम इस का समाधान कैसे करें?

अपने दूसरे दिन एक भिन्न संदर्भ में कहा था कि आपने अपना गठबन्धन हमारे गठबंधन की तुलना में सफलतापूर्वक चलाया है। मैं गठबंधन चलाने को लेकर प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि गठबंधन को चलाने का यह एक उदाहरण है तो अच्छी बात है, *[हिन्दी]* तो मुबारक है आपको। आप इसी रास्ते चले जाइए और दिक्कतें हमारी बढ़ भी जाएंगी और आसान भी हो सकती है।

[अनुवाद]

महोदय, मैं यहां यह बात जोड़ना चाहता हूं क्योंकि मुझे भी वही कार्य करने का अवसर मिल चुका है जो यहां माननीय वित्त मंत्री कर रहे हैं। वास्तव में आपने इसे उससे अधिक योग्यता के साथ सम्पन्न किया है और अधिक लम्बे समय तक किया है जितना कि मैंने किया था। यदि मुझे सही याद हो, तो मेरा मानना है कि मुझे तीन या चार बजट प्रस्तुत करने का सौभाग्य एवं अवसर मिला है। मैंने यह कार्य थोड़े समय के लिये 1996 में और उसके बाद 2002 के बाद किया था।

अब मैं एक मिनट के लिये एक बात आपसे करना चाहता हूं जिसे मैं अनिच्छुक वित्त मंत्री कहता हूं। आज आप जो कार्य देख रहे हैं उसमें कुशाग्रता की आवश्यकता होती है और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आप काफी समय बाद इस कार्य पर पुन: वापस आये हैं। वित्त मंत्री महोदय, आपने और मैंने इस संसद में ...*(तिरसठ)* वर्षों से एक साथ कार्य किया है। एक काफी लम्बा समय है और हमने अनेक अनुभव बांटे हैं एवं साथ-साथ अनेक उतार-चढ़ाव देखे हैं। लेकिन मैं आपको निष्पक्षता एवं ईमानदारी से बताता हूं कि मुझे साउथ ब्लाक में कार्य करने को दिया गया था। एक दिन माननीय श्री एल. के. आडवाणी ने मुझे फोन किया क्योंकि प्रधानमंत्री वाजपेयी ऐसा कार्य सदैव श्री आडवाणी जी को देते थे। उन्होंने आडवाणी जी को बुलाया और कहा कि जसवंत सिंह को साउथ ब्लाक से नार्थ ब्लाक जाने को कहें।

[हिन्दी]

आडवाणी जी ने हम को टेलीफोन किया और कहा कि 'जसवंत सिंह जी आपकों नॉर्थ ब्लॉक जाना है।' जैसे राजस्थान की हमारी पद्धति है, हमने कहा 'हुक्म'। आठ दिन बीत गए, दस दिन बीत गए। मेरे दोस्त मुझे दोस्त मुझे टेलीफोन कर-कर के कहें। कुछ दोस्तों ने विलायत से भी टेलीफोन किया।

[अनुवाद]

"जसवंत सिंह आप कहां जा रहे हो? आपके वित्त का क.ख.ग भी पता नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं; मैं नहीं जानता हूं।

[हिन्दी]

करीब 12 दिन जब बीत गए, तो आडवाणी जी ने फिर कहा कि 'भई, आप गए नहीं!' फिर लोगों ने कहा।

[अनुवाद]

कि प्रधानमंत्री और उपप्रधानमंत्री जी से 10-12 दिन से अधिक समय तक बहस करना अत्यंत बुरी नीति है। इसके बाद मैंने अवरोध से बेहतर विवेक को चुना और मैं साउथ ब्लाक से नार्थ ब्लाक गया। जैसी

की आम बात है नार्थ ब्लाक के प्रवेश द्वार पर प्रेस के लोग खड़े थे और तुरन्त उन्होंने मुझसे पूछा: "आपकी नीति क्या है?" वित्त मंत्री महोदय उस समय तुरन्त मैंने केवल दो वाक्य उनसे कहे क्योंकि यह मेरी चिन्ता एवं धारणा का मूल विचार था।

[हिन्दी]

"गृहिणी की टुकिया में आना, गरीब के पेट में दाना।"

[अनुवाद]

यह बात वित्त मंत्री के रूप में मेरी दृष्टि का केन्द्रीय उद्देश्य हो गया और बना रहा। मेरे विचार से यह आपके दृष्टिकोण का केन्द्रीय तत्व बना रहे। यह दृष्टि का मूल बना रहे, ऐसी दृष्टि रखनी है। यदि मैं व्याख्या करूं कि 'टुकिया में आना' तो विपक्ष के नेता से क्षमा मांगते हुये मैं कहता हूं कि महिलाओं का धन के प्रति गहरी अनुभूति का भाव होता है। इसलिये वे धन को अपनी 'टुकिया' में रखती हैं। मुझे आशा है कि मैं जो कहने का प्रयत्न कर रहा हूं आपने उसे समझा होगा। आपको परिवारों, गृहिणियों; नागरिकों को खर्च करने की शक्ति प्रदान करनी चाहिये। खर्च करने की शक्ति व्यय से अधिक आय से पैदा होती है, यहां आय वह आय है जिसे मुद्रास्फीति खा नहीं जाती, आप पर्याप्त तो जिससे नागरिक धन खर्च करने का आनन्द उठाने में सक्षम हो सकें। मुझे विश्वास है कि आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि उस समय कितनी बड़ी स्वतन्त्रता का अनुभव होता है जब कोई नागरिक अपनी जेब में हाथ डालने में सक्षम होता हो या कोई गृहिणी जो अपने पर्स में हाथ डाल सके और वास्तव में धन खर्च करने में सक्षम हो। यह बहुत बड़ी चीज होती है। ऐसी स्थिति लाना आसान नहीं है। मैं आपकी कठिनाई को कम नहीं आक रहा हूं।

दूसरा था, "गरीब के पेट में दाना"। वित्त मंत्री महोदय, कोई भी नागरिक, हमारे देशवासी एवं महिलाएं सस्ती दर पर उपलब्ध होने वाले खाद्य के हकदार हैं। मैंने बतौर वित्त मंत्री अपनी सर्वोच्च जिम्मेदारी के रूप में स्वयं को ये दो कार्य सौंपे थे। श्रीमान जी, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास है कि जिसे मैं "सकल राष्ट्रीय संतुष्टि" की संज्ञा देता हूं यह इन दोनों परिणामों का संयोग है। मेरे लिये व्यक्तिगत तौर पर सकल राष्ट्रीय संतुष्टि जीडीपी रूपी आंकड़ों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है।

वित्त मंत्री महोदय, नागरिक जीडीपी को नहीं खा सकते। सकल राष्ट्रीय संतुष्टि प्राणि में उत्साह का संचार करती है। मेरा भी विश्वास है कि हमारे देश के आर्थिक प्रबंधन में प्राणि में व्याप्त भावनाएं ऐसा कारक हैं जोकि महत्वपूर्ण है और जिसे बढ़ावा दिया जाना चाहिये। वित्त मंत्री महोदय एवं अन्य माननीय सदस्यगण मैं आपके साथ यह बार साझा करना चाहता हूं कि मेरा ऐसा विश्वास है, जिसे मैंने सदन के साथ या निश्चित रूप से कई अन्य लोगों के साथ साझा किया था, कि एक आधारभूत मौलिक भारतीय आर्थिक दर्शन है जिस पर हमने बल नहीं दिया है क्योंकि हम पश्चिमी आर्थिक विचारकों एवं दार्शनिकों की बातों में खो जाते हैं जो निस्संदेह काम के हैं किंतु हमारे लिये उपायुक्त नहीं है क्योंकि एक मौलिक भारतीय आर्थिक दर्शन मौजूद है तथा मेरे विचार से वह हमारे लिये पुनर्विचारणीय एवं पुन: अनुसरणीय है। यह बहुत सरल है। इसमें चार अथवा पांच तत्व मौजूद हैं। ये पांच या चार तत्व ये कहते हैं कि इस देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे उसका पेशा कुछ भी हो, अपनी पूरी क्षमता के मुताबिक अधिकतम 'सृजन' करने के धर्म से आदेशित है।

यह हमारी जरूरत है। धर्म से मेरा मतलब पूजा-पाठ का रीति-रिवाज़ नहीं है, बल्कि धर्म से मेरा अर्थ है – राष्ट्र, धरती के प्रति एक नागरिक के कर्तव्य के रूप में आदेशित यह आवश्यकता कि हमें अपनी पूरी क्षमता के मुताबिक अधिकतम सृजन करना होगा।

[हिन्दी]

चाहे वह कारीगर हो। आप जो कुछ भी काम करते हैं।

[अनुवाद]

अधिकतम उत्पादन करें और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला उत्पाद तैयार करें। हमने उसे भुला दिया है। यह एक अंतर्निहित भारतीय सांस्कृतिक विशेषता अथवा आर्थिक दर्शन है।

दूसरा तत्व यह है कि हमें अवश्य ही हर वस्तु 'साझा' करना चाहिये, मिल-बांटना चाहिये। मेरे विचार में, यह परंपरा पश्चिम बंगाल में है। मुझे पश्चिम बंगाल की परंपराओं का ज्ञान है, निश्चित तौर पर आप जितना नहीं, किंतु मुझे स्मरण है कि बचपन में जब हम खाना खाने के लिए भी बैठते थे तो हमें कहा जाता था कि यह हिस्सा गाय के लिये अलग से निकाल कर रख दो, यह हिस्सा पक्षियों के लिये अलग से निकाल कर रख दो। यह मिल-बांटने साझा करने की संकल्पना थी। हमने इसे भुला दिया है। मैंने प्रयास किया कि हम इन विचारों का अनुसरण करें क्योंकि हम पश्चिमी देश नहीं बन सकते; हम भारतीय हैं और हमें भारतीय रहना होगा तथा भारतीय केवल तभी बन पायेंगे जब हम अनिवार्यत: अपनी संस्कृति को पुन: लौटाते हैं।

तीसरा तत्व हुआ करता था - 'बचत' या 'बचाना' – अपनी आवश्यकता से अधिक एक भी पैसे का इस्तेमाल मत करो, न खाओ अथवा न खर्च करो। एक बार पुन: मैं जीवन की कुछ घटनाएं आपसे साझा करना चाहता हूं। जब मुझे दिल्ली आना पड़ता या दिल्ली से जाना पड़ता था तो मैं कुछ ले जाता – जिसे हम राजस्थान में संभाल कहते हैं – 'संभाल'। मेरी विधवा माँ कागज़ को खोलती जूट के टुकड़े को खोलती कागज़ मोड़ती, जूट के टुकड़े को लपेट कर रखती

और अपने तकिये नीचे रखती थी। यदि मैं उससे पूछता कि वह ऐसा क्यों कर रही है, वह उस टुकड़े को क्यों बचाना चाहती है – एक जूट की डोरी का टुकड़ा है – (तो वह कहती थी कि "क्या मालूम फिर काम आ जाए।" वह बचत की अंतर्निहित प्रवृत्ति थी। ऐसा नहीं था कि जूट की रस्सी अथवा कागज का अभाव था। वित्त मंत्री महोदय, हम एक 'बचतोन्मुखी अर्थव्यवस्था' नहीं बन पाये हैं, किंतु हम एक 'उपभोक्तावादी अर्थव्यवस्था' बन रहे हैं, इस बात पर मैं एक क्षण में पुन: आऊंगा।

दूसरी एक मात्र अल बात जो वो मुझे बताती, जिसे व्यक्त कर पाना मेरे लिये मुश्किल प्रतीत होता है, वह यह है कि वह मुझसे पूछती 'शस्त्र तो है', राजस्थान से वित्त राज्य मंत्री समझ लेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। राजस्थान में हमारे लिये शस्त्र एक व्यक्तिगत अलंकार रहे हैं, यह आक्रमण का कोई हथियार नहीं है। यदि वह कहती कि शस्त्र तो लेकर जा रहे हो, तो इसका अर्थ यह था कि वह मुझे किसी शस्त्र कानून का उल्लंघन करने को नहीं कह रही थी। शायद, मैं एक परंपराविद हूं। किंतु मेरा विश्वास है कि इन परंपराओं जिनको मैं बस इंगित कर रहा हूं, भारतीय महान शक्तियां हैं। मैं इन पर पुन: बल इसीलिये दे रहा हूं क्योंकि ये शक्तियां महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जो हमारी नसों-नाड़ियों में ऐसे दौड़ती हैं जैसे कि भारत को पुन: ऊर्जामयी बनाने वाला रक्त। हम इनको नहीं भुला सकते।

ये अन्य दो अंतिम-बिन्दु हैं जोकि मेरे विचार में इसका भाग हैं। एक है - 'धर्मार्थ'। यह भारत ही था जिसमें गुप्त दान की संकल्पना थी और बरकरार है। ...*(व्यवधान)* किंतु वित्तमंत्री जी मैं यह स्वीकार करता हूं क्योंकि मैंने इस समस्या का सामना किया था। कई चतुर व्यवसायी कर योग्य पैसे को गैर-कर योग्य पैसे में बदलने हेतु गुप्तदान का इस्तेमाल करते थे, जिसे हम बतौर सफेद धन एवं काला धन पढ़ते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक है। किंतु यह क्यों आया? इसका कारण यह है कि हम क्रूर कराधान व्यवस्था लेकर आये।

यदि आप मुझे इज़ाजत दें तो मैं एक ओर स्मृति बताना चाहता हूं, मुझे स्मरण है कि एक बहुत ही विख्यात वित्त मंत्री हुये थे जिनका नाम है-श्री यशवंतराव चव्हाण और वे एक विख्यात भारतीय भी थे। वह भारतीय थे तथा देश के महान नागरिक थे। उनके समय में हमारे पास आयकर और संपत्ति कर की कर-व्यवस्था थी जो एक समय पर 113 प्रतिशत हो गई थी। तत्कालीन मध्यमवर्गीय गृहणियां, कानून का पालन करने वाले नागरिक, सभी को चोर बना दिया गया। वे विदेश जाते, दुबई जाते, अपनी साड़ियों सोना छुपाते और वापस आ जाते। हमारा कराधान कानून ऐसा क्यों हो जिससे कानून का पालन करने वाले लोग चोर बन जाते हों। यही कारण है कि मेरी इच्छा हमारे राष्ट्रीय जीवन में धर्मार्थ की महत्ता को पुन: लाना है।

मैं एक बात और साझा करूंगा क्योंकि ये हमारी परंपरागत सोच का हिस्सा है। गुजरात में मुझे नहीं मालूम, यह कहावत प्रचलित है या नहीं। वित्त मंत्री महोदय, मैं इसे स्थानीय भाषा में बताता हूं क्योंकि इस कहावत का सौंदर्य ही इसे स्थानीय भाषा में कहने में है। जहां राजा व्यापारी, तहां प्रजा भिखारी।" यह एक विख्यात कहावत है कि राज्य को कभी भी एक व्यापारी नहीं बनना चाहिये। हम राज्य को एक लोभी व्यापारी बनने अथवा ऐसा करने हेतु राज्य का एजेन्ट बनने की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हैं। यदि आप उन लोगों, जो पद धारण किये हुये हैं अथवा ऐसी किसी स्थिति में हैं, को ऐसा करने हेतु अनुमति दे देते हैं और यदि वे व्यक्तिगत लाभ हेतु व्यापार आरंभ कर देते हैं, तो नागरिक वर्ग कंगाल हो जायेगा। मैं इस बात पर अड़ा नहीं रहूंगा।

माननीय वित्त मंत्री महोदय, मैं आपके भाषण की बात करूंगा मैं आपके भाषण का पुन: पठन अथवा पैरामीटरों को भी परिभाषित नहीं करूंगा, किंतु आपने जो अपने भाषण में कहा है और जो आर्थिक सर्वेक्षण में अंतविष्ट है, मैंने उसे और सुदृढ़ करने का प्रयास किया है, आर्थिक सर्वेक्षण अन्यथा एक बहुत ही बढ़िया दस्तावेज़ है क्योंकि जो कुछ भी वित्त मंत्री अपने भाषण में अंतर्विष्ट नहीं कर पाते हैं वह सदा इस सर्वेक्षण में मिल सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण में बहुत संक्षेप में आगामी वर्ष और उससे अगले वर्ष में विकास होने के बारे आशावाद हैं। इसमें वित्तीय समेदन को भी सटीक तरीके से केन्द्रीय चुनौती के रूप में अभिज्ञात किया गया है ताकि निवेश वृद्धि लौट सके और समग्र मांग सीमित हो सके क्योंकि यदि समग्र मांग को सीमित न किया गया तो इसके दो नुकसान होंगे। मुद्रा स्फीति का सूचकांक बढ़ेगा और चालू खाता घाटा और बढ़ेगा। ये सभी सर्व स्वीकार्य एवं तर्कसंगत हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण में ऊर्जा के मूल्यों को तर्कसंगत की भी बात कही गई है। दूसरे, इस पर कौन विवाद कर सकता है? लेकिन ऐसा करने की बजाए कह देना आसान है, ऊर्जा के मूल्यों को सही रखना जरूरी है ताकि विद्युत क्षेत्र में तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि कम हो सके। यह बहुत बड़ी बात है लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण इसकी पहचान करने में असफल रहा है और मैं खेद के साथ कहता हूं कि महोदय आप भी वित्त मंत्री के रूप में इसकी पहचान नहीं की है। आर्थिक सर्वेक्षण वह राजनीतिक साहस नहीं दिखा सकता है जिसकी आपसे अपेक्षा की जाती है - यहां ईंधन के मूल्यों पर से नियंत्रण हटाने की बात हो रही है। वित्त मंत्री जी - यह मेरा संसद में नौंवा कार्यकाल है – जब मैं संसद आने के वर्तमान समय की अपने पूर्ववर्ती दिनों से तुलना करता हूं, जब मैं पहली बार संसद आता था उससे आज के समय को देखें तो आज संसद में या दिल्ली की सड़कों पर जो खड़ी महंगी, आरामदायक कारों की भीड़ दिखाई देती है उसके आधार पर मैं आपसे सिफारिश करने का मन करता है कि "कृपया इसी वक्त पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि करे।"

आपने पहले भी कई बार पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि की है और आपको इसके विरूद्ध बहुत विरोध का सामना करना पड़ा है। लेकिन मैंने दिल्ली की सड़कों पर यातायात या संसद में आने वाली बड़ी महंगी आरामदायक, गाड़ियों में कभी नहीं देखी है। यदि आप मुझे कहने की अनुमति प्रदान करें तो मैं कहूंगा कि स्पष्ट कारणों से आप उसे अब नहीं रोक पायेंगे जो कि लम्बे समय से चल रहा है। मैं इस बात को पुनः पुनः दोहराना नहीं चाहता कि आप पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि को नहीं रोक सकते हैं। ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, ईरान आदि के कारण है। लेकिन आप डीजल के लिये ऐसा करने से नहीं रूक सकते। यह राजनीतिक दृष्टि से लोकप्रिय बात नहीं अपितु आर्थिक एवं वित्तीय दृष्टि से महत्वपूर्ण बिन्दु है।

इस बात की आवश्यकता है कि राज्यों को सभी प्रकार की विद्युत चोरी रोकने में सहयोग करना चाहिये। कुछ राज्यों को छोड़कर देश में बिजली की चोरी धड़ल्ले से चल रही है, तथा यदि बिजली की चोरी होती रहेगी तो हमारे लिये सदैव बिजली की कमी बनी रहेगी।

निवेश भी प्रभावित हुआ है, और सर्वेक्षण इसे अत्यंत ठीक रूप से दर्शा रहा है तथा आपके भाषण में भी इसका उल्लेख है। लेकिन इसके अलावा क्या मैं यह उल्लेख कर सकता हूं कि निर्णय लेने का कार्य एकदम रूका हुआ है। निर्णय लेना क्यों रूका है? इसका कारण है कि स्कैन्डल, घोटाला एवं भ्रष्टाचार की बाढ़ आ गई है - इसे मैं और क्या कह सकता हूं – इसका परिणाम हुआ है कि सभी सिविल सेवकों ने अत्यंत सीधा रास्ता अख्तियार कर लिया है कि जो भी हो कोई निर्णय ही न लो। यदि आप निर्णय नहीं लेंगे तो निश्चय ही आप कोई गलती नहीं करेंगे। लेकिन वित्त मंत्री महोदय, जैसा कि सर्वेक्षण उल्लेख करता है, यदि राजनीतिक समुदाय या सिविल सेवा पीछे हट जाती है, इसे इन शब्दों में न कहकर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो निश्चय ही ज्ञात है कि उन्होंने जड़त्व का आवरण धारण कर लिया है, और तब मुझे यह कहने की अनुमति दें कि निर्विवाद रूप से यह कमजोर राजनीतिक नेतृत्व की निशानी है।

यदि वित्तीय समेकन प्राप्त करना है जैसा कि उल्लेख किया गया है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको ध्यान से देखना होगा और इसकी तुलना करनी होगी कि केन्द्र ने जो किया उसके मुकाबले राज्यों की उपलब्धि क्या रही है - राज्यों की उपलब्धि पर मैं एक मिनट बाद बात करूंगा।

महोदय, मैं इस बात पर श्रम नहीं करूंगा कि यह सर्वेक्षण क्या कहता है क्योंकि यह आपका दस्तावेज है और आप इसे अच्छी तरह जानते हैं। यह मुद्रास्फीति एक कर है और यह घातक है। मुझे यहां इस पर बल देना चाहिये। इस सर्वेक्षण को संक्षेप में देखने पर ऐसे मुद्दे सामने आते हैं जो आपके बजट प्रस्तुतीकरण के वित्तीय दस्तावेज में निहित हैं। मैं पुनः इसे पूछता हूं। कौन सा केन्द्रीय विचार है जिससे वित्तीय नीति के लिए प्रेरणा प्राप्त हुई है? क्या यह वित्तीय समेकन और नियंत्रणकारी घाटा है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि केन्द्र और राज्यों का कुल घाटा नौ प्रतिशत से अधिक है। लगभग नौ प्रतिशत के वित्तीय घाटे के साथ यह विध्वस्त देश है। आप भारत जैसे उप-महाद्वीप के लिये इतना अधिक एवं अस्थिर वित्तीय घाटे के आर्थिक तर्क को खारिज नहीं कर सकते हैं। हम महाद्वीपीय अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन यदि आप मुझे अनुमति दें तो यहां मैं कहूंगा - जैसा कि आपने पहले संकेत किया है कि वास्तव में राज्यों ने केन्द्र से बेहतर कार्य किया है। राज्यों के योग से पता चलता है कि उन्होंने पूंजी व्यय पर ध्यान केन्द्रित किया है। यदि आपने इसकी जांच की है तो आपको ज्ञात होगा कि केन्द्र उपभोग एवं राजस्व लेखा पर ध्यान केन्द्रित करना चाहता है। मैं ईमानदारी से आपसे कहता हूं कि इसकी जांच करें एवं इसे सही करें। राज्यों का वित्तीय घाटा कम हुआ है। वे पूंजी लेखा पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं और केन्द्र उपभोग पर ध्यान दे रहा है। इसे दूसरे तरीके से कार्य करना चाहिये।

मैं केन्द्र की अन्य बड़ी विसंगति का भी उल्लेख करना चाहता हूं जो विश्वसनीयता है। कोई भी सरकार जिसकी विश्वसनीयता नहीं हो परिणाम नहीं दे सकती है और अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण नहीं रख सकती है। अतः राष्ट्रीय विश्वास का क्षय हुआ है। मैं यह बात केवल आलोचक के रूप में नहीं कह रहा हूं बल्कि घटनायें आलोचक का कार्य कर रही हैं। राष्ट्रीय विश्वास का क्षय हुआ है क्योंकि सरकार की तरफ से सत्यवादिता के मानदण्ड में भारी गिरावट हुई है। कृपया सच बतायें। जब हम मुद्दों का उल्लेख करते हैं तो ऐसा केवल गलती निकालने के लिये नहीं किया जाता है क्योंकि जब तक हम मुद्दों की ईमानदारी से जांच नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

मैं कराधान के मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। वास्तव में वित्त विधेयक पर चर्चा में इस पर ध्यान देना चाहिये और इसीलिये मैं इस मुद्दे पर ध्यान देता हूं। बजट पर चर्चा या वित्त मंत्री के भाषण में हम आर्थिक प्रबन्धन के बड़े मुद्दों पर ध्यान देते हैं। लेकिन मैं तो केवल एक मुद्दे का उल्लेख करना चाहता हूं और वह है भूतलक्षी विधान। मैं कभी भी आपकी सरकार या किसी सरकार के अधिकार से इन्कार नहीं करता यदि करों के रूप में किसी पर लगभग 10,000 करोड़ रुपये की देयता हो। कोई भी सरकार इस पर देयता को हल्के में नहीं ले सकती है। यदि मुझे बताया गया है कि इस बजट में भूतलक्षी विधान की लगभग 17 घटनायें हैं – शायद संख्या गलत हो – यह किसी मामले विशेष की वकालत नहीं है बल्कि यह सिद्धांत की वकालत है। यदि यह सही है तो यह संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है।

दूसरे, जो स्पष्ट रूप से गलत हो उसकी वसूली करने की सरकार के अधिकार से सहमत हो जाने पर, यह प्रत्येक सरकार का अधिकार है और सरकार को यह करना चाहिये लेकिन इसी के साथ-साथ इसमें

नैतिक बाधा भी है। यदि आप इसे कार्पोरेट निकायों पर लागू करते हैं तो आपको इसे व्यक्तियों पर भी लागू करना होगा। कार्पोरेट निकाय अधिक मालदार होते हैं लेकिन व्यक्ति कम मालदार होते हैं। इसीलिये लोग जाकर वह कर एकत्रित करते हैं जिसे आप वैधानिक रूप से सरकारी देय मानते हैं लेकिन कृपया उस नैतिक बाधा की दृष्टि से भी इस प्रश्न पर ध्यान दीजिये जिसका सामना नागरिकों को करना होगा।

महोदय मैं उस सवाल पर आता हूं जिसे मैं देश के लिये बड़ी चुनौती मानता हूं। दूसरे दिन हमने यहां गरीबों के आंकड़ों पर बिना किसी तैयारी के चर्चा की थी। मैं इस प्रश्न पर एक मिनट बाद आऊंगा। भारत में किसी सरकार के लिये आवश्यक एवं केन्द्रीय प्रश्न केवल गरीबी के आंकड़ों में कमी लाना नहीं बल्कि वास्तव में गरीबी की अमानवीय चेहरे को हटाना है। यहां सब कुछ दोहराने की बजाए मैं यहां इस विचार को बाद में चर्चा के लिये छोड़ता हूं।

[हिन्दी]

कृषि भारत में मात्र जीविकोपार्जन का साधन नहीं है। कृषि एक जीवन शैली है। यह केवल भारत में ही जीवन शैली है। वह कृषि है। कृषि से ही हमारे सांस्कृतिक व्यवहार, हमारे त्योहार, गीत, गायन सब उपजते हैं। इसीलिए कहावत है–उत्तम खेती मद्धम बाण, अदम चाकरी भीख निदान।

[अनुवाद]

कृषि भारत के लिय अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केवल मात्र आर्थिक रूप से ही महत्वपूर्ण नहीं है। यह जीडीपी का लगभग 15.1 प्रतिशत है। यह इस कारण से ही महत्वपूर्ण नहीं है कि भारत की लगभग तीन चौथाई आबादी गांवों में रहती है बल्कि यह इस वजह से महत्वपूर्ण है कि वह हमारी सांस्कृतिक पहचान की सिरमौर है। मैंने अभी कहा कि यह जीडीपी के 15.7 प्रतिशत का योगदान करती है। यह वर्ष 2009-10 में इतनी ही थी। यह 52.1 प्रतिशत का लगभग आधा भाग है।

हमारे पास विश्व में सर्वाधिक पशुधन है। हमारे देश में विश्व में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ज्यादा है तथा चीन के पास उपलब्ध कृषि भूमि से लगभग दो गुनी है। हमारे पास यह लगभग 288 मिलियन हेक्टेयर भूमि है। चीन के पास लगभग 144 मिलियन हेक्टेयर है। हमारे पास भेड़ों, ऊंटों और बकरियों आदि की संख्या विश्व में सर्वाधिक दूसरे नंबर पर है। यह सब जनसंख्या है। महोदय, फिर भी मेरे लिये यह अत्यंत निराशा की बात है कि प्रति एकड़ अथवा प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में अथवा प्रति गाय उत्पादन बहुत ही कम है। मैंने यह बात अक्सर इंगित की है। एक बहुत ही विख्यात व्यक्ति एवं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा इस सरकार के भी बहुत ही विख्यात मंत्री जो यहां उपस्थित हैं, वे इस बात को स्वीकारेंगे कि हिमाचल प्रदेश के बागवानी उत्पादन का लगभग 65 प्रतिशत भाग या तो वृक्षों पर ही सड़ जाता है या धरती पर सड़ जाता है। कई बार कई सरकारों ने शीतागारों की वेल्ट घडसिंग सुविधाओं की बात की है। यह भारत की समस्त धनसंपदा है जिसका योगदान है। मैं कृषि की महत्ता पर बल दे सकता हूं किंतु यह कृषि मंत्रालय संबंधी चर्चा नहीं है तथा मैं केवल बिन्दुओं (प्वाइन्ट्स) में यह संकेत दे सकता हूं कि मेरे विचार में कृषि क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण है। माननीय वित्त मंत्री जी ने आंकड़े प्रस्तुत किये हैं और बताया है कि वर्ष 2012-13 में कुल कृषि ऋण को बढ़ाकर 5,75,000 करोड़ रुपये कर दिया जाना चाहिये। मैंने अपने कार्यकाल में यही काम किया है। किंतु यह कोई बड़ी वृद्धि नहीं है जिससे फर्क पड़े, पैसे के वास्तविक प्रतिफल के रूप में अनुप्रयोग से फर्क पड़ता है।

महोदय, मैं मोटे तौर पर इंगित कर रहा हूं। यदि मैं गलत आंकड़ा दूं तो कृपया इसे ठीक कर लीजिएगा यदि आप ऋण की बात करते हैं तो मोटे तौर पर देश में 12 करोड़ किसान हैं जो ऋण चाहते हैं। उनमें से, मात्र साढ़े पांच करोड़ किसानों को ही वास्तव में ऋण मिला है। 50 प्रतिशत किसानों को भी ऋण नहीं दिया गया है। मैंने इस बात का संकेत किया है कि हमें क्या आवश्यकता है। हां, चावल में उच्च उत्पादन करने वाली 16 किस्मों की क्रांति, तथा वास्तव में, इससे सिंचाई के उपयोग का विस्तार हुआ किंतु सिंचाई के उपयोग का विस्तार करते समय हम फ्लड इरीगेसन सरीखे पानी का फ़िजूल उपयोग करने लगे।

[हिन्दी]

अगर मैं कहूं, मैंने सब अपने हाथों से किया हुआ है। मैं आज भी गाय पालता हूं। थरपारकर पचास गाय आज भी मेरे पास हैं। मैं घोड़े भी रखता हूं, शौक से रखता हूं क्योंकि घोड़ों का प्रेमी भी हूं। मैंने अपने हाथों से बैल के पीछे हल खड़ा किया है। मैंने अपने हाथों से हल जोता है। खेत काटा है। कुएं की जगत पर बैठकर पानी सींचा है।

[अनुवाद]

कृषि में ज़रूरत मृदा अपरदन, मृदा लवणता के बारे में है तथा पानी का सबसे किफायती उपयोग वहां है जहां फ्लड इरीगेसन तरीका नहीं है। वर्तमान में औसत उच्च उत्पादन वाली किस्म चावल की औसत उच्च उत्पादन वाली किस्म से 30 से 80 प्रतिशत कम है, उदाहरणार्थ - चीन में तथा वियतनाम अथवा इन्डोनेशिया में उसका लगभग आधा। ऐसा होता रहता है। वर्तमान में, वित्तमंत्री जी को मालूम है कि हम मसूर के निवल आयातक हैं। यह सबसे अधिक प्रोटीन प्रदान करती है। हम वनस्पति तेल के भी निवल आयातक हैं। भारत एकमात्र देश है जो सांस्कृतिक एवं सभ्यता की दृष्टि से पशु-चर्बी

से बने तेल का खाना पकाने के लिये उपयोग न तो करेगा न ही कर सकता। यह वास्तविकता है, कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 63 वर्ष पश्चात् भी हमें अब भी वनस्पति तेल आयात करना पड़ता है। हम आत्म-निर्भर नहीं हैं। हमारे लिये प्रोटीन की मुख्य आवश्यकता मसूर से पूरी होती है तथा हमें अब भी मसूर का आयाता करना पड़ता है। मुझे यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि कृषि हमारे लिये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है।

महोदय, मैं निर्धनता के बारे में बहुत ही उलझनकारी और परेशान करने वाले आंकड़े साझा करूंगा। ये विश्व बैंक के आंकड़े हैं। मैं विश्व बैंक को जानता हूं। मुझे इसकी जानकारी है। इसका अर्थ है कि मैं भी उसके आंकड़े जानता हूं। 2005 के अनुसार, हमारी लगभग 75.6 प्रतिशत जनसंख्या क्रय शक्ति समानता संबंधी मानदंड के मामले में प्रतिदिन दो डॉलर से भी कम राशि पर निर्वाह करता है; 41.6 प्रतिशत जनसंख्या निर्धनता की नई अंतर्राष्ट्रीय रेखा से भी नीचे जीवन-यापन कर रही है जो कि 1.25 डॉलर के पीपीपी पर निर्वाह करती है। भारत सरकार द्वारा निर्धनता के बारे में जो आंकड़े जारी किये गये हैं उनकी वजह से अगले दिन चर्चा हुई। मामला यह नहीं है कि निर्धनता के आंकड़े क्या हैं। मुख्य मुद्दा यही है कि निर्धनता जिसकी स्थिति बहुत खराब है जो स्वीकार्य नहीं है और निर्धनता हम सभी के लिये शर्मनाक एवं अमानवीय है। इसके कई कारण हैं। जहां तक किसान का संबंध है, एक अध्ययन में यह भी बताया गया है कि किसी किसान को दुकान पर बेचे जाने वाले सामान या उत्पाद की कीमत का मात्र लगभग पांचवां हिस्सा अथवा 20 प्रतिशत ही मिल पाता है। निस्संदेह, मैं कृषि के बारे में देर तक बोल सकता हूं। किंतु आज का विषय यह नहीं है।

मेरे पास लगभग दस मिनट का समय है तथा मैं उसी में अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करूंगा। मेरे पास कुछ क्षेत्र संबंधी मुद्दे हैं - मैं इन्हें क्षेत्र संबंधी ऋण दूं क्योंकि मेरे लिये ये व्यक्तिगत हित के मुद्दे हैं। पहला है – सेना, दूसरा है - मरुस्थल और तीसरा है - पर्वत जिनकी बदौलत मैं यहां आया हूं।

अपराह्न 3.00 बजे

यदि मुझसे पूछा जाता और मैं इस बावत उत्तर देने का प्रयास करता कि मेरे विचार में भारत कैसा होना चाहिये: तो मैं कहूंगा कि हम आधुनिक, एक आत्मनिर्भर एवं आत्मविश्वासी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बनें जोकि विश्व की सर्वोत्तम अर्थव्यवस्थाओं से प्रतिस्पर्धा करे। हमारे नागरिक प्रसन्न एवं संतुष्ट हों, इसके लिये हमें निर्धनता का उन्मूलन करना चाहिये तथा नव-भावना से नागरिक-वर्ग में उत्साह भरना चाहिये। मैं इस बात से सहमत हूं कि आपके हमारे साथ राजनीतिक मतभेद हैं - फिर भी इसके लिये, ग्रामीण-विकास सही कार्य है। वित्त मंत्री महोदय, आपसे मेरी अपील है कि एनडीए सरकार द्वारा ग्रामीण विकास हेतु आरंभ किये गये कुछ कार्यक्रम काफी तर्कसंगत थे। उनमें से एक था - ग्रामीण क्षेत्रों हेतु शहरी संसाधनों एवं सुविधाओं का प्रावधान। कृपया उस कार्यक्रम पर पुन: विचार कीजिये। यह एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रयोजनों के भली-भांति पूरा करता है। इसे केवल इसलिये अस्वीकार मत करिये कि यह हमने आरंभ किया था।

क्योंकि हम पूरे समय बोलते नहीं रह सकते, इसीलिये, महोदय, मैं आपके सामने दूसरा विचार यह रखना चाहूंगा कि आपको देश के बाहर जाने वाले निवेश को वापस देश में लाने की चुनौती का सामना कर समाधान करना चाहिये। यदि आप विगत वर्ष के बाहर हुये निवेश के आंकड़ों - मेरे पास मोटे तौर पर आंकड़े हैं जिन्हें मैं उद्धृत नहीं करना चाहता, पर गौर करें तो पायेंगे कि विदेशों में निवेश करने वाले भारतीय निवेशकों के माध्यम से अधिक पैसा भारत के बाहर गया है जबकि भारत में बतौर निवेश उसकी तुलना में कम पैसा आया है।

मेरे विचार से यह प्रवृत्ति हमें यह बताना चाहती है कि भारतीय निवेशक भारत में निवेश करने की बजाय बाहर क्यों जा रहे हैं। वित्त मंत्री जी द्वारा जिस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था का प्रबन्ध किया जा रहा है यह उसे चुनौती है। वास्तव में इसके अनेक कारण हैं, भूमि अधिग्रहण और शीघ्र अनुमोदन एवं आदेश स्वीकृत न करने को लेकर हमारे तन्त्र का हठ इसके कारण हैं। धन जल की तरह है। यह उस क्षेत्र में चला जाता है जहां अवरोध कम हो तथा इसका प्रवाह उस दिशा में हो जाता है। मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि आप उस रास्ते को अवरूद्ध करें। एकदम नहीं। यह भारत की उद्यमशील भावना को दर्शाता है, लेकिन इस उत्साह को देश के बाहर नहीं बल्कि देश के भीतर वापस लाने का प्रयत्न करें एवं इसे देश की तरफ मोड़ें। मैं यह बात कह रहा हूं क्योंकि शायद आपने अपने बजटीय दस्तावेज के माध्यम से इसका इरादा व्यक्त किया हो लेकिन मैंने ऐसा देखा नहीं। इसीलिये मैं इस बात पर ध्यान दिला रहा हूं।

महोदय, मैं पुन: दोहराता हूं कि सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को राष्ट्रीय संतोष में परिवर्तित करना महत्वपूर्ण प्रश्न है। सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों से भारत को भोजन नहीं मिल सकता है; ये भारत को संतोष नहीं दे सकते हैं। यह ऐसी चुनौती है जिस पर हम सबको ध्यान देना था।

यहां मैं एक अनुरोध करता हूं। गंगा और यमुना भारत की जीवन रेखा हैं। वे हमारी सभ्यता की पहचान की संवाहक हैं। निश्चय ही स्वर्गीय राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल से मैं गंगा और यमुना के पुनरुद्धार और उनकी सफाई की बात सुनता रहा हूं लेकिन वास्तव में हम इसमें पिछड़ गये हैं। माननीय वित्त मंत्री, मैं आपसे अनुरोध करता

हूं कि यदि आवश्यक हो, आप चाहे जो करें, आप किसी प्राधिकरण का गठन करें या किसी अधिकार प्राप्त संस्था का सृजन करें या समिति बनायें, फिर उसमें चाहे संसद सदस्यों को रखें या जिसे चाहे रखें, लेकिन इन दोनों नदियों की हालत पर ध्यान दें जिनसे भारत का मूल - भारत की सभ्यता - जिसे हम गंगा - जुमनी सभ्यता आदि नाम देते हैं - की पहचान होती है।

घाटे, वित्तीय घाटे और राजसहायता के नियंत्रण पर मैं केवल यह कहने के अलावा और कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि इस कल्याणवाद की अवधारणा को हमने समाहित नहीं किया है एवं इसकी जांच नहीं की है जिसे हमने पश्चिम यूरोप से या जहां से भी लिया है तथा यह अत्यंत उपयुक्त प्रणाली नहीं है। जैसे कि मनरेगा की शुरूआत हुई थी। मैंने देखा है और मुझे विश्वास है कि माननीय नमो नारायन मीणा जी ने अपनी आंखों से देखा है कि गांवों में सरपंच रातो-रात अत्यंत धनी हो गये।

[हिन्दी]

कहां से पैसा आया? ये मनरेगा का पैसा है। इमारतें खड़ी हो गईं। मैं किसी को अगले दिन कह रहा था कि मैं थोड़े दिन पहले बाड़मेर गया। वहां कोई सज्जन मुझसे मिलने आए, नमो नारायण जी, सब जानते हैं। वह सज्जन मोटर साइकल पर आए। वह खुद मोटर साइकल की पिछली सीट पर बैठे थे, दूसरा व्यक्ति आगे बैठा उसे चला रहा था। मैंने पूछा कि भई तुम कैसे मोटर साइकल पर चढ़े? तो उसने कहा कि भाई साहब मैंने मोटर साइकल खरीदी है। मैं चला नहीं सकता, इसलिए एक ड्राइवर रखा है चलाने के लिए। उन साहब का क्या नाम बताऊं आपको, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सब मनरेगा की देन है। मनरेगा के फाइनेंस द्वारा ऐसी कई रिकार्ड देन हैं।

[अनुवाद]

आपने देश में श्रम प्रणाली को पूरी तरह बिगाड़ दिया है यह चाहे औद्योगिक क्षेत्र की बात हो या कृषि क्षेत्र की हो। यह अत्यंत गंभीर दोष है। यह अनभिप्रेत दोष है। यह दोषपूर्ण ग्रामीण रोजगार को आरंभ करने का परिणाम है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गांव की स्त्रियां वहां जाती हैं और रोड के किनारे किसी शेड में बैठी रहती हैं।

[हिन्दी]

हमारे यहां तो शैड भी कम मिलते हैं। वहां गृहिणियां एक-दो घंटे बैठी रहती हैं, फिर घर चली जाती हैं। सरपंच कहता है कि तुम्हें 100 रुपए देने हैं, आधे मैं लूंगा और आधे तुम। इस पर वह गृहिणी कहती है कि आधे तुम ले लो, मुझे यहां बैठकर क्या करना है, रात थोड़े ही यहां गुजारनी है बैठकर। ...*(व्यवधान)* यह यू.पी. की देन है।

[अनुवाद]

कृपया पूरे प्रश्न की पुन: जांच करें। हमने जनता सरकार के दिनों में अत्यंत अच्छी योजना 'अंत्योदय, काम के बदलो अनाज' की शुरूआत की थी। 2003 के सूखे में जब मेरे ऊपर इस काम की जिम्मेदारी भी - आज तो मैं बेरोजगार हूं इसलिये में ये सारी बातें कह सकता हूं – मैंने स्वयं देखा है और नमो नारायण जी मेरे से सहमत होंगे कि राजस्थान के परिवारों में

[हिन्दी]

जिन्होंने गेहूं का दाना नहीं देखा था, उनके घरों में 30-30 किलोग्राम गेहूं पड़ा था।

[अनुवाद]

इसकी पुन: जांच की जानी है। कृपया कम से कम इसकी पुन: जांच कीजिए। अंत्योदय कोई बुरी योजना नहीं थी क्योंकि जिसे भी लाभ मिलना था उसका चुनाव स्वयं गांव द्वारा किया जाना था और इसमें राज्य की भूमिका बहुत कम थी। महोदय, मैं यह बात आपके सामने एक विचार के रूप में रख रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं लम्बा समय नहीं लूंगा। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

मुद्रास्फीति पर मैं एक अमरीकी अभिव्यक्ति का प्रयोग कर सकता हूं, नागरिकों के ऊपर यह तिहरी मार है। तिहरी मार कमी के कारण पड़ती है। आपने आपूर्ति संबंधी बाधाओं के बारे में बोला है इसलिये कमी से पहले सरकारी अक्षमता की बात आती है और इन सबसे बड़ी बात है कि प्रणाली में भ्रष्टाचार है। अत: कभी, सरकारी अक्षमता, भ्रष्टाचार और छोटे मोटे भ्रष्टाचार हैं।

मैं सबके साथ एक विचार पर बात करना चाहता हूं। आज सुबह हमने 10 लाख करोड़ रुपये के एक घोटाले के बारे में पढ़ा है। यह सोचने में भी अत्यंत कठिनाई हो रही है कि 10 लाख करोड़ में कितने शून्य हैं। इसके बाद धनराशि सांकेतिक हो जाती है। मेरी बात पर विश्वास करें कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार का सुझाव जिसकी बात मैं आपके साथ कर रहा हूं वास्तव में आम आदमी को प्रभावित नहीं करती है। उस पर किस बात का प्रभाव पड़ता है, यदि वह पटवारी के पास जाता है, और पटवारी यह कहते हुये प्रमाण पत्र देता है कि 'नहीं, नहीं, 100 रुपये निकालो'। यह भ्रष्टाचार उस भ्रष्टाचार से अधिक चुभता है जिस संख्या को हमने पढ़ा है। यह छोटा भ्रष्टाचार है जो निर्दयतापूर्वक जान ले रहा है। यह मुद्रास्फीति छोटा भ्रष्टाचार, कभी और ये सभी विशेषकर ग्रामीण आजादी एवं गरीबों के ऊपर तिहरी मार की तरह हैं।

मेरा क्षेत्र विशेष के प्रति एक लगाव है। जब मैं उस पद पर था जिसे आप विशिष्ट रूप से धारण किये हुये हैं तब मैंने चारागाह विकास के लिए एक योजना की घोषणा की थी। हमारे पश्चिमी राजस्थान में वस्तुत: पशुपालन उन्मुखी अर्थव्यवस्था है।

मैंने पश्चिमी राजस्थान के चारागाहों के विकास के लिये एक योजना की शुरूआत की थी। जिन्हें हम ओरज कहते हैं। यह कहते हुये मुझे अत्यंत दुख है कि जब मैं पद से हटा दिया गया और आपका दल सत्ता में आया तो आपने पहला कदम चारागाह विकास का कार्य बन्द करने का उठाया। हमने क्या गलत किया था? यह चारागाह विकास से हिमाचल प्रदेश के चारागाह विकास का भी ध्यान रखा जायेगा। कृपया इसको देखें।

महोदय, पहाड़ों के लिये मेरे तीन अनुरोध हैं क्योंकि मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूं। कृपया एक सीमित अवधि के लिये वे सभी लाभ देने पर विचार करें जो आपने और प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोत्तर को या उन राज्यों को दिये हैं ताकि उस गलती के परिणाम को सुधारा जा सके जो 30 वर्षों तक पहाड़ों की उपेक्षा करने के कारण सामने आये हैं।

महोदय, दार्जिलिंग जिले के राजमार्गों की स्थिति ऐसी है कि वे नाममात्र के रह गये हैं। वे राष्ट्रीय राजमार्ग कहे जाते हैं लेकिन हम उन्हें नाममात्र का राजमार्ग कहते हैं। इससे यातायात प्रभावित हुआ है। जो रेल लाइन विरासत में मिली थी, हाल में आये भूकंप में वह भी नष्ट हो गई है। कृपया इस पर ध्यान दीजिये।

मैं आपसे अपील करता हूं कि हम एकाधिकार अर्थव्यवस्था की स्थिति की ओर न लौटें। भारत की भावना फलने-फूलने दो। इसे सृजनकारी बनने दो। अपनी अर्थव्यवस्था को राज्य-केन्द्रित मत बनने दो। इसे नागरिक केन्द्रित बनने दो। यह भारत के लिये है न कि भारत सरकार अथवा किसी अन्य दल के लिये।

मैं यह निवेदन ज़रूर करूंगा कि हमें इस उन्मादवादी-उपभोक्तावादी अर्थव्यवस्था एवं समाज, जिसका हमने विकास किया है, से दूर रहना चाहिये। हर रोज़ मेरे बच्चे एवं नाती-पोते अमुक-अमुक मॉल के बारे में बताते हैं। हमारे गांवों में कोई मॉल नहीं थे किंतु बहुत सारा धन था। हमारे पास माल था किंतु कोई मॉल नहीं था।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एक बात स्मरण कीजिये जो कि ज्यादा पुरानी नहीं है। एक बूढ़ा आदमी हुआ करता था जो मात्र एक धोती पहनता था और समस्त भारत का भ्रमण कर लेता था तथा अक्सर पैदल ही यात्रा करता था। उसे मोहनदास करमचन्द गांधी के नाम से जाना जाता था। उसने कहा था, 'भारत की आत्मा हमारे गांवों में बसती है।' वित्त मंत्री महोदय, वह स्वदेशी का पहला हिमायती था। यही वास्तविक स्वदेशी है। मैं आपसे अपील करता हूं क्योंकि आप यह कर सकते हैं। बतौर एक व्यक्ति तथा तीन से ज़्यादा दशकों से आपके साथ काम करने के नाते मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। कृपया उस भावना को पुनरूज्जीवित करें। यह भारत के विकास के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारत को आज जिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधारों की जरूरत है, उनमें से पहला है मानसिक अवस्था का सुधार। यह एक महत्वपूर्ण सुधार है। जब मेरे पास यह ज़िम्मेदारी थी तब मैंने इसके बारे में कहा था और मैं इसे पुन: दो हराता हूं।

तत्पश्चात् हमें शासन में सुधार की जरूरत है जिसके बिना हम अपने नागरिकों को निश्चय ही वो नहीं दे पायेंगे जो उनका पक्का अधिकार है, जो उनका हक है तथा जिसे मुहैया कराना हमारा प्रतिबद्ध कर्तव्य है। तीसरी एवं महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत को एक ऐसे राजनीतिक सुधार की जरूरत है जो निर्धनता उन्मूलन, विद्वेश एवं भ्रष्टाचार की व्याप्त भावना एवं संव्यवहार की समाप्ति और सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी को पुन: लौटाने के मुद्दे का अवश्य ही समाधान करे। यह हमारी राजनीतिक व्यवस्था में सुधार करने और यह भी सुनिश्चित करने के लिये होगा कि विधानमंडल अपने कर्तव्य का निस्वादन इस प्रकार से कर पायें जैसे कि उनके संबंधित निर्वाचक मंडल द्वारा अधिदेशित किया गया है। वित्त मंत्री महोदय, इसके बग़ैर हम उस महत्वपूर्ण चुनौती का समाधान नहीं कर पायेंगे जो आज हमारे समक्ष है: 'निर्धनता का उन्मूलन कैसे करें, अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार कैसे लायें तथा स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू जी के स्मरणीय शब्दों में कहा जाये तो यह होगा—'सभ्य साधनों के जरिये सभ्य समाज का सृजन' और इस प्रकार से भारत को राष्ट्रों के वैश्विक दायरे में अपने मुकाम तक ले जाना। मानवीय वित्त मंत्री जी, मैं यह कहते हुये क्षमा चाहूंगा कि सुधार के एक न्यूनतम कार्यक्रम के बग़ैर कोई भी बजटीय पुरतत्व अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पायेगा। चुनौती केवल मात्र वित्तीय अथवा आर्थिक नहीं है, बल्कि यह अत्यंत राजनीतिक है। यदि हम इस चुनौती को नहीं जानेंगे तो हम अपने आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति में निश्चय ही असफल होंगे।

कृपया इसे समझिए। महोदय, मैं स्वयं को इसमें शामिल करता हूं और यह कहता हूं कि हम राजनेताओं और राजनीति, जो हम मौजूदा समय में कर रहे हैं, ने आपकी अर्थव्यवस्था, अपने देश एवं समाज को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। देश में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके लिये हम ही ज़िम्मेदार हैं न कि कोई बाहरवाला। क्योंकि सरकार आप ही हैं, आप ही शासन के सिंहासन पर विराजमान हैं, इसीलिये इस ज़िम्मेदारी का सर्वाधिक बोझ भी आप ही के कंधों पर है।

चुनौती हो रहे परिवर्तन इस परीक्षा से निपटने की है। माननीय वित्त मंत्री महोदय, समय बीतने से पहले ही चलो सभी इस संबंध में कार्य कर लें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम (मुंबई उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए अनुमति प्रदान की है। सबसे पहले मैं जसवंत बाबू के विद्वतापूर्ण भाषण के लिए उनका अभिनन्दन करना चाहूंगा।

अपराह्न 3.18 बजे

[**श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** *पीठासीन हुए*]

मैं आपको कान्ट्राडिक्ट करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और उन सुझावों का लाभ उठाना चाहिए। ये सुझाव सरकार के लिए मार्गदर्शक हैं, सदन के लिए भी मार्गदर्शक हैं, और देश के लिए भी मार्गदर्शक हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारा देश इस समय तमाम चुनौतियों का सामना कर रहा है और ऐसी चुनौतियों के बीच आदणीय वित्त मंत्री महोदय ने बजट पेश किया है, इन परिस्थितियों में इसमें बेहतर बजट पेश नहीं किया जा सकता था। बजट प्रस्तुत करते समय जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6 परसेंट के आस-पास थी। पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर आज भी चल रहा है। अगर पूरी दुनिया का एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट देखें, तो 3.3 परसेंट है, जो कि पांच परसेंट कम है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि हर आदमी पर महंगाई की मार है। हर आदमी महंगाई से परेशान है। इसी बीच एग्रीकल्चर सैक्टर में गतिविधियां चल रही थीं, थोड़ी-सी ग्रोथ रेट 2.5 परसेंट के आस-पास हो गई। औद्योगिक क्षेत्र में जितनी उम्मीद थी या जितनी अपेक्षा है, उतनी नहीं हो रही है, लेकिन 4.5 प्रतिशत के आस-पास विकास दर है। ऐसे में प्रणब बाबू को पूरा हक था, जैसा कि उन्होंने अपने बजटीय भाषण में कहा था कि राजा को दयालु होने के लिए क्रूर होने का हक है। दादा, आपको पूरा हक था लेकिन सचमुच आप उतना क्रूर नहीं हुए, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बहुत बधाई देता हूं। इन परिस्थितियों में आपने सब को राहत देने का काम किया है।

जो हमारा डैफिसिट है, वह 5.9 प्रतिशत के आसपास पहुंच गया था। उसका कारण यह था कि 12.5 लाख करोड़ रुपये के पिछले बजट में में अंत तक 13.1 लाख करोड़ रुपये के आसपास खर्च करना पड़ा। इसमें हमें काफी ज्यादा करोड़ रुपये खर्च करने पड़े। उनके कारणों के बारे में आगे मैं अपनी समझ से व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपने कहा कि अगली बार से इस साल जो बजटीय फिसकल डैफिसिट रहेगा, वह 5.1 प्रतिशत रहेगा और आगे आने वाले तीन वर्षों में यह घटते घटते काफी कम हो गया है। इसका बड़ा कारण यह रहा कि 14.9 लाख करोड़ रुपये का जो बजट आपने पेश किया है, उसमें जो हमारी राजस्व उगाही है, वह सिर्फ 9.7 लाख करोड़ के आसपास हुई। फिर भी इन परिस्थितियों में आपने कोशिश की है कि 23 प्रतिशत के आसपास बढ़ाया जाए। जो राजस्व उगाही का प्रश्न है, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं।

जब वर्तमान परिस्थिति में जब डैफिसिट कम करने का संकल्प आप ले रहे हैं तब जब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वह 30 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव आप रख रहे हैं, इसके लिए बधाई देता हूं जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 10 प्रतिशत होगा।

अभी जसवंत बाबू ने बताया कि देश में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं या उनका कहने का अर्थ यह था कि यह सिटिजन सेंट्रिक बजट होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट न हो, इंडिया का बजट हो। यह अच्छा लगा और इस सुनकर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या प्रणव बाबू ने जो बजट दिया है, क्या वह सिटिजन सेंट्रिक नहीं है? क्या ग्रामीण क्षेत्रों को इसमें ध्यान में नहीं रखा गया है? क्या यह सरकार का बजट है? यदि यह सरकार का बजट है तो इतना बड़ा घाटा हम नहीं झेल रहे होते। क्या यह देश के गरीब लोगों का बजट नहीं है? लगभग 1 लाख 66 हजार करोड़ रुपये इस साल सरकार के जो फ्लैगशिप कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों पर खर्च किये जाने का प्रस्ताव है जो कि पिछले वर्षों से लगभग 18 प्रतिशत ज्यादा का प्रस्ताव है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी को बधाई दूंगा क्योंकि तमाम चुनौतियों के बीच जो आम जनता के लिए स्कीम्स हैं, उनको किसी प्रकार की चोट पहुंचने नहीं दी बल्कि अगर मैं तमाम स्कीम्स का डिटेल देखूं तो एनआरजीएस जिस पर 40000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पिछले साल रखा गया था जिसमें 31000 करोड़ रुपये खर्च हो गये और 9000 करोड़ बच गये। लेकिन इस बार 31000 करोड़ रुपये के ऊपर 2000 करोड़ रुपये और बढ़ाये गये।

सर्वशिक्षा अभियान एनडीए के जमाने में शुरू हुआ एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। हमारी सरकार ने इसे स्वीकार किया और उस कार्यक्रम के ऊपर इस बार 25555 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव वित्त मंत्री ने इस साल रखा है जो पिछले साल की तुलना में 21 प्रतिशत ज्यादा है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना जो आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था जिसको हमने उतने ही जोश और

उत्साह के साथ ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए चालू रखा है। उसके ऊपर भी 24000 करोड़ रुपये का प्रावधान है जो कि पिछले साल के मुकाबले 20.1 प्रतिशत ज्यादा है।

एनआरएचएम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने का अच्छा कार्यक्रम है। इस पर भी 19 प्रतिशत ज्यादा प्रावधान 18515 करोड़ के हिसाब से किया गया है। शहरी क्षेत्र के लिए एक स्कीम है, जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्युअल मिशन है, मेरे ख्याल से यह आखिरी साल है, अगले साल पता नहीं कन्टीन्यु होगा या नहीं। मेरा निवेदन है कि इसे अगले साल जारी रखें क्योंकि इसके जरिए नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्रों में जबरदस्त काम हो रहा है। मुंबई में प्रारंभ से देखा जा रहा है कि बेस्ट बसें चलती है। या यहां डीटीसी बसें चलती हैं, आदिम जमाने की हैं। बसों की हालत बहुत खराब है। ये बहुत ही असुविधाजनक किस्म की बसें हैं लेकिन जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्युअल स्कीम का नतीजा है, आशीर्वाद है कि मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में नहीं बल्कि लखनऊ, पटना और बंगलौर शहरों में चमचमाती, सुविधाजनक बसें चल रही हैं जो प्रदूषण भी कम फैलाती हैं। इसके अलावा और भी तमाम स्कीमें हैं जैसे ड्रिंकिंग वाटर स्कीम और सैनिटेशन स्कीम है। मैं निवेदन करता हूं कि जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्युअल स्कीम को जारी रखा जाना चाहिए। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस स्कीम के लिए इस बार का प्रोवीजन पिछले साल की तुलना में 68 प्रतिशत ज्यादा है, 12522 करोड़ रुपए हैं। इंदिरा आवास योजना में दस प्रतिशत और मिड-डे मील स्कीम में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। नेशनल रूरल ड्रिंकिंल वाटर प्रोग्राम में भी 23 प्रतिशत, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए 38 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इंटिग्रेटिड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए 12 प्रतिशत की वृद्धि की है। मैं जानता हूं कि सरकारी स्कीम का पैसा ईमानदारी से लागू हो जाए तो इतने साल तक इंतजार हीं करना पड़ेगा। यानी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है। जसवंत जी कह रहे थे कि पिटी करप्शन है। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार है। डिलीवरी मैनेजमेंट, सिस्टम में दोष है। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने हमेशा डिलीवरी सिस्टम को दोषरहित करने की दिशा में प्रयास किया है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि प्रयास में 100 फीसदी सफलता मिली है लेकिन सरकार को पता है कि जो पैसे गांव के गरीबों और कमजोरों को खेती के लिए भेज रहे हैं, ये सारा पैसा ईमानदारी से नहीं पहुंच पाता है। हां, ज्यादा से ज्यादा पैसा पहुंचे, इस दिशा में प्रयास हो रहा है। राजीव गांधी जी ने भी कहा था कि जो पैसा लाभार्थी के लिए यहां से जाता है, हूबहु उतना पैसा नहीं मिलता। मेरी अपेक्षा है कि आने वाले दिनों में डिलीवरी सिस्टम को और बेहतर किया जाए।

महोदय, मेरी चिंता बजटरी डिफिसिट को लकर है कि ज्यादा कहां खर्च हो रहा है? जहां खर्च हो रहा है, क्यों खर्च हो रहा है? दो सैक्टर में सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है। एक फ्लैगशिप स्कीम्सस में लगभग 1 लाख 66 हजार करोड़ का खर्च है औ दूसरा खर्च सब्सिडी का है। सब्सिडी बहुत बड़ा प्रश्न रहा है क्योंकि अगर सब्सिडी कम की तो गरीब को नुकसान होता है और अगर ज्यादा की तो सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री को तकलीफ होती है। मैं नहीं कहता कि सब्सिडी को कम करने की आवश्कयता है या सब्सिडी के खिलाफ कुछ करने की आवश्यकता है क्योंकि जब हम सब्सिडी देते हैं तो कहीं न कहीं आम आदमी को राहत देने का दृष्टिकोण होता है। पिछले साल आपने घोषणा की थी सब्सिडी लगभग जीडीपी का 1.6 प्रतिशत के आसपास होगी जो बढ़कर 2.4 प्रतिशत हो गया। आपने घोषणा की है कि यह दो प्रतिशत होना चाहिए। और आने वाले दो-तीन वर्षो में 1.7 प्रतिशत होना चाहिए, ऐसा सरकार की तरफ से प्रयास होगा। निश्चित तौर पर यह सोच प्रशंसनीस है। देश की वित्तीय व्यवस्था पर सब्सिडी का असर पड़ रहा है, इसे कैसे नियंत्रित किया जाए, यह देखना जरूरी है ताकि फिसकल डेफिसिट पर बड़े सवाल उठते हैं उनका जवाब दिया जा सके।

मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि सब्सिडी की वजह से इतना बड़ा असर कैसे पड़ा। पिछले साल आपने फूड सब्सिडी पर 7 हजार करोड़ तय किए थे, जो 72 हजार करोड़ चला गया। पैट्रोलियम सब्सिडी आपने 23 हजार करोड़ रुपये निर्धारित की थी, तो जो 69 हजार करोड़ रुपये हो गई। फर्टिलाइजर सब्सिडी आपने पचास हजार करोड़ रुपये तय की थी, जो 67 हजार करोड़ रुपये हो गई और इस तरह से कुल मिलाकर दो लाख, आठ हजार करोड़ रुपये सिर्फ सब्सिडी पर गया। आने वाले दिनों में आपने इस बजट में कोशिश की है कि इसे थोड़ा रेशनलाइज किया जाए। 1.79 लाख करोड़ रुपये के आसपास आपने टोटल खर्च प्लान करके सब्सिडी पर दिया है, फूड पर 75 हजार करोड़ रुपये दिया है, निश्चित तौर पर यह एक बड़ी रकम है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो फूड सिक्युरिटी मिशन के बारे में हमारे देश में सोचा जा रहा है कि हर आदमी को खाने का हक है, हर आदमी को भोजन मिले। फूड सिक्युरिटी बिल संसद में प्रस्तुत किया गया, जो स्टैंडिंग कमेटी के पास है, वह बिल एक बार कानून का रूप धारण करे और देश में ऐसा कोई व्यक्ति न रहें जो भूखा रह जाए, जिसे खाना न मिले। उस सपने को साकार करने के लिए इतना बड़ा बलिदान करना पड़ेगा और आपने बड़े पवित्र उद्देश्य के लिए 75 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। फर्टिलाइजर सब्सिडी 61 हजार करोड़ रुपये आपने निर्धारित की है, जो पिछले साले में मुकाबले कम है। लेकिन फर्टिलाइजर के बारे में आपने जो सुझाव दिये हैं, वे निश्चित तौर पर बहुत अच्छे रहेंगे। मोबाइल ट्रैकिंग का जो सुझाव है, पहले

हम फर्टिलाइजर सब्सिडी कारखानों को देते थे। जबकि फर्टिलाइजर सब्सिडी का फायदा किसानों को मिलना चाहिए, लेकिन फायदा कारखानों के मालिक ले जाते थे। आपने एक रास्ता निकाला, नंदन नीलेकणि की कमेटी ने जो आपको रिपोर्ट दी, उस हिसाब से आपने रास्ता निकाला कि कम से कम किसानों तक पूरी सब्सिडी पहुंचे और इसके लिए जो आपने रिटेलर बेस्ड सब्सिडी देने का प्रावधान किया है, निश्चित तौर पर यह एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। अगर एंड टू एंड प्रोडक्शन को हमने ट्रैक कर लिया तो निश्चित तौर पर जो अभी जसवंत बाबू बोल रहे थे, उसका जवाब मिल जायेगा और ऐसे में किसान भाइयों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। जितना खाद का उत्पादन हो, उतना खाद लोगों को मिले, सस्ता खाद किसानों को मिले और बदले में उत्पादक और रिटेलर, किसानों को सस्ता खाद देने में नुकसान हो रहा है, उसे उसकी भरपाई करके दे दी जाए और ये सब कुछ अगर व्यवस्थित तरीके से हो तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। आपने फर्टिलाइजर सब्सिडी के बारे में जो व्यवस्था की है, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हं कि आने वाले दिनों में जो मोबाइल ट्रैकिंग का एक नया सिस्टम आप शुरू करने जा रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी मिले। उससे किसान का भी भला हो और सरकार के पैसे की जो लीकेज हो रही है, वह न हो।

महोदय, पैट्रोलियम सैक्टर अपने आप में बहुत तकलीफ में हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। क्रूड आयल के प्राइसेस के भरोसे हमें जीना पड़ता है। लगभग 80 प्रतिशत के आसपास बाहर से हम इम्पोर्ट करके कच्चा तेल ले रहे हैं। बावजूद इसके जैसा जसवंत बाबू न कहा कि पैट्रोल के प्राइसेस फिर से बढ़ाने चाहिए। डीजल पर हम जो सब्सिडी दे रहे हैं, वह जबरदस्त है, लेकिन डीजल हमारे यहां पूरे देश की इकोनोमी का एक बहुत बड़ा बेस है। अगर डीजल के भाव को यूं ही बढ़ा दिया जाए तो उसका कैसकेडिंग इफैक्ट बहुत बड़ा होता है। फिर भी सरकार तमाम फिस्कल डेफिसिट के बावजूद डीजल पर सब्सिडी दे रही है, वह देनी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में धीरे-धीरे आयल कंपनियों को कैसे आत्मनिर्भर किया जाए और उनकी पूरी इकोनोमी को कैसे दुरुस्त किया जाए, इस दिशा में प्रयत्न होना चाहिए। पैट्रोल को आपने डीरेगुलेट किया, क्या आने वाले दिनों में डीजल के बारे में कोई ऐसा वाजिब रास्ता ढूंढा जा सकता है, यह मैं जानना चाहूंगा। यदि मुझे उसके बारे में जानकारी मिलेगी तो अच्छी बात है।

एलीपीजी और केरोसिन के लिए डायरेक्ट सब्सिडी के संदर्भ में आपने जो प्रस्ताव रखे हैं, निश्चित तौर पर वे बहुत ही सराहनीय हैं। इस पूरे बजट में तमाम तकलीफों के बावजूद जो हमारे देश में चल रहा है, उन तकलीफों के बावजूद मैं वित्त मंत्री महोदय को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा सैक्टर नहीं है, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है और कोई भी ऐसा बिजनेस सैक्टर नहीं है, जिसके ऊपर इसमें ध्यान नहीं दिया गया हो। चाहे गरीब हो, किसान हो, अनुसूचित जाति या जनजाति हो, आर्थिक मंदी से परेशान उद्योग जगत हो, या छोटे-छोटे निवेशक हों जो हमारी स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। मुम्बई और गुजरात में बड़ी भरी संख्या ऐसे निवेशकों की है, लेकिन मैं एक जानकारी शेयर करना चाहूंगा कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट है कि 20 लाख के लगभग निवेशक कम हो गए हैं। रीटेल निवेशकों की जो मार्केट में निवेश करने की रुचि होती थी, वह धीरे-धीरे कम हो रही है और ऐसे में आपने उन निवेशकों को बारे में भी विशेष तौर पर चिन्ता की है। आपने राजीव गांधी इनवेटस्टमैंट स्कीम जो शुरू की है, वह बहुत ही आकर्षक है। मैं जानना चाहूंगा कि आखिर इस स्कीम के जरिये कैसे निवेश करेंगे क्योंकि मार्केट में निवेश तो करना है, लेकिन क्या होगा। मुचुअल फंड टाइप की व्यवस्था होगी या क्या है, जैसे नेशनल सेविंग्ज सर्टिफिकेट जैसी व्यवस्था है या क्या व्यवस्था है? इस बारे में कुछ और विस्तार से बताएं क्योंकि बजट में इस पर कोई विस्तृत जानकारी नहीं है।

फिर आपने इनफ्रास्ट्रक्चर सैक्टर पर जो जोर दिया है, वह निश्चित तौर पर काबिले-तारीफ है क्योंकि हिन्दुस्तान क्या, पूरी दुनिया में किसी भी देश को अगर विकास करना है, डैवलपमैंट करना है तो बगैर इनफ्रास्ट्रक्चर का डैवलपमैंट किये कुछ नहीं हो सकता चाहे वह रोड सैक्टर हो, पावर सैक्टर हो या कोर सैक्टर हो। दुर्भाग्यवश पिछले 64 वर्षों में हमारे देश की आजादी के बाद आज भी तमाम सैक्टर्स का जितना डैवलपमैंट होना चाहिए, उतना नहीं हुआ है। हां, हाल के वर्षो में मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं मुंबई से निकलकर हिन्दुस्तान के अलग-अलग राज्यों में आता हूं—कभी बिहार जाता हूं कभी यूपी जाता हूं, कभी पंजाब जाता हूं या दक्षिण भारत के राज्यों में जाता हूं। वहां रास्तों का जो विकास हुआ है, उससे निश्चित तौर पर एक नई क्रांति सी दिख रही है। लेकिन अभी और क्रांति की आवश्यकता है, अभी और विकास होने की आवश्यकता है।

महोदय, मंत्री जी ने जिस प्रकार से इनफ्रास्ट्रक्चर सैक्टर के ऊपर रियायत देने के लिए विशेष तौर पर सोचा है, उसके लिए मैं उनकी तारीफ करता हूं। दूरदराज के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी बैंक्स वगैरह खुलें और स्वाभिमान योजना का विस्तार हो, यह सोच बहुत अच्छी है कि हर आदमी इस इनक्लूसिव ग्रोथ का हिस्सा बने, हर आदमी का विकास हो। जितने भी आर्थिक विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं, आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं, इन विकास के कार्यक्रमों में हर आदमी की भागीदारी हो, हर आदमी को इसका लाभ मिले, इसके लिए आपने जो स्वाभिमान योजना शुरू की है, निश्चित तौर पर यह बहुत अच्छी योजना है। निम्न दरों पर घर खरीदने की क्षमता रखने

वाले जो शहरी लोग हैं, वे बहुत थोड़े से हैं, फिर भी उनके लिए आप जो स्कीम चला रहे हैं जो 1 परसेंट इंसैन्टिव आप देते हैं, वह बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि होम लोन पर विशेष फोकस दिया जाए। मैं आगे हो होम लोन पर अपनी बात रखूंगा क्योंकि हमारे यहां बड़े पैमाने पर इस प्रकार के लोग हैं।

स्किल डैवलपमैंट के लिए जो आपने नौजवानों के लिए विशेष व्यवस्था की है, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष आयोजन है। इसमें हमारे देश की जो गरीब विधवाएं हैं और शारीरिक रूप से जो विकलांग नागरिक हैं, उनके बारे में भी आपने इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद सोचा है। सेना के जवानों के लिए जो 4000 सस्ते घर बनाने का प्रावधान किया गया है, इसके लिए मैं निश्चित तौर पर आपका अभिनन्दन करूंगा।

महोदय, कृषि क्षेत्र के बारे में जसवंत बाबू ने बहुत ही विस्तार से अपनी चिन्ता व्यक्त की। निश्चित तौर पर यह चिन्ता की बात है लेकिन मैं तो जसवंत बाबू की तरह खेतिहर नहीं हूं, मैंने कभी खेती नहीं की है। लेकिन मैं एक बात महसूस करता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में विशेषकर 2008-09 के बाद से हमारे देश में कृषि क्षेत्र में विकास हो रहा है। एक जमाने में 1.5 प्रतिशत से ज्यादा कभी एग्रीकल्चर सैक्टर में ग्रोथ नहीं हो पाती थी। इसलिए आज 2.5 प्रतिशत के आसपास जो ग्रोथ रेट है, वह निश्चित तौर पर सराहनीय है। यह और बढ़नी चाहिए। इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे यहां आज तक 210 मिलियन टन से ज्यादा खाद्य उत्पादन नहीं हुआ था। पहली बार हमारे देश में ऐसा हुआ है कि 250 मिलियन टन के आसपास खाद्यानन उत्पादना हुआ है। यह अपने आप में तारीफ की बात है और इसके लिए मैं अगर किसी को श्रेय देता हूं तो तमाम जिन योजनाओं के बारे में हमें शक होता है, जिन योजनाओं के बारे में अक्सर हम आशंकित रहते हैं कि पता नहीं इन योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं, उन योजनाओं का असर है, उन योजनाओं का फायदा है जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, उसका एक लाभ दिखता है। आपने कृषि क्षेत्र में जो क्रैडिट फैसिलिटी बढ़ाने की बात कही है, वह निश्चित तौर पर तारीफ की बात है। वह कम है जैसा जसवंत बाबू बोल रहे थे। 12 करोड़ किसानों की उपस्थिति में 5,75,000 करोड़ रुपये की जो क्रैडिट फैसिलिटी है, वह कोई बहुत ज्यादा नहीं है। फिर भी पिछले सालों की तुलना में क्रैडिट फैसिलिटी में काफी बढ़ावा हुआ है। सात प्रतिशत का जो इंटरस्ट रेट है, वह भी एक बहुत अच्छा सुझाव है। अगर पैसा समय पर लौटा दिया, तो तीन प्रतिशत और छूट देंगे, इससे ज्यादा दयालु वित्त मंत्री मुझे नहीं लगता कि किसानों के लिए कोई हो सकता है।

इस दयालु व्यवहार के लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारा देश भले ही तरक्की कर रहा है, लेकिन यह भी एक सच है कि किसानों ने हाल के वर्षों में सुसाइड भी की है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि एकदम सुसाइड करना बंद हो गई हैं। आत्महत्याओं का दौर धीमा पड़ा है। ईश्वर करे, कभी भी हमारे देश के किसान सुसाइड न करें। वे मेहनत करते हैं, खाद्यान्न पैदा करते हैं। इससे हम दो रोटी खा पाते हैं। जो लोग हमें खिलाते हैं, वे ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित और सुखी रहें। इस दृष्टिकोण से वित्त मंत्री जी ने जो इस बजट में प्रावधान किया है, उसके लिए मैं आभारी हूं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के ऊपर 9270 करोड़ रुपए यानी पिछले साल से करीब 18 प्रतिशत अधिक आपने प्रावधान किया है। यकीनन, यह तारीफ के काबिल है। इसमें तीन सौ करोड़ रुपए आप हमारे यहां विदर्भ क्षेत्र में दे रहें हैं। विदर्भ एक ऐसा क्षेत्र है, जहां सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं और विदर्भ सबसे ज्यादा इस दुख से, इस तकलीफ से शापित रहा है। ऐसे में आपके इस आवंटन से विदर्भ के किसानों को राहत मिलेगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय दलहन मिशन, राष्ट्रीय तिलहन एवं आयलपाम मिशन, राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि और लघु सिंचाई, कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन

[हिन्दी]

ये सारी योजनाएं निश्चित तौर पर कुछ दे रही हैं।

आपने उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए ग्रीन रैवोल्यूशन शुरू किया था और उसके लिए छोटा-सा एलोकेशन किया था। मुझे याद है वर्ष 2009 में जब आपने पहली बार इसकी घोषणा की थी तो लोगों ने कहा था कि यह तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बात है। बहुत थोड़ा-सा एमाउंट है। इसका फायदा क्या होगा? लेकिन आपने पिछले बजट में बताया था कि इसका असर यह हुआ है कि उत्तर-पूर्वी राज्यों ने खाद्यान्न के उत्पादन में जबरदस्त योगदान इस देश को दिया है। वहां उत्पादन बड़े पैमाने पर बढ़ा है। निश्चित तौर पर इन योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है और इन योजनाओं का लाभ देश को मिल रहा है।

किसान क्रेडिट कार्ड हो या आरआरबी की कैपसिटी बढ़ाने की आपने बात की है, निश्चित तौर पर यह एक अच्छी योजना है। एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर दो सौ करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान कर रहे हैं। इरीगेशन के सेक्टर में 14244 करोड़ रुपए का प्रावधान आपने किया है, जिससे निश्चित तौर पर हमारी बंजर भूमि और खेतों को

पानी मिलना जो दुर्लभ हो जाता है, बड़ी मुश्किल से डैम बनते हैं और डैम बनते हैं तो उनसे पानी नहीं मिलता है। पानी मिलता है तो वह खेतों तक नहीं पहुंचता है। ऐसे में इरीगेशन के आवंटन से आम किसानों को फायदा होगा।

गंगा-जमुनी संस्कृति के बारे में, उस तहजीब के बारे में जसवंत बाबू याद दिला रहे थे। बिल्कुल गंगा और यमुना देश की मुख्य धारा है, इस देश की जीवन धारा है। इस देश की जीवन शैली का हिस्सा है। इसमें यमुना के बारे में तो घोषणा नहीं है, लेकिन गंगा के बारे में बहुत अच्छी घोषणा है कि एक फ्लड़ मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है। गंगा एक्शन प्लान एक अर्से से चल रहा है। मुझे याद है राजीव जी ने गंगा जी की सफाई के लिए बहुत गंभीरपूर्वक एक योजना बनायी थी। उसके लिए फण्ड्स भी बहुत दिए गए हैं। इसके बावजूद आज भी गंगा जी तकलीफ में है। आने वाले दिनों गंगा जी के पानी का बेहतर ढंग से मैनजमेंट हो और उसका लाभ सभी को मिले। साफ-सुथरी बंगार हो। साफ-सुथरी यमुना हो। गंगा यमुना के साथ-साथ आप देश की बाकी नदियों के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। हमारे यहां महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में। मैं अभी पंजाब गया था। वहां मैंने सतलज और व्यास नदी देखी। बहुत अच्छी नदियां और बहुत अच्छा पानी मिल रहा है। रिवर मैनजमेंट का लाभ निश्चित तौर पर पंजाब के किसानों को मिल रहा है। जिसका नतीजा यह है कि पूरे देश के गेहूं और चावल का आधा उत्पादन पंजाब देता है। कृषि क्षेत्र के लिए नदियों की साफ-सफाई और कैसे उससे इरीगेशन में लाभ हो, यह ध्यान रखना चाहिए।

डेयरी डेवलपमेंट के लिए 2242 करोड़ रुपए की आपने व्यवस्था की है। इसके लिए मैं आपकों बधाई देता हूं। हमारे देश में व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ। दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन हम कर रहे हैं। डेनमार्क और हमारे बीच एक कम्पीटीशन चलता रहता है। कभी हम आगे हो जाते हैं, कभी वह आगे आ जाता है। ऐसे में डेयरी सेक्टर पर और फोकस किया जाना चाहिए। दूध का उत्पादन और बढ़ना चाहिए।

महोदय, मैं तटीय क्षेत्र से आता हूं। मुंबई समुद्री किनारे पर बसा हुआ शहर है और वहां बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन करने वाले लोग, मछली मारने वाले लोग, मछली मार कर जीवनयापन करने वाले लोग रहते हैं, जिन्हें हम मुछआरा, कोली कहते हैं। उन लोगों के लिए और पूरे देश के लिए आपने पांच सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

महोदय, यह कहा जाता है कि इन्क्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, बजट अमीरों के लिए है, बड़े लोगों के लिए है, कमजोर लोगों व पिछड़े लोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मुझे इस बजट को देखकर बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारी अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति कम्युनिटी के लिए बने सब प्लान में बढ़ोतरी की है। एस.सी. सब प्लान के लिए आपने 37113 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है जो पिछले आवंटन से 18 प्रतिशत ज्यादा है। एस.टी. सब प्लान में आपने 21710 करोड़ रुपए दिए हैं जो पिछले आवंटन से 17.6 प्रतिशत ज्यादा है। हमारे देश का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज निश्चित तौर पर आपका बहुत शुक्रगुजार रहेगा कि उनके सब प्लान की योजनाओं में आपने बढ़ोतरी की है।

गरीबों के लिए आप जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन चला रहे हैं, निश्चित तौर पर यह बहुत अच्छा कदम है। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइवलीहुड मिले। इसमें 3915 करोड़ रुपए यानि 34 प्रतिशत ज्यादा आपने दिया।

आपने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, स्वच्छता के लिए 14000 करोड़ के नेशनल स्किल डेवलप्मेंट के लिए 1000 करोड़ रुपए दिया। गरीब विधवाओं और विकलांगों को जो 200 रुपए प्रति माह मिलता था, उसे बढ़ाकर आपने 300 रुपए प्रति माह किया। हालांकि, यह कम है। लेकिन, यह ठीक है। भागते चोर की लंगोटी ही सही पहले यह बहुत कम था। आपने इसे थोड़ा तो बढ़ाया। इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, मैं टैक्स प्रोपोजल के संबंध में कहूंगा कि बजट जब भी पेश होता है तो कहीं पर टैक्स बढ़ता है, कहीं पर टैक्स घटता है। किसी को खुशी मिलती है, किसी को गम मिलता है। हर बजट कहीं खुशी, कहीं गम का वातावरण देता है। लेकिन, वर्तमान व्यवस्था में आपने जो टैक्स प्रोपोजल्स दिए, एसमें आपने लोगों को बहुत ज्यादा दुःख नहीं दिया। बल्कि, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा लोगों को सुख ही मिला।

डायरेक्ट टैक्स, विशेषकर पर्सनल टैक्स मे जो कमी की है, उसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा। पहले 1,80,000 रुपए के ऊपर आयकर का एग्जेम्पशन मिलता था, आपने उसे दो लाख रुपए किया। अगर थोड़ा ज्यादा होता तो बेहतर होता। लेकिन, तकलीफ यह है कि पहले से ही रेवेन्यू डेफेसिट चल रहा है, अगर आप ज्यादा करेंगे तो आपको और नुकसान होगा। फिर भी, आपने जो एक राहत दी, उसके लिए मैं आपका अभिनन्दन करता हूं।

टैक्स स्लैब में आपने 10 प्रतिशत के लिए दो लाख रुपए से पांच लाख रुपए, और 20 प्रतिशत के लिए पांच लाख रुपए से दस लाख रुपए तक किया। यह एक अर्से से लोगों की अपेक्षा थी और उस अपेक्षा को आपने पूरा किया है। इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

प्रत्यक्ष कर से आपको नुकसान था। लेकिन, अप्रत्यक्ष कर के ऊपर थोड़ा मचा, इसके ऊपर लोगों ने एतराज किया, उसके जरिए आपको 45000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं था। कहीं-न-कहीं से फायदा लेना था। लेकिन, मैं यह बात समझने की कोशिश कर रहा हूं कि वर्ष 2008 की जो आर्थिक मंदी थी, उसके बाद बड़े पैमाने पर एक्साइज ड्यूटी और सेवा कर में हमने कटौती की। उस समय 14 प्रतिशत की एक्साइज ड्यूटी को घटाकर आपने 8 प्रतिशत किया ताकि आर्थिक मंदी की मार से परेशान उद्योगों को राहत मिल सके। सेवा कर को भी अपने 12 प्रतिशत से घटाकर 10.36 प्रतिशत किया था। आज मैं देख रहा हूं कि वर्ष 2008 में आपने जो कम किया था, अभी भी हम वर्ष 2008 के आंकड़ों तक नहीं पहुंचे हैं। इसको मैं पार्शियल रोल बैक कह सकता हूं। धीरे-धीरे स्थितियां ठीक हो रही हैं। ऐसे उद्योग-धंधों को जिन्हें हमने स्टीमुलस पैकेज दिया था, उसमें बड़ा विरोध हुआ। सदन में उसके ऊपर आज भी एतराज करने वाले लोग हैं और उसकी कमी नहीं है। फिर भी, आपने धीरे-धीरे जो एक-एक, दो-दो प्रतिशत प्रत्येक वर्ष बढ़ाना शुरू किया, निश्चित तौर पर इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। जो लोग सेवा कर के बारे में कहते हैं कि बढ़ा दिया गया है। उन्हें मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 12.36 प्रतिशत जो सेवा कर था, वह वर्ष 2008 में था और आज 12.33 प्रतिशत हुआ है। इसका मतलब हम जहां थे, वहीं है। वह वर्ष 2008 की तुलना में बढ़ा नहीं है। एक्साइज ड्यूटी अभी भी कम है। वर्ष 2008 में यह 14 प्रतिशत था, आज यह 12 प्रतिशत ही है। ऐसे में एक पार्शियल रोल बैक हुआ है। लोगों को तकलीफ देने के दृष्टिकोण से कुछ नहीं हुआ है।

कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिन्हें आपने बहुत राहत दी है और उसके लिए निश्चित तौर पर पूरा देश आपका आभारी है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर आपने जो जोर दिया है, इसके लिए आप निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि आने वाले पांच वर्षों में पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 50 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। 50 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। 50 लाख करोड़ रुपए की जो आवश्यकता है, वह सरकार नहीं कर सकती है। इसके लिए अपने जो पी.पी.पी. मॉडल का सुझाव दिया है, यह निश्चित तौर पर बहुत अच्छा सुझाव है।

अभी आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, रोड डेवेलपमेंट हो रहा है, ब्रिज एवं फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। यह कोई बहुत ज्यादा सरकार हर जगह नहीं बना रही और सरकार बना भी नहीं सकती। कई जगह जो रास्ते बन रहे हैं, अच्छे-अच्छे रोड्स बन रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है। उन पर टोल नाके लगे हैं, टोल देने हैं। टोल देने की जो व्यवस्था है, उसे थोड़ा सा रेशनलाइज किया जा सकता है, कितना टोल किस पर देना है और कितने साल तक देना है। लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा प्राईवेट सैक्टर का पार्टिसिपेशन हो तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की तरह हमारे देश की सड़कों का भी विकास होगा, हमारे देश के भी फ्लाईओवर्स और ब्रिजेस का भी विकास होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए इन्फ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा प्राईवेट पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ऐसा मैं आग्रह करता हूं।

आपने माइनिंग सेक्टर पर काफी ध्यान दिया है। रेलवे के बारे में हमारे पूर्व रेल मंत्री जी ने बताया कि तीन हजार करोड़ रुपए का आपने लोन दिया है। उन्होंने कहा कि हम सूद सहित एक साल के अंदर आपको लौटा देंगे। उसके बाद सिविल एविएशन सेक्टर, जोकि इस देश में आम आदमी को प्रभावित करने वाला सेक्टर नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन हमारे देश के उद्योग का एक बड़ा सेक्टर है। पिछले दिनों सिविल एविएशन सेक्टर में कौन सी प्राईवेट एयरलाइंस को क्या तकलीफ है, ये सब हम जानते हैं, लेकिन बार-बार एक डिमांड थी कि इसमें एफडीआई एलाऊ किया जाए। आपने इस प्रकार का एक हिंट दिया है। सिविल एविएशन सेक्टर के लोगों को एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के लिए आपने जो अनुमति दी, वह निश्चित तौर पर अच्छा प्रयास एवं अच्छी घोषणा है। इससे आने वाले दिनों में हमारे यहां का जो एयरलाइन सेक्टर है, वह थोड़ा सा सस्टेनेबल हो जाएगा, सस्टेन कर पाएगा। उसकी अपने पैरों पर खड़ा होने की स्थिति बन सकती है। मेनुफेक्चरिंग सेक्टर, हैल्थ और न्युट्रिशन सेक्टर एवं एनवायरमेंट सेक्टर, इस सब को आपने जो ड्यूटी रिलीफ दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा। शेयर मार्केट के हिसाब से जो एसटीटी, यानी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स का जो प्रपोजल था, उसको आपने कम किया है। मैं आने वाले दिनों में ऐसी उम्मीद करता हूं कि फेज आउट मैनर में उसे काफी कम करना है, बल्कि खत्म कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इससे एक निवेश की परम्परा और बढ़ेगी, निवेशकों में उत्साह आएगा। लेकिन एसटीटी के साथ-साथ, जैसा कि इकोनोमिक रिव्यू में इस प्रकार का प्रस्ताव था कि सीटीटी भी आएगा, यानी कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स इस बार लाया जा सकता है, क्योंकि अगर एसटीटी आपने पूरी तरह से एबोलिश किया तो तीन-चार हजार करोड़ के आस-पास नुकसान है। अगर सीटीटी लेकर आते हैं तो छः हजार करोड़ का फायदा है। यानी एसटीटी का नुकसान सीटीटी के जरिए कमोडिटी ट्रांजेक्शन, जो कमोडिटी एक्सचेंजेस इस समय हमारे देश में बड़े पैमाने पर चल रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर कमोडिटी सीटीटी के जरिए उस नुकसान की भरपाई हो सकती हैं, उससे निश्चित तौर पर कमोडिटी सीटीटी के जरिए उस नुकसान की भरपाई हो सकती थी, लेकिन सीटीटी नहीं आया। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों सीटीटी के ऊपर वित्त मंत्री जी विचार करेंगे। हमारे पास जो एसएमईज हैं, स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइसेस, उनके बारे में

एक अर्से से चिन्ता थी। उन्हें आपने जो राहत दी, वह निश्चित तौर पर कमेंडेबल है। जिनका साठ लाख तक का टर्नओवर होगा, वह कम्पलसरी टैक्स ऑडिट से पार होंगे। एसएमईज वाले कहते थे कि आज के जमाने में 60 लाख की इतनी बड़ी वेल्यू नहीं है, इस लिमिट को बढ़ाया जाए। आपने इस लिमिट को बढ़ाया, एक करोड़ किया। मुझे लगता है कि एक करोड़ भी ज्यादा नहीं है। आने वाले दिनों में शायद इसके ऊपर पुनर्विचार करना पड़ सकता है, लेकिन इस घोषणा से एसएमईज निश्चित तौर पर खुश होंगे, उन्हें प्रसन्नता मिलेगी। आपने एक बहुप्रतीक्षित निर्णय करके जो दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। होम लोन के सेक्टर में जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, हमारे मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में बहुत ज्यादा लो-कास्ट हाउसिंग उपलब्ध नहीं हैं। जो अच्छे-अच्छे घर उपलब्ध है, वे 50 लाख से ऊपर के ही हैं। ऐसे घरों के लिए आपने जो 15 लाख के ऊपर लोन इंसेंटिव की व्यवस्था की है, वह इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इन घरों के ऊपर जो इंटरस्ट लगते हैं, उसको रेशनलाइज करने की आवश्यकता है। हमारे जो बैंक होम लोन पर इंटरस्ट दे रहे हैं, उनका एक फिक्स, फ्लोटिंग रेट है। लोग फ्लोटिंग रेट के नाम पर, कि फ्लोटिंग रेट कम होता जाएगा, इसलिए ले लेना चाहिए, लेकिन फ्लोटिंग रेट कभी कम नहीं होता है।

मैंने पहले भी वित्त मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करने की कोशिश की थी कि इन दोनों रेट्स को मिला करके एक कॉमन रेट बनाया जाए, ताकि मिडल क्लॉस का व्यक्ति जो घर खरीदता है, वह सुरक्षित रहे। मान लीजिए छः परसैंट के रेट पर एक आदमी अगर घर खरीदता है तो उसके बाद अगर उसके भाव बढ़ने लगे तो उसका पूरा का पूरा बजट डिसटर्ब हो जाता है, बजट खराब हो जाता है। ऐसे में अगर रेट फिक्स हो तो ज्यादा मेहरबानी हो सकती है। जो मध्यम वर्गीय परिवार है, वह राहत महसूस कर सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि होम लोन के संदर्भ में एक अच्छा, नया दृष्टिकोण स्थापित करने की आवश्यकता है।

मैं वित्त मंत्री जी का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने ब्लैकमनी के ऊपर एक बड़ी भूमिका साफ की है। जो कालाधन है, वह हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों से चर्चा का बहुत भारी विषय है, इससे पहले भी भारी विषय था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तो इस पर खूब चर्चा हो रही है। इस पर खूब सारे भाषण, मीटिंग्स एवं सभाएं हो रही हैं, ऐसे में वित्त मंत्री जी ने घोषणा की कि इसी साल, इसी सत्र में ब्लैकमनी के ऊपर एक श्वेत-पत्र लाया जाएगा। निश्चित रूप से हमें उसका इंतजार रहेगा।

साथ-साथ आपने जो घोषणा की कि 16 साल पुराने जो इन्वैस्टमेंट्स हैं, पूरी दुनिया में, हिन्दुस्तान से बाहर किसी के भी जो इन्वैस्टमेंट्स हैं, उनको री-ओपन करने का, उनको इन्वैस्टीगेट करने का, उनको स्क्रूटेनाइज करने का अब काम शुरू हो सकता है। यानि हमारे डिपार्टमेंट को यह हक मिलता है, निश्चित तौर पर इससे ब्लैकमनी के ऊपर काफी हद तक नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है या उसको चैक किया जा सकता है। आपने ब्लैकमनी को लेकर जो जोरदार आन्दोलन चले, उसके आसपास या उसके दरम्यान या उसके बाद आपने जो अलग-अलग देशों के साथ 82 एग्रीमेंट किये, लगभग 82 एग्रीमेंट इधर किये और उसके बाद इधर टैक्स एक्सचेंज के लिए जो 17 एक्सचेंज किये, वे निश्चित तौर पर सराहनीय हैं।

पब्लिक प्रिक्यूरमेंट पॉलिसी में जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि, भ्रष्टाचार रोकने के लिए इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता कि जो पब्लिक सेक्टर के लिए या फिर सरकार को जो चीजें खरीदनी होती हैं, उस खरीद-फरोख्त में एक पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो। इसके लिए आपने जो एक संकल्प व्यक्त किया और आप जो एक व्यवस्था करने जा रहे हैं, उससे उम्मीद है कि भ्रष्टाचार कम होगा और सरकार का पैसा कम बर्बाद होगा, लोगों को ज्यादा लाभ होगा और भ्रष्टाचार के ऊपर भी नियंत्रण स्थापित होगा। इसके लिए भी मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।

महंगाई एक बड़ा विषय है। महंगाई के बारे में पूरा देश चिन्तित है और समय-समय पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की दिशा में सरकार की तरफ से प्रयास भी हुए। एक प्रयास मैं लोगों के सामने अपने सदन के समक्ष रखना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि सरकार उस पर ध्यान दे। मैंने सुना है कि हाल के दिनों में सेण्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्कुलर था, जो तमाम राज्यों को भेजा गया, नेशनल इनीशिएटिव ऑन वेजीटेबल्स, जो पैरीशेबल आइटम्स हैं, वे पैरीशेबल आइटम्स ए.पी.एम.सी. मार्केट के थ्रू बाजार में न जायें, डायरेक्ट मार्केटिंग का जो कंसैप्ट है, वह हो। इससे राहत यह मिलेगी कि जो पैरीशेबल आइटम्स हैं, वे जल्द से जल्द एक तो लोगों तक पहुंचेंगे और दूसरे बीच में जो सप्लाई चैन में जो होलसेल डीलर्स हैं, जो एजेण्ट्स बैठे हुए हैं, उनकी भूमिका कम होगी।

मुझे पिछले एक-दो वर्षों में 2-3 जगह जाने का मौका मिला, जहां हमारे किसान पैरीशेबल आइटम्स प्रोड्यूस करते हैं, उनके आइटम्स की क्या दुर्गति है, वह मुझे देखने का मौका मिला। कर्नाटक में, पता नहीं मुनियप्पा जी हैं कि नहीं, मुनियप्पा जी की कांस्टट्वेंसी कोलार है। मुझे कोलार जाने का मौका मिला। कोलार एक ऐसा जिला है, जो टमाटर के उत्पादन में सबसे आगे है। सबसे ज्यादा टमाटर का उत्पादन वहां होता है। अचानक मैंने वहां देखा कि कोलार के रास्ते के दोनों तरफ ऐसे ही टमाटर पड़े सड़ रहे हैं। मैंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है तो बोले कि टमाटर तो पैदा हो गये, लेकिन टमाटर को कोई

खरीदार नहीं है। आप लासरगांव नासिक में जायें तो सड़क पर इसी तरह से प्याज आपको सड़ते हुए मिलेंगे। आप यू.पी. या पंजाब में जायें, बंगाल में जायें तो सड़कों पर आपको आलू यूं ही सड़ते मिलेंगे तो कहीं न कहीं एक मिशन बनना चाहिए कि कोल्ड स्टोरेज ज्यादा से ज्यादा हों, यानि हमारे किसान जो भी इस प्रकार के पैरीशेबल आइटम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको अपनी चीजें सुरक्षित रखने की एक व्यवस्था मिले और दूसरी बात, उनको अपना माल जो डायरैक्ट मार्केटिंग का कंसैप्ट आया है, उनको अपना माल खुद या एक ट्रेडर के माध्यम से सीधे बाजार तक पहुंचाने की छूट मिलनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था है, लेकिन राज्यों की सरकारें इस व्यवस्था को लागू नहीं कर रहीं, जिसमें मैं दुख के साथ कहता हूं कि हमारे राज्य में भी यह नहीं हो रहा है। मैं इस विषय को लेकर अपने राज्य में अपने राज्य की सरकार के साथ बार-बार बात कर रहा हूं कि आप इसे एलाऊ करिये, क्योंकि, अगर नासिक में चार रुपये किलो प्याज मिलता है तो वह मुंबई के मार्केट में 18-19 रुपये के आसपास मिलता है। चार रुपये का प्याज 18 रुपये में यहां मिल रहा है तो ऐसे में बीच में केन्द्र सरकार कहां से दोषी हुई?

यह आखिर हो क्यों रहा है कि चार रुपये की चीज नासिक में एक होलसेलर उठाएगा, उसको ए.पी.एम.सी. में लेकर जायेगा, ए.जी. एम.सी. से कोई दूसरा डीलर लेकर जायेगा। फिर कोई डीलर लाकर मुंबई के होलसेलर को देगा, फिर वह रिटैलर को देगा तो बीच में जो बड़े लेविल पर मार्जित लिया जा रहा है, उस मार्जिन को नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए और आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मैं यह चाहूंगा कि सरकार की तरफ से इस प्रकार का प्रोवीजन हो, जिसमें कि जो पैरीशेबल आइटम्स, खासकर जो कृषि के हैं, वे डायरैक्ट मार्केटिंग के जरिये सप्लाई हों और दूसरे पूरी सप्लाई चेन को दुरुस्त करने की दिशा में एक नई यंत्रणा स्थापित की जाये। जो मल्टीब्राण्ड एफ.डी.आई. की एक व्यवस्था थी।

अपराह्न 3.59 बजे

[**श्री सतपाल महाराज** *पीठासीन हुए*]

निश्चित तौर पर उस पर एक विवाद चल रहा है। आने वाले दिनों में चर्चा के माध्यम से उसके ऊपर एक रास्ता निकाला जाये, लेकिन महंगाई को नियंत्रित करने की दिशा में वह एक अच्छा कदम हो सकता है। ऐसे में बहुत गम्भीरता के साथ, जवाबदारी के साथ आपके समक्ष मैं यह बात रख रहा हूं। इसलिए मैं चाहूंगा कि उस दिशा में भी प्रणब बाबू ने जो घोषणा की है, उस दिशा में भी थोड़ा सा प्रयास किया जाये।

अपराह्न 4.00 बजे

अभी जसंवत जी आपने कहा था राज्यों की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हुई है। यह बात आपने बहुत सही कही है। एक जमाना ऐसा था कि केंद्र की अर्थव्यवस्था सही होती थी और राज्यों की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती थी। जितने भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड थे, वे लॉस में चलते थे, राज्य सारे ओवर ड्रॉफ्ट के ऊपर चलते थे, लेकिन पिछले चार-पांच वर्षों में अगर देखा जाए, तो हमारे पूरे हिंदुस्तान के तमाम राज्यों की स्थिति बहुत अच्छी हुयी है। उनका अपना फिसकल मैनेजमेंट तो है, लेकिन उसका बड़ा कारण मैं देखता हूं कि केन्द्र से बड़े पैमाने पर पैसा जा रहा है। इसके ऊपर अक्सर विवाद होता है कि आपको थोड़े न पैसा है, यह देश का पैसा है। बिल्कुल, मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारा पैसा है, सरकार का पैसा है, कांग्रेस का पैसा है, यूपीए का पैसा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। पूरे देश का जो टैक्स कलेक्शन है, उसका हिस्सा जाता है और वह हिस्सा, जो 13वां फाइनेंस कमीशन था, उसकी रिकमेंडशन के हिसाब से जा रहा है। उन्होंने सेट किया कि इस राज्य को इतना जाएगा, इस मद में इतना जाएगा। आज जो हम 1 लाख 66 हजार करोड़ की स्कीम बना रहे हैं, जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जो हम गांवों में लागू करने जा रहे हैं, वह केंद्र सरकार खुद नहीं लागू करेगी। इसमें सारा का सारा पैसा राज्यों के पास जाएगा। राज्यों के माध्यम से लागू होगा। राज्यें के पास सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एलोकेशन है, वह बड़े पैमाने पर जा रहा है। हमारे पास बहुत लंबी चौड़ी फीगर है। मैं कई राज्यों को देखा रहा हूं। बिहार हो या गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो जा जम्मू-कश्मीर हो या महाराष्ट्र हो, इन तमाम राज्यों को जिस प्रकार से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेशन दिया गया है, उसके माध्यम से राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं को बड़ी राहत मिली है और बड़ी दुरूस्त हुई हैं, तो निश्चित तौर से यह व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): केन्द्र देता है, लेकिन राज्य भी उसमें अपना हिस्सा लगाता है। ...*(व्यवधान)*

श्री संजय निरुपम: मैं इस पर विवाद नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि इसके माध्यम से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स हैं और स्कीम्स का जो एलोकेशन राज्यों के पास जा रहा है, वह निश्चित तौर पर उन राज्यों को बहुत राहत दे रहा है और ईश्वर करे यह राहत उनको हमेशा मिलती रहे। जसवंत बाबू, आपने कहा कि जब राजा व्यापारी होगा, तो प्रजा भिखारी हो जाएगी। राज्यों को व्यापारी नहीं होना चाहिए। आपकी लाइन बड़ी अच्छी थी। इसी आधार पर मुझे याद आ रहा है एनडीए के जमाने में डिसइन्वेस्टमेंट का एक जबरदस्त कार्यक्रम चल रहा था और बड़े पैमाने पर डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। आपने कहा कि स्टेट को बिजनेस नहीं करना चहिए। बिस्किट

बनाने का काम सरकार का नहीं है, होटल चलाने का काम राज्य का नहीं है और इस आधार पर कहीं बाल्कों बेचा, कहीं आपने सेंटूर होटल बेचा। यह बात सही है कि सरकार को धंधे से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन सरकार को धंधे से बाहर निकलते समय वह धंधा बंद हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए था। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको सेंटूर में डिसइन्वेस्टमेंट किया, भुखमरी की नौबत आ गयी। जो अंधाधुंध डिसइन्वेस्मेंट हुआ था, वह डिसइन्वेस्टमेंट यहां न हो, ऐसा मैं आग्रह करूंगा। पिछली बार बजट का चालीस हजार करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट के लिए टार्गेट था। जो हमारा फिसकल डेफीसिट है, उसका एक बड़ा कारण है कि डिसइन्वेस्टमेंट का टार्गेट हम एचीव नहीं कर पाए। 40 की जगह सिर्फ 15 हजार करोड़ रुपए के आसपास हम डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से पा पाए, इस साल हम लोगों ने तीस हजार करोड़ किया। मैं इस सरकार को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा कि डिसइन्वेस्टमेंट का जो तरीका इन्होंने तय कया है कि जो मैनेजमेंट कंट्रोल होगा, वह सरकार के पास रहेगा। ज्यादा से ज्यादा पांच-दस परसेंट हम आईपीओ के जरिए, शेयर मार्केट के जरिए ऑफ लोड करेंगे और उसके जरिए पैसे लेकर अपनी पीएसयूज में लेकर आएंगे। यह तरीका होना चाहिए और मुझे लगता है कि उस समय भी इस तरीके के बारे में काफी कुछ सुझाव भी दिया गया था, लेकिन उस समय की सरकार ने नहीं माना। मैं यह समझता हूं कि उस समय की सरकार अगर मानती तो आज विपक्ष में बैठने की नौबत नहीं होती, लेकिन आपने नहीं माना, आपको बार-बार कहा गया। आज यह सरकार अगर डिसइन्वेस्टमेंट का सेक्टर हो या तमाम क्षेत्रों में जिस प्रकार से एक कार्यक्रम चला रही है, वह कार्यक्रम कहीं न कहीं देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, आम आदमी को राहत देने के लिए है। आगे जाकर जो पूरा उद्योग जगत है, जिसमें लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को ताकत मिलती है, उन सबको राहत देने वाला एक कार्यक्रम चल रहा है।

हमारे वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उससे आने वाले दिनों में देश का भविष्य निश्चित तौर से संवरेगा, देश के हर वर्ग को राहत मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देश के हर क्षेत्र में विकास होगा, विकास की जो नयी योजनाएं लागू हो रही हैं, उससे निश्चित तौर विकास की गंगा बहेगी। पिछले सात वर्षो से बार-बार जो रूरल सेंट्रिक स्कीम हमने ज्यादा से ज्यादा बनायीं, वह निश्चित तौर पर सिटीजन सेंट्रिक है, क्योंकि रूरल एरिया में लोग ही रहते हैं और उनके लिए ही सारी की सारी स्कीम्स हैं। आपने जो कहा कि सिटीजन सेंट्रिक हो, निश्चित तौर से सिटीजन सेंट्रिक है। इसको ध्यान से समझने और पढ़ने की आवश्यकता है। आपने कहा कि भारत का बजट हो बजट भारत का होना चाहिये न कि भारत सरकार का।

यकीनन, पूरा बजट आप पढ़ेंगे तो इसमें ज्यादा से ज्यादा जोर भारत के लोगों के विकास के लिए है। आनेवाले दिनों में इस बजट के माध्यम से गरीबों कम होगी। इस बजट के माध्यम से ज्यादा विकास होगा। इस बजट के माध्यम से कृषि क्षेत्र का विस्तार एवं विकास होगा। इस बजट के माध्यम से उद्योग क्षेत्र में विकास होगा और जहां कहीं इस आर्थिक मंदी के बावजूद, चारो तरफ जो आर्थिक हमले हो रहे हैं उन हमलों के बावजूद जो विकास होगा तो सुधार होगा उसका एक मानवीय चेहरा होगा। आर्थिक सुधार होने के बहुत सारे हमारे बिल पड़े हुए हैं। इन बिलों के बारे में कोई चिंता ही नहीं कर रहा है। आपने चिंता व्यक्त की कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आपने चिंता व्यक्त की कि फिस्कल डेफिसिट नहीं होना चाहिए। आपने चिंता व्यक्त की कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इन चिंताओं का जो मैनिफैस्टेशन है वह इन बिलों को पास किए बगैर नहीं हो सकता है। प्रणव बाबू ने सुधारवादी विधेयक को लेकर तैयार है। उन विधेयकों पर कहीं-कहीं एक सहमति बनाने की आवश्यकता है। पूरा देश देख रहा है कि सुधार की दिशा में सरकार के कदम क्या हैं? कहीं न कहीं हमारे जो कदम रूके हुए हैं, वह विपक्ष के असहयोग की वजह से रूके हुए हैं। मैं चाहूंगा कि विपक्ष सहयोगत्मक रवैया अपनाये। तमाम सैक्टर्स में सुधार की दिशा में जो कानूनी प्रस्ताव हैं, जो विधेयक लंबित पड़े हैं उन विधेयकों को पास किया हिन्दुस्तान में सुधार का कार्यक्रम आगे बढ़े। हां, वह सुधार का कार्यक्रम एक मानवीय चेहरा लेकर हो, आम आदमी के विकास के लिए हो। वह इन्क्लूसिव ग्रोथ देने वाला हो, गरीब को आगे जाने वाला हो। वह सिर्फ अमीर का विकास करने वाला न हो। आपने कहा कि हर आदमी की जेब में पैसा आना चाहिए। हमको विकास चाहिए और ऐसा विकास लाने के लिए जो सुधारवादी कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों को समर्थन दीजिए। उन कार्यक्रमों में सहयोग दीजिए। उनको पास करने में आप अपना सहयोग दीजिए। ऐसा मैं आप से निवदेन करता हूं।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे वर्ष 2012-13 के बजट पर बोलने का अवसर दिया है। अभी संजय निरुपम जी अपना भाषण दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बजट के अंदर जो घाव है उसको बहुत अच्छा डॉक्टर सर्जरी का काम कर रहा है। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सर्जरी करने का काम किया है। महोदय, मैंने भी बजट को पढ़ने की कोशिश की है। इस बजट में देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई के लिए सरकार क्या काम कर रही है उसे मैं ढूढ़ने का काम कर रहा था। बेरोजगारी बढ़ रही है उसके लिए सरकार क्या कर रही है उसे मै उसे मैं ढूढ़ने का काम कर रहा था। गरीबी जो अभिशाप बन चुकी है

उससे लड़ने के लिए सरकार ने क्या संकल्प लिए हैं उसे मैं ढूंढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैं स्वास्थ्य के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। मैं शिक्षा के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। एक समस्या जो हमारे देश के सामने है जिस पर किन्हीं कारणों से लोगों की नजर नहीं पड़ती है–यह बढ़ती हुई आबादी। बढ़ती स्वयं में एक समस्या है। इस समस्या से कई समस्याएं पैदा होती हैं। इस बजट के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं दीखता है कि आने वाले संकट से सरकार जूझने या टकराने का काम करेगी।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज भ्रष्टाचार दिल्ली से चल कर बड़े शहरों, छोटे शहरों, बड़े दफ्तरों, छोटे दफ्तरों से हो कर आज गांवों तक पहुंच गया है। आज सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, हम यह नहीं कहते हैं कि सरकार की नीयत में कोई कमी है लेकिन आज कोई ऐसी योजना नहीं है जो भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ गई हो।

महोदय, हमने बचपन में बंगाल में काला जादू का नाम सुना था कि बंगाल में कोई काला जादू होता है। लेकिन वित्त मंत्री जी ने इस बार उस काले जादू का प्रयोग आम जनता के लिए किया है। इन्होंने जनता की जेब में जहां प्रत्यक्ष करों के रूप में 4500 करोड़ रुपये राहत देने की बात की हैं, वहीं बड़ी सफाई से दूसरी जेब से अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से 41,440 करोड़ रुपये निकालने का काम किया है। आपने जो टैक्स बढ़ाए हैं, कल रेवती रमण सिंह जी के यहां सोने के कुछ व्यापारी आए थे। वैसे सोने के व्यापारी पूरे देश में धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल सोने का नहीं है, गांव में बैठे हुए गरीब से गरीब आदमी के यहां भी जब शादी-ब्याह होता है तो वह छोटा-मोटा कोई न कोई जेवर बनवाने का काम करता है। लेकिन जब बड़ा आदमी दुकान पर जाता है तो ब्रांडेड जेवर खरीदता है और ब्रांडेड जेवर खरीदते समय वह कीमत नहीं पूछता। पसन्द करने के बाद पैक करने का आदेश देता है और बिल का पैसा दे देता है। लेकिन आज छोटे-छोटे कस्बों में जो इसके कारीगर हैं, जिनके हाथों में हुनर है, जो व्यवस्थित नहीं हैं, जो गांवों में जाकर नथुनी, किलनी, बिछिया बनाने का काम करते हैं, आज आपने नान-ब्रांडेड जेवरात जैसे नथुनी, किलनी, बाली पर भी टैक्स लगाने का काम किया है। यह देश आपको कभी माफ नहीं कर सकता। लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे वित्त मंत्री जी कहते हैं कि जब उन्हें सब्सिडी की चिन्ता होती है, याद आती है, तो उहें नींद नहीं आती। मैं कहना चाहता हूं कि उर्वरक, खाद्यान, पैट्रोलियम, आयकर मिलाकर भारत सरकार जो सब्सिडी देने का काम करती है, वह 2,50,723 करोड़ रुपये है। वहीं दूसरी तरफ उद्योग जगत को सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, कारपोरेट कर की जो राहत देती है, वह 5,39,532 करोड़ रुपये है। वित्त मंत्री जी को रात को नींद नहीं आती। किसी ने कहा है–

इस दौर में इंसाफ का एहसास नहीं है
मिलता है उसे जाम जिसे प्यास नहीं है।
खुद्दार हूं इजहारे जहां कर नहीं सकता
साकी यह समझता है मुझे प्यास नहीं है।।

क्योंकि कमजोर लोगों का संगठन नहीं है, कमजोर लोगों की आवाज नहीं पहुंच सकती, बड़े लोगों की आवाज पहुंच सकती है, बड़े लोग आपसे मिल सकते हैं। इसलिए बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि कमजोर लोगों के लिए यह बजट अच्छा नहीं है।

मैं बहुत लंबी-चौड़ी बात नहीं करूंगा। मैं कुछ विचारधीन प्रोजैक्ट्स की बात करूंगा। 10, 15, 20 साल पहले जो प्रोजैक्ट शुरू किए गए, जिनके ऊपर लाखों-करोड़ों रुपये खर्च कर दिए गए, आज वे प्रोजैक्ट किस हालत में हैं। वे आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, उन पर काम हो रहा है या नहीं, इसे देखने की जरूरत आज सरकार महसूस नहीं करती। मैं केवल एक प्रोजैक्ट का जिक्र करना चातहता हूं। लैफ्ट बैंक घाघरा नहर परियोजना, सरयू नहर परियोजना उत्तर प्रदेश की सिंचाई की परियोजना है। वर्ष 1974 में यह परियोजना केन्द्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों द्वारा मिलकर शुरू की गई थी। इसमें 2/1 का हिस्सा था। इस परियोजना को 1982-83 में पूरा हो जाना चाहिए था। यह परियोजना 299 करोड़ रुपये में पूरी होनी थी, लेकिन वर्ष 2008 तक 73 हजार 29 करोड़ रुपये इस परियोजना पर खर्च हो चुके हैं, जबकि इस परियोजना का अभी तक 40 प्रतिशत काम ही पूरा हुआ है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी जो परियोजनाएं चल रही हैं, ये आसमान में नहीं चल रही हैं। इसके लिए जमीनें ली गयी हैं, लोगों को उजाड़ा गया है, खेतियां बंद कर दी गयी हैं। एक तरफ जमीन पर खेती नहीं हो रही है और दूसरी तरफ लाखों हैक्टेयर जमीन ली गयी है। मेरे पास यह आकड़ा है। इस परियोजना से गोरखपुर मंडल तक कई जिले लाभान्वित होने वाले थे।

सभापति महोदय, यह परियोजना वर्ष 1974 में शुरू हुई थी, जो वर्ष 2012 में भी पूरी नहीं हुई है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह एक परियोजना की बात नहीं है। देश में ऐसी परियोजनाएं जहां कहीं भी चल रही हों, जिन पर हमारे पैसे खर्च हो चुके हों, उन परियोजनाओं की पहले समीक्षा करनी चाहिए और फिर उन्हें पूरा करना चाहिए, क्योंकि वे परियोजनाएं किसी न किसी कारण से बनायी गयी हैं।

सभापति महोदय, मैं नदियों के बारे में भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। हमारे देश में नदी और नारी का जब तक सम्मान था, तब तक हमारे देश को विश्व गुरु कहा जाता था। लेकिन आज नदियों की

जो हालत है, भगवान कृष्ण ने यमुना में कभी कालिया नाग को नाथने का काम किया था। कालिया नाग तो मर गया, लेकिन आज यमुना स्वयं कालिया नाग बनकर दिल्ली से निकल रही है।

महोदय, अभी पूरी दुनिया पानी की चिंता कर रही है। किसी ने कहा था कि पानी के लिए अगला विश्व युद्ध लड़ा जायेगा। शायद अटल जी ने भी कहा था। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि जब पीने के लिए पानी रहेगा, तो विश्व युद्ध लड़ा जायेगा। आज यह हालत है। पहले जब हमारे पुरखे, हमारे बाप-दादा किसी गांव को बनाते थे, तो बगल में तालाब बनाते थे। आज अगर कोई भी बड़ा गांव मिलेगा, तो वहां आपको तालाब मिलेगा। आज पूरे देश में ऐसे तालाबों का अतिक्रमण कर लिया गया। लोगों ने उसकी पटाई कर ली, उस पर घर बना लिया। हमें एक अभियान चलाकर उन तालाबों को खाली कराने का काम करना चाहिए। हर दस-पांच किलोमीटर के बाद कोई न कोई नदी, झील मिल जायेगी।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी हमारी बात को नोट कर रहे हैं। मैं उन्हें एक सुझाव देना चाहता हूं कि आपने अभी तमाम पोखरे खुदवाये। भारत सरकार के सहयेग से देश में तमाम पोखरे, तालाब खोदे गये। लेकिन आप समीक्षा करा लीजिए कि आज उन तालाबों में पानी नहीं है। मैं आलोचना नहीं कर रहा। मैं 10-15 प्रतिशत की बातनहीं करता, लेकिन 85 प्रतिशत पैसे का दुरुपयोग हुआ है। आज तालाबों में पानी नहीं है। हमारे देश में कितनी झीलें, तालाब और पोखरे हैं? भारत सरकार को एक अभियान चलाकर इन नदियों, पोखरों, तालाबों और झीलों को सबसे पहले कार्यक्रम में लेकर उन्हें गहरा करा कर पानी रोकने का काम करना चाहिए। ये इंजीनियर क्या बतायेंगे कि कैसे पानी का संचयन किया जाये। पानी का संचयन हमारे बाप-दादा करते थे, हमारे पुरखे करते थे। हम जानते हैं, गांव के लोग जानते हैं। आप जयपुर में चले जाइये। झीलें किसने बनवायी थी? चरखारी, बुंदलेखंड में चले जाइये। वहां सात-सात तालाब किसने बनवाये थे? देश के किसी भी भाग में चले जाइये, लोगों ने पानी का इंतजाम किया था। आप नया तालाब मत बनाइये। जब जरूरत होगी, तब नया तालाब भी बनाइये, लेकिन एक अभियान चलाकर झीलें, तालाब और पोखरों को गहरा कराकर पानी रोकने का इंतजाम कीजिए। हम कोई आलोचना करने के लिए इस बात को नहीं कह रहे। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): आंध्र प्रदेश से जो मछली आती है ...*(व्यवधान)*

श्री बृजभूषण शरण सिंह: अभी मछली की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में नदियों, तालाबों में बहुत बड़े पैमाने पर मछलियां मिलती थीं। वे मछलियां केवल खाने को नहीं मिलती थीं, वे मछलियां गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को जीविका देने का भी काम करती थीं। कुछ जातियां ऐसी हैं, जो उसी पर निर्भर हैं, लेकिन आज तालाबों और नदियों में मछलियां नहीं रह गयी हैं। ट्रक से ट्रक मछलियां भरकर आंध्र प्रदेश से आती हैं। अब कितने दिनों में वह ट्रक यहां पहुंचता है? आज सलमान खुर्शीद यहां बैठे हैं, आप अगर अपनी मंडी में ताजा मछली खोजने लगें, तो आपको नहीं मिलेगी, आंध्रा वाली मछली ही मिलेगी। पहले उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं था। मैं कहना चाहता हूं कि सारे कार्यक्रम रोककर जो हमारे तालाब हैं, नदियां हैं, पोखरे उनको गहरे करने का इंतजाम करना चाहिए और जल संचयन करने का इंतजाम करना चाहिए।

अब मैं थोड़ी सी बात किसानों की करना चाहता हूं। आज खेती की लागत और किसान के श्रम को अगर जोड़ लिया जाए, तो खेती घाटे का सौदा बन चुकी है, लेकिन वह किसान मजबूर है, विवश है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। किसान का बेटा जब किसी अधिकारी के बच्चे को ब्रांडेड जूते पहने हुए देखता है, तो उसकी भी इच्छा होती है कि मेरे पैर में भी ब्रांडेड जूता होना चाहिए, लेकिन आज किसान का बेटा ब्रांडेड जूता नहीं पहन सकता। किसान का बेटा खेती के बल पर किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकता है। मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं, केवल सच्चाई सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, सुझाव दे रहा हूं। किसी अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सकता, अच्छे से दवा नहीं करा सकता, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता है। वह किसान, जिसे हमारे देश में भगवान का दर्जा प्राप्त था, उस भगवान का बेटा आज ललचाई हुई नजरों से ब्रांडेड जूता और ब्रांडेड शर्ट देखता है। किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। आपकी सरकार है, आप क्या कर सकते हैं, मैं यह नहीं कहना चाहता कि कैसे करेंगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, सेंट्रल रोड फण्ड योजना आदि योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले चार-पांच साल से काम बिल्कुल बंद है, इसलिए पैसा देकर जल्दी काम शुरू करवइए। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है, इसका ठेका बड़ी-बड़ी कंपनियों ने ले लिया है और कोई काम कंप्लीट नहीं किया, बीपीएल परिवारों के यहां एक बल्ब नहीं लगाया, अधूरा काम छोड़कर चले गए, इस बात की जांच करवा लीजिए कि किस तरीके से किसानों और गरीबों के साथ धोखा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में इसकी जांच करवा लीजिए। मेरा सुझाव है कि इसमें कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। खम्भा लगाना है, तार खींचना है, ट्रांसफार्मर लगाना है, इसमें बड़ी-बड़ी कंपनियों को बैन कर दीजिए, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। यह भ्रष्टाचार दिल्ली में होता है। बुरा मत मानिएगा, इस भ्रष्टाचार को बंद कर दीजिए, नहीं तो राजीव जी का सपना पूरा नहीं हो पाएगा और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा।

अच्छी योजना है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन धरती पर यह दिखाई नहीं पड़ रही है। यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। गांव में जो सीधा-सीधा आदमी था इस योजना ने उसको भी भ्रष्टाचारी बना दिया है और जेल जाने की तैयारी करवा चुकी है। जिस दिन आप इसकी जांच करा लेगे, कोई प्रधान, मुखिया या सरपंच ऐसा नहीं है, जो जेल के अंदर नहीं जाएगा। मैं उनकी स्वायत्ता पर हमला नहीं करना चाहता, मैं उनके स्वाभिमान पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन निगरानी की पक्की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि इस पैसे का दुरूपयोग हो रहा है, यह पैसा बर्बाद हो रहा है। यह पैसा किसी एक का नहीं है, पैसा देश का है और देश का काम नहीं आ रहा है। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करते हुए उम्मीद करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिस हैं, आप उनको मानेंगे।

सभापति जी, अंत में मैं इतना चाहता हूं कि किसी ने कहा है—

इतना जान लो कि हम लड़ेंगे तुमसे बराबर के,
क्योंकि जितनी उम्र तुम्हारी जुल्म की है,
ठीक उतनी ही उम्र हमारी क्रोध की भी है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डॉ. रत्ना डे (हुगली): महोदय, यूपीए-II सरकार के कार्यकाल के विगत तीन वर्षो के दौरान माननीय वित्तमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सभी तीनों बजटों में तीन उद्देश्यों का बढ़िया समावेश है-(एक) लगभग दोहरे अंक के आर्थिक विकास को बनाये रखना, (दो) यह सुनिश्चित करना कि विकास सर्वसमावेशी हो और (तीन) संस्थागत बदलाव करना जिनके माध्यम से कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती हैं, किंतु इस वर्ष के बजट का स्वरूप एवं सुर पूर्णत: भिन्न है। विगत वर्षो से भिन्न इस वर्ष के बजट में वित्तीय समेकन का दमनकारी उद्देश्य है। उसे हासिल करने के प्रयास में, माननीय वित्त मंत्री जी ने विकास और सर्वसमावेशन - दोनों पर समझौता कर लिया है। इस बजट में सर्वसमावेशन छोड़कर सब कुछ है। यह अत्यंत मुद्रास्फीति एवं आकर्षक है। यह गरीबों पर सर्वाधिक आघात करता ऐसी अनिश्चित स्थिति में, उच्च मध्यम वर्ग एवं धनी वर्ग के लिये आयकर राहत से सर्वसमावेशन के समस्त सिद्धान्त परास्त हो जाते हैं एवं असमानता बढ़ती है।

अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या इन सभी उपायों (सर्वसमावेशन की कीमत पर) से वित्तीय समेकन में वास्तव में सहायता मिलेगी। जहां तक मेरी समझ है, इससे ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि वह मान्यता, जिसके आधार पर माननीय वित्त मंत्री जी ने वित्तीय घाटे को कम करके इसे जीडीपी के 5.1 प्रतिशत तक ले आने का वायदा किया था, अच्छा परिणाम नहीं दे पायेगी। उदाहरणार्थ खाद्य, ईधन और उर्वरक पर सहायता की जीडीपी के दो प्रतिशत की लक्षित कटौती अविश्वसनीय है। इसके अलावा, ईंधन संबंधी राजसहायता में लक्षित कमी को हासिल किये जाने की संभावना नहीं है। ज़्यादातर मध्य एशिया संकट के आलोक में।

संसद द्वारा खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित कर दिये जाने पर उसके लिये आवश्यक धनराशि का पूर्णत: प्रावधान कर दिया जायेगा। माननीय वित्तमंत्री जी ने उन स्रोतों का ज़िक्र नहीं किया है जिनसे इतनी बड़ी राशि का प्रावधान होगा। सीधी बात यह है कि विनिवेश और स्पेक्ट्रम आवंटन सटीखे ग़ैर-कर राजस्व के ज़रिये संसाधनों को जुटाये जाने की धनराशि क्रमश: 30,000 करोड़ रु० एवं 40,000 करोड़ रु० अभिनिर्धारित की गई है। देश में मौजूदा अधिक व्यवसाय परिदृश्य के आलोक में ये दोनों आकलन अधिक से प्रतीत होते हैं।

इन सभी विचारों को एक साथ मिलाने से यह संकेत मिलता है कि वित्तीय समेकन की योजना कार्य नहीं कर सकती। हालांकि अधिकांशत: यह आगामी वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था की वृद्धि और तदनन्तर कर के रुख पर निर्भर करेगा। इसके बाद में विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न पर आता हूं। वित्त मंत्री ने स्वयं यह माना है कि 'विकास' मुख्य रूप से घरेलू मांग यथा घरेलू खपत और घरेलू निवेश पर निर्भर करेगा। इसकी प्राप्ति कहां तक होगी यह मांग और आपूर्ति दोनों पर निर्भर करेगा।

जहां तक शहरी मध्यम वर्ग की मांग का प्रश्न है स्थिति आशाजनक नहीं है। नियोजन रहित विकास के साथ मुद्रास्फीति शहरी आबादी की क्रय शक्ति को अत्यधिक प्रभावित करेगी और इसके ऊपर ईपीएफ में 8.25 प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती की गई है।

कृषि कार्य में वृद्धि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए 20,000 करोड़ रु. कार्य से अधिक के बजटीय प्रावधान के माध्यम से ग्रामीण मांग को बढ़ावा मिल सकता है। यह ऐसा पिछले कुछ ग्रामीण केन्द्रित बजट के अनुरूप है। इसके अलावा खेती की उपज और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कृषि में 5.75 ट्रिलियन रु. के ऋण प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि भी प्रस्तावित है। ये सब मिलकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग और निवेश को बढ़ावा देंगे।

आपूर्ति के मामले में बजट में काफी कुछ किया गया है। तीन प्रमुख आपूर्ति अवरोधों नामत: कौशल संबंधी कमी, कच्चे माल की विशेषकर कोयला, आधारभूत संरचना विशेषकर, ऊर्जा, हवाई राजमार्ग तथा पत्तन जैसे साधनों की कमी को दूर किया गया है। तीनों क्षेत्रों में निधि आबंटन और नवोन्मेष उपायों के रूप में काफी कुछ किया जा चुका है किन्तु इन सबके बावजूद 7.4 प्रतिशत का विकास लक्ष्य बहुत

बड़ा लग रहा है क्योंकि आरबीआई उच्च वित्तीय घाटे और बेतहाशा बढ़ती मुद्रास्फीति के दौर में ब्याज दर घटाने में असमर्थ रहेगी। ब्याज दर को कम किए बगैर उपभोग और निवेश में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हो सकती।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मुझे माननीय वित्त मंत्री को कुछ गंभीर बात कहनी है। पश्चिम बंगाल के लोगों की ओर से मैं कहना चाहता हूं कि ये ऐसे वित्त मंत्री है जो केन्द्र स्तर पर वित्तीय सुधार करने के महत्व को समझते हैं इसके लिए चाहे अलोकप्रिय कदम ही क्यों न उठाने पड़े। वे पश्चिम बंगाल जैसे कतिपय भारी ऋण के बोझ तले दबे राज्यों का दु:ख जानते होंगे। यह इतना अधिक है कि वार्षिक ऋण का अर्थात् वार्षिक ब्याज जमा मूल राशि का भुगतान 22000 करोड़ रु. है जो स्वयं लगभग राज्य के कर राजस्व के बराबर है। इन परिस्थितियों में हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास वित्त मंत्री से लगातार तीन वर्षों तक वार्षिक अनुदान के रूप में ब्याज के साथ ऋण अदायगी के लिए कानूनी मोहलत देने का आग्रह करने के अलावा कोई चारा नहीं है। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री इस अनुरोध पर यथायोग्य विचार करेंगे।

उर्वरक की कीमत तथा कच्चे जूट की न्यूनतम समर्थन मूल्य में संशोधन अथवा विद्यमान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस की घोषणा किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप मौजूदा बाजार-मूल्यों में बढ़ोतरी हुई है। इससे नि:संदेह किसानों की मुश्किलें बढ़ी हैं जो कि पहले से ही दु:खी और परेशान है। मेरी माननीय मंत्री जी से नम्रतापूर्वक अनुरोध है कि छोटे और सीमांत किसानों को मूल्य समर्थन के साथ नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु तत्काल कदम उठाए जिसके परिणामस्वरूप पोषकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और सीमांत किसानों के ऋण को इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इससे कृषक समुदाय के निर्धनतम वर्गों को और आगे की मुश्किलों से बचाया जा सकेगा माफ कर देना चाहिए।

सरकार ने कच्चे जूट की ग्रेड और उसके उत्पादन के स्थान के आधार पर 1,630 रू. से लेकर 1,738 रू. प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है। इस घोषणा के भयंकर परिणाम हुए थे उदाहरण के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की लागत से कम होने के कारण पश्चिम बंगाल के किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं माननीय मंत्री जी से कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य को 2,100 रु. प्रति क्विंटल बढ़ाने का आग्रह करता हूं। पश्चिम बंगाल में कुल 150 लाख क्विंटल कच्चे जूट का उत्पादन होता है। जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। अत: माननीय वित्त मंत्री से मेरा पुन: अनुरोध है कि वे मेरे अनुरोध पर सम्यक चित विचार करे क्योंकि यह संपूर्ण पश्चिम बंगाल का अनुरोध है।

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): महोदय मैं माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा इस सभा में प्रस्तुत आम बजट पर चर्चा में भाग लेना चाहता हूं।

जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कहा है बजट परिसम्पत्ति और देयताओं का मिलान करने का लेखा जोखा मात्र नहीं है अपितु यह उससे कुछ अधिक है इसमें एक दूरदृष्टि होनी चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि इस बजट में कोई दूरदृष्टि नहीं है किंतु यह दूरदृष्टि किसके लिए है और इसे कैसे प्राप्त किया जाएगा मुख्य चिंता यहीं है।

मैं बजट के गुण-दोष परखने के लिए सक्षम नहीं हूं क्योंकि वित्त मंत्री अथवा मेरे अनेक विद्वान सहयोगियों ने ऐसा किया है किन्तु उसी के साथ मैं अपनी सीमित क्षमता अर्थात् अपने सीमित आर्थिक ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव के साथ इस बजट पर अपनी टिप्पणी करना चाहता हूं।

जहां तक किसी भी देश के वित्त मंत्री का प्रश्न है उसके समक्ष सबसे महत्वपूर्ण मामला संसाधन जुटाने का होता है। बजट पर टिप्पणी करने या उसे परखने का एक पैमाना कर ढांचा भी है जिसे सरकार ने अंगीकार किया है। हम दो प्रकार के कर ढांचे को अपना सकते हैं एक है प्रतिगामी कर ढांचा और दूसरा है प्रगतिशील कर ढांचा। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि सरकार ने प्रतिगामी कर ढांचा अपनाया है क्योंकि प्रत्यक्ष करों में हमें 4,500 करोड़ रू. का घाटा उठा हो रहा है किंतु उसी के साथ अप्रत्यक्ष करों से 45,000 करोड़ रु. प्राप्त हो रहे हैं। इसका अर्थ है सरकार सम्पन्न और अमीर लोगों से कर वसूलना नहीं चाहती है।

कराधान का सिद्धांत यह कहता है कि किसी भी वित्त मंत्री को उन लोगों पर कर लगाना चाहिए जो इसे देने के काबिल हैं। भारत में 2009 में अरबपति अथवा खरबपति की संख्या नौ थी जो अब बढ़ कर 59 हो गई है जो कि यूएस के डॉलर की गणना के आधार पर है किंतु भारतीय रुपयों के आधार पर इसकी संख्या 69 है। सरकार सर्वाधिक धनी वर्गों से कर वसूलने को तैयार नहीं है किंतु अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को ही अपनाना चाहती हैं इस कर प्रणाली के आधार पर मेरा मानना है कि यह बजट गरीबोन्मुखी होने के बजाय अमीरों के पक्ष में है।

वित्त मंत्री जिस अन्य स्रोत से आय प्राप्त कर सकते हैं वह है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों को बेच कर। पिछले वर्ष सरकार ने 22,500 करोड़ रु. प्राप्त किए अब सरकार यह सोचती है कि वह 30,000 करोड़ रु. प्राप्त कर सकती है। यह पूर्णत: निजीकरण है क्योंकि ये वास्तव में देश की परिसंपत्ति हैं। वामपंथी दल, केवल वामपंथी दल ही नहीं बल्कि अन्य दल भी इसका विरोध करते रहे हैं। भारत में 28 फरवरी को हुई हड़ताल में न केवल वामपंथी मजदूर

संगठन बल्कि इंटक, बीएमसी ने सरकार के इस निर्णय के विरोध में भागीदारी की थी।

प्रत्येक वर्ष सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सरकार को उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं बिक्री कर के रूप में पर्याप्त धनराशि देते हैं। गत वर्ष उन्होंने 29,000 करोड़ रुपये का योगदान किया था। यदि हम गत तीन वर्षों के आंकड़ों को लें तो यह धनराशि लगभग 500000 करोड़ रुपये या 600000 करोड़ रुपये या इससे कुछ अधिक होगी। यदि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भिन्न भिन्न रूपों में करों का भुगतान कर रहे हैं तो वास्तव में आप सोने का अण्डे देने वाली चिड़िया को मार रहे हैं। वास्तव में यह निजी क्षेत्र की मदद करने के लिये ही किया जा रहा है। इसलिये हम, सरकारी क्षेत्र उपक्रमों को बेचने, उन्हें नष्ट किये जाने एवं लूटे जाने का पुरजोर विरोध करते हैं।

दो वर्ष पहले सरकार ने दावा किया था कि 9.6 प्रतिशत की विकास दर है जो सच भी थी। लेकिन यह घटकर 8.4 प्रतिशत पर आ गई। इसके बाद यह पुन: 7.4 प्रतिशत पर आ गई तथा इस समय यह 6.9 प्रतिशत के आसपास मानी जा रही है। कृषि के लिये लक्ष्य चार प्रतिशत से अधिक था लेकिन अब यह तीन प्रतिशत से नीचे है। औद्योगिक क्षेत्र को अत्यंत गहरा धक्का लगा है। सेवा क्षेत्र में हो रहीं प्रगति से मैं सहमत हूं। अत: वित्त मंत्री का यह दावा कि हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है, तो इस प्रकार की स्थिति में हम इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हो सकते हैं। इस विकास दर के लाभों से आम आदमी के रहन सहन में कोई सुधार नहीं हो रहा है।

महंगाई दिन प्रतिदिन का मामला हो गया है। महंगाई अधिक है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ रहे हैं। इसका कारण सरकार द्वारा अपनाई जा रही गलत नीतियां हैं। महंगाई का एक प्रमुख कारण पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में होना भी है। इसका प्रमुख कारण नियंत्रण समाप्त करना है तथा सरकार का इरादा डीजल पर से भी नियंत्रण समाप्त करना है। इस बजट का घाटा 5.1 प्रतिशत अर्थात 5 लाख 22 हजार करोड़ है। हम इतना भारी घाटा क्यों उठा रहे हैं? आपने बजट प्रस्तुत करते समय 5 लाख 28 हजार करोड़ रुपये की कर छूट दी है। कर छूट सरकार द्वारा स्वैच्छिक रूप से कर एकल नहीं करने का निर्णय है। सरकार ने 5 लाख 25 हजार करोड़ एकत्र नहीं किये हैं। यदि इन करों को एकत्र किया जाता तो वित्तीय अधिशेष की स्थिति होती। केवल कर छूट ही नहीं, यदि हम तीन वर्षों की कर छूटों को लें तो यह लगभग 50 लाख करोड़ रुपये आयेगी।

वित्तीय घाटे को कम करने के लिये सरकार क्या उपाय करने जा रही है? आपने ईंधन पर राजसहायता में 25000 करोड़ रुपये की कमी की है और उर्वरकों पर राजसहायता में 6000 करोड़ रुपये की कमी की है।

आपकी आर्थिक सुरक्षा की अवधारणा क्या है? आपका मानना है कि कर छूट विकास के लिये प्रोत्साहन है और गरीबों को दी गई राजसहायता बोझ है। गरीब आपके लिये बोझ बन गया है और धनी एक परिसंपत्ति। इसी प्रकार से आप हमारी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित बना रहे हैं। यह सभी लोगों की सुरक्षा नहीं है बल्कि केवल कुछ लोगों के लिये सुरक्षा है।

आप कारपोरेट और धनी व्यक्तियों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देते हैं। सरकार ऐसा इस आशा के साथ करती है कि कारपोरेट को अधिक प्रोत्साहन देकर उसे अधिक निवेश की प्राप्ति होगी। मैं कुछ हद तक इस बात से सहमत हूं लेकिन सरकार एक बात भूल रही है। जब तक लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी है तो विकास दर कैसे बढ़ाई जा सकती है, भले ही आपके यहां अधिक निवेश हो। यह गंभीर चिन्ता की बात है। मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि 2004 में आपने देखा है कि केवल नौ व्यक्ति अरबपति बने थे और अब 59 व्यक्ति। इसी के साथ आपकी रिपोर्ट के अनुसार या तो कहें कि भारत की 80 करोड़ की आबादी या 73 प्रतिशत लोगों को एक दिन में केवल 20 रुपये मिलते हैं। केवल इस 20 रुपये से लोगों की क्रय शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है। अत:, भले ही आप अधिक निवेश प्राप्त करें या अधिक विकास हो लेकिन सरकार इस मुद्दे पर विचार नहीं करती है।

चाहे जितनी सस्ती पूंजी आप कारपोरेट जगत को उपलब्ध करायें और जैसे भी वे अपना निवेश बढ़ायें लेकिन इससे विकास तब तक नहीं होगा जब तक हमारे देश के लोगों के हाथ में धनराशि नहीं होगी। अत: वित्त मंत्री द्वारा वादा की गई आर्थिक सुरक्षा केवल कुछ लोगों के लिये है तथा यह पूरे देश के लिये आर्थिक सुरक्षा नहीं है।

महोदय, भारत की जनगणना रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे यहां लगभग 40 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में और किसी छप्परनुमा मकान में रहते हैं। अपने देश की पचास प्रतिशत आबादी को जल निकासी की सुविधा नहीं प्राप्त है। हमारे यहां पचास प्रतिशत लोग भोजन पकाने के लिये अभी भी ईंधन की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। तब हम कैसे यह कह सकते हैं कि उनकी क्रय शक्ति बढ़ रही है? यह मेरी रिपोर्ट नहीं है। यह भारत की जनगणना रिपोर्ट है।

निस्संदेह हमारे देश में संसाधन उपलब्ध हैं। हमारे देश में प्रतिभा सम्पन्न लोग हैं। जब हम खाड़ी देशों में या अमरीका या जापान में जायें तो हम वहां उत्कृष्ट इंजीनियर और डॉक्टर देख सकते हैं जो वहां जाते हैं। अधिकांश लोग युवा हैं। हमारे यहां सबसे अधिक व्यक्तियों का होना, यह कोई बोझ की बात नहीं है। वास्तव में ये देश के लिये परिसम्पत्ति हैं। 40 वर्ष पहले कोठारी आयोग ने शिक्षा के लिये सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत खर्च करने की सिफारिश की थी। 40 वर्ष के बाद भी हम यह विकास प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाये हैं।

हम इसकी केवल आधी उपलब्धि हासिल कर पाये हैं। प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में 2003.04 में यह केवल 1.43 प्रतिशत था और 2010 में यह केवल 1.6 प्रतिशत था। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में 2004 में यह 0.92 प्रतिशत था लेकिन अब यह 0.936 प्रतिशत था अब यह केवल 0.38 प्रतिशत है। सामान्य शिक्षा में यह 0.02 प्रतिशत था तथा अब यह केवल 0.03 प्रतिशत है। भाषा में यह 0.015 और अब 0.05 है। अत: जब हम समग्र परिदृश्य देखें तो विस्तृत विश्लेषण के बाद ही कह सकते हैं कि हम बेहतर स्थिति में है।

उदाहरण के लिये कृषि क्षेत्र को लें। मैं पूर्णत: सहमत हूं कि सरकार ने बैंक ऋण के रूप में एक लाख करोड़ रुपये बढ़ाये हैं। ब्याज दर क्या है? ब्याज दर सात प्रतिशत है। हमारे पास रिपोर्ट है कि किसानों की आत्महत्या के मामले 2,58,000 या उससे भी अधिक हो गये हैं। मैंने इस बारे में गत सत्र में भी एक प्रश्न पूछा था। जब वे अत्यंत बुरी स्थिति में हैं तो ये लोग बैंक ऋण कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जैसा कि अन्य सदस्यों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में कहा है जब हम मूल्य में उतार चढ़ाव को देखते हैं तो पता चलता है कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। केवल इतना ही नहीं है। हम उच्च दर पर बैंक ऋण देते हैं और यही ऋण है जो बैंकों द्वारा दिया जाता है।

जब हम इसका ब्यौरा देखते हैं – मुझे कई सदस्यों की तरह स्थायी समिति में होने पर यह अनुभव है – कि इसका बड़ा हिस्सा बड़े कारपोरेट किसानों को जाता है, न कि गरीबों को। अब हम गैर - निस्पादनकारी परिसंपत्तियों (एनपीए) की बात करते हैं। यही लोग है जिन्हें देना पड़ता है, न कि आम लोगों को। कहते हैं कि कृषि ऋण अधिक है। मैं इस बात से अवश्य ही सहमत हूं कि कुछ कार्य सरकार द्वारा किये जाते हैं। किंतु ये लाभ वास्तविक हाथों तक नहीं पहुंचे हैं। इसे बतौर एक वास्तविक मुद्दा लेना होगा।

स्वास्थ्य के संबंध में केन्द्र एवं राज्यों का 2010-11 का संयुक्त कम जीडीपी का एक प्रतिशत है। अब यह बढ़कर जीडीपी का 2.3 प्रतिशत हो गया है। हमारा लक्ष्य 4 प्रतिशत का है। उस सीमा तक नहीं पहुंच पाये हैं। योजना आयोग ने सार्वभौम स्वास्थ्य कवरेज के संबंध में एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। किंतु अब तक उसकी एक भी सिफारिश का कार्यान्वयन नहीं किया गया है। आप सबको पता है कि केरल में बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा उपलब्ध है। साथ ही, हमें और धनराशि एवं और सुविधाओं की ज़रूरत है। ईएमएस स्थिति की मांग कर रहे हैं, किंतु यह दिया नहीं गया है।

हम आज खाद्य सुरक्षा जैसे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। सरकार खाद्य सुरक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा दावा करती है। हम खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर चर्चा करेंगे। हम गरीब लोगों को राजसहायता के जरिये राहत देते हैं। जब हम राजसहायता, जो कि ईंधन पर 25000 करोड़ रु. की है तथा बतौर उर्वरक पर 6000 करोड़ की है, को कम करते हैं तो खाद्य राजसहायता के लक्ष्य को हासिल करना कैसे संभव है? नवीनतम ग्लोबल हंगरी इन्डेक्स आ चुका है। 128 देशों में भारत का स्थान 67वां है। कई अफ्रीकी देश तथा श्रीलंका, नेपाल, घाना का स्थान भारत से ऊपर है। जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो हम केरल अथवा किसी अन्य राज्य की बात नहीं कर सकते। हमें तो अखिल-भारतीय आंकड़े के बारे में बात करनी होती है। हमने यह पाया है कि क्रय शक्ति और सुविधाएं बहुत ही सीमित हैं। यह नोट कर आश्चर्य होता है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने कल यह घोषणा की थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में 22 रु. तथा शहरी क्षेत्रों में 26 रु. एपीएल और बीपीएल का निर्धारण करने का मानदंड है। यह नोट कर आश्चर्य होता है कि सरकार ने ऐसे विचार को स्वीकार किस प्रकार कर लिया है। मुझे नहीं मालूम कि उपाध्यक्ष और अन्य व्यक्ति कहां बैठे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें ग्रामीण भारत का पता है; क्या वे किसी ऐसे स्थान पर गये हैं। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। सरकार को आई हुई उस रिपोर्ट को वास्तव में अस्वीकार करना होगा।

ग्रामीण विकास के मामले में बजट प्रावधान में कमी है। पूर्व में, 74,001 करोड़ रु. का प्रावधान था और अब यह कम होकर 73190 करोड़ रु. हो गया है। बच्चे हमारे देश की धरोहर है। हमारे देश की लगभग 42 प्रतिशत आबादी बच्चों की है। किंतु इस क्षेत्र के लिये आवंटन मात्र 4.8 प्रतिशत है। मेरे विचार में आवंटन पर्याप्त नहीं है। लगभग 69.5 प्रतिशत बच्चे अनीमिया से पीड़ित है; 42.5 प्रतिशत बच्चों का भार साबाल से कम है; 22 प्रतिशत बच्चों का वजन जन्म के समय कम होता है। हालांकि हमारे देश में बालश्रम पर प्रतिबंध है, फिर भी, लाखों बच्चे होटलों अथवा बस स्टैंड अथवा अन्य किसी स्थान पर कार्य कर रहे हैं। किंतु इस पर बिल्कुल भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को और आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें काफी कुछ कर रहे हैं। अनुसूचित जातियों की संख्या हमारी कुल जनसंख्या का 16.23 प्रतिशत है तथा अनुसूचित जनजातियां कुल जनसंख्या का 8.2 प्रतिशत है। किंतु उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक-दोहरे भेद का सामना करना पड़ रहा है। पिछले बजट में केन्द्र सरकार के लिये स्वीकृत 105 अनुदानों की मांगों में से भाग 24 को धनराशि आवंटित की गई है तथा 43 मंत्रालयों के अंतर्गत आय 81 पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे निर्णय लिये जाने के बावजूद उन्हें न केवल राज्यों द्वारा बल्कि केन्द्र द्वारा भी कार्यान्वित नहीं किया जाता।

जहां तक अल्पसंख्यकों की बात है इस बजट में अल्पसंख्यकों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

मैं अब अपने राज्य केरल से संबंधित कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देश में केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है। इस समय छह केन्द्रीय मंत्री केरल के हैं। फिलहाल श्री थॉमस यहां विराजमान हैं और अन्य लोग नहीं हैं। हम बाकी समय से मांग कर रहे हैं कि केरल में एक आईआईटी स्थापित की जाये। बहुत से विद्यार्थी, जोकि राज्य में शिक्षित हैं, उच्च शिक्षा के लिये बाहर जा रहे हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिये आईआईटी एक अनिवार्यता बन गई है। हालांकि राज्य में साक्षरता दर 100 प्रतिशत है, फिर भी, उच्च शिक्षा में हम अग्रणी नहीं हैं। इस समस्या को मात्र ऐसे संस्थानों की स्थापना करके ही हल किया जा सकता है।

राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और मौजूद मुख्यमंत्री श्री ओमन चांडी ने केन्द्र सरकार से किसानों के लिये एक विशेष पैकेज की मांग की है क्योंकि विगत दस माह में 50 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। किंतु इस बजट में कुछ नहीं दिया गया है। मैं हथकरघा कामगारों के लिये 3384 करोड़ रु. का विशेष पैकेज दिये जाने के लिये सरकार की सराहना करता हूं। साथ ही, केन्द्र सरकार ने दो बड़े क्लस्टर्स और पांच प्रायोगिक कलस्टर्स की घोषणा की थी किंतु केरल को कुछ नहीं दिया गया है। केरल हथकरघा की धरती है। हम इस क्षेत्र में कार्यरत लाखों-लाख कामगारों को कैसे भूल सकते हैं? निस्संदेह, हमें यह देश के उत्तरी भागों को भी देना होगा, किंतु साथ ही हम इस सुविधा की अन्य राज्यों को मनाही नहीं कर सकते।

मैं केरल के उत्तरी भाग में स्थित कासरगोड़ से ताल्लुक रखता हूं। आप वहां पर एन्डोसल्फान मुद्दे से परिचित हैं। वहां पर एन्डोसल्फान के बहुत से शिकार हैं। जेनेवा समझौते में एन्डोसल्फान के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। केरल सरकार ने एन्डोसल्फान के त्रस्त व्यक्तियों के लिये 475 करोड़ रु. की मांग की है। सरकार से मेरा आग्रह है कि वह कम-से-कम मानवीय आधार पर ही सही, इन त्रस्त लोगों को सहायता मुहैया कराये।

प्रधानमंत्री राहत कोष वास्तव में एक आदर्श है। तथापि, मुश्किल यह है कि हालांकि कुछ मामलों में लोगों को 1 लाख रु. से 2 लाख रु. की सहायता मिलती है, फिर भी कई मामलों में उन्हें कुछ नहीं मिलता। इस कोष के संबंध में कुछ व्यवस्था होनी चाहिये। जहां तक स्वतंत्रता सेनानियों की बात है, कई स्वतंत्रता सेनानी जो राज्य पेंशन के लिये पात्र हैं, इसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इस पर भी विचार करना होगा।

मनरेगा एक आदर्श योजना है जिससे कनेक्टिविटी मुहैया कराने, परिसंपत्ति एवं रोज़गार सृजन में सहायता मिलती है। साथ ही, केरल सरीखे राज्य में न्यूनतम मज़दूरी मनरेगा के अंतर्गत मज़दूरी से अधिक है। अत:, यह मांग है कि इसे बढ़ाकर 200 रु. किया जाना चाहिए। अथवा यह मुश्किल है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज अगर मैं यहां से शुरू करूं कि हर साल किसान मानसून की राह देखता है, खेती तैयार करके रखता है। जब वह बीज बोने की तैयारी में होता है तो आकाश की ओर देखता है कि बारिश कब आयेगी। इसके अलावा यदि शहरी लोग हों तो उनके सामने पीने के पानी का सवाल पैदा होता है। वे भी इसकी राह देखते हैं। ऐसी ही स्थिति में एक आम आदमी बजट की ओर एक आशा के रूप में देखता है कि आने वाला बजट कैसा होगा, हमें कहां-कहां राहत मिलेगी। वैसे ही बाकी जनता भी उसकी राह देखती है, चाहे वह उद्योगपति हो, व्यापारी हो, कामगार हो, सर्विस करने वाला कर्मचारी हो, महिला हो या सीनियर सिटिजन हों। लेकिन दुर्भाग्य से यह बताना पड़ता है कि जैसे किसान यह चाहता है कि सही समय पर सही बारिश हो, अच्छी फसल आए और उसे राहत मिले, उसी प्रकार यह जो बजट है, इस बजट को देखने के बाद कॉमन आदमी को बहुत निराशा हुई है।

सभापति जी, मैं यहां से शुरू करूंगा कि इनकम टैक्स की लिमिट पिछले साल 1,80,000 रुपये की थी। जब हम इधर-उधर से सुनते हैं तो हमारी भी यह मानसिकता होती है, ज्यादा नहीं, लेकिन सब उम्मीद करते हैं कि 3,00,000 रुपये तक तो यह लिमिट बढ़ जाएगी। हमारे वित्त मंत्री जी ने 20,000 रुपये की लिमिट बढ़ाकर इसमें 2000 रुपये का फायदा पहुंचाया है। वह करते समय भी महिलाओं और सीनियर सिटिजन्स को नाराज किया है। पिछले बजट में उनको जो राहत मिली थी, 20,000 रुपये ज्यादा लिमिट महिलाओं के लिए थी, सीनियर सिटिजन्स के लिए थी, वह भी निकाल लिया और ऊपर से जो सर्विस टैक्स 10 प्रतिशत था, वह 12 प्रतिशत कर दिया। एक तरफ यह समझें कि सभी लोगों को 20,000 रुपये की राहत मिली, लेकिन दूसरी तरफ हर चीज पर सर्विस टैक्स 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया, यहां तक कि दूधा की नहीं छोड़ा-जो दूध छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक के लिए आवश्यक है, महिलाओं और पुरुषों के लिए भी तथा समाज के सभी वर्गों में दूध की बहुत जरूरत है। चाय के लिए तो दूध लगता ही है। यह सब बातें ध्यान में रखते

हुए इस बजट में राहत तो दी नहीं गई बल्कि और बोझ बढ़ाया गया है। हमारे वित्त मंत्री जी यह तो मानते हैं कि पिछले पांच सालों में महंगाई बढ़ी है, यह काबू में नहीं आएगी, लेकिन इस साल आएगी, इस महीने में आएगी, ये बातें हम सुनते आए हैं। लेकिन अभी तक बहुत कुछ राहत मिली है, ऐसा हम नहीं बोल पाएंगे। ऊपर से यह बोझ है। हमारे वित्त मंत्री क्या चाहते हैं?

महोदय, बजट पेश करने से पहले ई.पी.एफ. का जो इंटरेस्ट रेट 9.5 प्रतिशत था, उसको 8.25 प्रतिशत कर दिया। यानी आम आदमी को राहत देने की बात तो नहीं है, फायदा पहुंचाने की बात तो नहीं है, लेकिन उसको मिलने वाली जो आमदनी है, उसको कम करने की बात जरूर इस बजट ने की है। कई जगह एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। तो कीमतें किसी न किसी हिसाब से बढ़ जाती हैं—कभी टैक्स के कारण बढ़ती हैं तो कभी किसी और कारण से, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा कंज्यूमर है और छोटा आदमी है, उसको ही बोझ उठाना पड़ता है। कोई व्यापारी या उद्योगपति अपनी जेब पर यह घाटा नहीं डालता, उल्टा कमाने की ही सोचता है। वह धंधा कर रहा है, व्यापार कर रहा है तो यह होता रहेगा, लेकिन पांच-दस पैसे की भी अगर बढ़ोतरी होती है तो भी आम आदमी उसकी लपेट में आता है। यदि मैं इस बजट के संबंध में कहूं तो आम आदमी हमारे वित्त मंत्री जी के सामने है ही नहीं। एक तरफ प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन ऐसा बोलते हैं कि एक आदमी के लिए गांवों में 26 रुपये और शहरों में 32 रुपये काफी हैं और उस हिसाब से कैलकुलेशन करके उन्होंने आठ करोड़ गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ला दिया है।

अपराह्न 5.00 बजे

45 करोड़ से 37 करोड़ में आए हैं, ऐसी उन्होंने बात की है। इसका मतलब क्या होता है? हमारी सरकार गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए स्कीम लाती है, मतलब एक बाजू में यह स्कीम रखनी है, जैसे नेशनल रूरल एम्पलायमेंट गारंटी स्कीम जैसा रखना है। वहां बढ़ोत्तरी की है, ऐसी बोलना है और दूसरे बाजू में उसका रोजगार निकालना है। क्योंकि वे गरीबी रेखा से ऊपर चले गए हैं। इसलिए इस स्कीम का इनको लाभ नहीं है। सरकार क्या चाहती है? हमारा प्लानिंग कमीशन क्या चाहता है? यह बात सोचने वाली है। कल बहुत बहस हुई और हमारे नेता गण ने प्लानिंग कमीशन के बारे में अपनी बात रखी। लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिस्पोंस नहीं आया। किसी ने कोई बात नहीं की। इसका मतलब प्लानिंग कमीशन और हमारी सरकार, अगर मैं यहां तक बोलूं कि हमारे वित्त मंत्री मिलकर के यह बात कर रहे हैं, एक देने की बात कर रहा है, दूसरे बाजू में निकालने की बात कर रहा है। यह भी हो सकता है।

हमारे वित्त मंत्री जी ने इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे प्रावधान किए हैं। मैं मान लेता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं। जैसे इंटीग्रेटिड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के लिए 58 प्रतिशत उन्होंने ज्यादा प्रावधान किया है। नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील 10380 करोड़ रुपए से 11937 करोड़ रुपए का उन्होंने प्रावधान किया है। रूरल ड्रिंकिंग वॉटर में 27 प्रतिशत की वृद्धि की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 20 प्रतिशत की वृद्धि की है। हम मानते हैं। बैकवर्ड रीजन के लिए 22 प्रतिशत की वृद्धि की है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने बैकवर्ड रीजन की डेफिनेशन क्या बनायी है? आपकी बजट स्पीच में मैंने देखा है कि बिहार, वेस्ट बंगाल, कालाहांडी और भी एक दो हैं। लेकिन आप भी इस बात को जानते हैं कि महाराष्ट्र के विदर्भ में पूरे देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान करते हैं। आपकी सरकार के कार्यकाल में कम से कम 6 डिस्ट्रिक्ट के 16 हजार से भी ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। वहां 6 प्रतिशत इरीगेशन है। पूरी खेती मानसून पर निर्भर है। अगर मानसून सही आया तो कॉटन आता है। यदि मानसून सही आता है तो उसको सही दाम मिलना चाहिए। एक कंट्रोवर्सी देखी है, अगर हमारी सरकार को यह पता है तो वह कॉटन पर बैन लगा देती है, क्योंक उसके हाथ में कॉटन की अच्छी फसल आयी है और वह सोच रहा है कि मैंने जो भी कर्ज उठाया है, वह मैं दे दूं और पूरे साल का मेरे घर का खर्चा भी चलाऊं। कॉटन का भाव साढ़े चार हजार, पांच हजार प्रति क्वींटल का भाव था, लेकिन बैन लगाने के बाद यह दो हजार पांच सौ पर आ गया। सभी कॉर्नर से आवाज उठी तो सरकार ने मलहम-पट्टी की कि चलो दस दिन के लिए हम यह बैन उठा देते हैं। अब दस दिन में किसान जाकर मार्किट में अपना कॉटन बेचेगा और वही टाइम पर उसको सही दाम मिलेगा। ये सब बातें हमें प्रैक्टिकली देखनी चाहिए कि कहां क्या हो सकता है। मैं बैकवर्ड रीजन के मुद्दें पर वापस आता हूं। जहां किसान आत्महत्या करता है, सालों से करता आया है, रुक नहीं रहा है। यहां के समाचार-पत्रों में किसानों की आत्महत्या की खबरें नहीं आती हैं, लेकिन वहां एक भी ऐसा समाचार-पत्र नहीं मिलेगा जिसमें हर दिन कम से कम तीन या चार किसानों ने आत्महत्या नहीं की हो क्योंकि उनकी खेती बारिश के ऊपर, मॉनसून के ऊपर निर्भर है। अगर फसल आता है तो ठीक है। लेकिन, अगर फसल ठीक नहीं आयी तो उसकी और भी दुर्दशा होती है तो क्या वह बैकवर्ड रिजन नहीं है? यदि हम बैकवर्ड रिजन के लिए कोई प्रावधान कर रहे हैं तो यह भी देखना चाहए कि पूरे देश में कौन-से बैकवर्ड रिजन हैं। विदर्भ को भी बैकवर्ड इलाके के रूप में गिनना चाहिए। यह भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: वह न केवल पिछड़ा क्षेत्र है बल्कि यह नक्सल प्रभावित पिछड़ा क्षेत्र भी हैं। नक्सल प्रभावित और माओवादी प्रभावित क्षेत्र के लिए धन मुहैया कराना ही होगा।

[हिन्दी]

श्री आनंदराव अडसुल: महोदय, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि वह भी ट्राइबल एरिया है। वहां के दो ब्लॉक यानि तहसील पूरे ट्राइबल हैं। वहां तीन लाख से भी ज्यादा आबादी ट्राइबल की है। यह पहाड़ी इलाका है। अत: यह पिछड़ा नहीं है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो वह भी बैकवर्ड है। अगर वहां किसान आत्महत्या करते हैं तो क्या वह बैकवर्ड नहीं होगा? यह भी सोचने की बात है। अगर आपकी बैकवर्ड रिजन की परिभाषा उस पर लागू नहीं होती है तो अपनी परिभाषा को बदलें । यह आपके हाथ में है कि उसकी परिभाषा का क्या करना है। जब हम वहां की कंस्टट्युन्सी को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारी यह अपेक्षा है कि आप अपनी परिभाषा बदलें और उन्हें राहत देने का प्रयास करें।

महोदय, वर्ष 2006 में जब यह आत्महत्याओं का सिलसिला बढ़ता जा रहा था, चूंकि यह आज भी कम नहीं हुआ है, उस समय हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वहां आए। उन्होंने खुद देखा और उसी दिन उन्होंने छ: जिलों के लिए 3750 करोड़ रुपए का एक विशेष पैकेज घोषित किया। इस सरकार में क्या होता है, मैं इसका एक असली नमूना देना चाहता हूं। जो 3750 करोड़ रुपए का पैकेज मिला, उसमें आत्महत्याग्रस्त अमरावती, अकोला, यवतमाल, बुलढ़ाना, वासिम, और वर्धा-ये छह जिले थे। उसमें 2177 करोड़ रुपए सिंचाई के लिए रखे गए। मेरे चुनाव क्षेत्र में डैम बने हैं। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। पैसा उठाया और सर्टिफिकेट देना है। मेरे पास फोटोग्राफ भी है। मैंने प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी से पत्र व्यवहार भी किया। ये डैम मिट्टी के बनाए हैं। जहां डैम नहीं बन सकता है, जहां पानी कभी भी जमा नहीं हो सकता है, ऐसी जगह एक-एक नाले पर, जिसमें छोटा प्रवाह होता है, दो-दो डैम बनाए गए। यह मेरे चुनाव क्षेत्र की बात है। वहां के राज्य की सी.ए.जी. रिपोर्ट भी बोलती है कि इसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है। यह सब लेकर मैंने एक निवेदन बनाया और रेवेन्यू कमिश्नर को दे दिया जो समाचार-पत्रों में भी आ गया। मैंने प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को लिखा कि इसकी इंक्वायरी हो कि वहां आत्महत्याएं क्यों होती रहती हैं?

महोदय, आपने बहुत जगह इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलप्मेंट के लिए बहुत पैसा दिया है, यह मैं मानता हूं। लेकिन, उसका क्या यूटीलाइजेशन होता है, इसके लिए आपके पास कोई एकाउंटेबिलिटी और मॉनिटरिंग सिस्टम है या नहीं, यह भी देखना जरूरी है। जब तक आप यह नहीं देखेंगे तब तक आपके द्वारा यहां से पैसा देने से या कोई प्रावधान करने से कोई फायदा नहीं होगा। हमारे बहुत-से साथियों ने ऐसे मुद्दे उठाए हैं कि ऐसा करने से इसका कोई फायदा नहीं होगा।

मैं एक असली नमूना आपके सामने दे रहा हूं। इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो गुनहगार है, उसे दंडित करना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात हमने अभी-अभी उठायी है। हम यहां से जो पैसा भेजते हैं, अच्छा प्रावधान किया है। आपने एससी के लिए 18 परसैंट और एसटी के लिए 17 परसैंट बढ़ाया है, हम मानते हैं। लेकिन क्या यह पैसा वहां तक पहुंचता है? मेरे यहां ट्राइबल एरिया में 40 गांव ऐसे हैं, जहां आज रोड, ड्रिंकिंग वॉटर एवं इलैक्ट्रिसिटी नहीं है। वैसी अवस्था में वह ट्राइबल है। वहां कुपोषण बड़े पैमाने पर कम होने की बजाए बढ़ता जा रहा है। जब तक इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पैसा मंजूर किया, फोरेस्ट एवं व्याघ्र प्रकल्प वालों ने आपत्ति उठाई कि यहां रोड नहीं बन सकती है। हम हमेशा प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को लिखते हैं, स्टेट के चीफ मिनिस्टर को भी हमने लिखा। आज तीन साल होने वाले हैं, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही कोई प्रावधान किया। बजट में प्रावधान करते हैं, आप पैसा भी देना चाहते हैं, फिर काम क्यों नहीं होता? मेरे तीन साल चुनाव क्षेत्र में हो गए हैं, उसके पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मंजूर हुई थी। अगर चार-चार साल में वहां रास्ता शुरू नहीं होता है, कोई रास्ता नहीं निकालता है तो रास्ता कैसे बनेगा? ट्राइबल लोगों का जो जीना हराम है, वह हराम ही रहेगा। क्या डेवेलपमेंट होगी। 65 साल तक यही होता आया है। इतने परसेंट हमने बढ़ाए, उसका क्या फायदा है, कुछ फायदा नहीं होता है। आपने जो भी पैसा एवं प्रावधान किया है, वह सही व्यक्ति के पास पहुंचा है या नहीं। जैसे हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक दफा बोला था कि हम सौ रुपए भेजते हैं तो 11 रुपए ही वहां पहुंचते हैं। मुझे लगता है कि आज 11 रुपए से भी कम ही पहुंचते होंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। हर महीने एक-एक घोटाला आ रहा है। आज का ही घोटाला हमने देखा। अभी उसके ऊपर खाली बहस हुई, हाउस एडजर्न हुआ, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। ऐसा ही होता जा रहा है। यह सिलसिला चालू रहता है।

जहां तक एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात है। प्रधानमंत्री जी ने एक लाख करोड़ बढ़ाए, कुल मिला कर पांच लाख 75 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए दिए है। उसके साथ एक जुड़ा हुआ मेरा कोर्सपोंडेंस पत्र वित्त मेंत्री जी के पास है। हर स्टेट में एक लैंड डेवेलपमेंट बैंक होती है, आज उसका नाम ग्रामीण विकास बन गया है। देश की सभी स्टेट की लैंड डेवेलपमेंट बैंक प्रोबलम में आई तो

एक कमेटी एपाइंट की गई। कमेटी ने बोल दिया, 4500 करोड़ सभी स्टेट बैंक को दे दें। मेरा जो स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र स्टेट लैंड डेवेलपमेंट बैंक, उसे एक हजार करोड़ भी दे दिया। वैद्यनाथ कमेटी ने इसे मान लिया। इतने कानून बनाए, ये रूल्स, रेगुलेशंस हमारा पीछा करते रहे। अभी तक उनको एक भी पैसा नहीं मिला है। 1998 से, 13 साल तक वह बैंक ऐसे ही चलता रहा है। वह न किसान को कोई धन देता है, खाली 12-13 साल पहले जो दिया था, उसकी वसूली जो थी, वह खत्म हुई है। लेकिन वैद्यनाथन कमेटी का पैकेज अभी तक वहां तक पहुंचा नहीं है। इस बारे में हम हमेशा कहते हैं। एग्रीकल्चर क्रेडिट बैंक की हर ब्लॉक में ब्रांच होती है। जिले में उसका हैड क्वार्टर होता है, स्टेट उसका कंट्रोल करता है। उनका एक अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। हम मिलते रहे, मैं वित्त मंत्री जी से भी मिला। हम एक तरफ यह बात कर रहे हैं कि हम एक लाख करोड़ रुपए बढ़ा रहे हैं। पूरे देश में दो हजार से ऊपर कोऑपरेटिव बैंक्स थे, अब 1600 हैं। जब से इंकम टैक्स आया, तब से उन पर लागू नहीं था। सन् 2006 में लागू कर दिया। हमने हमेशा बोला कि इनका फंक्शनिंग और फोरमेशन बाकी बैंक्स से अलग है। यह आम आदमी का बैंक है, यह डैमोक्रेटिक सैट-अप से बनता है और आम आदमी के लिए काम करता है और इसलिए इस पर इन्कम टैक्स नहीं था, अभी भी नहीं होना चाहिए। हमेशा, बार-बार यह मुद्दा उठाने के बावजूद आज कम से कम हमारे जो भी बैंकर्स हैं, वे इतना चाहते हैं कि चलो 30 नहीं तो कम से कम 15-20 परसेंट तो करो, इससे हमें राहत मिलेगी, हमें डिवीडेंड देना है, हमें इम्पलाइज की सैलरी देनी है। हमें डैवलपमेंट करना है, हमें कोर बैंकिंग करनी है, हमें वहां ए.टी.एम. बिठाना है, नई ब्रांच का एक्सपेंशन करना है। इन सब बातों के लिए उनके पास कोई सरप्लस होना चाहिए, लेकिन सरकार उसके ऊपर कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है।

मेरी वित्त मंत्री जी से प्रमुख रूप से विनती है कि मैंने आपके सामने तीन मुद्दे रखे हैं, एक बैकवर्ड रीजन हमारे विदर्भ के लिए आप सोचिये, एक कोआपरेटिव बैंकिंग इंडस्ट्री को राहत देने के लिए इन्कम टैक्स कम कीजिए और जो लैंड डैवलपमेंट बैंक्स हैं, उसको जो भी निधि वैद्यनाथ कमेटी ने मंजूर की है, वह देने का प्रयास कीजिए।

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): सभापति महोदय, मैं एक बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। चूंकि माननीय सदस्य ने इसका संदर्भ दिया है तथा सुबह के समय भी इस पर चर्चा की गई थी और इससे टाइम्स ऑफ इंडिया में दी गई सीएंडएजी की तथाकथित प्रारूप रिपोर्ट पर कुछ बवाल भी हो गया था। आज अपराह्न 1.30 बजे सीएंडएजी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भेजा है।

इस पत्र में उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ यह स्पष्टीकरण दिया कि:-

> "मौजूदा मामले में प्रकाशित ब्यौरा टिप्पणियां हैं जिन पर बहुत ही प्रारंभिक स्तर पर चर्चा की जा रही है और वे हमारी अंतरिम प्रारूप भी नहीं है और इसीलिये बहुत ही भ्रामक हैं ..... 9.2.2012 और 9.3.2012 को हुई एगज़िट सम्मेलनों में मंत्रालय द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसरण में हमने अपना विचार बदल लिया है। वास्तव में यह तो हमारा मामला भी नहीं है कि आवंटिती को अलक्षित लाभ राजकोष को उतना ही घाटा है। प्रारंभिक प्रारूप के गुप्त न रह जाने से बहुत हताशा हुई है क्योंकि लेखा-परीक्षा रिपोर्ट अभी भी तैयार की जा रही है। इस प्रकार गोपनीयता समाप्त हो जाने से अत्यंत गहन दु:ख होता है।

माननीय सदस्यों को भली-भांति ज्ञात है कि जब सीएंडएजी रिपोर्ट को अंतिम रूप देता है तो सबसे पहले वह रिपोर्ट वित्त मंत्री के पास आती है। उस रिपोर्ट पर वित्त मंत्री उसे सभा पटल पर रखने हेतु राष्ट्रपति की अनुमति मांगता है। जब रिपोर्ट सभापटल पर रख दी जाती है तो सामान्यत: यह लोक लेखा समिति के पास जाती है। अत:, जो कुछ भी समाचार पत्र में आया वह सीएंडएजी की रिपोर्ट नहीं है। उनके पास कोई खास खबर हो सकती है और यह समाचार पत्र का विशेषाधिकार है। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। किंतु मैंने यह सोचा कि मुझे स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये।

डॉ० एम० तम्बिदुरई (करूर): सभापति महोदय, मुझे इस बजट पर अपने दल के विचार व्यक्त करने हेतु अवसर प्रदान करने के लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था जिसमें अनुमानित सकल कर प्राप्तियां 10,77,612 करोड़ रु. की हैं। यह उनकी प्राप्तियां हैं। व्यय पक्ष पर उन्होंने कहा कि बजट में वर्ष 2012-13 के लिये कुल व्यय 14,90,925 करोड़ रु. है। उन्होंने यह बजट प्रस्तुत किया था। जहां तक घाटे की सीमा का संबंध है, उन्होंने कहा है कि घाटा है और वे बाजार नामत: जनता से उधारी लेंगे और घाटे को कम करके 1,85,752 करोड़ रु. किया जाये। किंतु मंत्री महोदय जी आपके बजट में आपने यह स्पष्ट नहीं किया है कि आप जनता से पैसा उधार लेने के अलावा धनराशि किस प्रकार उठायेंगे। इसके अलावा, आपने एक बहुत ही उत्साह के साथ आरंभ किया था। आपने बजट की तस्वीर एक निराशाजनक ढंग से पेश की है। उदाहरण के लिये आपने कहा है कि:

> "वैश्विक संकट ने हमें प्रभावित किया है। पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष 8.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने के पश्चात् भारत के

सकल घरेलू उत्पाद के वर्ष 2011-12 में 6.9 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। इस वर्ष का निष्पादन निराशाजनक रहा है।"

सभापति महोदय, उन्होंने यह भी कहा है कि इस वर्ष का निष्पादन निराशाजनक रहा है। उन्होंने जो कहा है यह उसका समग्र विश्लेषण है। साथ ही उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि वह इस स्थिति से किस प्रकार निपटेंगे। वास्तव में उदाहरण के लिये मुख्यत: राजसहायता को कम करने पर निर्भर हैं। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा है कि:

"मेरा प्रयास वर्ष 2012-13 में केन्द्रीय राजसहायता पर होने वाले व्यय को 2 प्रतिशत से कम रखने का है। अगले तीन वर्षों में इसे और कम करके जीडीपी 1.75 प्रतिशत तक लाया जायेगा।"

इसका अर्थ यह है कि वह राजसहायता कम करेंगे। इस बारे में, मैं यह कहना चाहूंगा कि आजकल राजसहायता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश सरकारी कार्यक्रमों, चाहे वे राज्य सरकारों के भी क्यों न हों, के लिये इसकी आवश्यकता है। वे कई कल्याणकारी योजनाएं ला रहे हैं। कई बार हम कुछ चीजों नि:शुल्क देते हैं। हम उर्वरकों, गैस आदि अनेक वस्तुओं पर राजसहायता दे रहे हैं। उसके बग़ैर हम सरकार नहीं चला सकते। उदाहरण के लिये तमिलनाडु में माननीय मुख्यमंत्री जी कई कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई हैं। यह सरकार खाद्य सुरक्षा की बात करती है। तमिलनाडु में हम सभी राशन कार्डधारकों को 20 कि.ग्रा. चावल मुफ्त में पहले ही दे रहे हैं। हम अपने राज्य में उस प्रकार की खाद्य सुरक्षा पहले की कार्यान्वित किये हुये हैं। उसके अलावा, हम आधुनिक उपकरण जैसे कि मिक्सी, ग्राइन्डर, पंखा आदि सभी राशन कार्डधारकों को मुफ्त में दे रहे हैं। आजकल आधुनिक जीवन में कुछ आधुनिक सुविधाएं भी चाहिये। गरीब लोगों के पास आधुनिक उपकरण होने ही चाहिये। उसके लिये हम ग्राइंडर, मिक्सी और पंखा भी मुफ्त में दे रहे हैं। विवाह करने के मामले में गरीब लोगों को काफी परेशानी होती है। सोने का मूल्य बढ़ता चला जाता है। जब इसका मूल्य बढ़ रहा है तो ऐसी स्थिति में गरीब लोग मंगलसूग खरीदने की स्थिति में नहीं हैं। उसके लिये तमिलनाडु सरकार ने चार ग्राम सोना मुफ्त में देने के लिये आगे आई है। शादी के खर्च के मामले में हम दसवीं पास लड़कियों को 25,000 रु. तथा स्नातक लड़कियों को 50,000 रु. दे रहे हैं। इसीलिये मैं यह बता रहा हूं कि सरकार को गरीबों की सहायता आगे आना चाहिये।

माननीय वित्तमंत्री महोदय जब आप विधेयक, जिसे आप लेकर आ रहे हैं, में खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो आपने कुछ कीमत तय की है। किंतु तमिलनाडु में हम इसे मुफ्त दे रहे हैं। इसीलिये, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि खाद्य सुरक्षा के अलावा कई अन्य कार्यक्रम भी हैं। हमें वह पहलू देखना होगा अत:, आप कुछ समय तक राजसहायता को कम नहीं कर सकते।

माननीय वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे इस पर पुनर्विचार करें। कृपया राजसहायता को वापस न लें। यह समष्टि-अर्थशास्त्र की दृष्टि से सहायक हो सकता है। किंतु, व्यवहारिक स्थिति में भारतीय लोगों को कई राजसहायता की आवश्यकता है। अत:, मुझे आशा है कि वह जारी रहेगी।

माननीय वित्त मंत्री जी निजी-सरकारी भागीदारी पर ज्यादा निर्भर हैं। अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के सृजन के लिये, उन्होंने कहा कि इसके लिये बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 50 लाख करोड़ रु. की धनराशि चाहिये। उन्होंने यही कहा। उसमें वे 50 प्रतिशत की सीमा तक सरकारी एवं निजी क्षेत्र के निवेश पर निर्भर हैं। हम बारहवीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ कर रहे हैं। हम उसके लिये प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा "हम इस योजना को आरंभ करेंगे।"

हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के नीचे आने का कारण है कि निजी निवेश में कमी हुई है। दूसरी बात है। मंत्री महोदय, आप पूर्ण रूप से विदेशी धन पर निर्भर हैं। आपने कहा है कि विदेशी धन आना है। आप विदेश से उधार लेना चाहते हैं। पहले से ही, कई लाख करोड़ धन 'टैक्स हेवन' में पड़ा हुआ है। लोग स्विटरजरलैंड और अन्य अनेक देशों की बैंकों में अपनी अलिखित धन रख रहे हैं। अनेक बार हमने इस सभा में चर्चा की है कि हमें इस धन को वापस लाना है। इस प्रकार के धन को अपने देश में वापस लाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है? यदि हम यह धन लाते हैं तो निश्चय ही सरकार समस्या को हल कर सकती है। सरकार अन्य देशों से निवेश आकृष्ट करने का प्रयास कर रही है, लेकिन यह नहीं आयेगा। सरकार को विदेश में जमा काले धन को वापस लाना है। मेरे नेता तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर यह कहते हुये एक वक्तव्य दिया कि यह बजट भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर गई समस्याओं का कोई मूर्त समाधान नहीं प्रस्तुत करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था चौराहे पर खड़ी है जिसके सामने विकास, मंदी, कम होने निवेश संबंधी क्रियाकलाप, उच्च मुद्रास्फीति, वित्तीय परेशानी और कमजोर हो रहे भारतीय रुपये की दुर्जेय समस्यायें हैं। इसके लिये महंगाई को रोकने, निवेशकों में विश्वास बनाने, आम लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने और भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने जैसे साहसी उपाय किये जाने की आवश्यकता है। लेकिन यह नोट करना निराशाजनक है कि बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली गंभीर चिन्ताओं को दूर करने के लिये कोई गंभीर प्रयत्न नहीं किये गये हैं। यही बात हमारी नेता 'अम्मा' ने कहते हैं और बजट पर हमारे दल की यही राय है।

कृषि के बारे में कहना चाहता हूं कि कृषि हमारे देश का आधार है। अधिकांश सदस्यों और हमारे माननीय सदस्य श्री जसवंत सिंह ने राजस्थान में पशु घटनाओं आदि के बारे में बात की। यदि हम कृषि का विकास करना चाहते हैं तो हमें कृषि को अधिक प्रोत्साहन देना होगा कृषि के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। यद्यपि हम अपनी अर्थव्यवस्था का औद्योगीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं फिर भी हमारे क्रियाकलाप कृषि आधारित हैं। कृषि इस समय विकट स्थिति में है।

हम जो, न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहे हैं पर्याप्त नहीं है। अधिकांश कृषक अब कृषि कार्य छोड़ रहे हैं। उदाहरण के लिये तमिलनाडु में किसान अपने उत्पाद, विशेषकर धान को बेच नहीं पा रहे हैं। जब खाद्य सुरक्षा विधेयक वास्तविक रूप लेगा तब हम हरियाणा, पंजाब, आन्ध्र प्रदेश से उत्पाद ले पायेंगे तथा हमारे वित्त राज्य मंत्री जानते हैं कि हम कावेरी बेल्ट क्षेत्र से खरीद कर रहे हैं। फिर अन्य क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु के धर्मपुरी और कृष्णागिरी के बारे में क्या होगा? हम इन क्षेत्रों से अधिप्राप्त नहीं कर रहे हैं। हम इन स्थानों से चावल ले रहे हैं और राज्यों के माध्यम से गांवों को मुफ्त दे रहे हैं। जब उन्हें पंजाब और अन्य स्थानों से चावल प्राप्त हो रहा हैं, जो उन्हें पीडीएस के माध्यम से मिलता तो स्थानीय किसान अपने उत्पादन की बिक्री करने की स्थिति में नहीं है। वहां लागत भी अधिक है। इसलिये यह देखने के लिए कोई नीति बनाई जाए कि जो भी कृषि उत्पाद पैदा होता है उसकी खरीद सरकार द्वारा की जाए।

गरीब किसान की स्थिति क्या है? वह उत्पादन कर रहा है लेकिन विक्रय करने की स्थिति में नहीं है। हम नियंत्रण कर रहे हैं क्योंकि हम कृषि उत्पाद को बनाये रखना चाहते हैं और उत्पादन को कम है। इसीलिये हम नियंत्रण करना चाहते हैं। लेकिन उद्योगपति उत्पादन करते हैं और वे इसका निर्यात करते हैं। उन्हें ऊंचे मूल्य पर अपने उत्पाद बेचने की स्वतन्त्रता है। जब बाहर से हमारे कृषि उत्पादों की मांग अधिक है तो हम उन्हें नियंत्रण में रख रहे हैं; हम उन पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, और हम निर्यात की अनुमति नहीं दे रहे हैं। वास्तव में क्या हो रहा है? कृषक को लाभ या न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल नहीं पा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति यही है। इसीलिये, मैं सरकार से अधिक भुगतान करने का अनुरोध कर रहा हूं।

माननीय मंत्री ने बजट में बताया है कि इससे निवेश 18 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा या इससे अधिक आवंटन होगा। यह पर्याप्त नहीं है। निजी लोग नहीं आयेंगे। पहले ही आपने कहा है कि औद्योगिक एवं अब संरचनात्मक सुविधाओं के लिए सरकार निजी क्षेत्र से अधिक निवेश आकृष्ट करने का प्रयास करेगी। यह सही हो सकता है और इसके लिये कुछ लोग आगे आ सकते हैं। लेकिन कृषि के बारे में क्या है? कृषि उत्पादन नीचे आ रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या किसी अन्य कार्यक्रम का मामला देखें। इससे देश को मदद नहीं मिलेगी क्योंकि यह पर्याप्त नहीं है। इसलिये, हमें ये देखने हेतु कि कृषकों को लाभ हो एक अच्छी कृषि नीति बनानी होगी।

अब मैं अपनी अर्थव्यवस्था में काले धन के परिचालन के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। जब भी मैं इस सभा में अर्थव्यवस्था से संबंधित चर्चा में भाग लेता हूं तब मैं काले धन पर अधिक बल देता हूं क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में काले धन का बहुत अधिक परिचालन है। काला धन तो केवल एक भाग है। दूसरी वस्तु जो हमारी अर्थव्यवस्था को बबार्द कर रही है वह है जाली मुद्रा। हम अनेक बार समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि जहां बताया जाता है कि कुछ लोग जाली मुद्रा के साथ पकड़े गये हैं। लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है? ये जाली मुद्रा के नोट नासिक में मुद्रित नहीं किये जाते हैं। वे पाकिस्तान और चीन में छापे जाते हैं तथा ये जाली मुद्रायें भारत में नेपाल, मुम्बई, श्रीलंका और केरल के माध्यम से आ रही है। इन्हीं माध्यमों से ये जाली मुद्रायें अपने देश में प्रवेश कर रही हैं।

जमीन जायदाद के मूल्य अत्यधिक बढ़ रहे हैं और इसका कारण जाली मुद्रा और काले धन का परिचलन है। लोग काले धन को अपने पास नहीं रख सकते हैं इसीलिये वे इसका निवेश जमीन जायदाद में कर रहे हैं। पांच वर्ष पहले एक एकड़ जमीन का मूल्य एक लाख रुपये था और अब लोग उसी भूमि को एक करोड़ रूपये में खरीद रहे हैं। वे इतनी अधिक धनराशि देने में कैसे सक्षम हैं? इसका कारण काला धन है जो वे हमारे देश में ला रहे हैं। वे जमीन में इतनी ऊंची लागत पर निवेश कर रहे हैं क्योंकि वे यह धन अपने पास नहीं रख सकते हैं और गरीब किसान को एक करोड़ रुपये के बदले भूमि देने का लालच दिया जाता है। अत: वे अपनी भूमि इन लोगों को बेचते हैं। लेकिन भूमि का वास्तविक मूल्य एक लाख रुपये है। इसलिये, सरकार को इसे नियंत्रित करने हेतु कुछ कदम उठाना होगा।

महोदय, हमारी अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रा स्फीति की दर का कारण हमारी आर्थिक नीतियां नहीं है बल्कि काले धन और जाली नोटों का प्रवेश। सरकार को यह समस्या हल करनी होगी। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन भू माफियां और अन्यों को नियंत्रित करना होगा। कार्पोरेट कार्य मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मुझे अनेक घटनाओं का सामना करना पड़ा जहां कार्पोरेट बाजार में बोगस शेयर जारी करते हैं। मैं उन कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहता हूं। हमने उन कंपनियों के ऊपर 65 लाख रुपये का अर्थदण्ड लगाया था लेकिन उन्हें 500 करोड़ रुपये के लाभ हुये थे। लेकिन इस प्रकार की कंपनियां बाजार से बोगस शेयर जारी कर रही है। इसीलिये मुद्रास्फीति

बढ़ रही है। सरकार को तत्काल इसे रोकना चाहिए। आज प्रात: भी, श्री गुरुदास दासगुप्ता ने बताया उद्योगपति कैसे लोकसभा और राज्यसभा में जनप्रतिनिधि बनना चाहते थे। वे यहां आना चाहते हैं ताकि उनके व्यावसायिक हितों की सुरक्षा हो सकें। यह एक खतरनाक चलन है और वे राजनीतिज्ञों की कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं। अत: मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार के लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें।

अब, मैं तमिलनाडु सरकार के समक्ष आई वित्तीय समस्या का उल्लेख करना चाहूंगा। तमिनलाडु को एक विशेष पैकेज देने के लिए राज्य सरकार प्रधानमंत्री को पहले ही कई पत्र भेज चुकी है क्योंकि हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे राज्य में बिजली की बहुत कमी हो रही है। इस संकट से पार पाने के लिए हमें अन्य राज्यों से बिजली खरीदने के लिए अधिक धन की जरूरत है। किंतु हमारे पास केन्द्रीय ग्रिड के साथ-साथ अन्य उत्तरी राज्यों से बिजली लाने के लिए पर्याप्त ट्रांसमिशन लाइनें नहीं है। चार दक्षिणी राज्य आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के पास केवल एक ग्रिड है और अन्य राज्यों से भी बिजली नहीं मिल पा रही है। देश के आर्थिक विकास के लिए बिजली बहुत आवश्यक है। इसलिए, हमारे मुख्यमंत्री ने कई बार केन्द्र को अनुरोध करते हुए और अधिक धन और विशेष वित्तीय सहायता के लिए कई बार लिखा है।

हमें चक्रवात और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का भी बारंबार सामना करना पड़ता है। हाल ही में, चक्रवात ने तमिलनाडु के तटीय जिलों को बुरी तरह प्रभावित किया है और इसका राज्य के वित्त पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है क्योंकि राज्य सरकार को वहां के प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यो को कार्यान्वित किया है। तमिलनाडु की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से विशेष वित्तीय पैकेज के लिए अनुरोध किया है। मैं माननीय वित्त मंत्री से इस मामले को देखने और तमिलनाडु राज्य की सहायता के लिए अनुरोध करता हूं ताकि हमारी वित्तीय समस्या कुछ हद तक सुलझ जाए।

केन्द्रीय सरकार के पास विभिन्न स्त्रोतों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त संसाधन है, किन्तु राज्य ऐसा करने की स्थिति में नहीं हैं। केन्द्र भी पूंजी बाजार से पांच लाख रुपये उधार ले रहा है, किन्तु राज्य सरकारों को वह करने की अनुमति नहीं है। केन्द्र सरकार के पास अपने कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए स्त्रोतों को बढ़ाने के लिए कई साधन हैं। इसके साथ-साथ राज्य अधिक संसाधनों को बढ़ाने की स्थिति में नहीं हैं और वे ऐसे हैं जैसे 'शानदार नगरपालिकाएं', क्योंकि उनके पास कोई शक्ति नहीं है और केन्द्र सरकार के समक्ष उनकी स्थिति एक भिखारी जैसी है। इसलिए, केन्द्र सरकार को राज्यों को और अधिक वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित करनी चाहिए। अन्यथा, माननीय मंत्री को राज्यों को छूट देनी चाहिए ताकि वे अपने आप से अधिक संसाधनों को बढ़ा सकें। केन्द्र सरकार हमारे देश में पी.पी.पी. विधि के जरिए और अन्य साधनों के द्वारा अधिक से अधिक विदेशी निवेश लाने का प्रयास कर रही है। इसी तरह, राज्य परियोजनाओं के लिए, आप को कुछ समाधान निकालना है ताकि वे अपने स्वयं की निधियां बढ़ा सकें। मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहूंगा।

मैं यह कह कर समाप्त करना चाहूंगा कि पीने के पानी की कमी, सड़कों की स्थितियां, और कई अन्य बातों के सम्बन्ध में कई मुद्दे यहां पर उठाए गए हैं। किन्तु इन सभी के लिए हमें धन की जरूरत है। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री से दोबारा संक्षेप में आग्रह करूंगा, कि वह यह देखें कि राज्य सरकारों को कुछ और शक्तियां दी जाएं, और वे जो भी योजनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं उन पर ध्यान दिया जाए, विशेषतर, वह जो तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत की है। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा वे उन अनुरोधों पर विचार करें और आवश्यक आबंटन प्रदान करें।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): सभापति जी, आज दो बजकर दस मिनट पर वर्ष 2012-13 के अंदाज पत्र पर इस सदन के वरिष्ठ नेता, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदणीय जसवंत सिंह जी इस बजट की चर्चा को जिस ऊंचाई पर ले गए, बजट की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है बता दिया कि सही बजट कैसा होना चाहिए। मैं समझताहूं कि उनके बाद 120 करोड़ लोगों की अपेक्षाओं की परिपूर्ण करने के लिए कैसा अंदाज पत्र होना चाहिए, वह कहने की मेरी धृष्टता नहीं है और मैं कहना भी नहीं चाहता। मेरी दोनों तरफ हालत ठीक नहीं है। जिनका मैं सबसे ज्यादा सम्मान करता हूं, पिता तुल्य मानता हूं, जिनका 40-50 सालों का संसदीय अनुभव है, उनके सिर पर देश को बनाने की जिम्मेदारी है। वे उसे बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं, मगर शिकायत यूपीए और कांग्रेस से है। इतने महान् व्यक्तित्व को, आपने अभी-अभी देखा, डिजास्टर मैनेजमैंट का चेयरमैन बना दिया। जब सरकार में तकलीफ आती है, पार्टी में आती है, तो प्रणव दा के बगैर न सरकार बच सकती है न आपकी पार्टी बन सकती है। ये संकटमोचक हैं। उन्हें देश के अर्थतंत्र पर जो ध्यान देना चाहिए, उसे देते हुए भी उसी में उलझे रहते हैं। जसवंत सिंह जी ने भारत के बजट की चर्चा की। हमरा बजट जो आज सदन में रखा गया है, वह हिन्दुस्तान का बजट नहीं है, वह इंडिया का बजट है। ...*(व्यवधान)* इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय जसवंत सिंह जी ने जो कहा, वह बजट का हार्ट है। दादा, 120 करोड़ लोगों की अपेक्षाएं ये हैं, वह भी एक देश जिसमें 70 प्रतिशत लोगों की प्रतिदिन खर्च करने की क्षमता 20 रुपये से कम है। 40 करोड़ के आसपास लोग गरीबी

की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करते हैं। 20 लाख लोग रेल और फुटपाथ की पटरियों पर पूरी जीवन व्यतीत कर देते हैं।

हमारी सरकार का एक हिस्सा योजना आयोग गरीबों का मजाक करके गरीबी के नए मानक बनाता है–22 रुपये और 28 रुपये। मैं समझता हूं प्रणब दादा, देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आपने अपना पहला बजट चाणक्य, से शुरू किया था, दूसरा बजट लक्ष्मी माता और इंद्र भगवान से शुरू किया था और तीसरा बजट शेक्सपियर से शुरू किया। शेक्सपियर की वह पंक्ति "मुझे दयावान होने के लिए निर्दयी होना चाहिए" मैंने बी.ए. विद इंगलिश किया है। जसवंत सिंह जी ने ठीक तरह से कहा कि यह उचित नहीं है। अगर देश के अर्थतंत्र को ठीक पटरी पर लाना है, तो चाणक्य को उद्बरित करना चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि जैसे फूल पर भंवरा बैठता है, उसके रस को पीता है, लेकिन फूल कभी मुरझाता नहीं है, उसकी सुगंध और सुंदरता वही रहती है। कर ऐसे लेना चाहिए कि फूल मुरझाए नहीं। यहां तो सारे देश के अलग-अलग फूल-किसान, मजदूर, महिलाएं, आम आदमी, नौकरी करने वाला, छोटे ब्यापारी आदि सभी लोग, पैसे वालों को छोड़कर मुरझा रहे हैं। मेरा दर्द दूसरों से अलग हूं, मैं आम आदमी का प्रतिनिधि हूं। सात बार लोक सभा में हो गए; उससे पहले 19 साल कारपोरेशन में, वर्ष 1976 से जनता की आवाज, किसी न किसी फोरम पर, बिना रुके मैंने जनसेवा की। सलमान साहब, गालिब का शेर मुझे याद आता है। दर्द मेरा वह है।

"बहुत जुदा है औरों से मेरे दर्द की किफायत गालिब,
जख्म का कोई निशान नहीं और तकलीफों की कोई इंतहा नहीं।"

इतना दर्द है। मेरा दर्द अलग है। आम आदमी मर रहा है। आंकड़ों के मायाजाल में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि उससे तकलीफ होगी। आपे वर्ष 2011-12 के बजट के दूसरे पैरा में कहा था:

[अनुवाद]

"अर्थव्यवस्था अपनी पूर्व संकट वृद्धि प्रक्षेप पथ पर लौटी है जो आगामी भविष्य में दोगुनी अंक वृद्धि की गति को हासिल करेगी।"

अब तंत्र पटरी पर आ रहा है, डबल डिजिट ग्रोथ होगी, देश का विकास बढ़ेगा, लेकिन हमें निराश होना पड़ा। 6.9 प्रतिशत आकर हम रुक गए। इस बार आपने कहा इस वर्ष का निष्पादन निराशाजनक रहा है क्यों? कहीं हम अपनी दिशा से भटक तो नहीं गए हैं? क्या सिर्फ पैसो का आबंटन ही बजट का उद्देश्य नहीं हो गया है? अगर यह है तो देश हम सबसे क्या अपेक्षा करेगा। मैं भी इसी सदन का हिस्सा हूं 23 साल से। देश का आम आदमी गरीब, मजदूर बेरोजगार हमसे आस लगाकर बैठा है।

आपने बजट में करों में कुछ राहत देने की बात कहीं है। मैं ज्यादा लम्बा भाषण नहीं करूंगा। मैं यहां दो बजे से बैठकर बजट पर हो रही चर्चा सुन रहा था। जसवंत सिंह जी को मैंने सुना और अन्य साथियों को भी मैंने सुना। एक वरिष्ठ सदस्य के नाते मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहूंगा। जैसा मैंने कहा कि आम आदमी क्या अपेक्षा रखता है, उसके लिए कुछ बातों की पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी। देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और न ही होगी, यह मैं बता चुका हूं। मेरे पास काफी मेटिरियल है, लेकिन मेरे दल की ओर 23 सदस्यों को बोलना है इसलिए उन्हें भी मौका मिले, मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा

हर बार निराशाजनक बजट आता है। आपने इस बार के बजट में व्यक्तिगत आयकर सीमा 1,80,000 रुपए को बढ़ाकर 2,00000 रुपए करने की बात कहीं है। अखिलेश जी, जो मेरे परम मित्र हैं। उन्होंने जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद कहा कि हमने वादा किया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैंने दूसरे दिन अखबार में पढ़ा कि उनकी इस घोषणा के बाद प्रदेश में बेरोजगारों की लाइन लग गई और यहां तक कि लाठी चार्ज भी हुआ। इससे पता चलता है कि कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है। किस तरह से देश के बेरोजगार आज भत्ता लेने के लिए तैयार है, यह इससे पता चतता है। देश में 18 साल से 35 साल के बीच में 60 करोड़ नवयुवक यानि 120 करोड़ हाथ आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें काम दीजिए और हम काम नहीं दे सकते। इसके लिए गहराई से सोचना पड़ेगा।

मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि इस बजट में संतुलन नही है। आपने व्यक्तिगत आयकर सीमा को बढ़ाकर 2,00000 रुपए कर दिया है यानि 20,000 रुपए की आज बढ़ती हुई महंगाई के समय कोई कीमत नहीं है। आम व्यक्ति यानि आयकर दाता को इसका सालाना फायदा सिर्फ 2066 रुपए का होगा। लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं, उन्हें 22,600 रुपए सालाना का फायदा होगा। मतलब यह कि एक महीने में जितना फायदा पैसे वालों को होगा, उतना फायदा आम आदमी को सालाना होगा।

मेरा सुझाव है, यह ठीक है कि देश आर्थिक विषमता से गुजर रहा है। हम भी चाहते हैं कि हमारा देश विकासशील न रहकर विकसित देश कहलाए। इसके लिए हमें सब्सिडी तो देनी पड़ेगी और महिलाओं को भी आप नाराज नहीं कर सकते। महिलाओं को आय में सिर्फ 10,000 रुपए का फायदा हुआ है। पहले उनके लिए 1,90,000 रुपए आयकर सीमा थी, जिसे अब बढ़ाकर 2,00000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को कोई फायदा नहीं हुआ है। पांच लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाले लोग इस देश में बहुत कम हैं। जहां तक मेरा अध्ययन है इस देश में 90 प्रतिशत से ज्यादा करदाता

पांच लाख रुपए सालाना से नीचे आते हैं। मेरी आपसे मांग है कि बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखकर आम आदमी के लिए आयकर की इस सीमा को बढ़ाकर आप 3,00000 रुपए तक कर दें। कभी 10,000 रुपए और कभी 20,000 रुपए फायदा देने से आम आदमी का भला नहीं होगा।

सभापति जी, मैं काफी तैयार होकर आया हूं, लेकिन समयाभाव के कारण ज्यादा नहीं कहूंगा। अखबरों में योजना आयोग का गरीबी के बारे में नया आंकलन आया कि 29 रुपए जो व्यक्ति शहरों में रोज कमाता है, वह गरीब नहीं है। आप खुद सोच सकते हैं कि आम आदमी का इस राशि में क्या होगा। अगर इसे डिटेल में देखा जाए तो चार रुपए 80 पैसे में क्या खाद्यान्न मिलेगा, इतनी राशि में कौन खाना खाएगा? एक रुपया पैंतालीस पैसा खाद्य तेल में होगा और 1.87 पैसा सब्जी के लिए होगा। मैं सब्जी लेकर आने वाला था मगर यह सदन के लिए अच्छी बात तो नहीं है कि लाई जाए।

महोदय, देश गरीबी के खप्पर में पूरा फंस रहा है और यह दिशाहीन बजट है, सोच का अभाव है। हिंदुस्तान की आत्मा को झकझोर देने वाला बजट नहीं है। जैसा माननीय जसवंत सिंह जी ने कहा कि बजट की आत्मा को झकझोर देने वाला बजट नहीं है। जैसा माननीय जसवंत सिंह जी ने कहा कि बजट की आत्मा महिला की टुकिया में आना और गरीब को दाना। यह होती है बजट की आत्मा। उस आत्मा के इर्द-गिर्द घूमना चाहिए। हिंदुस्तान सिर्फ इतना चाहता है। हमारी महिला की टुकिया में आना और गरीब के पेट में अनाज। गरीबों का और मजाक मत उड़ाइये। गरीब को अनाज कब मिलेगा? माननीय जसवंत सिंह जी ने बहुत बड़ी बात कहीं है।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है और मैं कोई औद्योगिककरण का विरोधी नहीं हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस देश की धरती सोना उगलेगी, जिस देश का किसान खुशहाल होगा, जो देश अपने खाद्यान्नों पर निर्भर होगा, वहीं देश भविष्य में टिक पायेगा। बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों और उद्योगों से हमारा देश नहीं चल सकता है। हां, दूसरे ऐसे देश चल सकते हैं जो एक-दूसरे को लड़ाकर और अपने हथियार बेचकर पैसा कमाते हैं और वे भी आर्थिक मंदी से तबाह हो गये हैं।

हमें अपने किसान को मजबूत करना पड़ेगा। मेरी मांग है कि इसे बढ़ाकर तीन लाख किया जाए और महिलाओं के लिए साढ़े तीन लाख रुपयें की छूट रखी जाए, सीनियर सिटीजन के लिए पांच लाख की तक कोई टैक्स नहीं।

आपने दो योजनाएं रखी हैं। दादा आपके अधिकारियों ने इसमें थोड़ी चतुराई कर दी। राजीव गांधी इक्विटी स्कीम में अगर आप 50 हजार रुपये इंवैस्ट करते हो तो आपको 50 हजार पर 50 परसेंट डिडेक्शन मिलेगा। दादा फाइनेंस बिल में इसका उल्लेख नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि इतने बड़े फाइनेंस बिल में ऐसी योजना का उल्लेख न हो। अगर मेरे ध्यान से निकल गया हो तो आप सदन का ध्यान दिलाइयेगा कि फाइनेंस बिल में इसका उल्लेख है या नहीं है।

दूसरा एक बात यह है कि सैविंग एकाउंट में अगर आपका ढाई लाख रुपया मिनिमम पड़ा रहे, जो इस देश में पैसे वालों के सिवाए कोई नहीं कर सकता है। एफडी पर नहीं, सैविंग एकाउंट में ढाई लाख रुपया मिनिमम पड़ा रहेगा, मैं समझता हूं कि किसी सांसद का भी नहीं पड़ा रहेगा, पैसे वालों को हो सकता है। उनको दस हजार तक ब्याज मिलता है तो उस पर टैक्स डिडेक्शन दिया जाए। यह संभव नहीं है दादा। मैं अपनी बात करता हूं, मैं अपर-मिडिल-क्लास से आता हूं। जब पैसा बचता है तो उसकी मैं फिक्स डिपोजिट कर देता हूं, मैं सैविंग एकाउंट में नहीं रखता हूं। कौन रखेगा? इससे तो जनता गुमराह हो रही है।

किसानों के ऋण के बारे में आपने कहा। इस बार किसानों के लिए आपने 5 लाख 75 हजार करोड़ यानी पिछले साल से एक लाख करोड़ ज्यादा। दादा, आपकी सरकार ने दो साल पहले 72 हजार करोड़ रुपये का किसानों का कर्ज माफ किया था। इसका मतलब यह हुआ कि इस देश का किसान कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं है। मेरे साथ गांव, जर, जमीं से जुड़े हुए साथी हुक्मदेव नारायण जी बैठे हैं। उन्होंने मुझे सही स्मरण दिलाया और जसवंत जी ने भी मुझसे कहा कि एमएसपी के बारे में सोच बदलनी पड़ेगी। इसका मतलब मिनिमम स्पोर्ट प्राइज है, मतलब सबसे कम। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि किसान को उसका लाभकारी मूल्य मिल सके। किसान पैदावार करे, तो उसे पैदावार का लाभ मिलना चाहिए। इसे मिनिमम नहीं करना चाहिए, बल्कि लाभकारी मूल्य कहना चाहिए। मेरी मांग है कि आप 5 लाख 75 हजार करोड़ रुपया ऋण दीजिए, मगर इस देश का किसान, क्योंकि ऋण वहीं लेता है, जो गरीब होता है। वह चार परसेंट भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपने कहा है कि छह महीने के अंदर अगर आप ऋण की भरपाई करोगे तो तीन परसेंट की छूट दी जाएगी। लेकिन तीन परसेंट की छूट के बावजूद भी आत्महत्याएं हुई हैं। छूट के बाद भी किसानों को 72 हजार करोड़ रुपया सरकार की तिजोरी से गरीब किसानों को आत्महत्या रोकने के लिए देना पड़ा। आप वास्तविकता से दूर क्यों भागते हैं? मैं उन किसानों की बात करता हूं।

श्री प्रणब मुखर्जी: तब तीन प्रतिशत की छूट नहीं थी। तब सात प्रतिशत की दर थी।

श्री हरिन पाठक: मैं मानता हूं कि तीन प्रतिशत नहीं थी, मुझे मालूम है सात प्रतिशत थी मगर मेरा मानना है कि तीन प्रतिशत देने

के बाद भी यही स्थिति बनी रहेगी। किसान की स्थिति यही बनी रहेगी। उसको तीन या चार प्रतिशत पर ऋण दोगे, क्योंकि वही किसान ऋण लेता है, जिसका कोई आधार नहीं है। गरीब है, सीमांत है, स्मॉल और मार्जिनल किसान है।

महोदय, अभी मेरे वहां आंदोलन चल रहा है। गुजरात के सभी सांसद परम आदरणीय वित्त मंत्री जी से मिलने गए थे। उन्होंने तुरंत समय दिया और उन्होंने हमें ध्यानपूर्वक सुना। गोल्ड में ज्वैलरी के लिए कस्टम में दो प्रतिशत और एक्साइज में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। उसके खिलाफ देश के सभी ज्वैलरी मार्किट बंद हैं। उस दिन मैंने आपसे करबद्ध होकर यह कहा था कि हमारे देश में सोना हमारी सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा है, आत्मीय व्यवस्था से जुड़ा है मैंने वर्ष 1972 में शादी की थी। गरीब शिक्षक का बेटा हूं। मेरे पिता जी ने पांच तोला सोना मेरी पत्नी को दिया था। गरीब आदमी पेट काटकर अपनी बेटी को एक मंगलसूत्र तो जरूर देगा। सोना हमारे लिए लग्जरी नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पूरे देश के 20 हजार छोटे-मोटे बाजार बंद पड़े हैं। इस क्षेत्र से जुड़े हुए गुजरात के लोग हैं, वे आज हड़ताल पर हैं। इसकी समस्या का निराकरण कीजिए। एक बात मुझे आपसे विशेष कहनी है कि बजट में ऐसा प्रावधान है कि दो लाख से ज्यादा यदि आप गोल्ड खरीदोगे तो पैन नंबर देना पड़ेगा। अब किसके पास पैन नंबर है? किसानों के पास तो पैन है ही नहीं और दो लाख का सोना तो हर कोई आदमी ले लेगा। पांच तोला, दो तोला तो गरीब आदमी भी देता है। आप लिमिट बढ़ा दीजिए। अनब्रांडेड ज्वैलरी पर बढ़ोत्तरी से एक असर यह पड़ेगा कि प्रत्येक गांव में छोटा सुनार होता है, जो छोटे जवाहरात बनाता है, वह कहां से बुक्स ऑफ एकाउंट्स रखेगा। उसको एक प्रतिशत देने में ज्यादा समस्या नहीं है। उसे सरकारी बाबूओं से ज्यादा डर लगता है। इनस्पैक्टर राज से डर लगता है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप दो लाख से ज्यादा लिमिट कीजिए। अनब्रान्डिड ज्वैलरी को इससे निकाल दीजिए। सोने को आजाद कर दीजिए।

[अनुवाद]

सांयः 6.00 बजे

सभापति महोदयाः माननीय सदस्यगण, अभी 6 बजे हैं। सभा की राय क्या है?

क्या सभा के समय को बढ़ाया जाना चाहिए?

श्री हरिन पाठकः मैं 5 मिनट का समय लूंगा। मेरे भाषण के समाप्त होने तक समय को बढ़ा दें।

सभापति महोदयः क्या हमें इसे और एक घंटे के लिए बढ़ाना चाहिए?

कई माननीय सदस्यः हां।

[हिन्दी]

श्री जगदीश शर्मा (जहानाबाद): महोदय, जीरो ऑवर जरूर लिया जाए।

सभापति महोदयाः वह अलग है।

[अनुवाद]

अब सभा के समय को अगले एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठकः वह मेरी मांग है, उसे देख लीजिए। सोने की चीजों के साथ हमारी भारतीय संस्कृति जुड़ी हुई है।

सायं 6.01 बजे

[**डॉ० एम० तम्बिदुरई** *पीठासीन हुए*]

जिस विषय पर मेरी पार्टी ने सबसे पहले सरकार की आंख खोली, वह है काला धन। शुरूआत में जब वर्ष 2009 में श्रद्धेय आडवाणी जी ने यह बात छेड़ी, तो उनका मजाक उड़ाया गया, कहा गया कि यह सब असंभव है। आज सीबीआई के डायरेक्टर ने कहा कि 25 लाख करोड़ रुपये स्विस बैंक में पड़े हैं। मैंने कुलदीप नैय्यर जी का एक आर्टिकल पढ़ा था, अगर मैं गलत न हूं, तो मुझे स्मरण है, मैंने कल रात को कोशिश की। उनके हिसाब से 70 से 75 लाख करोड़ रुपये काला धन है। इनकम टैक्स कमीश्नर जब एक छोटी सी रेड करता है, तो दूसरे दिन प्रेस कांफ्रेंस करता है, कि हमने चार करोड़, दो करोड़, तीन करोड़ रुपये डक्लेयर करवाए। तीन साल बीत गए और हम ट्रीटी करते रहे, अगर हम पांच प्रतिशत भी वापस ले आते, अगर आप लाए हों, तो हमारी जो रेवेन्यु डेफिसिट है—लगभग तीन लाख पचास हजार करोड़, वह डेफिसिट खत्म हो जाती। अंत में मैं कहूंगा कि फूलों की तरह टैक्स उन्हीं से लो ताकि फूल मुरझाए नहीं। इस देश में गरीबों और किसानों को सब्सिडी देनी पड़ेगी। कल रात मैंने टीवी में देखा कि और 31 पैसे कल परसों डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ने वाले थे, 31 मार्च को पांच रुपये पेट्रोल में और तीन रुपये डीजल में बढ़ेगा, जैसे ही यह बजट पास हो जाएगा। क्या करेगा? क्या करेगा आम आदमी? दो प्रतिशत सब्सिडी आप नीचे लाने की बात करते हैं, जो आम आदमी को दी जाती है। अभी किसी साथी

ने उल्लेख किया है। एक तरफ हम गरीब आदमी को रियायत देने में दो प्रतिशत तक रहते हैं। मैं उद्योगों का विरोधी नहीं हूं, मगर कंशेसन एंड इसेंटिव। यह जो उद्योगों को दिया जाता है, वह छ: लाख करोड़ रुपये हैं और पौने दो लाख करोड़ सब्सिडी हम गरीब और मजदूर किसान को देते हैं। इस तरह से इसमें इम्बैलेंस है। हमारे टैक्स कलेक्शन का 80 से ज्यादा प्रतिशत इन उद्योगपतियों को कंशेसन देने के लिए हो गया। मेरी करबद्ध प्रार्थना होगी कि इसको बैलेंस कीजिए, गरीब को ज्यादा दीजिए अमीर से लीजिए, गरीब को दीजिए। महिला की टुकिया में आना और गरीब के पेट में दाना, अगर ये आपके विचार होंगे, यह आपका मूल भाव होगा, तो देश को जो बनाने का हम काम कर रहे हैं, 65 साल बीत गए। कब तक जनता को गुमराह करते रहेंगे। प्रतिवर्ष बजट में छोटी-छोटी योजना लेकर आते हैं, 65 साल बीत गए, 65 साल में से 45 साल तक आपकी सरकार ने राज किया। मेरी प्रार्थना है कि बजट ऐसा दीजिए कि मैंने जो मांग रखी है, उस पर ध्यान दीजिए। आने वाले वर्षों में, अभी आपके पास डेढ़-दो साल बचे हैं, हिन्दुस्तान का बजट बनाइए। ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के बनाए हुए लोगों से यह देश नहीं चल सकता है।

आपने बहुत गरीबी देखी है। मैंने आपको उस दिन सुना था। आप साइकिल पर जाते थे। हिन्दुस्तान का बजट बनाइए जिसमें उनकी पहचान बनी रहे। हमारी पहचान अलग है। हमारी सोच अलग है। कृषि हमारी सोच है। अगर यह नहीं बढ़ी तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम चाहे ओजोन क्राइसिस को ब्लेम करें, जापान के भूकंप को ब्लेम करें और चाहे कहें कि देश में अगर आर्थिक संकट है तो जापान जिम्मेवार है, ओजोन जिम्मेवार है, ये सब गुमराह करने वाली बातें हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप देश का, भारत का बजट बनाइए और मैंने जो बातें रखी हैं, उन पर गंभीरता से विचार करके लोगों की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं परिपूर्ण करिए। जसवंत सिंह जी ने जो अपने वक्तव्य में कहा, उससे अपने आपको संबद्ध करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि उनकी जो भावना है, उसे परिपूर्ण करिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: हम सभा की राय जानना चाहते हैं। हम इस चर्चा को कब तक जारी रख सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जगदीश शर्मा: सर, जीरो ऑवर शुरू करिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इसके बाद हम शून्यकाल शुरू करेंगे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए। केवल माननीय मंत्री ही उत्तर देंगे।

श्री प्रणव मुखर्जी: यह सदस्यों के निर्णय पर है क्योंकि वित्त विधेयक में समय की कमी है। अगर 28 को भोजनावकाश तक मेरे पास सभा द्वारा पारित सभी वित्तीय प्रस्ताव नहीं आते हैं, तो यह अत्यधिक कठिन होगा क्योंकि सभा की अनुमति लेने के बाद, तभी राष्ट्रपति की अनुमति अन्य सभा में भेजने के लिए ली जाएगी और 30 मार्च तक, पूर्ण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसलिए, मेरा यह सुझाव होगा कि या तो हम वक्ताओं की संख्या को कम करें या देर तक बैठ सकते हैं। केवल एक ही दिन उपलब्ध होगा, वो है, सोमवार। सोमवार को, अगर हम प्रश्नकाल या 12.00 बजे के बाद आरंभ करते हैं, यह काफी नहीं होगा क्योंकि बड़ी संख्या में सदस्य बोलना चाहते हैं। इसलिए, मेरा विनम्र आग्रह है कि अगर हम आठ बजे तक अर्थात् दो घंटे बैठें, तो यह अच्छा होगा।

डॉ. के. एस. राव (एलरु): महोदय, मुझे वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी को इस एक कारण से बधाई देने में अत्यधिक प्रसन्नता महसूस हो रही है कि मुख्य प्रतिपक्ष दल के सदस्य को इस बजट की आलोचना करने का एक भी कारण नहीं मिल सका। मैंने जसवंत जी, पाठक जी और अन्य मित्रों की बातों को सुना, उन्हें बजट के कतिपय प्रावधानों के प्रति कुछ शंका है इसे आप बड़ी आलोचना नहीं कह सकते। अत: मैं इससे प्रसन्न हूं। मैं उन्हें न केवल अपनी तरफ से बल्कि पूरे सभा की ओर से बधाई देता हूं ...*(व्यवधान)*

आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे उनके प्रति अत्यंत आदर का भाव है किंतु विषय वस्तु पर मैं अपने विचार को युक्त रूप से प्रकट करूंगा ताकि इसमें कोई गलतफहमी न हो। जसवंत जी कह रहे थे कि इस बजट का कोई मुख्य उद्देश्य एवं कोई दिशा नहीं है। महोदय मैं इसे अत्यंत केंद्रित मानता हूं। वास्तव में कांग्रेस दल और यूपीए सरकार के एक सदस्य होने के नाते कई ऐसे अवसर आये हैं जब मैंने सरकार की आलोचना की अथवा सरकार के अन्य कार्यों में दोष पाया है। गत 25 वर्षों से मैं इस सभा में यह बात कहता आ रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों, कृषक समुदाय और कृषि मजदूरों के प्रति घोर अन्याय हुआ है। किसानों की संपदा में कमी आ रही है और धनी व्यक्तियों और अधिक धनी हो रहे हैं। आप भी इसी बात की आलोचना कर रहे हैं।

यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों के मेहनत को कम आंका जा रहा है। कल ही मैंने कहा था कि यदि किसी औषधि

निर्माता को 10 रुपए की औषधि का उत्पादन करने और उसे इस औषधि को किसी अन्य देश में 100 रुपए में बेचने का मौका मिलता है और उसे इसकी अनुमति मिल जाती है जबकि खाद्यानों की अधिक फसल होने के कारण देश में इसका लाभकारी मूल्य नहीं मिलने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तुलनात्मक रूप से इसका अधिक मूल्य होने के बावजूद भी खाद्यान्न सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण का कारण बता कर सरकार ने कई बार खाद्यान्नों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है जिससे किसान अपने उत्पाद का उचित लाभ प्राप्त करने से वंचित रह गए हैं।

सौभाग्य से इस बार उन्होंने 30 लाख टन खाद्यान्न को निर्यात करने की अनुमति दी है। मैं इससे अत्यधिक प्रसन्न हूं और इसके लिए आभार प्रकट करता हूं, विशेषरूप से जब हमने वित्त मंत्री जी से संपर्क किया था उन्होंने हमें आश्वासन दिया था। मुझे खेद मात्र इस बात का है कि इसमें विलंब हुआ। यह उचित समय पर नहीं किया गया जब किसान इससे सर्वाधिक लाभान्वित हो सकते थे। तथापि अगली फसल के लिए मूल्यों से की गई वृद्धि के कारण किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य प्राप्त हुआ है।

मेरा हमेशा से ही आशय यह रहा है कि धन को शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में, अमीरों से गरीबों के बीच अंतरित किया जाना चाहिए। यूपीए की सरकार यह कार्य विगत छ: से सात वर्षों के दौरान निरंतर कर रही है। वर्ष 2004 में किसानों को दिए गए 70,000 करोड़ रुपए के ऋण को इस बजट में बढ़ाकर 4.75 लाख करोड़ रुपए किया गया है और इसे पूरी तरह क्रियान्वित किया गया है। अब इसे बढ़ाकर 5.75 लाख करोड़ रुपए किया गया है।

श्री हरिन पाठक: इसके बावजूद भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

डॉ. के.एस. राव: मैं आपकी बात का अपनी बात से नहीं आपके बात से उत्तर दूंगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में 4.75 लाख करोड़ रुपए अंतरिक्ष किए जाने के कारण वहां धन की उपलब्धता में व्यापक वृद्धि हुई है अन्यथा धन का प्रवाह मात्र शहरी क्षेत्रों में ही होता था सर्व शिक्षा अभियान, मगनरेगा इत्यादि जैसी कई योजनाएं लाकर गत चार वर्षों में 148 हजार करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्रों में अंतरित किए गए हैं। मेरे मित्र श्री हरिन पाठक ने अभी अभी कहा कि किसानों के 73000 करोड़ रू० के ऋण को माफ कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण योजना के अंतर्गत 1.6 लाख करोड़ रूपए अंतरित किए गए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि लगभग कई करोड़ रुपए को शहरी क्षेत्रों अथवा अमीर व्यक्तियों की आय से ग्रामीण क्षेत्रों में अंतरित किया गया है जिसके कारण ग्रामीण लोगों के पास नकदी की उपलब्धता कमोवेश रूप से पर्याप्त है जिससे अंक क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है उनमें उपभोग की आदतों में परिवर्तन हुआ है और उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है।

मैं समझ सकता था यदि क्रियान्वयन में कोई त्रुटि हुई होती किन्तु नीतियों में कोई त्रुटि नहीं है। मेरे मित्र श्री हरिन पाठक ने कहा है कि नीतियां अच्छी हैं। मुझे कम से कम इस बात की प्रसन्नता है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि उन्होंने अपनी आलोचना अत्यंत विनम्रता से रखी।

आप यह आशंका व्यस्त कर रहे थे कि क्या यह बजट अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए है अथवा क्या यह समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर जा रही है। शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों अथवा धनी व्यक्तियों से गरीब व्यक्तियों में धन अंतरित किए जाने में क्या गलत है। क्या हम इस अर्थव्यवस्था को केवल समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में जानते हैं। क्या हम समाज के गरीब वर्ग के लिये धनराशि अंतरित करने की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना मानते हैं, नहीं कदापि नहीं।

आपने यह भी कहा कि इस सरकार में कई अर्थशास्त्री हैं और वे स्थिति को बिगाड़ देंगे। यह कभी कभी हो सकता है। लेकिन आप इससे भी सहमत होंगे कि इस देश में इस सरकार में कई ऐसे अर्थशास्त्री है जो विशेषरूप से इस पर नजर रख सकते हैं। आपने एक खोजी लेखक श्री गेम्स का उल्लेख करते हुए कहा कि मैं भी इस रंगमंच के लिए सही व्यक्ति हूं। आपने एक बात यह कही कि यूपीए सरकार की कई विफलताओं के बावजूद सरकार कार्य कर रही हैं। यह अच्छी बात है।

मैं इससे सहमत हूं कि कतिपय विफलताएं अथवा त्रुटि हो सकती है लेकिन सरकार कुशलतापूर्वक अपना कार्य कर रही है। सरकार की मांग भी अत्यंत स्पष्ट है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वित्त मंत्री जी ने इस बजट में व्यक्ति, निरंतर और सबसे महत्वपूर्ण चोतेरफा वृद्धि को ध्यान में रखा है। धन गरीब व्यक्तियों के पास आना चाहिए। मैं उनके द्वारा कहे गए इस कथन कि हरेक गांव की प्रत्येक महिलाओं और प्रत्येक गरीब व्यक्तियों के पास कम से कम खाने और पकाने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। यदि यह अंतिम लक्ष्य हो तो मैं इनमें उनका समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय: डा. राव अब आप और कितना समय लेंगे।

डॉ. के.एस. राव: महोदय, मैं एक घंटा लूंगा।

सभापति महोदयः कई अन्य माननीय सदस्यगण अपनी बात रखना चाहते हैं। कई माननीय सदस्यगण अपनी बारी का इन्तजार कर रहे हैं।

डॉ. के.एस. रावः अगर ऐसी बात है तो मैं अगले दिन बोलूंगा मैं यहां अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदयः आप अपनी बात जारी रखें।

डॉ. के.एस. रावः महोदय, कांग्रेस पार्टी को 4 घंटे का समय दिया गया है। पार्टी चाहती थी मैं बोलूं। मैं अपने अन्य सहयोगियों को जो बोलना चाहते हैं इससे वंचित नहीं रखना चाहता हूं। आप उन्हें बोलने का अवसर दे सकते हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं सोमवार को बोलूंगा।

सभापति महोदयः नहीं, आप अपनी बात जारी रखें किंतु संक्षेप में समाप्त करने का प्रभाव करें।

...*(व्यवधान)*

डॉ. के.एस. रावः महोदय, उन्होंने यह भी कहा है कि हमारी संस्कृति में साझेदारी की अवधारणा है। मैं इससे सहमत हूं लेकिन किया क्या जा रहा है। ग्रामीण तबकों और समाज के गरीब तबकों के साथ साझेदारी की जा रही है। वास्तव में गत कई वर्षों से सरकार द्वारा प्रस्तुत विभिन्न बजटों में ऐसा ही किया जा रहा है जैसा कि अन्यों के साथ वस्तुओं की साझेदारी में होता है।

महोदय, श्री जसवंत सिंह कह रहे थे कि यह बजट उपभोक्ता केन्द्रित ज्यादा है। मेरी भी इच्छा है कि यह उपभोक्ता केन्द्रित नहीं हो क्योंकि हम सभी इससे सहमत हैं कि 70 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। यदि उनके पास क्रय शक्ति नहीं होगी तो उपभोग कहां होगा? यदि उपभोग नहीं हो तो उद्योग नहीं बढ़ेगा और विकास नहीं होगा। यदि आपको औद्योगिक विकास की आवश्यकता है तो आपको उपभोग की भी आवश्यकता है। यह उपभोग तभी संभव होगा जब ग्रामीण लोगों की आय एवं क्रय शक्ति बढ़ेगी न कि उन कुछ लोगों की जो आयातित कारों को खरीदने और सैकड़ों एवं हज़ारों करोड़ रुपये से आवासीय मकान का निर्माण करने की शक्ति बढ़ने से। अतः उपभोक्ता केन्द्रित बजट तैयार हुआ है।

इसी के साथ इसमें विनिर्माण क्षेत्र की बात नहीं भूलनी चाहिये। कोई भी अर्थव्यवस्था विनिर्माण क्षेत्र के बिना विकास नहीं कर सकती है। वास्तव में यदि 2011-12 में यह वृद्धि 8.4 प्रतिशत या 6.9 प्रतिशत केवल सेवाओं से ही होनी थी तो यह ठीक नहीं होगा। इसे विनिर्माण आधारित भी होना चाहिये। ईमानदारी से, मैं सच्चे मन से माननीय वित्त मंत्री से उपभोग के अलावा विनिर्माण क्षेत्र पर भी ध्यान केन्द्रित किये जाने का अनुरोध करता हूं। विशेषकर गांवों में लोगों की उपभोग क्षमता में अधिक वृद्धि होनी चाहिए।

महोदय, माननीय जसवंत सिंह बता रहे थे भारत में कृषि केवल आजीविका का साधन नहीं है बल्कि यह हमारी जीवन शैली का हिस्सा है। यह पूर्णतः सच है। इसका कारण है कि गांवों के अधिकांश लोग कृषि से जुड़े हैं और वे केवल कृषि कार्य कर रहे हैं और कुछ नहीं है। हम अपनी और अपनी अर्थव्यवस्था की तुलना अमरीका की उस अर्थव्यवस्था से नहीं कर सकते जहां दो प्रतिशत से भी कम लोग कृषि पर जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे यहां 60 प्रतिशत लोग कृषि पर जीवन यापन कर रहे हैं। अतः मैं इससे सहमत हूं कि यह जीवन शैली है और केवल आजीविका का साधन नहीं है। अतः हमें ग्रामीण कृषकों, कृषक समुदायों और कृषि मजदूरों पर ध्यान केन्द्रित करना है जैसा अब किया जा रहा है। लेकिन मेरी इच्छा है कि इससे अधिक किया जाए। मेरी मांग है कि इससे अधिक किया जाए तथा यदि आप मांग करते हैं कि इस दिशा में और किया जाए तो मैं आपका समर्थन करता हूं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): 54 प्रतिशत कृषक हैं और 45 प्रतिशत कृषि मजदूर है।

डॉ. के.एस. रावः हां, मैं सहमत हूं। मैं कृषि मजदूरों की भी बात करूंगा।

श्री हुक्मदेव नारायण यादवः कृषि मजदूर कृषि पर निर्भर है।

डॉ. के. एस. रावः मैं सहमत हूं। माननीय जसवंत सिंह और श्री हरिन पाठक बता रहे थे कि 70 प्रतिशत लोग प्रतिदिन 20 रुपये पर जीवन यापन कर रहे हैं।

श्री हरिन पाठकः ऐसा एन. सी. सक्सेना समिति की रिपोर्ट में है।

डॉ. के. एस. रावः क्या आप इसे नहीं मानते हैं?

श्री हरिन पाठकः मैं तो इसे मानता हूं।

डॉ. के. एस. रावः अतः, आप इस पर विश्वास करते हैं। मेरे लिये यह पर्याप्त है। ठीक है, माननीय सदस्य मानते हैं कि 70 प्रतिशत लोग प्रतिदिन 20 रुपये से कम पर गुजारा करते हैं ...*(व्यवधान)* सुबह से योजना आयोग को गलत सिद्ध करने के लिये बड़ी बहस चल रही थी कि उन्होंने बीपीएल की सीमा का निर्धारण करने के लिये प्रतिदिन 28 रुपये की सीमा तय की है। वह मानते हैं कि 70 प्रतिशत लोग 20

रुपये से कम पर जीवन यापन कर रहे हैं तथा हम सभी लोग योजना आयोग की गलती मानते हैं कि 28 रुपये गलत है! मेरा मानना है कि 28 रुपये गलत है।

श्री हरिन पाठक: हां, मैं भी कहता हूं कि यह गलत है।

डॉ. के. एस. राव: मैं भी ऐसा कहता हूं लेकिन आप मानते हैं कि 70 प्रतिशत लोग 20 रुपये से कम पर जीवन यापन कर रहे हैं।

श्री हरिन पाठक: कृपया मैंने जो कहा उस बात को गलत रूप से मत रखिये। ऐसा बताया गया था कि ...*(व्यवधान)*

डॉ. के. एस. राव: आप रिपोर्ट को मानते हैं?

श्री हरिन पाठक: हां, लेकिन 20 रुपये पर्याप्त नहीं है; मैंने यही कहा था। यह कुछ नहीं बल्कि गरीब लोगों का मजाक उड़ाने जैसा है। जब मैंने यह कहा था तो मेरा आशय यही था।

डॉ. के. एस. राव: हां, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। मेरी मानना है कि इसे और अधिक होना चाहिये।

श्री हरिन पाठक: हां।

डॉ. के. एस. राव: इसका कारण है कि जब हम गांवों में जाते हैं तो हम देखते हैं वास्तव में कितने लोग गरीब हैं। यह संख्या उससे अधिक है जो अभिलेखों में उल्लिखित की जाती है। अत: इसमें वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है।

अपेक्षित लक्ष्य क्या है? माननीय जसवंत सिंह ने कहा था कि नागरिकों का प्रसन्न एवं संतुष्ट होना ही अपेक्षित लक्ष्य है। मैं भी इसका समर्थन करता हूं। यह कोई संख्या नहीं है; यह सकल घरेलू उत्पाद नहीं है; और यह ऐसा भी कुछ नहीं है कि हमारा निर्यात बढ़ा है या हमारा आयात इस तरह का है, आदि। कोई भी नागरिक उस समय निश्चय ही प्रसन्न होगा जब सभी मूल आवश्यकतायें उसकी पहुंच में होंगी। यदि उनका भी यही अर्थ है तो ठीक है। लेकिन जब व्यय एवं अन्य वस्तुओं का प्रश्न आता है तो यह वैसा नहीं होता है। मैं स्पष्ट करूंगा कि ऐसा कैसे है।

वह कहते हैं कि देश के बाहर निवेश के प्रवाह की स्थिति उल्टी है। इसका अर्थ है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से अधिक धन देश के बाहर निवेश के लिये जा रहा है। यह ठीक है। वे बाहर कब जाते हैं? बाहर कौन जा रहा है? कार्पोरेट सेक्टर बाहर जा रहा है। कार्पोरेट सेक्टर कहां जाता है? वे देश से बाहर ऐसी जगह जाते हैं जहां उन्हें अधिक फायदा एवं लाभ मिलता है। यदि उन्हें कम लाभ मिलना हो तो वे देश से बाहर नहीं जायेंगे। इसका अर्थ है कि यह देखा जा सकता है कि कार्पोरेट सेक्टर को देश में अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है। इसका अर्थ है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और लाभ का स्तर नीचे आ गया है जो इस देश में सुधार या विकास का एक संकेत है। अत: हम यह नहीं कह सकते हैं कि देश से बाहर निवेश के प्रवाह के कारण ही बातें बिगड़ रही हैं।

यह शुभ संकेत है कि कार्पोरेट सेक्टर इस स्तर पर आ गया है कि जहां वे अपनी न केवल दक्षता एवं योग्यता में सुधार कर सकते हैं बल्कि वैश्विक बाजार से प्रतिस्पर्धा भी कर सकते हैं; मैं फिर भी मानता हूं कि आज भी हमारे उद्यमियों एवं कार्पोरेट सेक्टर को अमरीका में उद्यम में अमरीकी नागरिकों से अधिक सफलता भिन्न सकती है बशर्ते वे वहां जाएं और वहां उन्हें स्वतन्त्र रूप से जाने की अनुमति हो। अत: उनका बाहर जाना सरकार के लिये कोई बुरा संकेत नहीं है। यह अच्छी बात है तथा यह सरकार की नीतियों के अंतर्गत ही है।

अब मैं मनरेगा की बात करता हूं। मुझे नहीं मालूम कि यह सही है या गलत, और इसे सुधारा जा सकता है। जहां तक मनरेगा का संबंध है, माननीय सदस्यों ने कहा कि केवल पंचायत के मुखिया एवं अन्य सदस्य ही इससे समृद्ध होते हैं, गरीब आदमी नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि इसने श्रमिकों की आदतें खराब कर दी हैं।

मैं उस बात पर आपसे असहमत हूं। मैं इस बात पर अवश्य सहमत हूं कि कमियां, खामियां हैं। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि कुछ मुखियाओं को लाभ नहीं होता है और कुछ सदस्यों ने धन एकत्र नहीं किया है। किंतु इससे श्रमिकों की आदत पूर्णत: खराब नहीं हुई है। मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 1,48,000 करोड़ रु. के आवंटन की वजह से स्थानीय खेतीहर श्रमिकों की मज़दूरी में काफी अधिक वृद्धि हुई है जिससे किसानों को खेतीहर श्रमिकों की बहुत ही कम उपलब्धता हो पाती है।

सभापति महोदय: डॉ० राव, कृपया अपनी बात पीठ को संबोधित करके कहें। अन्यथा वे आपका ध्यान भटका देंगे।

डॉ. के. एस. राव: मैं केवल आप ही की ओर देखूंगा ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: यह सत्य नहीं है बल्कि बात इसके उलट है।

डॉ. के. एस. राव: मनरेगा की वजह से खेतिहर श्रमिकों की कमी है। यदि माननीय जसवंत सिंह जी यह सुझाव दें कि मनरेगा को फसल के मौसम जिस समय श्रमिकों की नितान्त कमी होती है, के दौरान कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिये और इसे मात्र ऐसी स्थिति में ही लागू किया जाना चाहिये जब गरीबों को काम न मिलता हो। मैं उस बात को समझ सकता हूं। किंतु वक्तव्य सही नहीं है कि इसने

श्रमिकों की आदतों को खराब कर दिया है। इससे निश्चय ही गांवों में समाज के निर्धनतम तबकों का आत्मविश्वास बढ़ा है, गांवों में उनकी आमदनी बढ़ी है और इससे अब कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि करना हमारे लिये ही आवश्यक हो गया है।

सभी, सदस्यों से मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि एमएसपी में वृद्धि कोई गलत बात नहीं है। कृषि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होना न तो राष्ट्रहित के खिलाफ है और न ही किसानों के हितों के खिलाफ हो.. .*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: हम इसका समर्थन कर रहे हैं।

डॉ. के. एस. राव: मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप इसका समर्थन कर रहे हैं। वे इस पर सहमत हो रहे हैं, जैसा कि उन्होंने पहले नहीं किया। इससे फर्क नहीं पड़ता। यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि विगत छह वर्षों में इस सरकार द्वारा एमएसपी को 530 रु. से बढ़ाकर आज 1120 रु. कर दिया गया जोकि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नहीं किया गया था। फिर भी, मैंने तीन या चार वर्ष पूर्व एक सार्वजनिक मंच से यह घोषणा की थी कि किसानों के लिये ये कीमतें भी पर्याप्त नहीं है। धान की कीमत में तत्काल वृद्धि कर उसे कम-से-कम 1500 रु. कर दिया जाये, हालांकि तब भी यह लाभकारी मूल्य नहीं होगा। एक किसान जिसके एकड़ की कीमत 10 लाख रु. है, उसे इससे 2 प्रतिशत आय भी नहीं हो पा रही है; यह आय तो एक प्रतिशत भी नहीं है। उसे मात्र 10,000 रु. की आय हो रही है। जबकि कार्पोरेट जगत अथवा व्यवसायी 100 प्रतिशत या 200 प्रतिशत लाभ प्रतिवर्ष चाहता है। किसान की आय एक प्रतिशत भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में हमें किसानों के प्रति कितनी सहानुभूति रखनी चाहिये? हमें किसान को कितनी रियायत देनी चाहिये? अत:, यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि मनरेगा ने खराब नहीं किया, बल्कि कुछ सुधार किये जाने की ज़रूरत है। इसे कृषि से जोड़ना होगा और इसे केवल ऐसे समय और ऐसी जगह ही कार्यान्वित किया जाना चाहिये जिस समय समाज के निर्धनतम तबकों के पास कोई काम न हो। यही उनके मन में यह बात है तो मैं इसका समर्थन करता हूं।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधार जिसका माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे थे वह मन का सुधार है। मैं उसकी सराहना करता हूं। किंतु सवाल यह है कि सुधार किसके मन में आना चाहिये। यह सुधार बीजेपी के मन में होना चाहिये। ऐसा किस प्रकार है, मैं अभी सिद्ध करके बताऊंगा। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया मैं इस बात से सहमत हूं कि यूपीए सरकार धन को अमीर से गरीब की ओर, शहरी क्षेत्रों से गांवों की ओर अंतरित करने की दिशा में कार्यरत है किंतु यह कार्य तीव्र गति से किया जाना चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इसे तीव्र गति से किया जाना चाहिये। परिवर्तन तेजी से होना चाहिये। वे और सैकडों वर्षों का इन्तजार नहीं कर सकते। यदि इस कार्य में लंबा वक्त लगा तो गरीब लोग धैर्य खो बैठेंगे। मेरा विनम्र अनुरोध यह है कि यह कार्य तीव्र गति से किया जाना चाहिये।

अब परिवर्तन के दौर की परख की चुनौती की बात आती है। फिलहाल परिवर्तन का दौर है क्योंकि पैसा ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जा रहा है। उनकी उपभोग क्षमता एवं उपभोग संबंधी आदतें बदल रही हैं। कीमतें बढ़ रही हैं, ख़ासकर - खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है। एक समय यह 20 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। अब सरकार 8 प्रतिशत कर सकती है कि जो कि निश्चय ही सरकार की उपलब्धि है। किंतु समस्त विपक्ष एकसुर में एमएसपी पर कीमतों की वृद्धि हेतु सत्ताधारी दल की भर्त्सना करता है क्योंकि एमएसपी के मूल्य में वृद्धि की वजह से खाद्य वस्तुओं की कीमतें कुछ हद तक बढ़ती ही हैं। किंतु मैं उनकी सराहना करता हूं कि यदि वे ये कहें कि कीमतों में वृद्धि होगी, तो इसका समर्थन करते हैं किंतु सरकार में व्याप्त कुछ खामी पर नियंत्रण अवश्य किया जाना चाहिये, जैसा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को अवश्य ही कड़ा बनाया जाये। उन्हें कालाबाजारियों, जमाखोरों और सट्टेबाजों पर कोई दया नहीं दिखानी चाहिये। मैं इसका समर्थन करता हूं। किंतु खाद्य उत्पादों के लिये कीमतों की वृद्धि की आलोचना नहीं की जानी चाहिये। आप खाद्य उत्पादों की कीमतों की वृद्धि हेतु एक तरफ आलोचना कैसे कर सकते हैं तथा दूसरी ओर आप किसानों के समर्थक होने का दावा कैसे कर सकते हैं? मुझे बताइये। आप एक ही समय दोनों ओर किस प्रकार तर्क कर सकते हैं?

महोदय, मुझे इन दोनों बातों के पक्ष में एक ही समय उनके द्वारा दिये गये तर्क में कोई बल नजर नहीं आता। अब मैं अपने मित्र हरिन पाठक की बात पर आता हूं, वे सदन में उपस्थित हैं। वे किसानों, श्रमिकों आम आदमी के बारे में बता रहे थे। वे समस्त चीज़े, जो उन्होंने उठाई हैं अच्छी हैं। किंतु जब गरीबों की बात आती है तो वह कहते हैं कि गरीब आदमी की मदद जरूर की जानी चाहिये। ग्रामीणों की मदद जरूर की जानी चाहिये। वे आम आदमी की क्रय शक्ति के बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं कि सोने पर आयात शुल्क में वृद्धि नहीं होनी चाहिये। मेरी बहन के पास 40 वर्ष की उम्र तक भी सोने का मंगलसूत्र नहीं था उसके पास चालीस बरस तक सोने की चूड़ियां नहीं आ पाई। एक ग्रामीण अपनी चूड़ियों एवं अन्य वस्तुओं के लिये कितना सोना ले सकता है? क्या उसके पास दो लाख रु. की राशि हो सकती है? अब, दो लाख रु. से अधिक के सोने की खरीद पर शुल्क बढ़ गया है। यह दस रुपये या सौ रुपये या हजार रुपये के लिये नहीं है। यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी आम आदमी अथवा गरीब आदमी दो लाख रु. की कीमत का सोना नहीं ले सकता। जब

एक आम आदमी 28 रू० से जीवन यापन कर रहा है तो उनके पास दो लाख रू० की राशि कहां से हो सकती है? बीजेपी और अधिकांश नेताओं को आरंभ से ही इस बात के लिये प्रशिक्षित किया जाता है कि वे व्यापारिक समुदाय और कार्पोरेट क्षेत्र के हितों पर विचार एवं चर्चा करें और उनकी ओर से लड़ें, संघर्ष करें। विशेषकर संप्रग सरकार की नीतियों से ग्रामीण लोगों की बढ़ती उपभोग एवं आय क्षमता के कारण लोगों के दृष्टिकोण में हो रहे परिवर्तन को देखकर, रातोंरात उन्होंने भी कृषक समुदाय और कृषि मजदूरों के बारे में बोलना शुरू कर दिया लेकिन वे सोना एवं व्यापार के बारे में अपनी बात छिपा नहीं सके। वह कहते हैं कि आयकर सीमा 1.8 लाख से 2 लाख रुपये तक बढ़ाई जानी है और वृद्ध लोगों के लिये यह सीमा 5 लाख या 4 लाख हो और अन्य सभी बातें करते हैं। क्या आम आदमी की आय 1.8 लाख है? हमारे देश में कितने लोग आम आदमी हैं? आपने स्वयं बताया कि हमारे देश के 70 प्रतिशत लोग प्रतिदिन 20 रुपये से कम पर रहते हैं। फिर, आपका 1.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये या 3 लाख रुपये किये जाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाना इस बात का संकेत है कि आप आम आदमी के हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इसका अर्थ है कि यह बात अन्तर्विरोधी है। अत: मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि यह जल्दी में दिया गया वक्तव्य है तो अलग बात है। लेकिन यदि आप मानते हैं कि यह आय सीमा 3 लाख रुपये कर दी जाए तथा वे आम आदमी की बात करें तो दोनों बातों में कोई तालमेल नहीं है।

वह यह भी कहते हैं कि बजट संतुलित होना चाहिये और आम आदमी के हित में यह सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये की जानी चाहिये। मैं व्यक्तिगत कारणों से आपकी गलती नहीं निकाल रहा हूं। मैं केवल बता रहा हूं ...*(व्यवधान)*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिकम): उत्तर सोमवार शाम को दिया जाएगा। आप राव से उत्तर प्राप्त करने का प्रयत्न न करें। कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें। समय बहुत कम है।

डॉ. के. एस. राव: अब, मैं बजट की भावना पर आता हूं। मैं इस बात पर खुश हूं कि शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में धन के अन्तरण के मामले में गत छह वर्षों से संप्रग सरकार द्वारा विचार किये जाने की प्रवृत्ति में परिवर्तन आया है लेकिन मेरी दृढ़ राय है कि ऐसा केवल धन आवंटन से नहीं किया जा सकता है। मैं एक बात के बारे में सभा के सभी सदस्यों से एक बार पुन: अनुरोध करूंगा। अनुरोध है कि जब तक ग्रामीण लोगों के कौशल एवं समाज के गरीब तबके की उत्पादन क्षमता में पर्याप्त वृद्धि नहीं की जाएगी तब तक उनके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा और वे अपनी आय में वृद्धि नहीं कर सकेंगे। देश में युद्धस्तर पर किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि गांव में लोगों को कौशल से युक्त बनाया जाए। मैं एक उदाहरण देता हूं। 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग में कार्य करने वालों की संख्या यदि छह हजार मिलियन नहीं तो कम से कम चार हजार मिलियन है। हम जानते हैं कि किसी गांव में एक अकुशल व्यक्ति को 100 रुपये या 200 रुपये से अधिक नहीं मिल रहा है। लेकिन कोई कुशल बढ़ई या कुशल तकनीशियन या कुशल मिस्त्री किसी भी कार्य के लिये 600 रुपये से कम में नहीं मिलेगा। यह प्रतिमाह 15000 रुपये बैठता है। क्या यह वेतन नहीं है? क्या यह आय नहीं है? गांवों में आम लोगों को कुशल बनाकर हम उनकी अर्जन दर 200 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर रहे हैं। ऐसा करके गांवों में कार्य करने वाले चार हजार से छह हजार मिलियन लोगों की अर्जन क्षमता बढ़ाये जाने से इस देश का सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष में 40 लाख करोड़ रुपये बढ़ सकता है। वर्तमान में चालू-मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद 82 लाख करोड़ रुपये है। इसका अर्थ है कि यहां 50 प्रतिशत की वृद्धि है। लेकिन हम इसमें नहीं पड़ने जा रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री से मेरा विनम्र अनुरोध है कि ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में विशेषकर समाज के गरीब तबकों के लोगों की कुशलता में सुधार किये जाने पर अपना ध्यान केन्द्रित करें। इसके लिये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से अधिक धन की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिये अन्य किसी भी कार्य से अधिक धन की आवश्यकता नहीं है। समाज के गरीब तबकों या मध्य वर्ग या निम्न मध्य वर्ग को जीवन धारा में आने, अपनी जीवन शैली में सुधार करने या अपनी आय में वृद्धि करने या अपने परिवार के भविष्य में परिवर्तन लाने का एकमात्र साधन शिक्षा है।

मुझे खुशी है कि गत कुछ वर्षों में संप्रग सरकार ने शिक्षा मद के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि की है। आज, एस.एस.ए. के लिये ही उन्होंने 25,255 करोड़ रुपये दिये हैं। इसी प्रकार उन्होंने बाल विकास का या आईसीडीएस कार्यक्रम के लिये आवंटन में भी वृद्धि की है। उन्होंने आवंटन 10,000 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 15850 करोड़ रुपये कर दिया है। इसका अर्थ है कि इसमें 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जैसा कि आपने कहा किसानों को केवल बढ़ी हुई दर ही नहीं दी जा रही है बल्कि माननीय मंत्री ने इसे घटाकर सात प्रतिशत से चार प्रतिशत कर दिया है जो निश्चय ही प्रशंसनीय है। लेकिन मेरा कहना है कि कृषक समुदायों या स्वसहायता समूहों या समाज के गरीब तबकों को दिये जा रहे ऋण पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा। यदि मेरी संपत्ति की लागत एक लाख रुपये है तथा बाजार में देने पर मुझे 18 प्रतिशत का ब्याज मिलता है तो प्रत्येक वर्ष 18 प्रतिशत की वृद्धि होगी। यदि किसी देश में ब्याज दरें 14 प्रतिशत से अधिक हैं तो हम 14 प्रतिशत से कम वृद्धि की आशा कैसे कर सकते हैं? हमें कहना चाहिये कि ब्याज दर या जमा 14 प्रतिशत है। जैसे हम माने कि मैं किसी बैंक से एक लाख

रुपये जमा करता हूं और उस पर मुझे 14 प्रतिशत ब्याज मिलता है। लेकिन बाजार दर उससे अधिक है। इस प्रकार बैंक में जमा करने से मुझे हानि होती है। फिर हम सरकार को कैसे दोष दे सकते हैं? इसका समाधान है कि हम बैंकिंग प्रणाली में ब्याज दरों को कम करें। हम अपनी मुद्रास्फीति की तुलना सदैव अन्य देशों से करते हैं। हम कहते हैं कि यहां मुद्रास्फीति 14 प्रतिशत है और कहीं यह आठ प्रतिशत है या कुछ देशों में यह कम भी है। लेकिन वे अमरीका में जमा पर एक प्रतिशत भी ब्याज नहीं प्राप्त कर रहे हैं। हम केवल कुछ चुनिन्दा बातों की तुलना नहीं कर सकते हैं। हमें क्रय शक्ति और वहां मौजूद स्थिति की तुलना करनी है।

अत:, एक बार पुन:, मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि ब्याज दरों को घटाने की मांग का समर्थन करें। मुद्रास्फीति कम करने के लिये ब्याज दरों में वृद्धि करना कोई समाधान नहीं है। गत छह महीने या एक साल में भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में 3.75 प्रतिशत की वृद्धि की थी तथा वे ऐसा करके बाजार में धन के परिचालन को नियंत्रित करना चाहते थे। लेकिन इससे विनिर्माण क्षेत्र प्रभावित होता है। अत: समाधान यह नहीं है। यदि मुझे करोड़पति बनना हो तथा यदि मेरे 10 लाख रुपये पर 14 प्रतिशत ब्याज दर मिले तो अगले वर्ष मेरा धन 10,14,000 रुपये हो जाता है, फिर मुझे कार्य करने की क्या जरूरत है! मेरे धन से ही धन अर्जित होगा।

मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि उच्च ब्याज दरों के कारण मनुष्य के श्रम का उचित मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। यदि यह नीचे आ जाता है तो प्रत्येक मुनष्य के लिये देश के प्रत्येक नागरिक के लिये आवश्यक होगा कि वह कठिन परिश्रम करे, अपने कौशल में सुधार करे, अपनी अर्जन क्षमता में सुधार करे, अपनी उत्पादन क्षमता में सुधार करे और फिर इस देश का एक अच्छा नागरिक बने। ऐसा नहीं किया जा रहा है।

सरकार ने अनेक अच्छे कार्य किये हैं जैसे पीएमजीएसवाई जो पूर्ववर्ती सरकार द्वारा शुरू की गई थी, को 24,000 करोड़ रुपये देना। जब हम गांवों में जाते हैं तो लोग पहली मांग करते हैं कि उनके गांव की सड़क जो वर्षा के दिनों में उपयोग लायक नहीं रहती है, को पक्का कर दिया जाए और उसे मुख्य सड़क के नेटवर्क से जोड़ दिया जाए। यह अच्छी योजना है। हम इसका समर्थन करते हैं।

इसी तरह, बच्चों की देखभाल के लिए पोषण हेतु 11937 करोड़ रुपये दिए गए हैं। समाज के गरीब तबके को उचित पोषण नहीं मिल पा रहा है।

उपयुक्त आधारभूत ढांचे के अभाव में कोई भी देश समृद्ध नहीं बन सकता, चाहे वो सड़के हों, बंदरगाह हो या अन्य कोई चीज हो मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री जी ने आधारभूत ढांचे के लिए न केवल 50 लाख रुपये दिए हैं बल्कि पी.पी.पी. के अन्तर्गत आधारभूत ढांचे में विद्युत, समुद्री पत्तनों और विमान पत्तनों के अलावा बांधों को भी शामिल किया है, अब, कोई भी राज्य यह नहीं कह सकता कि निधियों की कमी के कारण वे बांधों का निर्माण करने में सक्षम नहीं हैं जिनसे 10,000 एकड़ से 10 लाख एकड़ की भूमि के बीच सिंचाई की जा सकती है। वे यह नहीं कह सकते कि उनके पास पर्याप्त धन नहीं है क्योंकि सरकारी निजी सहभागिता के जरिए परियोजनाएं तुरंत शुरू की जा सकती हैं और लाखों एकड़ भूमि कृषि के अंतर्गत लाई जा सकती है। मैं माननीय वित्त मंत्री से रेलवे को भी आधारभूत ढांचे में शामिल करने के लिए अनुरोध करूंगा।

कल माननीय रेल मंत्री कह रहे थे कि देश में रेलवे लाइनों को हमारी संतुष्टि तक सुधारने की अनुमानित लागत 14.6 लाख करोड़ रुपये है, किंतु उनके पास इतना धन नहीं है। आन्ध्र प्रदेश में कोबुरु-भद्रचालम लाइन है जिससे 27 प्रतिशत की दर से लाभ मिलेगा, किंतु कई दशकों से इस लाइन की शुरूआत नहीं की गई है। वहीं ऐसी रेलवे लाइनें भी शुरू की जाती हैं जिनसे 1 प्रतिशत की दर से भी लाभ नहीं मिलता। मैं समझ सकता हूं कि वे सामाजिक रूप से अविकसित क्षेत्रों में रेलवे लाइनें बिछा रहे हैं जो 1 प्रतिशत की दर से भी लाभ नहीं देती हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। किंतु, जब उन्हें अन्य लाइनों में से चुनना होता है, तो सर्वप्रथम उन्हें वे रेलवे लाइन चुननी होती हैं जो उच्च दर से लाभ देती हैं। और कोवुरु-भद्राचालम लाइन की लाभ की दर 27 प्रतिशत है। पिछले दिनों पूर्व रेल मंत्री आंध्र प्रदेश गए थे और राज्य के मुख्यमंत्री को बताया था कि अगर राज्य 50 प्रतिशत धन देने को तैयार है तो रेलवे भी 50 प्रतिशत धन होगा। मुख्यमंत्री ने 50 प्रतिशत धन देने की सहमति दे दी थी। अब सरकार तुरंत इस परियोजना का आरंभ करे।

अगर माननीय मंत्री आधारभूत ढांचे में रेलवे को भी शामिल कर लें – संभाव्य सिंचाई, बांधो, नहरों, तटबांधों इत्यादि के अलावा तो समाज के गरीब तबके के लिए देश के प्रत्येक कोने-कोने को रेलवे द्वारा जोड़ा जा सकता है जो कि आम आदमी के लिए यातायात का साधन है। आम आदमी के जीवन में रेलवे एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। मुझे शर्म महसूस हुई कि एक देश जिसके पास स्वतंत्रता के समय 63,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन थी, स्वतंत्रता के बाद केवल दो से तीन हजार किलोमीटर रेलवे लाइन ही जोड़ सका। चीन, जो पहले हमसे पीछे था, अब हमसे आगे निकल चुका है।

हम कहां चूक रहे हैं? क्या हमारे पास बुद्धिमता की कमी है? क्या हम कम मेहनती हैं? फिर क्या है जिसमें हम चूक रहे हैं? सही उत्साह की जरूरत है और सही कौशल की जरूरत है। अगर सरकार ने लोगों को उत्साहित किया होता और कौशल भी प्रदान किया होता, तो देश में प्रत्येक समस्या को सुलझाया जा सकता है। यह मात्र चर्चा

के द्वारा या भाषणों के द्वारा या कुछ इसी तरह का करने से नहीं किया जा सकता। मेरा उनसे अनुरोध है कि प्रतिभा विकास के लिए अधिक प्रावधान किया जाना चाहिए। प्रतिभा विकास के लिए, प्रावधान पर्याप्त नहीं है। मैंने राष्ट्रपति के भाषण में पढ़ा कि 13,000 करोड़ रुपये इसके लिए आबंटित हुए हैं, किंतु बजट में मुझे यह नहीं मिला। मैं गलत हो सकता हूं। किंतु मेरी उनसे विनती होगी कि गांवों के लोगों में प्रतिभा विकास के लिए कम से कम 13,000 करोड़ रुपये प्रदान करें।

आज हमने शिक्षा के लिए आबंटन बढ़ा दिया है। हम खुश हैं। किन्तु 10 वर्ष के बाद किस प्रकार के लोग तैयार होंगे? क्या वे इण्टरमीडिएट, बी०ए०, एम०ए०, एम०एस०सी० होंगे, जिनमें कोई उत्पादनकारी क्षमता नहीं होती? तब बेरोजगारी की दर क्या होगी? ऐसे तो देश में अव्यवस्था फैल जाएगी? सभी निवेश जो हम शिक्षा पर कर रहे हैं, प्रतिभा विकास और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर होने चाहिए। व्यावसायिक पाठ्यक्रम 7वीं और 8वीं कक्षा से आरम्भ होने चाहिए। जैसे ही एक लड़का 12वीं कक्षा में आता है, उसमें यह आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं धन पैदा कर सकता हूं और मैं उपयोगी वस्तु का निर्माण कर सकता हूं और मैं स्वयं अपना निर्वाह कर सकता हूं, मैं अपने माता या पिता पर आश्रित नहीं रहूंगा; मैं समाज पर आश्रित नहीं रहूंगा; मैं रोजगार के लिए सरकार की ओर नहीं देखूंगा; मैं अपना निर्वाह कर सकता हूं। मेरी प्रतिभा देखने के बाद उद्योग को मेरी सेवाएं चाहिएं, तो वे आएं और मुझे भर्ती करें। एक नागरिक के पास इस तरह का आत्मविश्वास होना चाहिए। यह तभी संभव है जब आबंटन ज्यादा हो और हमारे पास फैकल्टी भी हो।

कुछ सरकारें बी०एस०सी० उम्मीदवारों को अध्यापकों के रूप में भर्ती कर रही हैं। वे किस प्रकार के अध्यापक हैं? यहां तक कि वे अपना मुंह तक नहीं खोल सकते। वे नहीं जानते कि पढ़ाया कैसे जाता है। उनके पास किसी देश के लिए जरूरी कोचिंग अथवा प्रशिक्षण नहीं है। यह मात्र नाम के लिए है। मात्र रोजगार देने से किसी देश की सहायता नहीं मिल सकती है। रोजगार का स्वरूप उत्पादनकारी होना चाहिए। एक अध्यापक को भी इस ढंग से पढ़ाने में सक्षम होना चाहिए जिसमें विद्यार्थी ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ बड़े हों। इसलिए, मैं सरकार से चाहता हूं कि वह प्रत्येक संस्था में ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण केन्द्र, फैकल्टी इत्यादि आरंभ करने पर ध्यान दें। तभी हम इस देश में न्याय कर पायेंगे।

सबसे महत्वपूर्ण, अगर पश्चिमी जर्मनी, अमेरिका या कोरिया विकास के इस स्तर पर पहुंचे हैं, तो यह आर. एण्ड डी. के कारण ही संभव हुआ है। मुझे खुशी है कि सरकार ने आर. एण्ड डी. के महत्व को महसूस किया है और इस क्षेत्र के आबंटन को जी.डी.पी. के 0.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 1 प्रतिशत करना चाहती है। मैं चाहता हूं यह कार्य शीघ्र किया जाए। इस देश में 7,000 अथवा 17,000 पी.एच.डी. है, किंतु वे वास्तविक पी.एच.डी. नहीं है। नवीन विचारों के साथ प्रतिस्पर्द्धी व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना चाहिए; इसके लिए राजनीति, अथवा अन्य किसी विचारधारा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो बहुत से लोग अकादमी पेशे या अनुसंधान के क्षेत्र में जाएंगे। आज, किसी की भी फैकल्टी लेने में रूचि नहीं है; किसी की भी आर. एण्ड डी. में जाने की रूचि नहीं है। उन्हें लगता है कि वे आर. एण्ड डी. की अपेक्षा अन्य कामों में ज्यादा धन अर्जित कर सकते हैं।

अत:, मेरी वित्त मंत्री से विनम्र विनती है कि, यद्यपि उन्होंने आर. एण्ड डी. के लिए आबंटन बढ़ा दिया है, सरकार ने आर. एण्ड डी. के महत्व को समझा है, आबंटन में भारी वृद्धि की जाए और साथ ही साथ, इस उद्देश्य के लिए फैकल्टी में लोगों के प्रशिक्षण में भी बड़ी वृद्धि करनी चाहिए। हम केवल तभी, वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम पाएंगे। हमें उत्पादन लागत को नीचे लाना चाहिए। यह तभी नीचे आ सकती है जब आर. एण्ड डी. पर जोर दिया जाए और नागरिकों की कौशल वृद्धि पर जोर दिया जाए।

मैं प्रशंसा करता हूं कि वैश्विक मंदी के बावजूद, अधिकांश विकसित देशों में मंदी के बावजूद, भारत अपनी गति को बनाए रखने में सफल रहा है।

यू. के. में जी.डी.पी. 0.7 प्रतिशत था, अमेरिका में यह 1.7 प्रतिशत था, इटली में यह 0.5 प्रतिशत था, इसके बावजूद भी माननीय वित्त मंत्री हमारे देश की जी.डी.पी. 6.9 प्रतिशत पर रख सके, यद्यपि यह उनकी 8.4 प्रतिशत की उम्मीदों से भी कम थी जो उन्होंने पिछले दो वर्षों से बनाए रखी थी। 21वीं सदी की महाशक्ति माने जाने वाले चीन की जी.डी.पी. भी केवल आठ प्रतिशत थी। हमें इस पर गर्व होता है, किंतु मैं यह कहूंगा कि यह 8 प्रतिशत जी.डी.पी. सेवा क्षेत्र की बजाय विनिर्माण क्षेत्र के कारण अधिक हुई है। सरकार अधिक विकास चाहती है जो मुझे लगता है कृषि क्षेत्र में सुधार के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो देश में लोगों को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। यदि ग्रामीण लोगों को कौशल प्रदान किया जाता है तो स्वत: ही कुछ समय बाद वे शहरी क्षेत्र में उद्योगों की ओर हस्तांतरित हो जाएंगे और तब कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या कम हो जाएगी। मैं आशा करता हूं कि यह हस्तांतरण आज की अपेक्षा तीव्र गति से होना चाहिए। इस देश के लोगों को कौशल प्रदान करके ही यह संभव हो सकता है।

यद्यपि मेरी कुछ और समय लेने की इच्छा है, मुझे लगता है आप धैर्य खो चुके हैं। मैं आज अपने साथियों को प्राप्त बोलने के

विशेषाधिकार से भी वंचित नहीं रखना चाहूंगा। इसलिए, मैं बजट की प्रशंसा करता हूं न केवल कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में अपितु एक सच्चे नागरिक के रूप में भी। मैं यह जरूर कहूंगा कि विश्व परिदृश्य की वर्तमान परिस्थितियों में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। बजट के उपबन्ध ग्रामीण लोगों, गरीब तबकों और किसानों के हित में है। गांवों में कृषि समुदायों से सम्बन्धित गरीब तबको की जीवन शैली को बदलने के लिए माननीय वित्त मंत्री को तुरंत निर्णय लेना चाहिए।

[हिन्दी]

***श्री राधा मोहन सिंह** (पूर्वी चम्पारण): यूपीए सरकार का यह नौवां बजट है। वित्त मंत्री जी इन दिनों कई मोर्चो पर कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, किंतु बजट देखने से ऐसा लगता है, कि चुनौतियों का सामना बहादुरी के साथ न करके उन्होंने समर्पण कर दिया है। माननीय वित्त मंत्री जी आर्थिक संकट में इस तूफान से बेअसर दिख रहे हैं। यह बजट आर्थिक सुधारों के संदर्भ में पूरी तरह खामोश है। 2010-11 में हमारी विकास दर व्यापक आधार वाली रही है, ऐसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था, अब 12 महीने के भीतर ही स्पष्ट हो रहा है कि उनके सारे दावे खोखले थे।

महोदय, मनरेगा, एनआरएचएम, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और इन प्रकार की अनेक योजनाओं में भ्रष्टाचार जग जाहिर है। आजादी के बाद सरकारों से उम्मीद थी कि कम से कम अब देश में गरीबों की चिंता होगी। गरीब कौन है, अमीर कौन है, इसकी भी पहचान कर हमरी सरकार गरीबों के उत्थान की चिंता करेगी, लेकिन 21वीं सदी के पहले दशक में भी सरकारी अनुमान से हर समझदार आदमी चकरा जाएगा। आज जब यह कहा जा रहा है कि शहरों में 28 रुपया और गांवों में 22 रुपया प्रति दिन खर्च करने वालों को गरीबी की रेखा से ऊपर माने तो देश चौंक गया है, अध्यक्ष महोदय इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में कहा था कि शहरों में 32 रुपये और गांवों में 26 रुपये की कमाई करने वाले लोगों को हम गरीबी की रेखा से ऊपर माने तो बेहतर होगा, आखिर हम क्या कर रहे हैं, सरकार अगर समाज के सामने सच बोले तो कड़वा से कड़वा सच भी समाज स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है, किंतु जब सफेद झूठ बोलता है तो यह समाज किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हालत यह है कि आज देश में गरीबी को लेकर पांच तरह के अनुमान चल रहे हैं, योजना आयोग ने ही दो अनुमान दिए हैं, जिनके अनुसार 21.8 प्रतिशत और 27.5 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जबकि इसी सरकार की बनाई अर्जुन सेना गुप्ता समिति ने यह सिद्ध किया है कि 78 प्रतिशत लोगों की क्रय शक्ति 20 रुपये से भी कम है। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत में उदारीकरण के बीस साल बावजूद भी 42 प्रतिशत लोग अत्यंत निर्धन है, जबकि सुरेश तेंदुलकर कमिटी ने इसे 37 प्रतिशत बताया है। सरकार जिस रास्ते पर चल रही है, उससे गरीबी घट रही है। आंकड़ों की उलटफेर में सरकार द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि सरकार के इन आंकड़ों से गरीबी घट रही है। इन आंकड़ों के आधार पर सरकार यह बताना चाहती है, कि पिछले पांच सात वर्षो में 8 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए, यदि सचमुच ऐसा हुआ रहता तो सबको दिखाई पड़ता, किंतु एक बात तो सबको दिखाई पड़ रहा है कि लगभग 50 लाख लोग बिहार में गरीबी की रेखा के नीचे और चले गए हैं। यह भी दिखाई पड़ रहा है कि उन सभी इलाकों में गरीबी फैल रही है जिसे लाल पट्टी कहा जा रहा है। आंध्र प्रदेश के तटीय गांवों से लेकर भारत-नेपाल सीमा के ग्रामीणों के बीच गरीबी का विस्तार हो रहा है। गरीबी यदि सचमुच घटती तो माओवाद का असर भी घट जाता।

आज जब गरीबी के सवाल चौतरफा उठ रहे हैं, योजना आयोग का यह दावा हास्यास्पद है कि मौजूदा आर्थिक नीतियों के कारण गरीबी घटी है। ये दावे आज ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में भी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के जरिए गरीबी हटाने के दावे किए गए थे बैंक कर्ज दे रहे थे, लेकिन वह बिचौलियों की जेबों में जा रहा था। परिणामस्वरूप गरीबी हटने की बजाए भ्रष्टाचार के खिलाफ 1974-75 में गुजरात से लेकर बिहार तक सरकार को जन विस्फाट का सामना करना पड़ा। ये आंकड़ेबाजियां महज छलावा के लिए हैं।

तटस्थ अर्थशास्त्रियों के मुताबिक 15 वर्षों में प्रतिदिन 2400 कैलोरी से कम आहार लेने वालों की ग्रामीण भारत में तादाद 74 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में ही 87 प्रतिशत हो गई थी। ये आंकड़े बच्चों व महिलाओं में कुपोषण की भी कहानी कहते हैं जिस पर प्रधानमंत्री को भी कहना पड़ा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोषणग्रस्त लोगों का राष्ट्र हो गया है। यही स्थिति बुनियादी सुविधाओं की है। 40 प्रतिशत से अधिक लोगों में पीने का पानी या पक्की छत नहीं है।

सरकार ने राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए आम लोगों पर बोझ डालने का काम किया है। सरकार ने प्रत्यक्ष कर में तो राहत दी है जिससे साधन संपन्न लोगों को फायदा मिलेगा लेकिन अप्रत्यक्ष कर में तकरीबन 45 हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी से गरीब जनता पर सीधे-सीधे भारी बोझ पड़ेगा, कुल मिलाकर यह बजट गरीबों की गरीबी और अमीरों की अमीरी बढ़ाने वाला है।

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति जी, मैं यहां से बोलने की इजाजत मांगता हूं।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः ठीक है।

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबेः सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं वित्त मंत्री जी को झारखण्ड और खासकर गोड्डा की जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उस बैकवर्ड रीजन के बारे में ध्यान दिया। पहली बार किसी वित्त मंत्री ने उसके लिए सोचा, मैगा क्लस्टर दिया। इसके लिए मैं दादा को जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं।

यह बात सही है कि वित्त मंत्री जी सोचते हैं। जैसे मैं एक गांव का लड़का हूं, पैदल चला हूं, दादा भी उसी तरह से गांव से आये हैं। माननीय जसवन्त सिंह जी इन बातों को कह रहे थे, ठीक उसी तरह की बातें इस बजट में मैं देखने का प्रयास कर रहा था, लेकिन या तो मुझे जानकारी नहीं है या जसवन्त सिंह जी जो कह रहे थे कि यह बजट कहीं न कहीं बेलैंस करता हुआ डायरैक्शनलैस नजर आ रहा है और उसमें बहुत जयादा मनरेगा, हैल्थ, सब्सिडी, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, मैं केवल दो-तीन बिन्दुओं पर जाना चाहता हूं। मैं बात नहीं करना चाहता कि यू.आई.डी. में दादा ने क्या किया। दादा बार-बार हम लोगों को सिखाते रहते हैं कि यह पार्लियामेंट की जो ताकत है, वह सबसे बड़ी है, इस पार्लियामेंट का जो डिसीजन है, वह सबसे बड़ा है। यू.आई.डी. में स्टेंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट को रिजैक्ट कर दिया है, उसके बावजूद भी इन्होंने यू.आई.डी. में पैसा दिया है। वे किस आधार पर पैसा दे रहे हैं, यह दादा ज्यादा बता सकते हैं।

मैं एन.पी.ए. जो हो रहा है, जो इण्टरैस्ट रेट बढ़ रहा है और जिस तरह से माननीय जसवन्त सिंह जी ने कहा कि देश के लोग भाग रहे हैं, यहां इन्वैस्टमेंट नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन ले रहा है, दादा रिट्रोस्पैक्टिवली कानून बदल रहे हैं, यह किस कारण से कर रहे हैं, इस कारण से क्या माहौल हो रहा है, उस पर मैं बहुत ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, लेकिन जो फ्यूल, फर्टीलाइजर और फूड, ये जो तीन 'एफ' हैं, इनकी सब्सिडी के बारे में चूंकि दादा ने जिक्र किया है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि इस पूरे बजट में जहां सबसे बड़ी चूक हुई है, टूरिज्म सैक्टर के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला गया और मुझे लगता है कि वह कहीं न कहीं मिस हो गया है, क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन की यह ड्राफ्ट रिपोर्ट है, वह ड्राफ्ट रिपोर्ट यह कहती है:

[अनुवाद]

"विश्व भ्रमण और पर्यटन उद्योग विश्व आर्थिक गतिविधियों का 7,340 अरब अमेरिकी डॉलर माना जाता है और इसकी 2019 तक 14,832 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है।"

[हिन्दी]

इतना बड़ा स्टेट है और उसी में यह ड्राफ्ट रिपोर्ट कहती है कि एक परसेंट जो यहां के लोगों का एम्पलायमेंट है, जॉब है, वह टूरिज्म इण्डस्ट्री देगी। मैं जहां से आता हूं वह टूरिज्म का बहुत बड़ा हब है। 4 से 5 करोड़ लोग हमारे यहां जाते हैं। उसके लिए एक सर्किट बनाने की बात हुई थी, इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हुई थी, एयरपोर्ट बनाने की बात हुई थी, रोड बनाने की बात हुई थी, रेल बनाने की बात हुई थी, स्किल डेवलपेंट की बात हुई थी, यह कितना बड़ा मिस है, इसके बारे में दादा यदि सुधार करें, तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा।

[अनुवाद]

दूसरा, मेरा जो मेन कंसर्न है कि पहले के जमाने में कहीं कोई बम फट जाता था, तो कहते थे कि यह आईएसआई का काम है। यह वर्षों तक चलता रहा, चालीस साल, पचास साल तक चलता रहा। वैसे होम मिनस्टर उसके बारे में अलग व्यूज रखते हैं कि कोई हरा टेररिज्म हो गया, कोई नीला टेररिज्म हो गया, कोई रेड टेररिज्म हो गया, कोई सैफरन टेररिज्म हो गया, लेकिन अभी जितना भी क्राइसिस है, सबकी जड़ में यूरो जोन दिखायी देता है। दादा की जो बजट स्पीच है और जो इकॉनामिक सर्वे है, इकॉनामिक सर्वे ने कहा कि यद्यपि यूरो जोन यूरोपीय संघ से भिन्न है फिर भी यह इसका एक बड़ा उपखंड (सबसेट) है। यूरो जोन और यूरोपीय संघ विश्व जी.डी.पी. का क्रमशः 19 और 25 प्रतिशत बनता है। यूरोपीय संघ भारत का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है जिससे भारत का 20 प्रतिशत निर्यात होता है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आई.एम.एफ. की संभावना है कि 2012 में यूरो जोन एक मध्यम मंदी से गुजर सकता है। उसी के आधार पर दादा अपने बजट भाषण में कहते हैं, पहली ही लाइन उनकी शुरू होती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह वर्ष रिकवरी का था जब एक वर्ष पहले मैं बजट प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ था, कई चुनौतियों के कारण बाधित हुआ। आशा की पहली झलक में बजट प्रस्तुत किया गया था। किंतु वास्तविकता कुछ और ही। यूरो जोन में परम ऋण संकट बढ़ गया, मध्य पूर्व में राजनीतिक उथल-पुथल ने चारों तरफ अनिश्चतता फैला दी। कच्चे तेल की कीमतें इत्यादि। अब मैं यूरोपियन कामर्शियल बैंक की जो रिपोर्ट है, उसको मैं कोट करना चाहूंगा। यूरो जोन क्राइसिस में जो मार्च, 2012 की ईसीबी की रिपोर्ट है, वह रिपोर्ट क्या कह रही है? वह यह कहती है कि वित्तीय बाजार की स्थितियों को सुधारने के वातावरण में, विश्व आर्थिक गतिविधियों में सर्वेक्षण सूचक स्थिरीकरण के चिन्ह को सुनिश्चित करते हैं। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में संरचनात्मक बाधाओं द्वारा विकास नम पड़ गया है जबकि उभरते

हुए बाजारों में यह ठोस रहता है। बीते महीनों से विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति गतिशीलता अपेक्षाकृत अंतर्विष्ट हुई है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति दर बहुत बाद में नीचे गिरी है, जबकि मुद्रास्फीति दबाव बना हुआ है।

[हिन्दी]

वह कहा रहा कि रिकवरी हो रही है और जब रिकवरी हो रही है तो 9 परसेंट ग्रोथ की जो बात कह रहे हैं, जो प्लानिंग कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट कह रही है, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं और उसमें यूरो जोन का क्राइसिस आइएसआई की तरह क्यों दिखायी देता है? ईसीबी की रिपोर्ट में हम कहां खड़े हैं, अमेरिका कहां खड़ा है, यूके कहां खड़ा हैं, मैं उसी की रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं। वह यूएस के बारे में यह कहता है कि संयुक्त राज्य में आर्थिक गतिविधियां धीरे-धीरे गति ले रही है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह ईसीबी की रिपोर्ट कह रही है। वह यह कह रहा है, जैसा अभी के.एस. राव साहब बोल रहे थे, वह कह रहा है कि वर्ष 2011 की चौथी तिमाही में वार्षिक आधार पर वास्तविक जी.डी.पी. 3 प्रतिशत तक बढ़ी है। यह बात अमेरिका के बारे में ईसीबी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। इसके बाद जापान जिसके बारे में कहा गया कि जापान में सुनामी आ गया, जापान में क्राइसिस आ गया, इसके कारण हिन्दुस्तान की हालत खराब है। यह क्या कह रहा है?

[अनुवाद]

जहां तक कीमत वृद्धि का सवाल है, खाद्य की कीमतों में अंशत: वृद्धि के कारण वार्षिक शीर्षक सी.पी.आई. मुद्रास्फीति पिछले महीने में - 0.2 प्रतिशत से जनवरी 2012 में 0.1 प्रतिशत रही। वह यह नहीं कह रहा है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के कारण हो रहा है। जापान की इकॉनामी के बारे में ईसीबी की रिपोर्ट यह कह रही है। यूके के बारे में क्या कहती है? यूके के बारे में कह रही है कि यूनाइटेड किंगडम में, आर्थिक गतिविधियां नीचे जाती प्रतीत हो रही है। 2011 की चौथी तिमाही में वास्तविक जी.डी.पी. 0.2 प्रतिशत तक गिरा; तिमाही दर तिमाही, किंतु नवम्बर 2011 से मासिक आंकड़े सामान्य रूप से अनुकूल रहे हैं। यह ईसीबी की रिपोर्ट कह रही है।

सभापति महोदय (डॉ. एम. थम्बीदुराई): पहले, 7.00 बजे होना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री के अनुरोध पर अगर सभा सहमत होती है तो हम इस चर्चा को 8.00 बजे तक बढ़ा सकते हैं? उसके बाद शून्य काल होगा।

कई माननीय सदस्यगण: ठीक है।

सांय: 7.00 बजे

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): ईयू मेम्बर्स की बात को ही लीजिए। डेनमार्क और स्वीडन के बारे में ईसीबी की रिपोर्ट जरूर कहती है कि परेशानी हो रही है लेकिन वह कहती है कि

[अनुवाद]

"तुर्की में आर्थिक गतिविधि वास्तविक जी.डी.पी. के साथ प्रतिवर्ष 8.2 प्रतिशत की वृद्धि से मजबूत बनी रही।"

[हिन्दी]

इसके बाद यह कहता है कि तुर्की, रूस एवं अन्य इस तरह के जितने कंट्रीज हैं उसमें हमारी इकोनॉमी रॉबस्ट हो रही है। वह एशिया के बारे में जो प्रेडिक्शन करता है वह सबसे महत्वपूर्ण है। वह कहता है कि

[अनुवाद]

"विश्व आर्थिक स्थितियों की खराब हालत के बाजवूद भी उभरते हुए एशिया में 2011 की चौथी तिमाही में आर्थिक विकास अच्छी तरह बना रहा। वैश्विक मांग में आई गिरावट के कारण अंशत: 2011 की अंतिम तिमाही में निर्यात वृद्धि महत्वपूर्ण रूप से कम रही, जबकि घरेलू मौद्रिक नीतियों के सरल होने से पिछड़े प्रभावों और पूंजी प्रवाह की बढ़ी हुई सक्रियता के परिणामस्वरूप निवेश कमजोर हो गया। किंतु चीन में पिछले महीनों में आर्थिक विकास चल रहा है।"

वह इंडिया के बारे में कहता है कि

"भारत में 2011 की चौथी तिमाही में वास्तविक जी.डी.पी. वृद्धि में 6.7 प्रतिशत से 6.3 प्रतिशत की आंशिक कमी आई है।"

[हिन्दी]

उसमें वह कह रहा है कि यह क्यों ड्राप हो रहा है? यह मैन्यूफैकचरर प्रोडक्ट्स एण्ड कमोडीटिज के बारे में डिक्लाइन के कारण ड्राप हो रहा है। मन्यूफैक्चरर ग्रोथ या इन्वेस्टमेंट क्यों डीक्रिज हो रहा है? डिक्रिज इसलिए हो रहा है कि हमारा एनपीए बढ़ रहा है, हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे है। उसके लिए जो पॉलिसी है मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक रूलिंग दे दी, इन्वेस्टमेंट को जो मैंने अपने यहां से स्टार्ट किया कि आप इन्वेस्टमेंट को कैसे रोक कर रहे

हैं? यदि किसी अखबार में छप जाता है कि साढ़े दस करोड़ का स्कैम हुआ तो अभी आपने खुद ही कहा है कि सीएजी ने कहा है कि इस तरह का कोई स्कैम नहीं है। उसी तरह मान लीजिए कि किसी एक कंपनी के कारण आपको परेशानी हो रही है लेकिन यदि आप रेट्रोस्पेक्टिव बदलेंगे तो लोगों को क्या लगेगा? लोगों को लगेगा कि वर्ल्ड मार्केट में लगेगा कि या तो सरकार पॉलिसी बदल देगी, नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट पॉलिसी बदल देगी या तो पार्लियामेंट पॉलिसी बदल देगी। जब पॉलिसी बदल देगी तो हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें? सबसे पहला सवाल यह है कि इसतरह का जो टर्मोइल वाला माहौल है उमसें जो माननीय जसवंत सिंह जी जो कह रहे थे वह बहुत सही है। इसके बाद मैं आपको आईएमएफ की रिपोर्ट कोट करना चाहूंगा। आईएमएफ कंट्री के बारे में क्या कह रहा है? आईएमएफ यूएस के बारे में कह रहा है:

[अनुवाद]

"उच्च पदार्थ कीमत के आधार पर निजी अंतिम मांग द्वारा आर्थिक स्थितियों को सुगम बनाते हुए संयुक्त राज्य अर्थव्यवस्था उभर रही है।"

इसके बावजूद भी यूएस बढ़ रहा है। इसी तरह से वह दूसरे देशों के बारे में कह रहा है:

"यूरोप में मंद और असंतुलित रिकवरी का मार्ग प्रशस्त है। यूरोप में रिकवरी शालीनता से बढ़ रही है। क्षेत्र में समस्त वास्तविक गतिविधि संभाव्य स्तर से नीचे रहती है और अभी भी बेरोजगारी उच्च है। पिछली तिमाही के दौरान यूरो क्षेत्र के बाहर देशों में आई नवीकृत आर्थिक गड़बड़ियों के बावजूद यूरोप में रिकवरी का कर्षण हो रहा है।

[हिन्दी]

जब आईएमएफ की रिपोर्ट कह रही है, ईसीबी की रिपोर्ट कह रही है तो यूरो जोन क्राइसिस का आईएसआई की तरह हम लोगों को जो डर बिठाया जा रहा है, यह कहां है? इसके बारे में देश को बताया जाए तो ज्यादा सुविधा होगी।

पिछली बार हमने एफडीआई के बारे में कॉलिंग अटेन्शन डाला था और आपने कॉलिंग अटेन्शन में कहा था कि इस तरह का नहीं होगा। में गीतांजलि का एक लाइन कोट करना चाहता हूं जो माननीय रवीन्द्र टैगोर साहब ने कहा है। वह शांति निकेतन बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा था:

"जगतेआनंद यज्ञे आमार निमंत्रण
धन्य हल धन्य हम आमार जीवन"

पूरे दुनिया के मानव जीवन को आनंदित करने के लिए हमारे यह जीवन बना है। मनुष्य जीवन एक बार मिलता है। हम यदि मनुष्य के बारे में सोचे तो ज्यादा बढ़िया होगा। आपने एफडीआई इन रिटेल के बारे में 25 मार्च को कहा था कि नहीं आएगा। आपने हमें समझाया था कि जो इकोनॉमी सर्वे आते हैं उसमें सारे व्यूज इकट्ठा होते हैं, फायनैंस मिनिस्टर उसको देखते हैं उसमें से आपने दो रिपोर्ट पेज नम्बर 355 में कहा है वह है यूएस का द डॉड फ्रैंक ऐक्ट और दूसरा वायकर कमीशन रिपोर्ट। ये दो आपने कोट कर के बताया है। इसके कारण इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा?

हम इतने तैयार हैं या नहीं। डॉट फ्रैंक रिपोर्ट कह रही है प्राधिकार और स्वतंत्रता के साथ उपभोक्ता सुरक्षा। क्या हम इतने तैयार हो पाए हैं? एडवांस वार्निंस सिस्टम, कारपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री का अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं चल रहा है, वह एडवांस वार्निंग सिस्टम कन्ज्यूमर के लिए देने की बात कर रहा है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? वह कह रहा है कि इंडीपैंडेंट हैड होगा, कन्ज्यूमर फाइनैंशियल प्रोटैक्शन ब्यूरो बनेगा और उसमें इंडीपैंडेंट हैड होगा, इंडीपेंटेंट बजट होगा इंडीपैंडेंट रूल राइटिंग होगी, ऐग्जामिनेशन होगा, इनफोर्समैंट होगा, कन्ज्यूमर प्रोटैक्शन होगा, एबल टू एक्ट फास्ट होगा। इसके बाद वह कह रहा है कि फाइनैंशियल स्टेबिलिटी ओवरसाइट काउंसिल बनाया जाएगा। उसमें एक्सपर्ट मैम्बर्स होंगे। उसके बाद वह कहा रहा है कि बेल आउट का जो पैकेज आयेगा, उसमें टैक्सपेयर को फंड करेंगे, बेल आउट करेंगे, एक्सैसिव ग्रोथ एंड कमप्लिसिटी को डिसकरेज करेंगे। फिर वह वोल्कर रूल की बात करता है। फिर कह रहा है रैगुलेशन बनाएंगे और फ्यूनरल प्लान बनाएंगे। उसके बाद लिक्विडिशन का प्रोसैस रिजर्व बैंक प्रिसिडैंट होगा। क्या हमारे यहां यह संभव है? यदि संभव नहीं है तो इस तरह का मार्क देने के पीछे हम देश को किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। दादा, मैं इस बार आपकी बात समझने का प्रयास इसलिए नहीं करूंगा कि आपने कहा था कि किसी तीसरे का एफडीआई मल्टी रिटेल है और वह एफडीआई मल्टी ब्रैंड रिटेल, मैं बाल-मार्ट की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन जो डॉट एंड फ्रैंक एक्ट हमारे देश में किस तरह लागू होगा। क्या हमारा देश इतना आगे आ गया है क हम डॉट एंड फ्रैंक में जाएं? उसी तरह वाइकर्स की रिपोर्ट है। वाइकर्स रिपोर्ट भी फाइनैंशियल स्टैबिलिटी की बात करता है। वह कहता है कि बैंकों को ऐब्जॉर्ब लॉसेस करने के लिए बनाएंगे। इसका मतलब जो लॉस होगा, जो एक्सचैकर में हम लोगों से होगा, उस लॉस को करते हुए आप लिक्विडिटी में करेंगे। अभी रिजर्व बैंक ने कितना पैसा दिया है दादा, यदि आपने ईसीबी खोली है तो उसके पीछे रीजन यह है कि आपके बैंक में पैसा नहीं है। आप चाहते हैं कि जितने बेल आउट पैकेज हैं या जितने इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, यदि वे बाहर से पैसा ला पाएं तो ला पाएं, क्योंकि आपके पास लिक्विडिटी इतनी कम है। क्या आप ऐब्जॉर्ब लासेस करना चाहते हैं?

वाइकर्स रिपोर्ट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। क्या हम आगे बढ़ पाने की दिशा में जा रहे हैं? हमने जब इंश्योरेंस सैक्टर खोला था, तो कहा था कि 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत नहीं होगा। उससे पहले हम उसे मार्किट में ले जाने की बात करेंगे। आज सारी इंश्यौरैंस कम्पनियां पीछे जा रही हैं और आपसे डिमांड कर रही हैं कि 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत चले जाएंगे। जब हम फाइनैंशियली इतने साउंड नहीं हैं, इतने मेच्योर नहीं हो पाए हैं, तो वाइकर्स रिपोर्ट हमें कितनी यूजफुल करेगी।

वह पोलीटिकल रिकमैंडेशन की बात कर रहा है कि इतना पोलीटिकल टर्मोइल है। एक सरकार चलाना, एक गठबंधन चलाना काफी परेशानी है यूके में यह सिस्टम लागू हो सकता है। यूएस में प्रैसिडैंशियल सिस्टम है। यूके में टू पार्टी सिस्टम है। क्या हमारे यहां ये चीजें संभव हैं? अभी एक मंत्री जी ने रेल का भाड़ा बढ़ाया और दूसरे व्यक्ति ने खत्म कर दिया। जिस कंट्री में इस तरह की सिचुएशन है, क्या आपको लगता है कि हम इन चीजों को आगे कर पाएंगे। इसके बाद वे रिंज फैंस के स्कोप की बात करते हैं। यह और भी मुश्किल चीज है। मेरा कहना है कि आप जो डॉट फ्रैंक एक्ट की बात करते हैं, वाइकर्स की बात करते हैं, यूरो जोन की बात करते हैं, आईएमएफ की बात करते हैं, मुझे लगता है कि हम कहीं न कहीं इस दिशा में जा रहे हैं जहां से देश को लौटाना मुश्किल हो रहा है। यह देश आम लोगों का है। मैंने अभी जितने भाषण सुने, 80 प्रतिशत लोग मार्जिनल किसान हैं। आप डायरैक्ट सब्सिडी किसे देंगे। यदि आप देखेंगे तो आईएमएफ की फ्यूल के लिए जो रिपोर्ट है, क्या हमने पैट्रोलयम के लिए कभी सोचा है कि वर्ल्ड में यदि पैट्रोलियम खत्म हो जाएगा तो उसके लिए दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है या वर्ल्ड में यदि इसका प्राइस 200, 300 डॉलर पर बैरल हो जाएगा तो उसके लिए हमने क्या सोचा है। क्या उसके स्टॉक की बात की है? फूड प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा। क्या उसके बारे में हम सोच रहे हैं? फूड सब्सिडी के बारे में जिस तरह रिपोर्ट आ रही हैं, सक्सैना कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी, हसन कमेटी के बाद एक और कमेटी हमने बना दी है। क्या हमको लगता है कि वो मीट कर पांएगे? पिछली बार फर्टिलाइजर सब्सिडी 50 हजार रुपये थी, लेकिन इस बार वह 90 हजार रुपये पर जा रही है। हमारे पास गैस नहीं हैं, ऑल्टरनेट सोर्स नहीं है। हम उसे कैसे दबा सकते हैं, दाम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हमने कंट्री में इस बारे में सोचा है? क्या उस बारे में हम बजट में किसी प्रकार का विजन दे पाते हैं? नदियों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा सवाल है। इस देश में आप डायरेक्ट सब्सिडी देंगे, तो फर्टिलाइजर में कैसे देंगे? आप गांव के लड़के हैं और मैं गांव का लड़का हूं। मेरी खेती है और मैंने उसे बंटाई पर किसी को करने के लिए दे दी है, लेकिन उसकी कोई लिखा-पढ़ी नहीं होती। आप मुझे पैसा देंगे, या हमने जिसे खेत बंटाई करने के लिए दिया है, उसे देंगे? यह फर्टिलाइजर सब्सिडी किस तरह से किसानों तक पहुंचेगी, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं यह कह रहा हूं कि जिस कंट्री में इस तरह की बातें हैं, क्या हम इस तरह से मेच्योर हो पाये हैं? रहिमन का एक दोहा है-

समय लाभ सम लाभ नहिं, समय चूक सम चूक।
चतुरन चित रहिमन लगी, समय चूक की हूक ।।

यह समय है, आपके पास समय है। आप देश को अच्छी दिशा में ले जाना चाहते हैं। आपने बैकवर्ड रीजन के बारे में सोचा है, हमारे लिए सोचा है। आप कुछ करना चाहते हैं। इस कोलिएशन पोलिटिक्स के दायरे से हमें बाहर निकलना चाहिए। दादा, यही एक मौका था, जब आप बजट में बहुत कुछ प्ले कर सकते थे। अगला साल इलैक्शन का ईयर होगा। जो भी घोषणाएं होंगी, सब्सिडी देनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा, बैंक को फार्मर्स का लोन माफ करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि आपका फिस्कल डेफीसिट कम होने वाला है। आपका जो फाइनेंस है, वह पूरा बिगड़ने वाला है। इस मौके को हमने खो दिया। आज भी मौका है, मुझे लगता है कि रहिमन के उस दोहे के उस साथ कि यह जो समय है, उसकी हूक आपके मन में न रह जायें, इसके बारे में यदि कुछ हो सके, तो देश का भला होगा।

[अनुवाद]

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर): धन्यवाद, सभापति महोदय। मैं इस सीट से बोलने के लिए आपकी अनुमति के लिए अनुरोध करूंगा।

सभापति महोदय: ठीक है।

श्री अजय कुमार: महोदय, निर्धन और अन्य लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर कई वक्ताओं ने बोला है। कल के इकॉनोमिक टाइम्स ने कुछ दिलचस्प कहा है। उसने कहा है कि जब आप टी०वी० पर इन सभी चर्चाओं को सुनते हैं तो आप बहुत कुछ राज सहायता के बारे में सुनते हैं। 2011-12 में पूर्ण निश्चित राजस्व 5 लाख करोड़ रुपए था। यह सभी हितकारी समूहों को दिया जा रहा है और वे निर्धन नहीं है। वे धनाढ्य लोग हैं। आप उन्हें विशेष विशेषाधिकार देते हैं। यह 5 लाख करोड़ रुपये तक हो जाता है। कुल राज सहायता का भुगतान 2 लाख करोड़ रुपये था। 2010-11 में पूर्व निश्चित राजस्व 4.57 लाख करोड़ रुपये था और आर्थिक सहायता 1.71 लाख करोड़ रुपये थी। 2009-10 में पूर्वनिश्चित राजस्व 4.43 लाख करोड़ था, और राज सहायता 1.41 लाख करोड़ रुपये थी।

यदि आप इस पर गौर करे, मैं सत्य बोल रहा हूं कि इन सभी मुद्दों से निबटने के लिए इस देश के पास पर्याप्त धन है। यदि आप

पूर्ववर्ती राजस्वों को रोक लें तो राज सहायता के उन कार्यक्रमों पर खर्च करना आरंभ कर सकते हैं जो वास्तव में निर्धन लोगों को प्रभावित करेंगे। जब कभी आप इसे देखें तो यह टैक्स कोड को सरल कर देगा, हितकारी समूहों के कारण इसकी रूचि भी समाप्त हो जाएगी। मैं यह कह रहा हूं कि हम सभी इस से प्रभावित हैं। यदि हम पूर्वनिश्चित राजस्व को एकत्रित करें तो हम उन सभी कार्यक्रमों और सामाजिक कल्याण योजनाओं जिनके बारे में श्री निशिकान्त दूबे और अन्य माननीय सदस्यगण बात कर रहे थे को धन उपलब्ध करा सकते हैं। यह मेरा आरम्भिक बिंदु है।

मैं झारखंड राज्य से आता हूं। पूरा राज्य नक्सल प्रभावित है। यहां एक समेकित कार्य योजना है। प्रति जिले पर 30 करोड़ रुपए का खर्च आता है। मैं एक भूतपूर्व पुलिस कर्मी हूं। विभिन्न नक्सल प्रभावित जिलों में पुलिस कर्मी रखने पर कुल व्यय प्रति जिला, प्रतिवर्ष 30 करोड़ रुपये से अधिक होगा। यदि आप जनजातीय क्षेत्रों और वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें मूलरूप से उन कार्यक्रमों पर कार्य करना होगा जिनसे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में वास्तविक रूप से बदलाव आए। अर्थात् उन्हें जल उपलब्ध कराया जाए उन्हें सड़के उपलब्ध कराई जाए।

[हिन्दी]

निशिकांत जी ने यूआईडी के बारे में कहा। मैं उनसे इसलिए सहमत नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यूआईडी स्कीम से कम से कम गरीब लोगों को टारगेटेड सब्सिडी सही ढंग से पहुंचा दी जायेगी। हम जब भी कहीं जाते हैं, तो एक ही समस्या है। गरीब लोगों में आक्रोश यह है कि जो सब्सिडी टारगेट हुई हैं, वह गलत लोगों को मिल रही है। यदि सही ढंग से सब्सिडी यूआईडी के माध्यम से पैमेंट होगी, तो सही होगा। इसका मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए यूआईडी स्कीम को जितनी जल्दी हो सके, उसमें पूरा फंड देकर सभी निवासियों को यूआईडी नम्बर मिल जाये, तो मुझे लगता है कि गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा कदम होगा। ...*(व्यवधान)*

दूसरी बात है कि सोशियो-इकोनोमिक सर्वे बहुत महत्वपूर्ण सर्वे है, नए सोशियो इकोनोमिक सर्वे को इस साल खत्म होना था, खास तौर से झारखण्ड में फरवरी तक, लेकिन झारखण्ड में अभी तक वह सोशियो इकोनोमिक सर्वे शुरू नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा।

[अनुवाद]

अत:, महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इससे वास्तव में गरीब लोग को लक्षित करने में मदद मिलेगी। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस बजट में कहीं पर भी स्पेशल ड्राइव फॉर ट्राइबल चिल्ड्रेन एजुकेशन के बारे में चर्चा नहीं है। अगर आप भारत के ट्राइबल स्टेट्स का मैप देखें, नॉर्थ-ईस्ट देख लीजिए, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ देख लीजिए,

[अनुवाद]

महोदय, इंजीनियरिंग कालेजों, आईटीआई, नर्सिंग एवं मेडिकल कालेजों की बहुत कमी है। ऐसा दिखाई देता है जैसे दो अलग-अलग भारत हों। अत:, मेरा अनुरोध है कि हमें जनजातीय क्षेत्रों में, चाहे यह पूर्वोत्तर, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश या कोई अन्य स्थान हो, आईटीआई संस्थानों, इंजीनियरिंग संस्थानों, नर्सिंग कालेजों और मेडिकल कालेजों की स्थापना पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये।

महोदय, यदि आप वामपंथी-अतिवादी और नक्सलवादी आंदोलन को देखें तो ये भी मुश्यतया जनताजीय बहुल क्षेत्र में हैं। इसका कारण इन क्षेत्रों में अवैध कोयला खनन एवं कोई विकास नहीं होना है। मैं इस बात पर पुन: जोर देना चाहता हूं कि हमारे लिये इन क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केन्द्रित करना है क्योंकि कम विकास, गरीबों के शोषण एवं शैक्षिक सुविधाओं के अभाव से इसका संबंध सीधा है।

[हिन्दी]

आज इस सदन में काफी हंगामा हुआ था कोल एलोकेशन के संबंध में। मेरा सरकार से अनुरोध है कि एक क्लियर गाइडलाइन मिल जाए। जिस प्रदेश से मैं आता हूं, आप देखिए कि जहां पर भी कोयला है, वहां अत्यंत गरीबी है और वहां के मूल निवासियों को कोई फायदा नहीं है। माइनिंग से कुछ ही लोगों को फायदा होता है। अगर सरकार एक स्ट्रिंजेंट गाइडलाइन निकाले, तो उससे रेवेन्यु भी बढ़ेगा और गरीब लोगों का कल्याण भी होगा। मैं अनुरोध करूंगा कि टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जहां पर सेंट्रल एक्साइज कलेक्ट किया जाता है। भारत में करीब 20 मिलियन कैंसर पेशेन्ट्स हैं और करीब दो मिलियन कैंसर पेशेन्ट्स हर साल मरते हैं। यदि आप एक सेश बना दें आर उस सेश से रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनाएं।

[अनुवाद]

महोदय, आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे राज्य में कोई क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र नहीं है।

[हिन्दी]

हर समय हमारे प्रदेश के कैंसर पीड़ित लोगों को कोलकाता या मुंबई जाना पड़ता है, नहीं तो वे बिना इलाज के मर जाते हैं।

[अनुवाद]

अत: यदि आप उपकर प्राप्त करते हैं तो कम से कम इससे इस बात की गारंटी हो जाएगी कि सभी कैंसर रोगियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी। अन्यथा, आप उपकर नहीं लेते हैं तो यह समेकित निधि लेखा में चला जायेगा तथा आपको पता नहीं चलेगा कि इसका क्या हुआ।

[हिन्दी]

एक बिन्दु जेएनएनयूआरएम के बारे में है, आप दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई जाइए, तो काफी फंडिंग होती है, लेकिन भारत की ज्यादा ग्रोथ बी और सी सिटीज में हो रही है। पटना, जमशेदपुर आदि शहरों में हो रही है। इसलिए जेएनएनयूआरएम फण्डिंग छोटे शहरों के लिए बढ़ा दी जाए, खास तौर से हमारे जमशेदपुर के बारे में मैं कह सकता हूं कि एक अजीबोगरीब स्थिति है, जहां टाटा कंपनी अपनी रिस्पांसिबिल्टी निभाती है, तो वहां स्थिति इतनी खराब नहीं हैं, लेकिन आस पास के जो इलाके हैं जैसे मोंगा, बैरागोड़ा उनकी स्थिति बहुत खराब है। ये लोग शहर में रहकर, उनके पास सभी शहरी समस्याएं हैं, लेकिन कोई सुविधा नहीं है।

[अनुवाद]

यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जेएनएनयूआरएम को बी और सी शहरों में सड़कों, जल प्रवाह, कूड़ा निपटान, पेय जल आदि के लिये वित्तपोषण दिया जाए।

अब, मैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन मेरा मात्र यह अनुरोध है कि ऐसा सदैव कच्चे कार्य के लिये किया गया है। मेरा मानना है कि यदि हम यह सारी धनराशि कम से कम कुछ उत्पादनकारी एवं स्थायी परिसंपत्ति के सृजन पर खर्च करते तो हम काफी हद तक गरीबी दूर कर लिये होते क्योंकि यह कच्चा कार्य कभी भी स्थायी नहीं होता है। सड़कें बह जाती हैं और तालाब भर जाते हैं। अत: मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अधीन पक्का कार्य कुछ बढ़े तो इससे कुछ परिसंपत्ति बनेगी जो गरीबों के लिये लाभकारी होगी।

महोदय, अब मैं एक अत्यंत संवेदनशील प्रश्न पर आता हूं। मैं रक्षा बजट की बात कर रहा हूं। इस पर चर्चा नहीं कर सकते। अत: मैं इस पर अधिक नहीं बोलूंगा लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि रक्षा बजट लगभग उसके बराबर है जो समग्र सामाजिक क्षेत्र पर व्यय होता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप इसे घटायें। ऐसे तरीके होने चाहिये जिससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि कई हजार करोड़ रुपये बर्बाद होते हैं अत: हम इसका वित्त पोषण सामाजिक क्षेत्र हेतु कर सकते हैं क्योंकि यह अत्यंत आवश्यक है।

लेकिन मैं कहूंगा कि सुरक्षा पर समझौता किये बगैर हम कुछ कर सकते हैं। यह देखने के लिये विस्तृत लेखापरीक्षा क्यों नहीं की जाए कि हम रक्षा बजट में लागत कहां कम कर सकते हैं? फिर, शायद हम अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अत्यधिक धनराशि व्यय कर सकें। मेरा आपसे यही अनुरोध है।

मैं आपका अधिक समय नहीं लेने जा रहा हूं। मैं एक सरकारी सेवक रहा हूं। अत: मैं माननीय वित्तमंत्री से इन मामलों को देखने के लिये कर प्राधिकारियों हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने का अनुरोध करता हूं। उदाहरण के लिये, आप मुम्बई नावा शेवा पोर्ट में एक 'कंटेनर' रखें। इसमें विलम्ब करके धन अर्जित करने की बजाय एक समयबद्ध कार्यक्रम हो जिसके अनुसार वे मंजूरी दे सकें। अत: यदि आप कर प्राधिकारियों के लिये समयबद्ध कार्यक्रम बनायेंगे तो इससे अनेक समस्यायें हल होंगी। इससे अधिकारी मामलों का समय पर निपटान करने हेतु बाध्य होंगे।

अब, मैं अपने राज्य की बात करता हूं। अन्य खाद्यान्नों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बहुत बात हुई है लेकिन लघु वन उत्पादों के लिये कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है। इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई है। अत: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से लघु वन उत्पादों को इसके अन्तर्गत लाने का अनुरोध करता हूं क्योंकि मेरे राज्य में सभी जनजातीय क्षेत्रों के लोग लघु वन उत्पादों का कार्य मूल रूप से कर रहे हैं। उनकी पूरी उपेक्षा की गई है।

इसका दूसरा महत्वपूर्ण भाग जनजातीय उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना है। बजट में वृद्धि की गई है लेकिन न तो कोई केन्द्रीय निकाय बनाया गया है न ही वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने हेतु कोई प्रतिबद्धता दर्शायी गई है। अत: हमारे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। केन्द्रीय निकाय की वार्षिक रिपोर्ट यह सुनिश्चित करेगी कि धन उपयुक्त रूप से खर्च किया जा रहा है। कम से कम, इससे हम यह कर पाएंगे कि क्या धन उपयुक्त रूप से खर्च किया जा रहा है या नहीं।

अंत में दो और बातें हैं। न्यायपालिका पर बात करते हुये मैं कहूंगा कि न्यायपालिका पर कुल व्यय 0.07 प्रतिशत है। हम सदैव यह शिकायत सुनते हैं।

[हिन्दी]

ज्यूडिशरी में केसेज़ डिले हो जाते हैं, डिसपोज ऑफ केसेज नहीं हैं।

[अनुवाद]

यदि हम केवल 0.07 प्रतिशत बजट का प्रतिशत आबंटित करते हैं तो हम एक ऐसा देश बने रहेंगे जहां लोगों को न्याय नहीं मिलता है। इस पर किसी बजट में कभी भी चर्चा नहीं होती है। हम पुलिस पर धन खर्च करते हैं, लेकिन अन्त में हमें एक सदन में न्यायपालिका की आवश्यकता होती है तथा हमें इस पर धन व्यय करना होता है। इस मुद्दे पर कभी भी चर्चा नहीं हुई है।

अब मैं विकास दर पर आता हूं। कृषि, वानिकी, मत्यपालन जहां गिरावट होकर दर 7 प्रतिशत से 2 प्रतिशत पर आ गई है जिससे मुख्यत: जनजातीय क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं और इनके अतिरिक्त सभी क्षेत्रों में वृद्धि दर्ज की गई है।

अंत में, मैं यह उल्लेख करता हूं कि कुल स्वच्छता बजट केवल 0.03 प्रतिशत है। सभापति महोदय, आपके राज्य तमिलनाडु का इसमें अच्छा रिकार्ड है। लेकिन मेरे राज्य का रिकार्ड बहुत खराब है। मैं माननीय मंत्री से यह देखने का अनुरोध करता हूं कि इसमें सीधा सह संबंध है। यदि स्वच्छता दर बढ़ जाती है तो यह अच्छा होगा। मैं यह कहकर अपना भाषण समाप्त करने जा रहा हूं कि चले गये राजस्व को छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाए तो हमारे पास गरीब लोगों के लाभ के लिये देश में सभी सामाजिक कल्याण योजनाओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त धन होगा। अत: इस पर माननीय मंत्री द्वारा विचार किये जाने की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अरुण यादव (खंडवा): सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से यहां से अपनी बात कहना चाहूंगा। वर्ष 2012-13 के आम बजट पर मुझे चर्चा करने की आपने अनुमति दी, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। हर वर्ष देश का बजट पेश होता है। देश की आम जनता इस बजट की ओर टकटकी लगाकर देखती है और सरकार से अपेक्षा करती है कि सरकार हम सबका कहीं न कहीं, छोटा-मोटा भला जरूर करेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय वित्त मंत्री प्रणब दा ने अपना बजट पेश किया।

हम सब जानते हैं कि आज पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। हमारे माननीय सदस्य जोशी जी ने कई कमेटीज के बारे में चर्चा की थी, चाहे यूरो जोन की बात हो या आईएमएफ की बात हो या विभिन्न रिपोर्ट्स जो हम इंटरनैट के माध्यम से हमारे सामने आती हैं, उनकी बात हो वैश्विक मंदी के दौर में हिन्दुस्तान का जो सफर रहा है, वह ठीक-ठाक रहा है। हम स्टेबल रहे हैं, हमने संतुलन बनाने का प्रयास किया है। अगर विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करें तो हमारे स्थिति ब्राजील, रूस और चीन की अर्थव्यवस्थाओं से काफी ठीक है। सन् 2008 में मंदी का दौर शुरू हुआ और इस कठिन दौर में भी सीएजीआर के आधार पर हिन्दुस्तान का ग्रोथ-रेट 7 प्रतिशत रहा। वहीं ब्राजील का ग्रोथ-रेट 3.9 प्रतिशत रहा और रूस का ग्रोथ रेट 1.3 प्रतिशत रहा। मैं एक किसान परिवार से आता हूं इसलिए मैं सबसे पहले किसानी की बात माननीय प्रणब दा से कहना चाहूंगा।

सभापति महोदय, वर्ष 2011-12 की जो आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट आयी, उसके अनुसार हमारी विकास दर 2.5 प्रतिशत रही। जो हमारी 4 प्रतिशत के लक्ष्य से कम रही। फिर भी हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बजट में खेती-किसानी का अच्छा ख्याल किया। विगत् दो वर्षों का आप उत्पादन देखेंगे तो उसमें अच्छी सफलता हमारे देश को मिली। चाहे वह धान हो, गेहूं हो, दलहन हो, मसाले हो, इन सभी चीजों का अच्छा उत्पादन हमारे देश में हुआ।

सभापति महोदय, कृषि में और बहुत सारी चुनौतियां हैं। हमारा किसान जो इस देश का अन्नदाता है और सभी लोग किसान की चर्चा सदन में और बाहर करते हैं और प्रत्येक सरकार इस पर चर्चा करती है। लेकिन किसान की तकलीफ को समझने का प्रयास भी हम सभी को करना पड़ेगा। मैं माननीय प्रणब दा से निवेदन करना चाहूंगा कि किसान का जो उत्पादन होता है वह तो सही होता है लेकिन जब वह उसे बेचने बाजार में जाता है तो उसे उसका उचित दाम नहीं मिलता है। यह सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के किसान की है। जब उत्पादन अच्छा होता है तो दर कम मिलती है। इस तरह से जो असंतुलन उत्पादन और एमएसपी में है उसे हम कैसे ठीक कर सकें, यही मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन है। इसमें आपका हस्तक्षेप जरूर होना चाहिए। जब हमारी फसल निकल कर आती है तो हार्वेस्ट करने के बाद हमारी 25 से 30 प्रतिशत फसल का नुकसान हो जाता है। स्टोरेज की कमी की वजह से हमारी बहुत सारी उपज खराब हो जाती है। उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

क्वालिटी कंट्रोल के बारे में भी बात होनी चाहिए। असंतुलन को दूर करने के लिए अगर सरकार मार्किटिंग की व्यवस्था कर ले, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर अगर उसे ठीक कर ले, तो उससे बहुत बड़ा लाभ हमारे किसान को मिलने वाला है। सरकार ने इस बजट में सिंचाई के लिए, बांधों के लिए वॉयबिलिटी गैप फंडिंग और कृषि उत्पाद के लिए टर्मिनल मार्किट्स, सोइल टैस्टिंग लैबोरेटरीज और विभिन्न प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया है जिससे किसान को उसकी फसल का अच्छा दाम मिले। सरकार ने पीपीपी मोड में भी, अगर कोई इस तरह की व्यवस्था देना चाहता है, किसानों

को लाभ पहुंचाना चाहता है, उसकी व्यवस्था भी इस बजट में की है, इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं। बजट में खेती के लिए, किसानी के लिए बहुत सारे उपकरणों और मशीनरी की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए भी सरकार ने छूट दी है। छूट बहुत नॉमीनल है, लेकिन किसानों को छूट मिली है और इससे जरूर लाभ मिलेगा, अगर वह मशीनरी खरीदेगा। इसके लिए भी हम आपका आभार मानते हैं।

आज पूरे हिन्दुस्तान में कांट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, क्योंकि पानी की कमी है तो हम डिप इरीगेशन और माइक्रो इरीगेशन की तरफ भी जा रहे हैं और इससे कम पानी में अच्छा उत्पादन इस देश का किसान कर भी रहा है। इन सभी चीजों को माइक्रो इरीगेशन के लिए, डिप इरीगेशन के लिए, कांट्रेक्ट फार्मिंग के लिए और दूसरा बैक सपोर्ट देने के लिए सरकार ने एक कम्पनी बनाने के बारे में भी इस बजट में कहा है। उस कम्पनी के माध्यम से कृषि को सपोर्ट दिया जाएगा। मैं माननीय वित्त मंत्री से कहना चाहूंगा कि यह जो कम्पनी बनायी है, इसमें इनिशियल स्टेज पर ही वह कम से कम दस हजार करोड़ रुपए का प्रावधान करे ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके और आज देश में जो माइक्रो इरीगेशन सिस्टम चल रहा है, अभी भी बहुत सारे किसान इससे अछूते हैं। मेरे खुद के प्रदेश में, चूंकि मध्य प्रदेश का कोई माननीय सदस्य यहां नहीं बैठा है, मध्य प्रदेश का किसान भी डिप इरीगेशन और माइक्रो इरीगेशन की तरफ जाना चाहता है, लेकिन प्रदेश सरकार का कम सपोर्ट और कम फण्ड होने की वजह से इसका लाभ हमारे गन्ना किसानों, मिर्ची का उत्पादन करने वाले किसानों, जो कपास का उत्पादन करते हैं, उन को नहीं मिल पा रहा है। माननीय वित्त मंत्री से निवेदन है कि माइक्रो इरीगेशन के संबंध में विशेष ध्यान देने की आश्वयकता है और यह सरकार का प्रयास होना चाहिए कि अगले तीन साल के अंदर हिन्दुस्तान के हर किसान के खेत में माइक्रो इरीगेशन सिस्टम लग जाए। हरिन भाई को पता होगा कि गुजरात में माइक्रो इरीगेशन का बहुत काम हो रहा है। इससे किसानों को बहुत लाभ भी हो रहा है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने कृषि ऋण में एक लाख करोड़ रुपए का इजाफा किया है। पिछली बार कृषि ऋण की सीमा 4 लाख 75 हजार करोड़ रुपए का इजाफा किया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री, हमारी नेता सोनिया गांधी जी और माननीय वित्त मंत्री जी आभार के पात्र हैं। साथ ही साथ इसमें किसानों के लिए जो स्कीम है, जिसमें किसान अगर समय पर अपना ऋण अदा कर देगा, तो उसे तीन परसेंट का स्पेशल इंसेंटिव मिलेगा। यह स्कीम निश्चित रूप से किसानों को समय पर अपना ऋण अदा करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। मैं मानता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने एक बेहतर स्कीम हमें दी है, जिससे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा और किसान समय पर अपना ऋण चुकाएगा और उससे लाभ भी लेगा।

सभापति महोदय, मध्यम और सीमान्त किसानों के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था इस बजट में की है, उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ किसानों को जो क्रैडिट कार्ड मिला है, उसको एटीएम कार्ड के रूप में उपयोग करने का काम भी सरकार द्वारा किया गया है। मैं माननीय प्रणव दादा से निवेदन करूंगा कि अगर हिन्दुस्तान के हर किसान के पास क्रैडिट कार्ड हो जाए तो निश्चित रूप से इससे उसको बहुत लाभ मिलेगा, बिचौलियों से उसको राहत मिलेगी और सीधा सीधा बैंक में जाकर उस क्रैडिट कार्ड और एटीएम के माध्यम से किसान अपनी खेती से संबंधित सारे काम कर सकता है। मेरा निवेदन है कि सरकार क्रैडिट कार्ड की योजना को शीघ्रातिशीघ्र हर किसान तक पहुंचाने का काम करे।

कृषि विस्तार सेवा के लिए वर्ष में 150 प्रतिशत का वैटेड डिडक्शन का प्रावधान कृषि क्षेत्रों में नयी तकनीक तथा बेहतर कृषि पद्धति के विस्तार में सहायक सिद्ध होगा और इससे किसानों को अच्छा उत्पादन मिलेगा तथा साथ ही साथ उसको फसल का अच्छा दाम भी मिलेगा।

मैं पिछले दो-तीन साल का बजट देख रहा हूं। कृषि के रिसर्च एंड डैवलपमेंट में वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने का जो काम है जिसके लिए पिछले दो बजट में मैंने नहीं सुना कि उसके लिए सरकार ने कोई पैसा दिया हो। पहली बार इस बजट में एग्रीकल्चर के रिसर्च एंड डवलपमेंट के लिए और बीज की उन्नत किस्म के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपये का प्रावधान हमारे वैज्ञानिकों के लिए किया है जिससे हमारे देश में अच्छी क्वॉलिटी का बीज उपलब्ध हो सकेगा। अकसर अभी खाद और बीज की जो व्यवस्था देश में हो रही है, बाहर से कंपनीज आकार रिसर्च करके हमारे देश में उपलब्ध करा रही हैं लेकिन इस बार जो 200 करोड़ रुपये का फंड वैज्ञानिकों को देने हेतु आपने दिया है, इससे निश्चित रूप से वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ेगा तथा रिसर्च की दिशा में ठोस कार्य होंगे तथा इससे हमारे देश के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा।

अभी सभी ने यहां पर चर्चा की है और मुझे भी पता है कि जो कपास की स्थिति देश में है, मेरा पूरा क्षेत्र कपास का है, पिछले साल प्रति क्विंटल कपास की दर किसाान को 5000 रुपये से 5500 रुपये मिली थी। वही किसान जिसको पिछली बार अपनी कपास की उपज का दाम 5500 रुपये या 6000 रुपये प्रति क्विंटल मिला था, वही दाम आज उसको 2500, 3000 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है। हरिन भाई, आज गुजरात में भी वही स्थिति है। जो इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट की नीति सरकार बनाती है, उसमें कहीं न कहीं चूक हो रही है। अगर सरकार इसे ठीक कर ले तो आज भी मेरे प्रदेश में किसानों ने अपने पास 30 प्रतिशत कपास अपने अपने घरों में रखा हुआ है और वह इस आशा में रखा हुआ है कि सरकार शायद नीति में बदलाव लाएगी और कपास के दाम बढ़ा देगी ताकि हमें हमारी उपज के दाम ठीक से मिल सकें।

महोदय, कपास का दाम आधा हो गया है। 5500 रुपये प्रति क्विंटल का कपास 3000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। माननीय प्रणव दादा से मैं कहना चाहूंगा कि इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का जो मैकेनिज्म है, इसमें किसानों से जरूर चर्चा करके इसके बारे में निर्णय लेना चाहिए। एक एम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का निर्णय किसी भी कृषि उत्पाद के बारे में पूरे देश के किसानों में हलचल मचा देता है। आज यही स्थिति कपास की हो रही है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पालिसी से किसानों को मदद दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया, अपनी बात समाप्त करें। एक और वक्ता को बोलना है।

[हिन्दी]

श्री अरुण यादव: मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान कर प्रस्ताव की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। उत्पाद शुल्क 10 से 12 प्रतिशत कर दिया गया है। सर्विस टैक्स भी बढ़ाकर 10 से 12 प्रतिशत कर दिया गया है।

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): हम आपका समर्थन कर रहे हैं।

श्री अरुण यादव: मैं केंद्र सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी तरफ से भी निवेदन कर रहा हूं।

श्री हरिन पाठक: आपने कपास की बात कही है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया संक्षेप में बोलें। कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री अरुण यादव: महोदय, टैक्स प्रपोजल के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने शेक्सपीयर का "हैमलेट" का कथन–

[अनुवाद]

''मुझे क्रूर, दयालु बनाने के लिए बनना होगा।''

[हिन्दी]

के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी संवेदनाओं से पूरे देश को परिचित कराया है। मैं जानता हूं कि कठिन दौर में कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। मैं यहां शेक्सपीयर के "टिमन ऑफ एथेन्स" का कथन कहना चाहता हूं–

[हिन्दी]

"आई एम एन हम्बल स्यूटअर ऑफ योर वर्च्युज; फार पिटी इज़ द वर्च्यु आफ द ला एन्ड न बट् टाइस्ट्स यूज इट क्रुअली।"

[हिन्दी]

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह दया और दयालुता के रूप हैं। आप पब्लिक फाइनेंस की स्थिति देखें कि यह काफी ठीकठाक है। जब एनडीए सरकार थी तब जीडीपी में कर्ज का बोझ करीब 85 प्रतिशत था और बढ़कर 90 प्रतिशत हो गया था जबकि बजटरी रेवेन्यु में एन्ट्रस्ट पेमेंट का बोझ 46 प्रतिशत था। आज आठ साल की यूपीए सरकार में डेट जीडीपी का रेश्यो 63 फीसदी है। बजटरी रेवेन्यु में एन्ट्रस्ट पेमेंट का बोझ 31 फीसदी है जो दर्शाता है कि यूपीए सरकार की योजना, कार्यक्रम में हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी रही है। आज हमारी काफी ठीक है। अत: मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि सेवा कर को पिछले बजट की दर पर यथावत रखने की कृपा करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: 8.00 बजे से पहले हमें यह चर्चा पूरी करनी है।

[हिन्दी]

श्री अरुण यादव: महोदय, देश में कालेधन के बारे में चर्चा हो रही है। सब लोगों ने चर्चा की है। सरकार कालेधन को वापिस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार ने कार्य योजना बनाई है। कालेधन की चर्चा यूपीए सरकार के समय में ही नहीं हुई बल्कि एनडीए सरकार के समय में भी थी, इससे पहले की सरकार के समय में भी थी। माननीय वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि सरकार ने उनके मार्गदर्शन में कालेधन वापिस लाने के लिए बहुत सी कार्य योजनाएं बनाई हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री अरुण यादव: सरकार के बहुत से फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं जिसके चलते देश के आम लोगों को बहुत लाभ मिला है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मनरेगा स्कीम से आज गांव के मजदूर के घर में खुशहाली आई है। आज गांव का मजदूर मोटरसाईकिल पर अपनी पत्नी को बिठाकर मजदूरी करने जाता है, पति और पत्नी दोनों के पास मोबाइल फोन है। यह मनरेगा की देन है। इसी तरह से सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान और कई प्रकार की स्कीमें चलाई हैं जिससे आम लोगों को बहुत लाभ हुआ है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि वित्त मंत्री जी के मार्गदर्शन में एक आम लोगों का बजट, भविष्यमुखी बजट पेश किया गया है।

[अनुवाद]

श्री निनोंग ईरींग (अरूणाचल पूर्व): सभापति महोदय, मुझे माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं वास्तव में माननीय वित्त मंत्री, अपने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, अपनी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का हमें अपना मार्गदर्शन देने और इस सम्मानीय सभा के समक्ष एक अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिये आभारी हूं।

प्रत्येक व्यक्ति शेक्सपीयर को उदधृत कर रहा है। मुझे पता है हर आदमी शेक्सपीयर को उद्धृत कर रहा है - कुछ ने नकारात्मक विचार दिये हैं और कुछ ने सकारात्मक विचार दिये हैं लेकिन इसके बारे में मर्चेन्ट ऑफ वेनिस से कुछ बात की जाए, जब एंटोनियो अपने मित्र बसेनियों से कहता है: "मेरे लिये विश्व एक रंगमंच है जहां हर व्यक्ति को किसी भूमिका का निर्वाह करना चाहिये और मुझे दुखद भूमिका का।" तब बसेनियो कहता है: "मैं एक विदूषक की भूमिका का निर्वाह करूं।"

महोदय, वास्तव में हम इस सम्मानीय सभा में उस बात को महसूस करते हैं जो माननीय वित्त मंत्री ने कही थी कि उनकी कुछ जिम्मेदारियां और समस्यायें हैं। जब हम बजट बनाते हैं तो यह या तो लाभ का बजट होता है या घाटे का बजट होता है।

राज्य में अपने मंत्री के कार्यकाल में या एक एमएलए के रूप में हम बजट बनाया करते थे तथा वे बजट घाटे के बजट होते थे। लोग कहा करते थे कि 'हां घाटे का बजट अच्छा बजट है क्योंकि यह दर्शाता है कि वास्तव में जिम्मेदारियां क्या हैं तथा राज्य के लिए हमारे पास किस प्रकार के कार्यक्रम हैं।' जब हम आज इस स्थिति में देखते हैं तो पाते हैं कि हमारे वित्तमंत्री के समक्ष कुछ कठिनाइयां और कुछ प्रतिबंध हैं। भाषण के सारे अध्याय को देखने के बाद आपको ज्ञान होगा कि अंत में यह सभी शोरगुल के उलट यह हमारे भविष्य के लिये है, हमारे देश के भविष्य के लिये है। जब पूरे विश्व में वित्तीय संकट है तब भी हमारे देश की आर्थिक स्थिति ठीक है।

इसलिये मैं इसका श्रेय उन्हें देता हूं तथा मेरे प्रदेश अरूणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के लिये भी कुछ विशिष्ट प्रावधान करने के लिये उनकी प्रशंसा करता हूं। समय की कमी है इसलिये मैं केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र पर बोलना चाहता हूं और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर ही बल देना चाहता हूं।

शुरू में जब हम खाद्य सुरक्षा विधेयक के बारे में बातें कर रहे थे, तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम कृषि की बात करें तो यह मुख्य अर्थव्यवस्था है - क्योंकि भारत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। हम जापानियों का मुकाबला नहीं कर सकते; हम उनके कंप्यूटर से मुकाबला नहीं कर सकते हैं; हम अमरीका की रोल्स रॉयसे और अन्य विदेशी कारों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं; लेकिन मुख्य बल-इस बात पर देना चाहता हूं कि हमें कृषि की तरफ वापस लौटना होगा। हमारे लगभग 70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। कृषि ही एकमात्र साधन है जहां हमें भविष्य में अपने लड़के और लड़कियों की प्रतिभाओं का, उनके वैज्ञानिक तरीके से कृषि का उपयोग करना है, तथा हमें विश्व में न केवल खाद्य सुरक्षा बल्कि अपने देश की भावी पीढ़ियों को रोजगार प्रदान करने के लिये भी प्रतिस्पर्धा करनी है।

महोदय, मुझे वास्तव में अपने माननीय वित्त मंत्री की प्रशंसा करनी चाहिये कि उन्होंने सचमुच आईसीडीएस कार्यक्रमों पर बल दिया है। गत बजट में विशेषकर कुपोषण के लिये, हमने देखा है कि कुपोषण पर हमारे पास विशेष कार्यक्रम हैं। वास्तव में हमारे पास माननीय मंत्री श्री सचिन पायलट जी और दूसरे पक्ष से श्री शाहनवाज हुसैन जी के नेतृत्व में माननीय संसद सदस्यों का एक कोर ग्रुप है। सभी दलों की भावनाओं से ऊपर उठकर हमने सभी कार्यक्रमों पर बहुत बल दिया है। हम माननीय प्रधानमंत्री और महामहिम माननीय राष्ट्रपति से भी मिल चुके हैं।

हमने देखा है कि इस बजट में हमारे माननीय वित्त मंत्री ने आवंटन में 58 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत एक पिछड़ा देश है जहां कुपोषण की समस्या है। आईसीडीएस योजना जिसके लिये 15850 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, के माध्यम से वस्तुत: हम सबके लिये अच्छा प्रोत्साहन दिया गया है।

मैं माननीय वित्त मंत्री को हमें राजीव गांधी किशोर बालिका सशक्तिकरण योजना (एसएबीएलए) देने के लिये भी धन्यवाद देना चाहूंगा। अब आप देख सकते हैं कि न केवल पूर्वोत्तर राज्यों में बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, ओडिशा या राजस्थान में महिलाओं को दूसरा दर्जा दिया जाता है।

आज कोई वक्तव्य दे रहा था कि आज हम विशेषकर पंचायती राज में महिलाओं पर ज्यादा बल देते हैं। जहां अब 50 प्रतिशत आरक्षण लागू है तो हम देखेंगे कि अगले चुनाव के बाद जब वे पंचायत सदस्य बनने के बाद दूसरी बार पुन: चुनकर आ जाती है तो वे स्थान नहीं छोड़ना चाहेंगी तब पुरुषों को आरक्षण मांगना पड़ सकता है। लेकिन यह सच नहीं है। विशेषकर भारत जैसे देश में पुरुषों का प्रभुत्व ज्यादा है तथा हम चाहते हैं कि हमारे देश की महिलायें भी

अधिक संभावना एवं कार्य करने के लिये बेहतर निश्चय के साथ आगे आएं।

महोदय, अब, मैं इस पर अधिक विचार व्यक्त नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूं कि विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमारे सामने अनेक कठिनाइयां हैं। लेकिन हमारे पास माननीय वित्त मंत्री की नई नीति है। माननीय मंत्री ने वस्त्रों और बुनकरों के लिये बहुत कष्ट उठाया है। उन्होंने मिजोरम, नागालैंड और झारखंड में विशेष केन्द्र की बात की है। उन्होंने पहले ही 500 करोड़ रुपये की एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है जिससे विशेषकर महिलाओं को लाभ होगा। हमारे पास ये वस्त्र और उद्योग हैं लेकिन उनका प्रचार किया जाता है, उनका और विकास किया गया है और उन्हें अधिक वैज्ञानिक रूप देने के लिये प्रोत्साहन देना है।

महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन हम पूर्ववर्ती सरकार की बात करें तो उन्होंने अरूणाचल प्रदेश के लिये विशेषकर 500 बिस्तर वाले अस्पताल, रेलवे, ग्रीनफील्ड एअरपोर्ट सहित अनेक आश्वासन दिये थे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हमारी अध्यक्षा मैडम सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में संप्रग सरकार के सत्ता में आने पर हमें अस्पतालों की मंजूरी मिल गई है। मैं केवल स्मरण करा सकता हूं कि जब तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमारे राज्य को 500 बिस्तर वाले अस्पताल के लिये 500 करोड़ रुपये की धनराशि दी जाएगी। लेकिन वे अपना आश्वासन पूरा नहीं कर सके। लेकिन अब हमारी सरकार इस मंजूर कर दिया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों की ओर ध्यान देने के लिए हम प्रधानमंत्री का और वित्त मंत्री का भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं स्पष्ट रूप से हिन्दी में एक वाक्य कहूंगा–

[हिन्दी]

"लूट के औरों का धन, राज बनाया होगा।
महज रोटी के लिए सैंकड़ों को मोहताज बनाया होगा।
वही शहंशाह वहम में आ कर कब्र-ए-मुमताज का एक ताज बनाया होगा।"

[अनुवाद]

महोदय, माननीय सदस्य श्री जसवंत सिंह हमारे वित्त मंत्री की आलोचना कर रहे थे। मैं यही कहूंगा कि जब वे सरकार में थे तब अपने किए हुए वादों को भी पूरा नहीं कर सके थे।

अब बजट हमारे समक्ष रखा गया है। मुझे विश्वास है सभी इसे पसंद करेंगे। मैं जानता हूं कि यहां कुछ बाधताएं हो सकती हैं और विशेषकर करदाताओं के वर्ग में कुछ परेशानियां हो सकती हैं किंतु मैं जानता हूं कि एक बेहतर किस्म की व्यवस्था के लिए हमें समान रूप से जिम्मेदारी उठानी है। मैं जानता हूं कि हमारे माननीय वित्त मंत्री पूर्वोत्तर के लिए किए वायदों विशेषकर औद्योगिक नीति, कृषि नीति और शिक्षा नीति का ध्यान रखेंगे और वह यह देखेंगे कि पूर्वोत्तर पूरे देश के साथ चलने में सक्षम होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सामान्य बजट का अपना समर्थना देना चाहूंगा।

सभापति महोदय: यह चर्चा सोमवार को जारी रहेगी।

अब हम 'शून्य काल' आरम्भ कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री निखिल कुमार चौधरी (कटिहार): महोदय, मुझे जीरो प्रहर में लोक महत्व के उस विषय पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें रेलवे की यात्रा करने वाले लोगों के साथ किस तरह से रेलवे अथॉरिटी और मंत्रालय उनके साथ व्यवहार कर रहा है। मैं उनके पॉजीटिव सोल्यूशन के लिए यहां निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

वैशाली एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12553-12554 एवं बरौनी-लखनऊ एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 15203-15204 को पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत सोनपुर रेल मंडल के बरौनी जंक्शन से परिचालन विस्तार कर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अंतर्गत कटिहार रेल मंडल के कटिहार जंक्शन से चलाया जाना जनहित में अति आवश्यक है। यह क्यों आवश्यक है–यह इसलिए कि यह गाड़ी पहले वैशाली एक्सप्रेस गाड़ी 12553-12554, बरौनी जंक्शन में 16 घंटे 15 मिनट तथा बरौनी-लखनऊ एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 15203-15204 बरौनी जंक्शन में 12 घंटे अनावश्यक रूप से खड़ी रहती है। उक्त दोनों गाड़ियों का परिचालन पूर्व में कटिहार से हुआ करता था, जो एनएफ रेलवे का डिवीजनल हेडक्वार्टर है, परंतु कटिहार में पीट लाइन बनने के क्रम में इस गाड़ी का परिचालन बरौनी से होने लगा। वर्तमान में पीट लाइन वहां वर्षों से बनी हुई है, जिसे बने दस साल हो गए हैं। वर्तमान में कटिहार रेलवे जंक्शन में पीट लाइन की पर्याप्त व्यवस्था है। कटिहार में मात्र तीस प्रतिशत पीट लाइन का ही उपयोग हो पाता है। यदि उक्त दोनों गाड़ियों का परिचालन, विस्तार कटिहार जंक्शन तक किया जाए, तो कटिहार जंक्शन में गाड़ी साफ-सफाई के पश्चात् निश्चित समय-सीमा के

अंदर गाड़ी बरौनी जंक्शन पहुंच जाएगी तथा बरौनी से उक्त दोनों गाड़ियों के परिचालन हेतु निर्धारित समय सारिणी में किसी प्रकार के भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा करने पर जहां कोसी क्षेत्र के यात्रियों को दिल्ली एवं लखनऊ की ओर यात्रा करने के लिए गाड़ी मिल जाएगी, वहीं रेलवे राजस्व में भी वृद्धि होगी। जनहित में मेरी मांग है कि उपर्युक्त वर्णित गाड़ियों का परिचालन, विस्तार पहले की भांति कटिहार जंक्शन से करने की महती कृपा रेल मंत्रालय करे, यही आपके माध्यम से आग्रह करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

श्री अरुण यादव: महोदय, मैं एक बहुत ही विशेष समस्या को लेकर आपसे आग्रह करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में अभी गेहूं की खरीद शुरू हुई है। आप सब जानते हैं कि किसान का गेहूं का उत्पादन प्रति एकड़ लगभग 20 से 25 क्विंटल होता है। मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा जो गेहूं खरीदी की जा रही है, उसमें मात्र दस क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों का गेहूं खरीदा जा रहा है। उसका बाकी बचा जो 15 क्विंटल गेहूं है, उसको सरकार के निर्धारित प्राइस से कम में बेचना पड़ रहा है और साथ ही साथ उसका जो बाकी बचा हुआ उत्पादन है, वह बिचौलियों की भेंट चढ़ रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सरकार को निर्देशित करें कि जितना भी गेहूं किसान उत्पादित कर रहा है, मध्य प्रदेश की सरकार किसान से उसका पूरा का पूरा गेहूं खरीदे और समय पर उसका भुगतान करे ताकि किसान को उसकी उपज का सही दाम मिल सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, अभी 8 बजे हैं। आज सदन की अवधि को शून्यकाल के विषयों के समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

रात्रि 8.00 बजे

[हिन्दी]

श्री जगदीश शर्मा (जहानाबाद): सभापति जी, मैं जिस विषय को उठा रहा हूं, उस पर इस सदन में अनेक बार चर्चा हुई है लेकिन उस चर्चा को कोई फलाफल सरकार के द्वारा नहीं हुआ। आज इसकी चर्चा पूरे सदन में सभी दलों के लोग करते हैं। अन्नदाता के रूप में जो हिन्दुस्तान के किसान हैं, आज उन किसानों द्वारा इतनी मेहनत करने के बाद भी सरकारी कर्ज, साहूकारों का कर्ज बकाया रहता है। किसान जो उपज करते हैं, बहुत मेहनत के बाद वह उपज करते हैं। जहां से मैं आता हूं, वह बिहार का जहानाबाद संसदीय क्षेत्र है। मैं समझता हूं कि आज नीलगायों का प्रकोप देशव्यापी हो गया है। काफी मेहनत के बाद किसान फसल उगाते हैं। चाहे वह सब्जी हो, चाहे वह गेहूं हो, चाहे वह गोभी हो, चाहे वह आलू हो, हजारों की तादाद में वे निकलते हैं और रातों-रात हजारों एकड़ फसल को बरबाद करके खा जाते हैं। भारत सरकार ने नीलगायों को वन प्राणी घोषित कर दिया है, वाइल्डलाइफ में उनको ला दिया है। कोई उनका नुकसान नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि यह विषय काफी छोटा है, लेकिन जब हम उन इलाकों से गुजरते हैं तो लोग इस बात पर काफी सवाल करते हैं। हम याद करना चाहते हैं, हालांकि वे यहां नहीं हैं, जो तत्कालीन वन मंत्री थे और आज वे ग्रामीण सरकार इस पर एक फैसला लेने जा रही है। लेकिन आज तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। हम तो मानते हैं, नीलगाय तो एक प्राणी है लेकिन किसानों का सबसे बड़ा शत्रु यदि देश में कोई है तो वह केंद्र की सरकार है जो किसानों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। किसान मर रहे हैं, फसल चौपट हो रही है। किसान कर्ज से डूब रहे हैं। किसान के बारे में केवल घड़ियाली आंसू केंद्र सरकार बहाती है। हम आपके माध्यम से केंद्र सरकार से यह निवेदन करना चाहते हैं कि नीलगायों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण करें और किसानों की फसलों को जो वे चट कर जाते हैं, उनको पर्याप्त मुआवजा दें। इसी आग्रह के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री आर.के. सिंह पटेल (बांदा): माननीय सभापति जी, मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 76 है। प्रदेश के इलाहाबाद, विंध्याचल, चित्रकूट, खजुराहो आदि अनेक धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को यह राजमार्ग झांसी, ग्वालियर व राजस्थान से जोड़ता है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत अत्यंत ही जर्जर व दयनीय हो गई है। आये दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। बुंदेलखंड के बांदा व चित्रकूट की जनता इस राजमार्ग के क्षतिग्रस्त होने पर बहुत बड़े पैमाने पर आक्रोशित है। प्रदेश के सबसे पिछड़े क्षेत्र बुंदेलखंड के विकास हेतु माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा बुंदेलखंड पैकेज की घोषणा तो की जा चुकी है, किन्तु राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत जैसे आधारभूत एवं महत्वपूर्ण कार्यों के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। एक तरफ तो सरकार द्वारा बुंदलेखंड के विकास की बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं, किन्तु बुंदलेखंड के इस राष्ट्रीय राजमार्ग को सुधारने हेतु कोई गंभीर कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। अभी विगत माह पूर्व कुछ तीन महीने पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा झांसी में सभी बुंदेलखंड सांसदों की एक बैठक बुलाई गई थी। जिसमें मेरे द्वारा बुंदेलखंड के और अन्य सभी सांसदों के द्वारा इस राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत तथा दोहरीकरण हेतु सुझाव दिये गये थे किन्तु अभी तक इसकी मरम्मत का कार्य नहीं किया जा सका है।

माननीय सभापति जी, इस राजमार्ग की हालत इलाहाबाद से चित्रकूट और बांदा महोबा के बीच अत्यंत दयनीय हो गई है। जगह-जगह पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई हैं, बड़े-बड़े गहरे गड्ढे हो गए हैं। कहीं-कहीं तो सड़क और खेतों में अंतर नजर नहीं आता है। एक जैसी सड़क खेतों की बराबरी में हो गई है। चित्रकूट एक पर्यटन स्थल है। यहां देश-विदेश से तमाम लोग आते-जाते हैं। इस धार्मिक नगरी में आने-जाने वालों के लिए एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग का सहारा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल इस राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत करवा कर दोहरीकरण करवाया जाए।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): सभापति महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मैं कई बार इस बिंदु को उठा चुका हूं। तीर्थराज प्रयाग और काशी के बीच में हमारा क्षेत्र भदोही स्थित है। मैं कई बार मंत्री जी से अपने क्षेत्र को एक कोरिडोर बनाने के लिए, जो वहां से बौद्ध परिपथ से लेकर बनारस, विध्यांचल और लक्षागृह, सारनाथ और इलाहबाद से जोड़ कर कोरिडोर बनाया जाए। लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं और वहां आने के साथ-साथ कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग का भी विकास हो रहा है। लोगों को रोजगार मिलने के अवसर भी मिल सकते हैं। जहां रोजी-रोजगार की बात आती है, वहीं हमारे जिले ही नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं, देश से आज आरसीएम के काम में लगे हुए लोग 11 वर्षों से चल रही भीलवाड़ा, जहां लाखों लोग रोजी-रोजगार में लगे हैं। आज दस हजार से अधिक लोग अनशन पर बैठे हैं। पांच सौ लोग तीन दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। सरकार का ध्यान उधर जाना चाहिए, जहां रोजगार से संबंधित हैं। उपभोक्ताओं से संबंधित, दैनिक जीवन से संबंधित, दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं से संबंधित लगे हुए लोगों को आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस रोजी रोजगार में लगे लोगों को संज्ञान में ले। साथ-साथ पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा दिया जाए, ताकि इस कोरिडोर के माध्यम से ...*(व्यवधान)* हजारों की संख्या में लोग हैं। पांच सौ लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। वहां केवल हमारे प्रदेश के लोग ही नहीं, बल्कि पूरे देश लोग हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि सरकार भदोही सीता समाहित स्थल को पर्यटक स्थल घोषित करते हुए कोरिडोर बनाकर इससे रोजगार में लगे लोगों के हित में सरकार का ध्यान जाए और इससे बेरोजगारी से मुक्ति मिले।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्रीमती रमा देवी, श्री जगदीश शर्मा, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री कौशलेन्द्र कुमार और श्री निखिल कुमार चौधरी का श्री गोरखनाथ पाण्डे द्वारा उठाए गए मुद्दों से सम्बद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान झारखंड के मल/मल्ला क्षत्रिय, दण्डछत्रा माझी जाति के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये दोनों जातियां सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी पिछड़ी हैं। पिछले 65 वर्षों से ये अपने को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में ये दोनों जातियां अनुसूचित जाति की सूची में शामिल हैं। वर्ष 2004-2005 में अनूसूचित जनजाति अनुसंधान संस्थान, जो रांची का एक नामी संस्थान है, उन्होंने स्टडी की थी और झारखंड सरकार ने भारत सरकार को अनुशंसा करके इस संबंध में सूचित किया। यह खेद की बात है कि इस रिपोर्ट को भारत सरकार के पास भेजे हुए सात साल हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि कृपया इन दोनों जातियों को मालक्षत्रिय और माझी को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाए।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदय, सरकार प्राकृतिक संसाधनों की सरंक्षक होती है, लेकिन सरकार ने कोल ब्लॉक्स को बिना किसी नीलामी के बांट दिया है। 55 खदानों की नीलामी नहीं की गई। सीएजी रिपोर्ट से इस घाटे का खुलासा हुआ है। यह घाटा दस लाख करोड़ रुपए का है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः मंत्री महोदय पहले ही इसे स्पष्ट कर चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमारः महोदय, मुझे दो मिनट दीजिए। पूरे देश को लगता है कि बहुत बड़ा घोटाला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय सदस्यगण कृपया सुनें। जो कुछ भी आप उठा रहे हैं, मंत्री ने वह पहले ही स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने पहले ही उल्लेख किया है कि सी. एण्ड ए.जी. ने कुछ विवरण दिया है। इसलिए मैं नहीं समझता कि इसका उल्लेख करने की आवश्यकता होती है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमारः महोदय, मैं बिहार की बात कर रहा हूं। बिहार में कोल लिंकेज के सवाल पर नीतिश कुमार जी प्रधानमंत्री जी से मिले, मंत्री जी से मिले हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया समाप्त करें। इसे मत लाइए। माननीय मंत्री ने पहले ही इसे स्पष्ट कर दिया है। आप जो भी बताना चाहते हैं सामान्य रूप से बताएं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमारः वहां बरौनी और कांटी का विद्युत उत्पादन केन्द्र है, वह बंद पड़ा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः बस इतना ही, आपकी बात पूरी हो गयी है।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल।

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमारः महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप हम लोगों को कोल लिंकेज दें जिससे बिहार में बिजली जाए। बिहार में विकास के सवाल पर आज केंद्र सरकार उसे उपेक्षित कर रही है। ...*(व्यवधान)*

श्री जगदीश शर्माः यह सवाल बहुत बड़ा है। बिहार में कोल लिंकेज नहीं मिल रहा है। वहां कोल लिंकेज नहीं दिया जा रहा है और यहां उद्योगपतियों को मिल रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान की जा रही मोबाइल सेवा के नेटवर्क के अक्सर गायब रहने से आम उपभोक्ताओं को होने वाली कठिनाइयों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र मेरठ-हापुड़ के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों में भारत संचार निगम लिमिटेड का मोबाइल नेटवर्क निरन्तर कई-कई घंटों तक गायब हो जाता है। विशेषकर, जिला पंचशील नगर के मुख्यालय हापुड़ में लगभग प्रतिदिन यह गायब रहता है। शाम के समय तो स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। उपोभक्ता कॉल करने के लिए कई बार एक-एक डेढ़-डेढ़ घंटे कोशिश करते हैं और कॉल मिलती नहीं है। अगर मिलती भी है तो कॉल ड्रॉप की बहुत समस्या है। तीन-तीन, चार-चार बार में उसकी बात पूरी हो पाती है। अन्य नेटवर्क से यह समस्या नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि बी.एस. एन.एल. के नेटवर्क में यह कठिनाई क्यों है?

मैं आपके माध्यम से माननीय संचार मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उपभोक्ताओं की उपरोक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाएं और उसका निराकरण करें।

श्री पकौड़ी लाल (रॉबर्ट्सगंज): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। महोदय, मुझे दो मिनट का समय दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र, क्षेत्र रॉबर्ट्सगंज से आता हूं। यहां की 80 प्रतिशत आबादी आदिवासी एवं अनुसूचित जनजाति है। मेरा जनपद सोनभद्र बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। हमारे जनपद में पर्याप्त रूप से पानी है। लेकिन, मात्र 25 प्रतिशत जमीन की सिंचाई होती है, 80 प्रतिशत जमीन असिंचित रह जाती है।

महोदय, मैं अपने क्षेत्र के आदिवासियों के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र के डाला और ओबेरा में कम से कम हजारों ऐसी पहाड़ियां हैं जहां काला पत्थर निकलता है। उसकी काली गिट्टी का उपयोग होता है और वह पत्थर सीमेंट के उपयोग में भी आता है। पर, आज दुख का विषय है कि वहां कम से कम 200 से अधिक खनन अवैध रूप से चल रहा है। वहां 40 मीटर लम्बा, 40 मीटर चौड़ा, और 125 फीट गहरा खदान बगैर लीज का हो गया है। अभी 27 फरवरी, 2012 को सैंकड़ों मजदूर उसमें काम कर रहे थे। उसमें काम करते समय ऊपर से पहाड़ गिर गया जिसमें बहुत से लोग मर गए। कलक्टर ने केवल बाहर लोगों को मृत घोषित किया और करीब 50-60 लोगों को घायल बताया। महोदय, आज भी वह पहाड़ वहां गिरा हुआ है। उसका मलबा वहां पर है। आज भी वहां दस-बीस लाशों के दबे होने की संभावना है। इससे पूरे क्षेत्र में आक्रोश है। वहां के आदिवासियों में आक्रोश है। वहां झारखण्ड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मजदूर आते हैं। वहां एक-दो मजदूर रोज मर जाते हैं और उनकी कहीं कोई आवाज सुनी नहीं जाती। हमारा क्षेत्र सोनभद्र अति नक्सल प्रभावित जनपद है। जब ये गरीब आवाज उठाते हैं तो उसे केवल नक्सली का नाम दे दिया जाता है। इससे हमारे आदिवासी लोग अपनी बात भी नहीं कह पाते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि 27 फरवरी, 2012 को जो घटना घटी है और उसमें जितने मजदूर मरे हैं, उनका लेखा-जोखा हो। मरे लोगों को दस-दस लाख रुपए और घायलों को

पांच-पांच लाख रुपए मिले। जो लोग दबे हुए हैं, वहां मशीन से उनके कंकाल को निकाला जाए। इससे पूरे क्षेत्र में आक्रोश है। उसे अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए और वहां जो अवैध खनन के जंगल माफिया और पत्थर माफिया हैं, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत बिहार के सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया प्रखंड भारत-नेपाल सीमा पर है। यहां भारत सरकार का कस्टम विभाग का चेक पोस्ट है, किन्तु कस्टम का चेक पोस्ट बोर्डर से लगभग आधा किलोमीटर पहले है। इससे दो कठिनाईयां हो रही हैं। पहली कठिनाई यह है कि चेक पोस्ट एवं बोर्डर के बीच सैंकड़ों मकान व दुकानें भारत के नागरिकों की हैं। जिन्हें प्रतिदिन दैनिक वस्तुओं की अनावश्यक कस्टम जांच से गुजरना पड़ता है। यहां तक कि चेक पोस्ट बोर्डर से काफी दूर होने के कारण तस्कर कस्टम की नजर से बच कर दूसरे रास्ते से बोर्डर आर-पार कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में आम नागरिक परेशान होते हैं, किन्तु तस्कर बड़े आराम से प्रतिबंधित वस्तुओं को लेकर नेपाल से भारत आने-जाने का क्रम जारी रखते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहती हूं कि मैं पत्र के माध्यम से सरकार को कई बार-बार अवगत करा चुकी हूं, परंतु अब तक कोई अपेक्षित कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि जनहित में बैरगनिया स्थित कस्टम के चेक पोस्ट को बोर्डर पर स्थानांतरित करने की कार्यवाही की जाए जहां पूर्व से एसएसबी के जवान भी तैनात हैं। इससे तस्करों पर अंकुश के साथ-साथ आम नागरिकों को राहत मिल सकेगी।

[अनुवाद]

श्री जे. एम. आरुन रशीद (थेनी): महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

भारत में एम.बी.बी.एस. कोर्स पूरा करने वाले डॉक्टर पर्वतीय क्षेत्रों और दूरवर्ती गांवों में काम करने में हिचकिचाते हैं। मुझे पता चला है कि लगभग 50,000 डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने रूस और चीन से अपना एम.बी.बी.एस. कोर्स किया है। वे उन परिवारों से हैं जो 25 लाख रुपये या 50 लाख रुपये की कैपिटेशन फीस का भुगतान नहीं कर सकते हैं। इसलिए वे अपने एम.बी.बी.एस. कोर्स को पूरा करने के लिए रूस और चीन जा रहे हैं और यहां काम करने के लिए वापिस आ रहे हैं। वे दूरवर्ती गांवों और पर्वतीय भू-भागों में काम करने को तैयार हैं। हमारे यहां निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की लंबी बहुत शक्तिशाली है। ये लोग उनसे अनावश्यक प्रश्न अर्थात् ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जिनका उत्तर स्नातकोत्तर उपाधि धारक द्वारा ही दिया जा सकता है। इसलिए, ये लोग इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते और लगातार असफल हो रहे हैं।

वे सरकार को गारंटी देने को तैयार हैं कि वे दूरवर्ती भागों और भू-भागों में दो से तीन सालों के लिए काम करेंगे। अत: मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों और दूरवर्ती गांवों में काम करने का एक अवसर प्रदान करे ताकि यह क्षेत्र भी समृद्ध बन सकें। कृपया इस मुद्दे पर ध्यान दें।

सभापति महोदय: सभा की बैठक सोमवार दिनांक 26 मार्च, 2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 08.17 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा की सोमवार दिनांक 26 मार्च, 2012/6 चैत्र, 1934 (शक्) पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री इन्दर सिंह नामधारी श्री नारनभाई कछाड़िया	121
2.	डॉ० संजय जायसवाल श्री महाबल मिश्रा	122
3.	श्री देवराज सिंह पटेल श्री महेन्द्र सिंह पी० चौहाण	123
4.	श्रीमती रमा देवी श्री एस० अलागिरी	124
5.	डॉ० रत्ना डे	125
6.	डॉ० पद्मसिंह बाजीराव पाटील श्री दिनेश चन्द्र यादव	126
7.	श्री ओम प्रकाश यादव श्री मंगनी लाल मंडल	127
8.	श्री आनंदराव अडसुल श्री गजानन ध० बाबर	128
9.	श्री राधा मोहन सिंह श्री भरत राम मेघवाल	129
10.	श्री एन० चेलुवरया स्वामी श्री इज्यराज सिंह	130
11.	श्री दुष्यंत सिंह श्री अधलराव पाटील शिवाजी	131
12.	श्री कामेश्वर बैठा श्रीमती मीना सिंह	132
13.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा श्री लक्ष्मण टुडु	133
14.	डॉ० पी. वेणुगोपाल श्री असादूद्दीन ओवेसी	134
15.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	135
16.	श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी श्री तथागत सत्पथी	136
17.	श्री एंटो एंटोनी श्री आर० थामराईसेलवन	137
18.	श्री ए० सम्पत श्री पन्ना लाल पुनिया	138
19.	श्री दारा सिंह चौहान	139
20.	श्री अशोक तंवर श्री जगदीश ठाकोर	140

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए.के.एस. विजयन	1474, 1560
2.	श्री बसुदेव आचार्य	1520
3.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	1560, 1562, 1574
4.	श्री आनंदराव अडसुल	1560, 1562, 1574
5.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	1471, 1510, 1575
6.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	1492
7.	श्री हंसराज गं. अहीर	1411, 1560, 1600
8.	श्री बदरूद्दीन अजमल	1409
9.	डॉ. रतन सिंह अजनाला	1389, 1505
10.	श्री नारायण सिंह अमलाबे	1407
11.	श्री अनंत कुमार	1464, 1515
12.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	1447, 1500
13.	श्री सुरेश अंगड़ी	1454, 1520, 1556
14.	श्री घनश्याम अनुरागी	1469, 1528, 1587

1	2	3
15.	श्री गजानन ध. बाबर	1452, 1560, 1574
16.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	1402
17.	डॉ. बलीराम	1525
18.	श्री अम्बिका बनर्जी	1477, 1566
19.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	1488, 1551
20.	श्री अवतार सिंह भडाना	1581
21.	श्री ताराचन्द भगोरा	1490, 1581
22.	श्री संजय भोई	1479, 1569, 1570
23.	श्री समीर भुजबल	1513
24.	श्री पी.के. बिजू	1483, 1489, 1560, 1576
25.	श्री कुलदीप बिश्नोई	1427, 1515, 1564
26.	श्री हेमानंद बिसवाल	1438, 1478, 1587
27.	श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	1503, 1522
28.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	1415
29.	श्री सी. शिवासामी	1404, 1560
30.	श्री हरीश चौधरी	1422, 1499
31.	श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण	1478
32.	श्री संजय सिंह चौहान	1488, 1492, 1523
33.	श्री दारा सिंह चौहान	1601
34.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	1393, 1577
35.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	1559
36.	श्री भूदेव चौधरी	1484, 1538
37.	श्रीमती श्रुति चौधरी	1433, 1511
38.	श्री अधीर चौधरी	1434, 1560
39.	श्री खगेन दास	1478, 1536

1	2	3
40.	श्री राम सुन्दर दास	1583, 1610
41.	श्री गुरुदास दासगुप्त	1560, 1573, 1574
42.	श्रीमती दीपा दासमुंशी	1529, 1571
43.	श्री रमेन डेका	1478
44.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	1462
45.	श्रीमती रमा देवी	1478, 1560
46.	श्री के.पी. धनपालन	1398, 1484, 1596
47.	श्री संजय धोत्रे	1478, 1481, 1515
48.	श्री आर. ध्रुवनारायण	1382, 1496, 1607
49.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	1566, 1586
50.	श्री निशिकांत दुबे	1457, 1505, 1564, 1577, 1583
51.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	1478, 1483, 1577
52.	श्रीमती प्रिया दत्त	1491
53.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	1507
54.	श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी	1566, 1572
55.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	1479, 1569, 1570, 1579
56.	श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी	1527
57.	श्रीमती मेनका गांधी	1395, 1579
58.	श्री वरुण गांधी	1509, 1559
59.	श्री ए. गणेशमूर्ति	1435, 1560
60.	श्री माणिकराव होडल्या गावित	1584
61.	श्री राजेन गोहैन	1553
62.	श्री एल. राजगोपाल	1551, 1554
63.	श्री शिवराम गौडा	1560

1	2	3
64.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	1470, 1560, 1581
65.	श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	1531
66.	डा. सुचारू रंजन हल्दर	1588
67.	शेख सैदुल हक	1454
68.	श्री महेश्वर हजारी	1392, 1485, 1594
69.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	1442
70.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	1412, 1564
71.	श्री बलीराम जाधव	1561
72.	डॉ. संजय जायसवाल	1455, 1473
73.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	1396, 1495, 1564
74.	श्री बद्रीराम जाखड़	1391, 1443
75.	श्रीमती दर्शना जरदोश	1381
76.	श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट	1532
77.	श्री हरिभाऊ जावले	1424, 1560
78.	श्री नवीन जिन्दल	1444
79.	श्री कैलाश जोशी	1428
80.	श्री महेश जोशी	1420
81.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	1447, 1500
82.	श्री प्रहलाद जोशी	1528, 1530, 1537, 1564, 1587
83.	श्री पी. करुणाकरन	1580
84.	श्री कपिल मुनि करवारिया	1449, 1560, 1582
85.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	1558
86.	श्री राम सिंह कस्वां	1488, 1578
87.	श्री लालचन्द कटारिया	1466
88.	श्री नलिन कुमार कटील	1405

1	2	3
89.	श्री काट्टी रमेश विश्वनाथ	1478, 1567
90.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	1472
91.	श्री चंद्रकांत खैरे	1441, 1454, 1486
92.	डॉ. कृपारानी किल्ली	1515, 1582
93.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	1400
94.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	1478, 1567
95.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	1496, 1549
96.	श्री जी.वी. हर्ष कुमार	1497, 1581
97.	श्री मिथिलेश कुमार	1566
98.	श्री विश्व मोहन कुमार	1482, 1560
99.	श्री पी. कुमार	1557, 1562
100.	श्री एन. पीताम्बर कुरुप	1492, 1577
101.	श्री यशवंत लागुरी	1441, 1448
102.	श्री पी. लिंगम	1560, 1573, 1574
103.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	1430, 1478, 1576
104.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	1455, 1474, 1478
105.	श्री नरहरि महतो	1505, 1586
106.	श्री भर्तृहरि महताब	1560, 1576
107.	श्री प्रदीप माझी	1450, 1541, 1573
108.	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	1476, 1565
109.	श्री मंगनी लाल मंडल	1481, 1515
110.	श्री जोस के. मणि	1506, 1566
111.	श्री हरि मांझी	1563
112.	श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड	1486, 1530
113.	श्री दत्ता मेघे	1473
114.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	1391, 1560, 1575

1	2	3
115.	श्री महाबल मिश्रा	1473
116.	श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र	1564, 1575
117.	श्री सोमेन मित्रा	1385, 1422
118.	श्री गोपीनाथ मुंडे	1562
119.	श्री विलास मुत्तेमवार	1463, 1496, 1545, 1575
120.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	1505, 1517, 1560, 1576
121.	श्री श्रीपाद येसो नाईक	1530
122.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	1498, 1574, 1575, 1577, 1583
123.	श्री नामा नागेश्वर राव	1550
124.	श्री नारनभाई कछाड़िया	1566, 1586
125.	कुमारी मीनाक्षी नटराजन	1487, 1578
126.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	1482, 1560, 1573, 1590
127.	श्री पी.आर. नटराजन	1413, 1566, 1603
128.	श्री जगदम्बिका पाल	1453
129.	श्री वैजयंत पांडा	1519, 1571
130.	श्री प्रबोध पांडा	1560, 1579
131.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	1496
132.	कुमारी सरोज पाण्डेय	1492, 1507
133.	डॉ. विनय कुमार पाण्डेय	1544, 1584, 1588
134.	श्री जयराम पांगी	1406
135.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	1479, 1569, 1570, 1579
136.	श्री देवजी एम. पटेल	1488, 1492
137.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	1484, 1532, 1551
138.	श्री बाल कुमार पटेल	1480, 1571
139.	श्री किसनभाई वी. पटेल	1450, 1541, 1573
140.	श्री हरिन पाठक	1555
141.	श्री संजय दिना पाटील	1498, 1516, 1574, 1575, 1577
142.	श्री ए.टी. नाना पाटील	1482, 1488, 1501, 1530, 1560
143.	श्रीमती भावना पाटील गवली	1484, 1502
144.	श्री सी.आर. पाटिल	1436, 1566
145.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	1421, 1513, 1608
146.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	1479, 1569, 1570, 1579
147.	श्रीमती कमला देवी पटले	1398, 1423, 1559
148.	श्री पोन्नम प्रभाकर	1390, 1482, 1592
149.	श्री नित्यानंद प्रधान	1519, 1571
150.	श्री प्रेमचन्द गुड्डू	1486
151.	श्री प्रेमदास	1542
152.	श्री पन्ना लाल पुनिया	1566, 1572
153.	श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	1515
154.	श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया	1439, 1587
155.	श्री एम.के. राघवन	1478, 1494
156.	श्री बी. वाई. राघवेन्द्र	1568
157.	श्री रमाशंकर राजभर	1498
158.	श्री सी. राजेन्द्रन	1566
159.	श्री एम. बी. राजेश	1478, 1488, 1561, 1580

1	2	3
160.	श्री पूर्णमासी राम	1518, 1560
161.	श्री कादिर राणा	1505, 1520
162.	श्री राजेन्द्रसिंह राणा	1478, 1511
163.	श्री निलेश नारायण राणे	1410, 1599
164.	श्री रायापति सांबसिवा राव	1401, 1597
165.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	1527
166.	श्री रामसिंह राठवा	1388, 1581, 1591
167.	डॉ. रत्ना डे	1489, 1566, 1595
168.	श्री अशोक कुमार रावत	1495
169.	श्री अर्जुन राय	1484, 1512
170.	श्री रुद्रमाधव राय	1406, 1418, 1478, 1560
171.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	1384, 1605
172.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	1419, 1484, 1560, 1569
173.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	1445, 1484, 1513, 1559
174.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	1505, 1586
175.	श्री एस. अलागिरी	1528
176.	श्री एस. सेम्मलई	1426
177.	श्री एस. पक्कीरप्पा	1399, 1478, 1509, 1560
178.	श्री एस.आर. जेयदुरई	1467
179.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	1432, 1478, 1520, 1560
180.	डॉ. अनूप कुमार साहा	1560
181.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	1468, 1560
182.	श्रीमती सुशीला सरोज	1431, 1446, 1485
183.	श्री तूफानी सरोज	1540
184.	श्री हमदुल्लाह सईद	1397, 1503
185.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	1451
186.	श्रीमती जे. शांता	1417, 1562
187.	श्री जगदीश शर्मा	1496, 1546, 1575
188.	श्री नीरज शेखर	1486, 1560, 1573
189.	श्री गोपाल सिंह शेखावत	1521, 1584, 1585
190.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	1437
191.	श्री राजू शेट्टी	1475
192.	श्री एंटो एंटोनी	1560, 1568
193.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	1508, 1562
194.	श्री भूपेन्द्र सिंह	1383, 1609
195.	श्री दुष्यंत सिंह	1452, 1574
196.	श्री गणेश सिंह	1459, 1478
197.	श्री इज्यराज सिंह	1499
198.	श्री जगदानंद सिंह	1504
199.	श्री मुरारी लाल सिंह	1429
200.	श्री पशुपति नाथ सिंह	1387, 1559
201.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	1465
202.	श्री राकेश सिंह	1394, 1484
203.	श्री रतन सिंह	1488
204.	श्री रवनीत सिंह	1416, 1606
205.	श्री सुशील कुमार सिंह	1461, 1518
206.	श्री उदय सिंह	1503
207.	श्री यशवीर सिंह	1486, 1573

1	2	3
208.	चौधरी लाल सिंह	1539, 1574
209.	श्री बृजभूषण शरण सिंह	1482, 1547, 1560
210.	श्री रेवती रमण सिंह	1460
211.	श्री राधे मोहन सिंह	1533, 1563
212.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	1447, 1484, 1512
213.	राजकुमारी रत्ना सिंह	1412, 1495
214.	श्री उदय प्रताप सिंह	1466, 1518
215.	श्री उमाशंकर सिंह	1560
216.	डॉ. संजय सिंह	1386, 1505, 1528, 1593
217.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	1425
218.	श्री के. सुधाकरण	1522, 1574
219.	श्री ई.जी. सुगावनम	1414, 1482, 1498, 1560
220.	श्री के. सुगुमार	1408, 1482, 1498, 1560
221.	श्रीमती सुप्रिया सुले	1498, 1574
222.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	1470, 1493, 1560, 1561
223.	डॉ. राजन सुशान्त	1455, 1535
224.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	1564, 1589
225.	श्री मानिक टैगोर	1552, 1560
226.	श्रीमती अन्नू टन्डन	1524
227.	श्री अशोक तंवर	1562
228.	श्री बिभू प्रसाद तराई	1560
229.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	1548
230.	श्री मनीष तिवारी	1498
231.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	1543, 1558

1	2	3
232.	श्री आर. थामराईसेलवन	1579, 1602
233.	श्री पी.टी. थॉमस	1513
234.	श्री मनोहर तिरकी	1476, 1565
235.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	1486, 1510
236.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	1403, 1480, 1598
237.	श्री जोसेफ टोप्पो	1513, 1585
238.	श्री लक्ष्मण टुडु	1448, 1505
239.	श्री शिवकुमार उदासी	1478, 1486, 1577
240.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	1392, 1431, 1485
241.	श्री हर्ष वर्धन	1498, 1560, 1575, 1581
242.	श्री मनसुखभाई डी. बसावा	1560
243.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	1527
244.	श्री सज्जन वर्मा	1456
245.	श्रीमती ऊषा वर्मा	1392, 1485
246.	श्री वीरेन्द्र कुमार	1514
247.	श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ	1459, 1486, 1489, 1510, 1534
248.	श्री पी. विश्वनाथन	1463, 1498, 1561
249.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	1440, 1577
250.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	1386, 1593
251.	श्री धर्मेन्द्र यादव	1452, 1560, 1574
252.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	1458, 1579
253.	श्री अरुण यादव	1499, 1576
254.	श्री मधुसूदन यादव	1526, 1575, 1577
255.	योगी आदित्यनाथ	1474

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	128, 131, 136
कार्पोरेट कार्य	:	
पेयजल और स्वच्छता	:	121, 125
पृथ्वी विज्ञान	:	135
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	134
विधि और न्याय	:	122
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	
अल्पसंख्यक कार्य	:	140
संसदीय कार्य	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	124, 126, 127, 129
रेल	:	123, 133, 137, 138
ग्रामीण विकास	:	130
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
जल संसाधन	:	132, 139

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	1381, 1382, 1388, 1393, 1408, 1413, 1425, 1428, 1438, 1445, 1454, 1463, 1468, 1482, 1490, 1493, 1497, 1517, 1528, 1531, 1542, 1554, 1576, 1578, 1582, 1591, 1596, 1603, 1605, 1607, 1609
कार्पोरेट कार्य	:	1441, 1602, 1610
पेयजल और स्वच्छता	:	1392, 1436, 1452, 1476, 1509, 1513, 1556, 1565, 1586
पृथ्वी विज्ञान	:	1546
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	1457, 1458, 1506, 1570, 1589, 1590, 1604
विधि और न्याय	:	1385, 1389, 1397, 1398, 1400, 1410, 1412, 1432, 1464, 1522, 1533, 1558, 1566, 1569, 1595

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	1409, 1433, 1435, 1449, 1536, 1552, 1598
अल्पसंख्यक कार्य	:	1384, 1401, 1417, 1423, 1424, 1451, 1456, 1459, 1467, 1470, 1489, 1583, 1608
संसदीय कार्य	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	1390, 1402, 1407, 1422, 1430, 1434, 1446, 1481, 1483, 1485, 1498, 1502, 1508, 1527, 1538, 1540, 1564, 1580, 1581, 1592, 1593, 1606
रेल	:	1394, 1395, 1396, 1399, 1404, 1406, 1411, 1414, 1429, 1431, 1440, 1444, 1448, 1450, 1471, 1472, 1474, 1478, 1484, 1488, 1492, 1494, 1499, 1500, 1501, 1507, 1511, 1514, 1520, 1521, 1523, 1525, 1526, 1532, 1534, 1535, 1537, 1543, 1544, 1547, 1548, 1550, 1551, 1553, 1555, 1562, 1571, 1577, 1584, 1585, 1597
ग्रामीण विकास	:	1386, 1416, 1421, 1439, 1442, 1447, 1453, 1455, 1461, 1473, 1475, 1479, 1480, 1486, 1495, 1503, 1505, 1515, 1518, 1519, 1524, 1529, 1541, 1545, 1549, 1573, 1574, 1579, 1594, 1601
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	1387, 1487, 1491, 1516
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	1466, 1588
जल संसाधन	:	1383, 1391, 1403, 1405, 1415, 1418, 1419, 1420, 1426, 1427, 1437, 1443, 1460, 1462, 1465, 1469, 1477, 1496, 1504, 1510, 1512, 1530, 1539, 1557, 1559, 1560, 1561, 1563, 1567, 1568, 1572, 1575, 1587, 1599, 1600.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/23/9/2012 (एन.)
230

© 2012 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और अनुपम आर्ट प्रिंटर्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।